रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082025-265231
CG-DL-E-06082025-265231

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 533] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2025/श्रावण 10, 1947
No. 533] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2025/SHRAVANA 10, 1947

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2025

सं. 1-सीए(5)/76/2025.—सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (5ख) के अनुसरण में, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) की परिषद् के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं और रिपोर्ट की एक प्रति एतद्वारा जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

76वीं वार्षिक रिपोर्ट

वर्ष 2024-25 को ऐसी ऐतिहासिक अवधि के तौरपर याद किया जाएगा, जिसमें कई साहसिक विचार, परिवर्तनकारी कार्य और हमारे पेशे के भविष्य को आकार देने की प्रतिबद्धता देखने को मिली। चूँकि आई.सी.ए.आई. अपनी 75 वर्षों की उत्कृष्टता का जश्न मना रहा है, हम एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं, नए उद्देश्य व जुनून के साथ 'इंडिया@100' की ओर देख रहे हैं। आई.सी.ए.आई. की पहलों के केंद्र में क्षेत्र तकनीकी, अनुसंधान, संघ विकास, स्थिरता एवं पारदर्शिता का मूल निहित है, जो इस पेशे को उस दिशा में ले जा रहा है जिससे पेशे के अगले 25 वर्षों को आकार मिलेगा। विगत कुछ वर्षों में आई.सी.ए.आई. नियामक के तौरपर अपनी भूमिका से आगे बढ़कर वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी लेखा संस्था के रूप में उभरा है। आज, लेखा का पेशा परंपरा एवं परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है, जिसमें आई.सी.ए.आई. न केवल नियामक के तौरपर, बल्कि मूल्य सृजन हेतु भी परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका को बढ़ा रहा है। उद्देश्य की नई भावना के साथ, हमारा लक्ष्य न केवल अपनी कार्यप्रणाली का आधुनिकीकरण करना है, बल्कि वित्त के भविष्य की पुनर्कल्पना करना भी है।

संस्थान के तौरपर, आई.सी.ए.आई. केवल पेशेवरों का ही नहीं, बल्कि समस्या-निवारकों, स्थिरता के समर्थकों एवं डिजिटल विचारकों का भी सृजन कर रहा है, जो ऐसी दुनिया की अगुवाई करने के लिए तैयार हैं, जिसमें दक्षता व

जवाबदेही की ज़रुरत है। संस्थान प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहा है, लेखांकन के ढाँचे तैयार कर रहा है, और हरित अर्थव्यवस्था (ग्रीन इकोनॉमी) में परिवर्तन को सक्षम बना रहा है, और यह सब ऐसे पेशे को आकार देने के ऐसे विश्वास से कर रहा है - जो निष्ठा के साथ नेतृत्व करे, समाज हेतु वास्तविक मूल्यवान हो, और राष्ट्र को लक्ष्य व गौरव के साथ आगे बढ़ाए। भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 30 ट्रिलियन डॉलर की महाशक्ति बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर निरंतर प्रगति कर रहा है, हमारा देश वैश्विक नेतृत्व को पुनर्परिभाषित कर रहा है। इस परिवर्तनकारी युग में, आई.सी.ए.आई. राष्ट्र सृजन में एक विश्वसनीय भागीदार बनने हेतु पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो जनहित के संरक्षक और सतत प्रगति के उत्प्रेरक के रूप में इसकी भूमिका में निहित है।

अपनी नैतिकता, तकनीकी उत्कृष्टता और कठोर शिक्षा हेतु विश्व स्तर पर प्रसिद्ध, आई.सी.ए.आई. ऐसे पेशेवरों को तैयार कर रहा है जो न केवल वित्तीय रूप से कुशल हैं बल्कि सामाजिक रूप से जिम्मेदार भी हों। चार्टर्ड अकाउंटेंट लंबे समय से उद्योगों एवं समुदायों में सलाहकार, सक्षमकर्ता व परिवर्तनकर्ता के रूप में भारत की आर्थिक यात्रा में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता रहे हैं। भविष्य में, आई.सी.ए.आई. पूरी निष्ठा के साथ नेतृत्व करने, नवाचार को बढ़ावा देने और ऐसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने हेतु तैयार है जो गतिशील, तकनीकी-संचालित दुनिया में फल-फूल सके। नवोन्मेषी विचारों और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, संस्थान भारत के विश्व स्तर पर उभरने की कहानी को आकार दे रहा है। विगत 75 वर्षों में, आई.सी.ए.आई. ने न केवल राष्ट्र के विश्वास को कायम रखा है, बल्कि विश्वसनीयता, उत्कृष्टता और राष्ट्रीय सेवा की विरासत का सृजन करके इसकी वित्तीय कहानी को आकार देने में भी मदद की है। चूँकि भारत विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है और 30 ट्रिलियन डॉलर की आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, इसलिए लेखा पेशे की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

आज, संस्थान विरासत एवं परिवर्तन के सशक्त चौराहे पर खड़ा है। नैतिक नेतृत्व और विश्वस्तरीय तकनीकी शिक्षा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के साथ, आई.सी.ए.आई. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को तेज़ी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था, जो तकनीक, स्थिरता व बदलते शासन प्रतिमानों से आकार लेती है, हेतु आवश्यक क्षमताओं से सुसज्जित करता रहता है। वित्तीय प्रणालियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने से लेकर जटिलताओं से निपटने में व्यवसायों का समर्थन करने तक, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भारत की विकास यात्रा में सहायक रहे हैं। नए आर्थिक मॉडलों, डिजिटल इकोसिस्टम और ग्रीन फाइनेंस के उदय के साथ, जो भविष्य को नया आकार दे रहे हैं, आई.सी.ए.आई. राष्ट्रीय विकास में अग्रणी भूमिका निभाने और ऐसे पेशेवरों को तैयार करने हेतु तैयार है जो भारत की भविष्य की अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

बड़े गर्व और उद्देश्य के साथ, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) की परिषद 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अपनी 76वीं वार्षिक रिपोर्ट पेश कर रही है।

1 जुलाई 1949 को अपनी स्थापना के पश्चात् से, आई.सी.ए.आई. ऐसी वैश्विक शक्ति के रूप में विकसित हुआ है, जो अब 4.5 लाख से अधिक सदस्यों एवं 10 लाख छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है, जो 47 देशों के 85 अंतरराष्ट्रीय शहरों में उपस्थित हैं। राष्ट्र की सेवा में हमारी यह उल्लेखनीय यात्रा विश्वास, जवाबदेही और पेशेवर के स्थायी मूल्यों पर टिकी है। यह रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान परिषद की प्रमुख पहलों और समिति के नेतृत्व वाली गतिविधियों का विस्तृत विवरण देती है, साथ ही वर्ष हेतु संस्थान के लेखा परीक्षित वित्तीय प्रदर्शन का विवरण भी पेश करती है। विगत वर्ष की उपलब्धियों पर विचार करते हुए, परिषद नैतिकता, स्वतंत्रता, अखंडता और उत्कृष्टता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए सदस्यों और छात्रों की हार्दिक सराहना करती है, क्योंकि इस पेशे की वैश्विक मंच पर प्रासंगिकता एवं प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है।

यह वार्षिक रिपोर्ट महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डालती है और उन प्राथमिकताओं को रेखांकित करती है जो बदलती दुनिया में नवाचार, अधिक प्रभाव और मजबूत नेतृत्व पर विशेष ध्यान देते हुए आई.सी.ए.आई. के आगे के मार्ग का मार्गदर्शन करेंगी:

75 वर्षों का विश्वास – सीए पेशे की उत्कृष्टता, स्वतंत्रता एवं अखंडता का उत्सव

आई.सी.ए.आई. ने 1 जुलाई 2024 को 75 वर्ष के विश्वास के रूप में मनाया, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की कड़ी मेहनत एवं राष्ट्रीय विकास में उनके योगदान का सम्मान किया। इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया था, जिसमें विकसित भारत के विजन को साकार करने हेतु कर्तव्य काल में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की उपलब्धियों और भावी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया था। भारत मंडपम के सबसे बड़े हॉल में आयोजित भव्य कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों और सभी सीए ने भाग लिया। उनमें से भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री; भारत के अटॉर्नी जनरल;

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीकी मंत्रालय के सचिव; कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव, बांग्लादेश के इस्टिट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के अध्यक्ष; एशियाई एवं प्रशांत लेखाकार परिसंघ (सीएपीए) के अध्यक्ष; श्री हेशाना कुरुप्पु दक्षिण एशियाई लेखाकार महासंघ (एसएएफए) के अध्यक्ष सबसे मुख्य अतिथि थे।

राष्ट्रव्यापी 'सीए रन फॉर विकसित भारत' हेतु आईसीएआई की एकजुटता

दुनिया की सबसे बड़ी अकाउंटेंसी संस्था, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) ने 30 जून, 2024 को भव्य 'सीए रन फॉर विकसित भारत' के साथ राष्ट्र के प्रति अपनी 75 वर्ष की सेवा का स्मरण किया। इस कार्यक्रम के दौरान 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति आई.सी.ए.आई. की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। दुनिया भर के सदस्यों और छात्रों सहित 10000 से अधिक प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, 5 क्षेत्रीय परिषदों, 176 शाखाओं एवं विभिन्न खंडों से सुबह 6:00 बजे दौड़ शुरू हुई। नई दिल्ली में, दौड़ आई.सी.ए.आई. मुख्यालय से शुरू हुई और मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में माननीय कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा की उपस्थिति रही, जिन्होंने देश के वित्तीय मानकों में आई.सी.ए.आई. के योगदान की प्रशंसा की। आईसीएआई से जुड़े नेतृत्व ने आर्थिक सुधारों और सुशासन में इस पेशे की भूमिका पर बल दिया और समृद्ध भारत के प्रति सीए बिरादरी के सामूहिक समर्पण पर प्रकाश डाला।

वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स - 2025

लेखा पेशेवरों एवं विचारकों के प्रतिष्ठित वैश्विक समागम, वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स (डब्ल्यूओएफए) 2025 का आयोजन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा किया गया और इसका उद्घाटन भारत के माननीय रक्षा मंत्री ने किया। 31 जनवरी से 2 फरवरी, 2025 तक यशोभूमि, नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में 46 देशों के 6,500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया - जो वैश्विक लेखा जगत के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलनों में से एक था। *"एकाउंटबिलिटी मिशन इनोवेशन (एआई): फॉर ए सस्टेनेबल प्लैनेट्स" विषय पर केंद्रित,* डब्ल्यूओएफए 2025 उभरते वैश्विक रुझानों, स्थायी प्रथाओं एवं लेखा पेशे में तकनीकी की परिवर्तनकारी भूमिका पर अंतर्दृष्टि के आदान-प्रदान के एक गतिशील मंच के रूप में कार्य किया। एक सम्मेलन मात्र न होकर, डब्ल्यूओएफए वैश्विक वित्तीय इकोसिस्टम में भारत के बढ़ते कद का गौरव और सशक्त माध्यम बन गया। इस ऐतिहासिक आयोजन के साथ, आई.सी.ए.आई. ने लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवाओं के एक उभरते वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमताओं को दिखाया। फोरम ने आश्वासन, पारदर्शिता और वित्तीय प्रबंधन में ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बनने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाया, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को एक विश्वसनीय आवाज व गंतव्य के रूप में स्थापित करने की व्यापक राष्ट्रीय आकांक्षा के साथ संरेखित था।

इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज़ (आईसीएलएस) के अधिकारियों का प्रशिक्षण

प्रमुख शैक्षणिक संस्था होने के नाते, आई.सी.ए.आई. वित्तीय रिपोर्टिंग एवं कानूनों के विभिन्न उभरते पहलुओं के साथ-साथ विकसित हो रही अच्छी पद्धतियों पर सरकारी अधिकारियों को ज्ञान देने हेतु उनकी क्षमता और योग्यता विकास में निरंतर सहयोग प्रदान करने का प्रयास करता है। इसी दिशा में, संस्थान ने 20 अप्रैल, 2024 को आई.सी.ए.आई. मुख्यालय, नई दिल्ली में आईसीएलएस अधिकारियों के 2022 बैच हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया है। इन पहलों के साथ, संस्थान बेहतर प्रशासन के लिए प्रभावी व कुशल नीति विकास की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की आकांक्षा रखता है।

आई.सी.ए.आई. द्वारा वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए तकनीक का अंगीकरण - फिनफ्लुएंसर मीट

सर्वेक्षणों से पता चलता है कि भारत की केवल 27 प्रतिशत आबादी ही वित्तीय रूप से साक्षर है। इसके अलावा, केवल 16.7 प्रतिशत भारतीय छात्रों को ही वित्त एवं निधि प्रबंधन की बुनियादी समझ है। दुनिया की सबसे बड़ी लेखा संस्था होने के नाते, आई.सी.ए.आई. अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी निभाते हुए देश के नागरिकों को शिक्षित और सशक्त बना रहा है और देश को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने हेतु एक स्थायी वित्तीय इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है। भारत सरकार के 'वित्तीय साक्षरता' (वित्तीय साक्षरता) मिशन को अगले स्तर तक ले जाना और कर कानूनों, लेखांकन व वित्तीय प्रणाली के विविध पहलुओं की समझ को बढ़ावा दे रहा है। संस्थान ने 5 अप्रैल, 2024 को नई दिल्ली में एक फिनफ्लुएंसर्स मीट का आयोजन किया है, जिसमें 41 प्रमुख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सहयोग करने और लोगों को वित्तीय ज्ञान के बारे में शिक्षित करने हेतु आगे आए।

विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के साथ अकादमिक बैठक

भारत को विश्वगुरु बनाने के विजन के साथ, आई.सी.ए.आई. ने 17 मई, 2024 को नई दिल्ली में विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ अकादमिक सम्मेलन का आयोजन किया। यह आयोजन आई.सी.ए.आई. और शिक्षा जगत के बीच सार्थक संवाद के लिए महत्वपूर्ण मंच का कार्य करेगा, जिसमें देश भर के 35 से अधिक प्रमुख विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के विद्वान, शोधकर्ता और वरिष्ठ संकाय सदस्य एक साथ आए। चर्चाओं में अकादमिक अनुसंधान हेतु एक सहयोगी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने, पाठ्यक्रम को उद्योग की उभरती ज़रुरतों के अनुरूप बनाने और वाणिज्य एवं लेखा शिक्षा में नवाचार, नैतिकता व उत्कृष्टता को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त पहलों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह जुड़ाव अकादमिक साझेदारी को मजबूत करने, अनुप्रयुक्त अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और एक समृद्ध एवं दूरदर्शी शिक्षा ढांचे के ज़रिए भविष्य के लिए तैयार पेशेवरों को आकार देने की आई.सी.ए.आई. की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

2024 का संकल्प - दिवालियापन और मूल्यन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) ने भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड, आई.सी.ए.आई. के भारतीय दिवाला पेशेवर संस्थान और आईसीएआई के पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन के सहयोग से भारत मंडपम, नई दिल्ली, भारत में दिवाला समाधान एवं मूल्यांकन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, रिसोल्व-2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। सम्मेलन का विषय "इनेब्लिंग रिसॉल्यूशन मैक्सिमाइज़िंग वैल्यू" उद्योग में वैश्विक अच्छी पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा देना था। दो दिवसीय कार्यक्रम में 14 तकनीकी सत्रों में 40 से अधिक प्रतिष्ठित वक्ताओं ने दिवालियापन समाधान के क्षेत्र में सबसे प्रासंगिक और समकालीन विषयों को कवर किया। इस कार्यक्रम में 500 से अधिक दिवाला एवं मूल्यन पेशेवर एक साथ आए, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा दिवालियापन सम्मेलन बन गया। वाणिज्य एवं लेखाशास्त्र में चौथा वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन।

ग्लोबल एजुकेशन समिट इन कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी (जीईएससीए) 2024

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) ने 5 और 6 जुलाई, 2024 को नई दिल्ली में ग्लोबल एजुकेशन समिट इन कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी (जीईएससीए) 2024 में चौथा आयोजित किया। इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कॉर्पोरेट मामलों और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री ने आईसीएआई के तत्कालीन अध्यक्ष के साथ किया। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि में एआईसीटीई के उपाध्यक्ष और एनआईईपीए के कुलपति भी उपस्थित थे। शिखर सम्मेलन में वाणिज्य एवं लेखा में विशेषज्ञता वाले प्रसिद्ध भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के कुलपति, अध्यक्ष, निदेशक, प्रिंसिपल, डीन, एचओडी और प्रोफेसर एक साथ आए। मुख्य विषय अपस्किलिंग पहल के ज़रिए वाणिज्य स्नातकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए अंतर्दृष्टि साझा करने पर था। जीईएससीए 2024 में विभिन्न विश्वविद्यालयों के 36 कुलपतियों के साथ-साथ देश भर के 115 शीर्ष विश्वविद्यालयों और 30 स्वायत्त कॉलेजों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

आईसीएआई एआई इनोवेशन समिट 2024

संस्थान ने 16 और 17 जुलाई, 2024 को हैदराबाद में एआई इनोवेशन समिट - एआईएस 2024 की मेजबानी की। शिखर सम्मेलन में लेखांकन, लेखा परीक्षा, कराधान और शासन में नवाचार हेतु दूरदर्शी रणनीतियों को बढ़ावा देने और तकनीकी का इस्तेमाल कनरे की आई.सी.ए.आई. की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया। एआईएस 2024 का उद्देश्य लेखांकन और वित्तीय क्षेत्रों के भविष्य को आकार देने में अग्रणी बनना है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में वैश्विक एआई विशेषज्ञों, तकनीकी उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों द्वारा पैनल चर्चा और विचारोत्तेजक सत्र शामिल थे। ये चर्चाएँ लेखांकन, लेखा परीक्षा, कर और शासन के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की परिवर्तनकारी क्षमता की खोज के महत्वपूर्ण पहलुओं पर आधारित थीं। शिखर सम्मेलन के दौरान, छात्रों के लिए महत्वपूर्ण पहल 'आईसीएआई सीए जीपीटी', सदस्यों के लिए एआई पर सर्टिफिकेट कोर्स और 100 एआई टूल्स का डिजिटल प्रकाशन शुरू किया गया।

स्थानीय प्रशासन सहक्रियता सम्मेलन 'सशक्त भारत: स्थानीय-स्वशासन लेखांकन को सुदृढ़ करने की पहल'

स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, संस्थान ने 1 से 2 अक्टूबर, 2024 तक सीएंडएजी कार्यालय के सहयोग से "सशक्त भारत: स्थानीय स्वशासन लेखांकन को सुदृढ़ करने की पहल" विषय पर एक स्थानीय प्रशासन सहक्रियता सम्मेलन का आयोजन किया। भारत भर के स्थानीय निकायों के 350 से अधिक अधिकारियों की भागीदारी के साथ, इस सम्मेलन का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देना और इसे विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप बनाना था। इस कार्यक्रम में तत्कालीन माननीय सीएंडएजी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

वैश्विक नैतिकता दिवस

आईसीएआई ने 16 अक्टूबर, 2024 को नई दिल्ली में एक भव्य और दूरदर्शी समारोह के साथ 'वैश्विक नैतिकता दिवस' मनाया। इस अवसर पर लेखा पेशे में नैतिक आचरण के उभरते आयामों पर केंद्रित व्यावहारिक तकनीकी सत्र और पैनल चर्चाएँ आयोजित की गईं। यह कार्यक्रम चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे की ईमानदारी, स्वतंत्रता एवं जनविश्वास के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का एक सशक्त अनुस्मारक रहा। पारदर्शिता और जवाबदेही से परिभाषित इस युग में, आईसीएआई नैतिकता को न केवल एक सिद्धांत के रूप में, बल्कि लचीले संस्थानों, उत्तरदायी शासन व विश्वसनीय वित्तीय इकोसिस्टम की नींव के रूप में स्थापित करके एक मिसाल कायम कर रहा है।

विदेशी अधिकारियों के लिए आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम

आई.सी.ए.आई. विश्व स्तर पर लेखा पेशे के विकास में सक्रिय रूप से शामिल रहा है और अन्य देशों के क्षमता विकास कार्यक्रमों में सहयोग हेतु सरकारों और संस्थानों के साथ सहयोग करता रहता है। आईसीएआई ने विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में अपना पहला आईटीईसी कार्यक्रम 18 नवंबर, 2024 को हैदराबाद स्थित आईसीएआई उत्कृष्टता केंद्र में 11 देशों के 17 प्रतिभागियों के साथ आयोजित किया। आईसीएआई के तत्कालीन अध्यक्ष, विदेश मंत्रालय के ओएसडी, तत्कालीन केंद्रीय परिषद सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

व्यापार अधिकारियों के साथ इंटरैक्टिव बैठक

आईसीएआई वैश्विक हितधारकों के साथ मिलकर विकसित हो रहे वैश्विक प्रतिमान को समझने और भारत को वैश्विक वित्त एवं लेखा केंद्र के रूप में बढ़ावा देने हेतु निरंतर प्रयासरत है। इसी संदर्भ में, 8 नवंबर, 2024 को नई दिल्ली में विदेशी दूतावासों के व्यापार अधिकारियों के साथ एक संवादात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि श्री महावीर सिंघवी, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय, तत्कालीन अध्यक्ष-आई.सी.ए.आई., तत्कालीन केंद्रीय परिषद सदस्य और सचिव, आई.सी.ए.आई. उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में 23 विभिन्न दूतावासों के 26 व्यापार आयुक्तों/अधिकारियों ने भाग लिया।

आई.सी.ए.आई. ने सीबीएसई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) ने अपनी करियर परामर्श समिति के माध्यम से 21 नवंबर 2024 को भुवनेश्वर, ओडिशा में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के कौशल शिक्षा विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य देश भर के छात्रों के लिए वाणिज्य-आधारित कौशल पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना है। इस साझेदारी का उद्देश्य विशेष रूप से बीएफएसआई क्षेत्र में, वाणिज्य-उन्मुख कौशल को बढ़ावा देने के लिए आई.सी.ए.आई. और सीबीएसई के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाये गए विशेष पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्रों के कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ाना होगा।

सरकारी लेखांकन सुधारों का समर्थन - भारतीय रेलवे में वित्तीय प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई), अपने अकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन (आईसीएआई एआरएफ) के माध्यम से, भारतीय रेलवे में वित्तीय सुधारों को आगे बढ़ाने में सबसे आगे रहा है, जिसने इसके वित्तीय प्रबंधन ढांचे में काफी सुधार किया गया है। 2014 से, आईसीएआई एआरएफ ने भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी लेखा सुधार पहल में तकनीकी भागीदार के रूप में काम किया है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। इस सहयोग के एक भाग के रूप में, आईसीएआई एआरएफ ने लगातार छह वर्षों (2017-18 से 2022-23) तक भारतीय रेलवे के लिए प्रोद्भव-आधारित वित्तीय विवरण सफलतापूर्वक विकसित और प्रस्तुत किए हैं। नकदी-आधारित

से प्रोद्भव-आधारित लेखांकन में इस परिवर्तन ने भारतीय रेलवे को परिसंपत्ति और देयता प्रबंधन में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने, प्रदर्शन का बेहतर मूल्यांकन करने और वित्तीय निर्णय लेने में सुधार करने में सक्षम बनाया है।

आईसीएआई - सस्टेनेबल प्लेनेट की ओर

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) सस्टेनेबिलिटी एवं ग्रीनहाउस गैस आश्वासन हेतु एसएसएई 3000 और एसएई 3410, और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग मैच्योरिटी मॉडल जैसी पहलों को शुरू करके सस्टेनेबल भविष्य की दिशा में प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। आई.सी.ए.आई. अपने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग अवार्ड्स और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल ऑडिटर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से जवाबदेही को बढ़ावा देता है, जो विषयगत सामाजिक लेखा परीक्षा मानक जारी करता है। ग्रीन महोत्सव अभियान पर्यावरणीय प्रतिबद्धता का प्रतीक, 100,000 पेड़ लगाने का संकल्प लेता है। यह पहल राष्ट्रीय नेतृत्व के अभियान 'एक पेड़ माँ के नाम' से भी मेल खाती है, जो प्रत्येक नागरिक को अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आई.सी.ए.आई. ने व्यक्तियों और संगठनों को अपने कार्बन फुटप्रिंट को मापने और कम करने में मदद करने हेतु स्कोप 1, 2 और 3 उत्सर्जन को कवर करने वाला एक कार्बन उत्सर्जन कैलकुलेटर भी विकसित किया। इसके अलावा, आईसीएआई अपने विशाल सदस्य और छात्र नेटवर्क के बीच सचेत उपभोग व ज़िम्मेदार जीवनशैली को प्रोत्साहित करते हुए, LiFE (लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट) पहल का समर्थन करता है। इन प्रयासों के माध्यम से, आईसीएआई का उद्देश्य सस्टेनेबल पद्धतियों को प्रेरित करना और प्रभावशाली पर्यावरणीय परिवर्तन का नेतृत्व करना है।

एशिया और भारत में आई.सी.ए.आई. एमएसएमई और स्टार्टअप यात्रा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) स्टार्टअप स्फीयर, स्टार्टअप मंथन और एमएसएमई एवं स्टार्टअप यात्रा जैसी पहलों के माध्यम से एमएसएमई, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोज़गार सृजन हेतु समर्पित है। 100 दिनों के भीतर 100 से अधिक शहरों में जागरूकता अभियान चलाने के लिए एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मान्यता प्राप्त, आईसीएआई 26 व 27 जून, 2025 को एमएसएमई और स्टार्टअप कॉन्क्लेव और 27 जून, 2025 को राष्ट्रव्यापी एमएसएमई महोत्सव जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। इस कॉन्क्लेव में नवाचार और क्षमता सृजन का समर्थन करने हेतु 3,000 से अधिक हितधारक एकत्रित हुए, जबकि महोत्सव में एमएसएमई के लिए निःशुल्क उद्यम पंजीकरण, परामर्श और शिकायत निवारण की पेशकश की गई। इसके अलावा, आई.सी.ए.आई. ने एमएसएमई क्षमता सृजन, उद्यमिता विकास और विपणन, तकनीकी, वित्त एवं वैश्विक पहुँच सहित एकीकृत सहायता सेवाओं को बढ़ाने के लिए 27 जून, 2025 को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये पहल भारत के एमएसएमई और स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में आई.सी.ए.आई. की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती हैं।

आईसीएआई द्वारा परीक्षा संरचना में सुधार - अधिक अवसर, अधिक सफलता

दुनिया भर की अच्छी पद्धतियों के अनुरूप और छात्रों को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए, आई.सी.ए.आई. की 26वीं परिषद ने सीए फाइनल परीक्षा को वर्ष में दो बार के बजाय तीन बार आयोजित करने का निर्णय लिया है। पिछले वर्ष, आई.सी.ए.आई. ने इंटरमीडिएट और फाउंडेशन परीक्षाओं में भी ऐसा ही बदलाव किया था, और अब तीनों स्तरों पर जनवरी, मई और सितंबर में समान परीक्षाएँ होंगी। इसके अलावा, इंफोर्मेशन सिस्टम ऑडिट में पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स का मूल्यांकन भी द्विवार्षिक से बदलकर फरवरी, जून और अक्टूबर में तीन बार वार्षिक मूल्यांकन में बदल जाएगा। इन बदलावों का उद्देश्य छात्रों और सदस्यों के लिए लचीलापन, सुलभता एवं व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना है। ये अहम निर्णय यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों और पेशेवरों, दोनों को अपने करियर में सफलता और उत्कृष्टता प्राप्त करने के भरपूर अवसर मिलें।

आई.सी.ए.आई. ने कौशल संवर्धन और उद्यमिता विकास में नए मानक स्थापित किए

आई.सी.ए.आई. को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा दो प्रमुख उपलब्धियों : एक ही दिन में 97 उद्यमिता कौशल कार्यक्रम आयोजित करने और 15 दिनों के भीतर 79 कौशल संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मान्यता दी गई है। ये उपलब्धियाँ, लेखांकन और वित्त क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने, सतत अधिगम एवं भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के सृजन के प्रति आई.सी.ए.आई. की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

तकनीकी का एकीकरण: पेशे में बदलाव

2024-25 में, आई.सी.ए.आई. ने शिक्षा, संचालन और सदस्य सेवाओं में एआई को अपनाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर समिति का गठन किया। प्रमुख पहलों में एआईसीए सर्टिफिकेट कोर्स (150+ बैच, 5,000+ सदस्य), 1.2 लाख यूजर्स को लाभान्वित करने वाले 19 एआई जीपीटी मॉड्यूल और नियामक कार्यों के लिए विशेष जीपीटी शामिल थे। आईसीएआई ने ई-ऑफिस, केंद्रीकृत दस्तावेज़ प्रबंधन, रीयल-टाइम डैशबोर्ड और विदेशी सदस्यों के लिए 'आई.सी.ए.आई. डायस्पोरा' मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन को भी आगे बढ़ाया। डिजीलॉकर पर एमईआईटीवाई के साथ सहयोग करते हुए, आई.सी.ए.आई. डिजिटल युग में पेशे का आधुनिकीकरण और नेतृत्व करना जारी रखे हुए है। इसने एआई-संचालित 'आई.सी.ए.आई. एआई एजेंट' डिजिटल कार्यक्षेत्र पेश किया है, जिसे सदस्यों और छात्रों तक विस्तारित करने की योजना है। इसके अलावा, आईसीएआई ने डिजिटल वित्तीय रिपोर्टिंग को बढ़ाने हेतु दुनिया के पहले फोरेंसिक अकाउंटिंग और जांच मानकों को तैयार किया है और लेखांकन में एआई एकीकरण के मामले में खुद को अग्रणी रखते हुए, उनके वैश्विक अपनाने की दिशा में काम कर रहा है।

विशेषज्ञता संवर्धन, पेशे का उन्नयन

आई.सी.ए.आई. ने ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल (एक्यूएमएम v2.0) लॉन्च करके और पहली बार वैश्विक नैतिकता दिवस और ऑडिट दिवस का आयोजन करके ऑडिट गुणवत्ता और नैतिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ किया। यूडीआईएन पोर्टल पर 1.5 लाख से ज़्यादा पंजीकृत सदस्यों के साथ 8 करोड़ से ज़्यादा यूडीआईएन जनरेट किए, जबकि पीयर रिव्यू बोर्ड ने 2024-25 में 2,971 प्रमाणपत्र जारी किए। स्थानीय निकायों को सर्वश्रेष्ठ वित्तीय विवरणों हेतु पुरस्कार मिले, जिससे बेहतर रिपोर्टिंग को बढ़ावा मिला। सदस्यों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने हेतु, आई.सी.ए.आई. ने निधि प्रबंधन, पूंजी बाजार अनुपालन, कौशल संवर्धन, मध्यस्थता और एक ऑनलाइन जर्मन भाषा पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू किए। आईएसबी जैसे संस्थानों के साथ सहयोग से नेतृत्व संबंधी मास्टरक्लास आयोजित किए गए, और पारिवारिक व्यवसायों, व्यावसायिक कौशल विकास और युवा उद्यमिता पर केंद्रित नए कार्यक्रम शुरू किए गए।

आईसीएआई के तीसरे उत्कृष्टता केंद्र, कोलकाता का उद्घाटन

7 फ़रवरी, 2025 को, आई.सी.ए.आई. ने हैदराबाद और जयपुर के बाद कोलकाता में अपने तीसरे उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। इस अत्याधुनिक केंद्र का उद्देश्य उन्नत शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास के ज़रिए व्यावसायिक उत्कृष्टता को बढ़ाना है, जो वित्तीय पेशेवरों को सशक्त बनाने और राष्ट्र सृजन में योगदान देने के लिए आई.सी.ए.आई. की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।

राष्ट्रीय प्रगति के लिए साझेदारी

- **कर नीति पर परामर्शदात्री समूह में प्रतिनिधित्व**
  इस वर्ष, आई.सी.ए.आई. ने सरकार के साथ सहयोग करके इस भावना का उदाहरण पेश किया ताकि उसकी पहलों को विकसित भारत@2047 के विजन के साथ जोड़ा जा सके और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में सार्थक योगदान दिया जा सके। नीति आयोग में कर नीति पर परामर्शदात्री समूह में प्रतिनिधित्व, कर नीतियों को परिष्कृत करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अनुपालन में सुधार की संस्थान की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। स्थानीय सरकारों में बेहतर वित्तीय प्रबंधन की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए, आई.सी.ए.आई. ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत पंचायतों और नगर निकायों में लेखाकारों के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें लगभग 4000 युवाओं ने पंजीकरण कराया है।

- **भारत को वैश्विक वित्त और लेखा केंद्र के रूप में स्थापित करना**

भारत को वित्त व लेखा के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु, आई.सी.ए.आई. के नेतृत्व वाली आईएफएससीए विशेषज्ञ समिति ने जीआईएफटी आईएफएससीए को बहीखाता, लेखा, कराधान एवं वित्तीय अपराध अनुपालन (BATF) सेवाओं के केंद्र के रूप में स्थापित करने की अनुशंसा की है। आई.सी.ए.आई., जीआईएफटी आईएफएससीए में व्यावसायिक सेवाओं के विकास पर स्थायी समिति में योगदान देकर और अपने अंतर्राष्ट्रीय अध्यायों के माध्यम से वैश्विक पहुँच को बढ़ावा देकर इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है। इसके अलावा, आई.सी.ए.आई. ने भारत को एक लेखा

जीसीसी गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने हेतु एक समर्पित समूह का गठन किया और एक कुशल, जीसीसी-तैयार कार्यबल तैयार करने हेतु प्रमुख सरकारी और उद्योग हितधारकों के सहयोग से प्रमुख शहरों में एक राष्ट्रव्यापी जीसीसी शिखर सम्मेलन श्रृंखला शुरू की।

- **जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय विकास का समर्थन**

आईसीएआई भारत सरकार के संतुलित क्षेत्रीय विकास के दृष्टिकोण का समर्थन कर रहा है, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर राज्यों में। इसने क्षेत्रीय उद्यमशीलता क्षमता को उजागर करने के लिए शिलांग में आयोजित आईआईसीए नॉर्थ-ईस्ट कॉन्क्लेव 2025 में भाग लिया। आईसीएआई स्थानीय आकांक्षाओं के अनुरूप ज्ञान-साझाकरण और साझेदारी को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, इसने इन क्षेत्रों के छात्रों के लिए सीए पाठ्यक्रमों (फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल) के लिए 31 मार्च, 2028 तक शुल्क में 75% तक छूट दी है, जो सुगम्यता, समावेशिता और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- **वित्तीय रूप से सशक्त भारत का सृजन: समावेशी विकास का विजन**

आई.सी.ए.आई. भारत के विकसित भारत विज़न का समर्थन करने हेतु वित्तीय साक्षरता प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है, जिसमें समावेशी एवं सतत विकास पर ज़ोर दिया जा रहा है। अपनी 63 शाखाओं में *वित्तीय ज्ञान - आई.सी.ए.आई. का अभियान* और *वित्तीय ज्ञान मेला 2024 जैसी पहलों के माध्यम से*, संस्थान ज़मीनी स्तर पर बजट, निवेश व कर जागरूकता को बढ़ावा देता है। मेघालय में स्वयं सहायता समूहों और आदिवासी समुदायों के लिए विशेष कार्यक्रमों ने इस पहल को और आगे बढ़ाया है। आई.सी.ए.आई. ने 8,837 से ज़्यादा निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनसे 4.43 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं—जिनमें से 44% महिलाएं, युवा और सशस्त्र बल हैं। इसने आईगॉट कर्मयोगी के ज़रिए सरकारी अधिकारियों के लिए ई-लर्निंग भी शुरू की है। केवल 27% भारतीय ही वित्तीय रूप से साक्षर हैं, आई.सी.ए.आई. का लक्ष्य नागरिकों को बचत से लेकर स्मार्ट निवेश की ओर बढ़ने के लिए सशक्त बनाना है, जिससे एक आत्मनिर्भर और वित्तीय रूप से जागरूक राष्ट्र का निर्माण हो सके।

- **संस्थागत क्षमता सृजन के माध्यम से शासन को आगे बढ़ाना**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) क्षमता सृजन एवं संस्थागत सहयोग के माध्यम से शासन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्र और राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक संस्थानों के साथ मिलकर, आई.सी.ए.आई. ने विभिन्न राज्यों में आधुनिक लेखांकन और जीएसटी पर प्रशिक्षण आयोजित किया है, अक्सर स्थानीय भाषाओं में, ताकि समावेशिता सुनिश्चित हो सके। रणनीतिक साझेदारियों और निरंतर तकनीकी सहायता के माध्यम से, आई.सी.ए.आई. सार्वजनिक वित्तीय सुधारों और प्रशासनिक दक्षता में सक्रिय रूप से योगदान देता है, जिससे राष्ट्रीय विकास में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में इसकी स्थिति मज़बूत होती है।

- **सशक्त भारत: इम्पैक्ट फ़ाइनेंस और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भूमिका**

भारत की आत्मा उसके गाँवों में बसती है, और विकसित भारत के सृजन हेतु ग्रामीण समुदायों का उत्थान आवश्यक है। ग्रामीण आकांक्षाओं को सतत प्रगति में बदलने के लिए इम्पैक्ट फ़ाइनेंस एक महत्वपूर्ण साधन है। इम्पैक्ट फ़ाइनेंस और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समर्पित समूह बनाने की आई.सी.ए.आई. की पहल एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण उद्यमों का मार्गदर्शन करके, स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और वित्तीय विशेषज्ञता साझा करके, पेशेवर जमीनी स्तर पर वास्तविक बदलाव ला रहे हैं।

- **भविष्य के लिए पहल**

भविष्य की ओर बढ़ते हुए, आई.सी.ए.आई. विधि एवं न्याय मंत्रालय की सलाह पर आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय एडीआर केंद्र की स्थापना कर रहा है, जो व्यावसायिक विकास के नए अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा, आई.सी.ए.आई. ने 2024-25 के बजट में घोषित पीएम इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने में एमसीए की सहायता की और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए पीएमआईएस के अंतर्गत सीए फर्मों की स्थापना का प्रस्ताव एमसीए को दिया। आई.सी.ए.आई. संसदीय समिति को "वन नेशन, वन इलेक्शन" प्रस्ताव के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करने में सहयोग दे रहा है, जिसमें लागत बचत, शासन दक्षता एवं राजकोषीय अनुशासन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

रिपोर्ट की अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण
1.	परिषद
2.	परिषद की समितियाँ
3.	लेखा परीक्षक
4.	स्थायी समितियाँ
4.1	**कार्यकारी समिति**
4.2	**वित्त समिति**
4.3	**परीक्षा समिति**
5.	**अनुशासन निदेशालय**
6.	**तकनीकी समितियाँ/बोर्ड**
6.1	**लेखा मानक बोर्ड**
6.2	**लेखा परीक्षा** एवं **आश्वासन मानक बोर्ड**
6.3	**विशेषज्ञ सलाहकार समिति**
6.4	**वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा बोर्ड**
6.5	**आंतरिक लेखा परीक्षा मानक बोर्ड**
6.6	**सहकर्मी समीक्षा बोर्ड**
6.7	**कराधान लेखा परीक्षा गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड**
6.8	**प्रत्यक्ष कर समिति**
6.9	स्थिरता **रिपोर्टिंग मानक बोर्ड**
6.10	**दिवालियापन** एवं **मूल्यांकन मानक बोर्ड**
6.11	**अंतर्राष्ट्रीय कराधान समिति**
6.12	**कॉर्पोरेट कानून और कॉर्पोरेट प्रशासन समिति**
6.13	वाणिज्यिक कानून, आर्थिक सलाहकार और एनपीओ सहकारिता समिति
6.14	**जीएसटी** एवं **अप्रत्यक्ष कर समिति**
6.15	**नैतिक मानक बोर्ड**
6.16	डिजिटल अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड
7.	व्यवसाय विकास समितियाँ
7.1	आई.सी.ए.आई. **में एआई**
7.2	**उद्योग और व्यापार के सदस्यों के लिए समिति**
7.3	**सीए फर्मों के एकत्रीकरण के लिए समिति**
7.4	**अभ्यासरत सदस्यों के लिए समिति**
7.5	**एमएसएमई** एवं **स्टार्ट-अप समिति**
7.6	वर्क-लाइफ बैलेंस **को बढ़ावा देने संबंधी समिति**
7.7	**सतत व्यावसायिक शिक्षा समिति**
7.8	**व्यावसायिक विकास समिति**
7.9	**व्यावसायिक कौशल संवर्धन समिति**
7.10	**महिला एवं युवा सदस्य उत्कृष्टता समिति**
8	**अन्य समितियाँ/बोर्ड**
8.1	**लेखा परीक्षा समिति**
8.2	**उद्यमिता** एवं **सार्वजनिक सेवाओं के सदस्यों के लिए समिति**
8.3	**वित्तीय बाजार और निवेशक संरक्षण समिति**
8.4	**सार्वजनिक और सरकारी वित्तीय प्रबंधन समिति**
8.5	संपादकीय बोर्ड
8.6	**बुनियादी ढांचा विकास समिति**

8.7	**अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति**
8.8	**प्रबंधन समिति**
8.9	**जनसंपर्क समिति**
8.10	**अनुसंधान समिति**
8.11	रणनीति, परिप्रेक्ष्य योजना और निगरानी समिति
8.12	सेंट्रल काउंसिल लाइब्रेरी
8.13	**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**
9.	**निदेशालय**
9.1	**लेखा परीक्षा गुणवत्ता निदेशालय केंद्र**
9.2	**उत्कृष्टता केंद्र निदेशालय**
9.3	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सेवाओं एवं विश्व व्यापार संगठन विकास निदेशालय (अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के अधीन)
9.4	**डिजिटल** पुनः**-इंजीनियरिंग** एवं **परिवर्तन निदेशालय**
9.5	**संपदा विकास निदेशालय (बुनियादी ढांचा विकास समिति के अधीन)**
9.6	**वित्तीय एवं कर साक्षरता निदेशालय (वित्तीय बाजार एवं निवेशक संरक्षण समिति के अधीन)**
9.7	**शिकायत समाधान निदेशालय**
9.8	**मानव संसाधन निदेशालय**
9.9	**कानूनी निदेशालय**
9.10	सदस्य एवं छात्र सेवा निदेशालय
9.11	**प्रकाशन एवं सीडीएस निदेशालय**
9.12	आरबीए निदेशालय
9.13	**विशिष्ट निधि प्रबंधन निदेशालय**
9.14	**निविदा निगरानी निदेशालय**
9.15	**यूडीआईएन निदेशालय**
10	**छात्रों से संबंधित बोर्ड/समिति**
10.1	अध्ययन बोर्ड-अकादमिक
10.2	अध्ययन बोर्ड-संचालन
10.3	कैरियर परामर्श समिति
11	**धारा – 8 कंपनियाँ**
11.1	**एक्सबीआरएल**
11.2	आई.सी.ए.आई.**- लेखा अनुसंधान फाउंडेशन**
11.3	आई.सी.ए.आई. **पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन**
11.4	आई.सी.ए.आई. **के भारतीय दिवाला पेशेवर संस्थान**
11.5	**भारतीय सामाजिक लेखा परीक्षक संस्थान**
12	गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड
13.	**वित्त एवं लेखा**
14.	**प्रशंसा**
	परिषद की संरचना
	लेखापरीक्षित वार्षिक खाते

परिषद

छब्बीसवीं परिषद का गठन 12 फरवरी 2025 को किया गया। इसमें 32 निर्वाचित सदस्य और केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत 8 सदस्य शामिल हैं। 26वीं परिषद की संरचना का विवरण अलग से दिया गया है। 11 परिषद की बैठकें वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित की गईं।

1. परिषद की समितियाँ

सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 17 के अनुसार, परिषद हर साल 12 फरवरी को चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेशे को विनियमित एवं विकसित करने हेतु विभिन्न स्थायी और गैर-स्थायी समितियों/बोर्डों और समूहों का गठन करती है। 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त स्थायी और गैर-स्थायी समितियों/बोर्डों और समूहों की 396 **बैठकें आयोजित की गईं।**

2. लेखा परीक्षक

मैसर्स अरुण के. अग्रवाल एंड एसोशिएटस और मैसर्स एस.के. मित्तल एंड कंपनी वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु संस्थान के संयुक्त लेखा परीक्षक थे, जिन्हें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा गठित पैनल से नियुक्त किया गया था। परिषद उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अनुशंसा अभिलेखों में दर्ज करना चाहती है।

3. स्थायी **समितियाँ**

आई.सी.ए.आई. **परिषद में निम्नलिखित स्थायी समितियां हैं:**

3.1 **कार्यकारी समिति**
3.2 **वित्त समिति**
3.3 **परीक्षा समिति**

3.1 कार्यकारी समिति

इस समिति के कार्यों में आर्टिकल्ड (लेखबद्ध) एवं ऑडिट सहायकों से संबंधित मामले, रजिस्टर से सदस्यों का नामांकन, निष्कासन, बहाली, व्यवसाय प्रमाणपत्र रद्द करना, लेखाशास्त्र के पेशे के अलावा किसी अन्य व्यवसाय या पेशे में संलग्न होने की अनुमति शामिल है। कार्यकारी समिति संस्थान के कार्यालयों के रखरखाव के अलावा संस्थान की संपत्ति, आस्तियों एवं निधियों की संरक्षक भी है। कार्यकारी समिति वर्ष के दौरान 6 बार बैठक करती है।

3.2 वित्त समिति

यह वित्त समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, सही व सटीक खातों के रखरखाव, वार्षिक बजट के निर्माण, निधियों के निवेश और व्यय के लिए निधियों से संवितरण – राजस्व व पूंजीगत दोनों प्रकार – से संबंधित और प्रासंगिक गतिविधियों को नियंत्रित, कार्यान्वित और पर्यवेक्षण करती है। वित्त समिति की वर्ष के दौरान 4 बार बैठकें होती हैं।

3.3 परीक्षा समिति

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2030 तक भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के विज़न के अनुरूप और भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती ज़रुरत को पूरा करने हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की बढ़ती आवश्यकता को समझते हुए, आई.सी.ए.आई. की परीक्षा समिति ने एक कैलेंडर वर्ष में चार बार यानी जनवरी, मई, सितंबर और नवंबर के महीने में देश भर में 500 से अधिक केंद्रों और 8 विदेशी केंद्रों पर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे (आईएसटी) तक एक सत्र में सीए परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया।

(I) फाउंडेशन**,** इंटरमीडिएट**,** फाइनल और पीक्यूसी परीक्षा का संचालन

छात्रों (फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल) के साथ-साथ पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स के तहत सदस्यों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स परीक्षाएं [अंतर्राष्ट्रीय कराधान मूल्यांकन परीक्षा (आईएनटीटी-एटी) और बीमा एवं जोखिम प्रबंधन तकनीकी परीक्षा (आईआरएम)] वर्ष 2024-2025 में सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) के मानदंडों के साथ पूरे देश और विदेश में नीचे उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार सुचारू रूप से आयोजित की गईं: -

परीक्षाएँ	**पाठ्यक्रम का नाम**	**परीक्षा की तिथियां**	**परीक्षा केंद्रों की संख्या**	**प्रवेशित छात्रों की संख्या**
मई 2024	इंटरमीडिएट, फाइनल और अंतर्राष्ट्रीय कराधान मूल्यांकन परीक्षा (आईएनटीटी-एटी)	2 मई से 17 मई 2024 तक	591	इंटरमीडिएट: 206410 फाइनल:116072 आईएनटीटी - एटी: 483
जून 2024	फाउंडेशन	20, 22, 24 और 26 जून 2024	494	फाउंडेशन:113076
सितंबर 2024	फाउंडेशन और इंटरमीडिएट	12 से 23 सितंबर 2024 तक	462	फाउंडेशन: 78209 इंटरमीडिएट: 139646
नवंबर 2024	फाइनल, अंतर्राष्ट्रीय कराधान मूल्यांकन परीक्षा (आईएनटीटी-एटी) और बीमा एवं जोखिम प्रबंधन तकनीकी परीक्षा (आईआरएम)	3, 5, 7, 9, 11 और 13 नवंबर 2024	443	फाइनल: 101430 आईएनटीटी - एटी: 339 आईआरएम: 75
जनवरी 2025	फाउंडेशन और इंटरमीडिएट	11 जनवरी से 21 जनवरी 2025	541	फाउंडेशन:120609 इंटरमीडिएट:178644

(II) सूचना **तकनीकी एवं** सॉफ्ट स्किल्स पर उन्नत एकीकृत पाठ्यक्रम (**एडवांस्ड** आईसीआईटीएस) का संचालन - सीबीटी मोड में उन्नत सूचना **तकनीकी** परीक्षा: -

वर्ष 2024-2025 के दौरान, एडवांस्ड आईसीआईटीएसएस के लिए कंप्यूटर केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित मोड (सीबीटी) में भी परीक्षाएँ आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान आयोजित उन्नत आईसीआईटीएसएस का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	**दिनांक / अवधि**	**केंद्रों की संख्या**	**उपस्थित छात्र**
1.	22-06-2024	83	5042
2.	20-07-2024	75	3037
3.	24-08-2024	73	2554
4.	28-09-2024	74	3119
5.	21-12-2024	77	3635
6.	18-01-2025	88	4520
7.	22-02-2025	87	5326
8	29-03-2025	89	4912

(III) सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा का संचालन – मूल्यांकन परीक्षण [आईएसए – एटी]

सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा-मूल्यांकन परीक्षा (आईएसए-एटी), जो संस्थान के सदस्यों के लिए ओपन है, क्रमशः 13 जुलाई 2024 को भारत में 53 परीक्षा केंद्रों पर और 25 जनवरी 2025 को भारत में 53 परीक्षा केंद्रों पर सुचारू रूप से आयोजित की गई।

(IV) एमआरए/एमओयू के तहत विशेष परीक्षा का संचालन

जिन संस्थानों के साथ आई.सी.ए.आई. ने पारस्परिक मान्यता समझौता (एमआरए)/समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया था, उनके सदस्यों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट विशेष परीक्षा 24 से 26 जून, 2024 तक नोएडा में सुचारू रूप **से आयोजित की गई।**

(V) स्व-गति ऑनलाइन मॉड्यूल [एसपीओएम] परीक्षणों का संचालन

वर्ष 2024-2025 के दौरान, आई.सी.ए.आई. ने स्व-गति मॉड्यूल टेस्ट शुरू किए हैं, जहाँ छात्र https://lms.icai.org पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने संबंधित स्व-गति ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए निर्धारित शिक्षण घंटे पूरे कर लिए हैं, वे https://spmt.icai.org पर एग्ज़ाम की सीटें बुक कर सकते हैं। स्व-गति मॉड्यूल टेस्ट देश भर में और विदेशों में, सरकारी छुट्टियों को छोड़कर, दैनिक आधार पर आयोजित किए जा रहे हैं। 31 मार्च 2025 तक, 340000 से अधिक उम्मीदवार पहले ही परीक्षा में शामिल हो चुके हैं।

(VI) पंचायतों और नगर निकायों के लेखाकारों के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों की परीक्षा आयोजित करने में सहायता

आई.सी.ए.आई. परीक्षा विभाग ने आईसीएआई लेखा अनुसंधान प्रतिष्ठान (आईसीएआई एआरएफ) के अंतर्गत स्थापित स्थानीय निकाय लेखाकार प्रमाणन बोर्ड (बीएलओएसी) को पंचायतों और नगर निकायों के लेखाकारों के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों की परीक्षा आयोजित करने में हर संभव सहायता प्रदान की है। ये परीक्षाएँ 18 अप्रैल 2024, 7 और 8 अगस्त 2024 और 9 जनवरी 2025 को आयोजित की गईं।

(VII) प्रबंधन और व्यवसाय वित्त पर डिप्लोमा - कंप्यूटर आधारित परीक्षा

प्रबंधन और व्यवसाय वित्त पर डिप्लोमा - कंप्यूटर आधारित परीक्षा 9 से 11 फरवरी 2025 तक सुबह 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक आयोजित की गई थी।

(VIII) नए शहरों में परीक्षा केंद्रों की शुरुआत

छात्रों की कठिनाई को समझते हुए तथा छात्रों और सदस्यों के हित में और उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए, छात्रों और सदस्यों के लाभ व कल्याण के लिए एक सक्रिय उपाय के रूप में, संस्थान ने निम्नलिखित शहरों में अतिरिक्त परीक्षा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है:

परीक्षा (प्रभावी)	शहर (राज्य)
मई 2024	आइजोल (मिजोरम), बालोतरा (राजस्थान), छतरपुर (मध्य प्रदेश), कोरबा (छत्तीसगढ़), मोरबी (गुजरात) और पाटन (गुजरात)
नवंबर 2024	इम्फाल (मणिपुर) और तंजावुर (तमिलनाडु)
जनवरी 2025	पुरी (ओडिशा) और वलसाड (गुजरात)

(IX) मई 2024 और नवंबर 2024 में आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनल पाठ्यक्रम परीक्षाओं के परिणाम

मई 2024 और नवंबर 2024 में आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनल कोर्स परीक्षा के परिणाम क्रमशः 11 जुलाई, 2024 और 26 दिसंबर, 2024 को घोषित किए गए। परिणामों के आँकड़ों का सार इस प्रकार है:

	समूह	उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या		उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या		उत्तीर्ण %	
		मई 2024	नवंबर 2024	मई 2024	नवंबर 2024	मई 2024	नवंबर 2024
I	समूह-I	74887	66987	20479	11253	27.35	16.8
II	समूह-II	58891	49459	21408	10566	36.35	21.36
III	दोनों समूह	35819	30763	7122	4134	19.88	13.44

उपर्युक्त परिणाम की घोषणा के परिणामस्वरूप, क्रमशः 20446 और 11500 उम्मीदवार मई 2024 और नवंबर 2024 में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में अर्हता प्राप्त करेंगे।

(X) मई 2024, सितंबर 2024 और जनवरी 2025 में आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंटरमीडिएट कोर्स परीक्षाओं के परिणाम

मई 2024, सितंबर 2024 और जनवरी 2025 में आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम परीक्षा के परिणाम क्रमशः 11 जुलाई 2024, 30 अक्टूबर 2024 और 4 मार्च 2025 को घोषित किए गए। परिणामों के आँकड़ों का सार इस प्रकार है:

	समूह	उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या			उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या			उत्तीर्ण %		
		मई 2024	सितंबर 2024	जनवरी 2025	मई 2024	सितंबर 2024	जनवरी 2025	मई 2024	सितंबर 2024	जनवरी 2025
I	समूह-I	117764	69227	108187	31978	10505	15332	27.15	15.17	14.17
II	समूह-II	71145	50760	80368	13008	8117	17813	18.28	15.99	22.16
III	दोनों समूह	59956	23482	48261	11041	1330	6781	18.42	5.66	14.05

(XI) जून 2024, सितंबर 2024 और जनवरी 2025 में आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाउंडेशन कोर्स परीक्षा के परिणाम

जून 2024, सितंबर 2024 और जनवरी 2025 में आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाउंडेशन कोर्स परीक्षा के परिणाम क्रमशः 29 जुलाई 2024, 30 अक्टूबर 2024 और 4 मार्च 2025 को घोषित किए गए।

अवधि	उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या	उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या	उत्तीर्ण %
जून 2024	91900	13749	14.96
सितंबर 2024	70437	13858	19.67
जनवरी 2025	110887	23861	21.52

(XII) आई.सी.ए.आई. परीक्षा आवेदन पत्रों का सेल्फ सर्विस पोर्टल (एसएसपी) के साथ एकीकरण:-

छात्रों की सुविधा के लिए, आई.सी.ए.आई. परीक्षा आवेदन पत्र को अन्य स्टैंडअलोन पोर्टल से सेल्फ सर्विस पोर्टल (एसएसपी) के साथ एकीकृत किया गया है। यह एकीकरण सीए नवंबर 2022 परीक्षाओं से किया गया था और 2024-2025 में भी जारी रहेगा। यह एकीकरण छात्रों को सेल्फ सर्विस पोर्टल (एसएसपी) पर सीए परीक्षा फॉर्म आसानी से भरने में मदद करता है, जहाँ छात्र का विवरण जैसे फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, छूट आदि स्वतः भर जाते हैं और यह फॉर्म भरने के चरण में ही परीक्षा में बैठने के लिए छात्र की पात्रता (आईसीएआई पात्रता मानदंडों के अनुसार) तय करने में मदद करता है। परीक्षा के लिए आवेदन करने के अलावा, छात्र अपना शहर/समूह/परीक्षा का माध्यम (सुधार विंडो के माध्यम से) बदल सकते हैं और परीक्षा के लिए अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि ये गतिविधियाँ भी सेल्फ सर्विस पोर्टल (एसएसपी) में एकीकृत हैं।

(XIII) छात्रों के परीक्षा लाइफ साइकिल प्रबंधन पर वेब-इंटरफ़ेस

आई.सी.ए.आई. ने छात्र परीक्षा लाइफ साइकिल प्रबंधन परियोजना नामक एक एकीकृत वेब-इंटरफेस शुरू किया है, जहां सीए छात्र एक ही यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके विभिन्न परीक्षा संबंधी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें डुप्लीकेट मार्कशीट/उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/प्रतिलिपि के लिए आवेदन, केंद्र/माध्यम/समूह में परिवर्तन, प्रवेश पत्र डाउनलोड करना, परिणामों की जांच करना और सत्यापन के लिए आवेदन करना/परिणाम के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रतियां पाना आदि शामिल हैं।

(XIV) अभ्यर्थियों द्वारा अपने साथ ले जाने वाली एमसीक्यू पुस्तिका

सीए परीक्षा सितंबर 2024 से, उम्मीदवारों को एमसीक्यू पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति दी गई है।

(XV) डिजिटल मार्किंग/डिजिटल मूल्यांकन

शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण की राह पर चलते हुए, वर्ष 2024-2025 में लगभग 34.13 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन किया गया, जिसमें जनवरी 2025 की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या भी शामिल है। पूर्ण डिजिटलीकरण से मूल्यांकन में तेज़ी आई है, परिणाम त्रुटिरहित हुए हैं और परीक्षकों को भी आसानी व सुविधा हुई है।

(XVI) मौजूदा और नए परीक्षकों की पात्रता परीक्षा

नए आवेदक परीक्षकों के लिए अनिवार्य पात्रता परीक्षा आयोजित की गई और केवल उन्हीं नए आवेदक परीक्षकों को परीक्षक का कार्यभार आवंटित किया गया जिन्होंने अनिवार्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसी प्रकार, उन मौजूदा परीक्षकों के लिए भी पात्रता परीक्षाएँ आयोजित की गईं जिनकी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए तीन वर्ष बीत चुके थे। तदनुसार, वर्ष 2024-25 में 31 भाग 'क' परीक्षाएँ और 32 भाग 'ख' परीक्षाएँ आयोजित की गईं, जिनमें 1513 नए और मौजूदा परीक्षकों ने परीक्षाएँ उत्तीर्ण कीं और उन्हें परीक्षक के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

(XVII)परीक्षकों और परीक्षा पदाधिकारियों के लिए डिजिटल वर्कशॉप/वेबकास्ट

डिजिटल मोड में परीक्षकों की कार्यशाला आयोजित करने के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए, लगभग 9800 परीक्षकों ने वर्ष 2024-2025 में डिजिटल वर्कशॉप में भाग लिया है। डिजिटल वर्कशॉप से परीक्षकों को भारी लागत बचत के साथ-साथ आसानी और सुविधा भी हुई है, जिन्हें अन्यथा भौतिक कार्यशाला में भाग लेने के लिए लंबी दूरी तय की यात्रा करनी पड़ती थी। परीक्षकों के लिए वेबकास्ट के माध्यम से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की गुणवत्ता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम मई/जून, सितंबर, नवंबर 2024 और जनवरी 2025 की परीक्षाओं के लिए सफलतापूर्वक आयोजित किए गए थे। इस पहल से मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार करने में लंबा रास्ता तय करने की उम्मीद है। परीक्षा संचालन

मशीनरी में बेहतर समन्वय के लिए पर्यवेक्षकों, परीक्षा केंद्रों, बैंक ऑफ बड़ौदा, परीक्षा समन्वयकों के लिए दिशानिर्देशों पर वेबकास्ट मई/जून, सितंबर, नवंबर 2024 और जनवरी 2025 की परीक्षाओं के लिए सफलतापूर्वक किया गया था।

(XVIII) ऑब्ज़र्वर वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड/आईओएस)/ केंद्र वेब पोर्टल

परीक्षा केंद्रों में नियुक्त पर्यवेक्षकों से संबंधित सभी गतिविधियों, जैसे पंजीकरण, आवंटित असाइनमेंट का विवरण उपलब्ध कराना, स्वीकृति पत्र/दैनिक रिपोर्ट/मानदेय के लिए दावे आदि, को सुगम बनाने के लिए एक वेब पोर्टल https://observers.icaiexam.icai.org/ उपलब्ध है। पर्यवेक्षक पोर्टल और मोबाइल ऐप, परीक्षा के दिन के लिए सही कोड वाले सीलबंद पैकेटों का संग्रह सुनिश्चित करने में बहुत मददगार साबित हुए हैं। परीक्षा के दिन अनुपस्थित परीक्षार्थियों का दैनिक आधार पर ऑनलाइन डेटा एकत्र करने के लिए एक वेब पोर्टल https://centres.icaiexam.icai.org/ उपलब्ध है, जो अनुपस्थित परीक्षार्थियों के रिकॉर्ड को एकत्रित करने में बहुत मददगार है।

(XIX) केंद्र पदाधिकारियों द्वारा क्यूआर कोड की स्कैनिंग : -

सीए परीक्षा मई 2024 से प्रभावी, केंद्र अधीक्षक/उनके अधिकृत प्रतिनिधि को बैंक से एकत्रित सीलबंद पैकेटों के क्यूआर कोड को केंद्र पोर्टल, यानी https://centres.icaiexam.icai.org/qrcodev01 पर स्कैन करना आवश्यक है। केंद्र अधीक्षक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा यह कार्य पर्यवेक्षक द्वारा क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद ही किया जाता है, जिससे परीक्षा के संबंधित दिन के प्रश्नपत्र कोड की शुद्धता की दोहरी जाँच हो जाती है।

5. अनुशासन निदेशालय

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) की नियामक शाखा, अनुशासन निदेशालय, अपने सदस्यों के विरुद्ध कथित व्यावसायिक और/या अन्य कदाचार के मामलों की जाँच हेतु बनाई गई है। ये मामले फॉर्म I में औपचारिक शिकायत के माध्यम से या सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 के तहत प्रदान की गई सूचना मार्ग, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (पेशेवर और अन्य कदाचार की जाँच की प्रक्रिया और मामलों का संचालन) नियम, 2007 के साथ पठित। अनुशासनात्मक ढाँचे के तहत, अनुशासन निदेशालय का भारत भर में सदस्यों द्वारा की गई सभी कथित चूकों या अनियमितताओं की जाँच करना वैधानिक दायित्व है। यह व्यवस्था न केवल पेशे में जनता का विश्वास और भरोसा बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि स्वीकार्य पेशेवर आचरण का एक मानक भी तय करती है। जहाँ अधिकांश चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी विशेषज्ञता के माध्यम से समाज को समर्पित और नैतिक सेवाएँ प्रदान करते रहते हैं, वहीं अनुशासनात्मक प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि जो कुछ लोग जानबूझकर या अनजाने में चूक जाते हैं, उन्हें उचित रूप से सुधारा जाए।

सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 में 2006 में किए गए संशोधनों के बाद, अनुशासनात्मक मामलों के शीघ्र समाधान के लिए आई.सी.ए.आई. के अनुशासनात्मक ढाँचे को काफ़ी मज़बूत किया गया। परिणामस्वरूप, अनुशासनात्मक तंत्र वर्तमान में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित दो अर्ध-न्यायिक निकायों के माध्यम से संचालित होता है:

- धारा 21क के तहत अनुशासन बोर्ड (बीओडी)
- धारा 21ख के तहत अनुशासन समिति (डीसी)

यह संरचना पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, हितधारकों का विश्वास बढ़ाती है और आरोपों का सामना कर रहे सदस्यों के लिए निष्पक्ष एवं न्यायसंगत न्याय की गारंटी देती है। जवाबदेही को और बढ़ाने और न्याय में तेजी लाने के लिए, वर्ष 2022 में *सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949* में अतिरिक्त संशोधन किए गए थे। हालाँकि, जिस तारीख से ये संशोधित अनुशासनात्मक प्रावधान लागू होंगे, उसे अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है। परिषद वर्ष 2024-25 के दौरान, कुशल केस प्रबंधन और त्वरित समाधान के लिए, अनुशासन समिति की पाँच बेंच - बेंच I, II, III, IV और V (एमएनएएफ मामलों को संभालना) - और अनुशासन बोर्ड की एक बेंच का गठन किया गया था। इन बेंचों ने जांच के तहत मामलों पर सक्रिय रूप से काम किया, जिसमें निदेशक (अनुशासन) द्वारा गठित प्रथम दृष्टया राय की समीक्षा भी शामिल थी। इसके अलावा, धारा 21घ के अंतर्गत आईसीएआई अध्यक्ष की अध्यक्षता में अनुशासन समिति का गठन किया गया, ताकि उन बचे हुए पुराने मामलों को निपटाया जा सके, जिन्हें पुरानी अनुशासनात्मक व्यवस्था के तहत वापस भेजा जा सकता है।

(I) प्रमुख पहल और उपलब्धियाँ

- **ई-सुनवाई** : निदेशालय ने निदेशक मंडल और जिला मजिस्ट्रेट के सदस्यों के साथ-साथ पक्षकारों की प्रभावी भागीदारी के साथ सफलतापूर्वक ई-सुनवाई का आयोजन किया। ये सुनवाइयाँ समय और लागत की बचत करके

और यात्रा के बोझ के बिना पक्षकारों की व्यापक भागीदारी को सक्षम बनाकर अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हुईं। मामलों के निपटान की बढ़ी हुई दर उनकी प्रभावशीलता का प्रमाण है।

- **नया वेब पोर्टल** : आधुनिकीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अनुशासन निदेशालय के मौजूदा वेब पोर्टल, अर्थात् https://disc.icai.org का व्यापक रूप से नवीनीकरण किया गया है। यह नया पोर्टल अब अनुशासन तंत्र से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए वन-स्टॉप गंतव्य के रूप में कार्य करता है। इसे हाल की बैठकों और अनुशासन बोर्ड (बीओडी) तथा अनुशासन समिति (डीसी) द्वारा पारित आदेशों/निष्कर्षों जैसे प्रमुख अपडेट्स को सीधे होमपेज पर प्रदर्शित करने हेतु सोच-समझकर नया रूप दिया गया है। नई संरचना यह सुनिश्चित करती है कि हितधारक प्रासंगिक जानकारी तक अधिक कुशलता से पहुँच सकें। यह अब एक सुसंगत दृश्य पहचान के लिए आई.सी.ए.आई. की ऑफिशियल कलर थीम के अनुरूप है।

- **क्षमता निर्माण** : परिचालन दक्षता बढ़ाने और कानूनों एवं विनियमों में हो रहे बदलावों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं। इन सत्रों में कॉर्पोरेट कानून, सीएआरओ और भारतीय लेखा मानक (आईएएस) जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि टीम कुशल, सक्षम और अद्यतन बनी रहे।

- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रशिक्षण** : उभरती प्रौद्योगिकियों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, 'आई.सी.ए.आई. में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति' के सहयोग से मई 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक विशेष तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अनुशासन निदेशालय की विशिष्ट ज़रुरतों के अनुरूप, इस कार्यक्रम का उद्देश्य निदेशालय के अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का प्रभावी ढंग से उपयोग करने हेतु आवश्यक ज्ञान और कौशल से सुसज्जित करना था, जिससे अधिक स्मार्ट, तकनीकी-संचालित प्रक्रियाओं का मार्ग प्रशस्त हो सके।

- **पुरानी व्यवस्था के तहत मामलों का समाधान** : अब तक, पुराने अनुशासनात्मक तंत्र (धारा 21घ) के अंतर्गत सभी शेष मामलों की सुनवाई हो चुकी है और अनुशासन समिति द्वारा उनका निपटारा कर दिया गया है। इसके अलावा, परिषद के समक्ष विचारार्थ कोई भी मामला लंबित नहीं है।

(II) सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 21क के तहत अनुशासन बोर्ड

अनुशासन बोर्ड का गठन सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 21क के तहत आईसीएआई की परिषद द्वारा किया गया है, ताकि सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के अंतर्गत आने वाले सदस्यों द्वारा व्यावसायिक और अन्य कदाचार के मामलों और/या ऐसे मामलों की जांच की जा सके, जिनमें सदस्यों को निदेशक (अनुशासन) द्वारा किसी भी कदाचार के लिए प्रथम दृष्टया दोषी नहीं माना जाता है। इस अवधि (अर्थात 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025) के दौरान, अनुशासन बोर्ड ने विभिन्न स्थानों पर 30 बैठकों में 29 बैठकें कीं, जिनमें प्रत्यक्ष/वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठकें भी शामिल थीं। इन बैठकों में, बोर्ड ने 36 मामलों में अपनी जाँच पूरी की, जिनमें पिछले वर्षों में उसे भेजे गए मामले भी शामिल थे। अनुशासन बोर्ड द्वारा तय किए गए मामलों का सांख्यिकीय विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	विवरण	**आंकड़े**
क)	उपर्युक्त अवधि के दौरान आयोजित अनुशासन बोर्ड की बैठकों की संख्या	29 (बैठकें 30)
ख)	अनुशासन बोर्ड द्वारा विचारित शिकायत/सूचना मामलों की संख्या (धारा 21क के अंतर्गत) जिसमें निदेशक (अनुशासन) की प्रथम दृष्टया राय* बनाई गई (नियम 6/नियम 12 के अंतर्गत विचारित मामलों सहित)	313
ग)	उन मामलों की संख्या (शिकायत/सूचना मामले) जिनमें अनुशासन बोर्ड द्वारा जांच पूरी की गई (उन मामलों सहित, जिन्हें पिछले वर्षों के दौरान अनुशासन बोर्ड को भेजा गया था)	36
घ)	उन मामलों (शिकायत/सूचना) की संख्या जिनमें अनुशासन बोर्ड द्वारा दंड दिया गया है (उन मामलों सहित, जिन्हें पिछले वर्षों के दौरान अनुशासन बोर्ड को भेजा गया था।	14
ङ)	विचार किए गए विविध मामलों की संख्या (नियम 5(6) के अंतर्गत, क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे, आदि)	872

(III) सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 21ख के तहत अनुशासनात्मक समिति

आईसीएआई की परिषद द्वारा सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 21ख के अंतर्गत अनुशासन समिति का गठन किया गया है ताकि सदस्यों द्वारा व्यावसायिक कदाचार के उन मामलों की जांच की जा सके जो सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची या पहली और दूसरी दोनों अनुसूचियों के दायरे में आते हैं। इस अवधि (अर्थात 1 अप्रैल, 2024 से 30 मई, 2025) के दौरान, अनुशासन समिति (सभी पीठों) ने भौतिक/वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड के माध्यम से बैठकों सहित 79 बैठकें कीं। उपरोक्त बैठकों के दौरान, समिति ने 225 मामलों में अपनी जाँच पूरी की, जिनमें पिछले वर्षों में उसे भेजे गए मामले भी शामिल थे। अनुशासन समिति द्वारा तय किए गए मामलों का सांख्यिकीय विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	विवरण	संख्या
क)	उपरोक्त अवधि के दौरान अनुशासन समिति की बैठकों की संख्या	79
ख)	अनुशासन समिति (धारा 21ख के अंतर्गत) द्वारा विचारित शिकायत/सूचना मामलों की संख्या, जिनमें निदेशक (अनुशासन) की प्रथम दृष्टया राय बनी थी	151
ग)	उन मामलों (शिकायत/सूचना मामले) की संख्या जिनमें अनुशासन समिति* द्वारा जांच पूरी की गई (उन मामलों सहित, जिन्हें पिछले वर्षों के दौरान अनुशासन समिति को भेजा गया था)।	225
घ)	उन मामलों (शिकायत/सूचना) की संख्या जिनमें अनुशासन समिति द्वारा दंड दिया गया है (उन मामलों सहित, जिन्हें पिछले वर्षों के दौरान अनुशासन समिति को भेजा गया था)।	164

*इसमें टीएएमसी मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण बंद किए गए मामले भी शामिल हैं।

(IV) धारा 21घ के अंतर्गत अनुशासनात्मक समिति

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21घ के प्रावधानों के तहत कार्यरत अनुशासन समिति, 2006 में उक्त अधिनियम में किए गए संशोधनों से पहले लंबित अवशिष्ट मामलों के संबंध में जांच करती है और अपनी रिपोर्ट परिषद को प्रस्तुत करती है।

पुराने अनुशासनात्मक तंत्र के तहत निपटाए गए मामले [धारा 21घ]

चूँकि अनुशासन समिति द्वारा 2018 में ही सभी शेष मामलों की सुनवाई और निष्कर्ष निकाला जा चुका था, इसलिए समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। उपरोक्त अवधि के दौरान, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित एक मामले पर परिषद द्वारा विचार किया गया। अनुशासन समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद, सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 (असंशोधित) की धारा 21(5) के प्रावधानों के अनुसार, परिषद ने संबंधित उच्च न्यायालय को संबंधित सदस्य का नाम सदस्यों के रजिस्टर से हटाने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। इस मामले पर विचार के बाद, अनुशासन समिति की कोई अन्य रिपोर्ट परिषद के समक्ष लंबित नहीं रही।

6. तकनीकी **समितियाँ**/बोर्ड

6.1 लेखा मानक बोर्ड (**एएसबी**)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा 1977 में स्थापित लेखा मानक बोर्ड (एएसबी) का उद्देश्य भारत में वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता, एकरूपता और विश्वसनीयता को सुदृढ़ करने हेतु लेखा मानक तैयार करना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश भर में लेखा पद्धतियों में सामंजस्य स्थापित करना और भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के अनुरूप बनाना है। समय के साथ, एएसबी ने व्यावसायिक परिवेश, आर्थिक स्थितियों और नियामक परिदृश्य में बदलावों के अनुसार बने रहने हेतु मौजूदा मानकों को में संशोधित किया है और नए मानक विकसित किए हैं। इन मानकों के प्रभावी और एकरूप अनुप्रयोग को सुगम बनाने के लिए, एएसबी नियमित आधार पर कार्यान्वयन मार्गदर्शन, तकनीकी नोट्स और अन्य व्याख्यात्मक सामग्री भी जारी करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत, आई.सी.ए.आई. को एएसबी के माध्यम से कंपनियों पर लागू लेखा मानक तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा, आईसीएआई गैर-कॉर्पोरेट संस्थाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप अलग से लेखा मानक भी जारी करता है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लेखा मानक बोर्ड (एएसबी) द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं:

(I) वित्तीय रिपोर्टिंग मानक :

एमसीए द्वारा भारतीय लेखा मानक में संशोधन अधिसूचित

- कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2024 के तहत एमसीए द्वारा इंड एएस में संशोधन अधिसूचित किए गए, जिसमें नए बीमा मानक (इंड एएस 117) जारी करना और चौदह (14) इंड एएस (इंड एएस 104 को प्रतिस्थापित) में परिणामी संशोधन शामिल हैं।
- मानक 116, बिक्री और लीजबैक लेनदेन से संबंधित लीज़ *में संशोधन* को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) द्वितीय संशोधन नियम, 2024 के तहत एमसीए द्वारा अधिसूचित किया गया।
- कंपनी (भारतीय लेखा मानक) तृतीय संशोधन नियम, 2024 के तहत एमसीए द्वारा भारतीय लेखा मानक 104, *बीमा अनुबंधों* की बहाली के लिए अधिसूचना।
- विनिमय योग्यता की कमी के संबंध में भारतीय लेखा मानक 21 में संशोधन को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2025 के तहत एमसीए द्वारा अधिसूचित किया गया।

आईसीएआई द्वारा जारी एएस में संशोधन

- आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों की प्रयोज्यता के लिए गैर-कंपनी संस्थाओं के वर्गीकरण हेतु संशोधित मानदंड जारी किए गए।
- अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार के कारण उत्पन्न होने वाली आय पर करों के लिए लेखांकन, एएस 22 में संशोधन - स्तंभ दो मॉडल नियम आई.सी.ए.आई. द्वारा गैर-कंपनी संस्थाओं के लिए जारी किए गए हैं और ये 1 अप्रैल, 2024 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रभावी हैं।

इस अवधि के दौरान एनएफआरए को निम्नलिखित विषयों पर इंड एएस और एएस में संशोधन की सिफारिश की गई है:

- सीमित देयता भागीदारी के लिए लेखांकन मानक।
- **इंड एएस में वार्षिक सुधार (2024) - आईएएसबी द्वारा जारी आईएफआरएस मानक खंड 11 में वार्षिक सुधार के अनुरूप।**
- **वित्तीय साधनों के वर्गीकरण और मापन में संशोधन: भारतीय मानक ब्यूरो 109 और भारतीय मानक ब्यूरो 107 में संशोधन।**

इंड एएस से संबंधित चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाएं:

- **इंड एएस 118 का निर्माण, वित्तीय विवरणों में प्रस्तुति और प्रकटीकरण तथा भारतीय लेखा मानक 119 *सार्वजनिक जवाबदेही के बिना सहायक कंपनियां।***
- **इंड एएस 109 और इंड एएस 107 में संशोधन - प्रकृति-निर्भर विद्युत को संदर्भित करने वाले अनुबंध।**

(II) अंतर्राष्ट्रीय पहल दीर्घकालिक साझेदारी का सृजन

- वैश्विक स्तर पर मानक निर्धारण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (आईएएसबी) और आईएफआरएस विवेचन समिति (आईएफआरएस (आईसी)) तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा जारी विभिन्न परामर्शदात्री दस्तावेज़ों/एक्सपोज़र ड्राफ्ट/चर्चा पत्रों/अस्थायी एजेंडा निर्णयों पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गईं। इस अवधि के दौरान प्रस्तुतियों का विवरण निम्नलिखित है:
    - ➢ अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी लेखांकन मार्गदर्शन (आईएनपीएजी) पर एक्सपोजर ड्राफ्ट - भाग 2।
    - ➢ अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी लेखांकन मार्गदर्शन (आईएनपीएजी) का एक्सपोजर ड्राफ्ट - भाग 3।
    - ➢ लेखांकन की इक्विटी पद्धति पर एक्सपोजर ड्राफ्ट - आईएएस 28, एसोसिएट्स एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश (संशोधित 202x)
    - ➢ व्यावसायिक संयोजन पर एक्सपोजर ड्राफ्ट - प्रकटीकरण, साख व हानि (आईएफआरएस 3 और आईएएस 36 में प्रस्तावित संशोधन)।
    - ➢ नवीकरणीय विद्युत के लिए अनुबंधों पर एक्सपोजर ड्राफ्ट (आईएफआरएस 9 और आईएफआरएस 7 में प्रस्तावित संशोधन)।
    - ➢ वित्तीय विवरणों में जलवायु-संबंधी और अन्य अनिश्चितताओं पर एक्सपोजर ड्राफ्ट - प्रस्तावित उदाहरण।

- ➢ अति मुद्रास्फीति प्रस्तुति मुद्रा में अनुवाद पर एक्सपोजर ड्राफ्ट - आईएएस 21 में प्रस्तावित संशोधन।
- ➢ प्रावधानों का एक्सपोजर ड्राफ्ट - लक्षित सुधार - आईएएस 37 में प्रस्तावित संशोधन।
- ➢ ट्यूशन फीस से राजस्व की मान्यता पर अनंतिम एजेंडा निर्णय (आईएफआरएस 15)
- ➢ अन्य संस्थाओं के दायित्वों पर जारी की गई गारंटियों पर अनंतिम एजेंडा निर्णय।

- आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण मंचों, जैसे उभरती अर्थव्यवस्था समूह (ईईजी), अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक निर्धारक मंच (आईएफएएसएस), और एशियाई-महासागरीय मानक निर्धारक समूह (एओएसएसजी) की बैठकों में भाग लिया। उन्होंने भारतीय चिंताओं को उठाते हुए प्रासंगिक एजेंडा मदें भी प्रस्तुत कीं।

अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक निर्धारक मंच (आईएफएएसएस) :

- आईएफएएसएस बैठक 17-19 अप्रैल, 2024 को आयोजित हुई - माननीय उपाध्यक्ष, आईसीएआई ने "वित्तीय साधनों के लेखांकन" पर प्रस्तुति दी, जिसमें कॉर्पोरेट गारंटी अनुबंधों के लेखांकन और विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी) जारी करने के निर्गम व इक्विटी की विशेषताओं वाले वित्तीय साधनों से उत्पन्न प्रासंगिक कानूनों या विनियमों के प्रभावों पर प्रकाश डाला गया।
- 24-25 सितंबर, 2024 को लंदन में आयोजित आईएफएएसएस बैठक में भाग लिया।
- 12-14 मार्च, 2025 को नेपल्स, इटली में आयोजित आईएफएएसएस बैठक में भाग लिया।

एशियाई-महासागरीय मानक-निर्धारक समूह (एओएसएसजी):

- 19 मार्च, 2025 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित एओएसएसजी अध्यक्ष सलाहकार समिति (सीएसी) की बैठक में भाग लिया।

उभरती अर्थव्यवस्था समूह (ईईजी):

- 28-29 मई, 2024 को ताइयुआन, शांक्सी, चीन में आयोजित उभरती अर्थव्यवस्था समूह (ईईजी) की बैठक में भाग लिया।
- **17-18 दिसंबर, 2024 को वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित ईईजी बैठक में भाग लिया।**
- ***7-8 मई, 2025 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में*** **भाग लिया।**

लेखांकन मानक सलाहकार मंच (एएसएएफ):

- एएसएएफ की बैठक 26-27 सितंबर, 2024 को आयोजित हुई – लीज़ पर उप-कार्य समूह का नेतृत्व करने वाले भारत ने वर्चुअल माध्यम से इस सत्र में भाग लिया। इस संबंध में, एएसबी के अध्यक्ष ने आईएफआरएस 16 के पीआईआर के भाग के रूप में, एओ क्षेत्रों में आईएफआरएस 16, पट्टों *के कार्यान्वयन और चल रहे अनुप्रयोग संबंधी मुद्दों पर प्रस्तुति दी*, ताकि आईएएसबी को सार्वजनिक परामर्श के लिए आरएफआई में शामिल करने हेतु मामलों की पहचान करने में मदद मिल सके।

(III) नियामक निकायों के साथ मजबूत संबंध बनाना

- एएसबी ने विभिन्न विनियामकों (जैसे, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, विद्युत मंत्रालय आदि) द्वारा संदर्भित विभिन्न लेखांकन मुद्दों पर काम करना जारी रखा और जहां भी उचित समझा गया, संबंधित नियामकों के साथ विभिन्न लेखांकन मुद्दों को उठाया गया।

(IV) ज्ञान प्रसार एवं क्षमता सृजन पहल

- एएस और इंड-एएस में हालिया संशोधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु विभिन्न शाखाओं और क्षेत्रीय परिषदों के सहयोग से 80 से अधिक सीपीई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन पहलों का उद्देश्य विभिन्न संगठनों के क्षमता सृजन प्रयासों को मज़बूत करना और सदस्यों को सेमिनार, वेबिनार, गहन पाठ्यक्रम और सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में बहुमूल्य सहायता प्रदान करना भी है।

(V) अन्य पहल :

- तीसरा लेखा मानक दिवस 3 मई, 2025 को नई दिल्ली में 'वित्तीय रिपोर्टिंग परिदृश्य को नेविगेट करना' विषय पर मनाया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हितधारकों को शामिल करना और वित्तीय विवरणों की तैयारी में लेखांकन मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना था, जिससे देश की वित्तीय रिपोर्टिंग को सशक्त बनाया जा सके। लेखा मानक दिवस सभी पाँच क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर

एक साथ मनाया गया और तदनुसार यह कार्यक्रम दिल्ली, जयपुर, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में मनाया गया, जिससे उद्योग जगत के पेशेवरों का एक व्यापक समूह इसमें शामिल हुआ।

- लेखांकन एवं वित्तीय की अवधारणाओं को सरल बनाने के एक शैक्षिक साधन के रूप में कार्य करते हुए, एक साप्ताहिक लेखांकन प्रश्नोत्तरी (पहले मासिक आधार पर आयोजित की जाती थी) शुरू की गई। एक गेमीफाइड दृष्टिकोण के साथ डिज़ाइन किया गया, यह विभिन्न लेखांकन विषयों के बारे में हितधारकों की स्पष्टता और जागरूकता को बढ़ाता है, जिससे वे प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं और आकर्षक तरीके से अपनी समझ को गहरा कर सकते हैं।

(VI) जारी किए गए प्रकाशन

- भारतीय लेखा मानक (इंड एएस): प्रकटीकरण चेकलिस्ट (संशोधित अप्रैल 2024)
- लेखांकन मानक: त्वरित संदर्भ (01 अप्रैल, 2025 तक)

6.2 लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानक बोर्ड (एएएसबी)

लेखापरीक्षा, जवाबदेही बढ़ाकर और वित्तीय रिपोर्टिंग में विश्वास को बढ़ावा देकर जनहित की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। बढ़ती व्यावसायिक जटिलता एवं वैश्विक परिचालन बढ़ने से लेखापरीक्षा पेशे से हितधारकों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। इसके लिए, आईसीएआई का लेखापरीक्षा एवं आश्वासन मानक बोर्ड (एएएसबी) लेखापरीक्षा, समीक्षा, आश्वासन, गुणवत्ता नियंत्रण और संबंधित सेवाओं पर उच्च-गुणवत्ता वाले मानक विकसित करता है, जो अच्छी पद्धतियों को निर्धारित करते हैं और लेखापरीक्षक के प्रदर्शन हेतु मानक का कार्य करते हैं। बोर्ड लेखापरीक्षकों को व्यावहारिक सहायता प्रदान करने के लिए सामान्य और उद्योग-विशिष्ट लेखापरीक्षा मुद्दों पर मार्गदर्शन नोट भी जारी करता है। ये आई.सी.ए.आई. परिषद के अधिकार के तहत जारी किए जाते हैं, सिवाय कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) से संबंधित लेखापरीक्षा मानकों के, जहाँ केंद्र सरकार राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के परामर्श से आईसीएआई की सिफारिशों के आधार पर मानक निर्धारित करती है। वैश्विक एकरूपता बनाए रखने हेतु आई.सी.ए.आई. के लेखापरीक्षा मानकों को अंतर्राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं आश्वासन मानक बोर्ड (आईएएएसबी) के साथ सुसंगत बनाया गया है। प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता के लिए, बोर्ड तकनीकी मार्गदर्शिकाएँ, प्रैक्टिस मैनुअल, अध्ययन और कार्यान्वयन मार्गदर्शिकाएँ प्रकाशित करता है, जो सदस्यों को जटिल लेखापरीक्षा परिदृश्यों को आत्मविश्वास से संचालित करने के लिए व्यावहारिक उपकरण प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां:

(I) मंत्रालयों/नियामकों को अभ्यावेदन/सुझाव

- **डिजिटल बैलेंस पुष्टिकरण पोर्टल का विकास**

  बोर्ड ने बैंकिंग क्षेत्र में बैलेंस कन्फर्मेशन के लिए एक साझा पोर्टल ("डिजिटल बैलेंस कन्फर्मेशन पोर्टल") विकसित करने हेतु भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के साथ सहयोग किया है। इस पहल के लिए आईसीएआई ने आईबीए और पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पोर्टल के पहले चरण का बीटा संस्करण 2 फरवरी 2025 को वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स (डब्ल्यूओएफए) में लॉन्च किया गया था। पोर्टल का डेवलपमेंट कार्य अभी जारी है।

- **कंपनियों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा मानकों पर आईसीएआई की सिफारिशें**

  जून 2022 में, बोर्ड ने कंपनियों के ऑडिट के लिए ऑडिटिंग मानकों पर आईसीएआई की सिफ़ारिशें एनएफआरए को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत अधिसूचना हेतु प्रस्तुत कीं। 11 और 12 नवंबर 2024 को आयोजित अपनी 18वीं बैठक में, एनएफआरए ने आईसीएआई की सिफ़ारिशों पर विचार किया। इस बैठक के दौरान, एनएफआरए ने 40 मानकों को अंतिम रूप दिया और उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचना हेतु केंद्र सरकार को सिफ़ारिश करने का निर्णय लिया। इसके बाद, एनएफआरए ने अपनी सिफ़ारिशें केंद्र सरकार को प्रस्तुत कीं।

- एलएलपी **की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा** मानकों पर **आईसीएआई की सिफारिशें**

  अगस्त 2024 में, बोर्ड ने एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 34क के तहत अधिसूचना के लिए एनएफआरए को एलएलपी ("एलएलपी के लिए एसए") की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा मानकों पर आईसीएआई की सिफारिशें प्रस्तुत कीं। आईसीएआई ने सिफारिश की कि कंपनियों की लेखापरीक्षा के लिए आई.सी.ए.आई. द्वारा एनएफआरए को अनुशंसित लेखापरीक्षा मानक एलएलपी के लेखापरीक्षा के लिए यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होने चाहिए। इसके बाद, एमसीए ने आई.सी.ए.आई. को एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 34क के तहत अधिसूचना के लिए

एलएलपी के लिए एसए का एक अलग सेट विकसित करने का निर्देश दिया। जवाब में, बोर्ड ने एलएलपी के लिए एसए का एक अलग सेट विकसित किया। आई.सी.ए.आई. की परिषद ने मई 2025 में आयोजित अपनी बैठक में एलएलपी के लिए इन एसए पर बोर्ड की सिफारिशों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी दी

- **भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकारियों के लिए क्षमता सृजन कार्यक्रम**

आई.सी.ए.आई. ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) कार्यालय के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के लेखापरीक्षा में लगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के अधिकारियों के लिए एक क्षमता सृजन कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम आई.सी.ए.आई. के हैदराबाद स्थित उत्कृष्टता केंद्र में 5 मई, 2025 से 4 जून, 2025 तक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय लेखा मानक, लेखापरीक्षा मानक, क्षेत्र-विशिष्ट लेखापरीक्षा विषय और सूचना तकनीकी से संबंधित विषयों सहित कई विषयों को शामिल किया गया। एएएसबी ने कार्यक्रम के लेखापरीक्षा-संबंधी विषयों के लिए सहायता प्रदान की। एएएसबी ने बैकग्राउंड मेटेरियल तैयार करके और विषय-विशेषज्ञ संकाय की व्यवस्था करके योगदान दिया।

(II) जारी किए गए मानक

बोर्ड ने आईसीएआई परिषद के प्राधिकार के तहत गुणवत्ता प्रबंधन (एसक्यूएम) पर निम्नलिखित मानक जारी किए:

- **एसक्यूएम** 1, "वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा या समीक्षा करने वाली फर्मों, या अन्य आश्वासन या संबंधित सेवाओं के लिए गुणवत्ता प्रबंधन"।
- **एसक्यूएम** 2, "संबद्धता **गुणवत्ता समीक्षा**"।

ये मानक 1 अप्रैल, 2025 से अनुशंसात्मक आधार पर और 1 अप्रैल, 2026 से अनिवार्य आधार पर प्रभावी होंगे। प्रभावी होने पर, एसक्यूएम 1 और एसक्यूएम 2 मौजूदा गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी 1) का स्थान ले लेंगे।

(III) प्रकाशन

बोर्ड ने सदस्यों के लाभ के लिए निम्नलिखित प्रकाशन जारी किए:

- बैंकों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट 2025 संस्करण।
- गुणवत्ता समीक्षा के दौरान गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड द्वारा पाए गए गैर-अनुपालन पर मार्गदर्शन (खंड 2)
- गुणवत्ता समीक्षा के दौरान गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड द्वारा पाए गए गैर-अनुपालन पर मार्गदर्शन (खंड 3)

(IV) सदस्यों के लिए पहल

- **एएएसबी द्वारा आयोजित सेमिनार/वेबिनार**

बोर्ड ने सदस्यों की जागरूकता और व्यावसायिक उन्नति हेतु **कार्यकलाप एवं गुणवत्ता नियंत्रण मानकों, बैंक लेखा परीक्षा और अन्य लेखा परीक्षा पहलुओं पर विभिन्न सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाएं, वेबकास्ट आयोजित किए।** कुल 206 **कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें** 80,000 **से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।**

- **प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम**

बोर्ड ने 11 और 12 मई 2024 को दिल्ली में सात नए/संशोधित संलग्नता एवं गुणवत्ता प्रबंधन मानकों [एसक्यूएम 1, एसक्यूएम 2, एसए 220 (संशोधित), एसए 250 (संशोधित), एसए 315 (संशोधित), एसए 540 (संशोधित), एसआरएस 4400 (संशोधित)] पर अपना पहला "प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण" कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम लेखा परीक्षा संकायों, वक्ताओं व सदस्यों को इन मानकों के बारे में सशक्त बनाने हेतु बोर्ड की एक महत्वपूर्ण पहल है।

- **लेखापरीक्षा दिवस कार्यक्रम**

बोर्ड ने 30 अगस्त 2024 को दिल्ली में पहला "लेखापरीक्षा दिवस" कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम लेखापरीक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डालने और उच्च-गुणवत्ता वाले लेखापरीक्षा मानकों को स्थापित करने में बोर्ड की भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया था।

- **बैंक लेखापरीक्षा विशेषज्ञ पैनल**

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सदस्यों के बैंक शाखा लेखापरीक्षा संबंधी प्रश्नों के समाधान हेतु विशेषज्ञों का एक ऑनलाइन पैनल गठित किया। पैनल ने 1 अप्रैल 2025 से 15 अप्रैल 2025 तक पूछे जा रहे सवालों का समाधान किया।

(V) अंतर्राष्ट्रीय मंच पर योगदान

- परिषद अवधि 2022-25 के लिए एएएसबी के उपाध्यक्ष ने सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में आयोजित आईएएएसबी बैठकों में भाग लिया।
- एएएसबी के अध्यक्ष ने मई 2025 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में आयोजित आईईएसबीए, आईएएएसबी और संयुक्त जेएसएस बैठक में भाग लिया।

6.3 विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी)

मौजूदा आर्थिक परिवेश में, जिसमें जटिल लेनदेन और निरंतर विकसित हो रहे वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे देखने को मिलते हैं, लेखांकन पेशेवरों को चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए लेखांकन एवं लेखा परीक्षा सिद्धांतों सहित ऐसे ढांचे की सावधानीपूर्वक व्याख्या और अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है। इसकी वजह से वित्तीय रिपोर्टिंग की अखंडता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए ऐसी स्थितियों में विश्वसनीय और अच्छी तरह से शोध किए गए समाधानों की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा जारी किए गए व्यापक रूप से शोध और विचार-विमर्श किए गए विचार जटिल लेखांकन स्थितियों/लेनदेन पर मार्गदर्शन प्रदान करके लेखा पेशेवरों और वित्तीय विवरण तैयार करने वालों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपनी स्थापना के बाद से, समिति सभी उद्योगों के साथ-साथ सरकार और नियामक निकायों द्वारा संस्थान के सदस्यों द्वारा संदर्भित मामलों पर लगातार राय प्रदान कर रही है।

(I) विशेषज्ञ राय

समिति, आई.सी.ए.आई. के सदस्यों से प्राप्त सवालों का उत्तर सलाहकार सेवा नियमों के अनुसार देती है। नियमों के अनुसार, समिति लेखांकन और/या लेखा परीक्षा सिद्धांतों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देती है और विभिन्न अधिनियमों की केवल कानूनी व्याख्या से संबंधित प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है। यह उन प्रश्नों का भी उत्तर नहीं देती है जिनमें व्यावसायिक कदाचार या संस्थान की अनुशासन समिति, किसी न्यायालय, आयकर प्राधिकरण या सरकार के किसी अन्य संबंधित विभाग के समक्ष लंबित कोई मामला शामिल हो। ये नियम आई.सी.ए.आई. की वेबसाइट, https://www.icai.org/post/495 पर उपलब्ध हैं या संस्थान के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा जारी की गई राय, प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित होती है, जिसमें प्रासंगिक कानूनों, विधियों और लागू लेखांकन एवं लेखापरीक्षा सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक राय में उसके अंतिम रूप दिए जाने की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित होती है और उसे उस तिथि के बाद हुए विकासों और/या कानूनों या मानकों में संशोधनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाना चाहिए।

(II) इस अवधि के दौरान अंतिम रूप दी गई राय

समिति ने सदस्यों से प्राप्त विभिन्न लेखांकन मुद्दों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से प्राप्त तकनीकी लेखांकन मुद्दे पर निम्नलिखित पचपन (55) प्रश्नों पर अपनी राय अंतिम रूप दे दी है:

- भारतीय लेखा मानक ढांचे के अंतर्गत प्राप्य सब्सिडी का लेखा-जोखा।
- भारतीय लेखा मानक ढांचे के अंतर्गत पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण पर अर्जित भूमि की लागत और व्यय की लागत का लेखांकन उपचार।
- विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति (ईआरपी) पर देय एटीएस प्रभारों का पूंजीकरण।
- परियोजना के निर्माण हेतु कंपनी के प्रमोटरों से प्राप्त इक्विटी के बदले अनुदान के इंड एएस ढांचे के तहत लेखांकन उपचार।
- तकनीकी सहायता के लिए अनुदान के भारतीय लेखा मानक ढांचे के अंतर्गत लेखांकन उपचार।
- सरकार से प्राप्त ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋणों के लिए भारतीय लेखा मानक ढांचे के अंतर्गत लेखांकन उपचार।
- भारतीय लेखा मानक ढांचे के अंतर्गत सरकार/सरकारी एजेंसियों से प्राप्त अनुदान के अशोधित हिस्से का लेखांकन उपचार।
- भारतीय लेखा मानक ढांचे के अंतर्गत ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋणों का लेखांकन।
- भारतीय लेखा मानक ढांचे के अंतर्गत संयुक्त उद्यम कंपनी को प्रदान किए गए शेयरधारक ऋण का लेखांकन उपचार।
- इंड एएस ढांचे के तहत इन्वेंटरी या निवेश परिसंपत्ति के रूप में परियोजना का वर्गीकरण।
- धारा 8 कंपनी के वित्तीय विवरणों का प्रायोजक कंपनी के साथ समेकन।
- सरकारी आदेश के माध्यम से पूर्ववर्ती कंसोर्टियम के अधिकारों और दायित्वों को नई कंपनी को हस्तांतरित करने पर परियोजना में परिवर्तन के लिए लेखांकन।

- इंड एएस ढांचे के तहत जल विद्युत परियोजना के विकास हेतु गैर-वापसी योग्य अग्रिम शुल्क/प्रीमियम की मान्यता और प्रस्तुति।
- व्यापार देय या प्रावधान (वर्तमान) के अंतर्गत कर्मचारियों को अर्जित मजदूरी और वेतन का वर्गीकरण और प्रस्तुति।
- स्थापना सेवाओं से प्राप्त राजस्व की मान्यता।
- रखरखाव सेवाओं से राजस्व की मान्यता।
- 'संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान, जिन्हें अब लिखित रूप में देने की आवश्यकता नहीं है' को 'अन्य आय' या 'अन्य परिचालन राजस्व' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- पट्टा-भूमि का लेखा-जोखा और भारतीय लेखा मानक 116 की प्रयोज्यता।
- भारतीय लेखा मानक ढांचे के अंतर्गत अनुदानकर्ता से शेष वार्षिकी भुगतान (पूर्णता लागत का 60%) पर ब्याज आय की प्रस्तुति।
- भारतीय लेखा मानक 37, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां' के अनुसार विवादों का लेखांकन उपचार।
- कंपनी के स्वामित्व के बिना मेट्रो कनेक्टिविटी की लागत से संबंधित व्यय का लेखांकन उपचार, जिसे इंड एएस ढांचे के तहत प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र (ईसीसी) परियोजना के कार्यान्वियन और विकास के लिए अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक है।
- भारतीय लेखा मानक ढांचे के अंतर्गत उर्वरकों की बिक्री और संबंधित सब्सिडी का लेखांकन उपचार।
- अधिशेष निधियों से की गई सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज के सुधार के लिए लेखांकन, जिसे गलती से एएस ढांचे के तहत कुछ पूर्व वर्षों के लिए आय के रूप में दर्ज किया गया था।
- भारतीय लेखा मानक ढांचे के अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा किए गए अवसंरचनात्मक विकास लागत का लेखांकन उपचार।
- भारतीय लेखा मानक ढांचे के अंतर्गत बिक्री बिलों की छूट का लेखांकन उपचार और वर्गीकरण।
- संयुक्त उद्यम कंपनी के खातों का समेकन।
- एएस ढांचे के तहत ग्राहक अधिग्रहण लागत के लिए लेखांकन उपचार।
- इंड एएस ढांचे के तहत बैंक गारंटी के नकदीकरण का लेखांकन उपचार।
- इंड एएस ढांचे के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में परियोजना अवधि ऋण पर ब्याज व्यय का लेखांकन उपचार।
- निर्माणाधीन एकल इकाई परियोजना वाली कंपनी के कंपनी सचिव को भुगतान किए गए वेतन का भारतीय लेखा मानक ढांचे के अंतर्गत लेखांकन उपचार।
- इंड एएस ढांचे के तहत पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (पीएमएस) शुल्क के लिए लेखांकन।
- भारतीय लेखा मानक ढांचे के अंतर्गत पूर्ववर्ती सहयोगी में निवेश का लेखांकन उपचार।
- सहायक कंपनी में निवेश के लिए लेखांकन - भारतीय लेखा मानक ढांचे के तहत बिक्री के लिए रखा गया।
- भारतीय लेखा मानक 110 की प्रयोज्यता।
- इंड एएस ढांचे के तहत भूमि परिशोधन हेतु लेखांकन।
- इंड एएस ढांचे के तहत कंपनी द्वारा विशेष विकास योजना (एसडीपी) के लिए व्यय का लेखांकन उपचार।
- भारतीय लेखा मानक ढांचे के अंतर्गत, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त बॉक्साइट खदान की पर्यावरणीय मंजूरी के अंतर्गत चरण-II वन मंजूरी और पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए प्रतिबद्ध नियोजित व्यय के प्रति देयता की मान्यता।
- भारतीय लेखा मानक ढांचे के अंतर्गत सतत ऋण का उपचार और प्रस्तुति।
- लेखा बही में अवसंरचना प्रभाग के लिए राजस्व बुकिंग में परिवर्तन।
- लेखा बही में खरीद एवं परामर्श प्रभाग के लिए राजस्व बुकिंग में परिवर्तन।
- भविष्य में प्रत्यावर्तन के लिए कंपनी द्वारा अस्थायी रूप से एकत्रित तीसरे पक्ष की परित्याग निधि का प्रकटीकरण।
- भारतीय लेखा मानक ढांचे के अंतर्गत ग्राहकों से एकत्रित सीयूएफ (संरचना उपयोगकर्ता शुल्क) शुल्क पर ब्याज आय के संबंध में देयता का सृजन और प्रकटीकरण।
- भारतीय लेखा मानक ढांचे के अंतर्गत बैंक गारंटी के लिए भुगतान किए गए कमीशन का लेखा-जोखा।
- भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत निश्चित शुल्क व्यवस्था में प्रदर्शन (स्टैंडीज, टेंट कार्ड, वॉबलर्स, हैंगर, त्यौहारों के लिए उत्पाद प्रदर्शन और प्रचार गलियारे) की लागत का लेखांकन उपचार।
- भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत निश्चित उचित मूल्य वाले व्यय के मामले में प्रदर्शन (स्टैंडीज, टेंट कार्ड, वॉबलर्स, हैंगर, त्यौहारों के लिए उत्पाद प्रदर्शन और प्रचार गलियारे) की लागत का लेखांकन उपचार।
- **इंड एएस ढांचे के तहत वैकल्पिक निधियों (एआईएफ) में निवेश से संबंधित विनियामक प्रावधानों की अनुवर्ती वसूली की प्रस्तुति।**

- मेट्रो परियोजनाओं के निर्माण के लिए भारत सरकार (जीओआई), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के उचित मूल्यांकन पर उत्पन्न ब्याज लागत का लेखांकन उपचार, और परियोजना में इसके उपयोग तक फ्लेक्सी जमा में उपर्युक्त ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण निधि के अस्थायी निवेश पर अर्जित ब्याज आय का लेखांकन उपचार।
- ड्रेजरों के एक अलग घटक के रूप में ड्राई डॉक व्यय का पूंजीकरण तथा उनके अनुमानित उपयोगी जीवन के पूरा होने के बाद उस पर मूल्यह्रास।
- भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार कर्मचारी परिवार लाभ योजना को परिभाषित लाभ योजना के रूप में **मानने की उपयुक्तता**
- भारतीय लेखा मानक 20 के अंतर्गत हार्डवुड पल्प प्लांट की स्थापना के लिए सहायता के संरचित पैकेज का लेखांकन उपचार।
- पट्टे के भुगतान पर भुगतान किये गए जीएसटी घटक का लेखा-जोखा।
- किसी नए रेस्तरां के खुलने से पहले परीक्षण चरण के दौरान स्टाफ/कर्मचारियों को दिए गए वेतन का लेखा-जोखा।
- भारतीय लेखा मानक ढांचे के अंतर्गत, नए रेस्तरां खोलने से पहले परीक्षण चरण के दौरान खाद्य परीक्षणों से संबंधित लागत का लेखांकन उपचार।
- भारतीय लेखा मानक ढांचे के अंतर्गत लेखा बही में भूमि का मूल्यांकन।
- उपयोग के अधिकार (आरओयू) की प्रकृति भारतीय लेखा मानक 116, 'पट्टे' के अनुसार मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियां।

(III) विचारों का संग्रह/ज्ञान का प्रसार

सीए पेशेवरों और अन्य हितधारकों तक राय में निहित लेखांकन मार्गदर्शन को प्रसारित करने के लिए, समिति द्वारा जारी की गई राय को समय-समय पर राय के संग्रह के रूप में प्रकाशित किया जाता है। अब तक, राय संग्रह के 43 खंड प्रकाशित हो चुके हैं, जिनका पेशेवरों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग और भरोसा किया जाता है। संदर्भ में आसानी के लिए, इन रायों को आईसीएआई की वेबसाइट पर एक एडवांस और यूजर-फ्रेंडली सर्च एप्लिकेशन के रूप में संकलित और होस्ट किया गया है। समसामयिक मुद्दों पर कुछ सामान्य प्रासंगिक राय संस्थान की पत्रिका 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' के प्रत्येक अंक में प्रकाशित होती हैं। समिति की हालिया राय भी संस्थान की वेबसाइट पर होस्ट की जाती हैं।

(IV) वेबिनार/सेमिनार

ईएसी के विचारों के बारे में सदस्यों और अन्य हितधारकों के बीच ज्ञान का प्रसार एवं जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से, विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) ढांचे के अंतर्गत 'रिसेंट ईएसी ओपिनियन' पर 5 वेबिनार आयोजित किए। विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने 17 मई, 2024 को मुंबई में 'भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) ढांचे के अंतर्गत 'रिसेंट ईएसी ओपिनियन' पर अपना पहला भौतिक संगोष्ठी आयोजित किया। प्रतिभागियों ने संगोष्ठी ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और इसके संवादात्मक प्रारूप, वक्ताओं द्वारा प्रदर्शित विशेषज्ञता की गहराई और चर्चा में शामिल विचारों की व्यावहारिक प्रासंगिकता की सराहना की।

6.4 वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा बोर्ड (एफआरआरबी)

वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा बोर्ड (एफआरआरबी) भारत में प्रचलित वित्तीय रिपोर्टिंग और लेखा परीक्षा पद्धतियों की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उद्यमों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियों की गुणवत्ता में सुधार की एक पहल के रूप में आई.सी.ए.आई. द्वारा इसका गठन किया गया था। एफआरआरबी विभिन्न उद्यमों के सामान्य प्रयोजन के वित्तीय विवरणों की समीक्षा करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन, नियामक निकायों द्वारा निर्धारित प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन, उद्यम से संबंधित क़ानून/नियम और विनियम और उद्यम के साथ-साथ लेखा परीक्षक के रिपोर्टिंग दायित्वों का अनुपालन किया जाए। बोर्ड में भारत सरकार के नामित सहित आई.सी.ए.आई. की केंद्रीय परिषद के सदस्य शामिल हैं। इस अवधि के दौरान बोर्ड को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और नीति आयोग के कार्यालय का प्रतिनिधित्व भी देखने को मिला।

वर्ष की उपलब्धियाँ

(I) राष्ट्र सृजन में भागीदार - नियामकों का समर्थन

नियामकों को समर्थन देने के साथ-साथ वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में, एफआरआरबी ने इस अवधि के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ शुरू की हैं:

- 7 मामलों में पाए गए महत्वपूर्ण गैर-अनुपालन पर एमसीए को प्रस्तुति पेश की गई।
- 12 मामलों को विनियामकों को भेजा गया, जहां वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण गैर-अनुपालन देखे गए (एमसीए, सेबी, आरबीआई)
- विनियामकों (सेबी, सीएजी) द्वारा संदर्भित 11 मामलों और प्राप्त अन्य संदर्भों के आधार पर विशेष मामलों के रूप में समीक्षा की गई।

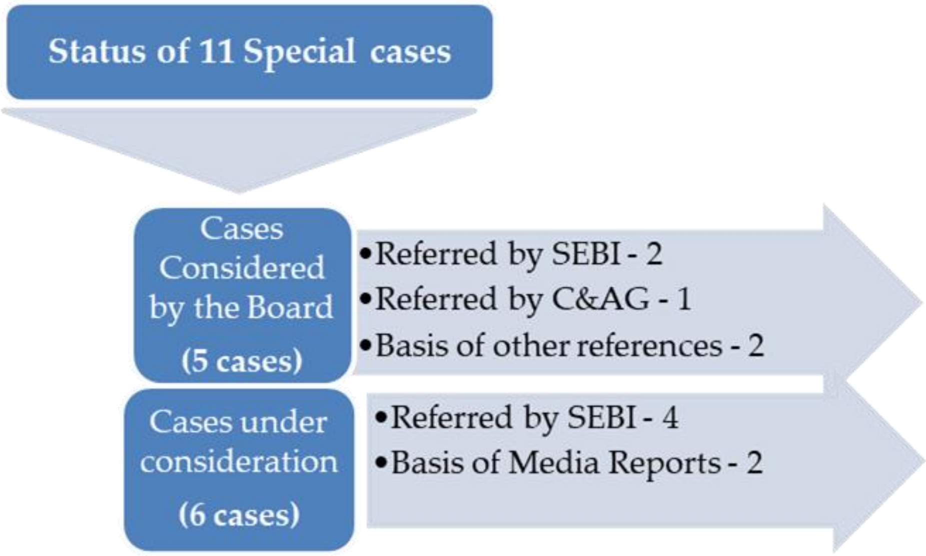

- **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में लेखा परीक्षा अधिकारियों के लिए सीएंडएजी-आईसीएआई प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान**

आईसीएआई ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में लेखा परीक्षा अधिकारियों की व्यावसायिक क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं ज्ञान-साझाकरण मंच विकसित करने हेतु नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य लेखा परीक्षा पेशेवरों के कौशल को निखारना है जिससे उनकी दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े। सहयोगात्मक प्रयास के हिस्से के रूप में, एफआरआरबी वित्तीय रिपोर्टिंग में गैर-अनुपालनों पर आधारित प्रासंगिक अध्ययन सामग्री प्रदान करके प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समर्थन कर रहा है, जिसे उसने चिन्हित किया है, जिसमें 30 इंड एएस को कवर करने वाले 75 केस स्टडी शामिल हैं। यह योगदान यह सुनिश्चित करेगा कि लेखा परीक्षा अधिकारी लागू मानकों और अच्छी पद्धतियों के अच्छे ज्ञान से लैस हों, जिससे पीएसयू में वित्तीय निगरानी की गुणवत्ता में सुधार होगा।

(II) सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरणों की समीक्षा

अप्रैल 2024 से मई 2025 तक, बोर्ड ने 92 मामलों की समीक्षा पूरी कर ली है। इसमें 5 विशेष मामले और 87 स्वतः संज्ञान मामले शामिल हैं। इन 92 मामलों का वर्गीकरण इस प्रकार है:

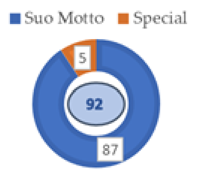

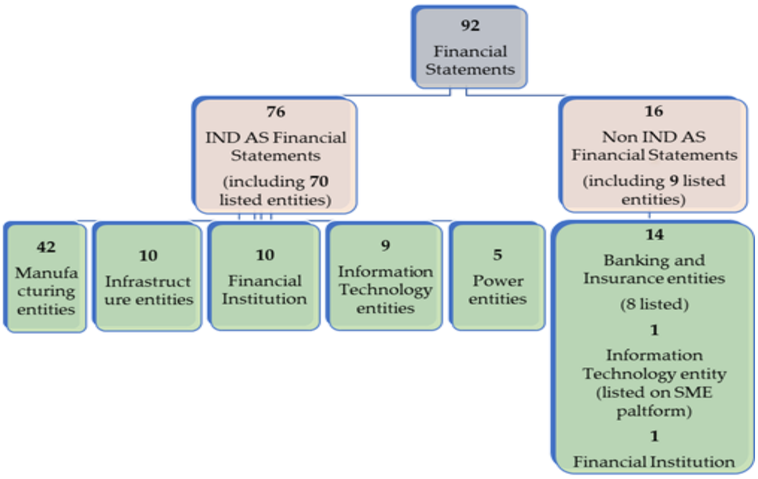

विचाराधीन मामलों पर बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय

इन 92 मामलों में से 12 मामलों को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित नियामकों के साथ-साथ आई.सी.ए.आई. के निदेशक (अनुशासन) को भेजा गया है, और 59 मामलों में बोर्ड ने उद्यम के लेखा परीक्षक को सलाह जारी करने का निर्णय लिया है।

बोर्ड द्वारा विचारित और अंतिम रूप दिए गए मामले	जहां गंभीर गैर-अनुपालन पाया गया, वहां आगे की कार्रवाई के लिए आईसीएआई के निदेशक (अनुशासन) को भेजे गए मामले	कंपनियों में पाए गए गंभीर गैर-अनुपालन के लिए नियामकों (एमसीए, सेबी, आरबीआई) को भेजे गए मामले ((ख) में दिए गए मामलों में से)	लेखा परीक्षकों को परामर्श जारी किया गया
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
92	12	11	59

(III) *प्रकाशन*

वित्तीय रिपोर्टिंग अनिवार्यताओं के अनुपालन पर अध्ययन (इंड एएस फ्रेमवर्क) - खंड III

(IV) *तकनीकी पहल*

एफआरआरबी ने अपनी आंतरिक परिचालन दक्षता बढ़ाने हेतु ***निम्नलिखित तकनीक-संचालित पहल की हैं:***

- *मास्टर दस्तावेज़ प्रणाली* **की शुरुआत**

प्रत्येक मामले से संबंधित सभी सूचनाओं को एक ही दस्तावेज में केंद्रीकृत करने हेतु एफआरआरबी पोर्टल पर एक मास्टर दस्तावेज प्रणाली शुरू की जा रही है, जो पोर्टल को विभिन्न हितधारकों के लिए अनुकूलित विभिन्न आउटपुट रिपोर्ट स्वतः तैयार करने की अनुमति देती है, जिससे दोहराव नहीं होता है और सभी संचारों में एकरूपता सुनिश्चित होती है।

- *मामलों का भंडार*

एफआरआरबी पोर्टल पर एक संग्रह बनाया गया है जिसमें बोर्ड द्वारा इसकी स्थापना के बाद से समीक्षा किए गए सभी मामले शामिल हैं, तथा इसमें त्वरित और कुशल सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए एक एडवांस सर्च टूल भी है।

- **दस्तावेज़ प्रबन्धन तंत्र**

एफआरआरबी ने अपने भौतिक अभिलेखों तक डिजिटल पहुंच को सुगम बनाने हेतु दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) का कार्यान्वयन शुरू किया है।

(V) X *हैंडल-एफआरआरबी*

एफआरआरबी द्वारा पाई गई गैर-अनुपालनों के बारे में सदस्यों में जागरूकता फैलाने और इस पर नियमित अपडेट देने के लिए, एफआरआरबी के X अकाउंट पर 'क्या आप जानते हैं (डिड यू नो)?' श्रृंखला चल रही है, जिसके अब तक 4,524 फ़ॉलोअर्स हैं। इस अवधि के दौरान, लेखा मानकों (इंड एएस और आईजीएएपी), लेखा परीक्षा मानकों (एसए) और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III से संबंधित अनुपालन संबंधी त्रुटियों पर 76 ट्वीट पोस्ट किए गए हैं।

(VI) *सदस्यों के लिए पहल*

वित्तीय वर्ष की समाप्ति और अप्रैल व मई माह में वित्तीय विवरणों के अंतिम रूप देने के मद्देनज़र, एफआरआरबी ने यह पहल की है जिसका उद्देश्य वित्तीय विवरण तैयार करने वालों और लेखा परीक्षकों को विभिन्न वित्तीय विवरणों की समीक्षा के दौरान बोर्ड द्वारा पाई ***गई सामान्य गैर-अनुपालनों के बारे में जानकारी प्रदान करना है, जिससे उन्हें वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। इस लक्ष्य को*** हासिल ***करने के लिए:***

- ***एफआरआरबी ने*** **अप्रैल 2024 में 'भारतीय लेखा मानक** एवं **कंपनी अधिनियम, 2013 के सामान्यतः पाए जाने वाले गैर-अनुपालन' पर वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया। 1700 से अधिक प्रतिभागियों के साथ, यह कार्यक्रम एक शानदार सफलता रही।** ***एफआरआरबी ने अप्रैल और मई 2025 में 'वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में सामान्यतः पाए जाने वाले गैर-अनुपालन' पर वेबिनार आयोजित किए, जिससे पूरे भारत में भागीदारी संभव हुई। इस वेबिनार को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और प्रत्येक वेबिनार में लगभग 3,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया।***

- ***वेबिनार के अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग*** पद्धतियों ***पर दो जागरूकता कार्यक्रम क्रमशः अगस्त और नवंबर 2024 में भोपाल और उडुपी में आयोजित किए गए हैं। अप्रैल-मई 2025 में, विभिन्न क्षेत्रों/शहरों, जैसे हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोझीकोड, नासिक,***

राउरकेला, नवसारी, तिरुवनंतपुरम और ठाणे, में "वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियां - लेखापरीक्षा उत्कृष्टता के भविष्य को आकार देना" पर 16 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में कुल मिलाकर 2575 लोगों की उपस्थिति के साथ अच्छी भागीदारी देखी गई।

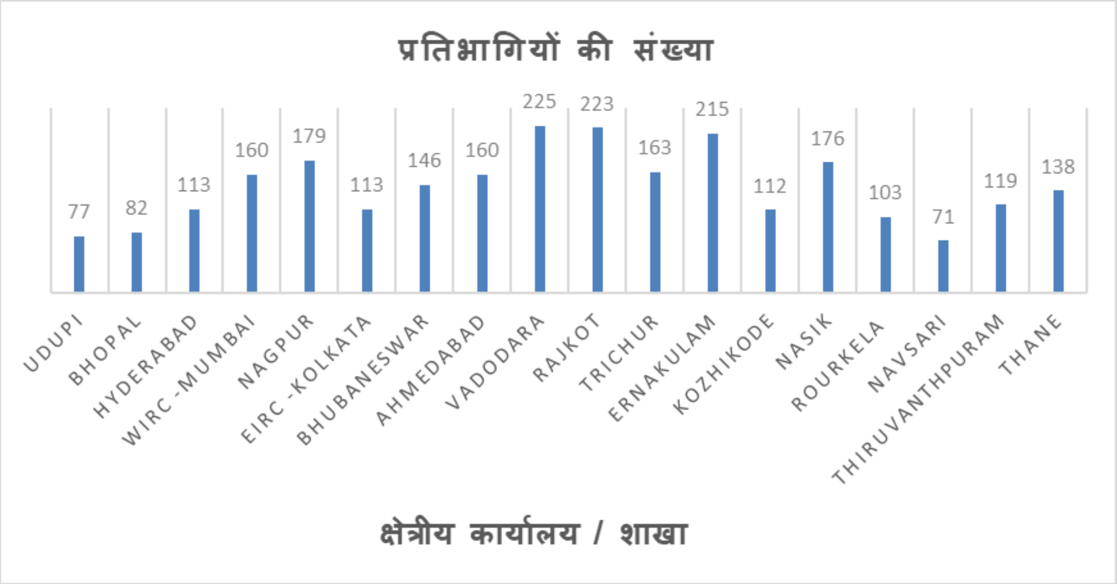

6.5 आंतरिक लेखा परीक्षा मानक बोर्ड (आईएएसबी)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) के आंतरिक लेखा परीक्षा एवं प्रबंधन लेखा बोर्ड (बीआईएएमए) को आंतरिक लेखा परीक्षा एवं प्रबंधन लेखा के विषयों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और उन्हें आगे बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है। बोर्ड मानक तैयार करने, तकनीकी मार्गदर्शन जारी करने और ज्ञान प्रसार, प्रशिक्षण पहलों व शोध-संचालित गतिविधियों के माध्यम से क्षमता सृजन को सुगम बनाने में एक रणनीतिक भूमिका निभाता है। बोर्ड संगठनों के भीतर सुदृढ़ शासन, प्रभावी जोखिम प्रबंधन और सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा देते हुए सदस्यों की व्यावसायिक दक्षताओं को बढ़ाने का प्रयास करता है। अपनी पहलों के माध्यम से, बोर्ड विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय अनुशासन, जवाबदेही और मूल्य सृजन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अलावा, मार्च 2025 में आंतरिक लेखा परीक्षा एवं प्रबंधन लेखा बोर्ड का नाम बदलकर "आंतरिक लेखा परीक्षा मानक बोर्ड" कर दिया गया।

(I) बैंकों की समवर्ती लेखापरीक्षा पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

आईसीएआई का आंतरिक लेखा परीक्षा एवं प्रबंधन लेखा बोर्ड, "बैंकों की समवर्ती लेखा परीक्षा" पर "प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम" आयोजित कर रहा है ताकि सदस्य बैंकों के लेन-देन की आंतरिक जाँच और अन्य सत्यापन करने तथा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन में उनके प्रयासों में सहयोग कर सकें, बैंकों में समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता में सुधार कर सकें, समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्टों की गुणवत्ता और कवरेज में सुधार कर सकें और बैंकों की समवर्ती लेखा परीक्षा की जटिलताओं को समझ सकें। बोर्ड ने इस अवधि के दौरान बैंकों की समवर्ती लेखा परीक्षा पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 15 बैच भौतिक रूप में और 4 बैच वर्चुअल रूप में आयोजित किए थे और लगभग 1007 प्रतिभागियों ने सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है।

(II) आंतरिक लेखापरीक्षा पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

आंतरिक लेखा परीक्षा और प्रबंधन लेखा बोर्ड, आई.सी.ए.आई. द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा पर सर्टिफिकेट कोर्स को नए विषयों और सूचना तकनीकी पर अधिक ध्यान देते हुए पूरी तरह से नया रूप दिया गया है, जिसे सभी हितधारकों की जरूरतों को पूरा करने हेतु समकालीन प्रारूप में लॉन्च किया जा रहा है। आंतरिक लेखा परीक्षा पर सर्टिफिकेट कोर्स को आंतरिक लेखा परीक्षा में चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में सदस्यों की विशेषज्ञता को बढ़ाने, शासन, जोखिम व अनुपालन को उनकी मुख्य दक्षताओं में से एक के रूप में विकसित करने और प्रमाणित सदस्यों को आंतरिक लेखापरीक्षा करने वाले अन्य लोगों से खुद को अलग करने में मदद करने हेतु तैयार किया गया है। बोर्ड ने इस अवधि के दौरान फिजिकल मोड में आंतरिक लेखापरीक्षा पर सर्टिफिकेट कोर्स के 1 बैच और वर्चुअल मोड में 2 बैच आयोजित किए थे और लगभग 139 प्रतिभागियों ने सफलतापूर्वक कोर्स पूरा कर लिया है।

(III) पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स - प्रबंधन एवं व्यवसाय वित्त पर डिप्लोमा (डीएमबीएफ)

बोर्ड अपने सदस्यों को प्रबंधन एवं व्यावसायिक वित्त के क्षेत्र में कुशाग्रता, विशेषज्ञता और गहन ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु एक पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स - प्रबंधन एवं व्यावसायिक वित्त पर डिप्लोमा (डीएमबीएफ) चला रहा है। बोर्ड ने उक्त कोर्स का पाँचवाँ बैच ऑनलाइन माध्यम से संचालित किया है और अब तक 73 सदस्य इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं।

(IV) आंतरिक लेखापरीक्षा पर जागरूकता पर कार्यक्रम, सेमिनार, सम्मेलन और वेबिनार

सदस्यों के बीच ज्ञान के प्रसार हेतु मंच प्रदान करने के उद्देश्य से, बोर्ड ने इस अवधि के दौरान वर्चुअल माध्यम से विभिन्न विषयों पर आंतरिक लेखापरीक्षा पर 41 वेबिनार आयोजित किए हैं। इस अवधि के दौरान बोर्ड द्वारा भौतिक माध्यम से निम्नलिखित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए:

(V) जारी किए गए प्रकाशन

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शिका

6.6 सहकर्मी समीक्षा बोर्ड (पीआरबी)

(I) गतिविधियाँ/पहल:

मार्च 2002 में पीयर रिव्यू बोर्ड (**सहकर्मी समीक्षा बोर्ड**) की स्थापना के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) की परिषद द्वारा पीयर रिव्यू प्रणाली की शुरुआत की गई थी। बोर्ड स्थापना के बाद से संतोषजनक ढंग से प्रगति कर रहा है और सदस्यों को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली आश्वासन सेवाओं की दक्षता बढ़ाने हेतु निरंतर मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। पीयर रिव्यू का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आश्वासन सेवा असाइनमेंट को पूरा करने में, संस्थान के सदस्य (क) अन्य नियामक आवश्यकताओं सहित लागू तकनीकी, व्यावसायिक और नैतिक मानकों का अनुपालन करते हैं और (ख) आश्वासन सेवाओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने हेतु उनके दस्तावेज़ीकरण सहित उचित प्रणालियाँ स्थापित करते हैं। पीयर रिव्यू एक प्रैक्टिस यूनिट की पीयर रिव्यू एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा की जाती है जिसे पीयर रिव्यूअर के रूप में जाना जाता है।

- नियामकों द्वारा सहकर्मी समीक्षा की मान्यता:

समकक्ष समीक्षा प्राप्त फर्मों को नियामकों द्वारा भी मान्यता दी जाती है, जैसा कि नीचे बताया गया है: -

- **सेबी ने 1 अप्रैल, 2010 से सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत सीमित समीक्षा/सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट केवल उन्हीं लेखा परीक्षकों द्वारा दी जाएगी,** जो **स्वयं सहकर्मी समीक्षा प्रक्रिया** से गुजरे हैं **और जिनके पास संस्थान के 'सहकर्मी समीक्षा बोर्ड' द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र है।**
- **भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) और 139(7) के अंतर्गत कंपनियों के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और सीए फर्मों/एलएलपी के पैनलीकरण की नीति में संशोधन किया है, और सांविधिक निगमों/स्वायत्त निकायों के लिए उनके संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की नीति में संशोधन किया है। पैनलीकरण के लिए आवेदन करने की तिथि तक सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त फर्मों को अधिकतम 25 अंक आवंटित किए जाएँगे।**

- **प्रैक्टिस यूनिट्स** की सहकर्मी समीक्षा:

सहकर्मी समीक्षा बोर्ड ने 01.04.2024 से 31.05.2025 की अवधि के दौरान प्रैक्टिस यूनिट्स **को 4261 सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्रों पर विचार किया और जारी किए। 31.05.2025 तक, कुल 6859** प्रैक्टिस यूनिट्स **के पास वैध सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र थे।**

इसके अलावा, पीयर रिव्यू बोर्ड ने अब तक एक्यूएमएम **समीक्षा के 1486 मामलों पर विचार किया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है:**

प्रैक्टिस यूनिट्स का एक्यूएमएम स्तर	**प्रैक्टिस यूनिट्स की संख्या**
स्तर 1	17
स्तर 2	138
स्तर 3	699
स्तर 4	632
कुल	**1486**

(II) सहकर्मी समीक्षा अधिदेश- रोल आउट कार्यान्वयन

- सहकर्मी समीक्षा अधिदेश के चरण II की प्रयोज्यता

अधिदेश का दूसरा चरण पहले 1 अप्रैल, 2023 से उन प्रैक्टिस यूनिट्स हेतु **था, जो कम से कम 500 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी वाली या कम से कम 1000 करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार करने वाली या ठीक पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक कुल मिलाकर** न्यूनतम **500 करोड़ रुपये के बकाया ऋण, डिबेंचर और जमा राशि वाली गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों की वैधानिक लेखा परीक्षा करने का प्रस्ताव रखती हैं या वे** प्रैक्टिस यूनिट्स **जो सत्यापन सेवाएँ प्रदान करती हैं और जिनके 5 या अधिक भागीदार हैं। परिषद ने शुरू में अधिदेश के दूसरे चरण की प्रयोज्यता को तीन महीने के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया था, जो 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगा। बाद में इसे 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया। फिर, 3 महीने के लिए अनुग्रह अवधि की अनुमति दी गई। अधिदेश का दूसरा चरण 1 जुलाई, 2024 से लागू किया गया।**

- सहकर्मी समीक्षा अधिदेश के चरण III का स्थगन

अधिदेश का तीसरा चरण पहले 1 अप्रैल, 2024 से उन प्रैक्टिस यूनिट्स हेतु **था, जिन्होंने समीक्षाधीन अवधि के दौरान जनता, बैंकों या वित्तीय संस्थानों से पचास करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जुटाई है, या किसी भी** ऐसे **निगमित निकाय पर लागू था, जिसमें ट्रस्ट भी शामिल हैं, जो जनहित संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं, या ऐसे** प्रैक्टिस यूनिट्स **जो सत्यापन सेवाएँ प्रदान करती हैं और जिनके चार या अधिक भागीदार हैं। परिषद ने शुरू में अधिदेश के तीसरे चरण की प्रयोज्यता को नौ महीने** हेतु **स्थगित करने का निर्णय लिया था, जो 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगा। इसे 1 जुलाई, 2025 से लागू करने के लिए छह महीने और बढ़ा दिया गया था।**

- सहकर्मी समीक्षा अधिदेश के चरण IV का स्थगन

अधिदेश का तीसरा चरण पहले 1 अप्रैल, 2025 से उन प्रैक्टिस यूनिट्स पर **लागू था, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं** की लेखापरीक्षा **करने का प्रस्ताव रखती हैं या वे** प्रैक्टिस यूनिट्स **जो सत्यापन सेवाएँ प्रदान करती हैं और जिनके 3 या अधिक भागीदार हैं। परिषद ने शुरू में अधिदेश के चौथे चरण की प्रयोज्यता को 9 महीने** हेतु **स्थगित करने का निर्णय लिया था, जिसे 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी किया जाना था।**

- सहकर्मी समीक्षा अधिदेश से उत्पन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण/अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  सहकर्मी समीक्षा बोर्ड ने सहकर्मी समीक्षा अधिदेश से उत्पन्न विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण/अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जारी किए हैं। ये स्पष्टीकरण/अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न http://resource.cdn.icai.org/83571prb67450.pdf पर उपलब्ध हैं।

(III) सहकर्मी समीक्षकों का प्रशिक्षण एवं पैनलीकरण:

- सहकर्मी समीक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम:

बोर्ड अपने सदस्यों को बोर्ड में सहकर्मी समीक्षक के रूप में शामिल करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। ये प्रशिक्षण सत्र उन्हें सहकर्मी समीक्षा करने की कार्यप्रणाली के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। 1 अप्रैल, 2024 से 31 मई, 2025 तक की अवधि के दौरान, बोर्ड ने देश भर में विभिन्न शाखाओं/क्षेत्रीय परिषदों में प्रत्यक्ष माध्यम से 101 सहकर्मी समीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम और मौजूदा सहकर्मी समीक्षकों के साथ 2 वर्चुअल **संवादात्मक बैठकें आयोजित की हैं।**

- सहकर्मी समीक्षकों के पैनल के लिए ऑनलाइन परीक्षाएँ:

सहकर्मी समीक्षकों के पैनल में शामिल होने के लिए ऑनलाइन टेस्ट हर दूसरे हफ्ते उन सदस्यों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं, जिन्होंने प्रशिक्षण में भाग लिया है और सहकर्मी समीक्षक बनने के पात्र हैं। अंतिम मूल्यांकन टेस्ट हर दूसरे शुक्रवार को आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, प्रत्येक अंतिम टेस्ट के लिए प्रत्येक पूर्ववर्ती शुक्रवार को मॉक टेस्ट आयोजित किए जाते हैं। ये टेस्ट हर शुक्रवार को दो बार आयोजित किए जा रहे हैं - एक सुबह और दूसरा दोपहर में। तदनुसार, 01.04.2024-31.05.2025 की अवधि में 58 अंतिम और 54 मॉक टेस्ट आयोजित किए जाते हैं। 01.04.2024-31.05.2025 तक कुल 1556 सदस्य सहकर्मी समीक्षक बन चुके हैं, जिससे 31 मई 2025 तक सहकर्मी समीक्षा बोर्ड के साथ सहकर्मी समीक्षक के रूप में कुल 4404 सदस्य शामिल हैं।

सहकर्मी समीक्षा बोर्ड के साथ प्रशिक्षित सहकर्मी समीक्षकों की संख्या का क्षेत्रवार विवरण

क्षेत्र	**समीक्षकों की संख्या**
डब्ल्यूआईआरसी	845
एसआईआरसी	636
ईआईआरसी	414
सीआईआरसी	1441
एनआईआरसी	1068
कुल	**4404**

(IV) सहकर्मी समीक्षा पोर्टल:

सहकर्मी समीक्षा बोर्ड अपनी सहकर्मी समीक्षा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और उन्नत बनाने हेतु **एक समर्पित वेब पोर्टल** तैयार **कर रहा है। यह** नया **प्लेटफ़ॉर्म आवेदन जमा करने से लेकर निर्णय लेने तक, सभी समीक्षा गतिविधियों को केंद्रीकृत करेगा। उन्नत तकनीक का लाभ उठाकर, हमारा लक्ष्य सहकर्मी समीक्षा प्रक्रिया की दक्षता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता में सुधार करना है।**

(V) अन्य पहल:

बोर्ड सहकर्मी समीक्षा तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। विगत **23 वर्षों के दौरान सृजित जागरूकता के स्तर ने वास्तव में सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली आश्वासन सेवाओं की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाया है। एक सक्षम** इकोसिस्टम **बनाने के लिए एक व्यापक, सर्वव्यापी दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें शामिल हैं:**

- **समीक्षा के लिए पर्याप्त एवं सक्षम संसाधन विकसित करना**;
- **सहकर्मी समीक्षाओं की गुणवत्ता में सुधार करना; और**
- **सहकर्मी समीक्षा प्रक्रिया में** तकनीकी **का अधिक उपयोग करने के लिए कदम उठाना ताकि क्षमता संबंधी बाधाओं को प्रभावी ढंग से दूर किया जा सके।**

6.7 कराधान लेखा परीक्षा गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड (**टीएक्यूआरबी**)

गतिविधियाँ/पहल:

संस्थान द्वारा वर्ष 2018 में विभिन्न कराधान कानूनों (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों) के अंतर्गत अनुपालनों की रिपोर्टिंग में सुधार हेतु कराधान लेखापरीक्षा गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड का गठन किया गया था। यह परिकल्पना की गई है कि बोर्ड द्वारा की गई समीक्षाओं से यह सुनिश्चित होगा कि सदस्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कराधान के अंतर्गत निर्धारित विभिन्न रिपोर्टों को प्रमाणित करते समय अधिक तत्परता बरतेंगे और दीर्घावधि में उनके द्वारा की गई समग्र रिपोर्टिंग एवं प्रमाणन में सुधार होगा।

(I) *चयनित कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की* स्थिति :

स्थापना के बाद से, बोर्ड ने विभिन्न कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की है और समीक्षा के आधार पर:

- *सदस्यों को सलाह जारी की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी गलतियां दोबारा न हों।*
- *टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ई-फाइलिंग सुविधा में परिवर्तन* हेतु *सीबीडीटी को भेजे जाने वाले सुझावों की पहचान कर ली गई है।*
- *सुझावों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें कर लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के* नए *संस्करण में शामिल कर लिया गया है।*
- *सदस्यों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय सामान्य रूप से पाई जाने वाली अनियमितताओं/गैर-अनुपालन की पहचान की गई है।*

परिषद वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान चयनित कर लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की स्थिति - **परिषद वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड ने स्वतः संज्ञान के आधार पर 123 कंपनियों** *(आकलन वर्ष 2023-24 से संबंधित)* का चयन उनकी कर लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा के लिए किया। **परिषद वर्ष 2025-26 के दौरान बोर्ड ने आकलन वर्ष 2024-25 से संबंधित 1000 कंपनियों का** चयन उनकी कर लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा के लिए किया। **वार्षिक**

रिपोर्टों को डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कर लेखा परीक्षकों का विवरण साझा करने के अनुरोध के साथ वैधानिक लेखा परीक्षकों को पत्र जारी किए जा रहे हैं।

सदस्यों के लिए पहल

(II) सेमिनार/वेबिनार/**ओरिएंटेशन** कार्यक्रम

- *बोर्ड ने* आई.सी.ए.आई. *की प्रत्यक्ष कर समिति के साथ मिलकर 24 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में 'केंद्रीय बजट 2024-25 पर चर्चा' का आयोजन किया और एनआईआरसी की मेजबानी में इसका आयोजन* हुआ। *इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीबीडीटी के अध्यक्ष, सीबीडीटी के संयुक्त सचिव (टीपीएल)*-I, *सीबीडीटी के संयुक्त सचिव (टीपीएल)*-II *और कर विशेषज्ञ उपस्थित थे।*
- बोर्ड ने कर लेखा परीक्षा अभ्यास सत्र श्रृंखला से तीन वेबिनार आयोजित किए, ताकि सदस्यों को कर लेखा परीक्षा करते समय अनुपालन के बारे में जागरूक किया जा सके।
- तकनीकी समीक्षकों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम 18 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया। एनआईआरसी और सीआईआरसी के तकनीकी समीक्षकों ने प्रत्यक्ष या वर्चुअल माध्यम से भाग लिया, जबकि अन्य ऑनलाइन शामिल हुए। कार्यक्रम में तकनीकी समीक्षकों की भूमिका, टीएक्यूआरबी वेब पोर्टल पर रिपोर्टिंग और कर लेखा परीक्षा समीक्षा चेकलिस्ट पर टीएक्यूआरबी नेतृत्व और अधिकारियों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। तकनीकी समीक्षकों द्वारा उठाए गए कई प्रश्नों के उत्तर दिए गए।

(III) बोर्ड के आधिकारिक एक्स (ट्विटर) हैंडल पर नियमित अपडेट **-**

बोर्ड के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट @Taqrbicai को नियमित रूप से 'टैक्स ऑडिट टिप्स' श्रृंखला के साथ अपडेट किया जा रहा है, ताकि सदस्यों को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने और दाखिल करने के दौरान ध्यान रखने योग्य अनुपालन के बारे में जागरूक किया जा सके।

(IV) **टीएक्यूआरबी** वेब पोर्टल: ड्राइविंग ऑटोमेशन **एवं** दक्षता **-**

परिचालन दक्षता बढ़ाने और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए, बोर्ड ने एक वेब पोर्टल (*taqrb.icai.org)* *तैयार* **किया है। यह पोर्टल** टीएक्यूआरबी **की रिपोर्टों, कार्यवृत्तों और केस फ़ॉलो-अप** के **एक केंद्रीकृत भंडार** का **कार्य करता है, जिससे निर्बाध दस्तावेज़ीकरण और पहुँच सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, यह प्रणाली विभिन्न स्तरों** (टीआर, टीएक्यूआरजी **और** टीएक्यूआरबी) **पर प्रमुख वर्कफ़्लो को स्वचालित करती है, जिसमें केस आवंटन, रिपोर्ट प्रस्तुत करना और प्रगति की वास्तविक समय ट्रैकिंग शामिल है। स्वचालन को एकीकृत करके, पोर्टल पारदर्शिता बढ़ाता है, समन्वय में सुधार करता है और निर्णय लेने में तेजी लाता है, जिससे** टीएक्यूआरबी **की दक्षता और डिजिटल परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत होती है। उपरोक्त कदमों से सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कर लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।**

6.8 प्रत्यक्ष कर समिति (डीटीसी)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की प्रत्यक्ष कर समिति (डीटीसी) प्रत्यक्ष कराधान से संबंधित मामलों की समर्पित एक प्रमुख समिति है। यह प्रत्यक्ष करों से संबंधित विधायी संशोधनों और प्रमुख मुद्दों पर अभिवेदन प्रस्तुत करके सरकार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और अन्य संबंधित मंचों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ती है। समिति का मुख्य उद्देश्य नई सामग्री के प्रकाशन, मौजूदा संसाधनों के अद्यतनीकरण और सेमिनारों, वेबिनारों और सम्मेलनों के आयोजन के माध्यम से प्रत्यक्ष कराधान में आईसीएआई सदस्यों के ज्ञान व कौशल को बढ़ाना है।

(I) प्रस्तुत इनपुट/ज्ञापन तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)/सरकारी विभागों आदि के साथ **जुड़ाव**

- आयकर विधेयक**, 2025** पर **आई.सी.ए.आई.** के सुझाव
  - 18 **सितंबर**, 2024 **को वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव की अध्यक्षता में हितधारक परामर्श में** आई.सी.ए.आई. **नेतृत्व द्वारा आयकर अधिनियम**, 1961 **की व्यापक समीक्षा पर प्रारंभिक सुझावों की प्रस्तुति सीबीडीटी के स्तर पर गठित समिति के समक्ष।**
  - **आयकर अधिनियम**, 1961 **की व्यापक समीक्षा पर** आई.सी.ए.आई. **के इनपुट** 24 **दिसंबर**, 2024 **को** प्रस्तुति।
  - 6 मार्च, 2025 को आयकर विधेयक, 2025 की जांच के लिए प्रवर समिति के समक्ष आई.सी.ए.आई. नेतृत्व द्वारा आयकर विधेयक, 2025 पर प्रारंभिक सुझावों की प्रस्तुति।
  - 21 अप्रैल, 2025 को आयकर विधेयक, 2025 पर सुझाव ज्ञापन प्रस्तुत करना।

- बजट पूर्व और पश्चात ज्ञापन की तैयारी और प्रस्तुति
  - ➢ बजट-पूर्व ज्ञापन **2024 - प्रत्यक्ष कर समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय परिषद के सदस्यों द्वारा** 24 **अप्रैल**, 2024 **और** 27 **जून**, 2024 **को सीबीडीटी के अध्यक्ष के समक्ष बजट-पूर्व सुझावों की प्रस्तुति और** 24 **अप्रैल** , 2024 **को बजट-पूर्व ज्ञापन**-2024 **और उसके परिशिष्ट को** 10 **मई**, 2024 **को प्रस्तुत करना।**
  - ➢ बजट-पूर्व ज्ञापन **2025 - प्रत्यक्ष कर समिति के अध्यक्ष द्वारा** 11 **नवंबर**, 2024 **को सीबीडीटी के अध्यक्ष के समक्ष बजट-पूर्व सुझावों की प्रस्तुति और** 24 **दिसंबर**, 2024 **को बजट-पूर्व ज्ञापन** - 2025 **पर प्रस्तुति**
  - ➢ 6 **अगस्त**, 2024 **को प्रस्तुत किया गया पश्चात**-बजट ज्ञापन **2024**
  - ➢ 13 **मार्च**, 2025 **को प्रस्तुत किया गया पश्चात**-बजट ज्ञापन **2025**
- परियोजना एकीकृत ई-फाइलिंग और सीपीसी (आईईसी) 3.0 और सीपीसी (टीडीएस) 2.0 के लिए इनपुट **की प्रस्तुति**
  - ➢ **13 दिसंबर, 2024 को आयकर विभाग को परियोजना एकीकृत ई-फाइलिंग और सीपीसी (आईईसी) 3.0 पर इनपुट प्रस्तुत करना।**
  - ➢ **23 दिसंबर, 2024 को आयकर विभाग को सीपीसी (टीडीएस) 2.0 पर इनपुट प्रस्तुत करना।**
- **नीति आयोग में गठित कर नीति पर परामर्शदात्री समूह में आई.सी.ए.आई. के प्रतिनिधि**

कर नीतियों, कर प्रशासन एवं कर अनुपालन में सुधार लाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और विवादों को कम करने के लक्ष्य को हासिल करने हेतु नीति आयोग में एक कर नीति परामर्श समूह का गठन किया गया है। प्रत्यक्ष कर समिति के अध्यक्ष को परामर्श समूह में आई.सी.ए.आई. का प्रतिनिधि नामित किया गया है। तीन बैठकें आयोजित की गईं और विवादों को कम करने और अनुपालन बोझ को कम करने के सुझाव तैयार किए गए और नीति आयोग में गठित कर नीति परामर्श समूह को प्रस्तुत किए गए।

- विश्व बैंक **के** बी-रेडी **प्रोजेक्ट** के लिए कराधान विषय के अंतर्गत अधिदेश को संचालित करने **हेतु** राजस्व विभाग द्वारा गठित संयुक्त कार्य समूह को कराधान विषय पर प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत करना

आउटरीच के लिए, क्षेत्रों में डब्ल्यूआईआरसी **और** एसआईआरसी **द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में बी-रेडी पर** 30 **मिनट के स्लॉट की व्यवस्था की गई थी।**

- **साइप्रस आयकर कानून पर आईसीएआई के इनपुट प्रस्तुत करना**

आईसीएआई को भारतीय उच्चायोग, निकोसिया (साइप्रस) से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था, जिसमें आयकर अधिनियम, 2002 में संशोधन के माध्यम से साइप्रस में चल रही व्यापक कर सुधार प्रक्रिया, विशेष रूप से व्यक्तिगत एवं कॉर्पोरेट कराधान से संबंधित प्रावधानों और हमारे हितधारकों, सदस्यों व उनके व्यवसायों के लिए लाभकारी परिवर्तनों पर इनपुट मांगे गए थे। समिति ने 29 अगस्त, 2024 को आयकर अधिनियम 2022 में संशोधन के माध्यम से साइप्रस कर सुधार पर आईसीएआई के इनपुट प्रस्तुत किए।

(II) कर मामलों से संबंधित चिंताओं के समाधान के लिए सीबीडीटी को अभ्यावेदन

समिति ने सीबीडीटी के समक्ष निम्नलिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे-

- **पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31.7.2024 तक बढ़ाई गई**
- **धारा** 111क **के अंतर्गत प्रभार्य अल्पकालिक पूंजीगत लाभ और धारा** 112 **के अंतर्गत प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर आयकर के संबंध में धारा** 87क **के अंतर्गत छूट की अनुमति देना**
- **पुरानी कर व्यवस्था के तहत मूल आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले पात्र करदाताओं की धारा 139(1) के तहत नियत तिथि के बाद संशोधित रिटर्न दाखिल करने संबंधी चिंताओं का समाधान करना।**
- **निम्नलिखित से संबंधित चिंताओं का समाधान करना -**
  - ➢ **वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा संशोधन के अनुरूप फॉर्म संख्या 10**ख**/10**खख **को अद्यतन न किए जाने के कारण फॉर्म संख्या 10**ख**/10**खख **और आईटीआर 7 में भिन्नता**

- 9 अक्टूबर 2023 के परिपत्र संख्या 17/2023 में दिए गए स्पष्टीकरण की प्रयोज्यता को केवल वि.व.2023-24 तक सीमित करना

- आकलन वर्ष 2024-2025 हेतु कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय आने वाली वास्तविक कठिनाई का समाधान
- ई-फाइलिंग पोर्टल में धारा 44कख के तहत ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा यूडीआईएन को अद्यतन करने की समय सीमा को आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि अर्थात 31 अक्टूबर, 2024/30 नवंबर, 2024 तक बढ़ाया जाना, जैसा भी मामला हो।
- सेफ हार्बर नियमों की प्रयोज्यता को निर्धारण वर्ष 2024-25 और निर्धारण वर्ष 2025-26 तक विस्तारित करना
- 1 अक्टूबर 2024 के बाद ब्याज बंद करने संबंधी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं के आलोक में राष्ट्रीय बचत योजना (एनएसएस) से निकासी पर कर छूट/राहत
- दाखिल आयकर रिटर्न में फॉर्म 26एएस में दिखाई गई आय को न दर्शाने के कारण दोषपूर्ण रिटर्न के लिए धारा 139(9) के तहत सूचना प्राप्त होने से उत्पन्न चिंता का समाधान
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिटर्न दाखिल करने में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओं और पेशेवरों को होने वाली वास्तविक कठिनाई का समाधान करना
- कुछ मामलों में दोषपूर्ण रिटर्न के लिए धारा 139(9) के तहत भेजी जा रही सूचनाओं के कारण उत्पन्न चिंताओं का समाधान करना
- अनुसूची 5क भरते समय करदाताओं की चिंताओं का समाधान करने का अनुरोध - आयकर रिटर्न में पुर्तगाली नागरिक संहिता द्वारा शासित पति-पत्नी के बीच आय के बंटवारे के बारे में जानकारी
- उन करदाताओं के लिए एक बार की छूट, जिन्होंने आयकर रिटर्न में विदेशी आय या परिसंपत्तियों से संबंधित आवश्यक जानकारी का खुलासा करना भूल गए हैं।
- एकीकृत सर्व-समावेशी पहचान पत्र के रूप में कार्य करने के लिए पैन 2.0 परियोजना का विस्तार
- 31 मार्च 2019 से पहले की अवधि से संबंधित टीडीएस रिटर्न के लिए सुधार विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 से बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दी गई है।
- कटौतीकर्ता द्वारा काटे गए और जमा किए गए अतिरिक्त कर को भी कटौतीकर्ता के फॉर्म 26एएस में दर्शाया जाना चाहिए ताकि देय क्रेडिट दिया जा सके।
- ऑनलाइन सुधार आवेदन दाखिल करते समय करदाताओं के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना तथा क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारियों द्वारा जारी सुधार आदेशों को प्रभावी करने में देरी और धारा 119(2)(ख) के तहत आदेश के अनुसरण में दाखिल रिटर्न के प्रसंस्करण में देरी के कारण होने वाली चिंताओं का समाधान करना।

(III) जारी किए गए प्रकाशन

- मार्च, 2024 में फॉर्म संख्या 3सीडी और फॉर्म संख्या 3सीईबी में संशोधन पर कार्यान्वयन मार्गदर्शिका
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क/10(23ग) के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर मार्गदर्शन नोट
- विदेशी कर क्रेडिट तंत्र एवं घरेलू कर कानूनों के साथ अंतर्क्रिया।
- तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी एवं शुल्क के कराधान में विवाद - एक अध्ययन
- अंतर्राष्ट्रीय कराधान में डिप्लोमा के लिए पृष्ठभूमि सामग्री (नौवां संस्करण)
- यूएई कॉर्पोरेट टैक्स पर सर्टिफिकेट कोर्स के लिए पृष्ठभूमि सामग्री (द्वितीय संस्करण)

(IV) सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशालाएं/वीसीएम/वेबिनार/रिफ्रेशर कोर्स

प्रत्यक्ष कर समिति ने प्रत्यक्ष करों से संबंधित विषयों पर 78 सेमिनार/सम्मेलन और 32 वीसीएम/वेबकास्ट आयोजित किए, जैसे *आयकर विधेयक का अवलोकन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के 2025 के हालिया न्यायिक निर्णय, हालिया संशोधनों सहित ट्रस्टों/एनजीओ का कराधान, केंद्रीय बजट 2025-26 का गहन विश्लेषण, स्थानांतरण मूल्य निर्धारण का भविष्य: वैश्विक और घरेलू कर सुधारों का प्रभाव, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजनाओं के कर*

निहितार्थ, निवास और पीओईएम की अवधारणा, कर लेखा परीक्षा अनुपालन आवश्यकताएं - एक विस्तृत दृश्य, विदेशी कर क्रेडिट का परिचय और जटिलताएं, पूंजीगत लाभ में दिलचस्प मुद्दे आदि।

(V) अंतर्राष्ट्रीय कराधान में **पोस्ट क्वालिफिकेशन** डिप्लोमा/यूएई कॉर्पोरेट टैक्स पर सर्टिफिकेट कोर्स

समिति ने अंतर्राष्ट्रीय कराधान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के निम्नलिखित बैच संचालित किए हैं:

ऑनलाइन मोड के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कराधान में डिप्लोमा

बैच संख्या	बैच **का** स्थान	बैच प्रारंभ होने की तिथि	प्रतिभागियों की संख्या	स्थिति
11वीं	ऑनलाइन	1.4.2025	199	पूर्ण
12वीं	ऑनलाइन	20.01.2025	227	पूर्ण

अंतर्राष्ट्रीय कराधान में डिप्लोमा - **फिजिकल** मोड

बैच संख्या	बैच **का** स्थान	बैच प्रारंभ होने की तिथि	प्रतिभागियों की संख्या	स्थिति
32 वां	गुरुग्राम	07.09.2024	62	पूर्ण
33 वां	मुंबई	21.09.2024	67	पूर्ण

यूएई कॉर्पोरेट टैक्स पर सर्टिफिकेट कोर्स - भारत में **फिजिकल** मोड

बैच संख्या	बैच **का** स्थान	बैच प्रारंभ होने की तिथि	प्रतिभागियों की संख्या	स्थिति
1	बेंगलुरु	14.12.2024	44	पूर्ण
2	चेन्नई	07.02.2025	59	पूर्ण

यूएई कॉर्पोरेट टैक्स पर सर्टिफिकेट कोर्स - ऑनलाइन मोड

बैच संख्या	बैच **का** स्थान	बैच प्रारंभ होने की तिथि	प्रतिभागियों की संख्या	स्थिति
4	ऑनलाइन	3.7.2024	200	पूर्ण
5	ऑनलाइन	19.11.2024	194	पूर्ण

(VI) अन्य पहल

- आयकर विधेयक, 2025 पर जन-संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन - राष्ट्र सृजन में सरकार के सहयोगी के रूप में, डीटीसी ने अब तक आयकर विधेयक, 2025 पर 30 जन-संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आगामी महीनों में और भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- दिल्ली और मुंबई में मेगा कार्यक्रमों, बजट अवलोकन कार्यशालाओं और केंद्रीय बजट पर वेबिनार सहित केंद्रीय बजट पर कार्यक्रम आयोजित किए गए।

6.9 **स्थिरता** रिपोर्टिंग मानक बोर्ड (एसआरएसबी)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) की देश के सतत विकास के साथ-साथ आर्थिक विकास में योगदान देने की परंपरा रही है। आई.सी.ए.आई. सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में मुख्यधारा की व्यावसायिक पद्धतियों के भीतर स्थिरता रिपोर्टिंग व सोच लाने का प्रयास करता है। एसआरएसबी के माध्यम से आई.सी.ए.आई. न केवल सस्टेनेबिलिटी डोमेन में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के लिए अवसरों की पहचान करने और उन्हें विकसित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है, बल्कि कार्यशालाओं, सेमिनारों और सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन करके सदस्यों के ज्ञान को बढ़ाने, कौशल को बढ़ाने और प्रशिक्षित करने और स्थिरता डोमेन के भीतर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर तकनीकी साहित्य प्रकाशित करने का भी काम कर रहा है। इसके अलावा, देश में सस्टेनेबिलिटी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में, जिससे हरित, निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त होगा, संस्थान दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम कर रहा है। पहला, मौजूदा सस्टेनेबिलिटी संबंधी प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुपालन को बढ़ावा देना। दूसरा, स्थिरता संबंधी जोखिमों और कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के बीच एक ठोस सेतु बनाने के लिए आश्वासन ढाँचे को मज़बूत करना।

(I) महत्वपूर्ण घटनाएँ

आईसीएआई सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग अवाड्र्स 2023-24

1 फरवरी, 2025 को यशोभूमि, नई दिल्ली में आयोजित आई.सी.ए.आई. सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग अवाड्र्स 2023-24 ने विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों द्वारा विभाजित लार्ज-कैप, मिड-कैप, स्मॉल-कैप और स्वैच्छिक प्रकटीकरण श्रेणियों में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता को मान्यता दी। इन पुरस्कारों ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप पारदर्शिता और स्थिरता के प्रति आई.सी.ए.आई. के समर्पण को दर्शाया। नामांकन प्रक्रिया 15 अक्टूबर, 2024 को शुरू हुई, जिसमें 152 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं, जिनमें से 151 योग्य प्रविष्टियों की समीक्षा 11 जनवरी, 2025 को एक शील्ड पैनल समिति द्वारा की गई। इसके बाद, 17 जनवरी, 2025 को मुंबई में आयोजित एक बैठक में एक प्रतिष्ठित निर्णायक मंडल द्वारा शीर्ष 28 नामांकनों का मूल्यांकन किया गया।

निर्णायक मंडल ने आई.सी.ए.आई. सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पुरस्कार 23-24 के लिए विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पुरस्कार विजेताओं का चयन किया, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

- लॉर्ज कैप

  विनिर्माण क्षेत्र - मैरिको लिमिटेड

  सेवा क्षेत्र - परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड; गेल (इंडिया) लिमिटेड

- मिड कैप

  विनिर्माण क्षेत्र - अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड

  सेवा क्षेत्र - आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड

- स्मॉल कैप

  विनिर्माण क्षेत्र - रैलिस इंडिया लिमिटेड

  सेवा क्षेत्र - सास्केन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

- स्वैच्छिक प्रकटीकरण

  विनिर्माण क्षेत्र - कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड

  सेवा क्षेत्र - बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

(II) वर्ष के दौरान आयोजित कार्यक्रम

- **लेखांकन में सस्टेनेबिलिटी और नैतिकता पर सीए का राष्ट्रीय सम्मेलन : एक बेहतर कल का सृजन** 22-23 अगस्त, 2024 को आईएमएस कॉलेज, गाजियाबाद में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित वक्ताओं ने स्थायी पूंजी बाजार, कर चोरी, ईएसजी रिपोर्टिंग, हरित विकास के लिए जीएसटी, वित्तीय और सस्टेनेबिलिटी डेटा में स्वचालन, विकास की बाधाओं को दूर करना और वर्क-लाइफ बैलेंस जैसे विषयों पर चर्चा की। कार्यक्रम में 231 सदस्यों ने भाग लिया।

- **सेमिनार / वेबिनार**

बोर्ड ने "सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग और सोशल स्टॉक एक्सचेंज, दुनिया भर में सबसे अधिक प्रचलित विषय" पर 10 सेमिनार आयोजित किए - ईएसजी सिद्धांतों और बीआरएसआर को समझने पर केंद्रित व्यापक कार्यक्रम, "सामाजिक ऑडिट - विश्वास निर्माण और प्रभाव को बढ़ाना: सतत विकास में सामाजिक ऑडिट की भूमिका", "ईएसजी - दुनिया भर में सबसे अधिक प्रचलित विषय एक व्यापक ईएसजी और बीआरएसआर कार्यक्रम" आदि। बोर्ड ने विभिन्न वेबिनार भी आयोजित किए।

- **सस्टेनेबिलिटी संबंधी मामलों पर नियामकों और अन्य को प्रदान की गई जानकारी:**

  - सामाजिक प्रभाव आकलन मानकों के लिए एकीकृत ढांचे के संबंध में इनपुट एसएसईएसी (सोशल स्टॉक एक्सचेंज सलाहकार समिति) के उपसमूह को प्रस्तुत किए गए। एसएसईएसी के उपसमूह के साथ 16 मार्च, 3 अप्रैल, 10 अप्रैल और 16 अप्रैल, 2024 को 4 बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों का उद्देश्य आई.सी.ए.आई. की ओर से किए गए परिवर्तनों और समीक्षाओं पर चर्चा करना था।

  - वर्ष 2023-24 के लिए बीआरएसआर सस्टेनेबिलिटी सूचना पर आश्वासनकर्ताओं के लिए एक मार्गदर्शन दस्तावेज़ तैयार करने हेतु एक अध्ययन समूह का गठन किया गया। 17 और 18 अप्रैल, 2024 को समूह की 2 बैठकें आयोजित की गईं। 18 अप्रैल, 2024 की बैठक में आश्वासनकर्ताओं और बीआरएसआर रिपोर्ट तैयार करने वालों दोनों ने भाग लिया।

  - 18-21 जून, 2024 को मैड्रिड, स्पेन में आयोजित आईएफएसी के अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (आईएएएसबी) की बैठक के लिए स्थिरता आश्वासन पर प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय मानक (आईएसएसए) -5000, स्थिरता आश्वासन संलग्नता के लिए सामान्य आवश्यकताओं पर इनपुट प्रदान किए गए।

  - व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व रिपोर्ट (बीआरएसआर) के संबंध में व्यवसाय करने में आसानी के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर सेबी परामर्श पत्र पर इनपुट प्रस्तुत किए गए।

  - जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण से संबंधित आईएफआरएस एस2 पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को इनपुट प्रदान किया गया।

  - जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण से संबंधित आईएफआरएस एस2 पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को इनपुट प्रदान किया गया।

  - व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थायित्व रिपोर्ट (बीआरएसआर) के संबंध में व्यवसाय करने में आसानी के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर सेबी परामर्श पत्र पर इनपुट प्रस्तुत किए गए।

  - सतत वित्तीय ढाँचे के दायरे के विस्तार पर सेबी परामर्श पत्र पर इनपुट प्रस्तुत किए गए। ये इनपुट सेबी द्वारा जारी उपरोक्त पत्र के प्रत्युत्तर में संकलित किए गए हैं। 33वीं बोर्ड बैठक में टिप्पणियों को अंतिम रूप दिया गया और 6 सितंबर, 2024 को सेबी को ऑनलाइन टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गईं।

  - मूल्य श्रृंखला, हरित ऋण और व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व रिपोर्ट (बीआरएसआर) से संबंधित व्यावसायिक सुगमता हेतु विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर परामर्श पत्र में उल्लिखित आश्वासन शब्द के प्रतिस्थापन जैसे पहलुओं पर हितधारकों के विचार जानने के लिए एक गोलमेज बैठक आयोजित की गई। सेबी द्वारा जारी उपरोक्त पत्र के प्रत्युत्तर में इनपुट संकलित किए गए। 31वीं बोर्ड बैठक में टिप्पणियों को अंतिम रूप दिया गया और 12 जून, 2024 को सेबी को ऑनलाइन टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गईं।

(III) आईसीएआई की 75वीं वर्षगांठ पर आईसीएआई#75 हरित महोत्सव का शुभारंभ

अपनी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, आईसीएआई ने एसआरएसबी और पीआरसी के साथ मिलकर भारत वन महोत्सव और प्रधानमंत्री के 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत 1,00,000 पेड़ लगाने की एक प्रमुख पर्यावरणीय पहल शुरू की है। यह प्रयास पर्यावरण संरक्षण और व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अब तक, 22 शाखाओं ने 8,104 पेड़ लगाए हैं, और 557 सदस्यों ने पूरे भारत में 2,648 पेड़ लगाए हैं। भाग लेने वाले सदस्यों को 557 प्रशंसा प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

(IV) सस्टेनेबिलिटी और बीआरएसआर पर भौतिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

- पहला बैच एर्नाकुलम में आयोजित किया गया (दिसंबर 08, 14, 15, 21 और 22, 2024), जबकि दूसरा बैच बेंगलुरु में आयोजित किया गया (दिसंबर 13, 14, 20, 21 और 27, 2024)

(V) सस्टेनेबिलिटी और बीआरएसआर पर ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

- बोर्ड ने सस्टेनेबिलिटी और बीआरएसआर के ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स के 26 बैच सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं और 27वां बैच चल रहा है। अब तक लगभग 2394 प्रतिभागियों ने इस कोर्स में दाखिला लिया है। ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स 1 अप्रैल, 2024 से 31 मई, 2025 तक आयोजित किया जाएगा।

क्र. सं.	बैच	तारीख	नामांकित प्रतिभागियों की संख्या
1.	23वां बैच	18 मई से 16 जून, 2024	185
2.	24वां बैच	17 अगस्त से 15 सितंबर, 2024 तक	161
3.	25वां बैच	9 नवंबर से 8 दिसंबर, 2024 तक	202
4.	26वां बैच	5 अप्रैल से 27 अप्रैल, 2025 तक	210
5	27वां बैच	10 मई से 01 जून, 2025	71

(VI) प्रकाशन

- **सेबी विनियमों और अन्य प्रासंगिक सूचनाओं का संकलन**
- **स्थिरता और व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) पर पृष्ठभूमि सामग्री - संशोधित संस्करण 2024**

6.10 दिवालियापन **एवं** मूल्यांकन मानक बोर्ड

आई.सी.ए.आई. का दिवाला एवं मूल्यांकन मानक बोर्ड (आईएंडवीएसबी) वर्ष 2024-2025 में इस पेशे के सशक्तिकरण हेतु एक साधन के रूप में गठित किया गया है और इसका उद्देश्य दिवाला एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों के साथ एक निष्पक्ष कॉर्पोरेट व्यवस्था को सुगम बनाना है। इसके अलावा, बोर्ड का गठन आई.सी.ए.आई. मूल्यांकन मानकों 2018 के निर्माण, कार्यान्वयन और मान्यता हेतु गतिविधियों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया है। दिवाला एवं मूल्यांकन मानक बोर्ड (आईएंडवीएसबी) दिवाला एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में पारदर्शी और सुसंगत मानकों की स्थापना और संवर्धन करके वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ और पहल

(I) आईबीबीआई/एमसीए द्वारा प्रस्तुत विभिन्न चर्चा पत्रों पर भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) को सुझाव प्रस्तुत करना -

दिवाला एवं मूल्यांकन मानक बोर्ड ने प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा के लिए आई.सी.ए.आई. के भारतीय दिवाला पेशेवर संस्थान (आईआईआईपीआई) के साथ संयुक्त रूप से गोलमेज चर्चा आयोजित की है। निम्नलिखित चर्चा पत्रों पर सुझाव तैयार किए गए, संकलित किए गए और आईबीबीआई को प्रस्तुत किए गए:

- सीआईआरपी के अंतर्गत निगरानी समिति पर चर्चा पत्र
- दिवाला पेशेवरों (आईपी) द्वारा आईबीबीआई को प्रस्तुत सीआईआरपी फॉर्मों की समीक्षा द्वारा अनुपालन को कम करने पर चर्चा पत्र
- धारा 9 आवेदन दाखिल करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एए) से संपर्क करने से पहले परिचालन ऋणदाताओं (ओसी) द्वारा मध्यस्थता पर चर्चा पत्र
- शिकायत निवारण और प्रवर्तन ढांचे की समीक्षा और असाइनमेंट के लिए प्राधिकरण के संबंध में समयसीमा के युक्तिकरण पर चर्चा पत्र
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 में संशोधन पर चर्चा पत्र
- रियल एस्टेट से संबंधित मुद्दों पर चर्चा पत्र
- परिसमापन प्रक्रिया के दौरान प्रगति रिपोर्ट के प्रारूप पर चर्चा पत्र
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट प्रक्रिया के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 में संशोधन पर चर्चा पत्र

- सीआईआरपी के तहत एमएसएमई पंजीकरण और प्रकटीकरण ढांचे पर चर्चा पत्र
- "सूचना उपयोगिता द्वारा चूक का रिकॉर्ड जारी करने की प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण" विषय पर चर्चा पत्र

(II) दिवाला एवं मूल्यांकन मानक बोर्ड, आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी प्रकाशन

- **दिवालियापन समाधान और मूल्यांकन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन - रिज़ॉल्व-2024 पर श्वेत पत्र -** आई.सी.ए.आई. के दिवालियापन और मूल्यांकन मानक बोर्ड (आई एंड वीएसबी) ने आईबीबीआई के सहयोग से 12-13 जुलाई, 2024 को नई दिल्ली में दिवालियापन समाधान और मूल्यांकन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन - रिज़ॉल्व 2024 - का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में चुनौतियों पर चर्चा करने और भारतीय दिवालियापन प्रथाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए वैश्विक विशेषज्ञ एकत्रित हुए। नौ तकनीकी सत्रों और सात पैनल चर्चाओं वाले इस सम्मेलन में दिवालियापन ढाँचे को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 में सुधारों के मार्गदर्शन के लिए प्रमुख अंतर्दृष्टि, मुद्दों और सिफारिशों का सारांश प्रस्तुत करते हुए एक श्वेत पत्र तैयार किया गया।
- **अंतर्राष्ट्रीय दिवाला समाधान एवं मूल्यांकन सम्मेलन - रिज़ॉल्व 2024 में हुई चर्चाओं से उत्पन्न मुद्दे और सिफ़ारिशें -** सम्मेलन में हुई विस्तृत चर्चाओं के आधार पर, बोर्ड ने रिज़ॉल्व-2024 के दौरान हुए विचार-विमर्श से उत्पन्न मुद्दों और सिफ़ारिशों पर विशेष रूप से केंद्रित एक दस्तावेज़ प्रकाशित किया है। यह दस्तावेज़ नियामकों, नीति निर्माताओं, न्यायपालिका और अन्य हितधारकों को आगे की कार्रवाई करने, कमियों को दूर करने और समाधान प्रदान करने में मदद करेगा। इसके अलावा, यह दिवाला पेशेवरों और पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं सहित सभी हितधारकों को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेगा और दिवाला पेशेवरों और मूल्यांकनकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करेगा, जिससे उन्हें दिवाला समाधान और मूल्यांकन में बेहतर प्रथाओं के लिए मार्गदर्शन मिलेगा।
- **दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 श्रृंखला-5 के अंतर्गत न्यायिक निर्णय -** यह प्रकाशन एक सतत श्रृंखला का हिस्सा है जिसका उद्देश्य आईबीसी ढांचे की विकसित होती न्यायिक व्याख्याओं के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाना है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, एनसीएलएटी और एनसीएलटी द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णयों का सारांश प्रस्तुत किया गया है, जिन्होंने प्रावधानों को स्पष्ट किया है, अस्पष्टताओं का समाधान किया है और दिवाला समाधान के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत किया है। इस श्रृंखला के माध्यम से, आईएंडवीएसबी हितधारकों को प्रक्रियात्मक जटिलताओं की व्यावहारिक समझ प्रदान करता है, जिससे दिवाला समाधान प्रक्रियाओं में अधिक विशेषज्ञता और दक्षता को बढ़ावा मिलता है।
- **कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के दौरान समय-सीमाओं को पूरा करने और मूल्य को बढ़ाने में आईबीसी, 2016 की प्रभावकारिता पर एक अध्ययन -** यह शोध अध्ययन कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में देरी, परिसंपत्ति प्राप्ति मूल्यों पर उनके प्रभाव और सीआईआरपी के तहत निष्क्रिय कंपनियों की व्यापकता का विश्लेषण प्रदान करता है। इन कारकों की जाँच और कार्यान्वयन योग्य सुझाव प्रदान करके, इस अध्ययन का उद्देश्य दिवाला कार्यवाही की दक्षता और प्रभावकारिता को बढ़ाने और भारत में एक अधिक मज़बूत समाधान ढाँचे को बढ़ावा देने की दिशा में एक मार्गदर्शक प्रदान करना है।
- **आईसीएआई मूल्यांकन मानक 302- अमूर्त संपत्ति पर शैक्षिक सामग्री-** यह शैक्षिक सामग्री अमूर्त परिसंपत्तियों के मूल्यांकन की जटिल प्रक्रिया पर स्पष्टता और मार्गदर्शन प्रदान करना इसका उद्देश्य है, जो अक्सर किसी कंपनी के मूल्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। यह प्रकाशन आई.सी.ए.आई. मूल्यांकन मानकों 2018 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रियाओं पर व्यावहारिक अंतर्दृष्टि, केस स्टडी और विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह पूरे भारत में सुसंगत और एकरूप प्रथाओं का समर्थन करता है और मूल्यांकनकर्ताओं की दक्षता और विशेषज्ञता को बढ़ाने में योगदान देता है, जिससे अंततः वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।
- **दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संशोधित फरवरी 2025 संस्करण) के अंतर्गत विनियमों में संशोधनों का सारांश -** इस प्रकाशन का उद्देश्य 2023 और 2024 में शुरू किए गए आईबीसी ढाँचे में प्रमुख नियामक अद्यतनों का संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करना है। ये संशोधन, दिवाला पेशेवरों, सूचना उपयोगिताओं, कॉर्पोरेट दिवाला, परिसमापन और निरीक्षण प्रक्रियाओं जैसे विभिन्न पहलुओं को संबोधित करते हुए, संहिता की दक्षता व कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। उल्लेखनीय परिवर्तनों में ऋणदाताओं की समिति को समाधान प्रक्रियाओं के दौरान ऑडिट को मंजूरी देने की अनुमति देना, रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए अलग बैंक खाते अनिवार्य करना, ऋणदाता प्रतिनिधियों के लिए शुल्क संशोधित करना और समय पर समिति की बैठकें सुनिश्चित करना शामिल है।

- **यूनिकॉर्न, सूनिकॉर्न और मूल्यांकन का मिथक - स्टार्टअप विकास और स्थायित्व की एक गहन परीक्षा - श्रृंखला 1 -** यह बुकलेट स्टार्टअप्स की गतिशील दुनिया में गहराई से उतरती है, और आइडिया से लेकर यूनिकॉर्न बनने तक उनके मूल्यांकन प्रतिमानों की पड़ताल करती है। भारत के नवाचार के एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने के साथ, यह बुकलेट स्टार्टअप मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले कारकों की पड़ताल करती है, जिसमें अप्रमाणित उत्पादों, अनिश्चित विकास अनुमानों और अमूर्त संपत्तियों से उत्पन्न चुनौतियाँ शामिल हैं। इस बुकलेट में स्विगी, फ्लिपकार्ट और ओला जैसी प्रमुख कंपनियों के वास्तविक उदाहरण दिए गए हैं, जो उनकी विशिष्ट मूल्यांकन यात्राओं और रणनीतिक निर्णयों को दर्शाते हैं जिन्होंने उनकी सफलता के मार्ग को निर्धारित किया है।
- **दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (संशोधित फरवरी 2025 संस्करण) -** यह प्रकाशन भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के सहयोग से आईसीएआई के आई एंड बीएसबी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। **यह प्रकाशन प्रश्नोत्तर प्रारूप में तैयार किया गया है, जिसमें प्रश्नों का विस्तृत विवरण दिया गया है ताकि हमारे सदस्यों और अन्य हितधारकों को दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के विभिन्न पहलुओं पर** वैचारिक स्पष्टता प्राप्त हो **सके। इसके** अलावा, **उपयुक्त प्रकरण-कानूनों को भी शामिल किया गया है ताकि संहिता के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से समझा जा सके और व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी भी प्राप्त की जा सके।**
- **दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संशोधित फरवरी 2025 संस्करण) के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपी) के संदर्भ में क्या करें और क्या न करें पर पुस्तिका -** यह पुस्तिका दिवाला पेशेवरों (आईपी) को आईबीसी और आईबीबीआई आचार संहिता के अंतर्गत उनकी भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और नियामक अनुपालन के बारे में मार्गदर्शन करती है। यह आईपी को अपने कर्तव्यों को सम्यक उद्यम के साथ समझने और पूरा करने में मदद करती है, और प्रभावी एवं अनुपालन योग्य दिवाला समाधान सुनिश्चित करने के लिए अच्छी पद्धतियों और प्रतिबंधों पर हाल के संशोधनों और न्यायिक निर्णयों को दर्शाती है।
- **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत दावों पर पुस्तिका (संशोधित फरवरी 2025 संस्करण-** यह संशोधित प्रकाशन दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत दावों के प्रस्तुतीकरण, स्वीकृति, सत्यापन और प्रबंधन पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसमें सीआईआरपी और परिसमापन जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसमें प्रावधान, समयसीमा, प्रपत्र, एफएक्यू और केस कानून शामिल हैं, जो दिवाला पेशेवरों को दावों को कुशलतापूर्वक और अनुपालनपूर्वक संभालने में मदद करते हैं। यह अद्यतन दावों के समावेशन और स्वीकृति की समयसीमा पर हाल के संशोधनों और न्यायिक निर्णयों को दर्शाता है।
- **दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत समाधान योजना पर पुस्तिका (संशोधित फरवरी 2025 संस्करण) -** यह संशोधित पुस्तिका दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत समाधान योजनाओं के जटिल पहलुओं पर पेशेवरों का मार्गदर्शन करती है। इसमें प्रस्तुतीकरण और अनुमोदन प्रक्रियाओं, अनिवार्य विषयों, और समाधान आवेदकों से अभिरुचि पत्र आमंत्रित करने से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है। इस अद्यतन संस्करण में हाल के संशोधनों और न्यायिक निर्णयों को शामिल किया गया है, जो दिवाला पेशेवरों को भारत में कुशल दिवाला समाधान के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं।
- **आईबीबीआई लिमिटेड इन्सॉल्वेंसी परीक्षा पर क्वेश्चन बैंक (संशोधित फरवरी 2025 संस्करण) -** क्वेश्चन बैंक का उद्देश्य आईबीबीआई द्वारा आयोजित लिमिटेड इन्सॉल्वेंसी परीक्षा की तैयारी में पेशेवरों की सहायता करना है। यह परीक्षा एक इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने की एक आवश्यक शर्त है, जो इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत इन्सॉल्वेंसी और दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस संशोधित संस्करण में अपने पिछले संस्करण के बाद से हुए संशोधनों और अद्यतनों को शामिल किया गया है, जो नवीनतम नियामक परिवर्तनों के साथ संरेखण सुनिश्चित करता है। यह प्रकाशन इच्छुक इन्सॉल्वेंसी पेशेवरों को कोड को समझने और अपनी पेशेवर यात्रा में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायता करने के लिए एक व्यावहारिक और उपयोगी संसाधन के रूप में कार्य करता है। विभिन्न संशोधनों और परिवर्तनों के कारण, इस प्रकाशन को संशोधित किया गया है।
- **दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 पर सर्टिफिकेट कोर्स के लिए पृष्ठभूमि सामग्री-** आई.सी.ए.आई. के दिवाला एवं शोधन अक्षमता मानक बोर्ड (आईएंडबीएसबी) ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 पर सर्टिफिकेट कोर्स के लिए पृष्ठभूमि सामग्री जारी की है। यह संसाधन प्रतिभागियों को दिवाला कानूनों, समाधान प्रक्रियाओं और नियमों को समझने में मदद करता है, जिससे उन्हें परीक्षा की तैयारी में मदद मिलती है। इसमें समाधान योजना, लेनदारों की बैठकें और बोली मूल्यांकन जैसे प्रमुख विषयों को शामिल किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिवाला पेशेवर पारदर्शिता और कानूनी अनुपालन बनाए रखें। इस पहल का उद्देश्य कुशल पेशेवरों को विकसित करना और वित्तीय प्रणाली में विश्वास को मजबूत करना है।

(III) "प्रतिभूतियों या वित्तीय परिसंपत्तियों" के अतिरिक्त अन्य दो परिसंपत्ति वर्गों अर्थात् "संयंत्र और मशीनरी" तथा "भूमि व भवन" के लिए आईसीएआई मूल्यांकन मानकों का विकास

दिवाला एवं मूल्यांकन मानक बोर्ड भूमि एवं भवन, संयंत्र एवं मशीनरी, तथा प्रतिभूतियों एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए मूल्यांकन मानक विकसित कर रहा है। संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण, अचल संपत्ति हित, और विकास संपत्ति के लिए मसौदे तैयार किए जा चुके हैं, और निर्माण प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है।

(IV) अंतर्राष्ट्रीय दिवाला समाधान और मूल्यांकन सम्मेलन का दूसरा संस्करण "रिजॉल्व- 2024" 12-13 जुलाई 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

आईसीएआई के दिवाला एवं मूल्यांकन मानक बोर्ड ने रिज़ॉल्व-2024: दिवाला समाधान एवं मूल्यांकन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। 12 और 13 जुलाई को भारत मंडपम, आईटीपीओ, नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम का विषय था "सक्षम समाधान, अधिकतम मूल्य"। यह दिवाला एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में वैश्विक अच्छी पद्धतियों के आदान-प्रदान के लिए एक आकर्षक मंच साबित हुआ। इस सम्मेलन में लगभग 500 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिससे यह इन क्षेत्रों में उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा देने की हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया। सम्मेलन में नौ तकनीकी सत्र और सात पैनल चर्चाएँ हुईं, जिनमें मूल्य को अधिकतम करने और दिवाला ढाँचे को बेहतर बनाने पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी।

(V) त्रैमासिक ई-न्यूज़लेटर "वैल्यूएशन एज" -

दिवाला एवं मूल्यांकन मानक बोर्ड अपने सदस्यों को मूल्यांकन एवं दिवाला कानूनों के बदलते परिदृश्य से लगातार अवगत और अवगत रखने के लिए "वैल्यूएशन एज" नामक त्रैमासिक ई-न्यूज़लेटर जारी कर रहा है। बोर्ड ने मार्च 2024, जून 2024, सितंबर 2024, जनवरी 2025 और मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए ई-न्यूज़लेटर के 5 संस्करण जारी किए हैं।

(VI) दिवाला एवं मूल्यांकन मानक बोर्ड द्वारा मासिक नॉलेज कॉर्नर

दिवाला एवं मूल्यांकन मानक बोर्ड, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत आने वाले मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, एनसीएलएटी और एनसीएलटी के निर्णयों पर आधारित महत्वपूर्ण केस विश्लेषण को कवर करते हुए, मासिक आधार पर समाचार अपडेट और केस लॉ अपडेट के रूप में आईबीसी पर नॉलेज कॉर्नर प्रस्तुत करता रहा है। इस पहल का उद्देश्य पेशेवरों को आईबीसी से संबंधित नवीनतम घटनाक्रमों और कानूनी व्याख्याओं से अवगत रखना है, जिससे इस क्षेत्र में उनकी समझ और विशेषज्ञता बढ़े। बोर्ड ने 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 तक की अवधि के लिए नॉलेज कॉर्नर के 14 संस्करण जारी किए हैं ।

(VII) आईबीसी और मूल्यांकन पर मासिक प्रश्नोत्तरी

दिवाला एवं मूल्यांकन मानक बोर्ड ने सदस्यों के ज्ञान को बढ़ाने और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु अपनी रणनीतिक पहल के एक भाग के रूप में एक मासिक प्रश्नोत्तरी शुरू की है। सक्रिय भागीदारी के प्रोत्साहन के रूप में, शीर्ष तीन प्रतिभागियों को बोर्ड की ओर से प्रकाशन से पुरस्कृत किया जा रहा है। यह पहल न केवल सीखने को बढ़ावा देती है, बल्कि सदस्यों को दिवाला एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में वर्तमान घटनाक्रमों से अपडेट और जुड़े रहने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। बोर्ड ने 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 तक की अवधि के लिए मासिक प्रश्नोत्तरी की 14 श्रृंखलाएँ जारी की हैं।

(VIII) आई एंड वीएसबी द्वारा घोषणाएं

दिवाला एवं मूल्यांकन मानक बोर्ड, आईबीबीआई द्वारा जारी नए संशोधनों, परिपत्रों तथा अधिसूचनाओं के बारे में हितधारकों को अद्यतन करने हेतु आई.सी.ए.आई. वेबसाइट के आईएंडवीएसबी पृष्ठ पर घोषणाएं जारी करता है। इस अवधि के दौरान 40 घोषणाएं जारी की गई हैं।

(IX) आईबीबीआई के सहयोग से दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स

दिवाला एवं मूल्यांकन मानक बोर्ड, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 पर सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों को संहिता के प्रावधानों, संबंधित नियमों व विनियमों के बारे में शिक्षित करना है ताकि वे दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और इसके व्यावहारिक अनुप्रयोगों को समझ सकें। बोर्ड ने 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 तक की अवधि हेतु दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स के 11 बैच आयोजित किए हैं और इस अवधि के दौरान 950 से अधिक सदस्यों को प्रशिक्षित किया है।

(X) दिवाला एवं मूल्यांकन मानक बोर्ड, आईसीएआई द्वारा आईसीएआई के भारतीय दिवाला पेशेवर संस्थान (आईआईपीआई) के साथ संयुक्त रूप से आईसीएआई-एसएएफए वेबिनार का आयोजन

- 20 मार्च 2024 को "अंतर्राष्ट्रीय दिवाला-सर्वोत्तम प्रथाएँ" विषय पर प्रथम आई.सी.ए.आई.-एसएएफए वेबिनार आयोजित किया गया , जिसमें 15 विभिन्न देशों के 15 सदस्यों सहित 860 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया, जो वास्तव में वैश्विक जुड़ाव को दर्शाता है ।
- 24 जून 2024 को "आईबीसी के तहत सीमा पार दिवाला ढांचा" विषय पर दूसरा आई.सी.ए.आई.-एसएएफए वेबिनार 650 से अधिक प्रतिभागियों के साथ आयोजित किया गया ।

(XI) दिवाला एवं मूल्यांकन मानक बोर्ड, आईसीएआई द्वारा आयोजित दो दिवसीय आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

दिवाला एवं मूल्यांकन मानक बोर्ड ने 2024 में श्रीनगर, भुवनेश्वर, देहरादून और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में चार दो-दिवसीय आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए। ये पाठ्यक्रम आईसीएआई मूल्यांकन मानक 2018, मूल्यांकन और दिवाला एवं दिवालियापन कानूनों को बढ़ावा देने पर केंद्रित थे। प्रतिभागियों ने मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त की और मूल्यांकन एवं दिवाला के क्षेत्र में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के लिए अवसरों को समझा।

(XII) दिवाला और दिवालियापन कानून, मूल्यांकन और आईसीएआई मूल्यांकन मानक 2018 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार/सेमिनार

बोर्ड ने आईसीएआई मूल्यांकन मानक 2018, मूल्यांकन और दिवाला एवं दिवालियापन कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न राष्ट्रीय सम्मेलन/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/सेमिनार का आयोजन किया था।

6.11 अंतर्राष्ट्रीय कराधान समिति

अंतर्राष्ट्रीय कराधान समिति (सीआईटैक्स) का वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष कर समिति में विलय कर दिया गया था। हालाँकि, आयकर विधेयक, 2025 के लागू होने से प्रत्यक्ष कर एवं अंतर्राष्ट्रीय कराधान दोनों में कार्यक्षेत्र का दायरा काफ़ी बढ़ जाएगा। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम और यूएई कॉर्पोरेट टैक्स पर प्रमाणन पाठ्यक्रम, फिजिकल या वर्चुअल रूप में एक साथ चलने, अनेक प्रकाशनों और प्रत्यक्ष करों व अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित अनेक सेमिनारों, सम्मेलनों आदि के साथ, दोनों क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसे देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय कराधान समिति को वर्ष 2025-26 हेतु प्रत्यक्ष कर समिति से अलग कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कराधान समिति अंतर्राष्ट्रीय कर कानूनों और नीतियों से संबंधित मामलों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित सरकार द्वारा जारी किए गए कर कानूनों, नियमों, विनियमों, परिपत्रों व अधिसूचनाओं की जाँच करती है और ज्ञापनों के माध्यम से उपयुक्त सुझाव देती है। यह ओईसीडी/संयुक्त राष्ट्र के शोधपत्रों में प्रतिनिधित्व करता है, अनुसंधान को बढ़ावा देता है, सेमिनार और अध्ययन दौरे आयोजित करता है, तकनीकी सामग्री प्रकाशित करता है, और विदेशी निकायों के साथ समन्वय करता है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कराधान में सदस्यों के ज्ञान को बढ़ाना है।

पाठ्यक्रमों के संवर्धन हेतु समिति द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों का विवरण

आईसीएआई सदस्यों के पेशेवर ज्ञान और दक्षताओं को बढ़ाने के अपने सतत प्रयासों के हिस्से के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय कराधान समिति ने अंतर्राष्ट्रीय कराधान में डिप्लोमा (डीआईआईटी) और यूएई कॉर्पोरेट टैक्स पर सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन किया है।

संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

अवधि	बैच	माध्यम	से-तक
यूएई कॉर्पोरेट टैक्स पर सर्टिफिकेट कोर्स	तीसरा बैच	फिजिकल (पुणे)	12-04-2025 से 17-05-2025 तक
अंतर्राष्ट्रीय कराधान में डिप्लोमा (डीआईआईटी)	34वां बैच	फिजिकल (दिल्ली)	24-05-2025 से 10-08-2025 तक

इन कार्यक्रमों को देश भर के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है, जो अंतर्राष्ट्रीय कराधान और उभरते वैश्विक कर ढांचे में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने में मजबूत और बढ़ती रुचि को दर्शाता है।

6.12 कॉर्पोरेट कानून और कॉर्पोरेट प्रशासन समिति (**सीएलएंडसीजीसी**)

कॉर्पोरेट कानून एवं कॉर्पोरेट प्रशासन समिति (सीएलएंडसीजीसी) का उद्देश्य इस पेशे को सशक्त बनाना और वैश्विक अच्छी पद्धतियों के माध्यम से एक निष्पक्ष कॉर्पोरेट व्यवस्था को बढ़ावा देना है। यह समिति कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर नियामक ढाँचे को मज़बूत करती है और हितधारकों के अनुभव को बेहतर बनाने तथा कंपनी अधिनियम 2013 से संबंधित मामलों पर नियमित रूप से प्रतिनिधित्व और सुझाव प्रदान करती है। ज्ञान संवर्धन पर ध्यान केंद्रित

करते हुए, समिति संस्थान के सदस्यों को कॉर्पोरेट कानूनों से अवगत रहने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करती है, जिससे वे कॉर्पोरेट प्रशासन के उभरते परिदृश्य को प्रभावी ढंग से समझ सकें।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ और पहल

(I) सेबी परामर्श पत्र पर सुझाव

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 7 फरवरी 2025 को सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और सूचीबद्ध संस्थाओं के संबंधित पक्ष लेनदेन (आरपीटी) से संबंधित एक परामर्श पत्र जारी किया। समिति ने परामर्श पत्र की समीक्षा की, जिसमें सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण सलाहकार समिति (एसीएलओडी) की सिफारिशों के आधार पर पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से सेबी (एलओडीआर) विनियमों में संशोधन का प्रस्ताव है। तदनुसार, समिति ने सेबी को अपने सुझाव दिए।

(II) आयकर विधेयक, 2025 पर सुझाव

एमसीए के अनुरोध के जवाब में, आई.सी.ए.आई. ने आयकर विधेयक, 2025 से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। व्यापक विचार-विमर्श और विशेषज्ञ समूह द्वारा समीक्षा के पश्चात् अंतिम रूप दिए गए विस्तृत सुझावों को लोकसभा की माननीय प्रवर समिति को प्रस्तुत करने हेतु भेज दिया गया।

(III) एमसीए21 वी3 पोर्टल में नए ई-फॉर्म के सुचारू ट्रांजिशन में एमसीए का समर्थन करना

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए के सहयोग से, आईसीएआई का सीएलएंडसीजीसी, एमसीए21 संस्करण 3 पोर्टल के अंतर्गत 38 नए ई-फॉर्म, जिनमें महत्वपूर्ण वार्षिक फाइलिंग फॉर्म भी शामिल हैं, जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह पोर्टल 14 जुलाई, 2025 को लाइव होने गया है। सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और हितधारकों में जागरूकता बढ़ाने हेतु 4 से 14 जून, 2025 तक देशव्यापी आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए। आई.सी.ए.आई. ने उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) और पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं के समाधान में सहायता के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और अधिकारियों को भी नामित किया है। नियामक क्षमता सृजन में एक रणनीतिक भागीदार के रूप में, आई.सी.ए.आई. ज्ञान साझा करने और अनुपालन संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न स्थानों पर एमसीए के साथ मिलकर सेमिनार और वेबिनार आयोजित कर रहा है।

(IV) कंपनियों और एलएलपी नियमों के सरलीकरण पर सिफारिश

पूर्व-विधायी परामर्श नीति के अंतर्गत, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी नियम, 2014 और एलएलपी नियमों की व्यापक समीक्षा हेतु आई.सी.ए.आई. से सुझाव मांगे। विस्तृत सोच-विचार के पश्चात्, आई.सी.ए.आई. ने अनुपालन को सरल बनाने और नियामक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं।

(V) आईईपीएफ प्राधिकरण नियमों के मसौदे पर सुझाव (रिफंड प्रक्रिया)

समिति ने निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण और रिफंड) नियम, 2016 के अंतर्गत रिफंड प्रक्रिया से संबंधित मसौदा नियमों पर अपनी टिप्पणियाँ निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण को प्रस्तुत कीं। ये टिप्पणियाँ प्रक्रियागत स्पष्टता और अनुपालन में आसानी लाने पर केंद्रित थीं।

(VI) पीएम इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करना

2024-25 के बजट में घोषित पीएम इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों की अग्रणी कंपनियों के साथ साझेदारी में, पाँच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है। इसके कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए, एमसीए ने विगत तीन वर्षों में उनके सीएसआर खर्च के आधार पर 500 कंपनियों को चुना। एमसीए के अनुरोध पर, आई.सी.ए.आई. के सीएलएंडसीजीसी ने इन कंपनियों से सिंगल प्वाइंट ऑफ कॉन्टैक्ट (एसपीओसी) विवरणों की पहचान और संग्रह करके संचार को सुगम बनाया। समिति ने हितधारकों और एमसीए के साथ समन्वय किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कंपनियाँ पीएमआईएस पोर्टल पर लॉग इन करके इंटर्नशिप के अवसर प्रस्तुत कर सकें।

(VII) सीएसआर रिपोर्टिंग और प्रभाव आकलन पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

सीएल एंड सीजीसी ने मई 2025 तक सीएसआर रिपोर्टिंग और प्रभाव आकलन पर सर्टिफिकेट कोर्स के कुल बारह बैच आयोजित किए हैं। यह कोर्स 7 दिनों तक प्रतिदिन 4 घंटे का है और ऑनलाइन माध्यम से संचालित किया जाता है। इस कोर्स का उद्देश्य प्रतिभागियों को उभरते सीएसआर परिदृश्य में मार्गदर्शन हेतु ज्ञान और कौशल से लैस करना है। हमें खुशी है कि 800 से अधिक सदस्य इस सर्टिफिकेट कोर्स में भाग ले चुके हैं।

(VIII) समिति द्वारा जारी **प्रकाशन**

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (संशोधित जनवरी 2025 संस्करण) पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- **सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (संशोधित जनवरी 2025 संस्करण) पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न** (एफएक्यू)

(IX) आई.सी.ए.आई. के सीएलएंडसीजीसी द्वारा आयोजित स्वतंत्र निदेशक सम्मेलन

सुशासन को बढ़ावा देने और स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका को मज़बूत करने के लिए, समिति ने नई दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई में स्वतंत्र निदेशकों के कई सम्मेलन आयोजित किए। ये आयोजन स्वतंत्र निदेशकों और शासन विशेषज्ञों के बीच संवाद, ज्ञान-साझाकरण और पेशेवर नेटवर्किंग के लिए महत्वपूर्ण मंच साबित हुए। इन सम्मेलनों ने सामूहिक रूप से क्षमता सृजन में योगदान दिया, कंपनियों में स्वतंत्र निगरानी के महत्व को सुदृढ़ किया और कॉर्पोरेट प्रशासन के समकालीन मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाई।

(X) समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम /सम्मेलन/वेबकास्ट/पाठ्यक्रम

संस्थान के सदस्यों को स्वयं को अद्यतन रखने तथा परिवर्तनों के साथ तालमेल बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए, सीएलएंडसीजीसी ने कॉर्पोरेट कानूनों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन, 17 वेबिनार और 15 सेमिनार आयोजित किए।

6.13 **वाणिज्यिक कानून, आर्थिक सलाहकार और एनपीओ सहकारिता समिति (सीसीएलईए एंड एनपीओ)**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) उत्कृष्टता को बढ़ावा देकर और वित्तीय इकोसिस्टम में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में कार्य करके लेखा पेशे के भविष्य को आकार देने हेतु प्रतिबद्ध है। आई.सी.ए.आई. की वाणिज्यिक कानून, आर्थिक सलाहकार और एनपीओ सहकारिता समिति (सीसीएलईएएनसी) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को वाणिज्यिक कानूनों, आर्थिक सलाहकार एवं गैर-लाभकारी संगठनों (एनपीओ) व सहकारी समितियों के प्रशासन के गहन ज्ञान और व्यावहारिक विशेषज्ञता से लैस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समिति कॉर्पोरेट प्रशासन, नियामक अनुपालन और विवाद समाधान जैसे क्षेत्रों में विश्वसनीय सलाहकार के रूप में कार्य करने हेतु सदस्यों को सशक्त बनाकर राष्ट्र सृजन में योगदान देती है। पेशेवर क्षमताओं को मज़बूत करने के लिए, समिति उच्च-गुणवत्ता वाले प्रकाशन विकसित करती है, केंद्रित शोध करती है और ज्ञान के प्रसार के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करती है। यह नियमित रूप से सदस्यों को प्रमुख कानूनों और नियामक विकासों के अनुरूप मासिक अपडेट, हैंडबुक और एफएक्यू प्रदान करती है। इसके अलावा, समिति नियामकों और नीति निर्माताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ती है, पेशे के हितों का प्रतिनिधित्व करती है और पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने वाले सुधारों की वकालत करती है। इन पहलों के माध्यम से, सीसीएलईएसी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को आत्मविश्वास के साथ उभरती चुनौतियों का सामना करने, आर्थिक विकास को गति देने तथा गतिशील वैश्विक परिदृश्य में नए अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।

समिति द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार/किसी भी विभाग के साथ **राष्ट्र सृजन** में भागीदारी की दिशा में की गई पहल

(I) वैश्विक एडीआर संस्थानों के साथ सहयोग करते हुए एडीआर क्षेत्र में अवसरों को सक्षम बनाना

आई.सी.ए.आई. की वाणिज्यिक कानून, आर्थिक सलाहकार एवं एनपीओ सहकारिता समिति (सीसीएलईएएनसी) वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) को बढ़ावा देकर राष्ट्र सृजन में सक्रिय योगदान दे रही है। यह मध्यस्थता और मध्यस्थता पर विशेष प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालित करती है और "चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हेतु मध्यस्थता में व्यावसायिक अवसर" जैसे दिशानिर्देश प्रकाशित कर चुकी है। वैश्विक सहयोग बढ़ाने के लिए, आई.सी.ए.आई. ने सीईडीआर के साथ साझेदारी शुरू की और सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एसआईएसी) और सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एसआईएमसी) के अधिकारियों के साथ सहयोग किया। इन प्रयासों का उद्देश्य भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए मध्यस्थता और मध्यस्थता में अंतर्राष्ट्रीय अवसरों को मज़बूत करना है। एसआईएसी और एसआईएमसी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर अभी काम चल रहा है।

(II) आई.सी.ए.आई. अंतर्राष्ट्रीय एडीआर केंद्र की स्थापना

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) ने मध्यस्थता, मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से कुशल वाणिज्यिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने हेतु आई.सी.ए.आई. एडीआर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की पहल की है। सौहार्दपूर्ण समझौतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, यह केंद्र वैश्विक स्तर की सुविधाएँ और विशेषज्ञता प्रदान करेगा और पेशेवरों व व्यवसायों के लिए केंद्र के रूप में कार्य करेगा। यह पहल व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देती है और दुनिया में आर्थिक क्षेत्र में अग्रणी के रूप में भारत की स्थिति को मज़बूत करती है।

(III) मध्यस्थता पर नया **सर्टिफिकेट कोर्स**

परिषद ने मध्यस्थता पर एक नए सर्टिफिकेट कोर्स को मंजूरी दी है, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच वैकल्पिक विवाद समाधान कौशल की बढ़ती आवश्यकता और मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के अधिनियमन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को आवश्यक मध्यस्थता कौशल से लैस करना है। इनमें विवाद समाधान तकनीकें, बातचीत की रणनीतियाँ और प्रासंगिक कानूनी ज्ञान शामिल हैं, जो अंततः उन्हें मध्यस्थ के रूप में प्रमाणित करते हैं। परिषद की मंजूरी के बाद, समिति अब पाठ्यक्रम की विषयवस्तु और अन्य संबंधित मामलों को अंतिम रूप देने पर काम कर रही है, जैसा कि परिषद ने सुझाव दिया है।

(IV) मौजूदा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों की पाठ्यक्रम सामग्री का अद्यतनीकरण:

समिति धन शोधन निवारण, फेमा, रियल एस्टेट, सहकारिता, गैर-लाभकारी संस्थाओं (एनपीओ), बौद्धिक संपदा अधिकार कानून और एडीआर जैसे क्षेत्रों में अपने प्रमाणपत्र कार्यक्रमों की पाठ्यक्रम सामग्री को अद्यतन कर रही है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बदलते कानूनों और वैश्विक अच्छी पद्धतियों से अवगत रहें। यह पहल आई.सी.ए.आई. की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाने और मज़बूत आर्थिक एवं कानूनी ढाँचों के माध्यम से राष्ट्र सृजन में सहयोग देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

(V) राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग की संभावनाएं तलाशना

समिति राष्ट्र सृजन की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में विधि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है। समिति वाणिज्यिक कानूनों जैसे क्षेत्रों में सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक विशेषज्ञता के साथ एकीकृत करने पर ज़ोर देती है। समिति ने 22 अगस्त 2024 को "श्रम संहिताओं की व्याख्या: संगठित और असंगठित क्षेत्रों का परिप्रेक्ष्य" नामक वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें समकालीन मुद्दों के समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गई, जिसे एनएलयू, पंजाब के प्रोफेसर ने संबोधित किया।

(VI) प्राधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व

- समिति ने महाराष्ट्र में चैरिटी आयुक्त और संयुक्त चैरिटी आयुक्त कार्यालयों के डिजिटलीकरण और दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रमुख सुझाव प्रस्तुत किए। सुझावों में ओटीपी/डिजिटल हस्ताक्षरों के माध्यम से ऑडिट रिपोर्टों का ऑनलाइन सत्यापन, जटिल मामलों की वर्चुअल सुनवाई के साथ ऑनलाइन परिवर्तन रिपोर्ट शुरू करना और महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम के तहत न्यास बजट प्रस्तुतियों का पूर्ण डिजिटलीकरण शामिल है। समिति ने लॉगिन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, ऑनलाइन पोर्टल की कार्यक्षमता बढ़ाने, और फॉर्म जमा करने तथा खाता दाखिल करने में तकनीकी समस्याओं का समाधान करने, पारदर्शिता और संचालन में आसानी के लिए आधुनिक शासन पद्धतियों के साथ तालमेल बिठाने का भी प्रस्ताव रखा।
- समिति ने सहकारिता मंत्रालय के केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए लेखा परीक्षकों के पैनल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मानदंडों को अपनाने की सिफारिश की गई है। यह बहु-राज्य सहकारी समितियों और बैंकों के सामने आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों का समाधान करते हुए न्यायसंगत और प्रभावी लेखा परीक्षा सुनिश्चित करने की आई.सी.ए.आई. की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। समिति ने सुझाव दिया है कि आई.सी.ए.आई. को लेखा परीक्षक पैनल तैयार करने का कार्य सौंपा जाए, और आरबीआई और नाबार्ड के लिए पैनल बनाने में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाए, जिससे सहकारी क्षेत्र में बेहतर प्रशासन के माध्यम से निरंतरता, निष्पक्षता और राष्ट्र सृजन को बढ़ावा मिले।
- समिति ने सेबी (मर्चेंट बैंकर्स) विनियम, 1992 की समीक्षा पर सेबी के परामर्श पत्र पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है। प्रतिक्रिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पात्र अनुपालन अधिकारियों के रूप में शामिल करने पर ज़ोर दिया गया है, और वित्तीय एवं लेखा दक्षता के साथ-साथ कॉर्पोरेट और प्रतिभूति कानूनों में उनकी गहन विशेषज्ञता पर प्रकाश डाला गया है। इस सक्रिय प्रतिनिधित्व का उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए करियर के अवसरों की सुरक्षा और संवर्धन करना है, जिससे नियामक परिदृश्य में उनकी भूमिका और मज़बूत होगी।
- समिति ने भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को एक ज्ञापन प्रस्तुत कर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों द्वारा वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। इस अनुरोध का उद्देश्य बैंकों को संशोधित नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने और सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अंतिम रूप दिए जा रहे अद्यतन पैनल से योग्य लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना है। यह कदम राष्ट्र सृजन में योगदान देते हुए एक मज़बूत और पारदर्शी वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा देने की दिशा में आई.सी.ए.आई. के प्रयासों को रेखांकित करता है।

(VII) "अपने कानूनों को जानें" श्रृंखला के अंतर्गत वेबिनार

समिति ने अपनी "अपने कानूनों को जानें (नो योर लॉ)" श्रृंखला के माध्यम से आई.सी.ए.आई. के सदस्यों की शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अब तक 100 से अधिक वेबिनार आयोजित किए हैं। ये सत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उभरते वाणिज्यिक कानूनों के बारे में शिक्षित करने, उनकी कानूनी साक्षरता बढ़ाने और उन्हें जटिल कानूनी ढाँचों को समझने में सक्षम बनाने पर केंद्रित हैं। महत्वपूर्ण कानूनी ज्ञान से पेशेवरों को सशक्त बनाकर, समिति सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा देती है, शासन को मज़बूत बनाती है और भारत के आर्थिक एवं नियामक विकास में सहयोग करती है।

(VIII) नवीनतम कानूनों/संशोधनों पर फिजिकल कार्यक्रम

समिति ने धन शोधन निवारण अधिनियम, फेमा अभ्यास, विजन 2047: भारत में सहकारिता की भूमिका आदि पर अपने राष्ट्र सृजन पहल के हिस्से के रूप में 8 प्रभावशाली फिजिकल कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

(IX) प्रकाशन

- फेमा के तहत गैर-निवासियों के दायित्वों और विशेषाधिकारों पर सीए की हैंडबुक: फेमा के तहत गैर-निवासियों के अनुपालन के लिए व्यापक मार्गदर्शन।
- पावर ऑफ अटॉर्नी के प्रारूपण पर सीए की हैंडबुक: पावर ऑफ अटॉर्नी के प्रारूपण और कानूनी प्रावधानों पर विस्तृत जानकारी।
- अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019 (संशोधित 2024) पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: धोखाधड़ी वाली योजनाओं से सार्वजनिक हितों की सुरक्षा के लिए अद्यतन जानकारी।
- वसीयत के प्रारूपण पर सीए की हैंडबुक: उत्तराधिकार नियोजन और वसीयत के प्रारूपण के लिए सरलीकृत मार्गदर्शन।
- फेमा के तहत इनबाउंड और आउटबाउंड निवेश पर सीए की हैंडबुक: सीमा पार निवेश विनियमों में अंतर्दृष्टि।
- आवश्यक प्रारूपण पर सीए की हैंडबुक: महत्वपूर्ण कानूनी और व्यावसायिक दस्तावेजों के प्रारूपण के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन।
- धन शोधन विरोधी कानून पर संशोधित पृष्ठभूमि सामग्री: एएमएल विनियमों की समझ और अनुप्रयोग को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई व्यापक सामग्री।
- फेमा पर पृष्ठभूमि सामग्री: अनुपालन और सलाहकार भूमिकाओं को मजबूत करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के आवश्यक पहलुओं को शामिल किया गया है।
- ऑनलाइन विवाद समाधान - एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य: ऑनलाइन विवाद समाधान में वैश्विक प्रवृत्तियों और प्रथाओं पर प्रकाश डालता है, साथ ही सीमा पार प्रभावों पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
- पॉश अधिनियम, 2013 का परिचय: पॉश अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख प्रावधानों और अनुपालन आवश्यकताओं का अवलोकन।
- पॉश अधिनियम, 2013 और अवसर: नए क्षितिज के लिए सीए की हैंडबुक पॉश अनुपालन और परामर्श में सीए की व्यावसायिक भूमिकाओं पर प्रकाश डालती है।
- रिट पर सीए की हैंडबुक: कानूनी और अनुपालन मामलों से संबंधित रिट के प्रकार और उपयोगों की व्याख्या करती है।
- नामांकन प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों पर सीए की हैंडबुक: नामांकन करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं और अच्छी पद्धतियों पर सीए को मार्गदर्शन प्रदान करती है।

6.14 जीएसटी **एवं** अप्रत्यक्ष कर समिति (जीएसटी और आईडीटीसी)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) की प्रत्यक्ष कर समिति (डीटीसी) प्रत्यक्ष कराधान से संबंधित मामलों के लिए समर्पित एक प्रमुख समिति है। यह प्रत्यक्ष करों से संबंधित विधायी संशोधनों और प्रमुख मुद्दों पर अभिवेदन प्रस्तुत करके सरकार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और अन्य संबंधित मंचों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ती है। समिति का मुख्य उद्देश्य नई सामग्री के प्रकाशन, मौजूदा संसाधनों के अद्यतनीकरण और सेमिनारों, वेबिनारों और सम्मेलनों के आयोजन के माध्यम से प्रत्यक्ष कराधान में आई.सी.ए.आई. सदस्यों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाना है।

(I) राष्ट्र सृजन में भागीदार बनने की दिशा में पहल

- जीएसटी नीति निर्माण, कार्यान्वयन और अनुसंधान **का सुदृढ़ीकरण -** तकनीकी इनपुट

  - केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक, 2024 पर सुझाव
  - बजट-पूर्व बैठक और बजट-पूर्व ज्ञापन, 2024 प्रस्तुत करना
  - जीएसटी पोर्टल पर नए लॉन्च किए गए इनवॉयस मैनेजमेंट सिस्टम (आईएमएस) पर सुझाव
  - सेवाओं पर जीएसटी दर अनुसूची के सामंजस्य और जीएसटी के लिए अपनाई गई सेवाओं के वर्गीकरण पर सुझाव
  - जीएसटी वार्षिक रिटर्न [फॉर्म जीएसटीआर 9] और जीएसटी समाधान विवरण [फॉर्म जीएसटीआर 9सी] पर सुझाव

- राज्य सरकारों और **एनएसीआईएन** के साथ समझौता ज्ञापन

संस्थान ने जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति के माध्यम से 8 अप्रैल, 2024 को वाणिज्यिक कर विभाग, आंध्र प्रदेश, 4 फरवरी, 2025 को राज्य कर विभाग, असम और 4 फरवरी, 2025 को कराधान विभाग, मेघालय के साथ क्षमता सृजन और अनुसंधान में तकनीकी सहयोग बढ़ाने, नीति निर्माण में सहायता, परामर्श आदि के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। क्षमता सृजन के लिए इसी तरह के समझौता ज्ञापन 16 अगस्त , 2024 को कोलकाता, भुवनेश्वर, पटना और शिलांग में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएसीआईएन) क्षेत्रीय परिसरों और 30 अगस्त, 2024 को एनएसीआईएन जेडसी, चेन्नई के साथ किए गए। समझौता ज्ञापन से जीएसटी अधिकारियों को नियमित आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करने में सुविधा होगी।

- सरकार की **क्षमता सृजन** पहलों का समर्थन - राज्यों, केंद्र और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों के लिए **क्षमता सृजन** कार्यक्रम

संस्थान केंद्रीय कर, राज्य कर/केंद्र शासित प्रदेश कर और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों के लिए जीएसटी पर अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके और सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों के लिए विशेषज्ञ संकाय उपलब्ध कराकर सरकार की क्षमता सृजन पहलों में भी सहायता कर रहा है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, समिति ने राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, एनएसीआईएन और अन्य सरकारी विभागों के जीएसटी विभाग के लिए जीएसटी पर छियालीस (46) क्षमता सृजन कार्यक्रमों का आयोजन/सुविधा प्रदान की और 2100 से अधिक अधिकारियों को कौशल प्रदान किया।

- व्यापार और उद्योग के लिए आउटरीच कार्यक्रम

मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुरोध पर, 27 मार्च, 2025 को आई.सी.ए.आई. **तिरुवनंतपुरम में जीएसटी एमनेस्टी योजना पर एक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया। इस सत्र में** व्यापार और उद्योग जगत के 108 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- केंद्र और राज्य सरकारों के पदाधिकारियों के साथ बैठकें

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान विभिन्न राज्य कर/जीएसटी आयुक्तों और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न बैठकें आयोजित की गईं, **ताकि** अधिकारियों को जीएसटी के संबंध में आई.सी.ए.आई. द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी दी जा सके और उन तरीकों पर चर्चा की जा सके जिनके माध्यम से **जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर** समिति जीएसटी के क्षेत्र में सरकार को सक्रिय समर्थन प्रदान कर सकती है।

(II) ब्रांड **सृजन आई.सी.ए.आई. -** महत्वपूर्ण घटनाएँ

- राष्ट्रीय जीएसटी संगोष्ठी 2024 - जीएसटी की सफलता को आगे बढ़ाना: अच्छे और सरल कर के लिए अंतर्दृष्टि, नवाचार और एकीकरण

समिति पिछले दो वर्षों से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जीएसटी संगोष्ठी का आयोजन करती आ रही है। राष्ट्रीय जीएसटी संगोष्ठी 2024 का आयोजन 9 और 10 जनवरी, 2025 को कोलकाता में किया गया। श्री श्रवण कुमार, **आईआरएस, मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी और सीएक्स, कोलकाता मुख्य अतिथि थे और श्री देवी प्रसाद कर्णम, आईएएस, आयुक्त, वाणिज्यिक कर निदेशालय, पश्चिम बंगाल विशिष्ट अतिथि थे। भारत भर के** 19 राज्यों के प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य

आयुक्त/प्रधान आयुक्त/आयुक्त/अपर आयुक्त जैसे 38 वरिष्ठ सीजीएसटी और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी अधिकारियों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया। जीएसटीएन के एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने भी संगोष्ठी में भाग लिया।

- न्यायाधिकरण **के समक्ष अप्रत्यक्ष कर कानूनी विवाद पर सम्मेलन**

समिति ने 21 दिसंबर, 2024 को नई दिल्ली में न्यायाधिकरण के समक्ष अप्रत्यक्ष कर कानूनी विवाद पर एक सम्मेलन का आयोजन किया ताकि न्यायाधिकरण के समक्ष मसौदा तैयार करने, प्रतिनिधित्व करने और प्रक्रियात्मक अनुपालन में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के कौशल को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री सी. हरिशंकर मुख्य अतिथि थे और सीईएसटीएटी के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप गुप्ता विशिष्ट अतिथि थे। यह सम्मेलन एक अग्रणी आयोजन था जिसमें देश भर के विभिन्न पीठों से सीईएसटीएटी के 20 से अधिक सम्मानित सदस्य एक मंच पर उपस्थित हुए और अप्रत्यक्ष कर कानूनी विवाद में प्रभावी वकालत के लिए न्यायिक दृष्टिकोण, अच्छी पद्धतियों और व्यावहारिक तरीकों पर अपने विचार साझा किए।

- जीएसटी पर राष्ट्रीय सम्मेलन

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, समिति ने इंदौर, एर्नाकुलम, पुणे, दिल्ली (2), चेन्नई, मुंबई, राजकोट, कोलकाता और नवी मुंबई में जीएसटी/अप्रत्यक्ष करों पर दस (10) राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए, जिनमें 5,300 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया।

(III) जीएसटी ज्ञान साझाकरण - पहल

- **समिति की वेबसाइट में सुधार**

जीएसटी संबंधी ज्ञान साझाकरण को बढ़ाने के समिति के उद्देश्य के अनुरूप, 27 अगस्त, 2024 को समिति की वेबसाइट पर "जीएसटी क़ानून" नामक एक नया फ़ीचर जोड़ा गया। यह फ़ीचर सभी जीएसटी अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं सहित संशोधित अधिसूचनाओं, परिपत्रों, आदेशों, निर्देशों/दिशानिर्देशों आदि तक निःशुल्क पहुँच प्रदान करता है। इसके अलावा, जीएसटी परिषद की बैठकों के कार्यवृत्त, जीएसटी प्रेस विज्ञप्तियाँ, जीएसटीएन परामर्श भी हितधारकों के त्वरित संदर्भ के लिए जीएसटी क़ानून के अंतर्गत उपलब्ध हैं। यह कदम जीएसटी पर सुलभ और व्यापक संसाधन उपलब्ध कराने की समिति की प्रतिबद्धता को और पुष्ट करता है।

- जीएसटी पर सर्टिफिकेट कोर्स

जीएसटी में सदस्यों की क्षमता सृजन को व्यवस्थित तरीके से करने और उनके कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से, समिति ने 28 अप्रैल, 2017 को जीएसटी पर एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया। तब से, समिति पूरे भारत में नियमित रूप से इस कोर्स का आयोजन कर रही है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कोर्स के तेरह (13) बैच फिजिकल रूप से आयोजित किए गए, जिनमें 569 सदस्यों ने भाग लिया। इसके अलावा, कोर्स के चार बैच वर्चुअल रूप से आयोजित किए गए, जिनमें 493 सदस्यों ने भाग लिया। जीएसटी पर सर्टिफिकेट कोर्स के लिए मूल्यांकन परीक्षा 13 अक्टूबर, 2024 और 9 फरवरी, 2025 को ऑनलाइन आयोजित की गई थी। कुल 515 सदस्यों ने उपरोक्त मूल्यांकन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की।

- **लाइव वेबकास्ट/वेबिनार**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति ने जीएसटी के विभिन्न समसामयिक विषयों पर 18 लाइव वेबकास्ट/वेबिनार आयोजित किए, जिनमें 21,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- **जीएसटी पर सीपीई कार्यक्रम**

जीएसटी और अन्य अप्रत्यक्ष करों में नवीनतम प्रगति से सदस्यों को अवगत कराने के उद्देश्य से समिति ने समीक्षाधीन अवधि में 76 सीपीई कार्यक्रम (कार्यशालाएं, सेमिनार आदि) आयोजित किए, जिनसे 7500 से अधिक सदस्यों को कौशल विकास का प्रशिक्षण मिला।

- जीएसटी पर **आई.सी.ए.आई.** न्यूज़लेटर

सभी हितधारकों को जीएसटी की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, आई.सी.ए.आई. ने अप्रैल 2017 में जीएसटी पर अपना समर्पित न्यूज़लेटर लॉन्च किया। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, जीएसटी पर आई.सी.ए.आई.-न्यूज़लेटर के तेरह संस्करण प्रकाशित किए गए।

- जीएसटी अपडेट

जीएसटी कानून एक हमेशा बदलते रहने वाला कानून है जिसके अंतर्गत अनेक अधिसूचनाएँ/परिपत्र/आदेश/निर्देश नियमित रूप से जारी किए जाते हैं। सदस्यों को ऐसे लगातार बदलावों से अवगत कराने के लिए, सीबीआईसी द्वारा जारी की जाने वाली किसी भी अधिसूचना/परिपत्र/आदेश/निर्देश आदि के साथ ही समिति द्वारा ऐसे बदलावों का सारांश युक्त जीएसटी अपडेट तैयार किया जाता है और समिति की वेबसाइट पर पंजीकृत 50,000 से अधिक यूजर्स को मेल किया जाता है तथा समिति की वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 42 जीएसटी अपडेट तैयार और प्रसारित किए गए।

- जीएसटी पर ई-लर्निंग

समिति ने 23 मई, 2025 को डिजिटल लर्निंग हब में जीएसटी पर अपनी ई-लर्निंग को पुनः शुरू किया, जिसमें जीएसटी के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। यह सुविधा सभी सदस्यों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है, जिससे उन्हें किसी भी समय और कहीं से भी जीएसटी की मूल बातें सीखने में सुविधा होगी। **एक महीने से भी कम समय में, 23,322 सदस्यों ने इसकी सदस्यता ली है।**

(IV) प्रकाशन

समिति ने वर्ष के दौरान एक नया प्रकाशन विकसित किया, जिसका नाम है, "एकाधिक जीएसटीआईएन वाली संस्थाओं का विभागीय जीएसटी ऑडिट"। इसके अलावा, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रकाशनों को संशोधित किया गया:

- जीएसटी पर पृष्ठभूमि सामग्री
- जीएसटी अधिनियम और नियम - बेयर लॉ (तीन संशोधन)
- सीए *प्रमाणपत्रों के लिए मार्गदर्शिका*
- जीएसटी वार्षिक रिटर्न (फॉर्म जीएसटीआर 9) पर तकनीकी गाइड
- जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज पर हैंडबुक
- जीएसटी के तहत छूट प्राप्त आपूर्ति पर हैंडबुक

6.15 नैतिक मानक बोर्ड (ईएसबी)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ने पेशे के भीतर नैतिक शासन बनाये रखने हेतु मानक निर्धारण प्राधिकरण के रूप में नैतिक मानक बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स पर लागू नैतिक मानकों और अन्य आधिकारिक घोषणाएं करने और लागू करने का अधिदेश दिया गया है। अपने अधिदेश को पूरा करने में, बोर्ड उत्कृष्टता, *स्वतंत्रता* और *अखंडता के समय के अनुसार सिद्ध हो चुके सिद्धांतों* को कायम रखते हुए सदस्यों के लिए एक गतिशील और समकालीन आचार संहिता और नैतिक ढांचा विकसित करने का प्रयास करता है, जिससे सदस्यों की गरिमा और हितों की रक्षा होती है। नैतिक मानक बोर्ड का उद्देश्य चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के लिए नैतिक मानकों को तैयार करना और प्रख्यापित करना है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अच्छी पद्धतियों के अनुरूप हों, जो लागू घरेलू कानूनों के अनुपालन के अधीन हों। इस संरेखण के माध्यम से, बोर्ड का लक्ष्य चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता, स्थिरता और विश्वसनीयता को बढ़ाना है, जिससे इस पेशे में जनता का विश्वास और भरोसा मजबूत हो।

अपनी स्थापना के पश्चात् से, बोर्ड आई.सी.ए.आई. सदस्यों के व्यावसायिक आचरण और योग्यता को विनियमित करने वाले मानकों को स्थापित करने और बनाए रखने में तत्परता से लगा हुआ है। अपनी मूल जिम्मेदारियों के अलावा, बोर्ड सदस्यों की व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकता और गतिशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से सक्रिय रूप से पहल करता है। इसके अलावा, बोर्ड लेखा परीक्षकों के रूप में सदस्यों को अनुचित रूप से हटाए जाने के मामलों से संबंधित एक शिकायत निवारण तंत्र का संचालन करता है। यह कार्य सदस्यों की स्वतंत्रता को बनाए रखने हेतु एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में कार्य करता है, यह सुनिश्चित करता है कि लेखा परीक्षकों को अनुचित रूप से हटाए जाने से प्रतिकूल रूप से प्रभावित लोगों को न्यायसंगत सहारा और न्याय प्राप्त हो।

(I) महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- 16 अक्टूबर, 2024 को नई दिल्ली में वैश्विक नैतिकता दिवस मनाया गया, जबकि अक्टूबर माह में सभी शाखाओं/क्षेत्रीय परिषदों में इस अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अक्टूबर माह के लिए नैतिकता विषय पर समर्पित सीए जर्नल का विशेष संस्करण जारी किया गया। सदस्यों के बीच नैतिकता के प्रसार हेतु नैतिकता प्रश्नोत्तरी और अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- संस्थान के मंच पर सदस्यों और सीए फर्मों की सूची बनाने वाले सीए कनेक्ट पोर्टल को नया रूप दिया गया है और इसमें नई सुविधाएँ शामिल की गई हैं। सीए कनेक्ट पोर्टल को लोकप्रिय बनाने के लिए 1 सितंबर 2024 को रांची में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सीए कनेक्ट पोर्टल का नया लोगो और टैगलाइन जारी की गई।
- नैतिक मानक बोर्ड ने "सीए एथिक्स प्लस - चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए नैतिकता पर ज्ञान साझाकरण" पर एक बुकलेट तैयार की है। इस बुकलेट में समकालीन नैतिक मुद्दों पर प्रावधानों और घोषणाओं का संकलन है और यह एक रेडी रेकनर के रूप में कार्य करती है।
- नैतिक मानक बोर्ड ने सीए कनेक्ट पोर्टल पर एक ब्रोशर जारी किया है "सभी सीए सेवाओं के लिए आईसीएआई द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की सूची"। इस ब्रोशर में सीए कनेक्ट पोर्टल की विशेषताएँ, सदस्यों/फर्मों और हितधारकों के लिए इसके लाभ और फायदे बताए गए हैं।
- "नैतिक मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" का संशोधित संस्करण फरवरी 2025 में प्रकाशित किया गया
- नैतिक मानक बोर्ड ने सदस्यों द्वारा बार-बार उठाए गए प्रश्नों और विभिन्न मुद्दों पर पूछे गए प्रश्नों पर स्पष्टीकरण/घोषणाएं और एफएक्यू जारी किए हैं।
- नैतिक मानक बोर्ड ने सीए जर्नल में मासिक जागरूकता कॉलम *"अपनी नैतिकता को जानें"* का योगदान दिया, जिसमें सदस्यों के बीच जागरूकता और अनुपालन बढ़ाने के लिए शुल्क संबंधी मुद्दे, निदेशक पद, केवाईसी मानदंड, दस्तावेजीकरण और पेशेवर आचरण के नैतिक पहलुओं जैसे प्रमुख विषयों को शामिल किया गया।
- इस अवधि में विभिन्न व्यावसायिक नैतिक मुद्दों पर सदस्यों के 650 से अधिक सवालों के जवाब दिए गए। इसके अलावा, नियामकों और सरकारी विभागों द्वारा की गई पूछताछ के उत्तर भी दिए गए।

(II) बोर्ड द्वारा आचार संहिता पर आयोजित सेमिनार/कार्यक्रम

- नैतिक मानक बोर्ड ने सदस्यों के बीच आचार संहिता और नैतिक मुद्दों पर प्रावधानों के बारे में जागरूकता लाने के लिए 18 वेबकास्ट आयोजित किए।
- वर्ष के दौरान नैतिकता पर विभिन्न सेमिनार और कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

(III) दक्षिण एशियाई लेखाकार महासंघ (एसएएफए) की व्यावसायिक नैतिकता और स्वतंत्रता समिति की बैठकें

व्यावसायिक नैतिकता और स्वतंत्रता पर एसएएफए (दक्षिण एशियाई लेखाकार महासंघ) समिति की तीसरी बैठक 1 मार्च, 2024 को पोखरा में, 10 जनवरी, 2025 को कराची में और 30 जनवरी, 2025 को दिल्ली में आयोजित की गई, जिससे नैतिक मानकों पर आई.सी.ए.आई. की क्षेत्रीय भागीदारी को सुदृढ़ किया गया।

(IV) आईईएसबीए बैठकों में आई.सी.ए.आई. प्रतिनिधियों ने भाग लिया

आईईएसबीए (इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड्स बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स) - एनएसएस (राष्ट्रीय मानक निर्धारक) की बैठक 2 और 3 मई, 2024 को न्यूयॉर्क, आईएफएसी कार्यालयों में आयोजित की गई, जिसमें नैतिक मानक बोर्ड के अध्यक्ष ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया।

6.16 डिजिटल अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड (**डीएएबी**)

डिजिटल अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड (डीएएबी) की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी, जब आई.सी.ए.आई. ने इस पेशे की आईटी पहलों का नेतृत्व करने के लिए सूचना तकनीकी समिति (सीआईटी) की स्थापना की थी। अपने पहले दशक में, सीआईटी ने आईटी जागरूकता बढ़ाने, सूचना प्रणाली ऑडिट (आईएसए) पाठ्यक्रम शुरू करने और सदस्यों के लिए बुनियादी तकनीकी अवसंरचना के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। 2009 में, समिति ने फोरेंसिक अकाउंटिंग, एक्सबीआरएल कार्यान्वयन, ई-लर्निंग और ऑडिट प्रथाओं में अधिक से अधिक तकनीकी एकीकरण को शामिल करके अपने दायरे का विस्तार किया। वित्त में तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन को स्वीकार करते हुए, आई.सी.ए.आई. ने 2019 में इस समिति को डिजिटल अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड (डीएएबी) के रूप में पुनर्गठित किया, जिसका कार्यक्षेत्र डिजिटल दक्षताओं, फोरेंसिक मानकों, ब्लॉकचेन, एआई और वैश्विक साझेदारियों को शामिल करते हुए विस्तारित किया गया।

(I) प्रमुख उपलब्धियाँ और पहल

- **दिशा का शुभारंभ और उन्नयन:** यह यात्रा 2000 में सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा (आईएसए) पर पोस्ट-क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रम के शुभारंभ के साथ शुरू हुई, जिसने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को आईटी लेखा परीक्षा में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया। बाद में, तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए इस कार्यक्रम के

पाठ्यक्रम में कई संशोधन (दिशा 1.0, 2.0, 3.0) किए गए। इन वर्षों में, दिशा को नियामकों, विशेष रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और बाज़ार प्राधिकरणों से औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई, जिससे दिशा-योग्य सदस्य विशेषज्ञ के रूप में बैंक प्रणाली लेखा परीक्षा कर सकें। आज, डीएएबी दिशा 4.0 को शुरू करने की प्रक्रिया में है, जो एक व्यापक उन्नयन है जो साइबर सुरक्षा ढाँचे, डेटा गोपनीयता (डीपीडीपी अधिनियम) अनुपालन, नियामक तकनीकी (रेगटेक, और अन्य उभरते क्षेत्रों को पाठ्यक्रम में शामिल करेगा।

- **फोरेंसिक अकाउंटिंग और धोखाधड़ी का पता लगाने (एफएएफडी) पाठ्यक्रम** : फोरेंसिक विशेषज्ञता की बढ़ती आवश्यकता को समझते हुए, आई.सी.ए.आई. ने 2009 में फोरेंसिक अकाउंटिंग और धोखाधड़ी का पता लगाने (एफएएफडी) पर सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया, जिसमें सदस्यों को फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण द्वारा समर्थित खोजी कौशल से लैस किया गया, जिसमें 2017 में नोएडा में स्थापित एक प्रयोगशाला भी शामिल है। जैसे-जैसे क्षेत्र विकसित हुआ, डीएएबी ने लगातार पाठ्यक्रम को उन्नत किया- विशेष रूप से इसे 2023 में आई.सी.ए.आई. के विश्व-प्रथम फोरेंसिक अकाउंटिंग और जांच मानकों (एफएआईएस) के साथ संरेखित किया, जो अब फोरेंसिक असाइनमेंट के लिए अनिवार्य है। 2024 में, डीएएबी ने पाठ्यक्रम के पूर्ण विकसित डिप्लोमा इन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन (डीएफआई) में परिवर्तन की पहल की

- **फोरेंसिक लेखा और जाँच मानक (एफएआईएस):** डीएएबी युग की एक ऐतिहासिक उपलब्धि फोरेंसिक लेखा और जाँच मानक (एफएआईएस) का विकास रहा है - जो फोरेंसिक लेखा कार्यों में पेशेवरों का मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक ढाँचा है। श्रृंखलाबद्ध रूप से जारी (कुल 20 व्यक्तिगत मानक और 3 व्यापक दस्तावेज़) और विशेषज्ञों के सुझावों के माध्यम से परिष्कृत, एफएआईएस को आधिकारिक तौर पर 2023 से अनिवार्य कार्यान्वयन के साथ जारी किया गया था। ये मानक साक्ष्य संग्रह और विश्लेषण से लेकर रिपोर्टिंग तक, फोरेंसिक लेखा के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करते हैं, और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की जाने वाली फोरेंसिक सेवाओं की गुणवत्ता और निरंतरता के लिए एक निर्णायक मानदंड के रूप में कार्य करते हैं।

- **डिजिटल योग्यता परिपक्वता मॉडल (डीसीएमएम):** पेशे को तकनीकी को अपनाने और उसका आकलन करने में सुधार करने में मदद करने के लिए, बोर्ड ने डिजिटल योग्यता परिपक्वता मॉडल (डीसीएमएम) संस्करण 1 विकसित किया और 2019 में, डीसीएमएम 2.0, इसका कार्यान्वयन मार्गदर्शिका और एक टूल जारी किया गया जो परिभाषित स्तरों के साथ एक संरचित मॉडल और फर्मों को उनकी डिजिटल क्षमताओं का मूल्यांकन करने हेतु एक कार्यान्वयन मार्गदर्शिका प्रदान करता है। इसके अलावा, इसे सहकर्मी समीक्षा का भी हिस्सा बनाया गया था। आईटी अवसंरचना, सॉफ्टवेयर उपकरण, प्रक्रिया स्वचालन और डिजिटल कौशल जैसे क्षेत्रों को बेंचमार्क करके, डीसीएमएम ने ऑडिट फर्मों (विशेष रूप से छोटे और मध्यम प्रथाओं) को डिजिटल परिवर्तन के लिए अंतराल और रोडमैप की पहचान करने में सक्षम बनाया है। इस मॉडल की प्रासंगिकता भारत से बाहर भी फैल चुकी है - इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शित किया गया है और वैश्विक लेखा समूहों द्वारा लेखा पेशे में डिजिटल प्रथाओं को बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में अपनाया गया है।

- **अंतर्राष्ट्रीय पहुँच** : अपने शुरुआती वर्षों से ही, डीएएबी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाया है। 2000 के दशक के मध्य में, आई.सी.ए.आई. की आईटी समिति ने आईसीएएसएल और आईसीएएन के साथ हुए समझौता ज्ञापनों के सहयोग से श्रीलंका और नेपाल में आईएसए पाठ्यक्रम शुरू किए। बाद में इन सहयोगों का विस्तार फोरेंसिक अकाउंटिंग प्रशिक्षण को शामिल करने के लिए हुआ। 2025 तक, आईसीएएसएल ने आई.सी.ए.आई. के फोरेंसिक मानकों को अपनाने में रुचि व्यक्त की, जो उनकी वैश्विक प्रासंगिकता को दर्शाता है। डीएएबी ने दोनों देशों के पेशेवरों के लिए वर्चुअल दिशा कक्षाएं भी आयोजित की हैं और अपने कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों की मेजबानी की है। इसका एक प्रमुख उदाहरण अक्टूबर 2024 में बैंक ऑफ भूटान के लेखा परीक्षकों के लिए अनुकूलित एफएएफडी प्रशिक्षण था। इन प्रयासों ने डिजिटल अकाउंटिंग और एश्योरेंस में आई.सी.ए.आई. की वैश्विक स्थिति को मजबूत किया है।

- **सरकारी और नियामक सहयोग** : अपनी 25 साल की यात्रा में, डीएएबी ने सरकारी निकायों और नियामकों के साथ घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से डिजिटल ऑडिट और फोरेंसिक प्रथाओं को शासन में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रमुख उपलब्धियों में सार्वजनिक ऑडिट में आईएस ऑडिट शुरू करने के लिए सीएजी के साथ प्रारंभिक जुड़ाव और आरबीआई द्वारा वैधानिक बैंक आईएस ऑडिट के लिए डीआईएसए योग्यता को मान्यता देना शामिल है। हाल ही में, डीएएबी ने गुजरात पुलिस आर्थिक अपराध शाखा जैसी एजेंसियों को प्रशिक्षण देकर और आई.सी.ए.आई. के फोरेंसिक मानकों की सिफारिश करके कानून प्रवर्तन का समर्थन किया है। 2024 में, बोर्ड ने साइबर सुरक्षा, एआई और फोरेंसिक अनुसंधान पर सहयोग करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और एनएफएसयू के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। डीएएबी ने एसएफआईओ, सीबीआई, सीएजी, आईसीएलएस अकादमी, डीजीजीआई जैसी एजेंसियों और एसबीआई, बीओबी, एचपीसीएल और आईओसीएल जैसी प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों के लिए विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित

किया है - जिससे वित्तीय पारदर्शिता और डिजिटल शासन को आगे बढ़ाने में एक विश्वसनीय सलाहकार के रूप में इसकी भूमिका मजबूत हुई है।

- **प्रकाशन**
  - ➢ डिजिटल आश्वासन पर तकनीकी गाइड
  - ➢ लेखा पेशे के लिए रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन के अवसरों और चुनौतियों को अपनाने पर अवधारणा पत्र
  - ➢ ब्लॉकचेन तकनीकी अपनाने के रुझान और लेखा पेशे के लिए निहितार्थ पर अवधारणा पत्र
  - ➢ "तकनीकी की एबीसीडी" 2025 पर अवधारणा पत्र
  - ➢ व्यावसायिक लेखा फर्मों के लिए डिजिटल योग्यता परिपक्वता मॉडल - संस्करण 2.0 और कार्यान्वयन मार्गदर्शिका
  - ➢ वित्तीय कार्यों में स्वचालन पर रिपोर्ट - भारत और ब्रिटेन से सबक
  - ➢ बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी के शुरुआती संकेत (संशोधित 2018 संस्करण)
  - ➢ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए एक गाइड - मूल बातें और अनुप्रयोग
  - ➢ लेखाकारों के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग गाइड 2025
  - ➢ फोरेंसिक लेखांकन और जांच मानकों का संग्रह (1 जुलाई, 2023 तक)
  - ➢ फोरेंसिक लेखांकन और जांच मानकों पर कार्यान्वयन मार्गदर्शिका (1 जुलाई 2023 तक)

(II) रणनीतिक पहल

अपने 25वें वर्ष में, डीएएबी ने अपने दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए कई उच्च-प्रभावी पहलों के माध्यम से नवाचार और क्षमता सृजन को आगे बढ़ाना जारी रखा:

- **योग्यता उन्नयन**

2024-25 में, डीएएबी ने सदस्यों को अत्याधुनिक कौशल से लैस करने हेतु आई.सी.ए.आई. के पोस्ट-क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रमों को उन्नत करने को प्राथमिकता दी है। दिशा कार्यक्रम को साइबर सुरक्षा, डीपीडीपी अधिनियम अनुपालन, रेगटेक एवं आईटी गवर्नेंस पर उन्नत सामग्री के साथ संस्करण 4.0 में अपग्रेड किया जा रहा है। पाठ्यक्रम को तेज़ी से पूरा करने हेतु परीक्षा की फ्रेक्वेंसी बढ़ा दी गई है। एफएएफडी पाठ्यक्रम को फोरेंसिक जाँच में डिप्लोमा (डीएफआई) में उन्नत किया जा रहा है, जिसके लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा, दिशा के पूर्व छात्रों को आईटी ऑडिट और तकनीकी के उभरते रुझानों से अवगत रखने के लिए एक नया "दिशा+" रिफ्रेशर कोर्स विकसित किया जा रहा है।

- **सम्मेलन और विचार नेतृत्व:**

2024-25 में, डीएएबी ने डिजिटल अकाउंटिंग और एश्योरेंस में विचार नेतृत्व को बढ़ावा देने हेतु कई प्रमुख सम्मेलन आयोजित किए। प्रमुख कार्यक्रमों में मुंबई में *फ्यूचर प्रूफ फोरेंसिक*, बैंकों, नियामकों और प्रवर्तन एजेंसियों के 135+ प्रतिभागियों के साथ वित्तीय धोखाधड़ी जांच पर दो दिवसीय शिखर सम्मेलन; जयपुर में *प्रज्ञोत्सव-2024*, आंतरिक लेखा परीक्षा और तकनीकी पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन जिसमें 2,000 पेशेवरों ने भाग लिया और जिसका उद्घाटन भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने किया; और बेलगावी में *ज्ञान से विज्ञान*, 476 प्रतिभागियों के साथ लेखा में डिजिटल परिवर्तन पर केंद्रित था। भविष्य को देखते हुए, डीएएबी ने हैदराबाद में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन (डीएक्स) फाइनेंस समिट 2025 की घोषणा की है, जिसका विषय है "वित्त का सुदृढ़ीकरण: फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और डिजिटल ट्रस्ट", जो एआई, ब्लॉकचेन, साइबर गवर्नेंस और आईसीएआई के फोरेंसिक मानकों में अत्याधुनिक विकास का पता लगाने के लिए शीर्ष वित्त और तकनीकी अग्रणी व्यक्तियों को लक्षित करता है।

- **क्षमता सृजन और प्रशिक्षण**

2024 में, डीएएबी ने प्रभावशाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से अपने प्रशिक्षण का दायरा बढ़ाया। इसने गुजरात पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के 64 अधिकारियों के लिए एक विशेष वित्तीय अपराध जाँच प्रशिक्षण आयोजित किया, जिसमें आई.सी.ए.आई. के एफएआईएस मानकों को अपनाने की सिफ़ारिश की गई। जून में, एनएफएसयू में अपनी तरह के पहले आवासीय डिजिटल फ़ोरेंसिक्स रिफ्रेशर कोर्स ने 44 सदस्यों को व्यावहारिक

प्रयोगशाला प्रशिक्षण प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, डीएएबी ने बैंक ऑफ़ भूटान के वरिष्ठ लेखा परीक्षकों के लिए 5-दिवसीय अनुकूलित एफएएफडी कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके अलावा, भारतीय कॉर्पोरेट विधि सेवा (आईसीएलएस) के अधिकारियों के लिए चार विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिनमें साइबर सुरक्षा, फ़ोरेंसिक अकाउंटिंग और डिजिटल फ़ोरेंसिक शामिल थे—जिससे विभिन्न क्षेत्रों में शासन और क्षमता सृजन को आगे बढ़ाने में आई.सी.ए.आई. की भूमिका मज़बूत हुई।

- **डिजिटल लर्निंग और संकाय विकास**

2024 में, डीएएबी ने ई-लर्निंग और अद्यतन संसाधनों के ज़रिए अपनी तकनीकी पेशकशों को बढ़ाया। इसने आई.सी.ए.आई. डिजिटल लर्निंग हब पर एक निःशुल्क एडवांस ब्लॉकचेन तकनीकी मॉड्यूल लॉन्च किया, जो सदस्यों को ब्लॉकचेन और क्रिप्टो-एसेट्स के बारे में व्यावहारिक जानकारी प्रदान करता है। पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए, आईएसए और एफएएफडी के लिए एक संयुक्त संकाय सम्मेलन अप्रैल 2024 में आयोजित किया गया, जिसमें पाठ्यक्रम की समीक्षा की गई और एफएएफडी को डिप्लोमा में अपग्रेड करने की तैयारी की गई। प्रशिक्षण इकोसिस्टम को मजबूत करने हेतु एक संकाय पहचान कार्यक्रम ने 13 नए प्रशिक्षु संकाय भी जोड़े। इसके अलावा, डीएएबी ने *क्लाउड कंप्यूटिंग गाइड* एवं *तकनीकी की एबीसीडी* पेपर सहित प्रमुख प्रकाशनों को अद्यतन किया, जिससे सदस्यों को उभरते तकनीकी रुझानों से अवगत रखने की उसकी प्रतिबद्धता और मजबूत हुई।

- **मजबूत साझेदारी**

संस्थानों के साथ सहयोग इस वर्ष डीएएबी की रणनीति की एक पहचान रहा। आई.सी.ए.आई. ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) - गृह मंत्रालय के तहत प्रतिष्ठित दोनों राष्ट्रीय संस्थान - के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, फोरेंसिक अकाउंटिंग और डिजिटल गवर्नेंस जैसे उभरते क्षेत्रों में शिक्षा और अनुसंधान को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये साझेदारियां सहयोगात्मक शिक्षण, नए पाठ्यक्रमों के विकास और ज्ञान के आदान-प्रदान की परिकल्पना करती हैं जो एक तकनीकी-संचालित इकोसिस्टम में योगदान देगा और डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था के लिए भारत के लक्ष्यों का समर्थन करेगा। बोर्ड की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी भी मज़बूत रही: इसके पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों में विदेशों से भी प्रतिभागी शामिल हुए, और दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों में विदेशी सदस्यों के लिए दिशा के वर्चुअल बैच जारी रहे। ऐसी पहल डीएएबी के कार्यक्रमों की वैश्विक पहुँच और आकर्षण को रेखांकित करती हैं, जिससे डिजिटल अकाउंटिंग और एश्योरेंस प्रशिक्षण में अग्रणी के रूप में आई.सी.ए.आई. की प्रतिष्ठा और मज़बूत होती है।

(III) सदस्यता वृद्धि

25 वर्षों से भी अधिक समय से, डीएएबी के कार्यक्रमों से आई.सी.ए.आई. के भीतर डिजिटल रूप से कुशल पेशेवरों का एक व्यापक बेस तैयार हुआ है। 31 मार्च, 2025 तक, कुल 35,982 सदस्यों ने सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा पाठ्यक्रम (आईएसए/दिशा) उत्तीर्ण कर लिया है। इसी प्रकार, मार्च 2025 तक 14,206 सदस्यों को फोरेंसिक अकाउंटिंग और धोखाधड़ी का पता लगाने (एफएएफडी) में प्रमाणित किया जा चुका है। विशिष्ट योग्यताओं में यह उल्लेखनीय वृद्धि डीएएबी की पहलों की सफलता और उच्च-मांग वाले क्षेत्रों में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कौशल विकास की इच्छा को दर्शाती है। दिशा और एफएएफडी के पूर्व छात्रों की लगातार बढ़ती संख्या दर्शाती है कि कैसे बोर्ड के प्रयासों ने आईटी ऑडिट, साइबर सुरक्षा आकलन, फोरेंसिक जाँच और अन्य तकनीकी-संचालित सेवाओं को निष्पादित करने की पेशे की सामूहिक क्षमता को मजबूत किया है।

(IV) सहयोग और आउटरीच

आई.सी.ए.आई. का डिजिटल अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड (डीएएबी), जो 2000 में एक आईटी समिति से 2025 में एक अग्रणी बोर्ड बनने तक की अपनी 25 साल की यात्रा का जश्न मना रहा है, ने इस पेशे में डिजिटल उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आईएसएसीए, आईसीएएसएल और हाइपरलेजर जैसी वैश्विक संस्थाओं के साथ सहयोग के माध्यम से, डीएएबी ने सूचना प्रणाली ऑडिट, फोरेंसिक और ब्लॉकचेन में शिक्षा को समृद्ध किया है। इसके मानकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जा रहा है, और ईएफएए के वैश्विक योग्यता मॉडल को लॉन्च करने में इसकी साझेदारी इसके नेतृत्व को उजागर करती है। डीएएबी की पहलों ने हजारों सीए को सशक्त बनाया है और पेशे की डिजिटल तत्परता में जनता का विश्वास मजबूत किया है। भविष्य में, आई.सी.ए.आई. का लक्ष्य सतत नवोन्मेष और वैश्विक सहयोग के ज़रिए इस विरासत को आगे बढ़ाना है।

7. व्यावसायिक विकास समितियाँ

7.1 एआई इन आईसीएआई

"एआई इन आईसीएआई" समिति एक नई समिति है जिसका गठन परिषद वर्ष 2024-25 में पहली बार किया गया है। इसका उद्देश्य आई.सी.ए.आई. के कार्यों में एआई को एकीकृत करना और सदस्यों, छात्रों व कर्मचारियों के लिए सेवाओं को बेहतर बनाना है। यह समिति वर्ष 2025-26 तक कार्यरत रहेगी। यह समिति डिजिटल सामग्री, वेबिनार और कार्यशालाओं के माध्यम से एआई जागरूकता को बढ़ावा देती है और एआई विशेषज्ञों तथा हितधारकों के साथ जुड़ाव करती है। समिति एआई टूल्स की पहचान करेगी, स्टार्टअप्स के साथ सहयोग करेगी और एक एआई अनुसंधान प्रयोगशाला विकसित करेगी। इसके अलावा, यह अंतर्राष्ट्रीय एआई साझेदारियां करती है, एआई में सदस्यों के लिए पेशेवर अवसरों की तलाश करती है, और बेहतर वित्तीय रिपोर्टिंग और अनुपालन समाधानों हेतु शैक्षिक सामग्री में एआई टूल्स को शामिल करती है। समिति ने सदस्यों और छात्रों के लिए एक आई.सी.ए.आई. सीए जीपीटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) कार्यक्रम शुरू किया है जो लेखांकन, लेखा परीक्षा, कर और अनुपालन से संबंधित जटिल प्रश्नों के त्वरित, एआई-संचालित समाधान प्रदान करके सदस्यों और छात्रों दोनों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। यह छात्रों के लिए एक अध्ययन सहायता के रूप में कार्य करके, प्रमुख अवधारणाओं, मानकों और विनियमों तक क्विक एक्सेस प्रदान करके सीखने को बढ़ावा देता है। सदस्यों के लिए, यह शोध को सरल बनाता है, तकनीकी प्रश्नों में सहायता करता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। इसके अलावा, यह वास्तविक समय में समस्या-समाधान में सहायता करता है और इंडस्ट्री के नए रुझानों से अपडेट रहने में मदद करता है, जिससे शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों तरह के परिणाम बेहतर होते हैं। समिति ने एआई एआईसीए लेवल 1 पर एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है जो कई प्रमुख लाभ प्रदान करता है।

- आधारभूत एआई ज्ञान: लेखांकन और वित्त से संबंधित एआई अवधारणाओं की समझ प्रदान करता है।
- व्यावहारिक एआई अनुप्रयोग: वास्तविक दुनिया के एआई के यूज़ केस को सिखाता है।
- कैरियर उन्नति: सदस्यों को मांग में रहने वाले एआई कौशल से लैस करता है, जिससे पेशेवर अवसर बढ़ते हैं।
- व्यावहारिक शिक्षा: इंटरैक्टिव सत्रों और केस स्टडी के माध्यम से एआई टूल्स और प्लेटफार्मों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- प्रमाणन: प्रतिभागियों को एआई-कुशल के रूप में मान्यता देता है, जिससे पेशे में विश्वसनीयता बढ़ती है।

उपलब्धि**याँ**

- चैटजीपीटी और कोपायलट पर डिजिटल प्रकाशन प्रकाशित हो चुके हैं। ऐसे और भी प्रकाशन पाइपलाइन में हैं।
- आई.सी.ए.आई. की एआई समिति एआई पर वेबिनार, सेमिनार और कार्यशालाएँ आयोजित कर रही है। अब तक कुल 80-90 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।
- समिति द्वारा आरसी और शाखा प्रबंधन समिति के सदस्यों, विदेशी अध्यायों के साथ एआई लिडर्स की लाइव बातचीत आयोजित की गई।
- **आई.सी.ए.आई. सीए जीपीटी**
    - चरण 1 - 1 जुलाई 2024 - पहले चरण के लिए बनाए गए 16 जीपीटी के संग्रह के साथ शुरू किया गया, जिसमें आई.सी.ए.आई. की 16 समितियाँ/विभाग शामिल हैं। इन समितियों से संबंधित दस्तावेज़ सीए जीपीटी पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिससे सदस्य इन समितियों/विभागों के विशिष्ट जीपीटी तक एक्सेस पा सकते हैं।
        - लेखांकन मानक
        - लेखा परीक्षा एवं लेखा मानक
        - कॉर्पोरेट कानून और कॉर्पोरेट प्रशासन
        - प्रत्यक्ष कर
        - विशेषज्ञ सलाह
        - जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर

- सदस्य और छात्र सेवाएँ
- स्थिरता रिपोर्टिंग मानक
- अधिनियम और विनियम
- आंतरिक लेखा परीक्षा और प्रबंधन लेखा बोर्ड
- डिजिटल लेखा और आश्वासन बोर्ड
- नैतिक मानक
- वित्तीय रिपोर्टिंग और समीक्षा बोर्ड
- दिवालियापन और मूल्यांकन मानक बोर्ड
- सहकर्मी समीक्षा बोर्ड
- आईसीएआई ई-जर्नल

➢ चरण 2 - 10 सितंबर 2024 - भारत का संविधान जीपीटी लॉन्च किया गया।

➢ चरण 3 - 28 सितंबर 2024 - यूएई वैट और यूएई कॉर्पोरेट टैक्स असिस्टेंट नाम से दो और जीपीटी का शुभारंभ

➢ चरण 4 – एआई इन आईसीएआई ने उद्योग मंच जीपीटी का शुभारंभ किया, जिसमें सदस्यों के लाभ के लिए 5000 से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट अपलोड की जाती हैं। यह विश्व स्तर पर अपनी तरह की पहली पहल है।

➢ चरण 5 - 2 फ़रवरी 2025 - एआई इन आईसीएआई का शुभारंभ डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (डीपीडीपी अधिनियम) पर जीपीटी

➢ चरण 6 – 1 अप्रैल – बैंक ऑडिट पर जीपीटी शुरू किया गया

➢ चरण -7 गैर-कॉर्पोरेट, एलएलपी, एनएलपी रिपोर्ट के लिए जीपीटी गाइड 28 मई 2025 को लॉन्च किया जाएगा।

- **आईसीएआई सीए स्टूडेंट जीपीटी का लॉन्च**

  ➢ छात्रों के लिए आईसीएआई सीए जीपीटी 16 जुलाई, 2024 को हैदराबाद में आई.सी.ए.आई. एआई इनोवेशन समिट के साथ लॉन्च किया गया था।

  ➢ फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल स्तर के छात्रों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए तीन अनुकूलित संस्करण। इन जीपीटी में पिछले प्रश्न पत्र, अध्ययन सामग्री और आई.सी.ए.आई. वेबसाइट पर प्रकाशित पाठ्यक्रम शामिल हैं।

- आईसीएआई कर्मचारियों के लिए 4 घंटे की कार्यशाला- 21 मार्च 2024 को आयोजित कार्यशाला में 700+ कर्मचारियों ने भाग लिया।
- एआई संकाय के पंजीकरण के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दी गई है, और विक्रेताओं को प्रक्रिया के अनुसार शामिल किया जाएगा
- 16 और 17 जुलाई 2024 को हैदराबाद में आई.सी.ए.आई. एआई इनोवेशन समिट 2024 का आयोजन किया है। इसमें 2000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा सम्मेलन के विभिन्न सत्रों के लिए 35 वक्ताओं को सूचीबद्ध किया गया।
- अगला संस्करण 18 और 19 जुलाई 2025 को पुणे में आयोजित किया जाएगा।
- 17 और 18 अगस्त 2024 को भिलाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- लेखांकन और वित्त के लिए एआई फोरम 23 अगस्त 2024 को चेन्नई में आयोजित किया गया। इसमें 700 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- वित्त और लेखांकन के लिए एआई फोरम 22 अगस्त 2024 को बेंगलुरु में आयोजित किया गया। इसमें 400

प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- समिति की वेबसाइट ai.icai.org शुरू हो गई है और चालू है।
- समिति का ट्विटर अकाउंट और व्हाट्सएप चैनल एक्टिव है।
- एआई इन आईसीएआई के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण स्वीकार किया गया है और विज्ञापित किया गया है।
- एआई फैकल्टी मीट 29 अप्रैल, 2024 को आयोजित की गई थी।
- पहला फैकल्टी आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम (एफआईपी) 21, 22, 23 और 24 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया था।
- दूसरा एफआईपी 9 और 10 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया गया। कुल 80 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 60 से अधिक ने सत्र में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। लगभग 25 प्रतिभागियों को शॉर्टलिस्ट किया गया और ज़ूम के माध्यम से ऑनलाइन प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया।
- तीसरा एफआईपी 4 और 5 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया था। 180 से अधिक प्रतिभागियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 120+ को एफडीपी में भाग लेने के लिए चुना गया था।
- चौथा एफआईपी 16 और 17 मई 2025 को आयोजित किया गया। इसमें 70 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- कुल 40 संकाय सदस्य एआई सीए सर्टिफिकेट कोर्स में शामिल हुए हैं।
- आई.सी.ए.आई. ई-जर्नल का मई 2024 संस्करण जारी किया गया है, जो एआई पर केंद्रित है, जिसमें एआई संकाय और हैकाथॉन प्रतिभागियों द्वारा योगदान किए गए 3-4 लेख शामिल हैं।

एआई पर सर्टिफिकेट कोर्स - एआईसीए लेवल 1

- परिषद ने एआई पर सर्टिफिकेट कोर्स को मंजूरी दी।
- एआईसीए सर्टिफिकेट कोर्स 16 जुलाई, 2024 को हैदराबाद में एआईएस इनोवेशन समिट में लॉन्च किया गया।
- पहला सर्टिफिकेट कोर्स (बैच 1, बैच 2, बैच 3 और बैच 4) 21, 22 और 23 अगस्त, 2024 को आई.सी.ए.आई. सीओई हैदराबाद में आयोजित किया गया था।
- आज तक कुल 420+ एआईसीए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अनुसूचित हैं।
- कुल 15000+ प्रतिभागियों को एआईसीए लेवल 1 प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ
- कुल 20000+ प्रतिभागी पंजीकृत एआईसीए लेवल 1 पंजीकृत
- एआईसीए पाठ्यक्रम 26 राज्यों और 100 शहरों में निर्धारित है।
- पाठ्यक्रम के लेवल 2 को मंजूरी दे दी गई है और इसे शीघ्र ही लॉन्च किया जाएगा
- 24 मई 2024 को आई.सी.ए.आई. कर्मचारियों के लिए आईसीएआई एआई इनोवेट चैलेंज का आयोजन

एआई हैकथॉन

सीज़न 1

- आई.सी.ए.आई. समिति ने 5 अप्रैल, 2024 को एआई हैकाथॉन सीजन 1 की शुरुआत की।
- कुल 60 प्रतिभागियों ने छह हैकाथॉन में भाग लिया।
- इनमें से 18 प्रतिभागी सेमी-फाइनल 1 और सेमी-फाइनल 2 में पहुंचे।
- सात फाइनलिस्टों ने 16 जुलाई, 2024 को हैदराबाद में ग्रैंड फिनाले में भाग लिया।
- ग्रैंड फिनाले के परिणाम 2 अगस्त, 2024 को हैकाथॉन सीज़न 2 के शुभारंभ के दौरान घोषित किए गए।

सीज़न 2

- एआई हैकाथॉन का सीज़न 2.0 नवंबर 2024 में शुरू हो गया है।

- 7 मार्च 2025 को आयोजित ग्रैंड फिनाले में 12 पैनलिस्टों ने भाग लिया, जिसमें 3 विजेताओं की घोषणा की गई।

सीज़न 3

- एआई हैकाथॉन का सीज़न 3.0 21 मार्च 2025 को शुरू हो गया है।
- आठ प्रारंभिक दौर आयोजित किये जा चुके हैं।
- दो सेमीफाइनल 6 जून 2025 और 13 जून 2025 को आयोजित किए जाएंगे।
- ग्रैंड फिनाले आई.सी.ए.आई. एआई इनोवेशन समिट 2025 के दौरान आयोजित किया जाएगा।

एआई इन आईसीएआई पर पुस्तक लेखन की श्रृंखला शुरू

- निम्नलिखित तीन पुस्तकें शीघ्र ही लॉन्च की जाएंगी:
  - एथिक्स इन एआई
  - प्राइवेसी इन एआई
  - इंपैक्ट ऑफ एआई इन इंडियन इकोनॉमी

7.2 उद्योग और व्यापार सदस्यों के लिए समिति (सीएमआईएंडबी)

(I) नए क्वालिफाइड चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के लिए कैंपस प्लेसमेंट कार्यक्रम

कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम (वर्ष में दो बार आयोजित) नए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (एनक्यूसीए) और अपनी मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिभाओं को नियुक्त करने के इच्छुक संगठनों, दोनों को एक मंच प्रदान करता है। यह कार्यक्रम, एक वन-स्टॉप सॉल्यूशन होने के नाते, नियोक्ताओं को एनक्यूसीए के साथ जुड़ने, होनहार पेशेवरों के विशाल समूह के विवरणों का अवलोकन करने और सर्वश्रेष्ठ से भी बेहतर पाए जाने वाले उपयुक्त व्यक्ति/व्यक्तियों की भर्ती करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।

- कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम का 59वां संस्करण - फरवरी-मार्च 2024

  कैम्पस प्लेसमेंट प्रोग्राम का 59वां संस्करण - फरवरी मार्च 2024 कैम्पस प्लेसमेंट प्रोग्राम के 59वें संस्करण में उन उम्मीदवारों को शामिल किया गया है जिन्होंने नवंबर 2023 में आयोजित मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिन उम्मीदवारों ने तत्काल पिछली परीक्षा में अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की है, लेकिन तत्कालीन कैम्पस प्रोग्राम के लिए पंजीकरण नहीं कराया था, उन्हें पंजीकरण करने की अनुमति दी गई थी। साक्षात्कार 9 प्रमुख (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और पुणे) और 17 छोटे केंद्रों (भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़, कोयंबटूर, दुर्गापुर, एर्नाकुलम, इंदौर, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, नोएडा, पटना, रांची, रायपुर, ठाणे, वडोदरा और विशाखापत्तनम) में सफलतापूर्वक पूरे हुए। 59वें संस्करण की सांख्यिकीय जानकारी इस प्रकार है:

कैंपस प्लेसमेंट **प्रोग्राम**	कैम्पस फरवरी-मार्च **2024**
पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या	6888
भाग लेने वाली कंपनियों की कुल संख्या	198
भाग लेने वाले संगठनों द्वारा गठित साक्षात्कार टीमों की संख्या	412
भाग लेने वाली कंपनियों द्वारा प्रस्तावित नौकरियों की संख्या	3002
भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा स्वीकार की गई नौकरियों की संख्या	2218
उच्चतम वेतन (कंपनी की लागत) की पेशकश	29 लाख प्रति वर्ष
औसत वेतन	13.12 लाख प्रति वर्ष

- कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम का 60वां संस्करण - अगस्त-सितंबर 2024

  कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम का 60वां संस्करण - अगस्त-सितंबर 2024 कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम के 60वें संस्करण में उन उम्मीदवारों को शामिल किया गया है जिन्होंने मई 2024 में आयोजित अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिन उम्मीदवारों ने तत्काल पिछली परीक्षा में अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की है, लेकिन तत्कालीन कैंपस प्रोग्राम के लिए

पंजीकरण नहीं कराया था, उन्हें पंजीकरण करने की अनुमति दी गई थी। साक्षात्कार 9 प्रमुख (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और पुणे) और 17 छोटे केंद्रों (भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़, कोयंबटूर, दुर्गापुर, एर्नाकुलम, इंदौर, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, नोएडा, पटना, रांची, रायपुर, ठाणे, वडोदरा और विशाखापत्तनम) में सफलतापूर्वक पूरे हुए। 60वें संस्करण की सांख्यिकीय जानकारी इस प्रकार है:

कैंपस प्लेसमेंट **प्रोग्राम**	कैंपस अगस्त-सितंबर **2022**
कुल पंजीकृत उम्मीदवार	15266
भाग लेने वाले संगठनों की कुल संख्या	241
कुल घोषित रिक्तियां	9199
कुल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार	14538
भाग लेने वाली कंपनियों द्वारा प्रस्तावित नौकरियों की संख्या	4782
भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा स्वीकार की गई नौकरियों की संख्या	3705
घरेलू पोस्टिंग के लिए दिया जाने वाला उच्चतम वेतन	36 लाख प्रति वर्ष
औसत वेतन	**12.49** लाख प्रति वर्ष

- **महिला सीए के लिए प्लेसमेंट प्रोग्राम**

आई.सी.ए.आई. महिला सदस्यों की क्षमता विकास हेतु अनेक उपाय कर रहा है ताकि वे अपने पेशेवर ज्ञान और विशेषज्ञता का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें। महिला सदस्यों को सशक्त बनाने की भावना से, आई.सी.ए.आई. ने महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति (डब्ल्यूएमईसी) के साथ मिलकर महिला सीए के लिए दूसरे प्लेसमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया।

(II) अनुभवी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की नियुक्ति हेतु करियर एसेंट प्रोग्राम

सीएमआईएंडबी अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक अनुकूलित कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम प्रदान करता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अग्रणी संगठनों में करियर में उन्नति सुनिश्चित करने का एक मंच प्रदान करता है और संगठनों के लिए सर्वश्रेष्ठ वित्त एवं लेखा पेशेवरों की भर्ती का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। यह कार्यक्रम मौजूदा कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम का एक विस्तार है, जो सीएमआईएंडबी द्वारा नए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए वर्ष में दो बार नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। इसमें भाग लेने वाली भारतीय कंपनियों को निम्नलिखित अनुभव मानदंडों के अनुसार न्यूनतम सीटीसी प्रदान करना होगा:

क्र. सं.	कार्य अनुभव	न्यूनतम कॉस्ट टू कंपनी
1.	1-5 वर्ष	12 लाख प्रति वर्ष
2.	5-10 वर्ष	17 लाख प्रति वर्ष
3.	10-20 वर्ष	26 लाख प्रति वर्ष
4.	20 वर्ष और उससे अधिक	38 लाख प्रति वर्ष

कैरियर एसेंट प्रोग्राम, 2024 जून 2024 में आयोजित किया गया था।

(III) उद्योग और व्यापार में सीए उपलब्धि हासिल करने वालों को सम्मानित करने हेतु वार्षिक आई.सी.ए.आई. पुरस्कार

आई.सी.ए.आई. ने 2007 में उन सदस्यों को सम्मानित करने के लिए आई.सी.ए.आई. पुरस्कारों की स्थापना की जिन्होंने उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है और सीए पेशेवरों के रूप में अपनी पदों पर नई ऊँचाइयां हासिल करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य उत्कृष्ट कौशल, समर्पण, उत्साह, नेतृत्व और अच्छी पद्धतियों को लागू करने की क्षमता प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिनका अनुकरण करने का प्रयास अन्य लोग करते हैं। इस वर्ष के लिए पुरस्कार प्रक्रिया 14 सितंबर, 2024 को विभिन्न श्रेणियों के तहत नामांकन के पंजीकरण के साथ शुरू हुई, जिनमें सीए बिज़नेस लीडर, सीए सीएफओ और सीए सीएक्सओ, सीए उद्यमी, सीए ग्लोबल अचीवर, और सीए विशेष मान्यता (विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए) शामिल हैं। कुल 118 नामांकन प्राप्त हुए। नामांकन समिति की बैठक 10 जनवरी, 2024 को मुंबई में हुई।

(IV) 40 अंडर 40 - सीए बिजनेस लीडर्स

उद्योग एवं व्यवसाय सदस्यों की समिति (सीएमआईएंडबी) ने सीएनबीसी-टीवी18 और बिज़नेस स्टैंडर्ड के सहयोग से, 40 वर्ष से कम आयु के उत्कृष्ट युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सम्मानित करने के लिए प्रतिष्ठित *सीए बिज़नेस लीडर-40 अंडर 40 सीज़न 3* पुरस्कारों का सफलतापूर्वक आयोजन किया। 17 जनवरी, 2024 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में, सीए के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता और योगदान के लिए अनुकरणीय व्यावसायिक लिडर्स को सम्मानित किया गया। उद्योग विशेषज्ञों के एक प्रतिष्ठित पैनल द्वारा निर्णायक मंडल द्वारा आयोजित इस समारोह में प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर गहन चर्चाएँ भी हुईं, जिसने इसे सीए समुदाय के भीतर प्रतिभा और नेतृत्व का एक यादगार उत्सव बना दिया।

(V) उद्योग जगत के सदस्यों के लिए सीपीई अध्ययन मंडलियों की सुविधा प्रदान करना

सीएमआईएंडबी उन संगठनों को, जहाँ 25 से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट कार्यरत हैं, उनके लिए सतत व्यावसायिक शिक्षा को आगे बढ़ाने हेतु एक मंच/अध्ययन मंडल बनाने में सहायता प्रदान करता है। ये अध्ययन मंडल उन्हें समकालीन प्रासंगिक विषयों पर आंतरिक प्रशिक्षण सत्र और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में सहायता करते हैं।

(VI) वर्ष के दौरान सीएमआईएंडबी द्वारा आयोजित कार्यक्रम और आयोजन

उल्लेखनीय पहल

- सीए रैंक धारकों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम
- मानव संसाधन बैठकें
- उद्योग-विशिष्ट वेबिनार
- अन्य कार्यक्रम और सेमिनार
- शोध अध्ययन पर रिपोर्ट: विभिन्न राज्यों में उद्योगों का प्रदर्शन

(VII) सीए फाइनल रैंक धारकों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम

सीएमआईएंडबी ने नवंबर 2024 की परीक्षा में सीए फाइनल रैंक धारकों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम के 9वें बैच का आयोजन किया ताकि उनके प्रबंधकीय और नेतृत्व कौशल में सुधार हो सके और उन्हें अच्छे वेतन पैकेज प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। एमडीपी का यह बैच इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के सहयोग से 18 से 27 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया था।

(VIII) वर्ष 2024-25 के दौरान सीएमआईएंडबी द्वारा आयोजित उद्योग-विशिष्ट वेबिनार

उद्योग एवं व्यवसाय के सदस्यों के लिए समिति ने आई.सी.ए.आई. के सदस्यों के बीच उभरते नियमों, तकनीकी प्रगति, उद्योग की अच्छी पद्धतियों और ज्ञान, समस्या निवारण कौशल, सतत शिक्षा और कैरियर उन्नति के बारे में ज्ञान का प्रसार करने के लिए उद्योग-विशिष्ट वेबिनार का आयोजन किया।

(IX) आई.सी.ए.आई. ने उद्योग में सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया

आई.सी.ए.आई., एक प्रमुख वैधानिक निकाय है जिसके दुनिया भर में 400,000 से ज़्यादा सदस्य और 985,000 छात्र हैं, और यह सीए पेशे को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। उद्योग एवं व्यवसाय में सदस्यों के लिए समिति (सीएमआईएंडबी) आई.सी.ए.आई. और उद्योग जगत के सीए के बीच संबंधों को मज़बूत करती है। इसके नेतृत्व में, सीएमआईबी पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें कैंपस प्लेसमेंट के लिए एक प्लेसमेंट पोर्टल और आगामी सीए जॉब पोर्टल शामिल है—एक व्यापक भर्ती प्लेटफ़ॉर्म जो रिज्यूमे निर्माण, नौकरी संबंधी सुझाव, साक्षात्कार उपकरण, और बहुत कुछ प्रदान करता है। इन पहलों का उद्देश्य तेज़ी से विकसित हो रहे पेशेवर परिदृश्य में करियर विकास के लिए सदस्यों को भविष्य के लिए तैयार संसाधनों से सशक्त बनाना है।

(X) इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) के सहयोग से नेतृत्व पर मास्टरक्लास

समिति ने इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस (आईएसबी) के सहयोग से आई.सी.ए.आई. सदस्यों के लिए नेतृत्व पर एक मास्टरक्लास आयोजित किया, जिसमें आईएसबी पोर्टल के माध्यम से पूर्व-रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान और ऑनलाइन स्व-मूल्यांकन प्रस्तुत किए गए। आवश्यक शिक्षण घंटे पूरे करने पर, प्रतिभागियों को आई.सी.ए.आई. और आईएसबी से एक संयुक्त प्रमाणन मिला। आलोचनात्मक चिंतन, कहानी सुनाने और स्व-नेतृत्व को शामिल करने वाला यह कार्यक्रम, ₹1,000 + जीएसटी के मामूली शुल्क पर और कैंपस प्लेसमेंट पंजीकरणकर्ताओं (अगस्त-सितंबर 2024 और फरवरी-

मार्च 2025) के लिए निःशुल्क उपलब्ध था। कॉर्पोरेट समूह पंजीकरण को भी प्रोत्साहित किया गया। जनवरी 2025 में बैच 8 के साथ समापन करते हुए, इस कार्यक्रम में निःशुल्क और सशुल्क श्रेणियों में 27,000 से अधिक पंजीकरण हुए।

(XI) आईएसबी, हैदराबाद के सहयोग से प्रबंधन विकास कार्यक्रम

समिति ने इस वर्ष पहली बार आईएसबी (प्रथम बैच) के सहयोग से 11वें और 12वें बैच के लिए उत्कृष्टता केंद्र, हैदराबाद के साथ जुलाई 2024 और नवंबर 2024 के रैंक धारकों के लिए एमडीपी कार्यक्रम आयोजित किया है। इससे पहले, समिति ने पिछले वर्ष के रैंक धारकों के लिए विभिन्न आईआईएम के साथ इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया था। यह कार्यक्रम विशेष रूप से आई.सी.ए.आई. के सभी रैंक धारकों के लिए उनकी प्रबंधकीय और नेतृत्व क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे उनकी मजबूत तकनीकी दक्षता के साथ-साथ व्यवसाय की समग्र समझ में भी सुधार होगा।

(XII) सीएफओ नेक्स्ट फोरम 2024

उद्योग एवं व्यवसाय जगत के सदस्यों के लिए गठित समिति ने भारत के विभिन्न स्थानों पर सीएफओ नेक्स्ट फोरम कार्यक्रम आयोजित किए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीएफओ को आज के जटिल व्यावसायिक परिवेश में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान, संपर्क और अंतर्दृष्टि प्रदान करके उन्हें अपने संगठनों में अधिक प्रभावी नेतृत्वकर्ता और रणनीतिक साझेदार बनने के लिए सशक्त बनाना है। यह कार्यक्रम सीएफओ और व्यावसायिक नेताओं को अपने अनुभव और परिवर्तनकारी बदलावों को साझा करने हेतु एक साथ लाता है।

(XIII) बिजनेस लीडर्स फोरम 2024

उद्योग एवं व्यवसाय जगत के सदस्यों के लिए समिति द्वारा 26 नवंबर को बिजनेस लीडर्स फोरम 2024 का आयोजन किया गया, जिसकी मेज़बानी आई.सी.ए.आई., सिंगापुर चैप्टर ने पैन पैसिफिक, रैफल्स बुलेवार्ड, सिंगापुर में की। शाम को दो पैनल चर्चाएँ हुईं जो विशेष रूप से वर्तमान आर्थिक माहौल से संबंधित थीं। पहला पैनल, जो भारत में आर्थिक रुझानों और निवेश के अवसरों पर केंद्रित था, भारत की विकास क्षमता का लाभ उठाने के इच्छुक व्यवसायों के लिए आशाजनक अवसरों पर गहन चर्चा करेगा। दूसरा पैनल, रणनीतिक गठबंधन बनाने और लाभ को अधिकतम करने पर, सतत विकास को गति देने में साझेदारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करेगा। यह आयोजन भारतीय और सिंगापुरी व्यवसायों के बीच सार्थक संबंधों को बढ़ावा देने और तालमेल तलाशने के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करता है।

7.3 सीए फर्मों के एकत्रीकरण के लिए समिति

आई.सी.ए.आई. द्वारा 2024-2025 में गठित सीए फर्मों के एकत्रीकरण समिति (सीएसीएएफ), भारत में सीए फर्मों के परिदृश्य को नया रूप देने में सबसे आगे है। अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ, सीएसीएएफ का विज़न सीए फर्मों से संबंधित विभिन्न मौजूदा दिशानिर्देशों की संपूर्ण समीक्षा और संशोधन करने की प्रतिबद्धता से प्रेरित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे न केवल प्रासंगिक हैं बल्कि लगातार विकसित हो रहे पेशेवर और नियामक परिदृश्य के अनुकूल भी हैं जिससे उनकी परिचालन क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ रही है। सीएसीएएफ सीए फर्मों को अपनी विशेषज्ञता का विस्तार करने, संचालन को बढ़ाने और गतिशील पेशेवर परिदृश्य को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने हेतु सशक्त बनाना चाहता है। समिति की रणनीतिक पहलों का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, नीतिगत और प्रक्रियागत बाधाओं को कम करना और लचीलेपन व उत्कृष्टता का एक इकोसिस्टम विकसित करना है। हितधारक जुड़ाव, क्षमता निर्माण और निरंतर प्रतिक्रिया के माध्यम से, सीएसीएएफ यह सुनिश्चित करता है कि सीए फर्में तेजी से प्रतिस्पर्धी और विकसित होते वैश्विक बाजार में फलने-फूलने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित हों।

(I) महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- **आईसीएआई (सीए फर्मों का विलय एवं डीमर्जर) दिशानिर्देश 2024 में संशोधन:**

  समिति ने विलय और डीमर्जर दिशानिर्देशों की समीक्षा और संशोधन के लिए ठोस प्रयास किए हैं। सर्वेक्षणों से लेकर संशोधित दिशानिर्देशों के प्रारूप को प्रस्तुत करने, सीए फर्मों के साथ विचार-विमर्श सत्रों और समिति की विभिन्न बैठकों में विस्तृत चर्चाओं तक, व्यापक प्रयास किए गए हैं। आई.सी.ए.आई. (सीए फर्मों का विलय और डीमर्जर) दिशानिर्देश, 2024 को जुलाई 2024 में अनुमोदित किया गया और भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। नीतिगत और प्रक्रियात्मक, दोनों स्तरों पर दिशानिर्देशों को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है।

- **आईसीएआई (एलएलपी का एकत्रीकरण) दिशानिर्देश 2024 का परिचय:**

  समिति ने भारतीय सीए फर्मों के एकत्रीकरण हेतु नए दिशानिर्देश भी पेश किया है। यह मूलतः एक एलएलपी, भारतीय सीए फर्म को एक अन्य एलएलपी, एक सीए फर्म के साथ साझेदारी करने का अवसर प्रदान करता है। एलएलपी के बीच यह विशेष अवधारणा रणनीतिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन का काम करेगी। इन

दिशानिर्देशों के माध्यम से, फर्म अपनी क्षमताओं को काफी बढ़ा सकती हैं, अपनी बाजार उपस्थिति को व्यापक बना सकती हैं और पर्याप्त परिचालन क्षमता हासिल कर सकती हैं। यह रणनीतिक कदम उन्हें संयुक्त संसाधनों का लाभ उठाने, सेवाओं की पेशकश में विविधता लाने और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बढ़ाने में सक्षम बनाता है, जिससे अंततः बढ़ती प्रतिस्पर्धा में दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता प्राप्त होती है। आई.सी.ए.आई. (एलएलपी का एकत्रीकरण) दिशानिर्देश, 2024 को जुलाई 2024 में अनुमोदित किया गया था और भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

- **विदेशी नेटवर्क के लिए मसौदा दिशानिर्देश:**

वैश्विक मंच पर भारत की उपस्थिति बढ़ाने के आईसीएआई के दृष्टिकोण के अनुरूप, विदेशी नेटवर्क के लिए मसौदा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य नेटवर्किंग और सहयोग के लिए एक संरचित और विनियमित रास्ता बनाना है। यह पहल वैश्विक संपर्क को बढ़ावा देने, भारतीय सीए फर्मों के लिए पेशेवर अवसरों को बढ़ाने, प्रदान की जाने वाली सेवाओं की अखंडता और गुणवत्ता को बनाए रखने के साथ-साथ एक परस्पर जुड़ी दुनिया में पेशे की उभरती ज़रूरतों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

(II) समिति के कार्यक्रम

- **25 मई, 2025 को सीए के लिए विकास रणनीतियों पर सेमिनार आयोजित किया गया,** जिसमें "सीए फर्मों के नेटवर्किंग/विलय की आवश्यकता" पर एक सत्र और "विलय / विभाजन और नेटवर्किंग दिशानिर्देश" और "भारतीय सीए फर्मों की सफलता की कहानी" पर विस्तृत चर्चा शामिल थी।
- **विचार-मंथन सत्रों की शृंखला 'मंथन : नीतियों की समीक्षा' -** 3 जून और 6 जून, 2024 को, सीए फर्मों के एकत्रीकरण के लिए समिति (सीएसीएएफ) ने विलय और विभाजन दिशानिर्देशों और नए एलएलपी फर्म नेटवर्क मॉडल में प्रस्तावित संशोधनों पर एक्सपोजर ड्राफ्ट की समीक्षा करने में हितधारकों, विशेष रूप से सीए फर्मों को शामिल करने के लिए मंथन : नीतियों की समीक्षा शीर्षक से वर्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र आयोजित किए। 22 मई, 2024 को जारी किए गए ये ड्राफ्ट व्यावहारिक निहितार्थों और कार्यान्वयन रणनीतियों की खोज के उद्देश्य से चर्चा का केंद्र बिंदु थे। सत्रों में विलय, नेटवर्किंग और प्रस्तावित संशोधनों पर एमसीक्यू के साथ इंटरैक्टिव ऑनलाइन पोल शामिल थे, जिससे तत्काल प्रतिक्रिया मिली और वास्तविक दुनिया के अनुभवों के साथ संवाद समृद्ध हुआ, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि दिशानिर्देशों को सीए पेशे की बदलती जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए परिष्कृत किया गया है।
- **एमसीए सचिव के साथ 'सीए फर्मों के एकत्रीकरण' पर संवादात्मक सत्र-** 21 जून, 2024 को, सीए फर्मों के एकत्रीकरण हेतु समिति (सीएसीएएफ) ने *'सीए फर्मों का एकत्रीकरण'* विषय पर दो संवादात्मक सत्रों का आयोजन किया , जिसमें कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव और संयुक्त सचिव शामिल हुए। इन सत्रों में विभिन्न आकार की सीए फर्मों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और ये सत्र पेशेवर और नीति निर्माताओं के बीच संवाद के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किए। सरकारी अधिकारियों ने प्रतिभागियों की चिंताओं का समाधान किया और भारतीय सीए फर्मों के विकास, समेकन और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एक सहायक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- **परामर्शदात्री आउटरीच बैठकें:** विदेशी नेटवर्किंग पर प्रस्तावित दिशानिर्देशों के मसौदे पर परामर्श करने के लिए सीए फर्मों के साथ 31 जुलाई, 2024 को वर्चुअल मोड के माध्यम से चार परामर्शदात्री आउटरीच बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें 136 अभ्यासरत सीए ने भाग लिया और बैठकों के दौरान और बाद में ईमेल के माध्यम से अपनी टिप्पणियां दीं।
- **'नेटवर्क से नेट वर्थ: सीए फर्मों के लिए विकास की संभावनाओं को उजागर करना' विषय पर आउटरीच कार्यक्रम -** सीए फर्मों के एकत्रीकरण समिति (सीएसीएएफ) ने एनआईआरसी और उसकी शाखाओं के सहयोग से फरीदाबाद, पटियाला और शाहदरा, दिल्ली में "नेटवर्क से नेट वर्थ: सीए फर्मों के लिए विकास की संभावनाओं को उजागर करना" शीर्षक से कई आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में सीएसीएएफ के अध्यक्ष और आई.सी.ए.आई. के पूर्व अध्यक्ष द्वारा विलय, एलएलपी एकत्रीकरण और रणनीतिक सहयोग के माध्यम से विकास रणनीतियों पर केंद्रित प्रमुख सत्र शामिल थे। इन कार्यक्रमों में नेटवर्किंग के माध्यम से सीए फर्मों के विस्तार पर जोर दिया गया और इनका समापन संवादात्मक चर्चाओं और मजबूत पेशेवर जुड़ाव के साथ हुआ।

7.4 अभ्यासरत सदस्यों के लिए समिति (सीएमपी)

अभ्यासरत सदस्यों के लिए समिति **(सीएमपी)**, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) **की एक गैर-स्थायी समिति है, जिसकी स्थापना लक्षित पहलों के माध्यम से व्यवसायियों और फर्मों के प्रैक्टिस पोर्टफोलियो को पुनः** तैयार

करने के प्राथमिक उद्देश्य से की गई है। वैश्विक स्तर पर सक्षम पेशेवरों को तैयार करने के आई.सी.ए.आई. **के व्यापक मिशन के अनुरूप**, अभ्यासरत सदस्यों के लिए समिति **(सीएमपी)**, इन **प्रैक्टिस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की** क्षमता सृजन **के उद्देश्य से बहुआयामी पहल करती है। सदस्यों के प्रैक्टिस पोर्टफोलियो को सुदृढ़ करने और उनकी दृश्यता बढ़ाने के अपने अधिदेश के अनुसरण में, सीएमपी नियमित रूप से पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ, सम्मेलन, सेमिनार, प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, विचार-मंथन सत्र और इंटरैक्टिव फ़ोरम आयोजित करती है।**

(I) क्षमता सृजन उपाय**:**

समिति ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए नए पेशेवर रास्ते खोलने हेतु पाँच प्रमुख उभरते क्षेत्रों की पहचान की। पहचाने गए पाँच प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं:

- जीएसटी संबंधी विवाद
- रियल एस्टेट सुपर कंसल्टेंट्स
- एमएसएमई सलाहकार
- वैश्विक परामर्श सेवाएँ,
- वर्चुअल सीएफओ

एक आधारभूत कदम के रूप में, मास्टर प्रशिक्षकों, कंटेंट राइटर्स और प्रशिक्षकों से युक्त एक मज़बूत संसाधन पूल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो उभरते और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संरचित क्षमता सृजन कार्यक्रमों को डिज़ाइन और कार्यान्वित करने में सहायक होंगे। इसके अलावा, समिति ने जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति के सहयोग से जीएसटी मुकदमेबाजी पर एक विशेष छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया है, जिसका उद्देश्य पेशेवरों को ग्राहकों का सक्षम प्रतिनिधित्व करने और जटिल जीएसटी-संबंधी कानूनी मामलों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाना है। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए, देशव्यापी पहुँच हेतु प्रशिक्षकों के इस पूल का निर्माण करने के उद्देश्य से एक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है।

(II) गतिविधियाँ/पहल:

- "प्रैक्टिस की पाठशाला"

आई.सी.ए.आई. **की** अभ्यासरत सदस्यों के लिए समिति **(सीएमपी) द्वारा शुरू की गई "प्रैक्टिस की** पाठशाला" **,** एक प्रमुख व्यावसायिक विकास पहल है जिसका उद्देश्य इन प्रैक्टिस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की मुख्य दक्षताओं को बढ़ाना है। जयपुर और हैदराबाद के उत्कृष्टता केंद्रों में आयोजित, यह कार्यक्रम अभ्यास प्रबंधन, ग्राहक संचार, वित्तीय **नियोजन और एआई, साइबर सुरक्षा और डेटा एनालिटिक्स जैसी उन्नत तकनीकों के उपयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। 17 सफल बैचों और** अच्छी **प्रतिभागी प्रतिक्रिया के साथ, कार्यक्रम को अब 3-दिवसीय आवासीय प्रारूप से अधिक लचीले 4-दिवसीय आवासीय / गैर-आवासीय संरचना में अपग्रेड किया गया है, जो सीए समुदाय में अधिक पहुंच और व्यापक पहुंच सुनिश्चित करता है।**

- **ग्रो योर प्रैक्टिस** पर वेबिनार की श्रृंखला

आई.सी.ए.आई. की अभ्यासरत सदस्यों के लिए समिति (सीएमपी) "ग्रो योर प्रैक्टिस" विषय पर कई वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है। ये वेबिनार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपने प्रोफेशनल प्रैक्टिस का विस्तार और संवर्धन करने हेतु नवीनतम टूल्स, रणनीतियों और अंतर्दृष्टि से लैस करने हेतु तैयार किए गए हैं। व्यवसाय विकास, डिजिटल परिवर्तन, ग्राहक प्रबंधन और उभरते अवसरों जैसे विविध विषयों को शामिल करते हुए, इस श्रृंखला का उद्देश्य सदस्यों को उभरते व्यावसायिक परिदृश्य में प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में सशक्त बनाना है। प्रत्येक सत्र में उद्योग विशेषज्ञ और अनुभवी व्यवसायी एक साथ आते हैं जो व्यावहारिक ज्ञान और नए दृष्टिकोण साझा करते हैं ताकि सीए को एक स्थायी और अच्छे अभ्यास का निर्माण करने में मदद मिल सके। इस पहल के माध्यम से, सीएमपी सीए समुदाय के भीतर विकास और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अब तक अभ्यासरत सदस्यों के लिए समिति ने ऐसे 36 वेबिनार सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं।

- अभ्यासरत सदस्यों के लिए लेखापरीक्षा और लेखा उपकरणों पर ऑनलाइन साप्ताहिक प्रशिक्षण

आई.सी.ए.आई. की प्रैक्टिस में सदस्यों की समिति (सीएमपी) ने प्रैक्टिस कर रहे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के लिए ऑडिट और अकाउंटिंग टूल्स पर केंद्रित एक साप्ताहिक प्रशिक्षण का आयोजन किया है। इन सत्रों का उद्देश्य नए ऑडिट और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और कार्यप्रणाली में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करके सीए की तकनीकी दक्षता को बढ़ाना है। प्रत्येक सप्ताह, प्रतिभागी ऑडिट ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स और डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटिंग के विभिन्न पहलुओं पर

विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में चर्चा करते हैं जो व्यावहारिक प्रदर्शन और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। प्रशिक्षण को प्रैक्टिशनर्स को अपनी ऑडिट प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, सटीकता में सुधार करने और विकसित नियामक मानकों के अनुपालन को बनाए रखने में मदद करने हेतु बनाया गया है। यह पहल सदस्यों को तेजी से डिजिटल होते ऑडिट और अकाउंटिंग परिवेश में पेशे में सबसे आगे रहने के लिए आवश्यक कौशल और संसाधनों से लैस करती है। समिति ने प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, टैली, ज़ोहो, एनी ऑडिट-ऑडिट एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, एश्योर एआई-ऑडिट एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर जैसे उपकरणों पर 29 प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किए थे।

- **पैथवे टू प्रैक्टिस** - सीओपी आवेदकों के लिए 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

7-दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को महत्वाकांक्षी प्रैक्टिशनर को चार्टर्ड अकाउंटेंसी के निरंतर विकसित होते क्षेत्र में सफल करियर बनाने के लिए आवश्यक टूल्स, ज्ञान व रणनीति प्रदान करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम विशेषज्ञ-नेतृत्व वाले सत्रों, इंटरैक्टिव कार्यशालाओं और नेटवर्किंग के अवसरों को मिलाकर एक गहन शिक्षण अनुभव प्रदान करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य अभिनव करियर पथों की खोज करना, नियामक ढांचे के साथ अद्यतन रहना या एक पेशेवर नेटवर्क का निर्माण करना है, यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भविष्य के लिए तैयार प्रैक्टिशनर्स के लिए एक परिवर्तनकारी मंच के रूप में कार्य करता है। कार्यक्रम का उद्घाटन बैच 10 से 16 फरवरी 2025 तक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई), जयपुर, आई.सी.ए.आई. में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। वर्तमान में , अभ्यासरत सदस्यों के लिए समिति (सीएमपी) इसकी प्रभावशीलता और प्रासंगिकता को और बढ़ाने के लिए कार्यक्रम की संरचना को नया रूप देने की प्रक्रिया में है।

- **सीए फर्मों के नेटवर्किंग और अन्य समेकन उपायों को बढ़ावा देना**

सदस्यों और प्रैक्टिस के लिए समिति, प्रैक्टिस को तेज करने और अधिकतम करने पर एक प्रमुख, दो दिवसीय राष्ट्रीय नेटवर्किंग शिखर सम्मेलन का आयोजन करके ज्ञान का प्रसार करने वाले प्रैक्टिशनर/सीए फर्म के लिए कॉर्पोरेट रूप में विलय, नेटवर्किंग, प्रैक्टिस को बढ़ावा दे रही है।

- **आईसीएआई के सदस्यों के क्षमता सृजन के लिए विभिन्न विषयों पर समिति द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशालाएं आयोजित की गईं**

समिति ने कार्यरत सदस्यों के लिए लगभग 68 क्षमता सृजन कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें आयकर, अप्रत्यक्ष कराधान, केंद्रीय बजट, जीएसटी, बैंक ऑडिट, बहु-विषयक भागीदारी दिशानिर्देश, उन्नत ऑडिटिंग के लिए तकनीकी का उपयोग, धर्मार्थ ट्रस्ट और कार्यरत सीए के लिए उभरते अवसर जैसे विविध विषयों को शामिल किया गया। इन कार्यक्रमों से कुल मिलाकर लगभग 9159 सदस्य लाभान्वित हुए।

(III) आई.सी.ए.आई. के **"मेंबर बेनिफिट"** के अंतर्गत व्यवस्थाएं:

अभ्यासरत सदस्यों के लिए समिति, **प्रमुख सेवा प्रदाताओं के साथ रियायती दरों पर सेवाएँ प्रदान करने हेतु व्यवस्थाओं के माध्यम से अपने सदस्यों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपाय प्रदान करती है, जिनका लाभ सदस्य समिति की वेबसाइट** https://cmpbenefits.icai.org/ से उठा सकते हैं। अभ्यासरत सदस्यों के लिए समिति **ने** आई.सी.ए.आई. **के सदस्यों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए लाभकारी** प्रोडक्ट्स **और/या सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए विभिन्न पहल की हैं।**

(IV) "मेंबर बेनिफिट" के अंतर्गत व्यवस्थाओं की सूची इस प्रकार है:

- बीमा **प्रोडक्ट्स**
  - ➢ स्वास्थ्य बीमा एनआईए
  - ➢ व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी एनआईए
  - ➢ गृहस्वामी बीमा एनआईए
  - ➢ मोटर वाहन बीमा एनआईए
  - ➢ व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा एनआईए
  - ➢ कार्यालय सुरक्षा शील्ड नीति एनआईए
  - ➢ एलआईसी समूह सावधि बीमा योजना
  - ➢ एचडीएफसी लाइफ सावधि बीमा योजना

- सॉफ्टवेयर **प्रोडक्ट्स**
  - ➢ सीए प्रैक्टिशनर्स और सीए फर्मों के लिए प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर
  - ➢ एनीऑडिट **– ऑडिट एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर**
  - ➢ **एश्योर एआई - ऑडिट एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर**
  - ➢ **ज़ोहो सॉफ्टवेयर**
  - ➢ **टैली सॉफ्टवेयर**
  - ➢ **लेखांकन** एवं **लेखा परीक्षा स्वचालन** टूल **– सुविट**
  - ➢ प्रोब**42 प्लेटफ़ॉर्म** का एक्सेस
  - ➢ **क्लाउड आधारित** इकोसिस्टम
  - ➢ **बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप- फिनोन**
  - ➢ **बिलिंग सॉफ्टवेयर- मेरी बिल बुक**
  - ➢ क्लिक**2**कंफर्म**- बैलेंस संचार के लिए ऐप**
  - ➢ **ईज़ीऑफ़िस**
  - ➢ **जीएसटी ऑडिट सॉफ्टवेयर - बिल मंत्र**
  - ➢ एसपीईक्यूटीए **द्वारा** जीएसटी **सॉफ्टवेयर**
  - ➢ **केडीके द्वारा जीएसटी, टीडीएस सॉफ्टवेयर**
  - ➢ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस **365 लाइसेंस सेवाएँ**
  - ➢ **क्विक हील एंटीवायरस**
  - ➢ **रेज़रपे एक्स पेरोल और बैंकिंग प्लस प्लेटफ़ॉर्म**
  - ➢ **एसएजी इन्फोटेक - जीएसटी सॉफ्टवेयर**
  - ➢ **सरलीकृत अभ्यास प्रबंधन सॉफ्टवेयर**
  - ➢ **टीडीएस सॉफ्टवेयर -टीडीएसमैन**
  - ➢ **व्हाइट-लेबल अपॉइंटमेंट प्रबंधन और ऑनलाइन परामर्श प्लेटफ़ॉर्म -** MyMeet.io
  - ➢ **रैप टैक्स- डिजिटल पुष्टिकरण/ समाधान सॉफ्टवेयर**
  - ➢ **माइक्रोविस्टा द्वारा** एक्सबीआरएल प्रोडक्ट **और पावर**जीएसटी **सॉफ्टवेयर**
  - ➢ **एनईएसएल (नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड) द्वारा ऑडिट के लिए एनईएसएल सूचना उपयोगिता तक पहुंच**
- प्रकाशन
  - ➢ **बजट प्रकाशनों और अन्य प्रकाशनों पर विशेष पेशकश**
- ऋण सुविधाएं
  - ➢ **एसबीआई द्वारा सीएलपी के तहत चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के लिए एसएमई वित्त**
  - ➢ बीओबी **क्रेडिट कार्ड**
  - ➢ **ऑनलाइन पीएसबी ऋण**
- स्वास्थ्य सेवाएं
  - ➢ अपोलो प्रो हेल्थ द्वारा रियायती स्वास्थ्य सेवाएं
  - ➢ डॉ. लाल पैथलैब्स द्वारा रियायती स्वास्थ्य सेवाएं
  - ➢ मेदांता द्वारा रियायती स्वास्थ्य सेवाएं
  - ➢ मैक्स हेल्थ केयर द्वारा रियायती स्वास्थ्य सेवा लाभ
  - ➢ फोर्टिस हेल्थकेयर द्वारा रियायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ
  - ➢ अपोलो डायग्नोस्टिक सर्विसेज (एएचएलएल) द्वारा रियायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ
  - ➢ टूवर्थ वेलनेस द्वारा स्वास्थ्य लाभ योजना
- अन्य लाभ
  - **सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के** प्रोडक्ट्स **पर विशेष ऑफर**

7.5 एमएसएमई एवं स्टार्ट-अप समिति

एमएसएमई एवं स्टार्टअप समिति, आई.सी.ए.आई. की एक गैर-स्थायी समिति है, जिसकी स्थापना भारत में एमएसएमई और स्टार्टअप क्षेत्रों की महत्वपूर्ण ज़रुरतों को पूरा करने के लिए की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों के

लिए विशेष रूप से तैयार किए गए स्थायी ढाँचों के विकास के माध्यम से क्षमता का विस्तार करना है। प्रशिक्षण, वकालत और नीतिगत सुझावों पर ध्यान केंद्रित करके, समिति का उद्देश्य भारतीय एमएसएमई और स्टार्टअप के विकास और लचीलेपन को बढ़ावा देना है, जिससे उद्यमिता और आर्थिक विकास के लिए अनुकूल परिवेश का निर्माण हो सके।

(I) एमएसएमई एवं स्टार्टअप समिति, आई.सी.ए.आई. की पहल

एमएसएमई और स्टार्टअप्स की क्षमता सृजन उपायों को बढ़ाने के लिए, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) ने एमएसएमई एवं स्टार्टअप समिति के माध्यम से एमएसएमई और स्टार्टअप पर विभिन्न पहल शुरू कीं।

- **आईसीएआई स्टार्टअप मंथन -** एमएसएमई एवं स्टार्टअप समिति ने 17 जनवरी 2025 को जियो वर्ल्ड सेंटर, बीकेसी, मुंबई में आई.सी.ए.आई. स्टार्टअप मंथन का आयोजन किया। यह कार्यक्रम स्टार्टअप इकोसिस्टम के विचारकों, निवेशकों, उद्यमियों और प्रमुख हितधारकों को प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा करने और बहुमूल्य अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए एक साथ लाता है। इस कार्यक्रम में सरकारी इकोसिस्टम, नए अवसर, वित्त पोषण की चुनौतियाँ, निकास रणनीतियाँ और आई.सी.ए.आई. एमएसएमई एवं स्टार्टअप यात्रा 2024 के लिए एशिया और भारत बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से सम्मान शामिल थे।
- **स्टार्टअप स्फीयर 2024-** एमएसएमई और स्टार्टअप संबंधी समिति ने संबंधित आई.सी.ए.आई. निदेशालयों के साथ मिलकर 27-29 जून, 2024 को बेंगलुरु में तीन दिवसीय स्टार्टअप स्फीयर 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका विषय था "स्टार्टअप सिनर्जी: कोलॉब्रेट, क्रिएट, कॉन्कर"। इस कार्यक्रम में सरकारी सहायता, वित्त पोषण के स्रोत, स्टार्टअप मूल्यांकन, डिजिटल मार्केटिंग को प्रदर्शित किया गया और अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाया गया। इसमें स्विगी और क्रेड सहित 15 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के संस्थापक, निवेशक और प्रमुख लोग शामिल हुए और प्रमुख अतिथियों ने भी इसमें भाग लिया। सत्रों में फंडराइजिंग, एंजेल निवेश, उद्यम पूंजी और वेब 3.0 के अवसरों पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में आईसीएआई एमएसएमई और स्टार्टअप यात्रा का भी शुभारंभ किया गया, जो स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए वित्तीय और कर साक्षरता को बढ़ावा देने वाला 100 शहरों का अभियान है। स्टार्टअप इंडिया और अन्य संस्थाओं द्वारा समर्थित, स्टार्टअप स्फीयर 2024 ने नवाचार, उद्यमिता और सहयोग को बढ़ावा देने में आईसीएआई की भूमिका को सुदृढ़ किया और भारत के आर्थिक और तकनीकी विकास में योगदान दिया।
- **आईसीएआई एमएसएमई और स्टार्टअप यात्रा 2024 -** समिति ने वित्तीय और कर साक्षरता निदेशालय के सहयोग से 27 जून 2024 को "आईसीएआई एमएसएमई और स्टार्टअप यात्रा" शुरू की, जिसे 29 जून को बेंगलुरु से हरी झंडी दिखाई गई। 19 अक्टूबर 2024 तक कई राज्यों में लगभग 19,000 किलोमीटर की यह 100-दिवसीय सड़क यात्रा एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। "वित्तीय और कर साक्षरता" विषय के तहत यह अभियान, आई.सी.ए.आई. की "हमारा संकल्प विकसित भारत" पहल का एक हिस्सा है, जिसने एमएसएमई यात्रा 2022 की गति को जारी रखते हुए, वित्तीय और कर मामलों पर हितधारकों को शिक्षित करके एक स्थायी भारतीय उद्यम इकोसिस्टम के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया।
- **आईसीएआई एमएसएमई एवं स्टार्टअप यात्रा 2024 पर कॉफी टेबल बुक-** आई.सी.ए.आई. एमएसएमई एवं स्टार्टअप यात्रा 2024 पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन आई.सी.ए.आई. के 75वें वार्षिक दिवस समारोह के दौरान किया गया, जिसका आयोजन 2 फरवरी 2025 को यशोभूमि, द्वारका में वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स (डब्ल्यूओएफए) के अवसर पर किया गया। यह कॉफी टेबल बुक आई.सी.ए.आई. एमएसएमई एवं स्टार्टअप यात्रा 2024 का व्यापक दृश्य और वर्णनात्मक दस्तावेजीकरण प्रदान करती है, जिसमें प्रमुख अंतर्दृष्टि, पहल और उपलब्धियाँ शामिल हैं।
- **भोपाल में आयोजित वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन (जीआईएस) 2025 में आईसीएआई मंडप -** आईसीएआई की एमएसएमई एवं स्टार्टअप समिति ने 24-25 फरवरी को भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन (जीआईएस) 2025 के आई.सी.ए.आई. मंडप में भाग लिया। 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ, इस शिखर सम्मेलन ने एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, लेखांकन और क्षमता सृजन में आई.सी.ए.आई. के योगदान को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। मध्य प्रदेश एमएसएमई मंडप के पास स्थित, आई.सी.ए.आई. प्रदर्शनी ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया और स्टार्टअप पर सर्टिफिकेट कोर्स के लिए पृष्ठभूमि सामग्री और "भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई और एसएमपी का एक विस्तृत दृष्टिकोण" जैसे प्रमुख प्रकाशनों को प्रदर्शित किया।
- **स्टार्टअप पर सर्टिफिकेट कोर्स-** समिति द्वारा स्टार्टअप पर सर्टिफिकेट कोर्स आयोजित किया जा रहा है। इसका

उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पेशेवर सेवाएँ प्रदान करने के साथ-साथ स्वयं स्टार्टअप क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार करना है ताकि राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिल सके। यह सर्टिफिकेट कोर्स आई.सी.ए.आई. के सदस्यों को स्टार्टअप क्षेत्र के लिए व्यावसायिक समाधान प्रदाता बनाता है। स्टार्टअप पर सर्टिफिकेट कोर्स में 1200 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया।

- **एमएसएमई पर सर्टिफिकेट कोर्स -** समिति ने एमएसएमई पर सर्टिफिकेट कोर्स आयोजित किया, जिसका उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पेशेवर सेवाएँ प्रदान करने के साथ-साथ एमएसएमई क्षेत्र में स्वयं प्रवेश करने के लिए तैयार करना था; ताकि राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। यह सर्टिफिकेट कोर्स आई.सी.ए.आई. के सदस्यों को एमएसएमई क्षेत्र के लिए व्यावसायिक समाधान प्रदाता बनाता है। लगभग 1700 सदस्यों ने एमएसएमई पर सर्टिफिकेट कोर्स में भाग लिया।

- **आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम-** समिति ने आई-हब, अहमदाबाद में "स्टार्टअप्स और निवेश उत्प्रेरक के रूप में सीए की भूमिका" विषय पर आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (आरआरसी) के तीन बैच सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं, जिन्हें लगभग 200 आई.सी.ए.आई. सदस्यों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। यह आरआरसी उद्योग विशेषज्ञों, निवेशकों और नियामक निकायों के साथ नेटवर्किंग, चर्चा और अंतर्दृष्टि के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है।

- **ज़ी स्टूडियो: स्टार्टअप स्पेशल - 5-एपिसोड सीरीज़ -** नवाचार एवं उद्यमिता को सुर्खियों में लाने के अपने प्रयासों के तहत, ज़ी स्टूडियो ने भारत के गतिशील स्टार्टअप इकोसिस्टम पर प्रकाश डालते हुए पांच-एपिसोड की एक श्रृंखला शुरू की। श्रृंखला में विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि और प्रेरक वार्तालाप शामिल थे, जो स्टार्टअप क्षेत्र 2024 के अवलोकन और उभरते रुझानों, चुनौतियों और अवसरों की खोज के साथ शुरू हुआ। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ विशेष साक्षात्कार शामिल थे, जो नीति व नवाचार पर चर्चा करते थे; सिडबी के डिप्टी एमडी, वित्तपोषण और सरकारी समर्थन पर; माइंडमैप डिजिटल के सीईओ, डिजिटल नेतृत्व पर; और उद्यमी प्रोस्केलर.एआई के सह-संस्थापक और सीईओ और सैफ्रनस्टेज़ के संस्थापक, जिन्होंने अपनी स्टार्टअप यात्रा साझा की। श्रृंखला स्टार्टअप इकोसिस्टम में महत्वाकांक्षी उद्यमियों और हितधारकों के लिए एक मूल्यवान ज्ञान-साझाकरण मंच के रूप में कार्य करती है।

- **राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस - आईसीएआई स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम-** जनवरी 2025 को स्टार्टअप माह के रूप में मनाने की समिति की पहल के अनुरूप, आईसीएआई की शाखाओं ने उद्यमियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने और क्षमता सृजन हेतु स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम आयोजित किए। औरंगाबाद, बल्लारी, तिरुपुर और रांची की चार शाखाओं ने जनवरी 2025 के दौरान स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

- **स्टार्ट-अप पोर्टल-** आई.सी.ए.आई. का समर्पित पोर्टल https://startup.icai.org/ स्टार्टअप्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (बिज़नेस कंसल्टेंट के रूप में), मेंटर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट और इनक्यूबेशन सेंटर्स को जोड़ने वाला एक व्यापक प्लेटफॉर्म है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में स्टार्टअप्स को सहयोग देने के लिए मेंटर्स और निवेशकों का पैनल बनाना, कॉर्पोरेट कानून, मूल्यांकन और अप्रत्यक्ष कर जैसे क्षेत्रों में परामर्श प्रदान करने वाले आई.सी.ए.आई. सदस्य, और दूसरों को प्रेरित करने हेतु सीए के नेतृत्व वाली स्टार्टअप सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करना शामिल है। इस पोर्टल पर वर्तमान में 200 से अधिक स्टार्टअप, 78 निवेशक और 269 मेंटर्स पंजीकृत हैं, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के भीतर सहयोग और विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।

- **आई.सी.ए.आई. एमएसएमई पोर्टल-** समिति का एक समर्पित पोर्टल यानी https://msme.icai.org/ है जो नेटवर्किंग, ज्ञान साझाकरण, प्रश्नों के समाधान तंत्र और सेवाओं के आदान-प्रदान का एक सक्षम इकोसिस्टम उपलब्ध कराता है, जहाँ कोई भी एमएसएमई चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की विशेषज्ञता से लाभ उठा सके। पोर्टल पर 381 एमएसएमई पंजीकृत हैं।

- **स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन सेंटर-** आई.सी.ए.आई. के भीतर स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की उद्यमशीलता की भावना और क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु स्टार्टअप विचारों को बढ़ावा देने हेतु स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर शुरू किए हैं। आई.सी.ए.आई. द्वारा विभिन्न शहरों में 10 स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं।

(II) समझौता ज्ञापन

- आई.सी.ए.आई. स्टार्टअप गेटवे के माध्यम से स्टार्टअप्स की क्षमता सृजन के लिए आईआईएम लखनऊ एंटरप्राइज इनक्यूबेशन सेंटर, नोएडा, गुजरात स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन हब (आई-हब) और बीआईएल-रायर्सन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इनक्यूबेटर फाउंडेशन, एआईसी-नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, भुवनेश्वर,

ओडिशा, एआईसी महामना फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप आईएम बीएचयू, वाराणसी के साथ समझौता ज्ञापन।

- आई.सी.ए.आई. एमएसएमई इकोसिस्टम के माध्यम से एमएसएमई की क्षमता सृजन के लिए तमिलनाडु सरकार की एमएसएमई सुविधा प्रदान करने वाली स्वायत्त एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन।
- ओडिशा राज्य में आई.सी.ए.आई. एमएसएमई इकोसिस्टम के माध्यम से एमएसएमई की क्षमता सृजन के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के हस्तक्षेप के माध्यम से ओडिशा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन।
- आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एमएसएमई की क्षमता सृजन के लिए राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन।
- विश्वविद्यालयों, आईआईएम, आईआईटी, राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य सरकार, प्रतिष्ठित संगठनों और अन्य संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन।

(III) अन्य पहल

- एमएसएमई बुकलेट "भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और लघु एवं मध्यम व्यवसायियों का एक विस्तृत दृष्टिकोण"
- स्टार्टअप पर सर्टिफिकेट कोर्स के लिए पृष्ठभूमि सामग्री
- दो त्रैमासिक समाचार पत्र अर्थात् आई.सी.ए.आई. स्टार्टअप मंथन और एमएसएमई अपडेट

(IV) आईसीएआई एमएसएमई पाठशाला श्रृंखला

एमएसएमई पाठशाला श्रृंखला एक सतत पहल है जिसका उद्देश्य पेशेवरों को एमएसएमई और स्टार्टअप क्षेत्रों के व्यापक ज्ञान से लैस करना है। यह नीतियों, वित्तीय ढाँचों और विकास के अवसरों जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है, साथ ही प्रतिभागियों को सरकारी पहलों और उद्योग के रुझानों से भी अवगत कराती है। परिषद के इस वर्ष से, प्रत्येक साप्ताहिक सत्र में एक विशिष्ट राज्य एमएसएमई नीति पर प्रकाश डाला जाएगा ताकि सदस्यों को क्षेत्र-विशिष्ट योजनाओं को समझने में मदद मिल सके। इसमें एमएसएमई विकास भागीदार के रूप में सीए के अवसर और कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की राज्य नीतियाँ शामिल हैं, जो एमएसएमई इकोसिस्टम के साथ निरंतर सीखने और गहन जुड़ाव को बढ़ावा देती हैं।

7.6 वर्क-लाइफ बैलेंस को बढ़ावा देने संबंधी समिति

वर्क-लाइफ बैलेंस को बढ़ावा देने वाली समिति, परिषद वर्ष 2025-26 में गठित एक नवगठित निकाय है, जिसका उद्देश्य आई.सी.ए.आई. के हितधारकों को व्यक्तिगत कल्याण के साथ-साथ अपनी व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सशक्त बनाना है। समिति एक अच्छे वर्क-लाइफ बैलेंस को पोषित करने, सतत करियर विकास को प्रोत्साहित करने और लेखा पेशे में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अग्रणी के रूप में आई.सी.ए.आई. की स्थिति को मजबूत करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस प्रयास के माध्यम से, समिति न केवल उन्नत व्यावसायिक उत्कृष्टता, बल्कि जीवन की एक अधिक संतुष्टिदायक गुणवत्ता भी विकसित करना चाहती है।

(I) कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समिति द्वारा किए गए कार्यक्रमों का विवरण

4 मई, 2025 को विश्व हास्य दिवस के उपलक्ष्य में, समिति ने आई.सी.ए.आई. के देश भर के क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं में एक जीवंत और आकर्षक समारोह का आयोजन किया। देश के कोने-कोने से आए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स - उत्तर में जम्मू और कश्मीर से लेकर दक्षिण में त्रिवेंद्रम तक, और पूर्व में डिब्रूगढ़ से लेकर पश्चिम में भुज तक - ने उत्साह और एकता के साथ इसमें भाग लिया। कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने विभिन्न शाखाओं में मिमिक्री और स्टैंड-अप कॉमेडी जैसे आकर्षक प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में तनाव के प्राकृतिक उपचार के रूप में हँसी की जबरदस्त क्षमता पर प्रकाश डाला गया, जो सदस्यों में सामुदायिकता और कल्याण की भावना को बढ़ावा देता है।

(II) वर्क-लाइफ बैलेंस को बढ़ावा देने के प्रमुख घटक के रूप में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को उजागर करने के लिए समिति द्वारा वेबकास्ट का आयोजन

मई 2025 में, समिति ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए स्वास्थ्य-केंद्रित वेबिनारों की एक श्रृंखला आयोजित की, जिसमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक कल्याण के विविध पहलुओं को शामिल किया गया। विषयों में फिटनेस की पुनर्परिभाषा "फ्रॉम कैलकुलेटर टू केटलबेल", जीवन नियोजन और संतुलन, कार्य और कल्याण, मानसिक लचीलापन "स्ट्रांगर माइंड्स, सार्पर नंबर्स" और कार्यस्थल से परे संबंध निर्माण "नर्चरिंग कनेक्शन्स" आदि शामिल थे।

7.7 सतत व्यावसायिक शिक्षा समिति (सीपीईसी)

चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पेशा सार्वजनिक व निजी, दोनों क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ाने, अनुपालन सुनिश्चित करने और प्रभावी निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पेशा वैश्विक व्यावसायिक परिवेश में वित्तीय अखंडता और रणनीतिक परामर्श की नींव रखता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) अपनी कठोर शिक्षा, व्यापक व्यावसायिक प्रशिक्षण और नैतिक एवं नियामक मानकों के अटूट पालन हेतु जाने जाते हैं। उनकी विशेषज्ञता वित्तीय रिपोर्टिंग, लेखा परीक्षा, कराधान और व्यावसायिक सलाहकार सेवाओं तक फैली हुई है, जो उन्हें सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन का अभिन्न अंग बनाती है। आई.सी.ए.आई. अपनी सतत व्यावसायिक शिक्षा समिति के ज़रिए अपने सदस्यों को सार्थक शिक्षण के अवसर प्रदान करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। सतत व्यावसायिक शिक्षा (सीपीई) केवल एक अनिवार्य आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के व्यावसायिक विकास में एक रणनीतिक निवेश है। यह बेहतर तकनीकी दक्षता, व्यापक व्यावसायिक नेटवर्क और वित्तीय परिदृश्य में उभरती जटिलताओं का समाधान करने के आत्मविश्वास के रूप में पर्याप्त लाभ प्रदान करती है। तेज़ी से विकसित हो रहे व्यावसायिक और नियामक परिवेश में—नए लेखांकन मानकों, गतिशील अनुपालन ढाँचों और तकनीकी प्रगति के साथ—सूचित व नई जानकारी से लैस रहना अनिवार्य है। आई.सी.ए.आई. की सीपीई समिति सदस्यों को इन परिवर्तनों के साथ प्रभावी ढंग से तालमेल बिठाने के लिए आवश्यक ज्ञान और साधन प्रदान करती है। ऐसा करके, यह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पेशेवर क्षमता और ईमानदारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए, अपने ग्राहकों और संगठनों को निरंतर मूल्य प्रदान करने के लिए सशक्त बनाती है। इसके अलावा, निरंतर व्यावसायिक विकास पर ज़ोर यह सुनिश्चित करता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बदलते नियमों, तकनीकों और व्यावसायिक पद्धितयों के साथ अद्यतन रहें।

(I) महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ और पहल

- राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन

सीपीई समिति ने आईसीएआई की ईआईआरसी की भुवनेश्वर शाखा द्वारा आयोजित "समृद्धि: विकास का संवर्धन, सफलता को बढ़ावा " विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सीए सम्मेलन 2024 का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि, तत्कालीन आरबीआई गवर्नर और विशिष्ट अतिथि, गेल (भारत) के सीएमडी ने तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में देश भर से 1250 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सत्रों का संचालन स्टार वक्ताओं के समूह ने किया, जिन्होंने प्रतिभागियों को एक ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद अनुभव से समृद्ध किया। समापन समारोह में, ओडिशा के उपमुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थे और नाल्को के सीएमडी भी उपस्थित थे।

- दुनिया भर में सीपीई कार्यक्रमों की गुणवत्ता और उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित करना और सीपीई शिक्षण एवं वितरण तंत्र के संदर्भ में सीपीई कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बढ़ाना

सीपीई कार्यक्रमों की गुणवत्ता और प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए, आई.सी.ए.आई. की सीपीई समिति (सीपीईसी) ने बेहतर विषय चयन, संकाय सहभागिता और कार्यक्रम संरचना के साथ अपने नियामक ढांचे को मजबूत किया है। एक सख्त निगरानी प्रणाली सीपीई आयोजन इकाइयों (पीओयू) द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करती है, जिससे जवाबदेही और निरंतर सुधार को बढ़ावा मिलता है। सीपीईसी ने शिक्षण प्रभावशीलता का आकलन करने और सक्षम संकायों का एक मजबूत समूह बनाने हेतु एक संकाय समीक्षा और प्रतिक्रिया तंत्र भी शुरू किया है। सीपीई पोर्टल में अब बेहतर संकाय चयन के लिए एक उन्नत संकाय सर्च टूल भी शामिल है। इसके अलावा, सीपीईसी पूरे भारत में सुलभ, उच्च-गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु क्षेत्रीय परिषदों, शाखाओं और अध्ययन अध्यायों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

- **सर्व - सुलभ सीपीई कार्यक्रम - ज्ञान के संवर्धन हेतु देश के दूरस्थ स्थानों पर आई.सी.ए.आई. के सदस्यों तक पहुंचना**

आईसीएआई ब्रांड को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सीपीई समिति ने इस वर्ष एक नई पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य देश भर में आई.सी.ए.आई. के दूरस्थतम सदस्यों तक पहुँचकर ज्ञान का प्रसार करना है। इस पहल का विषय 'सर्व - सुलभ - सीपीई कार्यक्रम' रखा गया है और यह आई.सी.ए.आई. के प्रत्येक सदस्य तक, चाहे वे कहीं भी रहते हों, ज्ञान का प्रभावी संचार सुनिश्चित करता है।

- **2025-26 हेतु सीपीई विषयों के कैलेंडर का नया प्रारूप**

सीपीई समिति अपने सीपीई पीओयू के ज़रिए सीपीई कार्यक्रमों के आयोजन हेतु हर साल विषयों के सीपीई कैलेंडर में संशोधन करती है। इस वर्ष, सीपीई समिति के अध्यक्ष ने सीपीई कैलेंडर में सुधार का प्रस्ताव रखा है, जिसमें इसकी प्रस्तुति को बेहतर बनाने हेतु एक नए प्रारूप और अधिक आकर्षक डिज़ाइन का सुझाव दिया गया है। उपरोक्त के अनुरूप, इस वर्ष, सीपीई कैलेंडर को तीन व्यापक भागों में प्रस्तुत किया गया है, अर्थात् भाग क में पेशेवर

परिदृश्य के वर्तमान प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित मानक कार्यक्रम संरचनाओं की रूपरेखा दी गई है। भाग ख में निर्धारित सीपीई घंटों के साथ एक मॉड्यूल-वार शिक्षण ढाँचा पेश किया गया है और भाग ग में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशेवरों के लिए प्रासंगिक सुझाए गए विषयों की विस्तृत सूची दी गई है।

- **सीपीई समिति द्वारा संकाय का डेटाबेस बनाने के लिए "ट्रेन द ट्रेनर" और "फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम" का आयोजन और उनकी नियमित निगरानी व समीक्षा प्रणाली स्थापित करना**

संकाय सदस्यों का एक कुशल एवं प्रभावी राष्ट्रव्यापी पूल बनाने के उद्देश्य से, सीपीई समिति ने देश भर में "ट्रेन द ट्रेनर" और "फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम" कार्यक्रम शुरू और प्रस्तावित किए हैं। ये कार्यक्रम संभावित और मौजूदा संकाय सदस्यों को सीपीई सत्रों के दौरान उच्च-गुणवत्ता वाले शिक्षण अनुभव प्रदान करने हेतु आवश्यक साधनों और तकनीकों से लैस करने हेतु डिज़ाइन किए गए हैं। "ट्रेन द ट्रेनर" पहल विषय विशेषज्ञों की शैक्षणिक क्षमताओं को बढ़ाने के एक रणनीतिक दृष्टिकोण का कार्य करती है। यह प्रभावी शिक्षण पद्धतियों, समावेशी और आकर्षक शिक्षण परिवेश को बढ़ावा देने, संचार व प्रस्तुति कौशल में सुधार और सार्वजनिक बोलने की कला में निपुणता जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। इस पहल के माध्यम से, सीपीई समिति का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि संकाय न केवल अपने विषय क्षेत्रों में विशेषज्ञ हों, बल्कि पेशेवर, प्रभावशाली और शिक्षार्थी-केंद्रित तरीके से ज्ञान प्रदान करने में भी कुशल हों।

- **भारत के सभी जिलों/तहसीलों में खोले जाने वाले नए सीपीई पीओयू की पहचान करना ताकि मुफस्सिल/दूरस्थ क्षेत्रों में सदस्यों को सीपीई गतिविधियों से जुड़ने और सुविधा प्रदान की जा सके**

सीपीई समिति ने अपनी कार्य योजना 2025-26 के अनुसार देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले आई.सी.ए.आई. के सभी सदस्यों को सीपीई सीखने की सुविधा हेतु भारत के सभी राज्यों/जिलों/तहसीलों (मुफ्तस्सिल क्षेत्रों) में 1000 से अधिक पीओयू तक पहुंचने का प्रस्ताव रखा है। समिति भारत के सभी जिलों/तहसीलों में सीपीई पीओयू खोलकर 696 पीओयू के अपने मजबूत नेटवर्क बेस को बढ़ाना चाहती है ताकि मुफ्फसिल/दूरस्थ क्षेत्रों में सदस्यों को सीपीई गतिविधियों से गुजरने हेतु जोड़ा और सुविधा प्रदान की जा सके। इस उद्देश्य के साथ, सीपीई समिति ने देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले आई.सी.ए.आई. के सभी सदस्यों को सीपीई कार्यक्रमों के संगठन के लिए और मुफ्फसिल/दूरस्थ क्षेत्रों में सदस्यों को उनके अधिकार क्षेत्र में सीपीई गतिविधियों से गुजरने में मदद करने हेतु भारत के सभी राज्यों/जिलों/तहसीलों में सीपीई पीओयू खोलने का प्रस्ताव रखा है। इस संबंध में, समिति ने आई.सी.ए.आई. सदस्यों के आंकड़ों पर शोध किया और भारत के सभी जिलों/तहसीलों में सीपीई पीओयू के रूप में नए सीपीई अध्ययन अध्याय और अध्ययन समूह खोलने की संभावना की पहचान की और तदनुसार सभी आई.सी.ए.आई. सदस्यों को जिलावार सूचित और आमंत्रित किया तथा अनुरोध किया कि वे अन्य क्षेत्रों की पहचान करें और सूचित करें जहां सीपीई पीओयू (सीपीई अध्ययन अध्याय और अध्ययन समूह) खोले जा सकते हैं।

- **सीपीई तंत्र एवं इसके कार्यान्वयन पर सदस्यों की प्रतिक्रिया**

तेज़ी से बदलते परिवेश में सतत व्यावसायिक शिक्षा (सीपीई) के महत्व को समझते हुए, सीपीई समिति सदस्यों के व्यावसायिक विकास में सहयोग हेतु प्रतिबद्ध है। सीपीई दिशानिर्देशों और कार्यान्वयन में सुधार के लिए, सदस्यों के अनुभवों, प्राथमिकताओं और सुझावों को लेने हेतु एक ऑनलाइन फीडबैक फ़ॉर्म लॉन्च किया गया है। यह इनपुट सदस्यों की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने और कार्यक्रम की समग्र प्रभावशीलता को बढ़ाने हेतु सीपीई ढाँचे को तैयार करने में मदद करेगा।

- **सीए प्रोफेशनल्स को अवसर प्रदान करना -**

  - **सीपीईसी वेबिनार में वक्ता/संकाय/संचालक के रूप में भाग लेने के लिए**

  सीपीई समिति सदस्यों को वक्ता/संकाय/संचालक के रूप में कार्य करने हेतु उपयुक्त मंच प्रदान करके पर्याप्त अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में, 2024-25 के दौरान, प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को वेबिनार आयोजित किए गए, जिससे लगभग 400 सदस्यों को सीपीईसी वेबिनार में वक्ता, संकाय या संचालिका के रूप में भाग लेने का अवसर मिला।

  - **वर्ष 2025 में 'उभरते क्षेत्रों में सीए के लिए अवसर' पर वेबिनार श्रृंखला की शुरूआत:**

  इस वर्ष, समिति ने सीए पेशेवरों के लाभ हेतु तीन वेबिनार श्रृंखलाएं शुरू करके एक पहल की है, जो निम्नलिखित उभरते क्षेत्रों पर आधारित हैं:- विदेशों में, विशिष्ट उद्योगों में (क्षेत्रवार) और सरकारी योजनाओं में (क्षेत्रवार) सीए पेशेवरों के लिए अवसर।

- **परिषद वर्ष 2025-26 हेतु सभी पांच क्षेत्रों में सीपीई क्षेत्रीय निगरानी समिति (आरएमसी) का पुनर्गठन**

2025-26 के लिए, सीपीई समिति ने सीपीई गतिविधियों की निगरानी के लिए सभी पाँच क्षेत्रों में क्षेत्रीय निगरानी समितियों (आरएमसी) का पुनर्गठन किया है। उनकी ज़िम्मेदारी सीपीई पोर्टल पर मासिक रिपोर्ट व उपस्थिति की समीक्षा, सीपीई यूनिट्स के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान, अध्ययन अध्यायों और मंडलियों के कामकाज की निगरानी, मॉनिटरों की नियुक्ति, प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया एकत्र करना और संकलित करना, और तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। आरएमसी को हर तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करनी होगी और अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट सीपीई समिति को देनी होगी।

(II) सीपीई समिति द्वारा सदस्यों और सीपीई कार्यक्रम आयोजन इकाइयों (सीपीई पीओयू) के लिए की गई आईटी पहल

- **सीपीई पोर्टल का स्वचालन और सीपीई गतिविधियों हेतु मोबाइल एप्लिकेशन का डेवलपमेंट और डिजिटल मोड/चेहरा पहचान के ज़रिए उपस्थिति का समाधान**

सीपीई पोर्टल एक व्यापक प्लेटफ़ॉर्म है जो आई.सी.ए.आई. की सीपीई गतिविधियों का प्रबंधन करता है और संरचित व असंरचित सीपीई घंटे प्रदान करता है। सीपीई समिति इस पोर्टल को उन्नत आईटी सुविधाओं जैसे कि नए डिज़ाइन किए गए इंटरफ़ेस, सिंगल साइन-इन, रीयल-टाइम अटेंडेंस ट्रैकिंग और बेहतर फैकल्टी प्रबंधन से समृद्ध बना रही है। इसके अलावा, इसमें सदस्य और पीओयू डैशबोर्ड, सीपीई स्थिति के लिए व्हाट्सएप सूचनाएं, और आईसीएआई डिजिटल लर्निंग हब के साथ एकीकरण भी शामिल है, जिसका उद्देश्य सदस्यों के लिए एक ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करते हुए यूजर अनुभव, पारदर्शिता व सुगमता में सुधार करना है।

राष्ट्र सृजन में भागीदार बनने की पहल

- सदस्यों से **जुड़ाव:-**

पहुँच और सुगमता बढ़ाने के लिए, सीपीई समिति ने 17 नई सीपीई कार्यक्रम आयोजन इकाइयाँ (पीओयू) स्थापित की हैं, जिससे भारत और विदेशों में इनकी कुल संख्या 696 हो गई है। आई.सी.ए.आई. शाखाओं, विदेशी शाखाओं, समितियों, अध्ययन मंडलों और अध्यायों सहित यह नेटवर्क, विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में, संरचित सीपीई कार्यक्रमों को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीपीई समिति सदस्यों को वंचित क्षेत्रों में नए पीओयू की पहचान करने और उन्हें स्थापित करने हेतु भी प्रोत्साहित कर रही है, जिससे सभी आई.सी.ए.आई. सदस्यों के लिए व्यावसायिक विकास तक समान और समावेशी पहुँच को बढ़ावा मिले।

- ज्ञान प्रसार:-

  - सेमिनार/वेबिनार/कार्यशालाएं/आरआरसी:

  सतत अधिगम और व्यावसायिक विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए, सतत व्यावसायिक शिक्षा समिति (सीपीईसी) वर्तमान और उभरते व्यावसायिक रुचि के विषयों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। ये कार्यक्रम देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों में आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे व्यापक भौगोलिक कवरेज और पहुँच सुनिश्चित होती है। इन कार्यक्रमों के प्रारूप राष्ट्रीय सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशालाएँ , वेबिनार और आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम हैं। ये पहल समिति की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं जिसके तहत वह अपने सदस्यों को तेज़ी से विकसित होते पेशेवर परिदृश्य में अद्यतन रहने के लिए आवश्यक अद्यतन ज्ञान, व्यावहारिक अंतर्दृष्टि और तकनीकी कौशल से लैस करती है।

  - **निरंतर अधिगम की प्रक्रिया के माध्यम से सदस्यों की ब्रांडिंग को मजबूत करना और क्षमता सृजन में वृद्धि करना:**

  सदस्यों के कौशल उन्नयन और ज्ञान को अद्यतन करने के लिए, सीपीई समिति नियमित आधार पर पारंपरिक और गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। तकनीकी विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा, समिति सदस्यों के सार्वजनिक भाषण कौशल को अद्यतन करने और उन्हें अग्रणी बनने हेतु मार्गदर्शन देने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित हैं: विभिन्न तकनीकी और समसामयिक व्यावसायिक विषयों पर सिद्धांत और व्यवहार पर ज्ञान का प्रसार। पेशे के विविध क्षेत्रों में सदस्यों की भूमिका को बढ़ाना। सदस्यों को नेटवर्किंग का अवसर प्रदान करना। सदस्यों को आगे आने का अवसर दिया गया और उन्हें सीपीई समिति के कार्यक्रमों में संकाय/संचालक बनने का मौका दिया गया।

  - सीपीईसी द्वारा आयोजित इंटरएक्टिव बैठक का विवरण:

➢ **सीपीई अध्ययन मंडलों, सीपीई अध्ययन अध्यायों और सीपीई अध्ययन समूहों के संयोजकों तथा उप संयोजकों तथा क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के अध्यक्षों और प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ विशेष रूप से**

सीपीई समिति ने क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों और सभी सीपीई अध्ययन मंडलों, सीपीई अध्ययन अध्यायों तथा सीपीई अध्ययन समूहों के संयोजकों और उप-संयोजकों के साथ विभिन्न इंटरैक्टिव बैठकें ऑनलाइन मोड में क्षेत्रवार आयोजित की हैं, जिसमें सतत व्यावसायिक विकास नीतियों और कार्यक्रमों में और सुधार के लिए सुझाव मांगे गए हैं, ताकि उन्हें सीपीई समिति की विभिन्न नीतियों, दिशानिर्देशों और पहलों के बारे में शिक्षित किया जा सके और साथ ही सीपीई कार्यक्रमों आदि में सुधार के लिए सीपीई पीओयू की अपेक्षाओं को समझा जा सके/प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके। सीपीई समिति ने ऑनलाइन मोड में 4 इंटरैक्टिव बैठकें आयोजित की हैं।

➢ **अखिल भारतीय प्रबंध समिति सदस्य बैठक (एआईएमसीएमएम) 2025 का आयोजन आरबीए निदेशालय और सीपीई समिति द्वारा संयुक्त रूप से 21 से 23 मार्च, 2025 तक किया गया।**

अखिल भारतीय प्रबंधन समिति सदस्य बैठक (एआईएमसीएमएम)-2025, 21 से 23 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित की गई , जिसका आयोजन सीपीई समिति और आरबीए निदेशालय ने संयुक्त रूप से किया। सीपीई अध्ययन मंडलों और अध्यायों के 250 से अधिक संयोजकों और उप-संयोजकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें 2025-26 की कार्य योजना, सीपीई नीतियों, दिशानिर्देशों और हालिया पहलों पर चर्चा की गई। इस बैठक का उद्देश्य सीपीई कार्यक्रमों में सुधार, सदस्यों के अनुपालन को बढ़ाने और अच्छी पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिक्रिया लेना था। *"विश्वासनीय"* विषय पर आधारित यह कार्यक्रम ओरिएंटेशन, रणनीतिक योजना और ज्ञान साझा करने के मंच के रूप में कार्य किया।

(III) सीपीई समिति द्वारा सीधे तौर पर किए गए प्रमुख कार्यक्रम:-

- **ऑनलाइन सीपीई लर्निंग कार्यक्रम-**

आईसीएआई की सीपीई समिति ज्ञान साझाकरण और सतत व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने हेतु नियमित रूप से ऑनलाइन सीपीई कार्यक्रम आयोजित करती है। ये वर्चुअल सत्र सदस्यों को उभरते रुझानों, नियामक परिवर्तनों और अच्छी पद्धतियों से अवगत कराते हैं, साथ ही असंरचित सीपीई घंटों में भी योगदान देते हैं। यह पहल आजीवन सीखने को बढ़ावा देती है और सदस्यों को बदलते व्यावसायिक परिदृश्य के साथ जुड़े रहने में मदद करती है।

- **राष्ट्रीय सम्मेलन/** आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (आरआरसी)/ वेबिनार और सेमिनार/ कार्यशालाएं:-

सीपीई समिति ने अप्रत्यक्ष कर व प्रत्यक्ष कर, पूंजी बाजार, एआई व आयकर, जीएसटी और इससे जुड़े विवाद, कंपनी लेखा परीक्षा और इसके वित्तीय विवरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि पर 12वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सीपीई समिति ने ट्रस्ट में हाल के मुद्दों, धारा 148 और 148क के तहत मूल्यांकन और नोटिस का अवलोकन, आयकर और जीएसटी, ऑडिट फर्मों का एकत्रीकरण व विलय, आचार संहिता और एसएमई आईपीओ आदि पर 9 आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (आरआरसी) का आयोजन किया। समिति ने विभिन्न वेबिनार, सेमिनार और कार्यशालाओं का भी आयोजन किया।

(IV) सदस्यों की शिक्षा एवं **क्षमता सृजन**:-

- ***सीपीई समिति द्वारा सीधे सीपीई कार्यक्रम***

*सीपीई समिति ने सदस्यों के लिए **154*** फिजिकल ***और*** वर्चुअल ***कार्यक्रम आयोजित किए ताकि*** वे अपने कौशल को बढ़ाकर विविध क्षेत्रों में शिक्षा को सशक्त और बढ़ा सकें:-

क्र. सं.	**सीपीई कार्यक्रमों का विवरण**	**संख्या**
1.	**राष्ट्रीय सम्मेलन**	12
2.	**सेमिनार और कार्यशाला**	77
3.	**आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम**	9
4.	**वेबिनार**	60

- *इसके पीओयू द्वारा आयोजित सीपीई कार्यक्रमों का विवरण*

आई.सी.ए.आई. की सीपीई समिति के पास 696 सीपीई पीओयू (177 शाखाएँ, 50 विदेशी शाखाएँ, आई.सी.ए.आई. की 50 केंद्रीय समितियाँ, 145 सीपीई अध्ययन मंडल आदि) का एक मज़बूत नेटवर्क बेस है, जो सीपीई कार्यक्रमों के आयोजन और मुफ़स्सिल/दूरस्थ क्षेत्रों में सदस्यों को सीपीई गतिविधियों में भाग लेने में मदद

करने के लिए पूरे भारत और विदेशों में फैला हुआ है। आई.सी.ए.आई. ***के सीपीई पीओयू द्वारा आयोजित सीपीई कार्यक्रमों का डेटा इस प्रकार है:-***

क्र. सं.	विवरण	(1.4.2024 से 30.5.2025 तक)
1.	**कुल सीपीई कार्यक्रम** (फिजिकल ***और*** वर्चुअल)	9,736
2.	**भाग लेने वाले सदस्यों की कुल संख्या**	8,79,333
3.	**कुल स्वीकृत सीपीई घंटे**	49,222
4.	**कुल उत्पन्न** सीपीई **घंटे**	47,50,148

- **सदस्यों के लाभ के लिए कुल सीपीई कार्यक्रम**

देश भर में सदस्यों के लिए **9,763 सीपीई कार्यक्रम आयोजित किए गए (जिसमें** 1 अप्रैल, 2024 से 30 मई, 2025 तक फिजिकल मोड में 8,459 सीपीई कार्यक्रम शामिल हैं), आई.सी.ए.आई. की सीपीई कार्यक्रम आयोजन इकाइयों द्वारा व्यावसायिक रुचि के विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

- **राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम और अन्य महत्वपूर्ण आयोजन**

क्र. सं.	आयोजित सीपीई कार्यक्रम का प्रकार	(1.4.2024 से 30.5.2025 तक)
1.	आई.सी.ए.आई. के विभिन्न पीओयू द्वारा लाइव वेबकास्ट/वेबिनार	1,304
2.	आई.सी.ए.आई. की केंद्रीय समितियों द्वारा सदस्यों के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	160
3.	आई.सी.ए.आई. की केंद्रीय समितियों द्वारा पोस्ट-क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रम	75
4.	ऑनलाइन मोड में विदेशी भाषाएँ - जापानी , स्पेनिश और फ्रेंच	12
5.	आई.सी.ए.आई. आरवीओ द्वारा पूर्व-पंजीकरण शिक्षा पाठ्यक्रम के बैच	12
6.	आईआईआईपीआई द्वारा पूर्व-पंजीकरण शिक्षा पाठ्यक्रम के बैच	4

(V) समाज का समर्थन - राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता:-

आई.सी.ए.आई. देश के विभिन्न भागों में सरकार की पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उनके समर्थन में विभिन्न अन्य कार्यक्रम आयोजित करता है, जो 696 सीपीई कार्यक्रम आयोजन इकाइयों के अपने सुदृढ़ नेटवर्क बेस के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। फिजिकल ***और*** वर्चुअल दोनों रूपों में आयोजित किए जा रहे इन सीपीई कार्यक्रमों का विषयवार विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	सीपीई कार्यक्रम का विषय	(1.4.2024 से 30.5.2025 तक)
1	जीएसटी और जीएसटी ऑडिट	1,726
2	नैतिक मानक, आचार संहिता, व्यावसायिक नैतिकता	461
3	व्यावसायिक कौशल संवर्धन	377
4	लेखापरीक्षा पर मानक	336
5	एमएसएमई, भारत में व्यापार करने में आसानी, स्टार्ट-अप	333
6	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस	325
7	रेरा	230
8	व्यापार, बैंकिंग एवं बीमा, वित्तीय सेवाएँ	182
9	कंपनी अधिनियम	98
10	दिवाला और दिवालियापन संहिता	92
11	एक्यूएमएम	83
12	सॉफ्ट स्किल्स, तनाव प्रबंधन, जीवनशैली प्रबंधन जहाँ योग जीवन जीने का तरीका है, वर्क-लाइफ बैलेंस	77
13	व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग	62
14	निवेशक जागरूकता	51

7.8 व्यावसायिक विकास समिति (पीडीसी)

व्यावसायिक विकास समिति की स्थापना 1962 में संस्थान के सदस्यों के मौजूदा और नए क्षेत्रों में कौशल बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी।

(I) विभिन्न नियामकों और अन्य बाहरी निकायों के साथ बैठकें:

व्यावसायिक अवसरों के अब तक न तलाशे गए क्षेत्रों का पता लगाने के प्रयासों में व्यावसायिक विकास समिति सरकार, नियामक प्राधिकरणों आदि के साथ जुड़ती है और उनसे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की विशेषज्ञता का लाभ उठाने और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सेवाओं का उपयोग करने का अनुरोध करती है।

- **भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग के लेखापरीक्षा संबंध समूह के साथ आयोजित बैठकें:**
  - ➢ 3 जून, 2024 को मुंबई में लेखापरीक्षा संबंध समूह, आरबीआई, मुंबई के साथ बैठक, जिसमें फर्मों के वर्गीकरण हेतु अतिरिक्त मानदंड की शुरूआत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कूलिंग पीरियड की पुनः शुरूआत, वैधानिक केंद्रीय और शाखा लेखापरीक्षा कार्यों के लिए लेखापरीक्षा शुल्क में वृद्धि, समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली की तुलना में अग्रिमों के कवरेज में वृद्धि आदि शामिल हैं।
  - ➢ 8 अक्टूबर, 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक के लेखापरीक्षा संबंध समूह के साथ हुई बैठक में, सदस्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं को आई.सी.ए.आई. द्वारा सामने रखा गया, जिसमें यह चिंता व्यक्त की गई कि कोई साझेदारी फर्म, केवल एक ही साझेदार के फर्म से विशेष रूप से जुड़े होने के कारण, भारतीय रिज़र्व बैंक के पैनल में शामिल होने का अवसर खो सकती है। इसके अलावा, बैंकिंग उद्योग में लेखापरीक्षा पेशे से संबंधित विभिन्न अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
  - ➢ 14 फरवरी, 2025 को आरबीआई के साथ 'एनबीएफसी से संबंधित मामलों पर आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ आई.सी.ए.आई. के क्षेत्रीय अध्यायों का समन्वय' पर बैठक।
  - ➢ 1 अप्रैल, 2025 को आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के साथ बैठक मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की विनियमित संस्थाओं की लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई, जिसमें एससीए व एसबीए की नियुक्ति, लेखापरीक्षा के तहत अग्रिम और शाखाओं का कवरेज, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रोटेशन के साथ-साथ कूलिंग पीरियड की नीति, लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित विवेकाधिकार आदि शामिल हैं।
  - ➢ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखापरीक्षा के शासन ढांचे से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा करने हेतु 8 अप्रैल, 2025 को दिल्ली में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के साथ बैठक।
  - ➢ बैंकिंग उद्योग में लेखापरीक्षा पेशे से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा करने हेतु 29.05.2025 को मुंबई में आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग के सीजीएम के साथ बैठक, जिसमें बैंकिंग उद्योग बोर्ड के लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम, आरबीआई और आई.सी.ए.आई. के बीच नियमित बैठकों का प्रस्ताव, एनबीएफसी अनुपालन के बारे में जागरूकता आदि शामिल हैं।
- **सहकारिता मंत्रालय के केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालय के साथ आयोजित की गईं विभिन्न बैठकें**
  - ➢ 16 जुलाई, 2024 को सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव और केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के साथ बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए तैयार किए गए लेखा परीक्षकों के पैनल से संबंधित विभिन्न चिंताओं पर चर्चा की गई।
  - ➢ 29 जुलाई, 2024 को सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें यूसीबी व बहु-राज्य सहकारी बैंकों के लिए लेखा परीक्षकों के पैनल से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।
  - ➢ 7 अक्टूबर 2024 को सहकारिता मंत्रालय के केंद्रीय रजिस्ट्रार के साथ बैठक, सहकारिता मंत्रालय के केंद्रीय रजिस्ट्रार के साथ बैठक, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 हेतु लेखा परीक्षकों के पैनल को अधिसूचित करने वाले केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जारी 3 अक्टूबर, 2024 के आदेश के संबंध में सदस्यों द्वारा उठाई गई विभिन्न चिंताओं पर चर्चा की जाएगी।

- ➢ बहु-राज्य सहकारी समितियों में लेखापरीक्षा तंत्र, लेखापरीक्षा और लेखांकन के मानकों/मानदंडों और लेखा परीक्षकों के पैनल को मजबूत करने पर चर्चा हेतु 16.12.2024 को सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार, सहकारिता मंत्रालय के साथ बैठक।
- ➢ 19 फरवरी, 2025 को सहकारिता मंत्रालय के केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के साथ बैठक, जिसमें बहु-राज्य सहकारी बैंकों सहित बहु-राज्य सहकारी समितियों के वैधानिक और समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए पैनल पर दिशानिर्देशों पर आई.सी.ए.आई. के सुझावों पर चर्चा की जाएगी।
- ➢ 30 अप्रैल 2025 को सीआरसीएस, सहकारिता मंत्रालय के साथ बैठक, जिसमें लेखापरीक्षा फर्मों के सामने आने वाली चुनौतियों, विशेष रूप से समवर्ती लेखापरीक्षा कार्यों के संबंध में, पर चर्चा की जाएगी।
- ➢ बहुराज्यीय सहकारी समितियों के लिए लेखा परीक्षा व लेखा मानदंडों, मानकों और लेखा परीक्षक पैनल के निर्माण के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा गठित समिति की बैठक 13 मई, 2025 को होगी ।

- **राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में बैठकें**
  - ➢ 16.04.2024 को सीजीएम, नाबार्ड के साथ बैठक, जिसमें आरआरबी और सहकारी लेखा परीक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों (एसटीसीसीबी और सीसीबी) के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के संबंध में दिशानिर्देशों के अनुरूप पैनल तैयार किया जाएगा।
  - ➢ आरसीबी और आरआरबी की वैधानिक लेखापरीक्षा और सहकारी लेखापरीक्षा के कुछ मामलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 25.07.2024 को सीजीएम, नाबार्ड के साथ बैठक।
- बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने हेतु 15.10.2024 को **मुंबई में भारतीय बैंक संघ के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी** के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की भूमिका शामिल थी, जिसमें लेखा परीक्षा कार्यों के विभिन्न मदों के लिए एससीए और एसबीए को देय पारिश्रमिक के संबंध में आईबीए द्वारा जारी 27 मई 2024 के परामर्श पर आईसीएआई की सिफारिशें शामिल थीं; फोरेंसिक ऑडिट और एएसएम ऑडिट के लिए पैनल के कुछ पहलुओं में आई.सी.ए.आई. की भागीदारी; बैंकों में "अन्य असाइनमेंट" के लिए आईसीएआई द्वारा शुरू की गई "ओए" श्रेणी के संबंध में आईसीएआई के पैनल के बारे में जानकारी का प्रसार; प्रमाण पत्र आदि के प्रारूपों में एकरूपता की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दे।
- **भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ बैठक आयोजित** की गई चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की भूमिका के संबंध में बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न मामलों पर चर्चा करने हेतु 29.05.2025 को मुंबई में एक बैठक आयोजित की जाएगी।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के साथ बैठक
  - ➢ 26 फरवरी, 2024 को डिप्टी सीएंडएजी, डीजी कमर्शियल- I और डीजी कमर्शियल- II, सीएंडएजी कार्यालय के साथ बैठक हुई। वर्ष 2024-25 के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों/एलएलपी के लिए पैनल में शामिल होने के लिए दो दिनों के लिए ऑनलाइन आवेदन खोलने पर विचार करने हेतु एक प्रतिनिधित्व पेश किया गया।
  - ➢ 12.06.2024 को महानिदेशक वाणिज्यिक-I, सीएंडएजी कार्यालय के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें “ब्रांच डिटेल्स” शीर्षक के तहत सीएंडएजी कार्यालय को प्रस्तुत आंकड़ों के संबंध में विभिन्न अभ्यावेदनों को संबोधित किया गया, आवेदकों द्वारा सीएंडएजी कार्यालय में दायर अपने ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत किए गए किसी विशेष शाखा कार्यालय में तैनात अपने सदस्यों के साथ-साथ अपने शाखा कार्यालयों से संबंधित डेटा को अपडेट/जोड़ने/हटाने के लिए 05.07.2024 से 08.07.2024 तक एक बार की ऑनलाइन विंडो खोली गई थी।
- **डाक विभाग (डीओपी) के साथ बैठक,** जिसमें डाकघरों के लेखा परीक्षा में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के लिए पेशेवर अवसरों का पता लगाया जाएगा और नकद लेखा प्रणाली से उपार्जन-आधारित लेखा प्रणाली में परिवर्तन सहित लेखांकन और लेखा परीक्षा प्रणालियों से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा की जाएगी।
- 7 मई, 2024 को नई दिल्ली में **वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के साथ बैठक** हुई और आरआरबी हेतु शुल्क में वृद्धि के प्रस्ताव को आई.सी.ए.आई. के अध्यक्ष के हस्ताक्षरों के साथ पेश किया गया।

- 7 मई, 2024 को नई दिल्ली में **नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार के साथ बैठक।** इस संबंध में, डब्ल्यूईपी और आईसीएआई के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मूर्त रूप देने पर विचार-विमर्श किया गया। नीति आयोग महिला उद्यमियों को ज्ञान प्रदान करने हेतु हर महीने विभिन्न विषयों पर आस्कडब्ल्यूईपी श्रृंखला आयोजित करता है। आयोजित होने वाले सत्रों के लिए, ज्ञान भागीदार के रूप में, आईसीएआई कार्यक्रम संरचना को साझा करके और संबंधित विषयों पर वक्ता/संचालक प्रदान करके इस आयोजन में सहयोग कर रहा है।
- **वर्ष के दौरान आयोजित राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) की बैठकें**: वर्ष के दौरान पूरे भारत में आरबीआई द्वारा 50 से अधिक एसएलसीसी बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(II) उपलब्धियां:

- **बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 में संशोधन के मुद्दे पर माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार को प्रतिनिधित्व, जो लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र** के बैंकों को विवेकाधिकार प्रदान करता है। इस संबंध में, आईसीएआई के सदस्यों ने संशोधन का विरोध करते हुए चिंता व्यक्त की कि ये परिवर्तन अनजाने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रशासनिक ढाँचे को कमजोर कर सकते हैं।
- **चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पैनल और आवंटन की नीति पर सीएंडएजी कार्यालय को फीडबैक:** इस संबंध में 03.01.2025 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के महानिदेशक (वाणिज्यिक-II) के साथ एक बैठक भी की गई।
- **बैंकिंग उद्योग में लेखापरीक्षा पेशे से संबंधित विभिन्न मामलों पर लेखापरीक्षा संबंध समूह, पर्यवेक्षण विभाग**, भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुतियां, जिनमें फर्मों के वर्गीकरण हेतु अतिरिक्त मानदंड लॉन्च करने, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कूलिंग अवधि की पुनः शुरूआत, सांविधिक केंद्रीय और शाखा लेखापरीक्षा कार्यों के लिए लेखापरीक्षा शुल्क में वृद्धि, समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली की तुलना में अग्रिमों के कवरेज में वृद्धि, पीएसबी बोर्ड के लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संरचना का मसौदा आदि शामिल हैं।
- **बहुराज्यीय सहकारी बैंकों सहित बहुराज्यीय सहकारी समितियों के वैधानिक/समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति पर आईसीएआई के सुझावों** के संबंध में 30 जनवरी, 2025 को सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार, सहकारिता मंत्रालय के कार्यालय में पैनलबद्धता के लिए दिशानिर्देशों के संबंध में सिफारिश। इसके अलावा, विभिन्न अवसरों पर सीआरसीएस कार्यालय को बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों सहित बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के वैधानिक/समवर्ती लेखा परीक्षकों हेतु अपनाए गए लेखा परीक्षकों के पैनल के संबंध में उठाई गई चिंताओं पर प्रकाश डालते हुए प्रस्तुतियाँ दी गईं।
- **लेखापरीक्षा कार्यों की विभिन्न मदों के लिए एससीए और एसबीए** को देय पारिश्रमिक के संबंध में आईबीए द्वारा 27 मई 2024 को भारतीय बैंक संघ को जारी सिफारिशें आईबीए को प्रस्तुत की गईं;
- **आरबीआईआई की श्रेणियों के अलावा एक अन्य श्रेणी की शुरुआत -** पीडीसी ने आरबीआई के वैधानिक लेखा परीक्षा मानदंडों हेतु अर्हता प्राप्त न करने वाली छोटी या नई सीए फर्मों की सहायता के लिए एक नई एमईएफ श्रेणी, "ओए" (अदर असाइनमेंट) शुरू की है। यह श्रेणी उन्हें समवर्ती और स्टॉक ऑडिट जैसे गैर-वैधानिक असाइनमेंट प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इसमें 1 जुलाई तक आवेदक से विशेष रूप से जुड़ी फर्में या व्यक्ति शामिल हैं। बैंकों और संबंधित अधिकारियों को ऐसे असाइनमेंट के लिए इन फर्मों पर विचार करने के लिए सूचित किया जा रहा है।
- **महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी "फोरेंसिक ऑडिट से संबंधित कार्यों को लेने हेतु पैनल में शामिल करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रण" में बोली लगाने हेतु प्री क्वालिफिकेशन मानदंडों पर पुनर्विचार हेतु अभ्यावेदन -** डीएबी की अनुशंसा के आधार पर और अध्यक्ष की स्वीकृति से, पीडीसी ने महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग को उनके फोरेंसिक ऑडिट पैनल में शामिल करने के मानदंडों के संबंध में एक अभ्यावेदन पेश किया। इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई.सी.ए.आई. के एफएएफडी पाठ्यक्रम और एफएआईएस 420 मानक के माध्यम से, डिजिटल फोरेंसिक में प्रशिक्षित होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ सहायता ले सकते हैं। इसलिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को डिजिटल फोरेंसिक कार्यों के लिए बोलियों में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(III) विभिन्न प्राधिकरणों को पैनल उपलब्ध कराना:

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स/फर्मों का पैनल विभिन्न प्राधिकरणों/एजेंसियों को उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध किए गए पैनलों का विवरण नीचे दिया गया है:

- सहायक महाप्रबंधक (वित्त), राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, दिल्ली
- आईसीएआई के कानूनी अनुभाग को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, कोलकाता को अग्रेषित करने के लिए।
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) की वैधानिक लेखा परीक्षा के संचालन हेतु अखिल भारतीय (राज्यवार) लेखा परीक्षा फर्मों के मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, मुंबई
- सहायक महाप्रबंधक, इंडियन ओवरसीज बैंक
- उप निदेशक, (एनटी/आईटी और प्रशासन), इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत)
- उप महाप्रबंधक, निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा विभाग, इंडियन बैंक, प्रधान कार्यालय, चेन्नई- 600001
- उप-आधिकारिक परिसमापक, उच्च न्यायालय, मद्रास
- वरिष्ठ प्रबंधक, निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा विभाग, तमिलनाडु ग्राम बैंक, प्रधान कार्यालय – सेलम
- महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, ऋण निगरानी विभाग, प्रधान कार्यालय, मुंबई
- प्रबंधक - आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड (अनुसूचित बैंक), मुंबई
- पुलिस अधीक्षक, उत्तरी रेंज, सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय, क्रमांक 293, चेन्नई
- सहायक प्रबंधक, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट
- सहायक प्रबंधक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

(IV) अन्य गतिविधियाँ:

समिति द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रम/बैठकें:

- ***19 जून, 2024 को मुंबई में "भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के साथ आईसीएआई की 75 वर्षों की विरासत का जश्न - भारत में अमृत काल के मार्ग का अग्रणी"*** विषय पर एक इंटरैक्टिव बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में "बैंकिंग में नियामक अनुपालन एवं प्रशासन" और "बैंकिंग क्षेत्र में स्वचालन: डिजिटल परिवर्तन का युग" विषयों पर चर्चा की गई। इस बैठक में 40 से अधिक प्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया।
- **कोल्हापुर (26.08.2024), नागपुर (28.08.2024) और फरीदाबाद (02.09.2024) में शहरी सहकारी बैंकों के वैधानिक लेखापरीक्षा पर शहरी सहकारी बैंकों** के वैधानिक लेखापरीक्षाकर्ताओं और सीए निदेशकों, मुख्य वित्तीय अधिकारियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्षों के साथ एक संवादात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लेखा मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों के अनुपालन से संबंधित चुनौतियाँ और महत्वपूर्ण पहलू; बीआर अधिनियम और सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत सीआरएआर/कोषागार लेखापरीक्षा/नियामक अनुपालन; वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, एलएफएआर और प्रमाणन तथा प्रणाली आधारित एनपीए/आईआरएसीपी में चुनौतियाँ जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।
- **केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों की बैठक 2025-26**, 24 मार्च 2025 को मुंबई में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और लघु वित्त बैंकों के 150 से अधिक केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों ने इसमें भाग लिया। "सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों से आरबीआई का दृष्टिकोण और अपेक्षाएँ" पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, जैसे संशोधित मास्टर निर्देशों के आलोक में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ट्रेजरी ऑडिट की जटिलताएँ, सिस्टम आधारित परिसंपत्ति वर्गीकरण पर विचार और लेखांकन के साथ समन्वय, प्रमाणन, एलएफएआर, आईएफसीओएफआर, एससीए द्वारा स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट व सीएएटी टूल्स/डेटा एनालिटिक्स का उपयोग।
- **समिति द्वारा आयोजित/आयोजित किये जाने वाले डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम:**
  - **परियोजना वित्तपोषण पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम:** प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 2 बैच आयोजित किए गए हैं

क्र.सं.	**परियोजना वित्तपोषण पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के बैच**	**पाठ्यक्रम की अवधि**	**पंजीकृत सदस्यों की संख्या**
1	पहला भौतिक बैच	17 अगस्त से 1 सितंबर 2024 तक	34
2	पहला ऑनलाइन बैच	9 मई 2025 से 1 जून 2025 तक समाप्त होगा	88

➢ **डीआईआरएम पाठ्यक्रम:** समिति बीमा एवं जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा (डीआईआरएम) पर पोस्ट-क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रम संचालित करती है। डीआईआरएम पाठ्यक्रम में तीन चरण होते हैं जिनसे एक उम्मीदवार को बीमा एवं जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु पात्र होना होता है:

डीआईआरएम पाठ्यक्रम में पंजीकृत सदस्यों की संख्या					कुल	अर्हता प्राप्त पात्रता परीक्षा	योग्य तकनीकी परीक्षा
केन्द्रीय क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र			
1198	672	842	1569	1300	5581	1043	81 (लेकिन अभी तक ओरिएंटेशन कार्यक्रम से गुजरना बाकी है)

- ऑनलाइन माध्यम से ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित करने हेतु परिषद की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, समिति ने 27 मई से 30 मई 2025 के दौरान डिजिटल लर्निंग हब, आई.सी.ए.आई. के माध्यम से डीआईआरएम तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सदस्यों के लिए दो दिवसीय डीआईआरएम ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया। दो दिवसीय डीआईआरएम ओरिएंटेशन कार्यक्रम को वर्तमान उद्योग रुझानों और व्यावसायिक जरुरतों के अनुरूप बनाने के लिए, समिति के अनुमोदन से कार्यक्रम संरचना में संशोधन किया गया है।
- **वेबिनार, सेमिनार और सम्मेलन** :

पीडीसी ने पीडीसी के डीएनए-डिस्कवर न्यू एवेन्यूज़ नाम से वेबिनार की एक श्रृंखला शुरू की।

7.9 व्यावसायिक कौशल संवर्धन समिति

अपनी तरह की पहली पहल में, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ने सभी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को अपनी पूरी क्षमता को जानने, ज़रुरतों को समझने, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स में मौजूदा कौशल अंतर का आकलन करने और उनकी क्षमता बढ़ाने और हितधारकों के बीच उनकी मौजूदगी में सुधार करने के उद्देश्य से व्यावसायिक कौशल संवर्धन समिति की स्थापना की है। व्यावसायिक कौशल संवर्धन समिति ने वर्ष 2024-25 के दौरान कौशल संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित प्रमुख कौशल ब्रांडिंग कौशल, संचार कौशल, महत्वपूर्ण सोच कौशल, डिजाइन थिंकिंग, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, उद्यमशीलता कौशल, पारस्परिक कौशल, नेतृत्व कौशल, सुनने के कौशल, बातचीत कौशल, नेटवर्किंग कौशल, समस्या निवारण कौशल, सार्वजनिक जगहों पर बोलने के कौशल, टीम निर्माण कौशल, समय प्रबंधन, कार्य नैतिकता कोई अन्य कौशल और नए युग, समकालीन व अन्य पेशेवर, तकनीकी और तकनीकीय कौशल हैं।

व्यावसायिक कौशल संवर्धन समिति (पीएसईसी), आई.सी.ए.आई. की पहल

- **व्यावसायिक कौशल संवर्धन समिति, आई.सी.ए.आई. को विभिन्न उपलब्धियां हासिल करने हेतु इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (आईबीआर) और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (एबीआर) से सम्मानित किया गया।**
  - ➢ व्यावसायिक कौशल संवर्धन समिति, आई.सी.ए.आई. को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की शाखाओं में "एक दिन में उद्यमिता कौशल पर अधिकतम आयोजित कार्यक्रम" के रिकॉर्ड शीर्षक पर 97 कार्यक्रम आयोजित करने हेतु इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (आईबीआर) और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (एबीआर) द्वारा सम्मानित किया गया है।
  - ➢ व्यावसायिक कौशल संवर्धन समिति, आईसीएआई को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की शाखाओं में "एक पखवाड़े में आयोजित अधिकतम कौशल संवर्धन कार्यक्रम" शीर्षक के तहत 79 कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (आईबीआर) और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (एबीआर) द्वारा मान्यता दी गई है।
- **आईसीएआई के सदस्यों के कौशल संवर्धन पर केंद्रित एक इंटरैक्टिव वर्चुअल कार्यशाला श्रृंखला :** आईसीएआई कार्यशाला श्रृंखला एक संरचित मंच है जो सदस्यों को हिस्सा लेने और अपने विचार साझा करने हेतु प्रोत्साहित करती है। सप्ताह में तीन बार 1.5 घंटे के लिए आयोजित, यह कार्यशाला सार्वजनिक जगहों पर बोलने और संचार जैसे पेशेवर व सॉफ्ट स्किल को बढ़ाने पर केंद्रित है। विशेषज्ञ संकायों के नेतृत्व में, इन इंटरैक्टिव सत्रों का उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आवश्यक टूल्स और तकनीकों से लैस करना, निरंतर सीखने को बढ़ावा देना और सहायक परिवेश में सहकर्मी नेटवर्किंग को बढ़ावा देना है।

- **चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कौशल संवर्धन के विभिन्न पहलुओं पर वेबकास्ट श्रृंखला :** यह वेबकास्ट श्रृंखला चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कौशल संवर्धन पर केंद्रित है, जिसमें प्रत्येक शनिवार को गहन सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिसमें मासिक पाँच सत्र शामिल हैं, जिनमें जुलाई और अगस्त 2024 में विश्व युवा कौशल दिवस और कौशल संवर्धन माह के दौरान विशेष कार्यक्रम शामिल हैं। प्रत्येक सत्र में 2 सीपीई घंटे प्रदान किए जाते हैं और वित्तीय नियोजन तथा नेतृत्व विकास जैसे कई तकनीकी और सॉफ्ट स्किल को शामिल किया जाता है। विशेषज्ञ वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत, यह श्रृंखला निरंतर सीखने हेतु एक लचीला मंच प्रदान करती है, जिससे प्रतिभागियों को उद्योग के रुझानों से अपडेट रहने, नई दक्षताओं का निर्माण करने और करियर में उन्नति के लिए इंटरैक्टिव चर्चाओं में भाग लेने में मदद मिलती है।

- **चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए उद्यमशीलता कौशल संवर्धन कार्यक्रम :** 26-27 जून, 2024 को उद्यमशीलता कौशल पर लगभग 100 फिजिकल कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को व्यावसायिक नवाचार और नेतृत्व हेतु व्यावहारिक अंतर्दृष्टि और रणनीतियों से लैस करना था। अपनी उद्यमशीलता क्षमताओं को बढ़ाने के इच्छुक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए डिज़ाइन किए गए इन कार्यक्रमों में रणनीतिक योजना, वित्तीय प्रबंधन, नवाचार व नेतृत्व को शामिल किया गया। इंटरैक्टिव कार्यशालाओं, केस स्टडीज़ और मेंटरशिप के माध्यम से, प्रतिभागियों ने व्यावसायिक चुनौतियों का आत्मविश्वास से सामना करने के लिए बहुमूल्य जानकारी प्राप्त किए। यह पहल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और उन्हें अपनी वित्तीय विशेषज्ञता से परे सफल व्यावसायिक लिडर बनने के लिए सशक्त बनाने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

- **विश्व युवा कौशल दिवस (15 जुलाई 2024 को मनाया जाएगा):** विश्व युवा कौशल माह युवा कौशल विकास का जश्न मनाने और उसे बढ़ावा देने हेतु समर्पित एक पहल है, जो तेज़ी से बदलती दुनिया में सफलता के लिए पेशेवरों की अगली पीढ़ी को तैयार करता है। यह युवाओं को सशक्त बनाने, आर्थिक विकास को गति देने और समुदायों को मज़बूत बनाने में कौशल निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर देता है। यह दिवस सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों, व्यवसायों और युवाओं को अच्छी पद्धतियों को साझा करने और कौशल संवर्धन के अवसर पैदा करने के लिए एकजुट करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि युवा स्थायी आजीविका के लिए आवश्यक दक्षताएँ हासिल करें। आज युवा कौशल में निवेश करने से नवाचार, नेतृत्व और सकारात्मक सामाजिक प्रभाव का भविष्य सुरक्षित होता है।

- **कौशल संवर्धन माह:** अगस्त 2024 को कौशल संवर्धन माह के रूप में नामित किया गया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों की व्यावसायिक और व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ाना है। पूरे महीने, लक्षित कार्यशालाएँ, प्रशिक्षण सत्र और सेमिनार प्रतिभागियों को नए कौशल विकसित करने, मौजूदा कौशल को निखारने और उद्योग के रुझानों से अपडेट रहने में मदद करेंगे। यह पहल निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देती है, तकनीकी कौशल, संचार, नेतृत्व, आदि में आजीवन विकास हेतु साधन और संसाधन प्रदान करके पेशेवरों को उत्कृष्टता प्राप्त करने और विकसित होते वैश्विक कार्यबल के साथ तालमेल बिठाने के लिए सशक्त बनाती है।

- **चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए दैनिक वर्चुअल योग सत्र :** चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए वर्चुअल योग सत्रों की एक नई पहल का उद्देश्य तनाव कम करके, लचीलेपन व क्षमता में सुधार करके, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर और वर्क-लाइफ बैलेंस को बढ़ावा देकर स्वास्थ्य और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। सभी स्तरों के लिए उपयुक्त, ये सत्र सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 से 7:45 बजे तक और सप्ताहांत में सुबह 9 से 9:45 बजे तक भारतीय योग संस्थान के सहयोग से आयोजित किए जाएँगे। 11 फ़रवरी, 2025 तक लगभग 199 सत्र आयोजित किए जाएँगे।

- **चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए वर्क-लाइफ बैलेंस पर दैनिक वर्चुअल कार्यक्रम :** समिति ने पेशेवरों को अपने कार्य और निजी जीवन के बीच सामंजस्य बनाए रखने, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, तनाव कम करने और जीवन में खुशहाली बढ़ाने में मदद करने के लिए एक वर्क-लाइफ बैलेंस पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम में हार्टफुलनेस के साथ साझेदारी में सोमवार से शुक्रवार (रात 8:30-9:30 बजे) और सप्ताहांत (सुबह 10:30-11:30 बजे) दैनिक वर्चुअल सत्र किया जाता है, जिसमें 11 फ़रवरी, 2025 तक लगभग 100 सत्रों की योजना बनाई गई है।

- **सोशल मीडिया पर उपस्थिति :** समिति दर्शकों से जुड़ने, ब्रांड जागरूकता बढ़ाने और विकास को गति देने हेतु सक्रिय रूप से सोशल मीडिया पर अपनी मज़बूत उपस्थिति बनाए रखती है। व्यावहारिक अपडेट साझा करके, उद्योग जगत की चर्चाओं में भाग लेकर और विज़ुअल स्टोरीटेलिंग का उपयोग करके, हम विज्युवलिटी बढ़ाते हैं और संबंधों को मज़बूत करते हैं। एनालिटिक्स का इस्तेमाल करने से हमें दर्शकों की पसंद के अनुसार कंटेंट

तैयार करने में मदद मिलती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारे प्रयास प्रभावी रहें और हमारे लक्ष्यों के अनुरूप रहें। आज के डिजिटल परिदृश्य में सार्थक जुड़ाव और निरंतर सफलता के लिए एक अच्छी सोशल मीडिया रणनीति आवश्यक है।

- **विशिष्ट वेबसाइट :** व्यावसायिक कौशल संवर्धन समिति, आईसीएआई की विशिष्ट वेबसाइट https://psec.icai.org/, जो यूजर अनुभव, पहुँच व कार्यक्षमता को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। जैसे-जैसे डिजिटल उपस्थिति लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है, हमारा लक्ष्य एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाना है जो न केवल देखने में आकर्षक हो, बल्कि सभी साधनों पर यूजर-अनुकूल और प्रतिक्रियाशील भी हो, ताकि इंटरैक्टिव सामग्री, सुव्यवस्थित नेविगेशन और मज़बूत सुरक्षा उपायों जैसी उन्नत सुविधाएँ इसमें समाहित हों ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारी वेबसाइट हमारे दर्शकों की ज़रूरतों को पूरा करे।
- **समिति के प्रकाशन :** समिति चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए प्रमुख व्यावसायिक कौशलों पर कई पुस्तकें प्रकाशित करती है, जिनमें वर्क-लाइफ बैलेंस, सही तरीके से सुनने, आलोचनात्मक चिंतन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सार्वजनिक भाषण, बातचीत और उद्यमिता शामिल हैं। ये प्रकाशन व्यापक शोध और सहयोग को दर्शाते हैं, और निरंतर सीखने और विकास में सहायता के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सावधानीपूर्वक तैयार की गई ये पुस्तकें विश्वसनीय संसाधन के रूप में कार्य करती हैं जो ज्ञान को बढ़ाती हैं और सीए समुदाय के भीतर विकास को बढ़ावा देती हैं।
- **कौशल संवर्धन पर सर्टिफिकेट कोर्स का शुभारंभ :** कौशल संवर्धन पर सर्टिफिकेट कोर्स व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। इस कोर्स में संचार कौशल, पारस्परिक कौशल, नेतृत्व और टीम वर्क, तनाव प्रबंधन और वर्क-लाइफ बैलेंस, व्यावसायिक नैतिकता और अखंडता, चिंतन कौशल और तकनीकी, ब्रांडिंग और नेटवर्किंग, व्यावहारिक अनुप्रयोग और केस स्टडी, तथा नए युग व समकालीन कौशल शामिल हैं।
- **सेमिनार/कार्यशालाएँ/सम्मेलन (फिजिकल रूप से) :** समिति ने फरवरी 2025 तक आईसीएआई की सभी शाखाओं में 208 कौशल संवर्धन सेमिनार आयोजित किए हैं, जो सदस्यों को उनकी व्यावसायिक दक्षताओं को बढ़ाने का बहुमूल्य शिक्षण अवसर प्रदान करते हैं। विशेषज्ञों द्वारा संचालित ये सत्र नेतृत्व, संचार, तकनीकी कौशल और व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित हैं, और संवादात्मक एवं व्यावहारिक अनुभव प्रदान करते हैं। ये सेमिनार निरंतर विकास में सहायक होते हैं, करियर की संभावनाओं, आत्मविश्वास और पेशेवरों तथा छात्रों के बीच नेटवर्किंग को बढ़ावा देते हैं।
- **चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कौशल संवर्धन के विभिन्न पहलुओं पर वेबकास्ट श्रृंखला :** यह वेबकास्ट श्रृंखला चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कौशल संवर्धन पर गहन अध्ययन करती है। इस वेबकास्ट श्रृंखला के दौरान, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा करके विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन किया है। 07.02.2025 तक, आईसीएआई के सदस्यों के लिए कौशल संवर्धन के विभिन्न पहलुओं पर 87 वेबकास्ट आयोजित किए जा चुके हैं।

7.10 महिला एवं सदस्य उत्कृष्टता समिति (**डब्ल्यूएमईसी**)

राष्ट्र सृजन में एक सच्चे भागीदार के तौरपर, आईसीएआई ने महिला एवं युवा सदस्य उत्कृष्टता समिति (पहले महिला सदस्य उत्कृष्टता समिति कहा जाता है) की स्थापना की है, जो सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 के नियामक प्रावधानों के तहत गठित आईसीएआई की एक गैर-स्थायी समिति है। समिति के दायरे में युवा सदस्यों को शामिल करने के साथ, समिति ने गतिशील और चुनौतीपूर्ण कार्य परिवेश में महिलाओं और युवा सदस्यों दोनों की उत्कृष्टता और कौशल उन्नयन की दिशा में काम करने हेतु अपना दायरा बढ़ाया है। डब्ल्यूवाईएमईसी विशेष रूप से क्षमता सृजन पहल, कौशल विकास गतिविधियों, पेशेवर और रोजगार के अवसरों हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध करके महिलाओं और युवा सदस्यों की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में काम करता है।

गतिविधियाँ

(I) **महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए फ्लेक्सी-टाइम/पार्ट-टाइम/वर्क फ्रॉम होम के अवसर हेतु प्लेसमेंट प्रोग्राम -** समिति ने उद्योग एवं व्यवसाय सदस्यों की समिति (सीएमआईबी) के साथ मिलकर अपनी महिला सदस्यों के लिए विशेष रूप से बनाया गया एक प्लेसमेंट प्रोग्राम आयोजित किया, ताकि उन महिला सदस्यों के लिए प्लेसमेंट के अधिक अवसर तलाशे जा सकें जो फ्लेक्सी-टाइम/पार्ट-टाइम/वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं। इस प्लेसमेंट कार्यक्रम का उद्देश्य महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अवसर प्रदान करना था और इसे भर्तीकर्ताओं और सदस्यों, दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

(II) **दूसरा सीए महिला उत्कृष्टता पुरस्कार -** समिति ने 1 फरवरी 2025 को यशोभूमि, नई दिल्ली में दूसरे सीए महिला उत्कृष्टता पुरस्कार का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य कॉर्पोरेट, संगठन, प्रैक्टिस व सामाजिक योगदान में अग्रणी पदों पर रहते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला सदस्यों को सम्मानित करना था। पुरस्कार पाँच श्रेणियों में प्रदान किए गए: सीए वूमन लाइफटाइम अचीवमेंट, सीए वूमन ऑफ द ईयर, सीए वूमन स्टार्टअप, सीए वूमन सामाजिक सेवाएँ और सीए महिला स्वतंत्र निदेशक। विश्व लेखाकार मंच के साथ आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि विधि एवं न्याय मंत्री ने विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की।

(III) **सीए महिला नेतृत्व सम्मेलन "फाल्कन" -** सरकार के महिला-नेतृत्व वाले विकास एजेंडे के साथ संरेखित समिति ने 29 जून 2024 को मुंबई में सीए महिला नेतृत्व सम्मेलन "फाल्कन" का आयोजन किया, जिसमें 500 से अधिक महिला चार्टर्ड एकाउंटेंट एक साथ आईं। इस कार्यक्रम में प्रख्यात महिला पेशेवरों और उद्योग जगत की अग्रणी महिलाओं द्वारा निवेश, पेशेवर अवसर, कल्याण व नेतृत्व पर सत्र आयोजित किए गए। इस सफलता के आधार पर, समिति ने अगस्त और दिसंबर 2024 के बीच विभिन्न शाखाओं में फाल्कन कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की, जिसमें नए पेशेवर अवसर, नेतृत्व, एआई व ऑफिस ऑटोमेशन, महिला स्वतंत्र निदेशक, वित्तीय प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य और प्रस्तुति कौशल जैसे विषयों को शामिल किया गया। इन आयोजनों ने महिला सीए के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान, प्रेरणा और नेटवर्किंग का मंच प्रदान किए, जिससे पेशेवर विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला।

(IV) **फ्लेक्सी और पार्ट टाइम वर्क ऑप्शन के लिए वूमन पोर्टल का पुन: लॉन्च -** समिति ने फ्लेक्सी और पार्ट टाइम वर्क ऑप्शन के लिए वूमन पोर्टल https://wmec.icai.org/ को पुनः लॉन्च किया। इस पोर्टल पर नियोक्ता और नौकरी चाहने वाले, दोनों पंजीकरण कर सकते हैं, जिससे बेहतर जॉब मैच और नेटवर्किंग की सुविधा मिलती है। पोर्टल की एक विशेषता एसएसपी पोर्टल के साथ इसका एपीआई इंटिग्रेशन है, जिससे नौकरी चाहने वाले एसएसपी पोर्टल से आवश्यक डेटा प्राप्त करके जल्दी से फॉर्म भर सकते हैं, जिससे पंजीकरण के लिए आवश्यक समय कम हो जाता है। पोर्टल पर 600 से अधिक नियोक्ताओं और 9000 से अधिक महिला सदस्यों ने पंजीकरण कराया है।

(V) **स्वतंत्र निदेशकों का सम्मेलन -** समिति ने 6 जून 2024 को मुंबई में पहला स्वतंत्र निदेशकों का सम्मेलन और 20 जून 2024 को अहमदाबाद में स्वतंत्र निदेशकों के सम्मेलन की दूसरी श्रृंखला का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसका विषय था- "प्रभावी कॉर्पोरेट प्रशासन के भविष्य को आकार देना", जो हमारे कॉर्पोरेट परिदृश्य की अखंडता और स्थिरता हेतु अहम विषय है। इन सम्मेलनों का उद्देश्य सदस्यों को स्वतंत्र निदेशक के रूप में करियर बनाने हेतु सशक्त व प्रोत्साहित करना, उनके पेशेवर विकास को बढ़ावा देना और लक्षित तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से उनके कौशल को समृद्ध करना है। प्रत्येक सम्मेलन में 150 से अधिक चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने भाग लिया।

(VI) **"द फ्यूचर इस फीमेल एंड इट्स नॉउ" पर प्रकाशन -** समिति ने "द फ्यूचर इस फीमेल एंड इट्स नॉउ" शीर्षक से एक नया प्रकाशन जारी किया है, जिसमें महिला नेतृत्व के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। इसमें भारतीय दर्शन और सभ्यता में महिलाओं की भूमिका, भारत में महिला नेतृत्व, सामाजिक, राजनीतिक और कॉर्पोरेट क्षेत्रों में नेतृत्व, महिला नेतृत्व को बढ़ाने की रणनीतियाँ, दुनिया तथा भारत में आने वाली बाधाएँ और देश में युवा महिला नेताओं के उभरने जैसे विषयों को शामिल किया गया है।

(VII) **आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (आरआरसी) -** समिति ने महिला सदस्यों के लिए कौशल सृजन, नेटवर्किंग और व्यावसायिक विकास पर केंद्रित तीन आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए। जयपुर, झाँसी और महाबलीपुरम में आयोजित इन पाठ्यक्रमों में सीए के लिए नए अवसर, कर कानून, नैतिकता, नेतृत्व, डिजिटल युग में लेखा परीक्षा, वित्तीय अपराध और वर्क-लाइफ बैलेंस जैसे विषयों को शामिल किया गया।

(VIII) **अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गतिविधि -** 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, महिला एवं युवा सदस्य उत्कृष्टता समिति ने आई.सी.ए.आई. की महिला सदस्यों और छात्राओं को प्रेरित करने हेतु कई पहल कीं। आई.सी.ए.आई. की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और वाईवाईएमईसी की उपाध्यक्ष द्वारा वीडियो बाइट्स रिकॉर्ड किए गए और सोशल मीडिया तथा समिति के प्लेटफार्मों पर साझा किए गए। समिति ने महिला सदस्यों को सामूहिक एसएमएस शुभकामना संदेश भी भेजे और महिलाओं की उत्कृष्टता के लिए आई.सी.ए.आई. के प्रयासों को दर्शाते हुए सूचनात्मक सोशल मीडिया सामग्री भी प्रसारित की। इसके अलावा, देश भर में आई.सी.ए.आई. की 95 से अधिक शाखाओं ने वाईवाईएमईसी के मार्गदर्शन में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें लगभग 5,000 सदस्यों ने विभिन्न उत्सव कार्यक्रमों में भाग लिया।

(IX) **शाखाओं द्वारा आयोजित भौतिक कार्यक्रम/इवेंट -** समिति ने 2024 में आई.सी.ए.आई. शाखाओं में छह भौतिक कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें महिलाओं के पेशेवर विकास, नेतृत्व, वर्क-लाइफ बैलेंस, कानूनी जागरूकता और महिला चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के लिए उभरते अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

(X) **यशस्विनी - एक आदर्श - समावेशिता | विविधता | उत्कृष्टता | नेतृत्व वेबिनार श्रृंखला -** समिति ने "यशस्विनी - एक आदर्श" श्रृंखला के अंतर्गत 59 वेबिनार आयोजित किए, जिनमें तकनीकी और गैर-तकनीकी विषयों पर विशेषज्ञ वक्ताओं ने भाग लिया। इस पहल का उद्देश्य सदस्यों को अद्यतन करना, उनके कौशल को निखारना और सत्रों का समन्वय करके महिलाओं को नेतृत्व और संचार कौशल दिखाने हेतु सशक्त बनाना था।

(XI) **एसएएफए महिला नेतृत्व पुरस्कार 2025 -** सार्क क्षेत्र में लेखा पेशे से जुड़ी उद्यमी महिलाओं की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए, एसएएफए महिला नेतृत्व समिति ने दूसरे एसएएफए महिला नेतृत्व पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित किए थे। इस पहल को बढ़ावा देने के लिए, समिति ने आईसीएआई की महिला सदस्यों के बीच एसएएफए महिला नेतृत्व पुरस्कारों की जानकारी बड़े पैमाने पर ईमेल और एसएमएस के ज़रिए प्रसारित की।

8. अन्य समितियाँ/बोर्ड

8.1 लेखा परीक्षा समिति

संस्थान की लेखा परीक्षा समिति की स्थापना अप्रैल 2001 में परिषद द्वारा एक गैर-स्थायी समिति के रूप में की गई थी, जिसका स्पष्ट रूप से तय अधिदेश था। 2009 से, इसकी अध्यक्षता एक विशेष सरकारी नामित व्यक्ति द्वारा की जाती रही है ताकि इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके। इसकी स्वायत्तता को और बढ़ाने के लिए, कार्यकारी समिति एवं वित्त समिति के सदस्यों को केंद्रीय लेखा परीक्षा समिति में कार्य करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, पाँच क्षेत्रीय लेखा परीक्षा समितियाँ—दक्षिणी, पश्चिमी, मध्य, उत्तरी और पूर्वी—समिति के कार्यों में सहयोग प्रदान करती हैं, जिससे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित होती है।

कार्य

समिति वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख और संस्थान के वित्तीय प्रकटीकरणों की सटीकता, अखंडता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु ज़िम्मेदार है। यह लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा करती है, लेखा परीक्षकों के साथ टिप्पणियों पर चर्चा करती है, सुधारात्मक कार्रवाइयों की सिफ़ारिश करती है, और आंतरिक नियंत्रण परिवेश को मज़बूत बनाने का प्रयास करती है। समिति सुशासन एवं लेखापरीक्षा पद्धतियों में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

वैधानिक लेखा परीक्षा

- **वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति -** सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 18(5) के अनुसार, आई.सी.ए.आई. की शाखाओं, क्षेत्रीय परिषदों, विकेंद्रीकृत कार्यालयों, उत्कृष्टता केंद्रों और मुख्यालय के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा अनुशंसित दो फर्मों के पैनल से की जाती है, जो वित्त वर्ष 2022-23 से प्रभावी है। यह प्रणाली निरंतरता सुनिश्चित करती है और लेखा परीक्षा में देरी से बचाती है। इन नियुक्तियों की स्थिति रिपोर्ट नियमित रूप से सीएंडएजी के साथ साझा की जाती है।
- **लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग ढांचा -** वैधानिक लेखापरीक्षकों का रिपोर्टिंग ढांचा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 196 और 197 द्वारा शासित होता है।
- **संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक -** आई.सी.ए.आई. मुख्यालय के खातों का लेखा परीक्षण दो संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है, जो विविध विशेषज्ञता लाते हैं और व्यापक समीक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।

आंतरिक लेखा परीक्षा

- **आंतरिक लेखापरीक्षा कवरेज -** एक हज़ार से ज़्यादा सदस्यों वाली शाखाओं, क्षेत्रीय परिषदों, विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, उत्कृष्टता केंद्र और मुख्यालय सहित सभी प्रमुख इकाइयों के लिए एक मज़बूत आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था मौजूद है। आंतरिक लेखापरीक्षा लेखापरीक्षा समिति की देखरेख में की जाती है, जो पारदर्शिता व लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है।
- **अभिरुचि पत्र (ईओआई) के माध्यम से नियुक्ति -** आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है जिसमें सीए फर्मों से अभिरुचि पत्र (ईओआई) हेतु खुला आमंत्रण शामिल होता है। चयन एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन और रैंकिंग प्रणाली पर आधारित होता है। लेखा परीक्षाएँ द्विवार्षिक रूप से आयोजित की

जाती हैं और निर्धारित दायरे व रिपोर्टिंग प्रारूप के अनुसार वित्तीय और अनुपालन दोनों पहलुओं को कवर करती हैं। अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संबंधित क्षेत्रीय या केंद्रीय लेखा परीक्षा समितियों द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है।

वार्षिक खाते

- **असंशोधित लेखापरीक्षा राय** - संस्थान को लगातार असंशोधित (अनधिकृत) लेखापरीक्षा राय प्राप्त हुई है, जो सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन, सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण और उच्च प्रशासनिक मानकों के अनुपालन को दर्शाती है।
- **वित्तीय विवरण प्रारूप** - आई.सी.ए.आई. अपने वित्तीय विवरण संस्थान द्वारा जारी तकनीकी मार्गदर्शिका के अनुसार, गैर-लाभकारी संगठनों के लिए उदाहरणात्मक प्रारूप के अनुसार तैयार करता है। यह प्रारूप हितधारकों के लिए प्रासंगिकता और स्पष्टता बढ़ाने हेतु अनुकूलित किया गया है।
- **अनुमोदन प्रक्रिया** - लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों का अनुमोदन सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 18(5क) और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 200 के अंतर्गत एक संरचित एवं वैधानिक प्रक्रिया का पालन करता है:
  - ➢ मसौदा खातों की समीक्षा वित्त समिति द्वारा की जाती है और उसे प्रबंधन समिति को पेश किया जाता है।
  - ➢ प्रबंधन समिति उनका मूल्यांकन करती है और उन्हें लेखा परीक्षा समिति को भेजती है।
  - ➢ लेखापरीक्षा समिति खातों की समीक्षा करती है और उन्हें परिषद को प्रस्तुत करती है।
  - ➢ परिषद खातों को वैधानिक लेखा परीक्षकों को भेजती है।
  - ➢ लेखापरीक्षा के बाद, रिपोर्ट परिषद के सदस्यों के बीच प्रसारित की जाती है।
  - ➢ परिषद अंततः लेखों को अनुमोदित करती है और *भारत के राजपत्र* में उनका प्रकाशन सुनिश्चित करती है।

8.2 **उद्यमिता एवं सार्वजनिक सेवाओं के सदस्यों के लिए समिति** (सीएमई एंड पीएस)

उद्यमिता एवं सार्वजनिक सेवा में सदस्यों के लिए समिति (सीएमईपीएस) आई.सी.ए.आई. नेतृत्व और सार्वजनिक सेवा या उद्यमिता में लगे सदस्यों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करती है। सीए के लिए करियर विकल्प के रूप में लोक सेवा व उद्यमिता को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ, समिति सदस्यों को प्रेरित और सशक्त बनाने हेतु विभिन्न पहल करती है। कई चार्टर्ड एकाउंटेंट वर्तमान में सरकारी विभागों, मंत्रालयों, विधायिकाओं, न्यायपालिका, नियामक निकायों और उद्यमशीलता उपक्रमों में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं और शासन, आर्थिक विकास और राष्ट्र के विकास में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। समिति राष्ट्रीय महत्व के मामलों की पहचान करने हेतु लोक सेवा में आई.सी.ए.आई. सदस्यों के सुझावों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से लोक सेवा में आई.सी.ए.आई. सदस्यों की आवासीय बैठकें/इंटरैक्टिव बैठकें आयोजित करती है और समिति अपने सीए सदस्यों के लिए उद्यमिता में निहित विभिन्न अवसरों की निरंतर तलाश कर रही है। इन पहलों का उद्देश्य मार्गदर्शन प्रदान करना, क्षमता सृजन करना, उद्यमशीलता की संस्कृति विकसित करना तथा राष्ट्र सृजन में योगदान देने के लिए सदस्यों को समर्थन प्रदान करना है।

महत्वपूर्ण पहल

- सीए सिविल सेवा उम्मीदवारों और उद्यमिता में शामिल होने की इच्छा रखने वाले सीए सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए इंटरैक्टिव मीट/वेबिनार का आयोजन किया गया।
- "अंतर को पाटना: नवाचारों को व्यावसायिक सफलताओं में बदलना" हेतु सीए उभरते उद्यमियों के लिए "आईसीएआई का पहला इनोफेस्ट 2024" - "विश्व उद्यमी दिवस" के अवसर पर सीएमईपीएस समिति द्वारा आयोजित।

(I) इंटरैक्टिव मीट

- **सीए सिविल सेवा उम्मीदवारों और उद्यमिता में शामिल होने की इच्छा रखने वाले सीए सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए इंटरैक्टिव बैठकें**
  - ➢ 18 मई 2024 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में आयोजित इंटरैक्टिव मीट में 127 सदस्यों ने भाग लिया और प्रख्यात संकायों एवं सार्वजनिक सेवा के सदस्यों ने संबोधित किया, जैसे कि सीए महेश

शाह, आईआरएस, प्रिंसिपल सीआईटी, सीए आयुष बंसल, आईसीओएएस, श्री बिभाष शर्मा, निदेशक, एलीट आईएएस अकादमी, सीए राहुल कुमार, निदेशक, डायडेमी आईएएस, सीए विष्णु सुल्तानिया, संस्थापक, एकेएमवी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री रजनीश गोयनका, अध्यक्ष, टोबू साइकिल्स और एमकेएम समूह, और सीए मुकेश गर्ग, प्रमोटर, रेमोटोस प्राइवेट लिमिटेड।

- 1 जून 2024 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में आयोजित एक इंटरैक्टिव मीट में 147 सदस्यों ने भाग लिया और सार्वजनिक सेवा में प्रख्यात संकायों और सदस्यों द्वारा संबोधित किया गया, जैसे कि सीए आर लक्ष्मणन, आईएएस, संयुक्त सचिव, बंदरगाह, जलमार्ग और जहाजरानी मंत्रालय, सीए मानवेंद्र गोयल, आईआरएस, प्रिंसिपल सीआईटी, सीए के जेगादेसन, आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात), और सीए विष्णु सुल्तानिया, संस्थापक, एकेएमवी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड।
- 22 जून 2024 को रेडिसन ब्लू, फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित एक इंटरैक्टिव मीट में 145 सदस्यों ने भाग लिया और प्रतिष्ठित संकाय सदस्यों तथा लोक सेवा के सदस्यों ने संबोधित किया। सीए. कमल कांत जैन, आध्यात्मिक अर्थशास्त्री एवं उद्यमी (उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के पूर्व न्यायाधीश), सीए. श्रेष्ठ तायल, आईआरएस, विदेशी कर एवं कर अनुसंधान प्रभाग में आयकर उपायुक्त, सीबीडीटी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, सीए, शिवानी माहेश्वरी, आईसीओएएस, एफआईयू की उप निदेशक, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, श्री विभास झा सर, वरिष्ठ संकाय (अर्थशास्त्र), नेक्स्ट आईएएस, सीए. आशीष अग्रवाल, निदेशक, रिसर्जेंट इंडिया लिमिटेड, और सीए. रॉबिन झा, "निरोगस्ट्रीट" के संस्थापक एवं सीओओ तथा "टीपॉट" के संस्थापक एवं पूर्व मुख्य एंकर।
- 14 जुलाई 2024 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित इंटरैक्टिव मीट में 62 सदस्यों ने भाग लिया और प्रतिष्ठित संकायों द्वारा संबोधित किया गया, जैसे कि सीए दिलीप चौहान, संस्थापक- दिव्यम आहार प्राइवेट लिमिटेड, सीए कपिल मल्होत्रा, संस्थापक और निदेशक, टोटल सॉल्यूशन ग्रुप्स, सीए हर्ष मंगला, आईएएस, निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, और श्री प्रशांत शर्मा, अनुभवी शिक्षक, दृष्टि आईएएस, नई दिल्ली।
- 11 अगस्त 2024 को होटल शिवालिक व्यू, चंडीगढ़ में आयोजित इंटरएक्टिव मीट में 61 सदस्यों और प्रतिष्ठित संकायों ने भाग लिया, जैसे कि सीए गौरव कुमार धवन, आईआरएस, कमिश्नर, सेंट्रल जीएसटी, जालंधर, सीए सुरेश स्याल, आईसीओएएस और सीए अमित भल्ला, प्रशादा (आटा उद्योग) के संस्थापक।
- 24 अगस्त 2024 को होटल ज्वेल्स, करनाल, हरियाणा में आयोजित इंटरएक्टिव मीट में 78 सदस्य और प्रतिष्ठित संकाय सदस्य शामिल होंगे, जैसे श्री शंकर झा, संस्थापक और निदेशक, सेज आईएएस अकादमी, श्री गौतम जनेश, वरिष्ठ आईएएस शिक्षक और विशेषज्ञ और सीए अमित भल्ला, प्रशादा (आटा उद्योग) के संस्थापक।
- 1 सितंबर 2024 को रॉयल पेपर होटल्स एंड रिसॉर्ट्स, रेवाड़ी में इंटरएक्टिव मीट में 158 सदस्यों और एडवोकेट रणजीत सिंह, निदेशक, और श्री शशांक झा, विवेचना आईएएस और न्यायपालिका अकादमी और सीए जैसे प्रतिष्ठित संकायों ने भाग लिया। संभव मेहरोत्रा, स्टार्टअप सलाहकार और एंजेल निवेशक।

- **उद्यमिता में शामिल होने की इच्छा रखने वाले सीए सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए इंटरैक्टिव बैठकें**
  - 18 जुलाई 2024 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित इंटरैक्टिव मीट में 80 सदस्य शामिल होंगे और रूरल रूट्स के संस्थापक एवं सीए आशीष अग्रवाल, निदेशक, रिसर्जेंट इंडिया लिमिटेड जैसे प्रतिष्ठित संकायों द्वारा संबोधित किया जाएगा।
  - 20 जुलाई 2024 को द लीला एम्बिएंस, गुड़गांव, हरियाणा में इंटरैक्टिव मीट में 128 सदस्यों ने भाग लिया और संस्थापक- दिव्यम आहार प्राइवेट लिमिटेड, ग्रोथ माइंडसेट और लेखक कोच, और संस्थापक, एकेएमवी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जैसे प्रतिष्ठित संकायों द्वारा संबोधित किया गया।
  - 4 अगस्त 2024 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित इंटरैक्टिव मीट में 97 सदस्य और प्रतिष्ठित संकाय सदस्य शामिल होंगे, जैसे कि सीए. दीपक माहेश्वरी, संस्थापक, जिंदगी लाइव ग्रुप, सीए. सुनीता माहेश्वरी, सह-संस्थापक, डीलप्लेक्सस, सीए. नितिन सोनी, सीईओ और संस्थापक, अध्ययन बुक्स।
  - 30 अगस्त 2024 को होटल सफायर, बठिंडा, पंजाब में इंटरैक्टिव मीट में 88 सदस्यों और प्रतिष्ठित संकायों ने भाग लिया, जैसे कि सीए अमित भल्ला, पार्षद फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, सीए गौरव अग्रवाल, सीए संतोष रामानुज तिवारी, सीए ऋषभ अग्रवाल।

- **न्यायिक सेवाओं में रुचि रखने वाले सीए सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए इंटरैक्टिव बैठकें**
  - 28 जून 2024 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में एक इंटरैक्टिव मीट आयोजित की गई, जिसमें 54 सदस्यों ने भाग लिया और श्री प्रशांत शर्मा, दृष्टि आईएएस और सुश्री आरुषि चौधरी, एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संकायों ने संबोधित किया।
- **सार्वजनिक सेवाओं में रुचि रखने वाले सीए सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए इंटरैक्टिव बैठकें - क्षेत्रीय निकायों/अपीलीय प्राधिकरणों पर विशेष सत्र**
  - 6 जुलाई 2024 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित इंटरैक्टिव मीट में 87 सदस्यों ने भाग लिया और सीए नरेश कुमार सैनी, पूर्व उपाध्यक्ष, आईटीएटी, सीए राघव माहेश्वरी, प्रबंधक, आईबीबीआई, सीए राहुल कुमार, निदेशक, डायडेमी आईएएस, नई दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संकायों ने संबोधित किया।
- **शैक्षिक क्षेत्र में अवसरों पर इंटरैक्टिव बैठकें**
  - शैक्षिक क्षेत्र में अवसरों पर इंटरैक्टिव मीट (फिजिकल और वर्चुअल) 25 जुलाई 2024 और 3 अगस्त 2024 को आई.सी.ए.आई. बीकेसी मुंबई में आयोजित की जाएगी।

(II) आई.सी.ए.आई. का पहला इनोफेस्ट 2024

"विश्व उद्यमी दिवस" के अवसर पर सीएमईपीएस समिति द्वारा बुधवार, 21 अगस्त 2024 को शाम 5:00 बजे रेडिसन गुरुग्राम, सोहना रोड सिटी सेंटर, गुरुग्राम में आयोजित "अंतर को पाटना: नवाचारों को व्यावसायिक सफलताओं में बदलना" विषय पर सीए उभरते उद्यमियों के लिए "आईसीएआई का पहला इनोफेस्ट 2024"। सीए उभरते उद्यमियों द्वारा उद्यमशीलता संबंधी नए विचारों की प्रस्तुति, नवाचारों के माध्यम से अवसरों का लाभ उठाना, रचनात्मक विचार एवं व्यावसायिक रणनीतियाँ, सीए से उद्यमी बनने की यात्रा, और सीए उभरते उद्यमियों के नवीन विचारों को आगे मार्गदर्शन, सलाह और समर्थन देने हेतु नए विचारों पर चर्चा और मूल्यांकन। आईसीएआई के पहले इनोफेस्ट 2024 में 203 सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर जूरी सदस्यों के रूप में प्रतिष्ठित संकाय सदस्य उपस्थित रहे, जैसे कि फ्लूइड वेंचर्स के पार्टनर सीए अमित सिंघल, इंश्योरेंसदेखो के सीएफओ सीए पुनीत कुमार, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के सीएफओ सीए अरविंद कुमार तलान, और दिव्यम आहार (प्रा.) लिमिटेड के संस्थापक सीए दिलीप चौहान। प्रतिभागियों में सीए नेहा अग्रवाल, सीए ममता सिंह और सीए सचिन अग्रवाल ने अपने अभिनव विचार प्रस्तुत किए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

(III) वेबिनार और मॉक टेस्ट

- उद्यमिता को सशक्त बनाने पर वेबिनार - ग्रामीण उद्यमिता : एस्पायर योजना की एक पहल पर वेबिनार 12 अप्रैल 2024, शुक्रवार को आयोजित, डॉ. भास्कर कुमार काकती (सलाहकार, आईआईई, गुवाहाटी) ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। वेबिनार में 135 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया।
- आईसीओएएस में सीए सदस्यों को सशक्त बनाने हेतु सीएमईपीएस समिति द्वारा आयोजित वेबिनार की श्रृंखला और 19 अक्टूबर 2024 को आयोजित, 25 सितंबर को सीए अजय येर्वा (आईसीओएएस), सीए कपिल गोयल (आईसीओएएस), सीए शुभम अग्रवाल (आईसीओएएस) द्वारा संबोधित, 28 सितंबर (शनिवार) को सीए पीयूष चोरारिया, (आईसीओएएस), सीए गौरव मित्तल, (आईसीओएएस) द्वारा संबोधित, 10 अक्टूबर को डॉ. शिल्पा पारखी द्वारा संबोधित, 11 अक्टूबर को सीए दीपक जैन, 15 अक्टूबर को सीए आलोक गर्ग द्वारा संबोधित, 16 अक्टूबर को डॉ. शिल्पा पारखी द्वारा संबोधित, वेबिनार श्रृंखला में 400 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया था।
- राज्य सिविल सेवाओं में शामिल होने और यूपीएससी सिविल सेवा 2025 में शामिल होने के इच्छुक सीए सदस्यों के लिए 24 अक्टूबर 2024 को वेबिनार-सह-मार्गदर्शन सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रख्यात संकाय सदस्यों श्री प्रशांत शर्मा, श्री दीपांशु सैनी और श्री शशि भूषण तिवारी ने भाग लिया। इस वेबिनार में 300 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया।
- आईसीओएएस में भाग लेने वाले सीए सदस्यों के लिए 17 अक्टूबर को मॉक टेस्ट आयोजित किया गया, जिसके बाद शाम को वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसे सीए राहुल कुमार ने संबोधित किया। वेबिनार में 250 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया।
- "सीए सिविल सेवा उम्मीदवारों का सशक्तिकरण: सीए सदस्यों के लिए यूपीपीएससी में अवसर; यूपीपीएससी विज्ञापन संख्या ए-1/ई-1/2025 की व्याख्या" विषय पर वेबिनार शुक्रवार, 21 मार्च 2025 को दोपहर 3:00

बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित किया गया, जिसे प्रख्यात संकाय सदस्य श्री रणजीत सिंह और श्री शशांक झा ने संबोधित किया। वेबिनार में 270 से अधिक सदस्यों ने पंजीकरण कराया।

- मंगलवार, 8 अप्रैल 2025 को दोपहर 3:00 बजे से 4:00 बजे तक "सामाजिक उद्यमिता: प्रभाव-संचालित उद्यमों का निर्माण" विषय पर वेबिनार आयोजित किया गया, जिसे प्रख्यात संकाय सदस्य सीए विष्णु सुल्तानिया और सीए अर्जित सोनी ने संबोधित किया। वेबिनार में 190 से अधिक सदस्यों ने पंजीकरण कराया।
- "सीए सिविल सेवा उम्मीदवारों का सशक्तिकरण: यूकेपीएससी में सीए सदस्यों के लिए अवसर; यूकेपीएससी विज्ञापन संख्या क-1/ङ-1/2025/2025-26 की व्याख्या" विषय पर वेबिनार शनिवार, 17 मई 2025 को दोपहर 3:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक आयोजित किया गया, जिसे प्रख्यात संकाय सदस्य श्री अजय सिंह अहलावत ने संबोधित किया। वेबिनार में 200 से अधिक सदस्यों ने पंजीकरण कराया।

(IV) आवासीय बैठक

सीएमईपीएस 17 से 19 जनवरी 2025 तक वेस्टिन गोवा में सार्वजनिक सेवा में आई.सी.ए.आई. सदस्यों की आवासीय बैठक का आयोजन करता है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएएएस, आईसीओएएस, आईआरएएस, आईआरपीएस सहित सार्वजनिक सेवा में 100 से अधिक सदस्य, आईटीएटी जैसे अपीलीय न्यायाधिकरणों से, आईबीबीआई, आईआरडीएआई, सेबी जैसे नियामक निकायों से, एसएफआईओ, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों से आदि सार्वजनिक सेवा में सदस्य विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे - गृह मंत्रालय, भारतीय उच्चायोग, कोलंबो, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, सीबीआईसी, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, व्यापार उपचार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, औषधि विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग), आईबीबीआई, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, तेलंगाना विद्युत नियामक आयोग, हैदराबाद, डाक विभाग।

8.3 **वित्तीय बाजार और निवेशक संरक्षण समिति** (सीएफएम **एंड** आईपी)

वित्तीय बाज़ार एवं निवेशक संरक्षण समिति, सरकार एवं नियामकों को वित्तीय बाज़ारों से संबंधित विभिन्न विधेयकों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, परामर्श पत्रों व अन्य दस्तावेज़ों पर सुझाव प्रदान करती है। इसके अलावा, समिति नियमित रूप से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, गैर-वित्तीय कंपनियों (भारतीय रिज़र्व बैंक का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विभाग), वायदा बाज़ार आयोग और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ वित्तीय बाज़ारों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका और निवेशक संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करती है।

(I) राष्ट्र सृजन में भागीदार

आम जनता में जागरूकता पैदा करने और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, समिति ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) के तत्वावधान में वित्तीय बाजारों के व्यापक विकास को समझने हेतु निवेशकों की क्षमता बढ़ाने के लिए आई.सी.ए.आई. की विभिन्न कार्यक्रम आयोजन इकाइयों यानी शाखाओं/क्षेत्रीय परिषदों/अध्ययन मंडलों के माध्यम से 177 निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।

(II) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) पर टिप्पणियाँ/सुझाव

- आरईआईटी और इनविट के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हेतु उपायों पर परामर्श पत्र, दिनांक 09 मई 2025
- भारतीय म्यूचुअल फंडों द्वारा ऐसे विदेशी फंडों में निवेश को सुविधाजनक बनाने पर परामर्श पत्र, जो अपनी परिसंपत्तियों का एक निश्चित हिस्सा भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, दिनांक 17 मई 2025
- एमबी विनियम, बीटीआई विनियम एवं बायबैक विनियम के तहत व्यापार करने में आसानी को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर परामर्श पत्र दिनांक 21 मई 2024
- व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) के संबंध में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को सुगम बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर परामर्श पत्र, दिनांक 22 मई 2024
- क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) में म्यूचुअल फंड द्वारा भागीदारी में लचीलेपन पर परामर्श पत्र दिनांक 7 जून 2024

- निष्क्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए म्यूचुअल फंड लाइट विनियम (एमएफ लाइट) की शुरूआत के लिए परामर्श पत्र दिनांक 01 जुलाई 2024
- क्लियरिंग सदस्यों (सीएम) और अपस्ट्रीम क्लाइंट फंडों से प्राप्त नकद संपार्श्विक पर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन (सीसी) द्वारा ब्याज आय के उपचार पर परामर्श पत्र, दिनांक 05 जुलाई 2024
- नये परिसंपत्ति वर्ग/उत्पाद श्रेणी के परिचय पर परामर्श पत्र दिनांक 16 जुलाई 2024
- ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और आईसीडीआर एवं एलओडीआर विनियमों के प्रावधानों के सामंजस्य हेतु विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर परामर्श पत्र, दिनांक 22 जुलाई 2024
- 'संबद्ध व्यक्ति' अभिव्यक्ति के दायरे को युक्तिसंगत बनाने के लिए सेबी (अंदरूनी व्यापार निषेध) विनियम, 2015 में प्रस्तावित संशोधनों पर परामर्श पत्र, अनुपालन ज़रुरतों में वृद्धि नहीं करते हुए, दिनांक 29 जुलाई 2024
- 16 अगस्त 2024 से स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से ऋण प्रतिभूतियों में निवेशकों के लिए लिक्विडिटी विंडो सुविधा की शुरुआत
- 20 अगस्त 2024 को चयनात्मक निवेशक(कों) को आवंटन के लचीलेपन के साथ तीव्र अधिकार निर्गम पर परामर्श पत्र।
- 29 अगस्त 2024 को "जनहित निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान" पर परामर्श पत्र।
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अनौपचारिक मार्गदर्शन) योजना, 2003 की समीक्षा पर परामर्श पत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024
- निर्दिष्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में मान्यता पर परामर्श पत्र दिनांक 22 अक्टूबर 2024
- प्रतिबंधित रिटर्न इनविट्स के लिए नियामक ढांचे की शुरूआत पर परामर्श पत्र दिनांक 30 अक्टूबर 2024
- उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध संस्थाओं (एचवीडीएलई) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन मानदंडों से संबंधित एलओडीआर विनियमों के प्रावधानों की समीक्षा पर परामर्श पत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2024
- सेबी (प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों एवं प्रतिभूति प्राप्तियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008 की समीक्षा पर परामर्श पत्र दिनांक 01 नवंबर 2024
- एएमसी के नामित कर्मचारियों के हितों को यूनिटधारकों के हितों के साथ संरेखित करने की ज़रुरतों की समीक्षा पर परामर्श पत्र, दिनांक 06 नवंबर 2024
- सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और एक सूचीबद्ध कंपनी के संबंधित पक्ष लेनदेन से संबंधित पहलुओं पर परामर्श पत्र, दिनांक 10 मार्च, 2025
- सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए मसौदा परिपत्र - गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों, प्रतिभूतिकृत ऋण साधनों और वाणिज्यिक पत्र के लिए सूचीबद्धता दायित्वों और प्रकटीकरण अनिवार्यताओं के लिए मास्टर परिपत्र के अध्याय VII में संशोधन, दिनांक 30 मई, 2025
- निवेश सलाहकारों और अनुसंधान विश्लेषकों द्वारा जमा आवश्यकता के अनुपालन के लिए लिक्विड म्यूचुअल फंड के उपयोग पर परामर्श पत्र, दिनांक 29 मई, 2025
- 30 मई, 2025 के एआईएफ विनियमों के अंतर्गत एआईएफ संरचना के भीतर निवेशकों को सह-निवेश के अवसर प्रदान करने के लिए एआईएफ को लचीलापन प्रदान करने पर परामर्श पत्र

II) सदस्यों के लिए पहल

- **प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

अपने सदस्यों के कौशल को बढ़ाने और उन्हें उपयुक्त रूप से सशक्त बनाने के लिए, समिति 6 प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालित करती है जो इस प्रकार हैं:

- ➢ विदेशी मुद्रा एवं ट्रेजरी प्रबंधन पर सर्टिफिकेट कोर्स (एफएक्सटीएम)
- ➢ डेरिवेटिव्स पर सर्टिफिकेट कोर्स
- ➢ इक्विटी रिसर्च सहित स्टॉक के मौलिक एवं तकनीकी विश्लेषण पर सर्टिफिकेट कोर्स
- ➢ वित्तीय बाजार एवं प्रतिभूति कानून पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (एफएमएसएल)

- ➢ पूंजी बाजार मध्यस्थों के अनुपालन पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
- ➢ आईएफएससी में फंड प्रबंधन पर सर्टिफिकेट कोर्स

समिति ने डिजिटल लर्निंग हब के माध्यम से विदेशी मुद्रा और ट्रेजरी प्रबंधन पर सर्टिफिकेट कोर्स, डेरिवेटिव्स पर सर्टिफिकेट कोर्स, वित्तीय बाजारों और प्रतिभूति कानूनों पर सर्टिफिकेट कोर्स, इक्विटी रिसर्च सहित स्टॉक के मौलिक और तकनीकी विश्लेषण पर सर्टिफिकेट कोर्स, पूंजी बाजार मध्यस्थों के अनुपालन पर सर्टिफिकेट कोर्स और आईएफएससी में फंड प्रबंधन पर सर्टिफिकेट कोर्स के 10 ऑनलाइन बैच सफलतापूर्वक संचालित किए हैं, जिसमें आई.सी.ए.आई. के कुल 819 सदस्यों ने नामांकन किया है।

- **सदस्यों के व्यावसायिक विकास के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशाला/वेबकास्ट/आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (आरआरसी)**

समिति ने 30 वर्चुअल सीपीई बैठकों और वेबिनारों के माध्यम से सदस्यों के बीच ज्ञान का प्रसार किया है। वित्तीय बाज़ारों और निवेशक संरक्षण समिति ने आई.सी.ए.आई. की शाखाओं के सहयोग से "इन्वेस्टमेंट की पाठशाला - सीए: द इन्वेस्टमेंट गुरु" सहित 10 राष्ट्रीय सम्मेलन और 24 सेमिनार आयोजित किए हैं।

8.4 **सार्वजनिक और सरकारी वित्तीय प्रबंधन समिति** (सीपीएंडजीएफएम)

आई.सी.ए.आई. ने अपने मिशन व विजन के अनुरूप, स्थानीय निकायों सहित भारत सरकार के सभी स्तरों में लेखांकन, वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रबंधन में सुधार हेतु सार्वजनिक और सरकारी वित्तीय प्रबंधन समिति (सीपीजीएफएम) का गठन किया। स्थानीय निकायों (एएसएलबी) के लिए लेखांकन मानक तैयार करने के अलावा, समिति प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वेबिनार, ई-लर्निंग मॉड्यूल आदि जैसे कई माध्यमों से सरकार के विभिन्न स्तरों के लेखा/वित्त कर्मचारियों की क्षमता सृजन पर ध्यान केंद्रित करती है। समिति सार्वजनिक वित्त एवं सरकारी लेखांकन पर सर्टिफिकेट कोर्स भी चलाती है जिसमें सरकारी और स्वायत्त निकायों के अधिकारी भाग ले सकते हैं। इसके अलावा, सीपीजीएफएम पंचायतों और नगर निकायों के लेखाकारों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स (अर्थात, आईसीएआई और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय की एक संयुक्त पहल) के लिए तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है, जिसे आईसीएआई लेखा अनुसंधान प्रतिष्ठान (आईसीएआई-एआरएफ) के अंतर्गत स्थापित स्थानीय निकाय लेखाकार प्रमाणन बोर्ड (बीएलओएसी) के माध्यम से चलाया जा रहा है। यह पहल, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की पेशेवर विशेषज्ञता को कॉर्पोरेट क्षेत्र से परे आम जनता तक पहुँचाकर राष्ट्र सृजन के प्रति आईसीएआई की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

(I) अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मानक बोर्ड (आईपीएसएएसबी) के मसौदों पर प्रस्तुत तकनीकी टिप्पणियाँ

- एक्सपोजर ड्राफ्ट 86, *खनिज संसाधनों की खोज एवं मूल्यांकन पर प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र लेखांकन मानक*;
- एक्सपोज़र ड्राफ्ट 87, *सतह खदान के उत्पादन चरण में स्ट्रिपिंग लागत पर प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र लेखांकन मानक (आई.पी.एस.ए.एस. 12 में संशोधन)* ;
- एक्सपोजर ड्राफ्ट 88, *परिसंपत्तियों पर अधिकार प्रदान करने वाली व्यवस्थाओं पर प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र लेखांकन मानक (आईपीएसएएस 47 और आईपीएसएएस 48 में संशोधन)*;
- एक्सपोज़र ड्राफ्ट 89, *'आईएफआरआईसी व्याख्याओं पर विचार करने के लिए संशोधन'*;
- एक्सपोज़र ड्राफ्ट 90, आईपीएसएएस 46 के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप आईपीएसएएस में संशोधन, मापन;
- एक्सपोजर ड्राफ्ट 91, प्रोद्भवन आधार पर अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र लेखांकन मानकों (आईपीएसएएस) को पहली बार अपनाने हेतु सीमित दायरे के अपडेट (आईपीएसएएस 33 में संशोधन);
- एक्सपोज़र ड्राफ्ट 92, प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मानक, मूर्त प्राकृतिक संसाधन; और
- आईपीएसएएसबी एसआरएस एक्सपोजर ड्राफ्ट 1, जलवायु-संबंधित प्रकटीकरण।

(II) सरकार को सहायता:

- **भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) कार्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर**

सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा में क्षमता सृजन बढ़ाने हेतु 21 अप्रैल 2025 को आईसीएआई और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत, 50 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकारियों के लिए पहला आवासीय क्षमता सृजन कार्यक्रम 5 मई 2025 से 5 जून, 2025 तक आईसीएआई के उत्कृष्टता केंद्र, हैदराबाद में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को आईसीएआई के एएसबी, एएएसबी और डीएएबी द्वारा समर्थित, आईसीएआई एआरएफ द्वारा प्रशासित और सीपीजीएफएम द्वारा समन्वित किया गया। उद्घाटन सत्र में वरिष्ठ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकारियों और आईसीएआई केंद्रीय परिषद के सदस्यों ने भाग लिया।

- **जीएएसएबी दस्तावेजों/मानकों के प्रारूपों पर प्रस्तुत तकनीकी टिप्पणियाँ:**
  - ➢ अचल परिसंपत्तियों के लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट पर प्रस्तुत टिप्पणियाँ; और
  - ➢ जीएएसएबी कार्यालय की अनुरोधानुसार सार्वजनिक-निजी भागीदारी व्यवस्था के लेखांकन पर एक संकल्पना पत्र का मसौदा तैयार किया गया।
- **पंचायतों और नगर निकायों के लेखाकारों के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के साथ हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के अनुसार, पंचायतों और नगर निकायों के लेखाकारों के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम 16 नवंबर 2023 (लेखा परीक्षा दिवस) को औपचारिक रूप से शुरू किए गए और इन पाठ्यक्रमों के पंजीकरण 1 दिसंबर 2023 को एक समर्पित वेबसाइट https://lba.icaiarf.org.in/ के माध्यम से शुरू किए गए। आई.सी.ए.आई. का सीपीजीएफएम इन पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के साथ समन्वय भी करता है। अब तक प्राप्त पंजीकरण इस प्रकार हैं:

विवरण	पहला बैच	दूसरा बैच	तीसरा बैच	चौथा बैच (आज तक)	कुल योग
पंचायतों के लेखाकारों के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	392	525	1211	503	**2631**
नगर निकायों के लेखाकारों के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	217	614	216	67	**1114**
कुल	**609**	**1139**	**1427**	**570**	**3745**

इस सर्टिफिकेट कोर्स के लिए दो ऑफ़लाइन परीक्षाएँ होती हैं: एक स्क्रीनिंग परीक्षा जो बुनियादी लेखांकन पर केंद्रित है और एक मुख्य परीक्षा जो पंचायत/नगरपालिका निकाय-विशिष्ट लेखांकन पर केंद्रित है। इस कोर्स के लिए आई.सी.ए.आई. की मज़बूत परीक्षा प्रणाली में बदलाव किया गया है, जिसमें परीक्षा विभाग पेपर सेट करने, मूल्यांकन करने और परिणाम देने का काम संभालता है, जबकि बीएलओएसी इसके मार्गदर्शन में अन्य कार्यों का प्रबंधन करता है। आयोजित परीक्षाओं का विवरण इस प्रकार है:

परीक्षा	परीक्षा की तिथि	स्थिति	उत्तीर्ण %
स्क्रीनिंग परीक्षा			
पहली स्क्रीनिंग परीक्षा	18 अप्रैल 2024	232 अभ्यर्थी उत्तीर्ण (उपस्थित 364 में से)	सीएपी: 64.17% सीएएमबी: 62.9%
दूसरी स्क्रीनिंग परीक्षा	7 अगस्त 2024	361 अभ्यर्थी उत्तीर्ण (उपस्थित 570 में से)	सीएपी: 64.02% सीएएमबी: 62.75%
तीसरी स्क्रीनिंग परीक्षा	25 मार्च 2025	590 अभ्यर्थी उत्तीर्ण (उपस्थित 847 में से)	सीएपी: 69.40% सीएएमबी: 71.30%
मुख्य परीक्षा			
पहली मुख्य परीक्षा	8 अगस्त 2024	84 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए (उपस्थित 161 अभ्यर्थियों में से),	**सीएपी स्तर** 1: 58.67% **सीएपी स्तर** 2: 54.55% सीएएमबी **स्तर** 1: 38.46% सीएएमबी **स्तर** 2: 44.44%
दूसरी मुख्य परीक्षा	9 जनवरी 2025	107 अभ्यर्थी उत्तीर्ण (उपस्थित 218 में से)	**सीएपी स्तर** 1: 68.69% **सीएपी स्तर** 2: 69.57% सीएएमबी **स्तर** 1: 26.83% सीएएमबी **स्तर** 2: 21.82%
अब तक 191 अभ्यर्थी इस पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हो चुके हैं।			

- **पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने पर छठे राज्य वित्त आयोग,** उत्तराखंड को मसौदा सिफारिशें प्रस्तुत की गईं।

(III) मेगा इवेंट - स्थानीय शासन सहक्रियता सम्मेलन 1 और 2 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया गया

आई.सी.ए.आई. ने सीपीजीएफएम के माध्यम से और एनआईआरसी की मेजबानी में, पंचायतों और नगर निकायों के लेखाकारों के लिए अपने सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु 1-2 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में डेढ़ दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के तत्कालीन माननीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने किया और इसमें पाठ्यक्रम के शीर्ष छात्रों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), सेबी और अन्य प्रमुख संस्थानों के सम्मानित अतिथि शामिल हुए। लगभग 400 प्रतिभागी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित थे, और 2,000 विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों और सरकारी विभागों का प्रतिनिधित्व करते हुए लाइव वेबकास्ट के माध्यम से जुड़े।

(IV) स्थानीय निकायों में लेखांकन सुधारों को बढ़ावा देने हेतु आईसीएआई पुरस्कार 2024-25:

पहली बार, आईसीएआई ने सीपीजीएफएम के माध्यम से स्थानीय निकायों के वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में प्रगति को मान्यता देने हेतु स्थानीय निकायों के लिए पुरस्कार शुरू किए। प्रतियोगिता में कुल 148 प्रविष्टियाँ शामिल हुईं (प्रविष्टियाँ जमा करने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2024 थी)। श्रेणीवार प्राप्त प्रविष्टियों की स्थिति इस प्रकार है:

मुख्य श्रेणी	उप-श्रेणी	कुल प्राप्त प्रविष्टियाँ
शहरी स्थानीय निकाय	नगर निगम	28
	नगर परिषद/बोर्ड	84
	नगर पंचायत	14
पंचायत	जिला पंचायत	3
	ब्लॉक पंचायत	7
	ग्राम पंचायत	5
स्मार्ट शहर		7
कुल		**148**

पुरस्कार विजेता इस प्रकार हैं:

मुख्य श्रेणी	उप-श्रेणी	विजेता
शहरी स्थानीय निकाय	नगर निगम	देवघर नगर निगम
	नगर परिषदें/बोर्ड	साहिबगंज नगर परिषद
	नगर पंचायतें	**इस श्रेणी में कोई पुरस्कार नहीं है**
पंचायत	जिला पंचायतें	जिला प्रजा परिषद: कृष्णा, मछलीपट्टनम
	ब्लॉक पंचायतें	नियोमोम ब्लॉक पंचायत
	ग्राम पंचायतें	दावोरलिम ग्राम पंचायत
स्मार्ट शहर		नासिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएमएससीडीसीएल)

ये पुरस्कार 1 फरवरी 2025 को यशोभूमि, नई दिल्ली में वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स (डब्ल्यूओएफए) के दौरान पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किए गए।

(V) प्रशिक्षण कार्यक्रम/वेबिनार:

समिति ने उक्त अवधि के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और वेबिनार आयोजित किए।

(VI) सार्वजनिक वित्त और सरकारी लेखांकन पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

समिति, चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) सदस्यों और सरकारी/स्वायत्त निकायों के अधिकारियों, दोनों के लिए लोक वित्त एवं सरकारी लेखांकन पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालित करती है। हाल ही में, जम्मू विकास प्राधिकरण, इंदौर और सतना नगर निगमों सहित कई संगठनों ने इस पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता या अतिरिक्त अंक देने हेतु निविदाएँ जारी की हैं। इस अवधि के दौरान, लोक वित्त एवं सरकारी लेखांकन पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के छह ऑनलाइन बैच आयोजित किए गए और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की पाँच ऑनलाइन परीक्षाएँ आयोजित की गईं:-

क्र.सं.	ऑनलाइन परीक्षा	**तिथि**	उपस्थित हुए सद**स्यों में** हटाए गए सदस्य
1.	21 वीं	27 **जुलाई** 2024	91 **में से** 90 **सदस्य हटाए गए**
2.	22 वां	28 **सितंबर** 2024	66 **में से** 63 **सदस्य हटाए गए**
3.	23 वां	30 **नवंबर** 2024	51 **में से** 51 **सदस्य हटाए गए**
4.	24 वां	25 **जनवरी** 2025	15 **में से** 15 **सदस्य हटाए गए**
5.	25 वां	29 **मार्च** 2025	61 **में से** 60 **सदस्य हटाए गए**

(VII) इन्वेस्ट एमपी - वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025

आईसीएआई को 24 और 25 फरवरी 2025 को भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला। इस शिखर सम्मेलन में, आईसीएआई ने अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए अपनी प्रमुख पहलों का प्रदर्शन किया। इंटरैक्टिव स्टॉल में रोबोट, क्विज़, वर्चुअल गेम्स और कई जानकारीपूर्ण फ़्लायर्स और प्रकाशन शामिल थे, जिससे यह आगंतुकों के लिए शिक्षाप्रद और मनोरंजक दोनों बन गया। सीपीजीएफएम ने इसे साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, *"अनलॉक एमपी: इन्वेस्ट, ग्रो, लीड"* प्रकाशन के संकलन, स्टैंडीज़ डिज़ाइन करने व डिस्प्ले स्क्रीन के लिए डिजिटल कंटेंट को अंतिम रूप देने जैसे कार्यों में योगदान दिया।

(VIII) विभिन्न हितधारकों के साथ आयोजित बैठकें:

- सचिव, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर)
- अपर उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (जीएएसएबी)
- अपर उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (एलजीए) एवं महानिदेशक (एलजीए)
- संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय
- भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए)
- संयुक्त सचिव, एमओएचयूए
- महानिदेशक (स्थानीय शासन लेखा परीक्षा, सीएजी कार्यालय)
- भारत के तत्कालीन माननीय जीएजी
- आईएएएस, उप सीएजी (रक्षा एवं स्थानीय शासन लेखापरीक्षा)
- आईआरएएस, डीजी/जीएएसएबी-वी
- एडीबी में वित्तीय प्रबंधन निदेशक (दक्षिण और मध्य एशिया क्षेत्र) और विश्व बैंक में भारत के लिए वैश्विक शासन अभ्यास और देश फोकल प्वाइंट में प्रमुख शासन विशेषज्ञ तथा उनकी टीम
- संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय
- पूर्व राजस्व समिति अध्यक्ष एवं नगर पार्षद, राजकोट
- महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय शासन लेखा परीक्षा केंद्र (आईसीएएल)
- उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रक्षा एवं स्थानीय शासन लेखा परीक्षा)
- निदेशक, राष्ट्रीय शहरी मामलों का संस्थान

(IX) सरकार को प्रस्तुत अभ्यावेदन

- 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष ने प्रोद्भवन लेखांकन सुधारों के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए सिफारिशें सुझाईं
- शहरी विकास विभाग, पंचायती राज एवं ग्रामीण विभाग तथा वित्त विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को पंचायतों एवं नगर निकायों के लेखाकारों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स को लोकप्रिय बनाने हेतु सहयोग देने हेतु पत्र लिखा गया।
- राज्य वित्त विभागों के निदेशक संबंधित राज्यों के वित्त विभागों के कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे।
- शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले सरकारी लेखा प्रशिक्षण संस्थानों को संयुक्त रूप से यूएलबी के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए आमंत्रित (एमओयू पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव भी शामिल है) किया गया।
- भारतीय स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लिए इन मंत्रालयों के साथ सहयोग करने हेतु पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर), ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के माननीय मंत्रियों को प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किए गए।

(X) अन्य पहल

- भारत में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु **एडीबी और विश्व बैंक के साथ सहयोग।**
- **आईसीएआई जर्नल का अप्रैल 2024 अंक सार्वजनिक वित्त पर केंद्रित रहा** - आईसीएआई जर्नल के अप्रैल 2024 अंक में, जिसका विषय था "स्थायी कल हेतु सार्वजनिक वित्त का रूपांतरण", सार्वजनिक वित्त और सरकारी लेखा सुधारों पर विशेषज्ञ लेख प्रकाशित हुए। इसमें सुधारों, नए दृष्टिकोणों, जलवायु बजट, पंचायत वित्त और स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा को आगे बढ़ाने में आईसीएआई की भूमिका पर प्रकाश डाला गया - जिसका उद्देश्य सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता को मज़बूत करना था।
- **डब्ल्यूओएफए की स्मारिका-सह-बीजीएम में शामिल करने के लिए दो लेख प्रस्तुत किए गए, जो इस प्रकार हैं:**
    - ➢ सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में आईसीएआई की भूमिका
    - ➢ भारत में स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन प्रथाओं को सुसंगत बनाने में आईसीएआई की भूमिका

(XI) जारी किए गए प्रकाशन

निम्नलिखित 11 प्रकाशनों का लोकार्पण किया गया:

- ग्रीन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की उभरता ऑर्किटेक्चर,
- पंचायतों और नगर निकायों के लेखाकारों के लिए अंग्रेजी में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों की मुख्य परीक्षा अध्ययन सामग्री (2 पुस्तकें: एक पंचायत पाठ्यक्रम के लिए और दूसरी नगर निकाय पाठ्यक्रम के लिए),
- मुख्य परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी में केस स्टडी डाइजेस्ट (4 पुस्तकें: पंचायत पाठ्यक्रम के लिए दो पुस्तकें और नगर निकाय पाठ्यक्रम के लिए दो अन्य पुस्तकें (प्रत्येक पाठ्यक्रम के स्तर 1 और स्तर 2 के लिए अलग-अलग)),
- पंचायती राज संस्थाओं का लेखा-जोखा, लेखा परीक्षा और अनुपालन - पीआरआई,
- भारत की नगरपालिकाएँ - इसके वित्तीय प्रबंधन, लेखांकन, राजकोषीय प्रबंधन, लेखा परीक्षा और अनुपालन को समझना, और
- पंचायत निर्वाचित सदस्यों के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम हेतु पृष्ठभूमि सामग्री।

8.5 संपादकीय बोर्ड

संपादकीय बोर्ड भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की एक विशेष गैर-स्थायी समिति है जो सदस्यों को *द चार्टर्ड अकाउंटेंट* पत्रिका के ज़रिए लगातार पेशेवर ज्ञान और प्रासंगिक मामलों की जानकारी देने का काम करती है। यह पत्रिका सदस्यों के पेशेवर ज्ञान को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाती है और अपने पाठकों के बीच काफी अहम है, जिसकी प्रसार संख्या 400,000 से अधिक है, जिसमें ई-जर्नल और मुद्रित प्रतियां दोनों शामिल हैं। *"द चार्टर्ड अकाउंटेंट"* पत्रिका आईसीएआई का एक प्रमुख प्रकाशन है, जो संस्थान के विचारों को दर्शाता है और सदस्यों, छात्रों और हितधारकों के बीच अपनी ब्रांड उपस्थिति को मजबूत करता है। संपादकीय बोर्ड द्वारा संकलित, यह पत्रिका अंतर्दृष्टि का एक स्रोत है—जो लेखा पेशे में अत्याधुनिक विकास, विशेषज्ञ दृष्टिकोण और उभरते रुझानों की जानकारी देती है। सतत अधिगम और पेशेवर उत्कृष्टता पर केंद्रित, यह पत्रिका आईसीएआई समुदाय को वित्त, शासन एवं वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के उभरते परिदृश्य से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

विकासशील राष्ट्र की दिशा में पहल

मासिक पत्रिका *"द चार्टर्ड अकाउंटेंट"* के माध्यम से, संपादकीय बोर्ड ने आई.सी.ए.आई. सदस्यों को अत्याधुनिक ज्ञान, वैश्विक दृष्टिकोण और बदलते व्यावसायिक तरीकों पर सशक्त बनाकर राष्ट्र सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निरंतर विकसित और समकालीन रुझानों को पेस करके और नए विचारों को आगे बढ़ाकर, बोर्ड ऐसे भविष्य हेतु तैयार लेखा पेशे को आकार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जो भारत के आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिष्ठा में सार्थक योगदान दे।

इस दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल निम्नलिखित हैं:

(I) लेखों के माध्यम से ज्ञान संवर्धन:

इस अवधि के दौरान, द चार्टर्ड अकाउंटेंट पत्रिका ने लेखा पेशे से संबंधित विविध और समसामयिक विषयों पर कई लेख प्रकाशित किए हैं। पेशेवर रुचि के अपने नियमित खंडों के अलावा, पत्रिका ने महत्वपूर्ण और उभरते विषयों पर सदस्यों के ज्ञान को समृद्ध करने के उद्देश्य से विशेष अंक प्रकाशित किए। इनमें भारत - लेखा पेशे का वैश्विक केंद्र, नेतृत्व, सार्वजनिक वित्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएसएमई, स्थिरता एवं अन्य प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों पर केंद्रित संस्करण शामिल थे, ताकि इसके सदस्यों को अच्छी तरह से सूचित और भविष्य हेतु तैयार रखा जा सके।

सदस्यों/छात्रों की पहल

संपादकीय बोर्ड अपने प्रतिष्ठित मासिक प्रकाशन, द चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से आई.सी.ए.आई. सदस्यों और छात्रों के बीच ज्ञान संवर्धन एवं व्यावसायिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पहल इस प्रकार हैं:

(II) चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल में गुणात्मक कवरेज:

कवर किए गए विषयों का मिश्रण

इस अवधि के दौरान, आईसीएआई जर्नल में विभिन्न विषयों और व्यावसायिक विषयों पर 220 लेख प्रकाशित किए गए। इसके अलावा, जर्नल में अन्य नियमित विशेषताएँ भी शामिल की गईं जैसे - आईसीएआई और विभिन्न आईसीएआई समितियों के साथ समन्वय में उसकी गतिविधियों के बारे में नई जानकारी।

जुलाई 2024 अंक विशेष संस्करण के रूप में प्रकाशित

आईसीएआई जर्नल का जुलाई 2023 अंक आईसीएआई की उत्कृष्टता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में, इंस्पायरिंगइंडिया@100 विजन के अनुरूप, एक कलेक्टर वर्जन के रूप में जारी किया गया। आईसीएआई की विरासत को याद करते हुए, इस विशेष संस्करण में संस्थान के इतिहास, राष्ट्र सृजन में योगदान और आईएफएसी के अध्यक्ष तथा आईईएसबीए के अध्यक्ष के उल्लेखनीय लेख शामिल थे। इस अंक में भारत के राष्ट्रपति, कई राज्यपालों, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और अन्य प्रमुख अधिकारियों सहित 32 प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों के प्रेरणादायक सनदी लेखाकार दिवस के संदेश भी शामिल थे। "जर्नी ऑफ ट्रस्ट" शीर्षक वाले एक विशेष खंड में आई.सी.ए.आई. की अंतर्राष्ट्रीय मौजूदगी, 'चार्टर्ड' पदनाम हेतु संघर्ष जैसे ऐतिहासिक पड़ावों, आई.सी.ए.आई. के टिकटों व लोगो, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के भाषण सहित प्रतिष्ठित उद्धरणों पर प्रकाश डाला गया। आवरण पृष्ठ पर इस पेशे को आकार देने और नए भारत के निर्माण के दृष्टिकोण में योगदान देने में आई.सी.ए.आई. की 75 वर्षों से अधिक की महत्वपूर्ण भूमिका का प्रतीक पेश किया गया।

(III) द चार्टर्ड अकाउंटेंट - जर्नल के डिजिटल वर्जन के कई पहलू सदस्यों और छात्रों की सुविधा हेतु अपग्रेड किया गया:

- **पीडीएफ प्रारूप में जर्नल:** पाठकों के लिए एक अच्छे विकल्प के रूप में, विशेष रूप से अलग-अलग विषय-वस्तु डाउनलोड के लिए, जर्नल पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध है। डिजिटल जर्नल के अभिलेख जुलाई, 2002 से आई.सी.ए.आई. की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- **डिजिटल लर्निंग हब पर जर्नल:** जर्नल का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आईसीएआई की वेबसाइट www.icai.org पर यूजर-फ्रेंडली ई-पत्रिका के रूप में ऑनलाइन उपलब्ध है, जिसे डिजिटल लर्निंग हब में शामिल किया गया है। इससे आईसीएआई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से ज्ञान उपलब्ध कराने में मदद मिली, साथ ही आईसीएआई के सस्टेनेबिलिटी अभियान को भी समर्थन मिला।
- **जर्नल हाइलाइट ईमेल:** जर्नल के प्रत्येक अंक के मुख्य अंश कैप्सूल के रूप में तथा जर्नल में अध्यक्ष का संदेश सभी सदस्यों को एक साथ ई-मेल किया जाता है।
- **मोबाइल पर जर्नल:** ई-जर्नल भी मोबाइल पर उपलब्ध, आईओएस (आईपैड/आईफोन आदि) और एंड्रॉइड डिवाइस पर संगत। इसे http://www.icai.org/ पर 'ई-जर्नल' टैब के अंतर्गत देखा जा सकता है। ई-जर्नल आईसीएआई मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।

8.6 बुनियादी ढांचा विकास समिति (आईडीसी)

बुनियादी ढांचा विकास समिति का गठन वर्ष 2014 में, संस्थान की एक गैर-स्थायी समिति के रूप में किया गया था। 2014 से, आईसीएआई में एक मजबूत अवसंरचना नीति है, जो वित्तीय समझदारी एवं अनुशासन सुनिश्चित करती है। इस वर्ष, समिति ने शाखाओं और क्षेत्रीय परिषदों/कार्यालयों के लिए अवसंरचना नीति को संशोधित किया है। नीति तय करती है कि क्या सभी सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं, स्थानीय अवसंरचना समितियों की संरचना, भूमि/भवन अधिग्रहण की नीति व प्रक्रिया, सांकेतिक क्षेत्र, मुख्यालय से अनुमेय अनुदान, संस्थान के भीतर विभिन्न अधिकारियों के साथ निहित शक्तियाँ और प्रतिनिधिमंडल। चूंकि नीति स्वयं वित्तीय शक्तियों को तय करती है, इसलिए वर्ष 2014 से सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त समिति के बजाय आईडीसी द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है। बुनियादी ढांचा नीति के निर्माण के बाद से, आईसीएआई ने निम्नलिखित परियोजनाएँ शुरू की हैं:

नए बुनियादी ढांचे की खरीद	विनिर्माण प्रस्तावों को मंजूरी
कन्नूर, जालंधर, जबलपुर, गोवा, गुरुग्राम, मोरादाबाद, पाली, आगरा, गोरखपुर, करनाल, किशनगढ़, लातूर, पटियाला, उज्जन, रतलाम, चेंगलपट्टू, अहमदाबाद, कोटा, एर्नाकुलम, हिमाचल प्रदेश, जामनगर, तिरूपति, रायपुर, बेंगलुरु गिफ्टेड प्रॉपर्टी, आईसीओई चेन्नई (1.19 एकड़), सीओई गुवाहाटी, कल्याण डोंबिवली	**अजमेर, सूरत, भोपाल, राजामहेंद्रवरम, उत्कृष्टता केंद्र जयपुर, बठिंडा, बरेली, जोधपुर, रायपुर, कन्नूर, गाजियाबाद, गोवा, मोरादाबाद, गुंटूर, आगरा, गुरुग्राम, रोहिणी, रतलाम, पटियाला, किशनगढ़, उज्जैन, पाली, सीओई कोलकाता, बेंगलुरु गिफ्टेड प्रॉपर्टी, अहमदाबाद, चेंगलपट्टू, एर्नाकुलम, रोहतक, सिलीगुड़ी, पटना, जबलपुर, जालंधर, आईसीओई चेन्नई कैंप ऑफिस, नागपुर, तिरुपति, हिमाचल प्रदेश, हुबली (ऑडी), सीओई कोलकाता, उज्जैन, लातूर, पटियाला, रतलाम, कोटा, सी-1 सेक्टर-1 नोएडा में एचओ बिल्डिंग का नवीनीकरण।**

आई.सी.ए.आई. **द्वारा अब तक स्थापित कुल 179 शाखाओं में से 104 शाखाओं के पास अपना स्वयं का परिसर है। 12 शाखाएँ (जो वर्तमान में किराए के परिसर में कार्यरत हैं) ने ज़मीन खरीदी है, जिस पर या तो निर्माण कार्य शुरू होना बाकी है या चल रहा है। 11 शाखाएँ (जो अपने परिसर में कार्यरत हैं) ने ज़मीन खरीदी है, जहाँ या तो निर्माण कार्य शुरू होना बाकी है या चल रहा है। 61 शाखाओं के पास न तो ज़मीन है और न ही भवन। क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है:**

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी					
		डब्ल्यूआईआरसी	एसआईआरसी	ईआईआरसी	सीआईआरसी	एनआईआरसी	कुल
1	**शाखाओं की कुल संख्या**	36	48	13	57	25	179
2	**स्वयं के परिसर वाली शाखाओं की संख्या**	21	34	6	32	11	104

3	भूमि पर स्थित शाखाओं की संख्या जिस पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है या अभी शुरू होना है (किराए के परिसर से संचालित)	2	2	0	4	4	12
4	स्वयं के परिसर के अलावा भूमि पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है या अभी शुरू होना है ऐसी शाखाओं की संख्या (स्वयं के परिसर से कार्यरत)	3	2	1	5	0	11
5	**उन शाखाओं की कुल संख्या जिनके पास न तो भूमि है और न ही भवन**	13	12	7	21	10	61

हाल ही में, एनबीसीसी को पूरे भारत में आई.सी.ए.आई. **की भवन परियोजनाओं के लिए भी नियुक्त किया गया है।**

8.7 अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति (आईएसी)

(I) विदेशों में व्यावसायिक अवसरों की मान्यता हेतु आईएसी की पहल

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) ने लेखा योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता को सुगम बनाने के लिए 8 अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक निकायों के साथ पारस्परिक मान्यता समझौते (एमआरए) किए हैं। इनमें सीपीए ऑस्ट्रेलिया, सीएएएनजेड (रिन्यू किया जाना है), एनएआईसीए (रिन्यू किया जाना है), सीपीए कनाडा (रिन्यू किया जाना है), एमआईसीपीए, सीपीए आयरलैंड, आईसीएईडब्ल्यू और आईसीएएन शामिल हैं। सीएएएनजेड, एसएआईसीए और सीपीए कनाडा के साथ समझौते अभी रिन्यू किए जाने हैं।

- **सीपीए आयरलैंड के साथ एमआरए का रिन्यूवल**

01 सितंबर, 2024 को सीपीए आयरलैंड का चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आयरलैंड के साथ विलय होने के मद्देनजर, जिसके बाद सीपीए आयरलैंड की पहचान समाप्त हो जाएगी, लेकिन नए संस्थान ने मौजूदा पारस्परिक समझौतों को मानने का आश्वासन दिया है, आईसीएआई और सीपीए आयरलैंड ने दोनों ओर के सदस्यों के लाभ हेतु अपनी व्यवस्थाओं पर काफी प्रगति की है।

- **सीए एएनजेड के साथ परिशिष्ट पर हस्ताक्षर**

आईसीएआई और सीए एएनजेड के बीच पहले से ही एक पारस्परिक सदस्यता समझौता था। वर्ष के दौरान, दोनों संगठनों ने एक-दूसरे के पाठ्यक्रमों की समीक्षा हेतु पहल की और अंतिम समीक्षा लंबित रहने तक सदस्यों के लाभ के लिए एक परिशिष्ट के माध्यम से व्यवस्था को आगे बढ़ाया।

- **एक्टिसिस द्वारा आईसीएआई अहर्ता की बेंचमार्किंग**

अपने सदस्यों के लिए वैश्विक अवसरों को बढ़ाने के लिए, आईसीएआई ने 2019 में एक्टिसिस के साथ मिलकर अपनी अहर्ताओं को यूके और यूएई के शिक्षा मानकों के अनुरूप निर्धारित किया। अध्ययन में पाया गया कि आईसीएआई का इंटरमीडिएट स्तर स्नातक की डिग्री के बराबर और मुख्य स्तर मास्टर डिग्री के बराबर है। हाल ही में पाठ्यक्रम में हुए बदलावों के कारण, आईसीएआई ने अपनी अंतरराष्ट्रीय स्थिति की पुष्टि के लिए एक्टिसिस के साथ एक नया मूल्यांकन शुरू किया है, जिससे विदेशों में पेशेवर अवसरों की तलाश कर रहे सदस्यों को लाभ होगा।

- **एमआरए पार्टनर के साथ जागरूकता सत्र**

आईसीएआई अपने सदस्यों के लिए विदेश में अवसर बनाने हेतु वैश्विक साझेदारों के साथ पारस्परिक मान्यता समझौतों (एमआरए) को बढ़ावा दे रहा है। इस अवधि के दौरान, आई.सी.ए.आई. ने भारत के प्रमुख शहरों और क्षेत्रों में सीपीए ऑस्ट्रेलिया के साथ फिजिकल और वर्चुअल, दोनों माध्यमों से 15 जागरूकता सत्र आयोजित किए। इसके अलावा, आईसीएईडब्ल्यू के साथ देश भर के प्रमुख शहरों में हाइब्रिड माध्यमों से भी 6 जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। आईसीएआई ने सीपीए ओंटारियो के साथ एक वर्चुअल जागरूकता सत्र भी आयोजित किया, जिससे

सदस्यों और हितधारकों के एक व्यापक नेटवर्क तक पहुँच बनाई जा सके और अंतर्राष्ट्रीय एमआरए अवसरों के साथ समझ और जुड़ाव बढ़ाया जा सके।

(II) आईसीएआई की ब्रांड इक्विटी का वैश्वीकरण

विश्व लेखाकार मंच - एक शानदार सफलता

आईसीएआई ने 31 जनवरी से 2 फरवरी, 2025 तक यशोभूमि, नई दिल्ली में विश्व लेखाकार मंच (डब्ल्यूओएफए) का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य भारत को वित्त व लेखा के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना था। इस ऐतिहासिक आयोजन में 32 देशों और प्रमुख वैश्विक लेखा निकायों जैसे आईसीएईडब्ल्यू, सीपीए ऑस्ट्रेलिया, सीपीए कनाडा और एसएएफए के 6,500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, साथ ही और 800 प्रतिभागियों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। "अकाउंटेबिलिटी मिट्स इनोवेशन्स (एआई): फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट" विषय पर केंद्रित इस मंच ने वित्तीय अखंडता, तकनीकी व स्थिरता के एकीकरण पर चर्चा की। डब्ल्यूओएफए में 10 विशेष सत्र, 22 समवर्ती सत्र और 14 पैनल चर्चाएँ हुईं, जिन्हें 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विचारकों ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम में 67 प्रायोजक और प्रदर्शक, 27 भारतीय कंपनियाँ और विभिन्न समिति पहलों को प्रदर्शित करने वाला एक आईसीएआई मंडप शामिल था। इसके अलावा, एसएएफए समिति और बोर्ड रणनीति बैठकें, तथा सीपीए ऑस्ट्रेलिया, सीपीए कनाडा व सीए मालदीव के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी आयोजित की गईं, जिससे इस पेशे में आई.सी.ए.आई. की वैश्विक भागीदारी और नेतृत्व को मजबूती मिली।

राष्ट्र निर्माण में भागीदार – नई पहल

- आईसीएआई ने वाणिज्यिक विवादों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से सुलझाने हेतु एक समर्पित धारा 8 कंपनी, आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय एडीआर केंद्र की स्थापना की है। अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) केंद्र मध्यस्थता, मध्यस्थता और सुलह सेवाएँ प्रदान करेगा।
- आईसीएआई ने विश्व लेखा मंच में एक्सटर्नल कंफर्मेशन पोर्टल के चरण 1 का बीटा संस्करण लॉन्च किया।
- आईसीएआई ने आईएफएससी में फंड प्रबंधन पर एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है, जिसे आईएफएससी के भीतर बढ़ते व्यावसायिक अवसरों को संबोधित करने हेतु तैयार किया गया है। इसके अलावा पूंजी बाजार मध्यस्थों के लिए अनुपालन पर एक सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किया गया है, जिसे पूंजी बाजारों में नियामक ढांचे और अनुपालन प्रथाओं के बारे में सदस्यों की समझ बढ़ाने हेतु तैयार किया गया है।

आईसीएआई पुरस्कार समारोह

इस अवसर पर पांच श्रेणियों में कुल 62 पुरस्कार प्रदान किये गये। ये पुरस्कार केन्द्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा प्रदान किए गए।

आईसीएआई का 75वां वार्षिक समारोह

विश्व लेखा मंच के साथ-साथ, आईसीएआई ने 2 फरवरी, 2025 को अपना 75 वाँ वार्षिक समारोह आयोजित किया। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, श्री जगदीप धनखड़ ने विश्व लेखा मंच में आईसीएआई के 75वें वार्षिक समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की। इस वार्षिक समारोह में सीए रैंक धारकों, क्षेत्रीय परिषदों, शाखाओं और विदेशी चैप्टर्स को पुरस्कार प्रदान किए गए।

आईसीएआई - आईएफएससीए संलग्नताएं

आईसीएआई भारत के गिफ्ट सिटी आईएफएससी को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है और उच्च-स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के ज़रिए इसकी वैश्विक पहुंच को बढ़ाता है। ये दौरे सहयोग को बढ़ावा देते हैं, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं और दुनिया भर में लेखा पेशे को आगे बढ़ाते हैं।

- **ऑस्ट्रेलिया (अगस्त 2024):** तत्कालीन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आईएफएससीए के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ ऑस्ट्रेलिया गए। उन्होंने सहयोग पर चर्चा करने हेतु एएसआईसी से मुलाकात की, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया और गिफ्ट सिटी के लाभों व फिनटेक इकोसिस्टम में आईसीएआई की भूमिका को बढ़ावा दिया। प्रतिनिधिमंडल ने 6 अगस्त, 2024 को "स्टार्ट-अप हब एंड फिनटेक इकोसिस्टम" बैठक में फिनटेक कंपनियों के साथ बातचीत की, उद्योग का समर्थन किया और ऑस्ट्रेलियाई स्व-प्रबंधित सुपर फंड्स एंड एसेट मैनेजर्स के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अध्यक्ष ने यूएचएनआई/एचएनआई के लिए

आईएफएससी अवसरों पर सेमिनारों को संबोधित किया और लेखा पेशेवरों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जबकि उपाध्यक्ष ने एक पैनल चर्चा में भाग लिया।

- **अमेरिका (अक्टूबर 2024):** तत्कालीन अध्यक्ष ने आईएफएससीए के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में किया ताकि अमेरिकी वित्तीय सेवाओं और विश्वविद्यालयों के साथ गिफ्ट आईएफएससी के अवसरों पर चर्चा की जा सके। आईसीएआई चैप्टर्स ने जागरूकता बढ़ाने में मदद की और फ्लोरिडा चैप्टर का उद्घाटन हुआ, जो आईसीएआई का 51वां विदेशी चैप्टर बन गया।
- **यूके (मार्च 2025):** आईसीएआई के अध्यक्ष ने आईएफएससीए प्रतिनिधिमंडल के साथ गिफ्ट आईएफएससी को बढ़ावा देने और यूके के लेखा पेशे की जानकारी पाने के लिए यूके का दौरा किया। उन्होंने गिफ्ट सिटी में व्यावसायिक अवसरों पर सम्मेलनों को संबोधित किया और आईसीएईडब्ल्यू और आईसीएआई-यूके (लंदन) चैप्टर द्वारा आयोजित "गिफ्ट आईएफएससी, भारत में बहीखाता, लेखा, कराधान एवं वित्तीय अपराध अनुपालन सेवाओं पर गोलमेज सम्मेलन" को संबोधित किया, जिसमें यूके की फर्मों के लिए आउटसोर्सिंग के अवसरों पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने ब्रिटेन में भारत के उप-उच्चायुक्त तथा भारतीय उच्चायोग में मंत्री (आर्थिक) से भी मुलाकात की, तथा ब्रिटेन में इंडियन चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के लिए मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के अवसरों पर चर्चा की।

(III) आईसीएआई की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाना

- **आईसीएआई के विदेशी चैप्टर्स और प्रतिनिधि कार्यालयों के ज़रिए वैश्विक स्तर पर ब्रांड सीए का संवर्धन**

आईसीएआई हमेशा अपने विदेशी सदस्यों को प्रभावी और कुशलतापूर्वक सेवा प्रदान करने की दिशा में अथक प्रयास करता रहा है। आईसीएआई के अब 47 देशों के 85 वैश्विक शहरों में 54 चैप्टर्स व 31 प्रतिनिधि कार्यालय हैं, जो इंडियन चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के लिए अधिक पेशेवर अवसर पैदा करने हेतु 'सीए इंडिया' को दुनिया भर में एक 'ब्रांड' के रूप में स्थापित करने में मदद कर रहे हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, आईसीएआई ने फ्लोरिडा, ज्यूरिख, लॉस एंजिल्स और अटलांटा में 4 चैप्टर्स का उद्घाटन किया है। ये चैप्टर हमारे ब्रांड एंबेसडर हैं और वे विदेशी धरती पर इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के मिशन को बनाए रखते हैं। नीदरलैंड के रॉटरडैम और अमेरिका के कंसास, लुइसियाना, मिनेसोटा, टेनेसी और सैन डिएगो में प्रतिनिधि कार्यालय भी लॉन्च किए गए। विदेशों में प्रतिनिधि कार्यालय खोले गए हैं, जहां वर्तमान में आईसीएआई चैप्टर नहीं बनाए जा सकते हैं, जिससे विदेशों में आईसीएआई के सदस्यों को एक साथ लाया जा सके और अपने सदस्यों तक प्रभावी पहुंच और सेवा को सक्षम किया जा सके, जिससे भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के लिए अधिक पेशेवर अवसर पैदा करने के लिए ब्रांड "भारतीय सीए" को दुनिया भर में स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

- **आईसीएआई के विदेशी सदस्यों के लिए मोबाइल ऐप "डायस्पोरा"**

25 अक्टूबर, 2024 को, आईसीएआई ने अपने लगभग 14,000 विदेशी सदस्यों के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ बेहतर जुड़ाव के लिए अपने "डायस्पोरा" मोबाइल ऐप के एंड्रॉइड और आईओएस वर्जन लॉन्च किए। यह लॉन्च टोरंटो चैप्टर के एक कार्यक्रम के दौरान हुआ, जो तत्कालीन अध्यक्ष सीए रंजीत कुमार अग्रवाल की न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और टोरंटो यात्रा के दौरान हुआ था। यह ऐप सदस्यों को जानकारी तक आसान पहुँच प्रदान करता है, जुड़ाव बढ़ाता है और नेटवर्किंग को बढ़ावा देता है। यह आईसीएआई के केंद्रीय डेटाबेस के साथ समन्वयित होकर उन सदस्यों की पहचान भी करता है जिन्होंने अपने विदेशी व्यावसायिक पते अपडेट नहीं किए हैं, जिससे सदस्यता रिकॉर्ड की सटीकता में सुधार होता है।

- **अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति की नई वेबसाइट**

आईसीएआई ने 5 अगस्त, 2024 को तत्कालीन अध्यक्ष सीए रंजीत कुमार अग्रवाल की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के साथ ही संचार को बढ़ाने, सहयोग को बढ़ावा देने और सूचना एवं संसाधनों के लिए एक केंद्रीय केंद्र प्रदान करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति की एक अलग वेबसाइट लॉन्च की। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में डिजिटल प्लेटफार्मों के बढ़ते महत्व को स्वीकार करते हुए, इस वेबसाइट का उद्देश्य भौगोलिक दूरियों को पाटना, सदस्यों तथा हितधारकों के बीच ज्ञान साझा करना सुगम बनाना और समिति की गतिविधियों और पहलों में पारदर्शिता व सुगमता को बढ़ावा देना है।

- **भारत के बाहर चैप्टर्स के प्रत्यायन एवं कार्यप्रणाली के लिए परिषद के निर्देश**

आईसीएआई ने विदेशों में सदस्यों को प्रभावी और कुशल तरीके से सेवा प्रदान करने के लिए आईसीएआई के विदेशी चैप्टर्स को मजबूत करने हेतु "भारत के बाहर चैप्टर्स के प्रत्यायन एवं कार्यप्रणाली के लिए परिषद के निर्देश" नामक एक व्यापक दिशानिर्देश विकसित किया है।

- **आईसीएआई बेस्ट ओवरसीज चैप्टर अवार्ड्स 2024**

2013 से, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति (आईएसी) 'इंडियन सीए' ब्रांड को बढ़ावा देने और विदेशों में सदस्य नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए विदेशी चैप्टरों को मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष आईसीएआई बेस्ट ओवरसीज चैप्टर अवार्ड्स प्रदान करती आ रही है। ये पुरस्कार निर्धारित मानदंडों के आधार पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे को आगे बढ़ाने में चैप्टरों की अनुकरणीय उपलब्धियों के लिए दिये जाते हैं। 2025 में, ये पुरस्कार 2 फरवरी को आयोजित आईसीएआई के 75वें वार्षिक दिवस समारोह के दौरान, विश्व लेखाकार मंच के साथ, 12 विदेशी चैप्टरों को प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने मुख्य अतिथि के रूप में की।

- **अंतर्राष्ट्रीय निकायों में आईसीएआई के प्रतिनिधि**

समय-समय पर, आईसीएआई के प्रतिनिधि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय लेखा निकायों में नेतृत्वकारी पदों पर रहे हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आईसीएआई उभरते रुझानों और ज्ञान विकास में अग्रणी बना रहे। वर्तमान में, आईसीएआई का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित बोर्ड/समितियों में है:-

- **इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स (आईएफएसी)** - बोर्ड सदस्य; सलाहकार समूह के सदस्य; स्वतंत्र मानक निर्धारण बोर्ड के सदस्य और तकनीकी सलाहकार
- **कंफेडरेशन ऑफ एशियन एंड पैसिफिक अकाउंटेंट्स (सीएपीए)** – बोर्ड सदस्य और अध्यक्ष
- **साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स (एसएएफए)** - सलाहकार, बोर्ड और सभा सदस्य, तकनीकी सलाहकार, समिति अध्यक्ष और समिति सदस्य
- **चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्ल्डवाइड (सीएडब्ल्यू)** - बोर्ड सदस्य, तकनीकी सलाहकार।
- **एडिनबर्ग ग्रुप** – अध्यक्ष।
- **आसियान फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स (एएफए)** – एसोसिएट सदस्य और कार्य समिति के सदस्य
- **आईएफआरएस फाउंडेशन** - सदस्य, आईएफआरएस एसएमई कार्यान्वयन समूह
- **पैन अफ्रीकन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स (पीएएफए)** – संबद्ध सदस्य
- **एक्सबीआरएल इंटरनेशनल** - बोर्ड सदस्य

(IV) आईसीएआई का दौरा करने वाले प्रतिनिधिमंडल

- **सीएआईआर के प्रतिनिधिमंडल का दौरा**

सीईओ एवं निदेशक, सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस (सीएआईआर) ने आईसीएआई, नई दिल्ली का दौरा किया और 19 सितंबर, 2024 को आईसीएआई के तत्कालीन अध्यक्ष से मुलाकात की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में आईसीएआई सदस्यों के लिए विभिन्न अवसरों के संबंध में विचार-विमर्श किया गया।

- **आईसीपीए केन्या के प्रतिनिधिमंडल के लिए आई.सी.ए.आई. द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सत्र**

केन्या के प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार संस्थान (आईसीपीएके) के 12-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने, उपाध्यक्ष सीपीए प्रो. एलिजाबेथ नथांबी मुवुई के नेतृत्व में, फरवरी 2025 में वर्ल्ड फोरम ऑफ़ अकाउंटेंट्स के दौरान आईसीएआई का दौरा किया। आईसीएआई ने उनके लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया, जहाँ तत्कालीन अध्यक्ष और आईसीएआई के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उन्हें यूडीआईएन जैसी प्रमुख पहलों की जानकारी दी। इस यात्रा में व्यावसायिक विकास में आपसी सहयोग को मज़बूत करने हेतु आईसीएआई और आईसीपीएके के बीच 2019 के समझौता ज्ञापन को रिन्यू करने पर भी ध्यान दिया गया। प्रशिक्षण सत्रों में यूडीआईएन, एआई, डिजिटल लर्निंग, ऑडिट गुणवत्ता, अनुसंधान, एमएसएमई पहल और व्यवहार में सदस्यों के लिए समर्थन शामिल थे। केन्याई प्रतिनिधिमंडल ने व्यापक प्रशिक्षण से प्राप्त बहुमूल्य अंतर्दृष्टि की सराहना की।

8.8 प्रबंधन समिति

परिषद की गैर-स्थायी समिति के रूप में 2015 में गठित प्रबंध समिति को शाखाओं के गठन, विदेशों में स्थित चैप्टर्स की स्थापना, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ समझौता ज्ञापन/एमआरए, आई.सी.ए.आई. के केंद्रीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, संस्थान के वार्षिक लेखे, केंद्र सरकार और अन्य नियामक निकायों द्वारा संदर्भित मामले, सनदी लेखाकार

अधिनियम, 1949 में संशोधन के प्रस्ताव, उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम, क्षेत्रीय परिषद और शाखाओं के मामले, सदस्य/सीए फर्म/एलएलपी/विलय/विघटन/नेटवर्किंग से संबंधित मामले और संस्थान की अन्य समितियों/विभागों से प्राप्त प्रशासनिक और नीतिगत निहितार्थ वाले प्रस्ताव और जहां भी आवश्यक हो, परिषद को अपनी सिफारिशें देने का अधिदेश दिया गया है।

8.9 जन संपर्क समिति (पीआरसी)

जन संपर्क समिति विभिन्न तरीकों और साधनों के ज़रिए भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेशे हेतु एक प्रमुख लेखा निकाय और एकमात्र नियामक प्राधिकरण के रूप में आई.सी.ए.आई. की ब्रांड इमेज को सुदृढ़ करने और बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है, जो भी सीए अधिनियम के ढांचे के भीतर उचित माना जाता है। पीआर समिति सुचारू संचार, सूचना प्रदान करने और आईसीएआई की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए आई.सी.ए.आई. की विभिन्न समितियों के समन्वय में मीडिया और अन्य हितधारकों के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करती है। मीडिया जनता, नीति निर्माताओं और प्रमुख हितधारकों को अपनी राय और दृष्टिकोण व्यक्त करने के सबसे रणनीतिक साधनों में से एक है। हाल के दिनों में, आई.सी.ए.आई. ने स्पष्टता और प्रभाव के साथ अपने विचारों और निर्णयों को संप्रेषित करने हेतु मीडिया का अच्छा इस्तेमाल किया है। जनसंपर्क समिति ने न केवल पहुंच और संख्या के संदर्भ में आईसीएआई के मीडिया पदचिह्न का विस्तार किया है, बल्कि प्रमुख राष्ट्रीय मीडिया के साथ सार्थक दीर्घकालिक संबंध भी बनाए हैं।

(I) मीडिया में **आई.सी.ए.आई.** की **उपस्थिति** बढ़ाना

- महत्वपूर्ण मामलों, पहलों, उपलब्धियों और प्रमुख विकासों पर आई.सी.ए.आई. के विचारों को साझा करने के लिए प्रमुख प्रकाशनों के साथ **समय-समय पर** मीडिया संपर्क।
- विशेष लेख अर्थात भारत में तीन में से एक सीए महिला है, परीक्षा की तैयारी हेतु प्रत्येक इच्छुक सीए को जानने चाहिए ये 7 आवश्यक सुझाव, नए गैर-वित्तीय लेखांकन मानदंड लागू, ईएसजी का केंद्र में आना **आदि प्रकाशित किए गए।**
- अन्य महत्वपूर्ण समाचार कवरेज- आई**सीएआई के प्रमुख अपडेट, जिनमें सुप्रीम कोर्ट का टैक्स ऑडिट सीमा संबंधी निर्णय, ईवाई व पीडब्ल्यूसी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, बजट-पूर्व ज्ञापन प्रस्ताव, दिल्ली उच्च न्यायालय परीक्षा निर्णय, तथा एसए 600 और एसए 299 संशोधनों पर विचार शामिल हैं, को मीडिया में व्यापक कवरेज मिला।**
- **महत्वपूर्ण घोषणाओं/कार्यक्रमों पर प्रेस विज्ञप्तियाँ-** आई.सी.ए.आई. ने वर्ष के दौरान 49 प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी कीं और 8 प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कीं, साथ ही संचार को बेहतर बनाने हेतु 35 से ज़्यादा व्यक्तिगत मीडिया संवाद भी किए। परिणामस्वरूप, शीर्ष समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों में 1,100 से ज़्यादा समाचार क्लिपिंग प्रकाशित हुईं और 1,800 से ज़्यादा रिपोर्ट ऑनलाइन प्रकाशित हुईं, जिससे आई.सी.ए.आई. की मीडिया उपस्थिति व पहुँच काफी हद तक बढ़ी है।

(II) प्रचार गतिविधियाँ

- 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस **- 2015 से**, आईसीएआई **अपनी क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के** ज़रिए **अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता आ रहा है। 21 जून, 2024 को, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश भर में 5 क्षेत्रीय परिषदों और 176 शाखाओं में कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। सदस्यों, छात्रों और उनके परिवारों की उत्साहपूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, एक समान ब्रांडिंग** मैटेरियल, **अनुदान और दिशानिर्देश प्रदान किए गए।**

- सीए रन फॉर विकसित भारत- आईसीएआई के 75वें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस के उपलक्ष्य में और प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के विज़न का समर्थन करने हेतु 30 जून, 2024 को एक राष्ट्रव्यापी "सीए रन फॉर विकसित भारत" आयोजित किया गया। दुनिया भर के सदस्यों और छात्रों ने इसमें भाग लिया, और सभी 5 क्षेत्रीय परिषदों, 176 शाखाओं और विदेशी शाखाओं में सुबह 6 बजे एक साथ कार्यक्रम शुरू हुए। नई दिल्ली में यह दौड़ आई.सी.ए.आई. मुख्यालय से शुरू होकर मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में समाप्त हुई, जहाँ माननीय कॉर्पोरेट मामलों और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री मुख्य अतिथि थे। इस आयोजन के लिए ब्रांडिंग मेटेरियल और अनुदान प्रदान किए गए, और प्रिंट, टीवी, रेडियो व सोशल मीडिया के माध्यम से इस आयोजन का व्यापक प्रचार किया गया।

- चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस-2024- आईसीएआई द्वारा 1 जुलाई, 2024 को अपने 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर आईसीएआई के तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई के तत्कालीन उपाध्यक्ष, पूर्व अध्यक्षों का समूह, आईसीएआई के केंद्रीय एवं क्षेत्रीय परिषद के सदस्य और आईसीएआई के सचिव भी उपस्थित थे।

  इस कार्यक्रम का **निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया:**

  - **प्रिंट मीडिया अभियान:** सीए दिवस के प्रचार हेतु प्रिंट विज्ञापन तैयार किए गए और प्रमुख मुख्यधारा व वित्तीय प्रकाशनों में प्रकाशित किए गए। कार्यक्रम के बाद **मीडिया में** एक **सारांश रिपोर्ट** प्रकाशित करके **भी प्रचार किया गया।**
  - **टीवी अभियान:** आईसीएआई के 75वें सीए दिवस समारोह को विभिन्न व्यावसायिक/समाचार चैनलों पर विभिन्न माध्यमों और समाचार रिपोर्टों के माध्यम से प्रचारित किया **गया। इस कार्यक्रम को ज़ी बिज़नेस पर** भी प्रसारित किया गया।
  - रेडियो अभियान - इस आयोजन का प्रचार करने वाले रेडियो कार्यक्रम पूरे भारत के प्रमुख एफएम स्टेशनों पर चलाए गए।
  - सोशल मीडिया अभियान – आईसीएआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्रिएटिव, शॉर्ट वीडियो व वीडियो संदेशों के माध्यम से एक सोशल मीडिया अभियान चलाया गया। भव्य समारोहों के वीडियो भी बनाए गए और आईसीएआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किए गए, जिन्हें लाखों इंप्रेशन मिले।
  - ओओएच अभियान - सीए दिवस के प्रचार के लिए आईटीओ से लेकर भारत मंडपम तक महत्वपूर्ण जगहों को कवर करते हुए आउटडोर ब्रांडिंग के लिए होर्डिंग्स डिजाइन और लगाए गए।
  - स्टैण्डी- **पिछले 75 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों और पहलों को संकलित किया गया तथा नई दिल्ली में आयोजित सीए दिवस समारोह के दौरान स्टैण्डी विकसित** एवं **प्रदर्शित की गईं।**
  - ऑडियो विजुअल - सीए दिवस पर एक ऑडियो विजुअल तैयार किया गया, जिसमें राष्ट्र निर्माण में आई.सी.ए.आई. की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाया गया, जिसमें उन गणमान्य व्यक्तियों के विचार थे, जो पहले आईसीएआई के विभिन्न कार्यक्रमों में उपस्थिति हुए थे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदेशों को भी रिकॉर्ड किया गया और क्षेत्रीय कार्यालयों व शाखाओं के साथ साझा किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया।
  - सद्भावना संदेश: सीए दिवस के अवसर **पर,** संपादकीय बोर्ड द्वारा आई.सी.ए.आई. जर्नल का एक विशेष अंक, जुलाई 2024, प्रकाशित किया गया। इस अंक में राजनेताओं और प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों की शुभकामनाएँ शामिल थीं। पीआरसी ने इन संदेशों के लिए गणमान्य व्यक्तियों के कार्यालयों से संपर्क किया और उनसे संपर्क किया। गणमान्य व्यक्तियों के 35 से अधिक संदेश प्राप्त हुए।

(III) बजट -2024 गतिविधियाँ

- **बजट प्रतिक्रियाओं, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पूर्व एवं पश्चात ज्ञापन** को मीडिया के साथ साझा किया गया तथा 45 से अधिक प्रकाशनों (प्रिंट एवं ऑनलाइन) और सीएनबीसी टीवी 18, सीएनबीसी आवाज, जी बिजनेस, जी टीवी और आजतक जैसे विभिन्न टीवी चैनलों में प्रमुखता से कवर किया गया।
- बजट भाषण के तुरंत बाद ज़ी न्यूज़ पर आई.सी.ए.आई. **के** अध्यक्ष का लाइव **सेशन** प्रसारित किया गया।

(IV) स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान

15 अगस्त को, संस्थान के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में, अनुसंधान केंद्रों एवं शाखाओं के ज़रिए एक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस विशेष दिवस पर लगभग 4000 पौधे लगाए गए। यह पहल एसआरएसबी, पीआरसी और आईसीएआई के 75वें वर्ष के उत्सव समूह द्वारा संयुक्त रूप से की गई।

(V) 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ सदस्यों का **सम्मान**

आईसीएआई की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ सदस्यों (1 जुलाई, 2024 तक) को सीए पेशे में उनके योगदान के सम्मान में सम्मानित किया गया। एक विशेष सम्मान किट तैयार की गई जिसमें एक पट्टिका, प्रमाण पत्र, लैपल पिन व कार स्टिकर थे। क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं से अनुरोध किया गया कि वे कार्यक्रमों

या यात्राओं के दौरान इन सदस्यों को सम्मानित करें। मई 2025 तक, देश भर में 2,000 से अधिक वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित किया जा चुका था।

(VI) ईच वन टीच वन

अगली पीढ़ी को तैयार करने हेतु **प्रतिबद्ध** आईसीएआई ने **1 जुलाई, 2024 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के आह्वान पर, 'ईच वन टीच वन' मेंटरशिप पहल शुरू की गई। इसका उद्देश्य सदस्यों को छात्रों को मार्गदर्शन देने, सहकर्मी शिक्षण और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना है। पंजीकरण और भागीदारी के लिए एक समर्पित वेबसाइट (**https://eoto.icai.org/) भी शुरू की गई।

(VII) वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स (**डब्ल्यूओएफए**) का प्रचार एवं **संवर्धन**

आईसीएआई ने नई दिल्ली के यशोभूमि में अपने सबसे बड़े लेखा कार्यक्रम वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स 2025 की मेजबानी की, जिसका विषय था "अकाउंटेबिलिटी मिट्स इनोवेशन्स (एआई): फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट"। तीन दिवसीय सम्मेलन में 40 से अधिक देशों के 6,000 से अधिक प्रतिनिधियों, 40 से अधिक सत्रों और 200 से अधिक वक्ताओं ने भाग लिया। मंच की भावना को दर्शाने हेतु एक विशेष डब्ल्यूओएफए गान लॉन्च किया गया, जिसका व्यापक प्रचार किया गया और अच्छी प्रतिक्रिया मिली। कार्यक्रम के वैश्विक स्तर, वक्ताओं और प्रमुख विषयों पर प्रकाश डालने के लिए एक मीडिया ब्रीफिंग भी आयोजित की गई। इस मेगा इवेंट की ब्रांडिंग और प्रचार के लिए, पीआरसी ने विभिन्न गतिविधियां शुरू की हैं, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स में प्रिंट विज्ञापन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया- टीवीसी प्रोमो, पोस्ट-इवेंट एपिसोड, रेडियो जिंगल्स प्रसारित, डिजिटल/ओओएच अभियान, ऑडियो विजुअल, आयोजन स्थल पर ब्रांडिंग और डब्ल्यूओएफए 2025 की कॉफी टेबल बुक (सीटीबी) के रूप में एक विजुअल मेमोयर।

(VIII) अन्य गतिविधियाँ:

- प्रत्येक दिन कार्यक्रम के पूरे दिन की प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई।
- कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के विचार भी तुरंत मीडिया के साथ साझा किए गए।
- प्रत्येक सत्र के लाइव ट्वीट और तस्वीरें डब्ल्यूओएफए सोशल मीडिया पर पोस्ट की गईं
- आरसी व शाखाओं के लिए स्टैंडी और बैनर विकसित और साझा किए गए
- नवंबर अंक में डब्ल्यूओएफए को बढ़ावा देने वाला विज्ञापन सीए जर्नल में प्रकाशित हुआ था
- डब्ल्यूओएफए टीज़र वीडियो विकसित किया गया और व्हाट्सएप के माध्यम से सभी सदस्यों को प्रसारित किया गया
- विभिन्न सोशल मीडिया क्रिएटिव दैनिक आधार पर आई.सी.ए.आई. और डब्ल्यूओएफए सोशल मीडिया हैंडल पर विकसित और अपलोड किए जाते हैं।
- डब्ल्यूओएफए फोटो टेम्पलेट को ब्रांडिंग के लिए प्रतिनिधियों के साथ साझा किया गया

(IX) **आई.सी.ए.आई.** पुरस्कार 2024

आई.सी.ए.आई. **ने 1 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली स्थित डब्ल्यूओएफए में पहली बार** आई.सी.ए.आई. **पुरस्कार 2024 का आयोजन किया, जिसमें पाँच समितियों के पुरस्कारों को एक ही मंच पर एकत्रित किया गया। वित्तीय रिपोर्टिंग, स्थिरता, स्थानीय निकाय, उद्योग और महिला उत्कृष्टता सहित विभिन्न श्रेणियों में 62 पुरस्कार प्रदान किए गए। माननीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री ने पुरस्कार प्रदान किए। विजेताओं को गरुड़ से प्रेरित एक विशेष स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया और इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।**

(X) 75वें आईसीएआई वार्षिक समारोह का प्रचार

इस आयोजन का प्रचार-प्रसार करने वाला एक आधे पृष्ठ का रंगीन विज्ञापन प्रमुख प्रकाशनों, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू बिज़नेस लाइन, में प्रकाशित हुआ। वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य और राज्यसभा के महासचिव उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी की गईं।

(XI) नए **टॉर्चबियरर्स** का चुनाव **- 2025-26**

नए टॉर्चबियरर्स (2025-26) के चुनाव को प्रेस विज्ञप्ति और वर्ष की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया पर प्रचार, मास एसएमएस और कोलेटरल डिजाइन के माध्यम से सदस्यों, हितधारकों और आम जनता के बीच व्यापक रूप से प्रचारित किया गया।

(XII) प्रेस मीट और साक्षात्कार

6 मार्च, 2025 को, आई.सी.ए.आई. ने प्रमुख मीडिया संस्थानों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें वार्षिक थीम 'विश्वासनीय' को लॉन्च किया गया और वर्ष की कार्ययोजना व प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम को प्रिंट, ऑनलाइन और टीवी प्लेटफॉर्म पर व्यापक कवरेज मिली। आई.सी.ए.आई. ने प्रमुख प्रकाशनों को भी इनपुट प्रदान किए, जिसके परिणामस्वरूप नए आयकर विधेयक, कैंपस प्लेसमेंट के रुझान और विदेशी मुद्रा लेखांकन मानदंडों जैसे विषयों पर लेख प्रकाशित हुए।

(XII) विभिन्न आयोजनों का प्रचार एवं संवर्धन

आईसीएआई स्टार्टअप स्फीयर 2024 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया, जिसमें केंद्रीय बजट 2024-2025, रिज़ॉल्व-2024 का दूसरा संस्करण, आईसीएआई एमएसएमई और स्टार्टअप यात्रा, एआई इनोवेशन समिट - 16 जुलाई, 2024 को हैदराबाद में एआईएस 2024, आईसीएआई दीक्षांत समारोह, पहला ऑडिट दिवस, स्थानीय शासन तालमेल सम्मेलन, वैश्विक नैतिकता दिवस, सीओई कोलकाता का उद्घाटन, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो अभियान, वित्त मीडिया, व्यापार मीडिया आदि के माध्यम से लेखांकन मानक दिवस पर विशेष चर्चा की गई।

(XIV) प्रेस कॉन्फ्रेंस

- नई दिल्ली में वर्षांत प्रेस कॉन्फ्रेंस **- 23 दिसंबर, 2024 को**, आई.सी.ए.आई. **ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें प्रमुख मीडिया संस्थानों ने भाग लिया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने** आई.सी.ए.आई. **की प्रमुख उपलब्धियों और पहलों पर प्रकाश डाला, जिसके परिणामस्वरूप 90 से अधिक प्रिंट, ऑनलाइन और टीवी प्रकाशनों ने इसे कवर किया।**
- देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित **- पीआरसी ने जयपुर, नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और अपनी कई शाखाओं सहित विभिन्न आयोजनों और स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कीं, जहाँ** अध्यक्ष **ने प्रमुख पहलों पर अपडेट साझा किए। इन्हें मीडिया और ऑनलाइन माध्यमों में व्यापक रूप से कवर किया गया।**
- **आई.सी.ए.आई.** राष्ट्र के साथ खड़ा है **-** ऑपरेशन 'सिंदूर' के दौरान, आई.सी.ए.आई. ने 9 मई, 2025 को एक वेबकास्ट के माध्यम से अपने 14.5 लाख सदस्यों और छात्रों से राष्ट्र का समर्थन करने का आग्रह किया, जिसे सोशल मीडिया पर 1.5 मिलियन से ज़्यादा बार देखा गया। प्रचार सामग्री तैयार की गई, जनसंचार अभियान चलाए गए, लाइव ट्वीट साझा किए गए और एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसके परिणामस्वरूप 100 से ज़्यादा मीडिया संस्थानों में कवरेज हुआ।
- **आईसीएआई ने पावरिंग भारत समिट 2025 में भागीदारी की -** आईसीएआई ने 16 मई को ताज पैलेस, नई दिल्ली में आयोजित पावरिंग भारत समिट 2025 में प्रमुख मंत्रियों और नेताओं के साथ भाग लिया। आईसीएआई अध्यक्ष ने आर्थिक नेतृत्व के लिए भारत के दृष्टिकोण और विकसितभारत@2047 पर बात की। उनका संबोधन सीएनबीसी टीवी18 पर प्रसारित किया गया।
- अखिल भारतीय प्रबंध समिति सदस्य बैठक **(एआईएमसीएमएम 2025)** का प्रचार **और संवर्धन 21** से **23** मार्च**,** नई दिल्ली में **प्रिंट मीडिया के माध्यम से तथा आर.सी. एवं शाखाओं के प्रबंधन समिति सदस्यों को लैपल पिन का वितरण।**
- वर्ष के दौरान विकसित ऑडियो विजुअल्स **अर्थात 'वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स** (डब्ल्यूओएफए)**' कार्यक्रम का टीज़र, 5 समिति विशिष्ट एवीएस, चुनाव एवीएस-2,** आई.सी.ए.आई. **पुरस्कार**
- **आई.सी.ए.आई.** के वर्ष के विजन - विश्वासनीय को प्रदर्शित करने वाला ऑडियो-विजुअल **- वर्ष के विजन 'विश्वासनीय' को बढ़ावा देने के लिए, पीआर समिति ने अखंडता, स्थिरता, डिजिटल परिवर्तन और युवा विकास आदि जैसे प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए एक ऑडियो-विजुअल तैयार किया। एआईएमसीएमएम 2025 में लॉन्च किया गया वीडियो, सभी स्तरों पर** आई.सी.ए.आई. **की पहल का मार्गदर्शन करेगा।**
- **आई.सी.ए.आई.** की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाले मासिक वीडियो - हर महीने, आई.सी.ए.आई. के अध्यक्ष द्वारा आई.सी.ए.आई. की मासिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाले वीडियो बाइट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं और तदनुसार पीआरसी द्वारा एक शॉर्ट वीडियो तैयार किया जाता है। फिर इसे आई.सी.ए.आई. के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड किया जाता है और संस्थान के सभी सदस्यों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाता है।

- **दूरदर्शन के साथ सहयोग-** प्रिंट मीडिया से आगे अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए, आई.सी.ए.आई. ने दूरदर्शन के 19 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों पर प्रोमो और एल बैंड प्रसारित करने के लिए प्रसार भारती के साथ एक वर्ष के लिए साझेदारी की। इस सहयोग ने बजट दिवस और स्वतंत्रता दिवस, वित्तीय एवं कर साक्षरता अभियान, और विश्व लेखा मंच (डब्ल्यूओएफए) के दौरान आई.सी.ए.आई. की पहलों को बढ़ावा दिया। पंचायतों और नगर निकायों के लेखाकारों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स को बढ़ावा देने की योजना भी बनाई जा रही है।
- **मीडिया द्वारा गलत रिपोर्टिंग के जवाब में संपादक को पत्र -** आई.सी.ए.आई. ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे की छवि धूमिल करने वाली नकारात्मक मीडिया रिपोर्टों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। प्रमुख समाचार पत्रों के संपादकों को पत्र भेजकर पेशे की प्रतिष्ठा बहाल करने और सटीक सार्वजनिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सुधार का अनुरोध किया गया।

प्रकाशन

- वार्षिक पुस्तक: 2024-25
- ट्रेज़र ट्रोव ऑफ़ विज़डम फ्रॉम विज़नरीज़ - पूर्व अध्यक्षों के भाषण, आई.सी.ए.आई. - छठा संस्करण
- डब्ल्यूओएफए की कॉफी टेबल बुक

8.10 अनुसंधान समिति

1955 में स्थापित, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की शोध समिति, व्यावसायिक सेवाओं को बढ़ाने हेतु एक सुदृढ़ शोध कल्चर को बढ़ावा देने हेतु समर्पित सबसे पुरानी तकनीकी समितियों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य पेशे और राष्ट्र के लाभ हेतु लेखांकन एवं संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान करना और संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना है। समिति विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के ज़रिए अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देती है। यह अंतरराष्ट्रीय महत्व के प्रमुख क्षेत्रों में वैश्विक सहयोग हेतु रणनीतियाँ विकसित करने पर भी ध्यान देती है। समिति पेशे, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, व्यापार, उद्योग, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे जैसे विविध क्षेत्रों पर शोध करती है। यह सरकारी नीतियों के समर्थन हेतु शोध-आधारित अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, सिफ़ारिशें पेश करती है, और लेखांकन एवं व्यावसायिक मामलों पर प्रस्तुतियाँ तैयार करती है। उच्च-गुणवत्ता वाले शोध को बढ़ावा देने पर केंद्रित करते हुए यह वित्तीय रिपोर्टिंग में सुधार हेतु रणनीतिक पहलों का नेतृत्व करती है और पेशे को प्रभावित करने वाले उभरते रुझानों और अच्छी पद्धतियों पर विचार पेश करती है।

(I) **प्रगतिधीन** अनुसंधान परियोजना

- भारत में सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग प्रथाएँ
- डिजिटल परिसंपत्तियों का लेखांकन
- सूक्ष्म उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने में मुद्रा और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का अन्वेषणात्मक विश्लेषण
- हरित निवेश का उदय: निवेशकों का इरादा और सतत निवेश प्रवृत्ति पर नियोजित व्यवहार के सिद्धांत की मध्यस्थ भूमिका
- कर-से-जीडीपी अनुपात एवं सतत विकास: भारत के आर्थिक विकास का एक अनुभवजन्य विश्लेषण
- "भारत के कानूनी परिदृश्य को पुनर्जीवित करना: विकसितभारत@2047 के लिए अप्रचलित आर्थिक और वाणिज्यिक कानूनों का विश्लेषण"
- आरईआईटी और भारत में इसका उभरता दायरा
- एआई ऑडिट क्रांति: ऑडिट और लेखा अभ्यास में अवसरों और चुनौतियों की खोज
- धुबरी जिले की विकास दुविधा को समझना और इसके समावेशी विकास का रोडमैप तैयार करना
- मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में वर्तमान सामाजिक-आर्थिक मामलों का अध्ययन और आगे की राह
- वाराणसी का अनावरण - भारत की आध्यात्मिक राजधानी की गतिशीलता की खोज
- महुआ फ्लावर्स: नियामक, आर्थिक एवं सामाजिक अवसर

(II) वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियों में उत्कृष्टता का संवर्धन

वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार 2023-24- 1958 से, आईसीएआई रिपोर्टिंग मानकों का पालन करने वाली संस्थाओं को मान्यता देने के लिए 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता पुरस्कार' का आयोजन करता आ रहा है। 2023-24 के पुरस्कार विजेताओं का चयन एक कठोर चार-स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से किया गया, जिसकी निर्णायक मंडल की बैठक 14 जनवरी, 2025 को भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड की अध्यक्षता में हुई। पुरस्कार समारोह 1 फरवरी, 2025 को यशोभूमि, नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जहाँ 19 पुरस्कार—6 स्वर्ण शील्ड और 13 रजत शील्ड—प्रदान किए गए।

(III) शोध विद्वानों की मान्यता

आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पुरस्कार 2024 - 2020 से, आईसीएआई अनुसंधान समिति लेखांकन, लेखा परीक्षा, अर्थशास्त्र, वित्त और कराधान में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए "आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पुरस्कार" का आयोजन कर रही है। 2024 की वर्चुअल जूरी बैठक 8 अगस्त को सीपीए ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों के साथ आयोजित की गई थी। पुरस्कार समारोह 30 अगस्त, 2024 को चंडीगढ़ में आयोजित किया गया, जहाँ 11 पुरस्कार: 4 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य शील्ड प्रदान किए गए।

(IV) अनुसंधान **संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए योजनाएँ**

आईसीएआई डॉक्टरेट छात्रवृत्ति योजना - आईसीएआई डॉक्टरेट छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य उत्कृष्ट शैक्षणिक योग्यता, बौद्धिक जिज्ञासा एवं आवश्यक अनुशासन वाले पात्र अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योगदान हेतु मासिक छात्रवृत्ति के माध्यम से अपेक्षित सहायता प्रदान करना है। यह योजना आई.सी.ए.आई. के उन सदस्यों के लिए है जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं है, जो पीएचडी करते समय विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान में पूर्णकालिक छात्र हों और किसी अन्य संस्थान से ऐसी कोई छात्रवृत्ति प्राप्त न कर रहे हों। अधिकतम 5 शोधार्थियों को प्रतिवर्ष 3 वर्षों के लिए 75,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

(V) आई.सी.ए.आई. अनुसंधान परियोजना योजना - 2020 में आई.सी.ए.आई. अनुसंधान परियोजना योजना का शुभारंभ समकालीन विषयों पर व्यावहारिक जांच करने में रुचि रखने वाले शोधकर्ताओं को सशक्त बनाने और समर्थन देने के लिए अनुसंधान समिति की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, और अंततः लेखांकन एवं इसके संबंधित डोमेन में प्रगति को बढ़ाता है। आई.सी.ए.आई. अनुसंधान परियोजना योजना एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अनुभवी शोध विद्वानों या किसी भी संदर्भित जर्नल में शोध पत्र प्रकाशित करने वाले 10 वर्षों से अधिक के अनुभव वाले सदस्यों द्वारा किए जाने वाले शोध परियोजनाओं को वित्तपोषित करना है। अनुसंधान व्यय के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी। शोधकर्ताओं को अनुसंधान समिति द्वारा शोध प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद 6 महीने के भीतर अनुसंधान परियोजना को पूरा करना आवश्यक है।

योजना की शुरूआत के बाद से, इस योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाएं प्रदान की गई हैं और पूरी की गई हैं -

- राज्य के स्वामित्व वाले विश्वविद्यालयों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली आंतरिक नियंत्रण मैनुअल तैयार करने हेतु एक अध्ययन
- भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में वित्तीय प्रदर्शन पर डिजिटल परिवर्तन रणनीतियों का प्रभाव
- भारतीय कंपनियां ऑस्ट्रेलिया की आपूर्ति श्रृंखला में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं?
- कर निश्चितता की ओर बढ़ते कदम: सीमा-पार कराधान के लिए नवीन घरेलू विवाद तंत्र
- गैर-महानगरीय क्षेत्रों और चुनिंदा महानगरीय क्षेत्रों में भारतीय स्टार्टअप्स का विश्लेषण और मूल्यांकन - एक अनकही कहानी
- भारत में बहु-राज्यीय शहरी सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से धन शोधन एवं घोटाले
- नियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी परिपत्रों के कराधान पहलू - आईआरडीए परिपत्रों का एक अध्ययन
- कर्मचारी बर्नआउट पर वैज्ञानिक ध्यान के प्रभाव का मूल्यांकन: एक बहुराष्ट्रीय अध्ययन
- जोखिम प्रबंधन को संबोधित करने में लेखा परीक्षकों और सीएफओ की उभरती भूमिका : एक नया परिप्रेक्ष्य
- स्टार्ट-अप के लिए वित्त एवं कर साक्षरता
- अनिवासी कलाकारों या खिलाड़ियों पर कराधान - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर

इसके अलावा, कुछ परियोजनाएं भी पाइपलाइन में हैं।

(VI) आई.सी.ए.आई. अल्पकालिक अनुसंधान अध्ययन योजना 2024

शोध समिति ने 2023 में नई तथा अल्पकालिक शोध परियोजनाओं को आगे बढ़ाने हेतु अल्पकालिक शोध अध्ययन योजना शुरू की है, जिससे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काफी अधिक सफलताएँ मिल सकें। यह योजना विभिन्न समसामयिक विषयों पर नए विचारों, नवीन शोध निष्कर्षों और विचारोत्तेजक अंतर्दृष्टि को साझा करने का एक मंच प्रदान करती है। शोध क्षेत्र में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले और पीएचडी धारक आवेदक को यह वरीयता दी जाएगी। 1,00,000 रुपये का अनुमेय मानदेय प्रदान किया जाएगा। आवेदकों को शोध परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा। यह योजना वर्ष भर उपलब्ध है।

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों पर छह परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जो प्रगति पर हैं –

- आरईआईटी और भारत में इसका उभरता दायरा
- एआई ऑडिट क्रांति: ऑडिट और लेखा अभ्यास में अवसरों और चुनौतियों की खोज
- मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में वर्तमान सामाजिक-आर्थिक मामलों का अध्ययन एवं आगे की राह
- धुबरी जिले की विकास दुविधा और इसके समावेशी विकास का रोडमैप
- वाराणसी का अनावरण - भारत की आध्यात्मिक राजधानी की गतिशीलता की खोज
- महुआ फूल: नियामक, आर्थिक और सामाजिक अवसर

(VII) क्षमता निर्माण पहल

- समिति ने प्रमुख शिक्षाविदों के बीच संवाद और ज्ञान के आदान-प्रदान के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 17 मई, 2024 को नई दिल्ली में "विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ अकादमिक सम्मेलन" का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और बिज़नेस स्कूलों के शोधकर्ताओं ने भाग लिया और इसका उद्देश्य पेशे और अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए अनुसंधान को आगे बढ़ाना था।
- 29 मई, 2024 को नई दिल्ली में शोध प्रगति पर एक संवादात्मक चर्चा आयोजित की गई, जिसमें देश भर के पीएचडी धारक और शोध-उन्मुख चार्टर्ड अकाउंटेंट एक साथ आए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सहयोग को बढ़ावा देना और पेशे और अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए नए शोध क्षेत्रों की खोज करना था।
- समिति ने 25 जून, 2024 को नई दिल्ली में "वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता पर एक इंटरैक्टिव चर्चा" का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सटीक रिपोर्टिंग की तैयारी, सामान्य त्रुटियों से बचने और वित्तीय एवं गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग में उभरते रुझानों को अद्यतन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। संगठनात्मक मूल्य, विश्वास और बाजार विश्वास के निर्माण में उच्च-गुणवत्ता वाली रिपोर्टिंग के महत्व पर ज़ोर दिया गया। इस सत्र में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि कठोर प्रकटीकरण एक नियामक आवश्यकता और एक नैतिक व्यावसायिक व्यवहार दोनों है।
- समिति शोधकर्ताओं, संस्थानों और उद्योगों के बीच निरंतर सीखने, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समकालीन शोध विषयों पर लाइव पैनल चर्चाओं का आयोजन करती है। प्रमुख विषयों में वित्तीय रिपोर्टिंग में उभरते रुझान, वार्षिक रिपोर्टों में सर्वोत्तम अभ्यास, जोखिम-आधारित नियंत्रण, कर निहितार्थ, एमएसएमई वित्तीय रिपोर्टिंग में चुनौतियाँ, एकीकृत रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में तकनीकी की भूमिका शामिल हैं।

8.11 **रणनीति, परिप्रेक्ष्य योजना और निगरानी समिति** (एसपीपी एंड एमसी)

रणनीतिक परिप्रेक्ष्य योजना एवं निगरानी समिति, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) की एक गैर-स्थायी समिति है जो आई.सी.ए.आई. के दीर्घकालिक दृष्टिकोण और उद्देश्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस समिति का प्राथमिक उद्देश्य रणनीतिक योजना बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि आई.सी.ए.आई. अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अच्छी रणनीतियाँ विकसित और कार्यान्वित करे। यह समिति प्रभावी जोखिम प्रबंधन, संभावित चुनौतियों की पहचान और गतिशील व्यावसायिक परिवेश में कार्य करने हेतु रणनीतियों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न परिप्रेक्ष्यों, प्रवृत्तियों और कारकों का विश्लेषण करके, समिति का उद्देश्य संगठन के भविष्य हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करना है। इसके अलावा, यह रणनीतिक पहलों के कार्यान्वयन की निगरानी, उनके प्रभाव का आकलन और आवश्यकतानुसार समायोजन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

गतिविधियाँ/पहल:

(I) आई.सी.ए.आई. विजन 2049 की तैयारी-आईआईएमए के साथ सहयोग

संस्थान के लिए एक दूरदर्शी रणनीति बनाने की तलाश में, आई.सी.ए.आई. ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (आईआईएमए) के साथ सहयोगात्मक सहयोग के ज़रिए *आई.सी.ए.आई. विज़न 2049* के विकास की पहल की है। इस सहयोग का उद्देश्य ऐसे रोडमैप की रूपरेखा तैयार करना है जो संस्थान के दीर्घकालिक लक्ष्यों को उभरते वैश्विक, तकनीकी और नियामक रुझानों के साथ संरेखित करे।

(II) विजन दस्तावेज तैयार करने के लिए समूह का गठन

सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को ध्यान रखते हुए, विजन दस्तावेज तैयार करने के लिए रणनीति, परिप्रेक्ष्य योजना और निगरानी समिति (एसपीपीएमसी) के तत्वावधान में एक समर्पित समूह का गठन किया गया।

(III) संशोधित मसौदा प्रस्तुत करना

आईआईएमए ने आई.सी.ए.आई. विजन 2049 की तैयारी हेतु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, केंद्रीय परिषद के सदस्यों, सचिव, संकाय, अध्ययन बोर्ड, वरिष्ठ अधिकारियों और आई.सी.ए.आई. के सदस्यों के साथ कई बार बातचीत करके इनपुट मांगे थे। सदस्यों, छात्रों, वर्तमान और पूर्व परिषद सदस्यों और कर्मचारियों के विचार जानने हेतु मसौदा प्रश्नावली वितरित की गई थी। आई.सी.ए.आई. विजन 2049 पर उनके विचार जानने के लिए 21 मार्च, 2024 को जयपुर में पूर्व अध्यक्षों की एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें व्यक्त विचारों को एकत्रित किया गया और 16 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित अपनी 10 वीं बैठक में एसपीपीएमसी के समक्ष रखा गया। इसके पश्चात्, 27 अप्रैल, 2024 को नई दिल्ली में पूर्व परिषद सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से, प्रश्नावली पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं का सारांश, पूर्व अध्यक्षों, वर्तमान परिषद सदस्यों और पूर्व परिषद सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों का सारांश, 3 मई 2024 को आईआईएमए के साथ साझा किया गया। इसके बाद आईआईएमए ने अपना पहला मसौदा एसपीपीएमसी को 5 जून 2024 को विचारार्थ पेश किया। समूह द्वारा इस पर विचार किया गया जिसमें परिषद के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। सदस्यों ने विज़न दस्तावेज़ के मसौदे में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए, जिन्हें आईआईएमए को 12 जून, 2024 को सूचित किया गया ।

इसके पश्चात्, आईआईएमए ने 25 जून 2024 को ईमेल के ज़रिए दूसरी मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की। संशोधित मसौदे को कार्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया और विज़न 2049 दस्तावेज़ की संरचना और सामग्री को लेकर आगे चर्चा की गई। इसके अलावा, अंतिम संस्करण में शामिल करने के लिए आईआईएमए को कुछ और टिप्पणियां बताई गई हैं। आईआईएमए ने इन इनपुट्स को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की है और शीघ्र ही अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, साथ ही आई.सी.ए.आई. विज़न 2030 की संरचना और प्रारूप के साथ संरेखित 5-6 पृष्ठ का एक संक्षिप्त विज़न दस्तावेज़ भी पेश करेगा। अंतिम विज़न 2049 दस्तावेज़ अगले 25 वर्षों में आई.सी.ए.आई. के विकास का मार्गदर्शन करने के एक रणनीतिक खाका के रूप में काम करेगा, जो लेखा पेशे में दुनिया भर में अग्रणी बनने में इसकी भूमिका को सुदृढ़ करेगा। विज़न 2049 स्पष्टता, उद्देश्य और रणनीतिक दूरदर्शिता के साथ आई.सी.ए.आई. के भविष्य के प्रक्षेपवक्र को आकार देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा।

8.12 केंद्रीय परिषद पुस्तकालय

संस्थान का केंद्रीय परिषद पुस्तकालय अपने हितधारकों की सूचना संबंधी ज़रुरतों को पूरा करता है। इसका उद्देश्य वर्तमान और भावी सदस्यों/छात्रों, शोधार्थियों और आई.सी.ए.आई. के अधिकारियों को प्राथमिक और द्वितीयक मुद्रित व गैर-मुद्रित सामग्री का व्यापक और अद्यतन संग्रह उपलब्ध कराना है। पुस्तकालय ने पुस्तकों, ई-पुस्तकों, पत्रिकाओं, ऑनलाइन डेटाबेस, मुद्रित समाचार पत्रों और ई-समाचार पत्रों के ज़रिए ज्ञान और बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने में समितियों, विभागों की सेवा करने की बड़ी ज़िम्मेदारी संभाली है। केंद्रीय परिषद पुस्तकालय विभिन्न समितियों के कार्यों के लिए आवश्यक पत्रिकाओं और पुस्तकों को अद्यतन करने और प्रदान करने हेतु जिम्मेदार है। केंद्रीय परिषद पुस्तकालय पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत है और लिबर्टी - पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम कर रहा है। पुस्तकों, पत्रिकाओं और लेखों के डेटाबेस सहित पुस्तकालय सामग्री को विषय, लेखक, शीर्षक, विषय, कीवर्ड और प्रकाशक के माध्यम से खोजा जा सकता है। ये रिकॉर्ड इंटरनेट ऑनलाइन सेवाओं www.icai.org पर "सेंट्रल काउंसिल लाइब्रेरी"-ऑनलाइन सर्च ओपीएसी-लिबर्टी के अंतर्गत पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों, पत्रिकाओं, लेखों आदि के लिए उपलब्ध हैं।

"द चार्टर्ड अकाउंटेंट" पत्रिका में हर महीने "अकाउंटेंट्स ब्राउज़र" कॉलम के अंतर्गत अकाउंटिंग पेशे से संबंधित लेखों की एक सूची प्रकाशित की जाती है। ध्यान दें कि "अकाउंटेंट्स ब्राउज़र" महत्वपूर्ण/पेशेवर लेखों की एक सूची है जिसमें पिछले लेखों का संग्रह भी है। शोधकर्ताओं, विद्वानों, संकायों, छात्रों और सदस्यों को पुस्तकालय से संदर्भ सेवा भी प्रदान की जाती है। पुस्तकालय ने कई ऑनलाइन डेटाबेस का अधिग्रहण किया है, जिनका विवरण www.icai.org - केंद्रीय

परिषद पुस्तकालय पर उपलब्ध है। ये ऑनलाइन ज्ञान डेटाबेस केंद्रीय परिषद पुस्तकालय में स्थापित किए गए हैं और सदस्यों, संकायों और शोधार्थियों द्वारा आवश्यक सामग्री की खोज को सुविधाजनक बनाने के लिए इन तक केवल आंतरिक रूप से ही एक्सेस किया जा सकता है। पुस्तकालय में कई ई-पत्रिकाओं की भी सदस्यता ली गई है। इस वर्ष क्रमशः मुख्यालय स्थित केंद्रीय परिषद पुस्तकालय और नोएडा पुस्तकालय में जोड़े गए नए संसाधनों का विवरण निम्नानुसार है:

- **केंद्रीय परिषद पुस्तकालय (मुख्यालय)**

क्र.सं.	**शीर्षक**	**आंकड़ें**
1.	पत्रिकाएँ (मुद्रित)- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय	28
2.	ऑनलाइन संसाधन	18
3.	इस अवधि के दौरान जोड़ी गई नई पुस्तकों की संख्या	219

- **केंद्रीय परिषद पुस्तकालय सेक्टर 62, नोएडा**

क्र.सं.	**शीर्षक**	**आंकड़ें**
1.	पत्रिकाएँ (मुद्रित) - राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय	15
2.	ऑनलाइन संसाधन	12
3.	इस अवधि के दौरान जोड़ी गई नई पुस्तकों की संख्या	131

केंद्रीय परिषद पुस्तकालय पेशेवर सदस्यों, छात्रों, संकायों और अन्य हितधारकों को नवीनतम एवं अद्यतन ज्ञान और सूचना प्रदान करने हेतु अपने संसाधनों को नियमित रूप से अद्यतन कर रहा है।

8.13 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.), संसद के एक अधिनियम, अर्थात् सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एच) के अंतर्गत परिकल्पित एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों और केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, संस्थान के अधिकारियों को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के रूप में नामित किया गया है। आई.सी.ए.आई. के आरटीआई प्रकोष्ठ को छात्रों, सदस्यों, अन्य हितधारकों और नागरिकों से बड़ी संख्या में आरटीआई प्राप्त हो रही हैं और उनका जवाब दिया जा रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के तहत प्रकटीकरण

इसके अलावा, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अनुसार, संस्थान द्वारा आवश्यक प्रकटीकरण संस्थान की वेबसाइट www.icai.org और पर उपलब्ध करा दिए गए हैं तथा इन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। 2024-25 की अवधि के दौरान, यह ध्यान देने योग्य है कि कुल 2,29,381 (दो लाख उनतीस हज़ार तीन सौ इक्यासी) आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें आई.सी.ए.आई. द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं (सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल) की प्रमाणित प्रतियों के अलावा अनुशासनात्मक कार्यों और मानव संसाधन विकास एवं प्रशासन से संबंधित आवेदन भी शामिल हैं। उपरोक्त आरटीआई आवेदनों का विभाजन नीचे दिया गया है;

जून से दिसंबर 2024

	उत्तर पुस्तिका की प्रमाणित प्रतियां			**अन्य**	**कुल**
	फाउंडेशन	इंटरमीडिएट	फाइनल		
प्राप्त आरटीआई आवेदनों की कुल संख्या	21,164	79,150	49,287	576	1,50,177

जनवरी से मई 2025

	उत्तर पुस्तिका की प्रमाणित प्रतियां			अन्य	कुल
	फाउंडेशन	इंटरमीडिएट	फाइनल		
प्राप्त आरटीआई आवेदनों की कुल संख्या	14175	43719	20966	344	79,204

इसके अलावा, केन्द्रीय सूचना आयोग की 26 सुनवाइयों में भाग लिया गया है तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों का अच्छी संख्या में जवाब दिया गया है।

9. निदेशालय

9.1 लेखा परीक्षा गुणवत्ता निदेशालय केंद्र (सीएक्यूडी)

आई.सी.ए.आई. ने 2020 में लेखा परीक्षा गुणवत्ता निदेशालय केंद्र ("सीएक्यूडी") की स्थापना की, जो मुख्यतः ऑडिट फ़ंक्शन और ऑडिट गुणवत्ता के गुणात्मक पहलुओं का ध्यान रखता है। इस निदेशालय का एक विशेष प्रयोजन है, जो ऑडिट गुणवत्ता में निरंतर सुधार और भारतीय फर्म की वैश्विक स्थिति को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है। यह अनुसंधान हेतु अनुकूल परिवेश प्रदान करना और ऑडिट गुणवत्ता को बढ़ाने व बनाए रखने के मानदंड तय करने हेतु अधिक शोध-उन्मुख परियोजनाएं शुरू करने पर ध्यान देता है। यह कानून प्रवर्तन में शामिल विभिन्न हितधारकों और नियामकों के बीच संबद्धता को बढ़ाकर ऑडिट गुणवत्ता पर अनुसंधान कार्यक्रमों का समर्थन करता है। लेखा परीक्षा गुणवत्ता निदेशालय केंद्र समकालीन क्षेत्रों पर अपेक्षित स्किल सेट को शामिल करने हेतु प्रतिभागियों के लिए विशेष अल्पकालिक अवधि के पाठ्यक्रमों के माध्यम से पेशेवर लेखाकारों और लेखा परीक्षकों के लिए समकालीन शिक्षा और प्रशिक्षण में निरंतर निवेश का लक्ष्य रखता है।

लेखा परीक्षा गुणवत्ता निदेशालय द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ

(I) सीएक्यू द्वारा विकसित उपयोगिताएँ

सीएक्यूडी गुणवत्तापूर्ण लेखापरीक्षा और आश्वासन के सुचारू संचालन को सुगम बनाने हेतु सदस्यों के लिए तकनीकी संसाधन विकसित और उपलब्ध कराता है। इस उद्देश्य के अनुरूप, सीएक्यूडी ने **लेखापरीक्षा गुणवत्ता, परिचालन दक्षता** व **नियामक अनुपालन को** बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न टूल्स और उपयोगिताओं को विकसित और अद्यतन करके **लेखापरीक्षा फर्मों को सहयोग देने के अपने प्रयास जारी रखे हैं।**

वर्ष के दौरान निम्नलिखित उपयोगिताओं का विकास/अद्यतन किया गया:

- **एक्यूएमएम v 2.0 के अंतर्गत स्व-मूल्यांकन के लिए उपयोगिता -** एक नई उपयोगिता का विमोचन - **यह उपयोगिता फर्मों को** एक्यूएमएम v **2.0 के अंतर्गत** तय **लेखापरीक्षा गुणवत्ता संकेतकों के आधार पर अपनी फर्म की परिपक्वता के स्तर का स्व-मूल्यांकन करने में सहायता करेगी। इससे फर्मों को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी जहाँ उनकी योग्यताएँ मज़बूत हैं या** कमजोर **हैं, और फिर उच्च स्तर की लेखापरीक्षा परिपक्वता** हासिल **करने के लिए एक रोडमैप** तैयार **करने में मदद मिलेगी।**
- बैंक शाखा लेखापरीक्षा के लिए उपयोगिता - 2025 संस्करण - मौजूदा उपयोगिता का अद्यतन - **बैंक शाखा लेखापरीक्षा के सुचारू संचालन में सदस्यों की सहायता के लिए, लेखा परीक्षा गुणवत्ता निदेशालय केंद्र (सीएक्यूडी) ने बैंकों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और एएएसबी द्वारा जारी दीर्घ प्रपत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर तकनीकी मार्गदर्शिका के आधार पर एक एक्सेल उपयोगिता विकसित की है। बैंक शाखा लेखापरीक्षा के लिए उपयोगिता - 2025 संस्करण को अद्यतन किया गया है, जिसमें बैंकों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट (2025 संस्करण) में परिवर्तनों को शामिल किया गया है।**

पिछले वर्षों में निदेशालय ने कई प्रमुख उपयोगिताओं को सफलतापूर्वक शुरू किया था, जिनमें शामिल हैं:

- **मैटेरियल्टी** निर्धारण के लिए उपयोगिता: **यह उपयोगिता जोखिम मापदंडों को वर्गीकृत करके और** वस्तुगत मिथ्या विवरण **के प्रभाव का मूल्यांकन करके लेखापरीक्षा भौतिकता सीमा का आकलन करने में लेखापरीक्षकों की सहायता करती है।**

- लेखापरीक्षा अनुपालन मानकों की समीक्षा और निगरानी **टूल: यह** टूल **व्यापक** चेक-लिस्ट **प्रदान करके लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन को सुगम बनाता है, जिससे समीक्षा, निगरानी और दस्तावेज़ीकरण आसान हो जाता है। डैशबोर्ड** पर दिया गया 'वर्क स्टेटस' फ़ीचर **के माध्यम से प्रगति पर नज़र रखी जाती है।**
- अनुबंध पत्रों पर उपयोगिता: **यह उपयोगिता आश्वासन ग्राहकों के लिए अनुबंध पत्रों के निर्माण को सुव्यवस्थित करती है, जिससे लेखा परीक्षकों को** बदलाव किए जा सकने **योग्य टेम्पलेट का उपयोग करके कुशलतापूर्वक कई पत्र बनाने में सक्षम बनाया जाता है, जिससे समय की बचत होती है और जटिलता कम होती है।**

उपयोगिताओं के डाउनलोड की स्थिति निम्नानुसार है :

क्र. सं.	उपयोगिता / टूल का नाम	डाउनलोड की संख्या
1.	मैटेरियल्टी निर्धारित करने के लिए उपयोगिता	9,699
2.	लेखापरीक्षा अनुपालन मानकों की समीक्षा और निगरानी टूल के लिए उपयोगिता	3,336
3.	नियुक्ति पत्रों पर उपयोगिता	13,692
4.	बैंक शाखा ऑडिट के लिए उपयोगिता - 2025 संस्करण	3,202
5.	एक्यूएमएम v 2.0 के अंतर्गत स्व-मूल्यांकन के लिए उपयोगिता	627

(II) सीएक्यू द्वारा जारी प्रकाशन

- ऑडिट गुणवत्ता परिपक्वता मॉडल संस्करण 2.0 (एक्यूएमएम v 2.0):
- एक्यूएमएम संस्करण 2.0 के लिए कार्यान्वयन मार्गदर्शिका
- **महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले**
- **फर्म मैनुअल मॉडल रेफरेंसर**
- **संशोधित राय का विश्लेषण**

(III) सीएक्यू द्वारा आयोजित कार्यक्रम/वेबिनार

- ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल संस्करण 2.0 (**एक्यूएमएम v** 2.0) पर बीकेसी, मुंबई में इंटरैक्टिव बैठक - **ऑडिट क्वालिटी सेंटर ने ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल** वर्जन **2.0 (**एक्यूएमएम v **2.0) पर प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए** 23 अगस्त 2024 को बीकेसी, मुंबई में एक इंटरैक्टिव बैठक का आयोजन किया, जिसके आधार पर ऑडिट क्वालिटी सेंटर ने एक्यूएमएम v 2.0 के लिए कार्यान्वयन मार्गदर्शिका विकसित की है। बैठक की अध्यक्षता सीएक्यू के संयोजक ने की।

- **सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान (SAI)** के अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम - **विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग** (आईटीईसी) **पहल के अंतर्गत एक कार्यक्रम के अंतर्गत**, 12 **सितंबर 2024 को** आई.सी.ए.आई. **भवन, नई दिल्ली में सीरिया के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान** (एसएआई) **के 13 अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया।** आईसीएआईएसए **(नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रशिक्षण संस्थान) के अनुरोध पर आयोजित इस सत्र में** आई.सी.ए.आई. **के गुणवत्ता नियंत्रण एवं आश्वासन प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया और इसका संचालन विभिन्न बोर्डों एवं निदेशालयों के वरिष्ठ** आई.सी.ए.आई. **अधिकारियों द्वारा किया गया। सीरियाई प्रतिनिधियों ने बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और** आई.सी.ए.आई. **के हार्दिक आतिथ्य** हेतु **आभार व्यक्त किया।**
- क्वालिटी कैफ़े **सेशन** - लेखापरीक्षा गुणवत्ता पर एक मासिक वर्चुअल श्रृंखला - सीएक्यू, लेखापरीक्षा विशेषज्ञों द्वारा 2 घंटे की इंटरैक्टिव पैनल चर्चा के साथ वर्चुअल मोड में क्वालिटी कैफ़े श्रृंखला का आयोजन करता है, जिसमें लेखापरीक्षा गुणवत्ता में योगदान देने वाले घटकों पर चर्चा की जाती है। इस श्रृंखला का उद्देश्य लेखापरीक्षा गुणवत्ता के महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ाना है। इस अवधि के दौरान, 2 क्वालिटी कैफ़े सेशन आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 1046 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- अन्य कार्यक्रम

लेखापरीक्षा गुणवत्ता निदेशालय ने लेखापरीक्षा गुणवत्ता पहलुओं पर 15 कार्यक्रम आयोजित किए।

(IV) अन्य पहल:

सीएक्यू का 'एक्स' (ट्विटर) हैंडल

सीएक्यू ने सदस्यों से जुड़ने और लेखापरीक्षा गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं के बारे में उनकी जागरूकता और समझ को बढ़ाने में सहायता हेतु एक समर्पित 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) हैंडल बनाया है। इस पहल के तहत, लेखापरीक्षा गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने के लिए नियमित रूप से 'क्या आप जानते हैं?' श्रृंखला—जिसमें जानकारीपूर्ण प्रश्नोत्तर शैली के पोस्ट शामिल हैं—साझा की जा रही है।

9.2 उत्कृष्टता केंद्र निदेशालय (सीओईडी)

आई.सी.ए.आई. द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्र निदेशालय, वैश्विक मानकों के अनुरूप अनुसंधान, विचार नेतृत्व और शिक्षण को आगे बढ़ाने का कार्य करना है। वर्तमान में, आई.सी.ए.आई. हैदराबाद, जयपुर और कोलकाता में स्थित तीन उत्कृष्टता केंद्र संचालित करता है। अगले तीन वर्षों में, आई.सी.ए.आई. देश भर में आठ अतिरिक्त उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करके इस नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बना रहा है, जो अनुसंधान, ज्ञान विकास व क्षमता सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होंगे। वर्ष 2024-25 के दौरान, उत्कृष्टता केंद्र निदेशालय की सात बैठकें आयोजित की गईं।

(I) प्रमुख उपलब्धियां/मील के पत्थर

- अनुसंधान कार्मिकों के साथ उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) हैदराबाद का नेतृत्व करने हेतु निदेशक सह डीन के रूप में एक ह्यूमन स्ट्रक्चर स्थापित की गई, जिसका उद्देश्य बेहतर सहयोग, अनुसंधान, शिक्षण, प्रशिक्षण, रणनीतिक योजना और संस्थान के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए आई.सी.ए.आई. की नेतृत्व स्थिति को मजबूत करना है।
- सॉफ्टवेयर, डेटाबेस और जर्नल्स सहित उन्नत अनुसंधान सुविधाएं - एसएएस सॉफ्टवेयर, स्टेटा सॉफ्टवेयर, डेटाबेस: प्रोवेस डीएक्स और प्रोवेस ऑन वेब, प्राइम डेटाबेस: इनसाइडर्स डेटाबेस, इंडियन बोर्ड्स डेटाबेस और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक डेटाबेस, वैश्विक मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक और व्यावसायिक अनुसंधान का समर्थन करने के लिए सीओई हैदराबाद में शुरू की गई हैं।

(II) सीओई हैदराबाद में अनुसंधान परियोजनाएं

- जम्मू और कश्मीर में एमएसएमई: क्षेत्रीय विकास के उत्प्रेरक
- महिला निदेशक अधिदेश के दस वर्ष: भारत में लैंगिक-समावेशी शासन को सुदृढ़ बनाने हेतु अंतर्दृष्टि
- जीडीपी, कर, रोजगार, प्रदर्शन के संदर्भ में एमएसएमई राष्ट्र सृजन में किस प्रकार योगदान दे रहे हैं?
- एक राष्ट्र एक चुनाव (ओएनओई): वित्तीय और नीतिगत निहितार्थ

(III) उन्नत फ्लैगशिप कार्यक्रम / आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

जनवरी 2025 में अपनी तरह का एक अनूठा पाँच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शीर्षक था "उन्नत प्रमुख कार्यक्रम: चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को विश्वसनीय सलाहकार के रूप में सशक्त बनाना - पारिवारिक उद्यमों की संभावनाओं को उजागर करना", जिसमें 27 सदस्यों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम सदस्यों को गहन विशेषज्ञता, रणनीतिक अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक कौशल से लैस करने हेतु तैयार किया गया था ताकि वे जटिल व्यावसायिक चुनौतियों का सामना कर सकें और बदलते व्यावसायिक परिवेश में विश्वसनीय सलाहकार के रूप में कार्य कर सकें।

(IV) विचारकों के साथ ज्ञान श्रृंखला लाइव वेबकास्ट

"जमशेदजी टाटा का कॉर्पोरेट सफलता का खाका" और प्रस्तावित 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पहल के आर्थिक एवं राजकोषीय निहितार्थ विषयों पर दो लाइव वेबकास्ट आयोजित किए गए। ये ज्ञान श्रृंखला वेबकास्ट आई.सी.ए.आई. सदस्यों को विविध क्षेत्रों के प्रख्यात विचारकों से जोड़ने के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रमुख पहल है।

(V) विभिन्न उत्कृष्टता केंद्रों पर आयोजित कार्यक्रम

उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद और जयपुर ने संयुक्त रूप से इस अवधि के दौरान 97 आवासीय कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसमें कुल 7,583 हितधारकों ने भाग लिया, जिनमें उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में 76 कार्यक्रमों में 5,772 प्रतिभागी तथा उत्कृष्टता केंद्र जयपुर में 21 कार्यक्रमों में 1,811 प्रतिभागी शामिल थे।

9.3 **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सेवा एवं विश्व व्यापार संगठन विकास निदेशालय (अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के अधीन)**

आई.सी.ए.आई. के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सेवाओं एवं विश्व व्यापार संगठन विकास निदेशालय का उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी के विज़न के अनुरूप द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देना और वैश्विक सेवा व्यापार तथा भारत के बढ़ते एफटीए के बीच लेखांकन और वित्त को महत्वपूर्ण निर्यात सेवाओं के रूप में रेखांकित करना है। इस ज़ोर ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को विविध अवसर प्रदान किए, जो आई.सी.ए.आई. की वैश्विक मौजूदगी और उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहुँच के प्रदर्शन से स्पष्ट है। ब्रांडिंग के अलावा, निदेशालय ने व्यापार नेविगेशन में सहायता की, विशेषज्ञता को बढ़ावा दिया, पेशेवरों को जोड़ा और नीति को प्रभावित किया। इसकी भूमिका एक मज़बूत वैश्विक नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करने तक है, जो विश्व व्यापार संगठन के दिशानिर्देशों के अंतर्गत लेखांकन को उन्नत करने के भारत के उद्देश्य हेतु महत्वपूर्ण है। सहयोग और विशेषज्ञता के माध्यम से, निदेशालय ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के हितों को आगे बढ़ाया और भारत की वैश्विक व्यापार आकांक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

(I) राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनने की दिशा में पहल

आई.सी.ए.आई. निदेशालय के तत्वावधान में, वैश्विक स्तर पर लेखांकन और वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक लंबा रास्ता तय करने हेतु, हमारा लक्ष्य वैश्विक स्तर पर लेखांकन और वित्तीय सेवाओं के प्रचार को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाना है। यह प्रयास न केवल हमारे सदस्यों के लिए इन क्षेत्रों में सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के नए अवसर खोलेगा, बल्कि हमें विभिन्न सरकारी प्रोत्साहनों का लाभ उठाने में भी सक्षम बनाएगा।

- आईटीईसी - 18 नवंबर से 29 नवंबर 2024 तक **आई.सी.ए.आई.** के उत्कृष्टता केंद्र में विदेश मंत्रालय**,** भारत सरकार के भारतीय तकनीकी **एवं** आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) के तहत भारतीय लेखा पेशे की कहानी साझा करने पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम**,** हैदराबाद - भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में निदेशालय के माध्यम से, भारतीय लेखा पेशे की कहानी साझा करने नामक अपने पहले भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस 12-दिवसीय पहल ने 11 देशों के 17 विदेशी प्रतिभागियों को एक साथ लाया, जिसमें आई.सी.ए.आई. की वैश्विक पहुंच और इसके 75 साल की विरासत में लेखा पेशे को आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं सेवाओं पर विदेशी दूतावासों के व्यापार अधिकारियों के साथ 8 नवंबर**,** 2024 को एक संवादात्मक बैठक आयोजित की गई **- 20 देशों के 26 व्यापार अधिकारियों और विभिन्न उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 6** आई.सी.ए.आई. **सदस्यों के साथ एक** संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में आवक और जावक निवेश को बढ़ावा देने, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों में आई.सी.ए.आई. की भागीदारी, सतत विकास हेतु क्षमता सृजन, विश्व लेखाकार मंच 2025 में भागीदारी, द्विपक्षीय व्यापार संवर्धन, और वेतन, कराधान व वर्चुअल सीएफओ भूमिकाओं जैसी सेवाओं में भारतीय पेशेवरों के लिए आउटसोर्सिंग के अवसरों की खोज पर चर्चा हुई।

(II) अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर **आई.सी.ए.आई.** का प्रदर्शन **- निदेशालय ने 14 से 15 मई 2025 तक लंदन में आयोजित अकाउंटेक्स में लेखांकन** एवं **वित्त के क्षेत्र में** आईसीएआई **की गतिविधियों और पहलों का प्रदर्शन किया।** आईसीएआई **ने हॉल संख्या 1255 में स्थित एक समर्पित 18 वर्ग मीटर के स्टॉल के माध्यम से इसमें भाग लिया। इस आयोजन ने वैश्विक पहुँच और सहभागिता** हेतु **एक उत्कृष्ट मंच प्रदान किया। इस स्टॉल का दौरा इंग्लैंड और वेल्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान** (आईसीएईडब्ल्यू) **के अध्यक्ष और प्रमाणित बहीखाता संस्थान** (आईसीबी) **के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने किया। उनकी उपस्थिति ने** आईसीएआई **की पहलों में गहरी अंतर्राष्ट्रीय रुचि को दर्शाया और वैश्विक व्यावसायिक संबंधों को और मजबूत किया।**

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधिमंडल

  - आईएफएससीए प्रतिनिधिमंडल के सिडनी और मेलबर्न दौरे के दौरान, डायरेक्ट्रेट के तत्कालीन संयोजक ने 5 अगस्त 2024 को ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति एवं निवेश आयोग (एएसआईसी) से मुलाकात की। उन्होंने 3,000 घंटे के व्यावहारिक प्रशिक्षण को माफ करने और भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए योजना के तहत पर्यवेक्षी

भूमिकाओं के लिए एमआरए के तहत भारतीय सीए को मान्यता देने पर चर्चा की। एएसआईसी ने इन मुद्दों पर अनुवर्ती अद्यतन जानकारी देने का आश्वासन दिया।

- 12 सितंबर 2024 को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सेवा एवं विश्व व्यापार संगठन निदेशालय के तत्कालीन संयोजक ने लक्ज़मबर्ग चैप्टर के अध्यक्ष के साथ विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) में डिजिटल व्यापार एवं उद्यम प्रमुख, ट्रेडटेक से मुलाकात की। चर्चा दावोस में होने वाले विश्व आर्थिक मंच 2025 में आई.सी.ए.आई. की संभावित भागीदारी पर केंद्रित थी।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सेवा एवं विश्व व्यापार संगठन निदेशालय के तत्कालीन संयोजक ने 10 से 13 सितंबर, 2024 तक जिनेवा में आयोजित विश्व व्यापार संगठन सार्वजनिक फोरम में भाग लिया।
- 14 सितंबर, 2024 को ज्यूरिख में सदस्यों के साथ बैठक कर अनुमोदित अध्याय के कानूनी ढांचे, परिचालन मार्गदर्शन और अन्य तौर-तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
- आई.सी.ए.आई. प्रतिनिधिमंडल की 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2024 तक की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा, वित्तीय सेवाओं, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और व्यावसायिक अवसरों की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। प्रमुख उद्योग जगत के दिग्गजों से युक्त इस प्रतिनिधिमंडल ने हितधारकों के साथ बातचीत करने और अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक एवं व्यावसायिक संबंधों को मज़बूत करने हेतु सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क का दौरा किया।

सरकार का समर्थन और सहायता

- **5 दिसंबर, 2024 को एग्रीटेक पर भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले उनके आगामी प्रतिनिधिमंडल के लिए ऑस्ट्रेलियाई व्यापार एवं निवेश आयोग (ऑस्ट्रेड) के निदेशक (व्यापार व निवेश), दक्षिण एशिया के साथ बैठक**
- **6 जनवरी, 2025 को वाणिज्य विभाग के सेवा प्रभाग के उप निदेशक के साथ बैठक : 20 महत्वपूर्ण देशों में भारतीय मिशनों के वाणिज्यिक विंग का रिट्रीट।**
- वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित आईटीईसी कार्यक्रम को मंजूरी देने के संबंध में 28 मई, 2025 को विदेश मंत्रालय के अपर सचिव और संयुक्त सचिव के साथ बैठक।

सरकार को अभ्यावेदन/तकनीकी इनपुट (कर क्षेत्र के अलावा)

- **व्यापार एवं निवेश पर भारत-फिलीपींस संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजीटीआई) की 14वीं बैठक - आईएमसी**
- व्यापार एवं निवेश पर भारत-फिलीपींस संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजीटीआई) की 14वीं बैठक पर इनपुट - आईएमसी
- भारत - न्यूजीलैंड एफटीए वार्ता - संदर्भित
- अद्यतन स्थिति - भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (आईजेसीईपीए) के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के साथ सहयोग हेतु अनुरोध
- व्यापार एवं निवेश पर भारत-सिंगापुर संयुक्त कार्य समूह - संदर्भित
- इंडोनेशियाई समकक्ष के साथ एचसीआईएम - एजेंडा के संबंध में इनपुट।
- भारत-अमेरिका टीपीएफ- के संबंध में अपडेट
- भारत एवं म्यांमार के बीच 21वां विदेश कार्यालय परामर्श – संदर्भित
- भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति- (i) बैठक के एजेंडे की तैयारी के लिए इनपुट और (ii) 13वीं जेटीसी बैठक के निर्णयों पर एटीएन के लिए अनुरोध- संदर्भित
- भारत ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए कार्यान्वयन - आई.सी.ए.आई. से लेखापरीक्षा, पहुँच अधिकार आदि के संबंध में प्रस्ताव

- भारत-मॉरीशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति (एचपीजेटीसी) की बैठक का दूसरा सत्र
- व्यापार एवं निवेश पर भारत-दक्षिण अफ्रीका संयुक्त कार्य समूह - के संबंध में टिप्पणियाँ
- भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) बैठक- 16-17 सितंबर 2024
- योग्यता मान्यता के संबंध में जीसीसी देशों में सदस्यों के सामने आने वाली चुनौतियों पर इनपुट
- भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (आईएम-सीईसीए)-एमआरए की स्थिति- संदर्भित
- ऑस्ट्रेलियाई, कोरियाई और जापानी समकक्षों के साथ पारस्परिक मान्यता समझौते (एमआरए) पर वार्ता - स्थिति अद्यतन
- भारत-यूके एफटीए के तहत लेखांकन और बहीखाता से संबंधित भारत का प्रस्ताव
- भारत-जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (आईजेसीईपीए) के लिए संपर्क बिंदु

(III) भारत को जीसीसी (डीआईटीएस एवं डब्ल्यूटीओ निदेशालय के अधीन) के रूप में लेखांकन हेतु बढ़ावा देने के लिए समूह द्वारा की गई पहल -

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) "फ्रॉम लेजर्स टू ग्लोबल लिडरशीप" विषय पर अपना पहला जीसीसी शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। उद्घाटन शिखर सम्मेलन 27-28 जून, 2025 को होटल द ग्रैंड, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, और उसके बाद अहमदाबाद (गिफ्ट सिटी), मुंबई और हैदराबाद में क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाएँगे।

(IV) आईएफएससीए निर्यात समिति: पहल और उपलब्धियां

मार्च, 2024 में आईएफएससीए की विशेषज्ञ समिति और पूर्व अध्यक्ष, आई.सी.ए.आई., सीए रंजीत के अग्रवाल की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए), गांधीनगर, गुजरात के अध्यक्ष को जीआईएफटी आईएफएससी को "वैश्विक वित्त और लेखा केंद्र" के रूप में विकसित करने की समिति की रिपोर्ट की प्रस्तुति।

(V) सदस्यों/छात्रों के लिए पहल

लेखा प्रक्रिया आउटसोर्सिंग पोर्टल- आईसीएआई ने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सेवा विकास एवं विश्व व्यापार संगठन निदेशालय के माध्यम से, 2 फरवरी, 2025 को विश्व लेखा मंच (डब्ल्यूओएफए) 2025 के दौरान लेखा प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (एपीओ) पोर्टल लॉन्च किया। https://apo.icai.org/ पर उपलब्ध, यह पोर्टल विदेशी फर्मों और भारतीय सीए फर्मों के बीच सहयोग को सुगम बनाता है, विशेष रूप से पेशेवर साझेदारी चाहने वाले यूएई व्यवसायों के लिए। यह लेखा आउटसोर्सिंग, आईएफआरएस, जीएसटी, श्रम एवं कंपनी कानून, अंतर्राष्ट्रीय एवं प्रत्यक्ष कराधान, विलय एवं अधिग्रहण, आंतरिक लेखा परीक्षा, निर्यात-आयात अनुपालन, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) और आउटसोर्स सीएफओ सेवाओं जैसे क्षेत्रों में भारतीय सीए फर्मों को बढ़ावा देता है।

(VI) सदस्यों के लिए विदेशी आउटसोर्सिंग सेवाओं (अमेरिकी बाजार) के लिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स और आवासीय रिफ्रेशर कोर्स का संचालन -

सदस्यों के लिए विदेशी आउटसोर्सिंग सेवाओं (अमेरिकी बाज़ार) हेतु सर्टिफिकेट कोर्स आयोजित करने की दिशा में, निदेशालय ने अब तक 8 बैच आयोजित किए हैं, जिनमें 1055 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। सर्टिफिकेट कोर्स के अलावा, निदेशालय ने 30 मई से 1 जून 2025 तक उत्कृष्टता केंद्र (सीओई), जयपुर में विदेशी आउटसोर्सिंग सेवाओं (अमेरिकी बाज़ार) पर तीन दिवसीय आवासीय कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला विशेष रूप से उन सदस्यों के लिए आयोजित की गई थी जिन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया था। कार्यशाला में कुल 35 सदस्यों ने भाग लिया।

(VII) सदस्यों के बीच विदेशी भाषा **का संवर्धन**

आईसीएआई ने अपने सदस्यों और छात्रों के लिए ऑनलाइन विदेशी भाषा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु भारत में विदेशी दूतावासों के आधिकारिक सांस्कृतिक भाषा केंद्र के साथ गठजोड़ किया है ताकि उन्हें विदेशी अवसरों के लिए अधिक स्वीकार्य बनाया जा सके। स्थापना के बाद से अब तक संचालित पाठ्यक्रमों की स्थिति इस प्रकार है:

- ऑनलाइन स्पेनिश भाषा पाठ्यक्रम के लिए 43 बैच आयोजित किए गए हैं, जिनमें ए1.1 लेवल के लिए कुल 764 उम्मीदवारों ने नामांकन कराया है और ए1.2 लेवल के 13 बैचों में 130 उम्मीदवारों ने नामांकन कराया है और ए2.1 के 2 बैच और ए2.2 लेवल के 1 बैच में क्रमशः 12 और 2 उम्मीदवारों ने नामांकन कराया है।
- ऑनलाइन फ्रेंच पाठ्यक्रम के लिए 17 बैच आयोजित किए गए हैं, जिनमें 415 अभ्यर्थियों ने नामांकन कराया है।

- ऑनलाइन जापानी पाठ्यक्रम जिसके लिए 22 बैच आयोजित किए गए हैं, जिसमें ए1 कात्सुडू लेवल के लिए 451 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, 7 बैच आयोजित किए गए हैं, जिसमें ए1 रिकाई लेवल के लिए 128 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, 2 बैच आयोजित किए गए हैं, जिसमें ए2-1.1 कात्सुडू और रिकाई लेवल के लिए 38 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, 1 बैच आयोजित किया गया है, जिसमें ए2-1.2 कात्सुडू और रिकाई लेवल के लिए 13 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, ए2-2.1 कात्सुडू और रिकाई लेवल का 1 बैच आयोजित किया गया है, जिसमें 10 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है और ए2-2.2 कात्सुडू और रिकाई लेवल का 1 बैच आयोजित किया गया है, जिसमें 10 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है।
- ऑनलाइन बिजनेस इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के लिए 19 बैच आयोजित किए गए हैं, जिनमें अब तक 652 उम्मीदवारों ने नामांकन कराया है।
- ऑनलाइन जर्मन भाषा पाठ्यक्रम के लिए 2 बैच आयोजित किए गए हैं, जिनमें अब तक 26 उम्मीदवारों ने नामांकन कराया है।

वैश्विक उड़ान वेबिनार श्रृंखला

अपने क्षमता सृजन कार्यक्रमों के भाग के रूप में, निदेशालय ने अप्रैल 2025 में वैश्विक उड़ान वेबिनार श्रृंखला शुरू की। अब तक सात वेबिनार आयोजित किए जा चुके हैं, जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हेतु वैश्विक अवसरों और रुझानों पर केंद्रित हैं। इनमें भारत में जीसीसी, भारत की व्यापार नीतियाँ, आईएफएससी गिफ्ट सिटी में अवसर, अमेरिकी लेखा आउटसोर्सिंग, यूके बाजार, वैश्विक बाजार तक पहुँच के लिए एफटीए का लाभ उठाना और फिनटेक के माध्यम से निर्यात क्षमता का दोहन शामिल हैं। इस श्रृंखला का उद्देश्य सीए पेशेवरों के बीच वैश्विक तत्परता और जागरूकता बढ़ाना है।

(VIII) ई-न्यूज़लेटर

उक्त अवधि के दौरान ग्लोबल गेटवे पर चार त्रैमासिक ई-न्यूज़लेटर लॉन्च किए गए।

9.4 **डिजिटल री-इंजीनियरिंग एवं ट्रांसफॉर्मेशन निदेशालय** (डीआरएंडटीडी)

आईसीएआई मुख्यालय परिसर को वाई-फाई से लैस करने का प्रस्ताव - आईसीएआई के डिजिटल री-इंजीनियरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन निदेशालय ने अपने मुख्यालय और एनेक्सी भवनों में केंद्रीकृत वाई-फाई सुविधा शुरू कर दी है, जिससे अधिकारियों और आगंतुकों के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो रही है। यह पहल जल्द ही विश्वास नगर और नोएडा सेक्टर 62 स्थित आईसीएआई के अन्य कार्यालयों में भी लागू की जाएगी, जहाँ उचित गति और स्थिरता बनाए रखने हेतु केवल कुछ उपयोगकर्ता पहुँच की सुविधा होगी।

डिजी लॉकर में आईएसए एटी और डीएमबीएफ परीक्षा प्रमाणपत्रों की होस्टिंग - अपने डिजिटल परिवर्तन के एक हिस्से के रूप में, आईसीएआई का डिजिटल री-इंजीनियरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन निदेशालय (डीआरटीडी) आईएसए-एटी (जनवरी 2025) और डीएमबीएफ (फरवरी 2025) परीक्षाओं के अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों की होस्टिंग को डिजीलॉकर प्लेटफॉर्म पर सक्षम कर रहा है। योग्य सदस्य अपने दस्तावेज़ों को ऑनलाइन सुरक्षित रूप से एक्सेस कर सकते हैं। यह पहल आईसीएआई की सेवाओं में सुगमता, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाती है।

सीपीई, डीएबी और बोर्ड ऑफ स्टडीज की वेबसाइटें सहित यूडीआईएन, सीडीएस और इवेंट मैनेजमेंट हेतु एकीकृत पोर्टल का विकास - आईसीएआई-टीसीएस डिजीगव परियोजना के तहत संचालन - डिजिटल री-इंजीनियरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन (डीआरटी) निदेशालय वर्तमान में टीसीएस के सहयोग से एक प्रमुख एकीकरण पहल का नेतृत्व कर रहा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न आईसीएआई समितियों द्वारा संचालित कई पोर्टलों का एकीकरण करना है। इसमें यूडीआईएन, सीडीएस और इवेंट मैनेजमेंट पोर्टल (सीपीई, डीएबी और बोर्ड ऑफ स्टडीज-ऑपरेशंस को कवर करते हुए) शामिल हैं, जिनका उद्देश्य छात्रों और सदस्यों दोनों के लिए सिंगल साइन-ऑन (एसएसओ) फंक्शनैलिटी के ज़रिए एक सहज और एकीकृत उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करना है।

विभिन्न पोर्टलों पर प्रमुख अपडेट:

- **केंद्रीकृत वितरण सेवाएँ (सीडीएस) -** आईसीएआई का नया एकीकृत केंद्रीकृत वितरण सेवाएँ (सीडीएस) पोर्टल, जिसके जुलाई 2025 तक लाइव होने की उम्मीद है, प्रकाशनों, पाठ्यक्रम सामग्री और स्मृति चिन्हों की एक मास्टर इन्वेंट्री बनाए रखेगा। यह सदस्यों और छात्रों के लिए एक सहज खरीदारी अनुभव प्रदान करेगा, जिसमें एपीआई के माध्यम से कूरियर और इन्वेंट्री ट्रांसफर की रीयल-टाइम ट्रैकिंग होगी। एक चैटबॉट सीडीएस से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देकर छात्रों की सहायता करेगा, जिससे उपयोगकर्ता सहायता और परिचालन दक्षता में वृद्धि होगी।

- **विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन) -** यूडीआईएन के साथ, एकीकृत पोर्टल व्यावहारिक रूप से आई.सी.ए.आई. सदस्यों को एक सहज और अनुकूल उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस प्रदान करेगा। सदस्यों को अलग से यूडीईआर आईडी व पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है और वे नए यूडीआईएन सिस्टम में लॉग इन करने के लिए अपने एसएसपी क्रेडेंशियल्स का उपयोग कर सकते हैं, जिससे डायनेमिक डैशबोर्ड जैसी सुविधाओं के मामले में बेहतर अनुभव प्राप्त होगा। डिजीगव प्लेटफॉर्म पर विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन) पोर्टल के जुलाई 2025 तक लाइव होने की उम्मीद है। आई.सी.ए.आई. की टीमें इस लक्ष्य को हासिल करने हेतु काम कर रही हैं।
- **इवेंट मैनेजमेंट पोर्टल**
  - **सतत व्यावसायिक शिक्षा (सीपीई) -** नया एकीकृत पोर्टल आईसीएआई की लगभग 650+ कार्यक्रम आयोजन इकाइयों (पीओयू) द्वारा सीपीई पोर्टल के लिए आवेदन करते समय बिना किसी परेशानी के पंजीकरण की सुविधा देगा और उन्हें किसी भी वेबिनार/सेमिनार आदि सहित ऑनलाइन व ऑफलाइन पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण करने में मदद करेगा। सीपीई पोर्टल के अगस्त 2025 तक लाइव होने की उम्मीद है।
  - **डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड (डीएएबी) -** प्रारंभ में, डीएएबी द्वारा पेश किए गए पाठ्यक्रमों को नए एकीकृत पोर्टल में शामिल किया गया है और इसकी सफलता के आधार पर, आई.सी.ए.आई. की विभिन्न समितियों/विभागों द्वारा प्रस्तुत सभी पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स (पीक्यूसी), सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को पोर्टल में स्थानांतरित किया जा सकता है। डीएएबी/पीक्यूसी पोर्टल के सितंबर 2025 तक लाइव होने की उम्मीद है।
  - **बोर्ड ऑफ स्टडीज का छात्र गतिविधि पोर्टल और बोर्ड ऑफ स्टडीज के आईसीआईटीएसएस (आईटी/ओसी) और एआईसीआईटीएसएस (एआईटी/एमसीएस) पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल -** बोर्ड ऑफ स्टडीज पाठ्यक्रम प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने और उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने हेतु एक एकीकृत, गतिशील छात्र गतिविधि पोर्टल विकसित कर रहा है। यह पोर्टल विभिन्न पीओयू को एसएसपी के माध्यम से एकीकृत लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ आई.सी.ए.आई. छात्रों के लिए पाठ्यक्रम/बैच शुरू करने की अनुमति देगा। बोर्ड ऑफ स्टडीज संचालन के तहत दोनों पोर्टल सितंबर 2025 तक लाइव होने की उम्मीद है।

(I) दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली

आई.सी.ए.आई. की डिजिटल री-इंजीनियरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन निदेशालय सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, केंद्रीय समितियों और विभागों के अभिलेखों को डिजिटल बनाने हेतु एक केंद्रीकृत दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली लागू कर रही है। 31 मई, 2025 तक, सात करोड़ से ज़्यादा फिजिकल पेपर स्कैन किए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ समितियों और विभागों के लगभग 1.5 करोड़ दस्तावेज़ डिजिटल किए जा चुके हैं। इस पहल का उद्देश्य पूरे संगठन में बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण, दस्तावेज़ों की पहुँच में सुधार, संचालन को सुव्यवस्थित और संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करना है।

(II) आईसीएआई डिजिटल लर्निंग हब

आईसीएआई डिजिटल लर्निंग हब एक तकनीक-संचालित प्लेटफ़ॉर्म है जो सदस्यों, छात्रों व हितधारकों के लिए ई-पुस्तकों, वेबिनार और पाठ्यक्रमों जैसे शैक्षिक संसाधनों को केंद्रीकृत करता है। यह उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री तक आसान और कभी भी पहुँच प्रदान करके निरंतर व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देता है। यह हब वर्चुअल और फिजिकल दोनों तरह के पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रदान करता है और केंद्रीय समितियों, शाखाओं और क्षेत्रीय परिषदों द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स, पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स, सीपीई कार्यक्रमों और वेब व्याख्यानों के लिए सक्रिय रूप से उपयोग किया जाता है। डिजिटल लर्निंग हब अपने हितधारकों को व्यापक रूप से निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करता है:

- व्यावसायिक एवं शैक्षणिक शिक्षा के लिए ज्ञान भंडार
- पाठ्यक्रम, व्याख्यान और अन्य शिक्षण सामग्री तक पहुंच प्रदान करके सामग्री वितरण।
- प्रत्येक शिक्षार्थी के अनुरूप विभिन्न प्रारूपों (दस्तावेज, पीपीटी, वीडियो, ऑडियो, एससीओआरएम) में शिक्षण सामग्री।
- लीडर बोर्ड सुविधा प्राप्त क्रेडिट को प्रदर्शित करती है।
- आई.सी.ए.आई. सदस्यों के लिए संरचित और असंरचित सीपीई घंटे क्रेडिट।
- अर्जित सीपीई घंटों के आधार पर सदस्यों को बैज दिए जाएंगे।

- विचारों को साझा करने के लिए कम्यूनिटी।
- सरकारी अधिकारियों, बैंक अधिकारियों, एमआरए/एमओयू/एसएएफए सदस्यों के लिए पाठ्यक्रम तक पहुंच।
- गैर-सदस्यों के लिए कौशल भारत पाठ्यक्रम।
- परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर शिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।

डिजिटल लर्निंग हब के नवीनतम आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

डीएलएच सांख्यिकी - 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 तक	
डीएलएच पर सक्रिय शिक्षार्थी	62502
डीएलएच के ज़रिए संचालित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों की संख्या	280
नामांकित शिक्षार्थी - प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	24562
आयोजित मूल्यांकनों की कुल संख्या	432
कुल ऑनलाइन प्रमाणपत्र सृजित (क्यूआर सक्षम)	26224
स्व-गति पाठ्यक्रमों के माध्यम से सीपीई क्रेडिट अर्जित करने वाले सदस्यों की संख्या (संरचित)	4349
स्व-गति पाठ्यक्रम (असंरचित) के माध्यम से सीपीई क्रेडिट अर्जित करने वाले सदस्यों की संख्या	5714

(III) सदस्यों, छात्रों और आंतरिक आई.सी.ए.आई. हितधारकों के लिए सेवा वितरण का सुविधाजनक ऑनलाइन तरीका

- **केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल का रखरखाव:** आई.सी.ए.आई. के केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल यानी https://icai.org/ का रखरखाव, जो सदस्यों, छात्रों और आंतरिक हितधारकों के लिए विभिन्न सेवाओं और संसाधनों के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा।
- **वर्चुअल बैठकें और सम्मेलन** : वर्चुअल बैठकों, सम्मेलनों और कार्यक्रमों के लिए प्लेटफार्मों को कार्यान्वित किया गया, जिससे विभिन्न आई.सी.ए.आई. समितियों/विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में निर्बाध संचार और सहभागिता सुनिश्चित हुई।
- **हेल्पडेस्क और सपोर्ट** : सदस्यों और छात्रों के लिए रियल टाइम सहायता और प्रश्नों के समाधान प्रदान करने के लिए ऑनलाइन हेल्पडेस्क और सपोर्ट सेवाएं स्थापित की गईं।
- **मोबाइल एप्लीकेशन** : आई.सी.ए.आई. सेवाओं, संसाधनों और अद्यतनों तक तत्काल पहुंच प्रदान करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किए गए, जिससे उपयोगकर्ता की सुविधा में वृद्धि हुई।
- **क्लाउड-आधारित समाधान** : आई.सी.ए.आई. की डिजिटल अवसंरचना और सेवाओं तक मापनीयता, डेटा सुरक्षा और दूरस्थ पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्लाउड-आधारित समाधान अपनाए गए।
- **रिमोट वर्क की सुविधा** : आई.सी.ए.आई. अधिकारियों और समितियों/विभागों के लिए रिमोट वर्क का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकियों और प्लेटफार्मों को लागू किया गया, जिससे निर्बाध प्रशासनिक और परिचालन गतिविधियां सुनिश्चित हुईं।
- **डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग** : सेवा उपयोग की निगरानी करने, फीडबैक एकत्र करने और सेवा वितरण और उपयोगकर्ता अनुभव को लगातार बेहतर बनाने हेतु रिपोर्ट तैयार करने के लिए डेटा एनॉलिटिक्स टूल्स का लाभ उठाया गया।
- **अनुपालन और सुरक्षा** : यह सुनिश्चित किया गया कि सभी ऑनलाइन सेवाएं विनियामक मानकों का अनुपालन करें और उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा और आई.सी.ए.आई. के डिजिटल प्लेटफार्मों की अखंडता को बनाए रखने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया।

(IV) आई.सी.ए.आई. के अन्य विभागों/समितियों को प्रदान की गई तकनीकी सहायता

- **जीईएम पोर्टल** : कार्यालय ने गवर्नमेंट ई-प्रोक्योरमेंट (जीईएम) पोर्टल पर आई.सी.ए.आई. के लिए जीईएम क्रेता खाते की प्रशासनिक व्यवस्था सफलतापूर्वक बनाई और उसका रखरखाव किया है।
- **सदस्यों और छात्रों से संबंधित सांख्यिकीय जानकारी:** डीआरटीडी सदस्यों और छात्रों से संबंधित सांख्यिकीय जानकारी के लिए डैशबोर्ड विकसित और अनुरक्षित किया गया है।
- **Tracker.icai.org -** भुगतान ट्रैकिंग पोर्टल डीआरटीडी द्वारा विकसित और अनुरक्षित किया जाता है।

(V) आईटी अवसंरचना समर्थन और पहल

- आईटीओ कार्यालय स्थित आई.सी.ए.आई. मुख्यालय में केंद्रीकृत वाई-फाई सेवाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। केंद्रीकृत वाई-फाई सेवाएँ आई.सी.ए.आई. के दिल्ली-एनसीआर स्थित अन्य कार्यालयों में भी लागू की जाएँगी।
- दिल्ली एनसीआर और अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में आई.सी.ए.आई. कार्यालयों के लिए 7 फायरवॉल खरीदे गए
- विशेष आवश्यकता के रूप में जनसंपर्क समिति के लिए वर्कस्टेशन और आईमैक की खरीद की गई।
- सीओई हैदराबाद/सीओईडी के लिए मैकबुक खरीदा गया और अन्य उच्च स्तरीय सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराये गए।
- परीक्षा विभाग के लिए दो डेटा सेंटर सर्वर खरीदे जाएंगे
- आईपैड और अन्य सहायक उपकरण की खरीद
- आई.सी.ए.आई. कार्यालयों का पूर्ण नेटवर्क पुनर्गठन
- उपयोगकर्ताओं के लिए नए डेस्कटॉप / लैपटॉप / प्रिंटर, डेटा कार्ड और अन्य सहायक उपकरण
- मौजूदा हार्डवेयर और बुनियादी ढांचे का उन्नयन
- विभिन्न आई.सी.ए.आई. समितियों/विभागों/क्षेत्रों आदि द्वारा आयोजित सभी प्रमुख सम्मेलनों, सेमिनारों, शिखर सम्मेलनों, कार्यशालाओं को आईटी सहायता प्रदान की गई।

9.5 संपदा विकास निदेशालय (ईडीडी) (बुनियादी ढांचा विकास समिति के अधीन)

पूंजी अनुदान के प्रसंस्करण एवं संवितरण पर नीति को परिषद द्वारा 30 जून 2022 से अनुमोदित किया गया। संपदा विकास निदेशालय आई.सी.ए.आई. (क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं/डीसीओ/सीओई) की इकाइयों को पूंजी अनुदान जारी करने से संबंधित मामलों को देखता है, जिसमें 200 लाख रुपये तक की लागत वाले प्रमुख मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य (स्वामित्व वाले और किराए के परिसर दोनों के), छोटे निर्माण/परिवर्धन, मौजूदा भवन में आंतरिक संशोधन आदि शामिल हैं।

संपदा विकास निदेशालय (ईडीडी) द्वारा की गई संक्षिप्त पहल

- **समर्पित ईडीडी सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूंजी बजट, परिसंपत्ति रिकॉर्डिंग और पुरस्कार प्रक्रिया के लिए निदेशालय प्रक्रियाओं का स्वचालन।**
- **ब्रांड** सृजन **- पूरे भारत में** आई.सी.ए.आई. **भवनों में एक समान ग्लो साइनेज की स्थापना** व **मानकीकृत पेंटिंग**
- **अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न शाखाओं में विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक डिजाइन की रीडिंग रूम सुविधाएं उपलब्ध कराना।**
- आई.सी.ए.आई. **की 14 इकाइयों में ऊर्जा की सतत आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना**

9.6 वित्तीय एवं कर साक्षरता निदेशालय (एफटीएलडी) (वित्तीय बाजार एवं निवेशक संरक्षण समिति के अधीन)

"हर जन, हर मन, वित्तीय ज्ञान से संपन्न" के आदर्श वाक्य के साथ, आईसीएआई का वित्तीय एवं कर साक्षरता निदेशालय विविध पृष्ठभूमि, संस्कृतियों एवं जनसांख्यिकी के व्यक्तियों को शिक्षित करने के अपने समावेशी विज़न के ज़रिए देश भर में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने में तत्पर रहा है। निम्नलिखित प्रमुख आँकड़े वर्ष के दौरान वित्तीय एवं कर साक्षरता निदेशालय द्वारा की गई गतिविधियों के स्तर और पहुँच को दर्शाते हैं:

कार्यक्रम का नाम	**आयोजित कार्यक्रमों की संख्या**	**पहुंच/भागीदारी**
वितियाज्ञान मेला 2024	150+	10,000+
नियमित एफटीएल कार्यक्रम	240+	25,000+
स्थानीय भाषा में रेडियो अभियान	3-चरणीय	3.95 करोड़
सरकारी संस्थानों में कार्यक्रम	चार	वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति एवं कर्मचारी
फिनफ्लुएंसर मीट	एक	42 प्रभावशाली व्यक्ति
माईगव प्रतियोगिताएं (प्रश्नोत्तरी, नारा लेखन/पोस्टर निर्माण)	चार	अखिल भारतीय सार्वजनिक जुड़ाव
आईगॉट प्लेटफॉर्म पर ई-लर्निंग मॉड्यूल	दो मॉड्यूल	सरकारी कर्मचारी
एक्स हैंडल/वेबसाइट के माध्यम से ज्ञान का प्रसार	सतत	राष्ट्रीय

वित्तीय ज्ञान मेला 2024

वित्तीय ज्ञान मेला 2024, आई.सी.ए.आई. के वित्तीय साक्षरता निदेशालय द्वारा शाखाओं और क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से आयोजित एक महत्वपूर्ण आयोजन रहा है। इस पहल के तहत, निदेशालय ने 150 से अधिक वित्तीय एवं कर साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें 10,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके अलावा, शाखाओं और क्षेत्रीय परिषदों के व्यापक नेटवर्क के ज़रिए निदेशालय ने पूरे वर्ष में 240 से अधिक नियमित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें 25,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें स्थानीय बोली व शैक्षिक सत्रों में आकर्षक गतिविधियों का आयोजन शामिल था। इसके अलावा, देश भर में स्थानीय भाषाओं में महत्वपूर्ण वित्तीय अवधारणाओं पर केंद्रित तीन महीने चले रेडियो अभियान के माध्यम से, निदेशालय 3.95 करोड़ से अधिक श्रोताओं तक पहुँचा।

वित्तीय एवं कर साक्षरता कार्यक्रम

निदेशालय ने विभिन्न सरकारी संस्थानों जैसे उत्तराखंड और मेघालय के गवर्नर हाउस, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी आदि में वित्तीय एवं कर साक्षरता कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं, जिन्हें माननीय राज्यपालों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से अपार सराहना मिली है। निदेशालय ने फिनफ्लुएंसर मीट आयोजित करके फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को एक मंच पर लाया है। इस आयोजन में, 42 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भाग लिया, और उन सभी के अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी अधिक फॉलोवर्स थे। यह आयोजन सहयोग, नवाचार की शक्ति एवं वित्तीय परिदृश्य पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के गहन प्रभाव का प्रमाण था। भारत सरकार के मिशन *"विकसित भारत"* में योगदान देने के लिए निदेशालय हमेशा विविध पहलों के माध्यम से तत्पर रहा है, जिनमें से एक पहल मॉइगव पर आकर्षक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना है, जिसमें प्रश्नोत्तरी से लेकर नारा व पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताएं शामिल हैं।

ई-लर्निंग वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम मॉड्यूल/एफटीएल कार्यक्रम

राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए, निदेशालय ने क्षमता सृजन आयोग के सहयोग से आईगॉट प्लेटफ़ॉर्म पर दो ई-लर्निंग वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम मॉड्यूल लॉन्च किए हैं। छात्रों, युवाओं या भावी पीढ़ियों को जोड़ने के लिए, निदेशालय ने स्कूलों में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं और कॉलेज के कार्यक्रमों में ज्ञान भागीदार रहा है। वेबसाइट और एक्स हैंडल द्वारा विभिन्न वित्तीय विषयों पर जानकारी प्रदान करके, वह भी वेबसाइट पर स्थानीय भाषाओं में, निदेशालय ने यह सुनिश्चित किया है कि ज्ञान एवं जानकारी हर व्यक्ति तक पहुँचे।

विविध और समावेशी हितधारक जुड़ाव के माध्यम से, वित्तीय साक्षरता निदेशालय अपने मिशन के प्रभाव को बढ़ा रहा है और नागरिकों को देश के आर्थिक विकास में सार्थक योगदान देने हेतु सशक्त बना रहा है।

9.7 शिकायत समाधान निदेशालय (जीआरडी)

शिकायत समाधान निदेशालय (जीआरडी) हमारे सदस्यों, छात्रों तथा अन्य हितधारकों की शिकायतों के कुशल समाधान का कार्य करता है, जिसका उद्देश्य संचार को केंद्रीकृत करना, समाधान में लगने वाले समय को कम करना और केंद्रीय निगरानी के माध्यम से प्रभावशीलता को बढ़ाना है। निदेशालय शिकायत समाधान हेतु कई माध्यमों का उपयोग करता है:

सहायता 9997599975 पर कॉल करें - इस अवधि के दौरान, हमने 8.60 लाख से ज़्यादा कॉल का जवाब दिया, जिनमें से ज़्यादातर छात्रों से आई हुईं कॉल थीं। हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा, 9 क्षेत्रीय भाषाओं में भी सहायता प्रदान की जाती है। हम चल रही महत्वपूर्ण गतिविधियों और सदस्यता शुल्क या परीक्षाओं की अंतिम तिथियों के दौरान सहायता प्रदान करते हैं। यह संख्या उन कॉल्स के अलावा है जो हमारे द्वारा अनअटेंडेड कॉल्स के तौरपर की जाती हैं, जिनमें सदस्यों के लिए केवाईएम सहायता और डब्ल्यूओएफए इवेंट 2025 के लिए जागरूकता जैसी विशिष्ट गतिविधियाँ शामिल हैं। सितंबर 2024 के दौरान 65 हज़ार से ज़्यादा लोगों को मार्गदर्शन दिया गया और दिसंबर 2024 में 9 हज़ार से ज़्यादा कॉल्स को सफलतापूर्वक कनेक्ट किया गया और उनका उत्तर दिया गया ताकि सदस्यों को बढ़ाई गई तारीख के भीतर शुल्क का भुगतान करने में मदद मिल सके।

ई-सहायता (ई-टिकट) (https://help.icai.org/) **-** यदि छात्र और सदस्य सहायता से संतुष्ट नहीं हैं या देरी हो रही है, तो वे स्वयं या सहायता एजेंटों को कॉल करके टिकट जनरेट करा सकते हैं। इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से 50,000 से अधिक टिकट जनरेट हुए और उनका समाधान किया गया। इस प्लेटफ़ॉर्म की केंद्रीय निगरानी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रश्न सही व्यक्ति तक पहुँचें और उचित समय के भीतर सही समाधान उपलब्ध कराया जाए।

मेल सहायता (member@icai.in; student@icai.in) **-** मेल की निगरानी तथा आकलन किया जाता है, ताकि कॉल सहायता टीम द्वारा कॉलबैक के माध्यम से समाधान प्रदान किया जा सके या टिकट जारी किया जा सके या आवश्यकता के आधार पर प्रश्न को सही व्यक्ति तक पुनः भेजा जा सके।

X @icaigrd - हमारे हितधारक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "एक्स" के माध्यम से भी हम तक आसानी से पहुंच सकते हैं।

पणधारियों जुड़ाव

छात्रों, सदस्यों और अन्य लोगों के साथ हमारी सहभागिता को और अधिक सुविधाजनक बनाने हेतु निम्नलिखित पहल की जा रही हैं:

- **एसएमएस इंटीग्रेशन:** पारदर्शिता और संचार को मज़बूत करने के लिए, हाल ही में कॉल सहायता के माध्यम से शिकायत टिकटों के लिए एसएमएस अलर्ट शुरू किए गए हैं। एसएमएस नोटिफिकेशन कॉल के बाद पुष्टिकरण और टिकटों को आसानी से ट्रैक करने में मदद करती हैं।
- **ई-सहायता (ई-टिकट) अपग्रेड:** टिकटिंग पोर्टल को अधिक यूजर अनुकूल बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
- **बेहतर शिकायत निवारण के लिए केंद्रित प्रशिक्षण:** पणधारियों, छात्रों और सदस्यों को बेहतर शिकायत सहायता प्रदान करने के लिए, जीआरडी ट्रेंडिंग प्रश्नों की सक्रिय निगरानी के आधार पर हमारी कॉल सहायता टीम के लिए विभागीय प्रशिक्षण आयोजित करता है। हितधारकों को सामान्य प्रश्नों के समाधान में सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण अपडेट और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) नियमित रूप आईसीएआई कॉल सहायता - भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान पर से प्रकाशित और अपडेट किए जाते हैं।

9.8 मानव संसाधन निदेशालय (एचआरडी)

आई.सी.ए.आई. के मानव संसाधन निदेशालय का गठन संस्थान के मानव संसाधन कार्यों को गतिशील बनाने और आई.सी.ए.आई. के सभी कार्यालयों में मानव संसाधन संबंधी मामलों में सक्रिय रूप से कार्य करने हेतु सशक्त बनाने हेतु किया गया है। इस संदर्भ में, निदेशालय से अपेक्षा की जाती है कि वह मानव संसाधन संबंधी सभी कार्यों की योजना बनाए और उन्हें क्रियान्वित करे, जो केवल जनशक्ति नियोजन व भर्ती, ट्रांसफर एवं रोटेशन नीति, कार्य-निष्पादन प्रबंधन, मानव संसाधन नीति एवं सेवा मानदंड विकास, विभागाध्यक्षों की पहचान, कर्मचारी संबंध एवं आचार संहिता, प्रशिक्षण एवं विकास, पारिश्रमिक एवं लाभ, मानव संसाधन सूचना प्रणाली एवं विश्लेषण, संगठनात्मक विकास एवं उत्तराधिकार नियोजन, अनुपालन एवं कानूनी मामले, परामर्शदाताओं की नियुक्ति, कर्मचारी नियुक्ति, पुरस्कार और मान्यता जैसे क्षेत्रों तक ही सीमित न हों, सिवाय उन मामलों के जिन पर समय-समय पर संशोधित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 175 में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

प्रशिक्षण एवं विकास

संस्थान के कर्मचारियों के लिए विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें एमएस ऑफिस दक्षता, एआई तकनीकों का अनुप्रयोग, क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं की संचालन संरचना, सीपीई दिशानिर्देश और विनियम, लेखा और लेखा परीक्षा पद्धतियाँ, और जीईएम पोर्टल का प्रभावी उपयोग शामिल हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य एवं तनाव प्रबंधन जागरूकता, सूचना का अधिकार, व्यक्तित्व विकास, साइबर सुरक्षा और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं। इन पहलों में नियमित कर्मचारियों के लिए कुल मिलाकर लगभग 1,500 मानव-दिवसों का प्रशिक्षण शामिल है। इसके अलावा, इस वर्ष आठ कर्मचारियों को उच्च योग्यता प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है।

9.9 कानूनी निदेशालय

(I) ***शाजी पॉलोज़ बनाम आई.सी.ए.आई.* मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के तहत कर ऑडिट की संख्या पर आईसीएआई के दिशानिर्देशों को बरकरार रखा।**

सुप्रीम कोर्ट ने 17.05.2024 के अपने फैसले में आईसीएआई द्वारा जारी 08.08.2008 के दिशानिर्देशों को बरकरार रखा, जिसमें किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किए जा सकने वाले टैक्स ऑडिट असाइनमेंट की संख्या की सीमा तय की गई थी। न्यायालय ने फैसला दिया है कि आईसीएआई के दिशानिर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 1(जी) के तहत गारंटीकृत पेशे का अभ्यास करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं और यह जन हित में हैं और इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) द्वारा सुरक्षित हैं। चूंकि 1989 की अधिसूचना को मद्रास उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था और विभिन्न उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी निर्णयों के मद्देनजर, आईसीएआई ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और एक स्थानांतरण याचिका दायर की जिसमें इस मुद्दे के अंतिम निर्धारण के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित रिट याचिकाओं को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई।

संस्थान को धारा 44कख के अंतर्गत कर लेखापरीक्षा की अधिकतम संख्या में संशोधन करने की स्वतंत्रता दी गई है। याचिकाकर्ताओं को इस संबंध में संस्थान के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की भी स्वतंत्रता दी गई है और संस्थान इस पर विचार कर सकता है। उपरोक्त निर्देशों के अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में, सीए पाठ्यक्रम की गतिशीलता सुनिश्चित करने और आर्थिक विकास में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की भूमिका एवं उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आईसीएआई की भरपूर प्रशंसा की है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे निम्नलिखित टिप्पणी की है: -

"आईसीएआई को समय के साथ उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख लेखा निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त है... आईसीएआई ने सीए पाठ्यक्रम की गतिशीलता और परीक्षा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम सिफारिश करते हैं कि आईसीएआई को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ लेखांकन और नैतिक मानकों के अभिसरण हेतु प्रतिबद्ध होना चाहिए।"

सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा प्रमाणित जानकारी की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर ही हितधारक व्यावसायिक निर्णय लेने और संसाधनों के आवंटन हेतु भरोसा करते हैं। वित्तीय बाजारों, बाजार सहभागियों, निवेशकों और अन्य पणधारियों की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए पारदर्शी लेखांकन आवश्यक है। इसलिए, यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि लेखा पेशे को गुणवत्तापूर्ण जानकारी या वित्तीय विवरणों के सत्यापन की बढ़ती माँगों को पूरा करने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पेशे द्वारा जितनी अधिक गुणवत्ता और अखंडता बनाए रखी जाएगी, हमारे वित्तीय बाजार उतने ही मज़बूत और लचीले होंगे। लेखा पेशा बाजार अनुशासन को बढ़ावा देता है और विभिन्न हितधारकों के बीच विश्वास पैदा करता है तथा वित्तीय बाजारों में अनियमितताओं की संभावना को कम करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को स्वयं संबंधित कानूनों और नियमों का पालन करना होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उन ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करने से मना कर देना चाहिए जो अनुचित तरीकों का सहारा लेने पर अड़े रहते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स न केवल कॉर्पोरेट प्रशासन को सुरक्षित रखने के लिए, बल्कि व्यापक संदर्भ में व्यवस्था हेतु भी प्रासंगिक हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर प्रशासन, ग्राहक एवं समग्र अर्थव्यवस्था के प्रति कई तरह की ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं। इस संदर्भ में, हम उनके विचारों की स्वतंत्रता और ईमानदारी को बनाए रखने के महत्व पर ज़ोर देते हैं ताकि उनकी ग्राहक सलाहकार भूमिका को देश के कर प्रशासन के कामकाज में सुधार लाने के इच्छुक आम नागरिक के रूप में उनकी भूमिका से अलग रखा जा सके। ईमानदारी, निष्पक्षता, पेशेवर क्षमता एवं उचित सतर्कता व गोपनीयता ही कार्य नीति का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांत होने चाहिए।

(II) आई.सी.ए.आई. द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देने वाले एमएएफ मामलों में दायर रिट याचिकाएं

एमएएफ के भागीदारों द्वारा कई रिट याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें आई.सी.ए.आई. द्वारा की जा रही अनुशासनात्मक कार्यवाही से मुक्त होने की मांग की गई, क्योंकि वे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (व्यावसायिक एवं अन्य कदाचार की जांच की प्रक्रिया और मामलों का संचालन) नियम, 2007 के नियम 8 के अनुसार कदाचार के लिए कार्यवाही में 'संबंधित सदस्य' नामित नहीं हैं।

माननीय न्यायालय ने अपने दिनांक 22 मार्च 2024 के निर्णय (3 जुलाई, 2024 को सुनाया गया) के पैरा 99 में निम्नानुसार कहा: -

"चूँकि, ऐसे मामले में, जहाँ किसी घटना या सदस्य के किसी कार्य के संबंध में कोई शिकायत या आरोप हो, फर्म उस विशेष व्यक्ति को नामित कर सकती है, जो उक्त कृत्य से जुड़ा था, जिसे कदाचार कहा जाता है। हालाँकि, स्थिति ऐसी नहीं होगी, जहाँ आरोप फर्मों द्वारा अन्य अंतरराष्ट्रीय समकक्षों के साथ दशकों से चली आ रही व्यवस्थाओं और कई समझौतों के संबंध में हों। ऐसी स्थितियों में किसी एक व्यक्ति को 'उत्तरदायी सदस्य' के रूप में शिकायत का उत्तर देने के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में, यदि फर्म दोषी पाई जाती है, तो समग्र रूप से फर्म को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, अन्यथा यह अधिनियम निष्प्रभावी हो जाएगा।"

न्यायालय ने आगे कहा कि रिट याचिकाएँ विचारणीय नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं के लिए यह विकल्प खुला है कि वे अनुशासनात्मक कार्यवाही में भाग लें, यदि वे ऐसा चाहें और आई.सी.ए.आई. की अनुशासन समिति द्वारा जारी नोटिस पर मेरिट के आधार पर अपना उत्तर दाखिल करें।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 11.08.2024 के आदेश के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

(III) डब्ल्यूपी (सी) संख्या 12096/2019, फेडरेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (एफसीएए) बनाम भारत संघ एवं अन्य, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत

फेडरेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (याचिकाकर्ता) ने एमसीए, एनएफआरए तथा आईसीएआई के माध्यम से भारत संघ के खिलाफ उक्त रिट याचिका दायर की, जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132(2) और 132(4) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जो अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा पेशेवर या अन्य कदाचार के मामलों की जांच करने और उस पर जुर्माना लगाने का अधिकार देती है।

इसके पश्चात्, एनएफआरए के दंड आदेशों से व्यथित व्यक्तिगत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा कई रिट याचिकाएँ दायर की गईं। इन याचिकाओं में धारा 132 की संवैधानिक वैधता के साथ-साथ एनएफआरए द्वारा दंड लगाने की प्रक्रिया को भी चुनौती दी गई थी। सभी रिट याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा एक साथ रखा गया और उन पर सुनवाई की गई क्योंकि वे कानून के एक ही विषय से संबंधित थीं। 7 फरवरी, 2025 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132(2) और (4) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए निर्णय सुनाया गया। हालाँकि, राष्ट्रीय वित्तीय नियामक प्राधिकरण (एनएफआरए) के जाँच एवं अर्ध-न्यायिक कार्यों को अलग न करने के आधार पर व्यक्तिगत चार्टर्ड अकाउंटेंट पर लगाई गई सज़ा को रद्द कर दिया गया।

एनएफआरए ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के उपरोक्त निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जहाँ तक यह निर्णय व्यक्तिगत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जारी कारण बताओ नोटिस और दी गई सज़ा को रद्द करने से संबंधित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि एनएफआरए के समक्ष लंबित मामलों को उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही निपटाया जाना चाहिए।

(IV) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 29 अप्रैल 2025 को हिमांशु सिंह बनाम यूओआई (सुपरटेक केस के रूप में लोकप्रिय) के मामले में भारत सरकार, आवास **एवं** शहरी मामलों के मंत्रालय, रेरा, आरबीआई, सीबीआई और **आईसीएआई** को विभिन्न निर्देश जारी किए थे।

पृष्ठभूमि:

सर्वोच्च न्यायालय में 1200 से अधिक घर खरीदारों द्वारा 170 से अधिक याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें आरोप लगाया गया कि वैधानिक और सरकारी प्राधिकारियों ने अपने वैधानिक कार्यों को करने में विफलता दिखाई, बैंकों और आवास वित्तीय निगमों द्वारा नियामक ढांचे की अवहेलना की गई और इसके परिणामस्वरूप बिल्डरों/डेवलपर्स को अवैध लाभ हुआ तथा घर की लागत हमें चुकानी पड़ी, जो अब ऐसी विफलताओं का खामियाजा भुगत रहे हैं।

आईसीएआई के लिए दिशा-निर्देश:

जहां तक आईसीएआई **का संबंध है, निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए:**

"**19.** भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान **के अध्यक्ष को निर्देश दिया जाता है कि वे तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नियुक्त करें, जो फोरेंसिक ऑडिट की प्रक्रिया से अच्छी तरह वाकिफ हों और उन्हें संबंधित जांच के मामले में ब्यूरो/एसआईटी की सहायता** हेतु **सीबीआई के अधीन रखें। इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दिए गए पारिश्रमिक का विवरण इस न्यायालय को भेजा जाए ताकि उस संबंध में उचित आदेश दिया जा सके।** इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दिए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा इस न्यायालय को भेजा जाए ताकि अगली सुनवाई पर इस संबंध में उचित आदेश पारित किया जा सके।"

9.10 सदस्य एवं छात्र सेवा निदेशालय (एम एंड एसएस)

सदस्यता

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, आई.सी.ए.आई. द्वारा 19,488 नए सदस्यों को नामांकित किया गया, जिससे 1 अप्रैल, 2025 तक कुल सदस्यता 4,23,105 हो गई। 31 मार्च , 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, 3,677 एसोसिएट सदस्यों को फेलो के रूप में भर्ती किया गया, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 3,595 था।

01.04.2025 तक कुल सदस्य

सदस्यों की श्रेणी	**अध्येता (1)**	**सहबद्ध (2)**	**(1) और (2) का योग**
पूर्णकालिक प्रैक्टिस में	98241	56311	154552
अंशकालिक प्रैक्टिस में	1955	5058	7013
प्रैक्टिस में नहीं	19198	242341	261539
कुल	119394	**303710**	**423104**

दीक्षांत समारोह

नवंबर 2008 से, संस्थान नए नामांकित सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहा है। वर्ष 2024-25 में, एम एंड एसएस निदेशालय ने दीक्षांत समारोह के दो दौर आयोजित किए: पहला 7 जुलाई, 2024 को और दूसरा 6 फरवरी, 2025 को। ये कार्यक्रम भारत भर में 13 स्थानों पर आयोजित किए गए, जिनमें अहमदाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, गाजियाबाद, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लुधियाना, मुंबई, दिल्ली और पुणे शामिल हैं, जहाँ कुल 29,000 नए नामांकित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने अपने प्रमाण पत्र प्राप्त किए। दूसरे दौर के दौरान, कोलकाता में उद्घाटन सत्र में पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल ने भाग लिया। एक ऐतिहासिक क्षण में, राज्यपाल ने पेशे, नैतिक मानकों और राष्ट्र सृजन में इसके असाधारण योगदान हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान को "गवर्नर का उत्कृष्टता पुरस्कार" प्रदान किया।

01/04/2025 तक सदस्यों की सांख्यिकी

अध्येता :	**पूर्णकालिक प्रैक्टिस में**	**98241**
	अंशकालिक प्रैक्टिस में	**1955**
	प्रैक्टिस **में नहीं**	**19198**
		119394
सहबद्ध :	**पूर्णकालिक प्रैक्टिस में**	**56311**
	अंशकालिक प्रैक्टिस में	**5058**
	प्रैक्टिस **में नहीं**	**242341**
		303710
	कुल सदस्यता:	**423104**

	अध्येता प्रैक्टिस में				सहबद्ध प्रैक्टिस में				
क्षेत्र	फुलटाइम	पार्ट टाईम	प्रैक्टिस में नहीं	कुल	फुलटाइम	पार्ट टाईम	प्रैक्टिस में नहीं	कुल	कुल योग
पश्चिमी	28723	487	5438	34648	18555	1748	81467	101770	136418
दक्षिणी	20965	528	4520	26013	11021	1271	55508	67800	93813
पूर्वी	8461	137	1594	10192	3560	321	16053	19934	30126
मध्य	20929	357	3015	24301	12796	695	44916	58407	82708
उत्तरी	19163	446	4631	24240	10379	1023	44397	55799	80039
कुल	98241	1955	19198	119394	56311	5058	242341	303711	423104

9.11 प्रकाशन एवं सीडीएस निदेशालय

प्रकाशन एवं सीडीएस निदेशालय, आईसीएआई **के विभिन्न मूल्यवर्ग के प्रकाशनों की छपाई और उन्हें अपने छात्रों, सदस्यों और अन्य हितधारकों तक पहुँचाने का कार्य करता है।** आईसीएआई **ने सीडीएस पोर्टल नामक एक ऑनलाइन स्टोर पोर्टल** तैयार **किया है। यह विभिन्न हितधारकों को सभी प्रासंगिक प्रकाशनों और** आर्टफैक्ट **को ऑनलाइन खरीदने का विकल्प प्रदान करता है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपना खाता बनाकर ऑनलाइन स्टोर पर ऑर्डर दे सकता है। निदेशालय अपने सीडीएस पोर्टल की सहायता से अपने छात्रों और सदस्यों की माँगों को घर बैठे सेवा प्रदान करके पूरा कर रहा है।**

संस्थान का प्रकाशन निदेशालय मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में कार्य करता है:

- **छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री** एवं **सदस्य-संबंधित प्रकाशनों का मुद्रण।**
- **केन्द्रीकृत वितरण प्रणाली (सीडीएस) के माध्यम से प्रकाशनों की बिक्री** व **वितरण।**
- **स्टॉक खाता, बिक्री खाता और स्टॉक का समाधान बनाए रखना।**

(I) नए प्रकाशन लाए गए

1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के दौरान, प्रकाशन निदेशालय ने अध्ययन बोर्ड (अकादमिक) और अन्य समितियों की ओर से विभिन्न नए प्रकाशन मुद्रित किए, जिन्हें सीडीएस पोर्टल पर भी होस्ट किया गया है।

(II) केंद्रीकृत वितरण प्रणाली

जुलाई 2017 से, आईसीएआई **के सभी प्रकाशन जिनमें अध्ययन सामग्री, पुनरीक्षण परीक्षा पत्र और सदस्य-संबंधित प्रकाशन और विभिन्न प्रकार के स्मृति चिन्ह जैसे टाई, टाई पिन, कफ लिंक और लैपल पिन शामिल हैं, सीडीएस पोर्टल पर प्राप्त आदेशों के आधार पर छात्रों, सदस्यों और अन्य हितधारकों को केंद्रीय वितरण प्रणाली पोर्टल (www.icai.cds.org) के माध्यम से केंद्रीय रूप से भेजे जाते हैं।**

(III) छात्र-संबंधित प्रकाशन

अवधि	पंजीकरण के **संबंध में** भेजी गई पुस्तकें	बेची गई पुस्तकें
01-04-2024 से 31-03-2025	**पुस्तकों का प्रकार - 70 सं.** पंजीकरण के संबंध में **भेजी गई कुल पुस्तकें - 11,13,770 सं.**	**पुस्तकों का प्रकार - 108 सं. बिक्री के लिए भेजी गई कुल पुस्तकें - 36,758 सं.**

(IV) सदस्यों से संबंधित प्रकाशन और स्मृति चिन्ह

अवधि	सदस्य प्रकाशन	स्मृति चिन्ह
01-04-2024 से 31-03-2025	**पुस्तकों का प्रकार - 277 सं. बिक्री के लिए भेजी गई कुल पुस्तकें - 4,687 सं.**	**स्मृति चिन्हों के प्रकार – 20 सं. बिक्री के लिए भेजे गए कुल स्मृति चिन्ह – 405 सं.**

भावी प्रयास

निदेशालय के भावी प्रयासों में सीडीएस पोर्टल का पुनरुद्धार एवं उन्नयन तथा ऑर्डरों की डिलीवरी के लिए लगने वाले समय को कम करना शामिल है।

9.12 आरबीए निदेशालय

(I) क्षेत्रीय परिषदें और उनकी शाखाएँ

संस्थान की पाँच क्षेत्रीय परिषदें हैं: पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद, मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद और उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद। इनके मुख्यालय क्रमशः मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में हैं। क्षेत्रीय परिषदों की कुल शाखाओं की संख्या 177 है।

(II) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स स्टूडेंट्स एसोसिएशन की शाखाएँ

चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों में सहभागिता की भावना बढ़ाने तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं बौद्धिक विकास आदि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, संस्थान की परिषद् सदैव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र संघ की शाखाएँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती रही है। इस प्रक्रिया में, अब तक छात्र संघ की 144 शाखाएँ स्थापित की जा चुकी हैं।

(III) सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद की सर्वश्रेष्ठ शाखा, सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ और छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा के लिए पुरस्कार

ये पुरस्कार संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार समग्र प्रदर्शन और स्थापित मानदंडों के आधार पर दिए जाते हैं। वर्ष 2024 के लिए, ये पुरस्कार 2 फरवरी 2025 को आयोजित वार्षिक समारोह में निम्नलिखित विजेताओं को प्रदान किए गए :-

श्रेणी	**पुरस्कार**	**विजेता का नाम**
सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय परिषद	प्रथम पुरस्कार	एसआईआरसी और डब्ल्यूआईआरसी (संयुक्त रूप से)
	द्वितीय पुरस्कार	ईआईआरसी और एनआईआरसी (संयुक्त रूप से)
सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ	प्रथम पुरस्कार	डब्ल्यूआईसीएएसए
	द्वितीय पुरस्कार	एनआईसीएएसए
क्षेत्रीय परिषदों की सर्वश्रेष्ठ शाखा (मेगा श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	इंदौर
	द्वितीय पुरस्कार	अहमदाबाद
क्षेत्रीय परिषदों की सर्वश्रेष्ठ शाखा (बड़ी श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	एर्नाकुलम
	द्वितीय पुरस्कार	लुधियाना
क्षेत्रीय परिषदों की सर्वश्रेष्ठ शाखा (मध्यम श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	भोपाल और अमृतसर (संयुक्त रूप से)
	द्वितीय पुरस्कार	छत्रपति संभाजीनगर
क्षेत्रीय परिषदों की सर्वश्रेष्ठ शाखा (लघु श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	तिरुपुर
	द्वितीय पुरस्कार	सलेम
क्षेत्रीय परिषदों की सर्वश्रेष्ठ शाखा (सूक्ष्म श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	रतलाम
	द्वितीय पुरस्कार	शिवकाशी और राउरकेला (संयुक्त रूप से)
छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा (मेगा श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	बेंगलुरु
	द्वितीय पुरस्कार	अहमदाबाद
छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा (बड़ी श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	वडोदरा
	द्वितीय पुरस्कार	ठाणे और इंदौर (संयुक्त रूप से)
छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा (मध्यम श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	रायपुर और भोपाल (संयुक्त रूप से)
	द्वितीय पुरस्कार	सलेम
छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा (लघु श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	अहमदनगर
	द्वितीय पुरस्कार	जलगांव और पिंपरी चिंचवड़ (संयुक्त रूप से)
छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा (सूक्ष्म श्रेणी)	प्रथम पुरस्कार	रतलाम
	द्वितीय पुरस्कार	संबलपुर

(IV) अखिल भारतीय प्रबंध समिति सदस्य बैठक (एआईएमसीएमएम)- 2025

अखिल भारतीय प्रबंध समिति सदस्यों की बैठक (एआईएमसीएमएम 2025) 21-23 मार्च, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें 5 क्षेत्रीय परिषदों, 177 शाखाओं और 153 अध्ययन मंडलियों और अध्यायों के 1400 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य आई.सी.ए.आई. की विकेन्द्रीकृत इकाइयों के प्रयासों को परिषद के 2025-26 के विजन के साथ संरेखित करना था, जिसका विषय "विश्वासनीय" था - जो विकसित भारत के लक्ष्य में विश्वास, अखंडता और प्रगतिशील नेतृत्व को दर्शाता है। कार्यक्रम में ज्ञान के आदान-प्रदान, ओरिएंटेशन और रणनीतिक योजना को सुगम बनाया गया, जिसमें केंद्रीय परिषद के सदस्यों ने विभिन्न समितियों/निदेशालयों की भूमिकाओं और योजनाओं को रेखांकित किया। अधिकारियों के साथ इंटरैक्टिव सत्रों ने परिचालन संबंधी प्रश्नों को स्पष्ट करने और हितधारक सेवाओं को बढ़ाने में मदद की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सांसद और संयुक्त संसदीय समिति - एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्यक्ष और ज़ी बिज़नेस के प्रबंध संपादक ने भारत के आर्थिक और पूंजी बाजार पर अंतर्दृष्टि साझा की।

9.13 विशिष्ट निधि प्रबंधन निदेशालय (एसएफएमडी)

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बेनेवोलेंट फंड

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बेनेवोलेंट फंड (सीएबीएफ) की स्थापना दिसंबर, 1962 में हमारे संस्थान के ज़रूरतमंद सदस्यों, उनके जीवनसाथी, बच्चों और आश्रित माता-पिता को वित्तीय सहायता, भरण-पोषण और अन्य ऐसे ही उद्देश्य से की गई थी। कोविड-19 महामारी के दौरान, संस्थान ने संकटग्रस्त पात्र सदस्यों या उनके आश्रितों की भी मदद की है और कोरोना के इलाज के लिए वित्तीय सहायता जारी की है, साथ ही मृतक सदस्यों के आश्रितों को एकमुश्त अनुग्रह राशि/मासिक वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। फंड का वित्तीय एवं अन्य विवरण इस प्रकार है:

सदस्यता का विवरण

1.	31 मार्च, 2024 तक कुल आजीवन सदस्य	1,40,473
2.	31 मार्च, 2025 तक कुल आजीवन सदस्य	1,40,805
3.	नए आजीवन सदस्यों की कुल संख्या (2024-25 के दौरान)	332

वित्तीय विवरण का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान (रु.)	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान (रु.)
1. प्रदान की गई कुल सहायता	2,54,10,000	1,50,90,000
2. वर्ष के दौरान निधि का अधिशेष/घाटा	52,95,723	69,00,000
3. निधि का अति शेष	1,21,95,239	69,00,000
4. कोष शेष	22,00,59,285	19,64,62,000

एस. वैद्यनाथ अय्यर मेमोरियल फंड

31 मार्च 2025 तक इस कोष के आजीवन सदस्यों की संख्या 11,029 है। 31 मार्च 2025 तक इस कोष में शेष राशि 81,25,150 रुपये थी, जबकि 31 मार्च 2024 तक यह 80,35,000 रुपये थी।

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स स्टूडेंट बेनेवोलेंट फंड (सीएएसबीएफ)

इस कोष की स्थापना अगस्त, 2008 में आई.सी.ए.आई. में पंजीकृत छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। 31 मार्च, 2025 तक सामान्य कोष में जमा राशि 17,13,64,481 रुपये थी, जबकि 31 मार्च, 2024 तक यह राशि 19,04,71,000 रुपये थी।

9.14 टेंडर मॉनिटरिंग निदेशालय (टीएमडी)

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की व्यावसायिक सेवाओं हेतु निविदा प्रक्रिया की निगरानी, विश्लेषण और उसे सुव्यवस्थित करने के लिए, परिषद द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान "निविदा निगरानी निदेशालय" नामक एक निदेशालय का गठन किया गया है। निदेशालय निविदा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और सभी अनुमत निविदाओं में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा उद्धृत बोलियों की निगरानी और उनका विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा है। निदेशालय विचलनों को उचित स्तर पर संदर्भित करता है।

निदेशालय की प्रमुख गतिविधियाँ

निदेशालय के पास व्यावसायिक सेवाओं पर निविदाओं के लिए अपना स्वयं का पोर्टल है - www.tmdicai.org जो निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करता है:

- निविदा अवसर
- सदस्यों के लिए नवीनतम जानकारी
- निविदाओं पर परिषद के दिशानिर्देश
- न्यूनतम अनुशंसित शुल्क पैमाने का विवरण
- सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली लागत पत्रक का प्रारूप
- आचार संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों से उद्धरण
- निदेशालय द्वारा निविदाकर्ताओं को दिए गए अभ्यावेदन
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर
- पहचान उजागर करने के साथ या बिना, शिकायत पोस्ट करने की व्यवस्था।
- लेखापरीक्षा और अन्य कार्यों के लिए शुल्क की गणना में आसानी के लिए शुल्क कैलकुलेटर।

उन निविदाकारों को अभ्यावेदन दिए जा रहे हैं जहाँ लेखा परीक्षा और सत्यापन सेवाओं के संबंध में न्यूनतम शुल्क निर्धारित नहीं है, या जहाँ पात्रता की शर्तें अनुचित रूप से प्रतिबंधात्मक प्रतीत होती हैं या जहाँ प्रदत्त सेवाएँ "स्वतंत्रता" के विवाद पैदा करती हैं। कार्यात्मक वर्ष 2024-25 के दौरान, निविदा देने वाले संगठनों को ऐसे 174 अभ्यावेदन भेजे गए थे। कार्यात्मक वर्ष 2025-26 के दौरान 30 मई 2025 तक, अब तक 51 अभ्यावेदन भेजे जा चुके हैं। टीएमडी पूरे भारत से पेशेवर सेवाओं के लिए निविदाएं भी एकत्र करता है और उन्हें अपने टीएमडी पोर्टल पर होस्ट करता है। कार्यात्मक वर्ष 2024-25 के दौरान, 1,313 निविदाओं का अध्ययन किया गया, जिनमें से 1,156 निविदाएं टीएमडी पोर्टल पर होस्ट की गईं क्योंकि ये सभी मामलों में उपयुक्त पाई गईं। चालू कार्य वर्ष के दौरान 30 मई 2025 तक अब तक 617 निविदाओं का अध्ययन किया गया है, जिनमें से 564 निविदाएं टीएमडी पोर्टल पर होस्ट की गई हैं।

सदस्यों द्वारा प्रस्तुत बोलियों का अध्ययन किया जाता है और जहां भी यह महसूस होता है कि बोली कम राशि की है, लागत पत्रक मंगाए जाते हैं। कार्यात्मक वर्ष 2024-25 के दौरान 56 निविदाओं के संबंध में 311 सीए फर्मों को नोटिस भेजे गए थे। चालू कार्यात्मक वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक 13 निविदाओं के संबंध में 73 सीए फर्मों को नोटिस भेजे गए हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान 37 सीए फर्मों के मामलों को जांच के लिए निदेशक (अनुशासन) के पास भेजा गया है। 56 सीए फर्मों के संबंध में सहकर्मी समीक्षा का आदेश दिया गया है। 129 सीए फर्मों से संबंधित मामले बंद कर दिए गए हैं क्योंकि लागत पत्रक संतोषजनक पाया गया। बाकी मामलों की जांच जारी है। पिछले कार्यात्मक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और वित्त सचिवों को अभ्यावेदन भेजे गए थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उनके नियंत्रण में संगठनों द्वारा निविदा प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था। इसके अनुसरण में निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गईं:

- निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 17 मई 2024 को।
- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 22 मई 2024 को।
- अपर मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु, 12 जून 2024 को।
- वित्त सचिव, झारखंड सरकार, रांची 13 जून 2024 को।
- वित्त सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर 18 जून 2024 को।
- प्रधान सचिव (वित्त), गोवा सरकार, 11 जुलाई 2024 को।
- असम सरकार के उप सचिव द्वारा 23 जुलाई 2024 को वित्त विभाग, जनता भवन, दिसपुर, गुवाहाटी - 06, असम में आई.सी.ए.आई. के ईआईआरसी की गुवाहाटी शाखा के अध्यक्ष, आई.सी.ए.आई. के ईआईआरसी की गुवाहाटी शाखा के उपाध्यक्ष, आई.सी.ए.आई. के ईआईआरसी की गुवाहाटी शाखा के सचिव और टीएमडी के सचिव की उपस्थिति में।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सरकारी ई मार्केटप्लेस (जीईएम), 06 अगस्त 2024 को सीईओ जीईएम कार्यालय, द्वितीय तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक के पास, नई दिल्ली-110001 में।
- मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के अपर सचिव, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल में भोपाल शाखा के अध्यक्ष, सीआईसीएएसए अध्यक्ष, भोपाल और शाखा स्टाफ की उपस्थिति में, 23 अगस्त 2024 को।

टीएमडी ने आई.सी.ए.आई. की प्रैक्टिस मेंबर कमेटी (सीएमपी) के साथ मिलकर निविदा संगठनों और सीए बोलीदाताओं, दोनों के संदर्भ के लिए एक शुल्क कैलकुलेटर तैयार किया है। परिषद ने जुलाई 2024 में अपनी बैठक में इस एप्लिकेशन को लॉन्च किया था। यह शुल्क कैलकुलेटर परिषद द्वारा फरवरी 2020 में जारी न्यूनतम अनुशंसित शुल्क पैमाने पर आधारित है। इसे https://tmdicai.org/fees-calculator.php पर एक्सेस किया जा सकता है।

9.15 यूडीआईएन निदेशालय

आज के बदलते कारोबारी एवं नियामक परिवेश में, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा शुरू की गई विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन) अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा जारी किए गए प्रत्येक प्रमाणपत्र, ऑडिट रिपोर्ट व सत्यापन को एक विशिष्ट पहचान निर्दिष्ट करके जालसाजी वाले वित्तीय दस्तावेज़ों को फैलने के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। यह अनिवार्य है, जिससे दस्तावेज़ों का ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकता है, जिससे उनकी प्रामाणिकता व वैधता सुनिश्चित होती है। यूडीआईएन वित्तीय रिपोर्टिंग में विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ाता है। यह निवेशकों, नियामकों और सरकारी निकायों जैसे हितधारकों को प्रमाणित दस्तावेज़ों का शीघ्र सत्यापन करने में सक्षम बनाता है, जिससे गलत सूचना या जालसाजी से जुड़े जोखिम कम होते हैं। जवाबदेही सुनिश्चित करके, यूडीआईएन नैतिक पद्धतियों एवं लेखा परीक्षा मानकों के पालन को बढ़ावा देता है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच व्यावसायिकता और ज़िम्मेदारी की भावना को मज़बूत करता है।

इस प्रणाली को बड़े स्तर पर अपनाया गया है और यह व्यावसायिक पद्धतियों का एक अभिन्न अंग बन गई है। यह दस्तावेज़ सत्यापन के लिए एक मानकीकृत, तकनीकी-संचालित व्यवस्था प्रदान करके नियामक प्रक्रियाओं को भी सुव्यवस्थित करती है। यह डिजिटल दृष्टिकोण न केवल ऑडिट और अनुपालन जाँच में दक्षता में सुधार करता है, बल्कि डिजिटल व्यवस्था व पारदर्शिता की ओर व्यापक व्यवस्था के साथ भी संरेखित होता है। जैसे-जैसे व्यवसाय तेजी से जटिल अनुपालन परिदृश्यों से गुजरते हैं, यूडीआईएन वित्तीय रिपोर्टिंग की अखंडता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में सामने आता है। यह हितधारकों के विश्वास को बढ़ावा देता है, सुशासन का समर्थन करता है, और एक अधिक मजबूत व पारदर्शी आर्थिक इकोसिस्टम बनाने में मदद करता है। संक्षेप में, यूडीआईएन एक परिवर्तनकारी पहल है जो भारत में वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता को मजबूत करने की आई.सी.ए.आई. की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। धोखाधड़ी को रोकने और दस्तावेज़ प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल करके यूडीआईएन स्थायी व्यावसायिक विकास और नियामक विश्वास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(I) यूडीआईएन - नियामकों, बैंकों और अन्य हितधारकों के लिए निर्णयन का एक पैरामीटर

- 30 मई 2025 को, आई.सी.ए.आई. ने नई दिल्ली स्थित कराधान एवं वित्त केंद्र में, ब्रिटेन के महामहिम राजस्व एवं सीमा शुल्क (एचएमआरसी) के एक प्रतिनिधिमंडल के समक्ष यूडीआईएन प्रणाली का प्रदर्शन किया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सहयोग से "रिस्किंग ऑफ एजेंट्स" प्रोजेक्ट के तहत आयोजित इस ज्ञान-साझाकरण कार्यक्रम ने यूडीआईएन में एक सर्वोत्तम अभ्यास साधन के रूप में बढ़ती वैश्विक रुचि को दर्शाया।

- इसकी प्रभावशीलता की मान्यता में, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने यूडीआईएन को एक सर्वोत्तम पद्धति के रूप में स्वीकार किया और आगामी "एंटिटी-लॉकर" प्लेटफॉर्म के साथ इसके एकीकरण का प्रस्ताव दिया, जो बड़ी संस्थाओं, एमएसएमई, ट्रस्टों और सोसाइटियों के दस्तावेजों को संग्रहीत करने और साझा करने का एक सुरक्षित डिजिटल भंडार है। इस पहल का उद्देश्य दस्तावेज़ प्रबंधन और बैंकों, नियामकों व अन्य प्राधिकरणों के साथ जुड़ाव को सुव्यवस्थित करना है। एमईआईटीवाई ने डिजिटल गवर्नेंस में विश्वास और दक्षता को बढ़ावा देने में यूडीआईएन की भूमिका की सराहना की। सीए-प्रमाणित दस्तावेजों के रियल टाइम सत्यापन को सक्षम करने के लिए, एमईआईटीवाई ने एपीआई इंटिग्रेशन हेतु यूडीआईएन निदेशालय से संपर्क किया। विशिष्ट ज़रुरतों पर चर्चा करने और डिजिटल इकोसिस्टम प्रणालियों में दस्तावेजों की विश्वसनीयता और पता लगाने की क्षमता को मजबूत करने हेतु एंटिटी-लॉकर ढांचे के भीतर निर्बाध एपीआई-आधारित इंटिग्रेशन का पता लगाने के लिए 30 अक्टूबर 2024 और 17 मार्च 2025 को दो बैठकें आयोजित की गईं।
- रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के भारतीय सेना के आपूर्ति एवं परिवहन महानिदेशक ने रियल टाइम के आधार पर यूडीआईएन के सत्यापन हेतु एपीआई इंटिग्रेशन प्रदान करने हेतु यूडीआईएन निदेशालय से संपर्क किया। उनकी विशिष्ट ज़रुरतों को समझने और यूडीआईएन के रियल टाइम सत्यापन हेतु एपीआई को शामिल करने की संभावना पर चर्चा करने के लिए 23 दिसंबर 2024 को एक बैठक आयोजित की गई।
- छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (सीजी-रेरा) ने यूडीआईएन निदेशालय से संपर्क किया ताकि उनके सिस्टम के माध्यम से यूडीआईएन का रीयल-टाइम सत्यापन संभव बनाने हेतु एक एपीआई उपलब्ध कराया जा सके। सीजी-रेरा के साथ कई बैठकों और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के पश्चात्, 15 अक्टूबर, 2024 को आई.सी.ए.आई. और सीजी-रेरा के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस सहयोग का उद्देश्य पारदर्शिता को मज़बूत करना और दस्तावेज़ प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।
- ओडिशा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (ओरेरा) एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर काम करता है जिसका उद्देश्य फिजिकल संपर्क को कम करना है और वर्तमान में एक नई प्रणाली, ओरेरा 2.0, में अपग्रेड हो रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाणपत्रों और अनुमोदनों के लिए अक्सर अलग से सत्यापन की आवश्यकता होती है। इसे सुगम बनाने के लिए, ओडिशा-रेरा ने यूडीआईएन निदेशालय के साथ सहयोग का अनुरोध किया है ताकि एपीआई के माध्यम से रीयल-टाइम यूडीआईएन सत्यापन के लिए उनकी अद्यतन प्रणाली (ओरेरा 2.0) को यूडीआईएन पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा सके। ओडिशा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (ओरेरा) के साथ 18 सितंबर 2024 को एक बैठक आयोजित की गई ताकि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को समझा जा सके और यूडीआईएन के निर्बाध और रीयल-टाइम सत्यापन के लिए एपीआई के एकीकरण की संभावनाओं का पता लगाया जा सके।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने वर्ष 2023-24 में पहली बार सीए फर्मों/एलएलपी के पैनलीकरण के उद्देश्य से यूडीआईएन को एक घटक के रूप में इस्तेमाल किया। सीएंडएजी ने यूडीआईएन डेटा के आधार पर सीए फर्मों/एलएलपी के पैनलीकरण के लिए निम्नलिखित स्कोरिंग सिस्टम प्रदान किया। "वर्ष 2025-2026 के लिए, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के दौरान आई.सी.ए.आई. पोर्टल पर जनरेट किए गए यूडीआईएन के आधार पर अंक दिए जाएँगे। अंततः इसे वार्षिक आधार पर धीरे-धीरे एक वर्ष जोड़कर 2026-2027 तक 5 वर्षों तक बढ़ाया जाएगा।"

(II) यूडीआईएन लोगो - विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन) के लिए आधिकारिक दृश्य पहचान

यूडीआईएन लोगो **का** अवलोकन:

लेखांकन में पारदर्शिता और व्यावसायिकता बढ़ाने हेतु यूडीआईएन पहल को भारत में बड़े स्तर पर स्वीकार किया गया है। अपनी पहचान को सुदृढ़ करने के लिए, आई.सी.ए.आई. ने 10 फ़रवरी, 2025 को एक विशिष्ट यूडीआईएन लोगो लॉन्च किया, जो प्रामाणिकता, अखंडता और विश्वास का प्रतीक है। इस डिज़ाइन में "आई.सी.ए.आई." के भीतर "सीए" अंकित है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वित्तीय विवेक के स्तंभ के रूप में दर्शाता है, और एक तिरंगा अंगूठा निशान भारतीय जड़ों व प्रत्येक यूडीआईएन-प्रमाणित दस्तावेज़ के पीछे के अनूठे विश्वास को दर्शाता है। यह लोगो प्रमाणित दस्तावेज़ों को एक स्पष्ट पहचान प्रदान करता है, प्रमाणीकरण की मुहर के रूप में कार्य करता है, और यूडीआईएन की स्थायी, विश्वसनीय प्रकृति का प्रतीक है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग में विश्वसनीयता को मज़बूत करता है।

(III) यूडीआईएन को अपनाने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति: विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन) को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल रही है, तथा अन्य देशों के व्यावसायिक निकाय भी इसे अपनाने में रुचि व्यक्त कर रहे हैं।

- केन्या में यूडीआईएन को लागू करने की प्रक्रिया, रूपरेखा और प्रोटोकॉल पर चर्चा करने के लिए 3 फरवरी 2025 को केन्या के प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार संस्थान (आईसीपीएके) के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक आयोजित की गई।
- इसी प्रकार, तंजानिया के राष्ट्रीय लेखाकार एवं लेखा परीक्षक बोर्ड (एनबीएए) ने यूडीआईएन ढांचे को अपनाने में गहरी रुचि व्यक्त की। एनबीएए के प्रतिनिधिमंडलों ने कार्यान्वयन रणनीति पर विचार-विमर्श हेतु फरवरी और अप्रैल 2023 में यूडीआईएन निदेशालय के साथ बैठकें कीं। यह गर्व की बात है कि एनबीएए ने आई.सी.ए.आई. की पहल को स्वीकार किया और एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से अपनी सराहना व्यक्त की।

(III) सदस्यों के लिए पहल

- 11 अक्टूबर 2024 को, यूडीआईएन पोर्टल पर "ऑडिट एवं आश्वासन कार्य" श्रेणी में "अधिनियम/कानून/संविधि/विनियमन के अंतर्गत" अनुभाग के अंतर्गत विधियों के ड्रॉपडाउन मेनू में "गुजरात लोक न्यास अधिनियम, 2011" जोड़ा गया। इससे चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रासंगिक प्रमाणपत्रों और लेखा परीक्षा कार्यों के लिए यूडीआईएन बनाते समय विधि का चयन करने में सुविधा हुई। इसके बाद, 8 मई 2025 से इस विधि का नाम बदलकर "गुजरात लोक न्यास अधिनियम, 1950" कर दिया गया और संशोधित शीर्षक को दर्शाने हेतु पोर्टल पर ड्रॉपडाउन को विधिवत अद्यतन किया गया।
- हमारे सम्मानित सदस्यों के लाभार्थ, 7 अप्रैल, 2025 को "बैंक ऑडिट के लिए यूडीआईएन पर प्रारंभिक जानकारी" विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस सत्र में बैंक ऑडिट में यूडीआईएन (विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या) के अनुप्रयोग और महत्व पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान की गई।
- सदस्यों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, 21 मार्च 2025 से यूडीआईएन पोर्टल पर जीएसटी कर श्रेणी के तहत फॉर्म 26ए/27बीए के लिए यूडीआईएन जनरेशन हेतु ड्रॉपडाउन में वित्तीय वर्ष 2007-12 को जोड़ा गया है।
- सभी यूडीआईएन श्रेणियों—प्रमाणपत्र, जीएसटी एवं कर लेखा परीक्षा, तथा लेखा परीक्षा एवं आश्वासन कार्य—में आंकड़ों व संख्याओं को कैप्चर करने हेतु डेटा टाइप को चरणबद्ध तरीके से अल्फ़ान्यूमेरिक से संख्यात्मक में बदलने का निर्णय लिया गया है। इसका कार्यान्वयन लेखा परीक्षा एवं आश्वासन कार्य श्रेणी से शुरू हुआ, जो 6 दिसंबर, 2024 को लाइव हुई, इसके बाद 21 दिसंबर, 2024 को जीएसटी एवं कर लेखा परीक्षा और 28 दिसंबर, 2024 को प्रमाणपत्र श्रेणी लागू हुई। इस परिवर्तन का उद्देश्य यूडीआईएन निर्माण के दौरान सदस्यों द्वारा दर्ज किए गए संख्यात्मक डेटा में एकरूपता और स्थिरता सुनिश्चित करना है।

(V) यूडीआईएन का प्रभाव

आईसीएआई द्वारा लॉन्च की गई विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन) प्रणाली ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के प्रमाणपत्रों की जालसाजी व दुरुपयोग को रोककर पेशेवर दस्तावेज़ीकरण में पारदर्शिता, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को काफी हद तक बढ़ाया है। प्रत्येक प्रमाणित दस्तावेज़ को एक विशिष्ट पहचान संख्या निर्दिष्ट होती है, जिससे सत्यापन आसान हो जाता है और जालसाजी की घटनाओं में भारी कमी आई है। यूडीआईएन ने नियामक अनुपालन को सुव्यवस्थित किया है, जिससे अधिकारियों को दस्तावेजों का कुशलतापूर्वक सत्यापन करने और धोखाधड़ी को कम करने में मदद मिली है, जिससे एक अधिक जवाबदेह व नैतिक पेशेवर परिवेश को बढ़ावा मिला है। 10 जून, 2025 तक, यूडीआईएन पोर्टल पर 1.53 लाख से अधिक सीए पंजीकृत हैं, जिनमें से 8.62 करोड़ से अधिक यूडीआईएन ऑडिट, प्रमाणपत्र एवं टैक्स ऑडिट के माध्यम से जनरेट हुए हैं, और 3.69 करोड़ से अधिक यूडीआईएन नियामकों, बैंकों और अन्य द्वारा सत्यापित किए गए हैं।

(VI) प्रकाशन

- बैंक लेखापरीक्षा पर सदस्यों के लिए बुकलेट
- यूडीआईएन रिपोर्ट (2024-25) और विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन) पर संशोधित एफएक्यू (संशोधित 2025)

10. **छात्रों से संबंधित बोर्ड/समिति**

10.1 अध्ययन बोर्ड - **अकादमिक**

बोर्ड ऑफ स्टडीज – अध्ययन बोर्ड (अकादमिक) सीए बनने के इच्छुक छात्रों के करियर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उन्हें शैक्षिक संसाधनों का एक व्यापक पैकेज प्रदान करता है, उनकी शैक्षणिक यात्रा के हर चरण में उनका मार्गदर्शन करता है और उन्हें योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट बनने के उनके लक्ष्य में सलाह देता है। पेशेवर ज्ञान और पेशेवर मूल्यों की एक मजबूत नींव प्रदान करने के अपने प्रयास में, बीओएस (ए) अपने छात्रों को

गुणवत्तापूर्ण स्टडी मेटेरियल्स, रिवीजनरी टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, सीए कोर्स के प्रत्येक विषय के लिए सुझाए गए उत्तर और सारांश - लास्ट माइल रेफरेंसर एंड केस सिनेरियो बुकलेट भी प्रदान करता है। लाइव वर्चुअल क्लासेस, आईसीएआई डिजिटल लर्निंग कैंपस और एमसीक्यू पेपर प्रैक्टिस असेसमेंट डैशबोर्ड, बोर्ड ऑफ स्टडीज (अकादमिक) की कुछ डिजिटल पहलें हैं जो छात्रों के सीखने और उनकी परीक्षाओं की तैयारी को सुविधाजनक बनाती हैं।

(I) छात्रों के लिए पहल

सीए पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री

अध्ययन सामग्री छात्रों को एक मज़बूत वैचारिक आधार विकसित करने में मदद करती है। ये सामग्री छात्रों को उन मानदंडों के बारे में बताती हैं जिनके भीतर उन्हें अध्ययन करना है। इन सामग्री में विषयों की विस्तृत व्याख्या के साथ-साथ पर्याप्त चित्र भी हैं। वर्ष 2024-2025 में, सीए पाठ्यक्रम के सभी स्तरों के सभी विषयों की अध्ययन सामग्री को संशोधित करके निम्नानुसार जारी किया गया है:

स्तर	संस्करण
फाउंडेशन	अगस्त, 2024
इंटरमीडिएट	जुलाई, 2024
फाइनल	नवंबर, 2024

बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) पेपर प्रैक्टिस असेसमेंट डैशबोर्ड

एमसीक्यू-आधारित आकलन हेतु व्यावहारिक अभ्यास प्रदान करने हेतु, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ (अकादमिक) ने बीओएस नॉलेज पोर्टल और आईसीएआई-बीओएस मोबाइल ऐप पर एमसीक्यू पेपर प्रैक्टिस असेसमेंट डैशबोर्ड लॉन्च किया है। यह यूजर-अनुकूल टूल, सभी स्तरों—फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल—के सीए छात्रों को अपनी प्रगति का स्व-आकलन करने और प्रत्येक अध्याय की अपनी समझ को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें एमसीक्यू एवं केस परिदृश्य-आधारित दोनों प्रश्न होते हैं, जिसमें कठिनाई स्तर (सरल, मध्यम, कठिन) चुनने के विकल्प हैं, और छात्रों को 20 मिनट में 20 एमसीक्यू हल करने की अनुमति देता है, अतिरिक्त समय प्रदर्शन रिपोर्ट में दर्शाया गया है। यह डैशबोर्ड निरंतर तैयारी में सहायता हेतु नियमित रूप से अपडेट की गई सामग्री के साथ, पेपर-वाइज और चेप्टर-वाइज प्रदर्शन को भी ट्रैक करता है।

31 मई 2025 तक एमसीक्यू पेपर प्रैक्टिस डैशबोर्ड का इस्तेमाल करने वाले छात्रों के आँकड़े निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	स्तर	कुल एमसीक्यू (अलग से और केस परिदृश्य)
1	फाउंडेशन (पेपर 1 से 4)	1865
2	इंटरमीडिएट (पेपर 1 से 8)	2621
3	फाइनल (पेपर 1 से 5)	1539
4	स्व-गति ऑनलाइन मॉड्यूल (सेट ए और सेट बी)	1017

31 मई 2025 तक एमसीक्यू पेपर प्रैक्टिस असेसमेंट डैशबोर्ड का इस्तेमाल करने वाले छात्रों के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

कोर्स	छात्रों की संख्या
फाउंडेशन	60470
इंटरमीडिएट	117533
फाइनल	94654
कुल	**2,72,657**

31 मई 2025 तक छात्रों द्वारा पूर्ण किए गए मूल्यांकन की स्तरवार संख्या के आंकड़े निम्नानुसार हैं :

कोर्स	पूर्ण किए गए मूल्यांकन की संख्या
फाउंडेशन	7,44,655
इंटरमीडिएट	19,10,691
फाइनल	9,7,7974
कुल	**36,33,320**

रिवीजन टेस्ट पेपर (आरटीपी) जारी करना

आरटीपी में संबंधित परीक्षा हेतु नए अद्यतन/संशोधन शामिल होते हैं। आरटीपी में प्रत्येक विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं ताकि छात्रों को पुनरावृत्ति में सहायता मिल सके, जिनमें संशोधनों पर आधारित प्रश्न भी शामिल हैं। जिन विषयों में मूल्यांकन आंशिक रूप से बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) पर आधारित होता है, उनमें आरटीपी में केस परिदृश्य एवं बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) भी शामिल होते हैं। आरटीपी हिंदी भाषा में भी उपलब्ध हैं।

सुझाए गए उत्तरों का प्रकाशन

पिछली परीक्षाओं के सुझाए गए उत्तर छात्रों को शिक्षा और आगामी परीक्षा की तैयारी में सहायता करते हैं, जिससे उन्हें यह पता चलता है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाए और उनका समाधान कैसे प्रस्तुत किया जाए। सुझाए गए उत्तर हिंदी भाषा में भी उपलब्ध कराए गए हैं।

लाइव वर्चुअल कक्षाएं

डिस्टेंस लर्निंग और परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए, बोर्ड ऑफ स्टडीज (अकादमिक) फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल सीए छात्रों के लिए मुफ्त लाइव वर्चुअल क्लासेस (एलवीसी) उपलब्ध कराता है। इन कक्षाओं में 125+ विशेषज्ञ संकाय और 4,455+ रिकॉर्ड किए गए लेक्चर होते हैं, जो कभी भी, कहीं भी (https://boslive.icai.org/) और आईसीएआई-बीओएस मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड/आईओएस) पर उपलब्ध हैं। ये लेक्चर आईसीएआई सीए ट्यूब https://www.youtube.com/@theicai/playlists पर उपलब्ध है। बोर्ड ऑफ स्टडीज (अकादमिक) सभी स्तरों के सीए छात्रों के लिए मुफ्त लाइव वर्चुअल क्लासेस उपलब्ध कराता है, जो किसी भी डिवाइस पर लाइव या रिकॉर्ड किए गए लेक्चर के रूप में उपलब्ध हैं। विशेषज्ञ संकाय के नेतृत्व में सत्र, असीमित एक्सेस, परीक्षा-केंद्रित सामग्री, नोट्स, असाइनमेंट, एमसीक्यू और रियल टाइम में संदेह समाधान भी उपलब्ध किये जाते हैं जो पढ़ाई में व्यापकता एवं फ्लैक्सिबिलिटी सुनिश्चित करते हैं।

31 मई 2025 तक लाइव वर्चुअल कक्षाओं के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

विवरण		फाउंडेशन	इंटरमीडिएट	फाइनल
सितंबर/नवंबर, 2024 परीक्षा	शुरू	27 अप्रैल, 2024 को दूसरा बैच (सितंबर 2024 परीक्षा के लिए)	27 अप्रैल, 2024 को दूसरा बैच (सितंबर 2024 परीक्षा के लिए)	27 अप्रैल, 2024 को दूसरा बैच (नवंबर 2024 परीक्षा के लिए)
	व्यूवरशीप	321713	467389	198557
जनवरी 2025 परीक्षा	शुरू	तीसरा बैच 23 सितंबर 2024 को	25 सितंबर 2024 को एलवीआरसी का पहला बैच	-
	व्यूवरशीप	411251	3,01,656	-
मई 2025 परीक्षा	शुरू	चौथा बैच 13 फरवरी 2025 को	9 सितंबर, 2024 को तीसरा बैच	17 सितंबर, 2024 को तीसरा बैच
	व्यूवरशीप	373584	1516968	601205
सितंबर 2025 परीक्षा	शुरू	-	चौथा बैच 24 फरवरी , 2025 को	पहला एलवीआरसी बैच, 14 मई 2025
	व्यूवरशीप	-	432420	44159

मॉक टेस्ट पेपर (एमटीपी)

एमटीपी वास्तविक परीक्षा प्रश्नपत्रों की तरह ही होते हैं और छात्रों को उनकी तैयारी का आकलन करने, समय प्रबंधन में सुधार करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करते हैं। सभी स्तरों पर प्रत्येक परीक्षा से पहले एमटीपी की दो श्रृंखलाएँ आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2024-2025 के लिए, बीओएस (ए) ने तीन फाउंडेशन और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए कुल 60 एमटीपी और दो फाइनल स्तर की परीक्षाओं के लिए 24 एमटीपी जारी किए हैं। बोर्ड ने अपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट मॉड्यूल को भी अपग्रेड किया है, जिससे छात्रों व शाखाओं को (https://boslive.icai.org/) और आईसीएआई बीओएस मोबाइल ऐप पर व्यक्तिगत डैशबोर्ड के माध्यम से प्रश्नपत्रों व उत्तरों तक आसान पहुँच प्राप्त हो रही है। छात्र मॉक टेस्ट शेड्यूल देख सकते हैं और तय समय के भीतर प्रश्नपत्र और समाधान डाउनलोड कर सकते हैं। सितंबर 2024, नवंबर 2024, जनवरी 2025 और मई 2025 परीक्षाओं के लिए क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं द्वारा आयोजित मॉक टेस्ट पेपर्स के आँकड़े इस प्रकार हैं:

सितंबर 2024 की परीक्षा के लिए:

मॉक टेस्ट सीरीज़-I	शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय	स्व-मूल्यांकन मोड में एमटीपी हल करने वाले छात्रों की संख्या	शाखा/क्षेत्रीय कार्यालयों में फिजिकल रूप से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या
इंटरमीडिएट	78	8725	3540
फाउंडेशन	69	6283	2129

मॉक टेस्ट सीरीज़-II	शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय	स्व-मूल्यांकन मोड में एमटीपी हल करने वाले छात्रों की संख्या	शाखा/क्षेत्रीय कार्यालयों में फिजिकल रूप से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या
इंटरमीडिएट	84	9300	3852
फाउंडेशन	84	6942	2293

नवंबर 2024 परीक्षा के लिए:

मॉक टेस्ट	शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय	स्व-मूल्यांकन मोड में एमटीपी हल करने वाले छात्रों की संख्या	शाखा/क्षेत्रीय कार्यालयों में फिजिकल रूप से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या
फाइनल सीरीज़-I	78	21,377	1,722
फाइनल सीरीज़-II	80	20,256	3,835

जनवरी 2025 परीक्षा के लिए:

मॉक टेस्ट सीरीज़-I	शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय	स्व-मूल्यांकन मोड में एमटीपी हल करने वाले छात्रों की संख्या	शाखा/क्षेत्रीय कार्यालयों में फिजिकल रूप से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या
इंटरमीडिएट	91	23499	3617
फाउंडेशन	91	15967	2728

मॉक टेस्ट सीरीज़-II	शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय	स्व-मूल्यांकन मोड में एमटीपी हल करने वाले छात्रों की संख्या	शाखा/क्षेत्रीय कार्यालयों में फिजिकल रूप से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या
इंटरमीडिएट	93	29571	5216
फाउंडेशन	77	28030	3806

मई/जून 2025 परीक्षा के लिए:

मॉक टेस्ट सीरीज़-I	शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय	स्व-मूल्यांकन मोड में एमटीपी हल करने वाले छात्रों की संख्या	शाखा/क्षेत्रीय कार्यालयों में फिजिकल रूप से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या
फाइनल	87	21338	3054
इंटरमीडिएट	85	38216	2938
फाउंडेशन	95	17184	3692

मॉक टेस्ट सीरीज़-II	शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय	स्व-मूल्यांकन मोड में एमटीपी हल करने वाले छात्रों की संख्या	शाखा/क्षेत्रीय कार्यालयों में फिजिकल रूप से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या
फाइनल	96	16572	5351
इंटरमीडिएट	97	27506	5806
फाउंडेशन	95	27724	3326

सक्सेस एट सीए एग्ज़ाम

बोर्ड ऑफ स्टडीज (अकादमिक) छात्रों को परीक्षा की तैयारी में मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु नियमित रूप से "सक्सेस एट सीए एग्ज़ाम" वेबिनार श्रृंखला आयोजित करता है। अनुभवी संकाय और विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत इन वेबिनार में पढ़ाई की तकनीकों, समय प्रबंधन, परीक्षा पैटर्न और चुनौतीपूर्ण विषयों से निपटने के सुझावों पर चर्चा की जाती है। ये वेबिनार छात्रों की सामान्य चिंताओं का भी समाधान करते हैं और छात्रों को सफलता के लिए प्रेरित व तैयार करने का लक्ष्य रखते हैं। सभी स्तरों पर प्रत्येक परीक्षा से पहले दो वेबिनार श्रृंखलाएँ आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2024-2025 के लिए, बोर्ड ऑफ स्टडीज (अकादमिक) ने तीन फाउंडेशन और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए 60 वेबिनार और दो फाइनल परीक्षाओं के लिए 24 वेबिनार आयोजित किए।

सारांश – लॉस्ट माइल रेफरन्सर

"सारांश" एक व्यापक बुकलेट है जिसमें विषयगत विषयों का सारांश, आरेख, प्रवाह चार्ट व तालिकाएँ होती हैं, जो देखने में आकर्षक और समझने में आसान प्रारूप में पेश की गई हैं। यह एक वन-स्टॉप संग्रह का कार्य करती है, जिसमें परीक्षाओं से पहले त्वरित संदर्भ व रियल टाइम में संशोधन के लिए महत्वपूर्ण अवधारणाएं समेकित हैं। वर्ष 2024-2025 में, बीओएस (ए) ने सीए पाठ्यक्रम के फाउंडेशन और इंटरमीडिएट स्तर के सभी विषयों के लिए बारह विषयवार सारांश बुकलेट जारी की हैं।

मॉडल टेस्ट पेपर बुकलेट

मॉडल टेस्ट पेपर एक बुकलेट है जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बैंक का कार्य करती है, जिसमें कई टेस्ट पेपर होते हैं। इन पेपरों में विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिससे छात्रों को वास्तविक परीक्षा में प्रश्नों को विभिन्न तरीकों से तैयार करने में मदद मिलती है। ये पेपर आई.सी.ए.आई. परीक्षाओं की संरचना और प्रारूप की जानकारी देते हैं। वर्ष 2024-2025 में, बीओएस (ए) ने आईसीएआई पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के लिए कुल 18 बुकलेट जारी की हैं।

केस परिदृश्य बुकलेट

केस परिदृश्य बुकलेट छात्रों की विश्लेषणात्मक सोच और अनुप्रयोग-आधारित अधिगम को बेहतर बनाने हेतु तैयार की गई है। यह बुकलेट छात्रों को परीक्षाओं में केस-आधारित और एकीकृत प्रश्नों की बेहतर तैयारी में भी मदद करती है। कुल मिलाकर, यह विषय-वस्तु की गहन समझ को बढ़ाती है, अवधारणाओं के अंतर्संबंध को बढ़ावा देती है, और शैक्षणिक अधिगम व वास्तविक दुनिया की अपेक्षाओं के बीच की खाई को पाटने में मदद करती है। **वर्ष 2024-2025 में, बीओएस (ए) ने इंटरमीडिएट और** फाइनल **स्तर के सभी विषयों के लिए कुल 14** बुकलेट **जारी की हैं, जिनमें 30% मूल्यांकन केस परिदृश्य आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में है।**

आईसीएआई डिजिटल लर्निंग कैंपस पोर्टल का लॉन्च: सेल्फ-पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल (एसपीओएम)

आईसीएआई के अध्ययन बोर्ड ने 7 मई 2024 को शिक्षा और प्रशिक्षण की नई योजना के अनुरूप आईसीएआई डिजिटल लर्निंग कैंपस पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल सेल्फ-पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स (एसपीओएम) को सपोर्ट करता है, जिसके लिए सेट क (कॉर्पोरेट एवं आर्थिक कानून) और सेट ख (रणनीतिक लागत और प्रदर्शन प्रबंधन) के लिए 40-40 घंटे और सेट ग और सेट घ के लिए 20-20 घंटे की आवश्यकता होती है। छात्र सेट ग के 10 पेपर्स में से एक और सेट घ के 4 पेपर्स में से एक पेपर चुन सकते हैं। यह आई.सी.ए.आई. डिजिटल लर्निंग कैंपस पोर्टल https://lms.icai.org/login पर उपलब्ध है। सेल्फ-पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स (एसपीओएम) केवल फाइनल कोर्स के छात्रों के लिए उपलब्ध हैं, जो उन्हें अपनी सुविधा से, कभी भी और कहीं भी पढ़ने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये मॉड्यूल बिना किसी अतिरिक्त खर्च के उपलब्ध हैं। छात्र आईसीएआई डिजिटल लर्निंग कैंपस डैशबोर्ड के माध्यम से अपनी सीखने की प्रगति की निगरानी कर सकते हैं और एक प्रॉक्टर्ड लर्निंग परिवेश में पाठ्यक्रमों की अखंडता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। 31 मई 2025 तक छात्रों द्वारा पूर्ण किए गए सेल्फ-पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल लर्निंग के वर्तमान सीखने के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

सेट का नाम	पेपर का नाम	पूर्ण	जारी
सेट क: सेल्फ-पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल	कॉर्पोरेट एवं आर्थिक कानून	1,84,093	25,342
सेट ख: सेल्फ-पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल	रणनीतिक लागत और प्रदर्शन प्रबंधन	1,57,154	21,848
सेट ग: सेल्फ-पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल	पेपर 1 से 10	23,993	23215
सेट घ: सेल्फ-पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल	पेपर 1 से 4	20424	11340

विभिन्न विदेशी लेखा निकायों के साथ एमआरए/एमओयू के तहत चुनिंदा विषयों के लिए अध्ययन सामग्री

आईसीएआई दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आईसीएआई अर्हता को मान्यता दिलाकर अपने सदस्यों को आगे बढ़ने का रास्ता देने का प्रयास कर रहा है। दुनिया भर के लेखा निकाय दोनों ओर के सदस्यों के लाभ हेतु आईसीएआई की अर्हता को पारस्परिक रूप से मान्यता देते हैं। इन समझौतों के माध्यम से, संस्थान के सदस्य सीमित संख्या में ब्रिजिंग परीक्षा पास करके और विशिष्ट मानदंडों को पूरा करके (जैसे, अच्छी स्थिति, कोई अनुशासनात्मक मुद्दे न होना, परीक्षा के माध्यम से मूल योग्यता) दूसरे संस्थान की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। उन ब्रिजिंग परीक्षा पत्रों के लिए, बीओएस (ए) विभिन्न विदेशी लेखा निकायों यानी सीपीए (ऑस्ट्रेलिया), सीपीए मलेशियाई, सीपीए (कनाडा), सीपीए (आयरलैंड), आईसीएईडब्ल्यू, आईसीएएन, एसएआईसीए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ आईसीएआई द्वारा किए गए एमआरए/एमओयू के अनुसार अध्ययन सामग्री प्रदान करता है।

भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) योजना के अंतर्गत चुनिंदा विषयों के लिए अध्ययन सामग्री

विनियमन 53सी. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में दिनांक 22 जुलाई 2014 की अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/154/2014 के माध्यम से प्रवासी भारतीय नागरिकों के पेशेवर लेखाकारों का नामांकन जोड़ा गया। विनियमन 53सी(1) के अनुसार, पेशेवर लेखा योग्यता रखने वाले प्रवासी भारतीय नागरिकों को विनियमों की अनुसूची ' ख' में सूचीबद्ध परीक्षा, प्रशिक्षण एवं अन्य मॉड्यूल पूरा करने के बाद संस्थान के सदस्य के रूप में मान्यता दी जाएगी। अनुसूची ख में प्रवासी भारतीय नागरिकों (ओसीआई) पेशेवर लेखाकारों के नामांकन की योजना शामिल है। इस योजना के अनुसार, संस्थान की सदस्यता हेतु पात्र होने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रमाणित पब्लिक अकाउंटेंट योग्यता रखने वाले प्रवासी भारतीय नागरिकों को प्रथम स्तर की परीक्षा और द्वितीय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करना और योजना के अन्य प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। तदनुसार, बीओएस (ए) ने निम्नलिखित विषयों की अध्ययन सामग्री को वेबहोस्ट किया है:

प्रथम स्तर की परीक्षा

खंड क: आयकर के मूल सिद्धांत (50 अंक)

खंड ख: व्यापारिक कानून (50 अंक)

खंड घ: सामान्य अर्थशास्त्र (50 अंक)

खंड ङ: मात्रात्मक योग्यता (50 अंक)

द्वितीय स्तर की परीक्षा

प्रश्न-पत्र 1: कराधान (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर)

प्रश्न-पत्र 3: कॉर्पोरेट और संबद्ध कानून

बोर्ड ऑफ स्टडीज ट्विटर हैंडल

बोर्ड ने 25 जुलाई, 2023 से https://twitter.com/bosaicai पर उपलब्ध अपना आधिकारिक ट्विटर हैंडल लॉन्च करके संचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह प्लेटफ़ॉर्म हमारे छात्रों, सदस्यों और अन्य हितधारकों को बीओएस (ए) के नई पहलों से अवगत कराने का एक माध्यम है। आज तक, बीओएस के ट्विटर हैंडल के 31,000 से अधिक फ़ॉलोअर्स हैं और शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रश्नों का समाधान सपोर्ट टीम द्वारा किया जा रहा है।

आईसीएआई-बीओएस मोबाइल ऐप और बीओएस नॉलेज पोर्टल यूडर्स

आईसीएआई-बीओएस मोबाइल ऐप और बीओएस नॉलेज पोर्टल एक समग्र मंच के रूप में कार्य करते हैं, जो हमारे छात्रों को शैक्षिक संसाधनों का एक व्यापक पैकेज प्रदान करते हैं। 7,71,688 छात्र मोबाइल ऐप और बीओएस नॉलेज पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं। अब तक, बीओएस (ए) संकाय ने छात्रों के 31,006 विषय-विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। इसके अलावा, छात्र आई.सी.ए.आई. बीओएस मोबाइल ऐप में अपने पिछले प्रश्नों को ट्रैक और देख सकते हैं। छात्र इस मोबाइल ऐप के एंड्रॉइड और आईओएस संस्करण गूगल व एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।

(II) छात्रों के लिए आयोजित कार्यक्रम

चर्चा का विषय: सीए परीक्षा – लेट्स टॉक : सीए परीक्षा

बोर्ड ऑफ स्टडीज (अकादमिक) ने 25 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली स्थित आई.सी.ए.आई. भवन में *"चर्चा का विषय: सीए परीक्षा - लेट्स टॉक: सीए परीक्षा"* शीर्षक से एक इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लगभग 200 छात्रों ने ऑन-साइट और 4,200 से अधिक छात्रों ने ऑनलाइन भाग लिया। इस सत्र का उद्देश्य मई 2025 की परीक्षाओं से पहले छात्रों के प्रश्नों का समाधान करना था, जिसमें तैयारी की रणनीतियों, तनाव प्रबंधन तथा आईसीएआई संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया।

सीए फाउंडेशन छात्रों के लिए प्रेरण (इंडक्शन) कार्यक्रम का शुभारंभ

23 मई 2025 को हाल ही में पंजीकृत फाउंडेशन छात्रों के लिए अपना पहला स्ट्रक्चर्ड इंडक्शन प्रोग्राम शुरू किया, जो वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को आई.सी.ए.आई. की विरासत, संरचना एवं विभिन्न विभागों, जिनमें बोर्ड ऑफ स्टडीज (अकादमिक एवं संचालन), परीक्षा, प्रकाशन, सदस्य एवं छात्र सेवाएँ, और अंतर्राष्ट्रीय समितियाँ शामिल हैं, में उपलब्ध संसाधनों से परिचित कराना था। इस कार्यक्रम ने छात्रों को शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सहायता प्रणालियों, मार्गदर्शन, करियर मार्गदर्शन और सीए पेशे में वैश्विक अवसरों से भी परिचित कराया। इसमें पूरे भारत से 10,000 से अधिक छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

(III) सदस्यों और छात्रों के लिए पहल

संशोधित व्यावहारिक प्रशिक्षण मार्गदर्शिका - सीए पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा का एक स्तंभ

आईसीएआई के बोर्ड ऑफ स्टडीज (अकादमिक) द्वारा विकसित संशोधित व्यावहारिक प्रशिक्षण मार्गदर्शिका, 1 जुलाई 2023 से प्रभावी नई शिक्षा एवं प्रशिक्षण योजना के अनुरूप एक व्यापक संसाधन है। यह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के अद्यतन प्रावधानों को दर्शाती है और प्रधानाचार्यों एवं छात्रों के लिए संरचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह मार्गदर्शिका पाँच अध्यायों में विभाजित है, जिनमें नियामक पहलू, प्रशिक्षण संरचना, निगरानी तंत्र और औद्योगिक प्रशिक्षण शामिल हैं, और आवश्यक प्रारूपों के साथ छह अनुलग्नक भी शामिल हैं। यह एक नियामक पुस्तिका और एक समग्र एवं प्रासंगिक प्रशिक्षण अनुभव हेतु एक व्यावहारिक रोडमैप, दोनों का कार्य करती है।

(IV) सदस्यों और छात्रों के साथ बातचीत

भारत भर के सदस्यों और छात्रों के लिए सीए परीक्षा उत्तीर्ण करने और सीए पेशे में करियर बनाने जैसे विषयों पर फिजिकल या वर्चुअल माध्यम से विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में संकाय बनने में रुचि रखने वाले सदस्यों को इस प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन दिया गया। बोर्ड ऑफ स्टडीज ने छात्रों और सदस्यों के साथ बातचीत करने हेतु फिजिकल/वर्चुअल माध्यम से 54 सत्र आयोजित किए हैं। छात्रों के लिए आयोजित इन सत्रों में सीए परीक्षा को कैसे पास करें, इस पर ज़ोर दिया गया।

(V) राष्ट्र सृजन में भागीदार बनने की ओर

वाणिज्य एवं लेखा पर वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2024 (जीईएस-सीए 2024)

बोर्ड ऑफ स्टडीज ने 5 और 6 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में वाणिज्य एवं लेखाशास्त्र पर वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन (जीईएस-सीए 2024) का आयोजन किया, जिसका विषय था "मंथन - शैक्षणिक विकास का उत्प्रेरक"। इस शिखर सम्मेलन में लेखांकन, लेखा परीक्षा, लागत निर्धारण, वित्त व वाणिज्य में शिक्षा को बदलने वाले डिजिटल नवाचारों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन माननीय कॉर्पोरेट मामलों और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री ने किया। इस कार्यक्रम में आई.सी.ए.आई. के प्रमुख, कुलपति, अध्यक्ष, निदेशक और प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के संकाय सदस्य एकत्रित हुए। प्रमुख चर्चाओं में डिजिटल परिवर्तन और कर चुनौतियां, समावेशी शिक्षा, स्थिरता, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की उभरती भूमिका, शिक्षा सुधार, कौशल विकास, एआई व सुरक्षा, शिक्षा में जागरूकता, तथा बीईपीएस और ओईसीडी दिशानिर्देशों सहित वैश्विक वाणिज्य जटिलताएं जैसे विषय शामिल थे।

विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)

आईसीएआई ने 31 मई 2025 तक 80 राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनका उद्देश्य स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा वाणिज्य पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना है। ये साझेदारियाँ भारत भर में वाणिज्य एवं लेखा शिक्षा के पाठ्यक्रम को एकीकृत और आधुनिक बनाने के लिए सहयोगी कार्यक्रम विकसित करने पर केंद्रित हैं, जिससे आईसीएआई और शैक्षणिक संस्थानों के बीच तालमेल बढ़ेगा।

सीए कोर्स के लिए मान्यताएँ- पीएचडी कार्यक्रम

देश में 142 भारतीय विश्वविद्यालयों, 7 आईआईएम और 2 आईआईटी (मद्रास और बॉम्बे) यानी कुल 151 संस्थानों (डब्ल्यूआरओ-31, एसआरओ-39, ईआरओ-19, सीआरओ-41 और एनआरओ-21) ने संबंधित विश्वविद्यालयों के पीएचडी कार्यक्रम में पंजीकरण के विशिष्ट उद्देश्य के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी योग्यता को मान्यता दी है।

विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/मान्यता प्राप्त संस्थानों के संकाय के लिए वर्चुअल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) श्रृंखला

बोर्ड ऑफ स्टडीज ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और मान्यता प्राप्त संस्थानों के संकायों के लिए तकनीकी 4.0 और लेखांकन: ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, बजट: इसकी व्याख्या और निहितार्थ, फिनटेक नवाचार: वित्तीय प्रबंधन के लिए निहितार्थ आदि पर वर्चुअल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) की एक श्रृंखला का आयोजन किया था।

बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा विश्वविद्यालय/कॉलेज के साथ संयुक्त सेमिनार/एफडीपी का आयोजन

नए युग की तकनीकी और वित्तीय क्षेत्र पर इसके प्रभाव, नवाचार और आलोचनात्मक सोच, वित्त व लेखा में कैरियर के अवसर आदि विषयों पर छह संयुक्त सेमिनार/संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित किए।

एसएएफए सदस्य संगठनों के हितधारकों के लिए पहल

बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ने शिक्षा, प्रशिक्षण और सीपीडी पर एसएएफए समिति के साथ मिलकर पेशेवर विकास और अनुकूलनशीलता पर केंद्रित सात ज्ञानवर्धक वेबिनार आयोजित किए। विषयों में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मानक (आईईएस), नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, डेटा एनालिटिक्स और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जैसे उभरते कौशल व तकनीक-संचालित दुनिया में नैतिकता का महत्व शामिल थे। छात्रों की सहभागिता और प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए, एसएएफए क्विज़ और पब्लिक स्पीकिंग कॉन्टेस्ट 2024 का आयोजन 30 अप्रैल 2025 को कोलंबो, श्रीलंका में किया गया, जिससे एसएएफए के सदस्य निकायों के छात्रों को अपने कौशल और ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच मिला। आई.सी.ए.आई. का प्रतिनिधित्व करते हुए, सीए स्टूडेंट्स टैलेंट सर्च 2024 (एलोक्यूशन और क्विज़ कॉन्टेस्ट) के विजेताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। उल्लेखनीय रूप से, आई.सी.ए.आई. के दो प्रतिभागियों ने पब्लिक स्पीकिंग कॉन्टेस्ट में पहला रनर-अप स्थान प्राप्त किया, जिससे संस्थान को गौरव प्राप्त हुआ।

10.2 अध्ययन बोर्ड-संचालन

अध्ययन बोर्ड या बोर्ड ऑफ स्टडीज़ - संचालन संस्थान की एक प्रमुख गैर-स्थायी समिति है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) के छात्रों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने पर ध्यान देती है। यह पूरे भारत में आईटी और सॉफ्ट स्किल केंद्रों के माध्यम से ओरिएंटेशन, सूचना तकनीकी (आईटी), उन्नत आईटी और प्रबंधन एवं संचार कौशल जैसे अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। बोर्ड हैदराबाद और जयपुर के उत्कृष्टता केंद्रों में चार-सप्ताह के आवासीय कार्यक्रमों के साथ-साथ विभिन्न छात्र-केंद्रित कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य और शाखा-स्तरीय सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशालाएं, खेल प्रतियोगिताएं, उत्सव, औद्योगिक दौरे, परामर्श सत्र और राष्ट्रीय प्रतिभा प्रतियोगिताएं शामिल हैं। पात्र सीए छात्रों को विभिन्न श्रेणियों के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। बोर्ड का उद्देश्य छात्रों को आवश्यक व्यावसायिक और पारस्परिक कौशल—जैसे प्रबंधन, संचार, प्रस्तुतिकरण और वक्तृत्व कौशल—से सुसज्जित करना है ताकि उद्योग की उभरती मांगों को पूरा किया जा सके और सीए पेशे की समग्र छवि को बढ़ाया जा सके।

पहल:

(I) 1 मार्च, 2025 से उन्नत सूचना तकनीकी प्रशिक्षण के संशोधित पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन

शिक्षा एवं प्रशिक्षण की नई योजना के अंतर्गत सीआरईटी द्वारा अनुमोदित उन्नत सूचना तकनीकी का संशोधित पाठ्यक्रम 1 मार्च, 2025 से लागू किया गया है और अब देश भर में आईटी प्रयोगशालाओं द्वारा उन्नत सूचना तकनीकी प्रशिक्षण के संशोधित पाठ्यक्रम के बैच संचालित किए जा रहे हैं।

(II) सीए छात्रों की रिस्किलिंग, अपस्किलिंग और नए स्किल सिखने पर केंद्रित लाइव वेबिनार श्रृंखला - RUN @100 का आयोजन

सीए छात्रों को उनके करियर में सफलता के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए, बोर्ड ऑफ स्टडीज-ऑपरेशंस ने रीस्किलिंग, अपस्किलिंग और नए कौशल प्राप्त करने पर केंद्रित, छात्र कौशल विकास लाइव वेबिनार श्रृंखला - RUN @100 शुरू की है। 1 मार्च से 30 मई , 2025 तक, बोर्ड ऑफ स्टडीज-ऑपरेशंस द्वारा प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार

को शाम 4:00 बजे से 5:00 बजे के बीच कुल 20 लाइव वेबिनार आयोजित किए गए, जिनमें प्रख्यात विशेषज्ञों ने छात्रों को संबोधित किया।

(III) देश भर के आईटी और सॉफ्ट स्किल्स केंद्रों पर स्थापित स्मार्ट क्लासरूम बोर्ड के माध्यम से आईटी और सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सीए छात्रों के साथ इंटरैक्टिव सत्र

1 मार्च, 2025 से 30 मई, 2025 तक, देश भर के आईटी एवं सॉफ्ट स्किल्स केंद्रों पर स्थापित ज़ूम लिंक और स्मार्ट क्लासरूम बोर्ड के माध्यम से आईटी एवं सॉफ्ट स्किल्स केंद्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के साथ तीन इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए गए। ये सत्र 28 मार्च, 2025, 16 अप्रैल, 2025 और 5 मई, 2025 को आयोजित किए गए । इन सत्रों को आई.सी.ए.आई. नेतृत्व और अध्ययन-संचालन बोर्ड के अध्यक्ष ने संबोधित किया। बोर्ड द्वारा आयोजित आईटी एवं सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण के दौरान लगभग 18,000 छात्रों ने इन इंटरैक्टिव सत्रों में भाग लिया।

(IV) बोर्ड द्वारा आईटी और सॉफ्ट स्किल्स संकायों और प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ आयोजित इंटरैक्टिव बैठकें

सीए छात्रों को प्रदान किए जाने वाले आईटी और सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, आई.सी.ए.आई. की क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के आईटी व सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण संकायों और प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ इंटरैक्टिव बैठकें आयोजित की गईं। देश भर के आईटी और सॉफ्ट स्किल केंद्रों में स्थापित स्मार्ट क्लासरूम बोर्ड के माध्यम से 21 अप्रैल, 2025 और 15 मई, 2025 को आईटी और सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण संकायों के साथ इंटरैक्टिव बैठकें आयोजित की गईं। इसी प्रकार , आई.सी.ए.आई. की क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ 21 अप्रैल, 2025 और 14 मई , 2025 को इंटरैक्टिव बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें छात्रों की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

(V) सीए छात्रों के राष्ट्रीय सम्मेलनों की कार्यक्रम संरचना में सॉफ्ट स्किल्स विकास आधारित विषयों को शामिल किया गया

वर्ष 2025-26 के दौरान बोर्ड ऑफ स्टडीज-ऑपरेशंस द्वारा आयोजित सीए छात्रों के राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यक्रम संरचना में सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट से संबंधित विषयों को शामिल किया गया। "टेक्निकल सेशन" **का नाम बदलकर** "नॉलेज़ सेशन" **और** "मोटिवेशन सेशन" **का नाम बदलकर** "स्किल-**अप** सेशन" **कर दिया गया।**

(VI) सीए स्टूडेंट्स नेशनल टैलेंट सर्च, 2025

चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहे छात्रों की प्रस्तुति कौशल को विकसित करने एवं छिपी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से, सीए स्टूडेंट्स नेशनल टैलेंट सर्च, 2025 के अंतर्गत पिच डेक, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, भाषण और निबंध प्रतियोगिताओं जैसी गतिविधियाँ आयोजित की गईं। लगभग 90 शाखाओं ने अपने-अपने स्थानों पर ये गतिविधियाँ आयोजित कीं और शाखा स्तर के विजेताओं ने सीए स्टूडेंट्स नेशनल टैलेंट सर्च के क्षेत्रीय स्तर पर भाग लिया। यह प्रतियोगिता पाँच क्षेत्रीय परिषदों द्वारा आयोजित की गई थी।

(VII) मई, 2025 में सीए छात्र सम्मेलनों का आयोजन

सीए छात्रों का राष्ट्रीय सम्मेलन विजयवाड़ा 2025 में आयोजित किया गया, सीए छात्रों का मेगा सम्मेलन उदयपुर में आयोजित किया गया और सीए छात्रों का राज्य स्तरीय सम्मेलन 30-31 मई, 2025 को रतलाम में आयोजित किया गया।

(VIII) सीए छात्रों को विनियामक आईटी और एडवांस आईटी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पूरे भारत में आईटी प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 और एमएस डायनेमिक्स लाइसेंस की खरीद

आईटी एवं एडवांस आईटी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए, आईटी प्रयोगशालाओं के लिए अध्ययन-संचालन बोर्ड द्वारा 1500 ऑफिस 365 लाइसेंस खरीदे गए।

(IX) एसएएफए द्वारा आयोजित एसएएफए क्विज़ एवं पब्लिक स्पिकिंग (भाषण) प्रतियोगिताओं में सीए छात्रों की भागीदारी और 30 अप्रैल, 2025 को श्रीलंका में आईसीए ऑफ श्रीलंका द्वारा आयोजित 39 वें अंतर्राष्ट्रीय सीए छात्र सम्मेलन

आई.सी.ए.आई. द्वारा आयोजित स्टूडेंट्स नेशनल टैलेंट सर्च - प्रश्नोत्तरी और भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं ने 29 अप्रैल, 2025 को श्रीलंका में एसएएफए में आयोजित एसएएफए प्रश्नोत्तरी सार्वजनिक भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया। सुश्री उन्नति कोटेचा और सुश्री ऋषिका बिल्लोरे, जिन्होंने एसएएफए पब्लिक स्पीकिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था, को प्रथम उपविजेता घोषित किया गया। इसके अलावा, श्रीलंका के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान से प्राप्त निमंत्रण के आधार पर, आई.सी.ए.आई. के 12 छात्रों ने 30 अप्रैल, 2025 को श्रीलंका के आईसीए द्वारा आयोजित 39वें

अंतर्राष्ट्रीय सीए छात्र सम्मेलन में भाग लिया और उक्त अंतर्राष्ट्रीय सीए छात्र सम्मेलन के दौरान पैनल चर्चा में आई.सी.ए.आई. का प्रतिनिधित्व किया।

(X) 01.03.2025 से 31.05.2025 तक आयोजित आईसीआईटीएसएस (आईटी/ओसी) और एआईसीआईटीएसएस (एडवांस आईटी/एमसीएस) के बैचों की संख्या

कोर्स का नाम	**आयोजित बैचों की संख्या**	**प्रशिक्षित छात्रों की कुल संख्या**
आईसीआईटीएसएस (आईटी)	392	12555
आईसीआईटीएसएस (ओसी)	266	10951
एआईसीआईटीएसएस (एडवांस आईटी)	181	6189
एआईसीआईटीएसएस (एमसीएस)	167	6566

10.3 **कैरियर परामर्श समिति**

आई.सी.ए.आई. की करियर परामर्श समिति का गठन कक्षा आठवीं, माध्यमिक, उच्च/उच्चतर माध्यमिक, स्नातक-स्नातकोत्तर के छात्रों के बीच सीए पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान देते हुए वाणिज्य शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु किया गया है। समिति का मुख्य उद्देश्य कक्षा आठवीं से स्नातक/स्नातकोत्तर तक अध्ययनरत छात्रों को करियर मार्गदर्शन प्रदान करना है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

(I) आईसीएआई और सीबीएसई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर -

सीबीएसई छात्रों के बीच वाणिज्य आधारित कौशल पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए आईसीएआई और कौशल शिक्षा विभाग, सीबीएसई के बीच 21 नवंबर 2024 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के बाद, आईसीएआई के उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) और जयपुर शाखा में 23-24 मई 2025 को एक एक्सपोजर विजिट आयोजित किया गया। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में 11 राज्यों के 27 सीबीएसई स्कूल प्रिंसिपलों को चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) कोर्स के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की नई योजना का गहन अवलोकन प्रदान किया गया। सत्रों ने प्रिंसिपलों को छात्रों को एक प्रतिष्ठित और आशाजनक करियर के रूप में सीए को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन और प्रेरित करने के लिए ज्ञान और साधन से लैस किया। प्रतिभागियों ने आईसीएआई की व्यावहारिक प्रशिक्षण सुविधाओं का भी अनुभव किया और देश भर में इसकी 177 शाखाओं के विशाल नेटवर्क की जानकारी प्राप्त की। इस यात्रा के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए, एक प्रिंसिपल इस पाठ्यक्रम के मूल्य और मान्यता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत सी.ए. इंटरमीडिएट कोर्स में दाखिला ले लिया।

(II) करियर / मेगा करियर परामर्श कार्यक्रम

समिति ने पूरे भारत में 2,854 करियर परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए हैं और आईसीएआई की क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के सहयोग से नियमित रूप से 4,98,382 छात्रों को परामर्श प्रदान किया है। इस पहल का उद्देश्य कक्षा आठवीं से स्नातक/स्नातकोत्तर तक के छात्रों को सीए पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान देते हुए करियर मार्गदर्शन प्रदान करना है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न शैक्षिक पृष्ठभूमि के छात्रों को उनकी शिक्षा के प्रारंभिक चरण से ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम और इसके करियर की संभावनाओं के बारे में अच्छी जानकारी हो।

(III) करियर काउंसलर सशक्तिकरण सम्मेलन

करियर काउंसलिंग समिति ने आईसीएआई **के पैनल में शामिल करियर काउंसलरों/करियर काउंसलर बनने के इच्छुक लोगों के लिए "करियर काउंसलर सशक्तिकरण** सम्मेलन**" नामक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम आयोजित करने की परिकल्पना की थी। संकाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सभी पीओयू में परामर्श सत्रों के एक समान वितरण को मानकीकृत करना है। पूरे भारत में ऐसे कुल** 12 सम्मेलन **आयोजित किए गए और** 829 **काउंसलरों को प्रेरित किया गया।**

(IV) प्रिंसिपल कॉन्क्लेव का आयोजन

प्रिंसिपल कॉन्क्लेव के आयोजन का उद्देश्य स्कूल/कॉलेज के प्रधानाचार्यों को हमारी नई शिक्षा एवं प्रशिक्षण योजना से अवगत कराना और सीए कोर्स पर विशेष ध्यान देते हुए वाणिज्य शिक्षा को बढ़ावा देना है। समिति ने 3 प्रिंसिपल कॉन्क्लेव का सफलतापूर्वक आयोजन किया और लगभग 442 **स्कूल/कॉलेज के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और शिक्षाविदों ने इसमें भाग लिया।**

(V) कैरियर मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी

इस अवधि के दौरान, आई.सी.ए.आई. ने देश भर के विभिन्न शहरों में आयोजित 97 शिक्षा एवं करियर मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लिया, जिनसे कुल 53,367 छात्र लाभान्वित हुए। ये आयोजन शिक्षकों, शिक्षकों, छात्रों और अन्य प्रमुख हितधारकों को करियर मार्गदर्शन प्रदान करने और चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के बारे में व्यापक जानकारी प्रसारित करने के लिए एक मूल्यवान मंच के रूप में कार्य करते हैं।

(IV) सीएएफवाई और सुपर मेगा करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन - भविष्य की राह

द करियर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर यूथ (सीएएफवाई) और सुपर मेगा करियर परामर्श कार्यक्रम - भविष्य की राह का आयोजन 29 अगस्त , 2024 को पूरे भारत में किया गया था। इस आयोजन का उद्देश्य क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के सहयोग से अकाउंटिंग को एक पेशे के रूप में प्रचारित करने के साथ-साथ सीए पाठ्यक्रम और आई.सी.ए.आई. के प्रचार-प्रसार हेतु पूरे भारत में एक साथ अधिकतम कार्यक्रम आयोजित करना था। इस विशाल आयोजन में 85 क्षेत्रीय परिषदों और आई.सी.ए.आई. शाखाओं की भागीदारी रही और प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और करियर परामर्शदाताओं के साथ-साथ कक्षा आठवीं से स्नातक तक के कुल 1,16,760 छात्रों ने पूरे भारत में 437 कार्यक्रमों में भाग लिया।

(VIII) आई.सी.ए.आई. कॉमर्स ओलंपियाड का आयोजन

समिति ने आठवीं कक्षा से स्नातक तक के छात्रों के लिए एक ऑनलाइन आई.सी.ए.आई. **कॉमर्स ओलंपियाड का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह पहल** आई.सी.ए.आई. **के साथ छात्रों की सहभागिता बढ़ाने और चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) पाठ्यक्रम के बारे में जागरूकता बढ़ाने** हेतु **बनाई गई है। संस्थान द्वारा एक अनूठे प्रयास के रूप में, ओलंपियाड छात्रों को अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी माहौल का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। ओलंपियाड 19 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया था, जिसमें देश भर के 38,569 पंजीकृत उम्मीदवारों में से 8,515 छात्रों ने भाग लिया था। शीर्ष तीन रैंकर्स को उनकी उपलब्धियों के सम्मान में मेरिट सर्टिफिकेट के साथ 10,000 रुपये से सम्मानित किया गया। इसके अलावा,** आई.सी.ए.आई. **कॉमर्स ओलंपियाड में पहले तीन रैंक धारकों को फाउंडेशन / डायरेक्ट एंट्री सीए कोर्स के लिए उनके पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति दी जाती है।**

11. धारा – 8 कंपनियाँ

11.1 एक्सबीआरएल

वर्तमान में, एक्सबीआरएल इंडिया, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के लिए एक्सबीआरएल टैक्सोनॉमी का विकास और रखरखाव कर रहा है। भारत में एक्सबीआरएल को बढ़ावा देने के संस्थान के प्रयासों में नियामकों, तकनीकीविदों, कॉर्पोरेट्स एवं शिक्षाविदों की अच्छी भागीदारी के लिए, संस्थान ने एक्सबीआरएल इंडिया को धारा 25 कंपनी (वर्तमान में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत) के रूप में निगमित करने में सहायता की है। इसका मुख्य उद्देश्य टैक्सोनॉमी के विकास, एक्सबीआरएल पर शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से भारत में इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस रिपोर्टिंग के मानक के रूप में एक्सबीआरएल को अपनाने को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा, एक्सबीआरएल इंडिया ने वैश्विक स्तर पर एक्सबीआरएल फाइलिंग की सुविधा और अपडेट पाने के लिए एक्सबीआरएल इंटरनेशनल की सदस्यता भी ली है। एक्सबीआरएल इंडिया, एक्सबीआरएल इंटरनेशनल का एक स्थापित भारतीय क्षेत्राधिकार है।

वर्तमान में, एक्सबीआरएल इंडिया, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के लिए एक्सबीआरएल टैक्सोनॉमी का विकास एवं रखरखाव कर रहा है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा एक्सबीआरएल फाइलिंग आवश्यकताएँ

- वर्तमान में, दो टैक्सोनॉमी हैं अर्थात् इंड एएस टैक्सोनॉमी और कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल (सी एंड आई) टैक्सोनॉमी जो कंपनियों पर लागू हैं:

एक्सबीआरएल इंडिया ने हमेशा अपने प्रमुख परिचालन क्षेत्र, यानी कंपनी अधिनियम के तहत वित्तीय विवरण दाखिल करने हेतु टैक्सोनॉमी के विकास/रखरखाव पर ध्यान केंद्रित किया है। तदनुसार, एक्सबीआरएल इंडिया ने 2022 में एमसीए को प्रस्तुत टैक्सोनॉमी के परीक्षण के उद्देश्य से उदाहरण के तौरपर दस्तावेज़ों के नमूने प्रस्तुत किए हैं। ऐसा माना जा रहा था कि टैक्सोनॉमी का बीटा संस्करण जल्द ही अपडेट किया जाएगा ताकि विभिन्न एक्सबीआरएल वेंडर्स को अपने टूल्स विकसित करने और हितधारकों द्वारा वित्तीय विवरण भरने के दौरान उनका परीक्षण करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। टैक्सोनॉमी के विकास के अलावा, वित्तीय विवरणों को एक्सबीआरएल प्रारूपों में परिवर्तित करते समय टैक्सोनॉमी के संबंध में फाइल करने वालों के सामने आने वाले प्रश्नों/समस्याओं का समाधान किया गया है।

नई टैक्सोनॉमी का विकास

निम्न प्रकार की कुछ विशेष तरह की कंपनियों पर लागू इंड एएस और सी एंड आई टैक्सोनॉमी के अलावा, एक्सबीआरएल इंडिया ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए टैक्सोनॉमी के विकास हेतु एमसीए को प्रस्ताव दिया है। यह मामला एमसीए के समीक्षाधीन है:

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)
- बीमा संस्थाएं (जीवन और गैर-जीवन बीमा कंपनियों दोनों के लिए अलग-अलग)
- नगर निगम क्षेत्र

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में भागीदारी

एक्सबीआरएल इंटरनेशनल का सदस्य बनने के एक हिस्से के रूप में, एक्सबीआरएल इंडिया का योगदान केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा है। एक्सबीआरएल इंडिया के बोर्ड सदस्यों ने एक्सबीआरएल इंटरनेशनल की विभिन्न बैठकों/कार्यक्रमों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वर्ष के दौरान, बोर्ड के सदस्यों ने एक्सबीआरएल इंटरनेशनल सदस्य सभा की बैठक; जापान में 13वें एक्सबीआरएल एशिया गोलमेज सम्मेलन; और स्पेन में डेटा एम्प्लीफाइड 2024 और एक्सबीआरएल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। डेटा एम्प्लीफाइड 2024 और एक्सबीआरएल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, बोर्ड के सदस्यों ने भारत में बीआरएसआर पहलों पर प्रस्तुति दी और सम्मेलन में इसकी सराहना की गई।

एक्सबीआरएल इंटरनेशनल के निदेशक मंडल : एक्सबीआरएल इंडिया के अध्यक्ष और आईसीएआई के अध्यक्ष को एक्सबीआरएल इंटरनेशनल के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया है। उन्होंने 28-29 अप्रैल, 2025 को आयोजित एक्सबीआरएल इंटरनेशनल के निदेशक मंडल की बैठक में भाग लिया।

11.2 **आई.सी.ए.आई.- लेखा अनुसंधान फाउंडेशन (** एआरएफ)

आईसीएआई लेखा अनुसंधान फाउंडेशन (आईसीएआई एआरएफ) जनवरी, 1999 में लेखा पेशे से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान, शिक्षा, शिक्षण व समझ प्रदान करने, प्रसार और संवर्धन हेतु एक अकादमी के रूप में विकसित करने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। आईसीएआई एआरएफ द्वारा संचालित परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है:

- **भारतीय रेलवे:**

संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, भारतीय रेलवे, आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप लेखांकन सुधारों की दिशा में कई पहल कर रहा है। लेखांकन सुधारों की दिशा में, भारतीय रेलवे ने 2014 में अपने प्रोद्भव आधारित वित्तीय विवरण तैयार करने की कवायद शुरू की थी, जो वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव था। इस पहल की शुरुआत से ही, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) और इसके अकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन (आईसीएआई एआरएफ) ने इन सुधारों के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आईसीएआई एआरएफ ने भारतीय रेलवे को प्रोद्भव-आधारित लेखा प्रणाली में स्थानांतरण के माध्यम से मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आईसीएआई एआरएफ ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए प्रोद्भव आधारित वित्तीय विवरण सफलतापूर्वक तैयार किए हैं।

पिछले एक वर्ष में पूरा किया गया कार्य

- भारतीय रेलवे के वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए प्रोद्भव आधारित वित्तीय विवरण (एबीएफएस) पेश किए गए। भारतीय रेलवे द्वारा पर्यावरण स्थिरता की दिशा में की गई कई पहलों को 2022-23 के वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है। यह भारत सरकार के इतिहास में एक मील का पत्थर होगा कि प्रोद्भव आधारित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।
- सीडब्ल्यूआईपी की मंजूरी और सीडब्ल्यूआईपी डेटा के आधार पर एनआर पर एफएआर को हस्तांतरण के लिए ढांचा विकसित करने हेतु पायलट अध्ययन किया जाएगा।

प्रगतिधीन कार्य:

वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय रेलवे का एबीएफएस।

- **कोषागार एवं लेखा विभाग, तमिलनाडु सरकार :** आईसीएआई एआरएफ ने राज्य में कोषागार एवं लेखाओं को नियंत्रित करने वाले नियामक ढाँचे को पुनर्लेखन करने का कार्य अपने हाथ में लिया है, मुख्यतः (i) कोषागार संहिता, (ii) लेखा संहिता (iii) वेतन एवं लेखा कार्यालय नियमावली, तथा राज्य द्वारा प्रयुक्त सभी प्रपत्रों की समीक्षा, तथा अतिरेक, सुधार, सरलीकरण और नए प्रपत्रों पर सिफारिशें, जिन्हें राज्य के आधिकारिक संहिता

दस्तावेजों के भाग के रूप में प्रलेखित किया जाएगा। आईसीएआई ने वर्ष के दौरान इस परियोजना को पूरा कर लिया है और इसे 19 जून, 2024 को कोषागार एवं लेखा आयुक्त को पेश कर दिया है।

- **भारतीय बंदरगाह संघ (आईपीए) :** आईसीएआई एआरएफ को प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 और एमपीए (लेखा एवं लेखा परीक्षा) नियम, 2021 के अनुपालन हेतु 11 प्रमुख बंदरगाहों का सामान्य लेखा ढांचा तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। प्रमुख बंदरगाहों के लिए वार्षिक खातों को तैयार करने के लिए सामान्य ढांचा और सभी बंदरगाहों के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीति दस्तावेज़ आईपीए को पेश किए गए हैं। दोनों दस्तावेजों को आईपीए द्वारा सभी प्रमुख बंदरगाहों में कार्यान्वयन के लिए सीएजी के परामर्श से अधिसूचित करने और प्रमुख बंदरगाहों के ऑडिट किए गए वार्षिक खातों को रखने की समयसीमा को अधिसूचित करने हेकु शिपिंग पोर्ट एवं जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) को भेज दिया गया है। यह मामला शिपिंग पोर्ट और जलमार्ग मंत्रालय के विचाराधीन है।

- **प्रमाणपत्र पंचायतों और नगर निकायों के लेखाकारों के लिए पाठ्यक्रम :** आईसीएआई एआरएफ ने स्थानीय निकाय लेखाकार प्रमाणन बोर्ड (अर्थात्, आईसीएआई एआरएफ के तहत स्थापित बीएलओएसी) के ज़रिए पंचायतों और नगर निकायों के लेखाकारों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स की परियोजना को क्रियान्वित किया। आईसीएआई की सार्वजनिक एवं सरकारी वित्तीय प्रबंधन समिति (सीपीजीएफएम) पाठ्यक्रम के संचालन के लिए पाठ्यक्रम सामग्री के विकास और समन्वय में शामिल है। पाठ्यक्रम औपचारिक रूप से 16 नवंबर 2023 (लेखापरीक्षा दिवस) को लॉन्च किए गए थे और इन पाठ्यक्रमों के पंजीकरण 1 दिसंबर 2023 को एक समर्पित वेबसाइट https://lba.icaiarf.org.in/ के माध्यम से शुरू किए गए थे। वर्ष के दौरान लगभग 3699 उम्मीदवारों ने इस पाठ्यक्रम हेतु पंजीकरण कराया है। पाठ्यक्रम की संरचना के अनुसार, दो ऑफ़लाइन परीक्षाएं (स्क्रीनिंग व मुख्य परीक्षा) आयोजित की जा रही हैं। स्क्रीनिंग परीक्षा के अंतर्गत लेखांकन का मूल विषय शामिल किया जाता है तथा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पंचायत/नगरपालिका निकायों के विशिष्ट लेखांकन को शामिल किया जाता है। आईसीएआई परीक्षा प्रणाली को थोड़े संशोधन के पश्चात् (पंजीकरण कम होने के कारण) सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम परीक्षा के लिए दोहराया गया है, लेकिन आईसीएआई परीक्षा प्रणाली की मजबूती को बनाए रखा गया है।

- पंचायतों और नगर निकायों के लेखाकारों के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों हेतु आईसीएआई और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय (सीएजी कार्यालय) के बीच सहयोग के फलस्वरूप, आईसीएआई एआरएफ और आईसीएआई ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के लेखापरीक्षा में शामिल सीएजी अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया ताकि सीएजी कार्यालय के अधिकारियों के कौशल को बढ़ाया जा सके और उनके व्यावसायिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इस संबंध में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकारियों के लिए आवासीय क्षमता सृजन कार्यक्रम का पहला बैच 5 मई 2025 से शुरू हुआ।

- **तमिलनाडु वित्तीय संहिता, खंड I और II का पुनर्लेखन -** कोषागार एवं लेखा विभाग, तमिलनाडु सरकार अक्टूबर 2024 में आईसीएआई-एआरएफ को तमिलनाडु वित्तीय संहिता, खंड I और II के पुनर्लेखन की नई परियोजना सौंपी गई। संशोधित टीएनएफसी (ड्राफ्ट) के साथ आरंभिक रिपोर्ट मार्च 2025 में अपर निदेशक - कोषागार एवं लेखा को पेश की गई है।

- **आईसीएआई एआरएफ का नया लोगो -** कंपनी के रूप में, आईसीएआई एआरएफ ने जनवरी 1999 में आयोजित अपनी पहली बैठक में कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली स्टेशनरी व दस्तावेज़ों के मास्टहेड पर उपयोग हेतु एक लोगो अपनाया था। आईसीएआई एआरएफ का लोगो शोध संस्थान के तौरपर सार्वजनिक पहचान और मान्यता को बढ़ावा देने के प्रतीक का कार्य करता है। विगत कुछ वर्षों में, आईसीएआई ने कई परियोजनाएँ शुरू की हैं और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा किया है। आईसीएआई एआरएफ ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड सृजन को सक्षम बनाने हेतु अपने लोगो में संशोधन किया है।

11.3 **आई.सी.ए.आई.** पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन

आई.सी.ए.आई. पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन (आईसीएआई आरवीओ) धारा 8 निजी कंपनी है जिसका गठन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा किया गया है, जो कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता एवं मूल्यांकन) नियम, 2017 के अनुसार पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं या मूल्यांकनकर्ता सदस्यों को अपने सदस्यों के रूप में नामांकित व विनियमित करता है, और इसके अनुरूप कार्य करता है।

(I) आईसीएआई पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन द्वारा शैक्षिक पाठ्यक्रम (50 घंटे) जो पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता बनने की एक पूर्व शर्त है:

- आईसीएआई पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन अपने सदस्यता बेस को बनाने और अपने मूल्यांकनकर्ता सदस्यों के लिए 50 घंटे का शैक्षिक पाठ्यक्रम संचालित करने पर ध्यान दे रहा है, जो पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता बनने और शैक्षिक पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक सामग्री तैयार करने की एक पूर्व शर्त है।
- इस दिशा में, 1 जुलाई 2024 से 31 मई 2025 तक, आईसीएआई आरवीओ ने परिसंपत्ति वर्ग 'प्रतिभूति या वित्तीय परिसंपत्तियां' के लिए 50 घंटे के शैक्षिक पाठ्यक्रम के 10 ऑनलाइन बैच, परिसंपत्ति वर्ग 'भूमि व भवन' के लिए 02 ऑनलाइन बैच और परिसंपत्ति वर्ग 'संयंत्र और मशीनरी' के लिए 01 ऑनलाइन बैच आयोजित किया है, जिसमें देश भर के सदस्यों ने भाग लिया।
- मई 2025 के अंत तक, शैक्षिक पाठ्यक्रम के कुल 91 बैच (परिसंपत्ति वर्ग प्रतिभूति या वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए 86 बैच, परिसंपत्ति वर्ग भूमि व भवन के लिए 4 बैच और परिसंपत्ति वर्ग संयंत्र और मशीनरी के लिए 1 बैच) आयोजित किए गए हैं।
- 31 मई 2025 तक, 5031 सदस्यों को आईसीएआई आरवीओ द्वारा 50 घंटे के शैक्षिक पाठ्यक्रम हेतु प्रशिक्षित (5005 सदस्य परिसंपत्ति वर्ग प्रतिभूति या वित्तीय परिसंपत्ति के अंतर्गत, 24 सदस्य परिसंपत्ति वर्ग भूमि व भवन के अंतर्गत और 02 सदस्य परिसंपत्ति वर्ग संयंत्र और मशीनरी के अंतर्गत) किया गया है।

(II) आईसीएआई पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन द्वारा शैक्षिक पाठ्यक्रम (50 घंटे) की ऑनलाइन कक्षाएं जो पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता बनने की एक पूर्व शर्त है:

- कोविड-19 के कारण, भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने 29 मार्च 2022 को जारी अपने दिशानिर्देशों के माध्यम से शैक्षिक पाठ्यक्रम की कक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से संचालित करने की अनुमति दी है। आईबीबीआई ने 30 सितंबर 2022 के संशोधन के माध्यम से इन दिशानिर्देशों की वैधता को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है।
- 1 जुलाई 2024 से 31 मई 2025 तक की अवधि के लिए, आईसीएआई आरवीओ ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार 50 घंटे के शैक्षिक पाठ्यक्रम के ऑनलाइन बैच आयोजित किए हैं:

परिसंपत्ति वर्ग	आयोजित बैचों की संख्या	प्रशिक्षित कुल प्रतिभागियों की संख्या
प्रतिभूतियाँ या वित्तीय परिसंपत्तियाँ	10	473
भूमि व भवन	02	15
संयंत्र व मशीनरी	01	02

(III) भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के साथ पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं (आरवी) का पंजीकरण:

31 मई 2025 तक, प्राधिकरण अर्थात भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) और आईसीएआई आरवीओ के पास पंजीकृत आरवी की संख्या इस प्रकार है:

परिसंपत्ति वर्ग	आईबीबीआई के साथ पंजीकृत आरवी की संख्या	आईसीएआई आरवीओ के साथ पंजीकृत आरवी की संख्या
प्रतिभूतियाँ या वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2293	1151
संयंत्र व मशीनरी	2988	01
भूमि व भवन	582	01

(IV) आईसीएआई आरवीओ का ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम

आईसीएआई आरवीओ का अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) है, जो एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसे अपने सदस्यों की अलग-अलग ज़रुरतों को पूरा करते हुए एक समग्र व सुगम शिक्षण मंच प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। एक ओर, मूल्यांकन परीक्षा हेतु आईबीबीआई द्वारा निर्धारित विभिन्न विषयों पर विस्तृत शिक्षण सामग्री (वीडियो सहित) उपलब्ध है, जिसके साथ प्रैक्टिस के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्रारूप में मॉक टेस्ट भी उपलब्ध हैं, और दूसरी ओर, इसमें ऐसी सामग्री भी है जो अपने आरवी सदस्यों को मूल्यांकन संबंधी नए विषयों पर निरंतर शिक्षा प्रदान करती है।

एलएमएस को नियमित आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की नवीनतम प्रस्तुतियों और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ अद्यतन किया जाता है, तथा अन्य 2 परिसंपत्ति वर्गों अर्थात भूमि व भवन तथा संयंत्र और मशीनरी में हमारे हाल के प्रवेश के साथ, इन परिसंपत्ति वर्गों के लिए शैक्षिक सामग्री भी एलएमएस पर अपने सदस्यों के लाभ के लिए जोड़ी जा रही है।

(V) प्रकाशन

आईसीएआई पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन ने जुलाई 2024 से मई 2025 तक निम्नलिखित प्रकाशन जारी किए हैं:

- आईसीएआई आरवीओ की त्रैमासिक पत्रिका (खंड 1, अंक 2), जुलाई 2024
- आईसीएआई आरवीओ की त्रैमासिक पत्रिका (खंड 1, अंक 3), अक्टूबर 2024
- आईसीएआई आरवीओ की त्रैमासिक पत्रिका (खंड 1, अंक 4), जनवरी 2025
- आईसीएआई आरवीओ की त्रैमासिक पत्रिका (खंड 1, अंक 5), अप्रैल 2025

(VI) सतत शैक्षिक कार्यक्रम

सतत शैक्षिक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, आईसीएआई आरवीओ ने जुलाई 2024-मई 2025 की अवधि हेतु अपने पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता सदस्यों के लिए मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:

परिसंपत्ति वर्ग	आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या	प्रशिक्षण के घंटें	प्रशिक्षित कुल प्रतिभागियों की संख्या
प्रतिभूतियाँ या वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एसएफए)	24	52	2110
भूमि व भवन (एल एंड बी)	01	02	16
एल एंड बी और एसएफए	09	18	617
एल एंड बी, पी एंड एम और एसएफए	01	02	105

(VII) मूल्यांकन पर मास्टर कक्षाएं

आईसीएआई आरवीओ अपने पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता सदस्यों के लिए मूल्यांकन पर मास्टर कक्षाएं भी आयोजित करता है। विशेषज्ञ संकाय इन सत्रों में मूल्यांकन के विभिन्न पहलुओं, जैसे दृष्टिकोण, अनुप्रयोग, केस स्टडी, चुनौतियाँ और आगे की राह पर ध्यान देते हैं। इस अवधि के दौरान, हाल के विलय एवं अधिग्रहण सौदों को समझने, अमूर्त संपत्ति मूल्यांकन, डिजिटल परिसंपत्तियों का अवलोकन व उनका मूल्यांकन, तथा एक्सेल के साथ निश्चित आय प्रतिभूतियों का पुनरीक्षण, पर 3 मास्टर कक्षाएं (230 सदस्यों को प्रदान किया गया 13 घंटे का प्रशिक्षण) आयोजित की गईं।

(VIII) पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं को सीओपी प्रदान करने हेतु सॉफ्ट स्किल्स पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

आईसीएआई आरवीओ द्वारा आयोजित जुलाई 2024-मई 2025 की अवधि के लिए पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं को प्रैक्टिस सर्टिफिकेट (सीओपी) प्रदान करने के लिए सॉफ्ट स्किल्स पर 05 ऑनलाइन सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(IX) पुनश्चर्या **प्रशिक्षण कार्यक्रम**

नियमों द्वारा तय अनिवार्य 50 घंटे के शैक्षिक पाठ्यक्रम के अलावा, आईसीएआई आरवीओ उन प्राथमिक सदस्यों के लिए विशेष रूप से पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है, जिन्होंने अभी तक मूल्यांकन परीक्षा—पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता का दर्जा हासिल करने की पूर्वापेक्षा—को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण नहीं किया है। इन पुनश्चर्या कार्यक्रमों का उद्देश्य शैक्षिक पाठ्यक्रम के माध्यम से अर्जित ज्ञान को पूरक बनाना है, और उन प्राथमिक सदस्यों की ज़रुरतों को पूरा करना है जो अपनी दक्षता बढ़ाना चाहते हैं या नए मूल्यांकन पाठ्यक्रम से अपडेट रहना चाहते हैं। इन पुनश्चर्या प्रशिक्षण

पहलों का अंतिम उद्देश्य प्राथमिक सदस्यों को आईबीबीआई मूल्यांकन परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने हेतु आवश्यक कौशल और विशेषज्ञता से लैस करना है। आईसीएआई आरवीओ ने जुलाई 2024 से मई 2025 तक मूल्यांकन से संबंधित 8 विषयों पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

(X) आवासीय कार्यक्रम

दिवाला एवं मूल्यांकन मानक बोर्ड (आई एवं वीएसबी), आईसीएआई ने आईसीएआई आरवीओ और आईसीएआई के भारतीय दिवाला पेशेवर संस्थान (आईआईपीआई) के सहयोग से और ईआईआरसी, आईसीएआई की मेजबानी में, बीबीएसआर, ओडिशा (मेफेयर लैगून, भुवनेश्वर, ओडिशा) में 3 से 4 अगस्त 2024 तक आवासीय कार्यक्रम, आईबीसी 3.0 का आयोजन किया।

(XI) आईसीएआई आरवीओ द्वारा आयोजित वेबकास्ट/वेबिनार

आईसीएआई आरवीओ ने मूल्यांकन रिपोर्टों की सहकर्मी समीक्षा के निष्कर्षों से सीख पर लाइव वेबकास्ट आयोजित किया है।

(XII) आईसीएआई आरवीओ द्वारा आयोजित सम्मेलन

18 अक्टूबर 2024 को मूल्यांकन दिवस सम्मेलन : आईसीएआई आरवीओ और आईओवी आरवीएफ ने आईबीबीआई के सहयोग से 18 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में 'मूल्यांकन दिवस' कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और आईबीबीआई के कार्यकारी निदेशक श्री सतीश सेठी और आईबीबीआई के महाप्रबंधक श्री बी. शंकरनारायणन की उपस्थिति से सम्मेलन की शोभा काफी बढ़ गई। कार्यक्रम में कंपनी अधिनियम, 2013 और आईबीसी, 2016 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मूल्यांकन पर सार्थक चर्चाएँ शामिल थीं।

(XIII) संकल्प 2024

आईसीएआई ने आईसीएआई आरवीओ और आईआईआईपीआई के सहयोग से 12-13 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में "इनेबलिंग सॉल्यूशन, मैक्सिमाइज़िंग वैल्यू" विषय पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवाला एवं मूल्यांकन सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में एनसीएलटी के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति अशोक भूषण और विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष श्री रवि मित्तल उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं सहित दिवाला पेशेवरों, पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं, नियामकों और नीति निर्माताओं की भारी भागीदारी रही।

(XIV) अर्ध-वार्षिक निगरानी रिपोर्ट, सहकर्मी-समीक्षा और निरीक्षण के माध्यम से सदस्यों की निगरानी

अर्ध-वार्षिक निगरानी रिपोर्ट

- आईसीएआई आरवीओ निगरानी नीति में प्रावधान है कि किसी सदस्य को पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के रूप में जारी व संपन्न कार्यों की जानकारी, संगठन द्वारा निर्दिष्ट तरीके और प्रारूप में, वर्ष में कम से कम दो बार, अर्थात 31 मार्च और 30 सितंबर को प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, असाइनमेंट की तिथि, पूरा होने की तिथि और मूल्यांकन असाइनमेंट की संदर्भ संख्या और मूल्यांकन रिपोर्ट का उल्लेख होना चाहिए। तदनुसार, सदस्यों को अर्ध-वार्षिक निगरानी रिपोर्ट, अर्ध-वार्षिक समाप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। इसके बाद, आईसीएआई आरवीओ द्वारा इन रिपोर्टों को आईबीबीआई को आगे पेश करने हेतु संकलित किया जाता है।
- इस अवधि के दौरान, आईसीएआई आरवीओ के पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता सदस्यों ने 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए मूल्यांकन कार्यों की अपनी अर्ध-वार्षिक निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

सहकर्मी समीक्षा

- आईबीबीआई के निर्देशों के तहत, आईसीएआई आरवीओ अपने सदस्यों की सहकर्मी समीक्षा कर रहा है।
- इस अवधि के दौरान, आईसीएआई आरवीओ ने 1 अक्टूबर, 2022 से 30 सितंबर, 2023 तक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत 168 मूल्यांकन रिपोर्टों की सहकर्मी समीक्षा की, जिसमें पहली बार आईसीएआई आरवीओ के साथ पंजीकृत पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संस्थाओं की सहकर्मी समीक्षा भी शामिल थी।
- आईसीएआई आरवीओ के सहकर्मी समीक्षक पैनल ने 168 मूल्यांकन रिपोर्टों की ठीक से जाँच की और उन्हें छह महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया, जिनमें से प्रत्येक को कई अवलोकन बिंदुओं में

विभाजित किया गया। आईबीबीआई के मार्गदर्शन में आईसीएआई आरवीओ द्वारा सहकर्मी समीक्षा अभ्यास का सफल निष्पादन, पेशेवर उत्कृष्टता की निरंतर खोज व मूल्यांकन पेशे के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

- हालांकि, कुछ क्षेत्रों में अभी भी सुधार एवं संवर्धित अनुपालन की ज़रुरत है, फिर भी यह उल्लेखनीय है कि समीक्षा की गई रिपोर्टों में से अधिकांश ने वैधानिक अनिवार्यताओं के अनुपालन को प्रदर्शित किया है, तथा पिछली समकक्ष समीक्षाओं से प्राप्त टिप्पणियों को विधिवत रूप से शामिल किया गया है।
- अगस्त 2024 में संपन्न सहकर्मी-समीक्षा अभ्यास के निष्कर्षों को आईबीबीआई के साथ साझा किया गया है और इसे आईसीएआई आरवीओ की वेबसाइट https://icairvo.in/documents-on-peer-review.aspx पर भी उपलब्ध कराया गया है।

आरवी का निरीक्षण

- आईबीबीआई के निर्देशों के अनुपालन में, सभी पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठनों (आरवीओ) को अपनी संबंधित निरीक्षण नीतियों के अनुसार 31 मार्च, 2024 तक नामांकित अपने पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं (आरवी) का निरीक्षण करना होगा।
- इस अनिवार्यता के अनुपालन में, आईसीएआई आरवीओ ने 61 आरवी को निरीक्षण नोटिस जारी किए हैं, जिनमें निरीक्षण प्रक्रिया के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज़ पेश करने का अनुरोध किया गया है। निरीक्षण प्रक्रिया समाप्त हो गई है, और निरीक्षण के अंतिम निष्कर्षों को आईसीएआई आरवीओ की निगरानी समिति की आगामी बैठक में विचार और अनुमोदन के लिए पेश किया जाएगा।

11.4 आईसीएआई भारतीय दिवाला पेशेवर संस्थान (आई.आई.आई.पी.आई.)

आईसीएआई भारतीय दिवाला पेशेवर संस्थान (आई.आई.आई.पी.आई.) के लिए 2024-25 का वर्ष काफी सफल रहा है। इसे 28 नवंबर 2016 को दिल्ली में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा भारत की पहली दिवाला पेशेवर एजेंसी के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। आई.आई.आई.पी.आई. ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स और मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स सहित विविध क्षेत्रों के सदस्यों का ध्यान खिंचा है। आई.आई.आई.पी.आई. ने एक ओर हितधारकों की क्षमता/ज्ञान सृजन को बढ़ावा देने और दूसरी ओर आईबीसी के कानून और व्यवहार को विकसित करने के लिए मूल्यवर्धित नीतिगत इनपुट प्रदान करने के लिए अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ नेटवर्क भी बनाया है। 30 अप्रैल 2025 तक आईबीबीआई में पंजीकृत कुल 4507 दिवाला पेशेवरों में से 2834, यानी 62.88% आई.आई.आई.पी.आई. से हैं। आई.आई.आई.पी.आई. के सदस्यों ने अब तक सीआईआरपी/परिसमापन/स्वैच्छिक परिसमापन के कुल कार्यों का लगभग 75% संभाला है, जिसमें कई सबसे बड़े मामले भी शामिल हैं।

आईपीए के बीच सदस्यता का वितरण

दिनांक 30 अप्रैल 2025 तक आईपीए अनुसार पंजीकृत आईपी सदस्य की स्थिति

आईपीए	मार्च-18	%	मार्च-19	%	मार्च-20	%	मार्च-21	%	मार्च-22	%	मार्च-23	%	मार्च-24	%	30 अप्रैल 2025	%
आईआईआईपीआई	1100	60.71	1518	61.71	1860	61.71	2184	62.05	2551	62.69	2696	63.02	2762	62.86	2834	62.87
आईसीएसआई	562	31.02	738	30.00	903	29.96	1025	29.12	1142	28.07	1183	27.65	1217	27.70	1247	27.66
आईसीएमएआई	150	8.28	204	8.29	251	8.33	311	8.84	376	9.24	399	9.33	415	9.44	427	9.47
कुल	1812	100	2460	100	3014	100	3520	100	4069	100.00	4278	100.00	4394	100.00	4508	100.00

30 अप्रैल 2025 तक आईपीए के रूप में पंजीकृत आईपीई की स्थिति का विवरण

आईपीए का नाम	31 मार्च, 2023	%	31 मार्च, 2024	%	30 अप्रैल, 2025	%
आईआईआईपीआई	24	58.54	41	54.67	52	55.91
आईपीए आईसीएसआई	8	19.51	12	16.00	16	17.20
आईपीए आईसीएमएआई	9	21.95	22	29.33	25	26.88
कुल	41	100.00	75	100.00	93	100.00

(I) क्षमता सृजन पहल:

किसी भी पेशे के पेशेवर सदस्यों की क्षमता सृजन हेतु संवाद और विचार-विमर्श ज़रुरी हैं। ऐसा होना दिवाला पेशे के संदर्भ में और भी अधिक प्रासंगिक है, जिससे कई हितधारक प्रभावित होते हैं और इसे सबसे जटिल पेशे में से एक माना जाता है। एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में एक दिवाला पेशेवर के कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं, जो कॉर्पोरेट को बचाने की प्रक्रिया के दौरान और उसके आसपास कई बार मुश्किल हो जाती है । इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि आईबीसी इकोसिस्टम का प्रदर्शन, काफी हद तक, सीधे आईपी के क्षमता सृजन से जुड़ा हुआ है। मुख्य फोकस के रूप में, आई.आई.आई.पी.आई. का प्रयास न केवल गति को बनाए रखना है, बल्कि हमारे हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु कई क्षमता सृजन पहलों को जारी रखना भी है। कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

- पाँच डोमेन : चालू समुत्थान के रूप में सीडी का प्रबंधन, कानूनी कौशल, परिहार लेनदेन के लिए फोरेंसिक कौशल, सीमा पार दिवालियापन और समूह दिवालियापन में 2 से 5 दिनों के प्रारूप में 18 कार्यकारी विकास कार्यक्रम (ईडीपी-वर्चुअल) आयोजित किए जाएँगे। अंतिम 2 श्रेणियाँ अगस्त 2024 से जोड़ी गई हैं।
- 3 घंटे के प्रारूप में विभिन्न समसामयिक विषयों को कवर करते हुए 43 वेबिनार आयोजित किए गए।
- विभिन्न विषयों को कवर करने वाली 10 एक दिवसीय सप्ताहांत कार्यशालाएं।
- आईबीबीआई द्वारा चर्चा पत्रों और उभरते मुद्दों पर 7 गोलमेज सम्मेलन (वर्चुअल)
- 5-दिवसीय प्रारूप में 8 LIE परीक्षा तैयारी कक्षाएं (वर्चुअल)
- सामान्य मुद्दों पर आईबीबीआई और अन्य आईपीए के सहयोग से 15 अर्ध-दिवसीय कार्यशालाएं (वर्चुअल)
- सामान्य मुद्दों पर आईबीबीआई एवं अन्य आईपीए के सहयोग से 4 भौतिक अर्ध-दिवसीय कार्यशालाएं
- क्रॉस बॉर्डर एवं ग्रुप इन्सॉल्वेंसी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (फिजिकल) 13 अप्रैल, 2024 को यूके-एफसीडीओ के सहयोग से आयोजित किया गया था।
- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 'रिज़ॉल्व' (फिजिकल) आईवीएसबी-आई.सी.ए.आई. द्वारा आईआईआईपीआई के सहयोग से 12/13 जुलाई 2024 को भारत मंडपम में आयोजित किया गया था।
- अगस्त 2024 में भुवनेश्वर में आईबीसी पर दो दिवसीय सम्मेलन के आयोजन के लिए ईआईआरसी-आई.सी.ए.आई. में शामिल हुए।
- सितंबर 2024 के दौरान दिल्ली में (i) आईबीसी में संशोधन के प्रस्ताव, और (ii) आईपी/आईपीई के लिए नियामक ढांचे पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भौतिक सम्मेलन।
- आई.आई.आई.पी.आई. स्थापना दिवस सम्मेलन (भौतिक) 26 नवंबर, 2024 को।
- 8 फरवरी, 2025 को आईबीसी मुंबई पर भौतिक-अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन में इनसोल इंटरनेशनल यूके के साथ शामिल हुए।
- अप्रैल 2025 के दौरान हैदराबाद में 2 दिवसीय भौतिक अनुसंधान सम्मेलन के आयोजन के लिए एनएएलएसएआर हैदराबाद में शामिल हुए।
- केयर रेटिंग्स के सहयोग से उद्योग क्षेत्र प्रशिक्षण (रियल एस्टेट एवं ईपीसी उद्योग) पर एक दिवसीय कार्यशाला (वर्चुअल) 30 जुलाई , 2024 को आयोजित की जाएगी।
- आई.आई.आई.पी.आई. सदस्यों की सहकर्मी समीक्षा प्रक्रिया में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। अब तक 34 सफल सहकर्मी समीक्षाएँ पूरी हो चुकी हैं, 49 और समीक्षाएँ पाइपलाइन में हैं। इसके अलावा, 43 सहकर्मी-समीक्षक पंजीकृत किए जा चुके हैं।
- आई.आई.आई.पी.आई. के सदस्यों को रियायती दर पर आईएनएसओएल इंटरनेशनल यूके की सदस्यता उपलब्ध कराना। 162 सदस्यों ने इसके लिए विकल्प चुना है।
- त्रैमासिक पत्रिका "द रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल" का नियमित प्रकाशन आई.आई.आई.पी.आई. हेतु एक विश्वसनीय मुखपत्र और ब्रांड एंबेसडर है।
- साप्ताहिक समाचार-पत्र और केस-लॉ कैप्सूल का इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसार।
- आईआईआईपीआई ने 31 जनवरी-2 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली में आई.सी.ए.आई. द्वारा आयोजित वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स (डब्ल्यूओएफए) सम्मेलन में एक स्टॉल (ब्रांउज स्पॉन्सरशिप के माध्यम से) स्थापित किया।

- आईबीसी पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई, जिसका परिणाम अप्रैल 2024 में एक सम्मेलन में घोषित किया गया।

(II) किए गए अनुसंधान और अध्ययन

- अप्रैल 2024 से अब तक अध्ययन समूहों के ज़रिए निम्नलिखित के संबंध में ग्यारह अध्ययनों/रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया गया है और प्रसारित किया गया है:
  - ➢ परिहार लेनदेन पर राय बनाने/प्रस्तुत करने हेतु टेम्पलेट
  - ➢ आईपी द्वारा सीओसी/एससीसी बैठकें आयोजित करने के लिए सर्वोत्तम पद्धतियाँ
  - ➢ भारत में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए विकासशील बाजार
  - ➢ रियल एस्टेट संबंधी समाधान और रेरा के साथ समन्वय में सुधार। इसी उद्देश्य से रेरा अध्यक्षों के अखिल भारतीय मंच और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया गया है। इसके अलावा, इस विषय पर 17 सितंबर, 2024 को एक फिजिकल सम्मेलन भी आयोजित किया गया।
  - ➢ वैधानिक प्राधिकारियों और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ आईपी के इंटरफेस पर सर्वेक्षण रिपोर्ट।
  - ➢ समय पर बदलाव: सीआईआरपी एवं परिसमापन में अड़चन - केस स्टडी
  - ➢ आईपी द्वारा अनुपालन में दोहराव/अतिरेक को दूर करना। इसी आधार पर आईबीबीआई ने इस मामले पर चर्चा पत्र जारी किया है।
  - ➢ आईबीसी में संशोधन पर प्रमुख सिफारिशें
  - ➢ आईपी/आईपीई के लिए नियामक ढांचे पर सिफारिश
  - ➢ अनुशासनात्मक मामलों का कानूनी सारांश
  - ➢ निरीक्षण के दौरान देखी गई सामान्य समस्याएं

आईआईआईपीआई ने अपनी शोध परियोजना योजना के तहत अब तक 5 शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं रियल एस्टेट समाधान, पीपीआईआरपी फ्रेमवर्क, भारत बनाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिवालियेपन फ्रेमवर्क, और पूर्वी भारत में एफपीसी में दिवालियेपन समाधान के क्षेत्रों में हैं।

(III) दिवालियापन पेशेवरों की निगरानी:

भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उपनियम एवं दिवाला पेशेवर एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियम, 2016 के अनुसार, आई.आई.आई.पी.आई. को पेशेवर सदस्यों की व्यावसायिक गतिविधियों और आचरण की निगरानी करनी आवश्यक है ताकि वे संहिता, नियमों, विनियमों और उसके अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों, उपनियमों, आचार संहिता व शासी बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर सकें। कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया और परिसमापन प्रक्रिया के संबंध में दिवाला पेशेवरों की निरंतर निगरानी की जाती है। जिन सदस्यों ने लागू प्रावधानों का पालन नहीं किया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

(IV) जीआरसी/अनुशासनात्मक तंत्र:

1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान आई.आई.आई.पी.आई. को 11 शिकायतें प्राप्त हुईं और इस अवधि के दौरान शिकायत निवारण समिति द्वारा कुल 26 शिकायतों (पिछले वर्ष की शिकायतों सहित) का निवारण किया गया और 31 मई 2025 के अंत तक 3 जीआरसी मामले लंबित हैं। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान आई.आई.आई.पी.आई. द्वारा 100 (सौ) अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई और 31 मई 2025 तक 95 (पच्यानवे) मामलों का निपटारा किया गया।

11.5 भारतीय सामाजिक लेखा परीक्षक संस्थान (आईएसएआई)

भारतीय सामाजिक लेखा परीक्षक संस्थान (आईएसएआई) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत 7 अक्टूबर, 2022 को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के तत्वावधान में एक स्व-नियामक संगठन के रूप में निगमित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य हितधारकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने वाले स्वतंत्र, नैतिक एवं विश्वस्तरीय सामाजिक प्रभाव निर्धारक (पूर्व में सामाजिक लेखा परीक्षक) विकसित करने वाला एक अग्रणी संस्थान बनना है। आईएसएआई स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से सामाजिक प्रभाव निर्धारकों (पूर्व में सामाजिक लेखा

परीक्षक) का नामांकन, विनियमन और विकास करता है और निरंतर व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के ज़रिए सामाजिक प्रभाव निर्धारकों की क्षमता सृजन पर भी कार्य करता है।

(I) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनकर्ताओं (पूर्व में सामाजिक लेखा परीक्षक) की अवधारणा

वित्त मंत्री ने 2019-2020 के बजट भाषण में पहली बार एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज की अवधारणा का प्रस्ताव रखा, जो "सामाजिक कल्याण हेतु काम करने वाले सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियामक दायरे में हो ताकि वे इक्विटी, ऋण या म्यूचुअल फंड जैसी इकाइयों के रूप में पूंजी जुटा सकें।" इसके पश्चात्, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 25 जुलाई 2022 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सोशल स्टॉक एक्सचेंज का एक व्यापक ढांचा पेश करने के लिए सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 ("आईसीडीआर विनियम"), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") और सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 ("एआईएफ विनियम") में संशोधन किया है। सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2022 के अनुसार, सामाजिक लेखा परीक्षक, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान या बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य एजेंसी के अधीन किसी स्व-नियामक संगठन में ऐसे पंजीकृत व्यक्ति है, जिसने राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान द्वारा संचालित प्रमाणन कार्यक्रम उत्तीर्ण किया हो और जिसके पास वैध प्रमाणपत्र हो। सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2023, दिनांक 21 दिसंबर, 2023 द्वारा "सामाजिक लेखा परीक्षक" शब्दों में प्रयुक्त "लेखा परीक्षक" शब्द के स्थान पर "प्रभाव निर्धारक" शब्द प्रतिस्थापित किए गए।

(II) आईएसएआई का शासी बोर्ड

आईएसएआई अपने शासी बोर्ड के ज़रिए कार्य करता है जिसमें न्यूनतम बारह निदेशक होते हैं -

- अध्यक्ष, जिसके पास सामाजिक क्षेत्र/प्रभाव मूल्यांकन में समृद्ध अनुभव हो या वह किसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान से हो।
- प्रासंगिक अनुभव वाले आईसीएआई/स्थायित्व रिपोर्टिंग मानक बोर्ड के पांच केंद्रीय परिषद सदस्य।
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा नामित एक व्यक्ति।
- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) / गृह मंत्रालय (एमएचए) / सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नामित एक व्यक्ति।
- क्षमता सृजन निधि द्वारा नामित एक व्यक्ति।
- सोशल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा नामित एक व्यक्ति।
- सामाजिक क्षेत्र के विषयगत क्षेत्रों से एक सदस्य।
- एक सदस्य जिसे सामाजिक क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव हो।

(III) शासी बोर्ड की बैठकें:

1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के लिए, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 3 (तीन) शासी बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। कंपनी की दूसरी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 30 सितंबर, 2024 को आयोजित की गई। वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरण एमसीए के पास जमा कर दिए गए हैं।

(IV) आईएसएआई की उप-समितियाँ

कंपनी के कामकाज को सबसे पारदर्शी और कुशल तरीके से विनियमित करने हेतु कंपनी के उपनियमों के अनुसार 7 उप-समितियाँ गठित की गई हैं। इन उप-समितियों में शासी बोर्ड के सदस्य और सलाहकार की भूमिका में बाज़ार विशेषज्ञ शामिल हैं। आईएसएआई की उप-समितियाँ निम्नलिखित हैं: सलाहकार समिति, सदस्यता समिति, निगरानी समिति, शिकायत निवारण समिति, अपील समिति, अनुशासन समिति और संपादकीय बोर्ड। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान, सदस्यता समिति की चार बैठकें 8 मई, 2024 और 16 जुलाई, 2024 को आयोजित की गईं। 16 अक्टूबर, 2024 और 20 जनवरी, 2025 को वर्चुअल/फिजिकल मोड के माध्यम से बैठक आयोजित की गई, जिसमें आईएसएआई की सदस्यता के आवंटन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

(V) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनकर्ताओं (पूर्व में सामाजिक लेखा परीक्षक) और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन संस्थाओं का पंजीकरण

आईएसएआई ने 700 सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनकर्ताओं (पूर्व में सामाजिक लेखा परीक्षक) को पंजीकृत किया है, जिनका विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन संस्थाओं के लिए पंजीकरण लिंक आईएसएआई की वेबसाइट पर 3 सितंबर, 2024 को लाइव कर दिया गया था।

(VI) "एनआईएसएम सीरीज XXIII: सोशल इम्पैक्ट असेसोर (पूर्व में सामाजिक लेखा परीक्षक) सर्टिफिकेशन परीक्षा" पर ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

आईएसएआई "एनआईएसएम सीरीज XXIII: सोशल इम्पैक्ट असेसोर (पहले सोशल ऑडिटर) सर्टिफिकेशन परीक्षा" की तैयारी को सुविधाजनक बनाने हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है। ऑनलाइन कक्षाएं एनआईएसएम अध्ययन सामग्री के सभी 11 अध्यायों को कवर करती हैं, जो विशेषज्ञ संकायों, प्रत्येक अध्याय के लिए एमसीक्यू, केस स्टडी और उदाहरणों के साथ 21 अध्ययन घंटों में कवर किया जाता है। आईएसएआई ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दो (2) बैच पूरे किए हैं और "एनआईएसएम सीरीज XXIII: सोशल इम्पैक्ट असेसोर (पहले सोशल ऑडिटर) सर्टिफिकेशन परीक्षा" के लिए 89 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है।

(VII) वेबिनार

आईएसएआई ने वर्ष के दौरान हितधारकों और आम जनता के बीच क्षमता सृजन और सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज, सामाजिक लेखा परीक्षा एवं सामाजिक प्रभाव आकलन के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु सात वेबिनार आयोजित किए हैं।

12. गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड (क्यूआरबी)

गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड (क्यूआरबी) का गठन भारत सरकार द्वारा सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 28क के तहत एक स्वतंत्र निरीक्षण निकाय के रूप में किया गया है जो भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी करता है। क्यूआरबी के गठन में एक अध्यक्ष, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 5 सदस्य और आईसीएआई की परिषद से नामित 5 सदस्य शामिल हैं। हालाँकि, अधिनियम की धारा 28ख के प्रावधान गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड को आईसीएआई के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी प्रकार की सेवाओं की समीक्षा करने हेतु अधिकृत करते हैं, हालाँकि, बोर्ड वर्तमान में केवल लेखा परीक्षा सेवाओं की समीक्षा में शामिल है। सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 28ख के अनुसार, गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा: -

- संस्थान के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में परिषद को सिफारिशें करना।
- संस्थान के सदस्यों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा करना, जिसमें लेखापरीक्षा सेवाएं भी शामिल हैं।
- संस्थान के सदस्यों को सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा विभिन्न वैधानिक एवं अन्य विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना।
- संस्थान के सदस्यों या फर्मों द्वारा विभिन्न वैधानिक और विनियामक अनिवार्यताओं के अनुपालन न करने के मामलों को, जो संस्थान की समीक्षा के दौरान ध्यान में आए, जांच के लिए अनुशासन निदेशालय को अग्रेषित करना।

वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के गठन के पश्चात्, क्यूआरबी एनएफआरए नियम, 2018 के नियम 3 के अंतर्गत नहीं आने वाली संस्थाओं के संबंध में लेखा परीक्षा सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा में शामिल रहा है। गुणवत्ता समीक्षा की प्रक्रिया को और अधिक व्यापक बनाने के लिए बोर्ड ने वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए हैं:

- चयन प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ एवं समावेशी बनाने हेतु कंपनियों/ऑडिट फर्मों के चयन मानदंडों में संशोधन। संशोधित चयन मानदंड बोर्ड की वेबसाइट www.qrbca.in पर उपलब्ध *"ऑडिट फर्मों की ऑडिट सेवाओं की गुणवत्ता समीक्षा की प्रक्रिया (संशोधित)"* में देखे जा सकते हैं।
- "गुणवत्ता समीक्षा आयोजित करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)" में संशोधन, जिससे लेखापरीक्षा गुणवत्ता समीक्षा पूरी होने में लगने वाला कुल समय कम हो जाएगा। संशोधित एसओपी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड एवं गुणवत्ता समीक्षा समूह I और II द्वारा लेखापरीक्षा गुणवत्ता की 52 समीक्षाएं की गईं और इन 52 समीक्षाओं में से:

क्र. सं.	विवरण	लेखापरीक्षा गुणवत्ता की समीक्षा
1.	ऐसे मामलों की संख्या जिनके लिए सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 28ख के खंड (ग) की अनिवार्यताओं के संदर्भ में लेखापरीक्षा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और विभिन्न वैधानिक व अन्य नियामक अनिवार्यताओं के अनुपालन के लिए संबंधित लेखापरीक्षा फर्मों को सलाह देने की सिफारिश की गई/निर्णय लिया गया।	41
2.	सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 28ख के खंड (घ) की अनिवार्यताओं के संदर्भ में आई.सी.ए.आई. के अनुशासन निदेशालय को जांच के लिए भेजे जाने हेतु अनुशंसित/निर्णय लिए गए मामलों की संख्या।	10
3.	दर्ज मामलों की संख्या अर्थात ऐसे मामले जिनमें कोई कार्रवाई नहीं की गई	1
कुल मामले		52

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गईं:

- गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड की चार बैठकें,
- क्यूआरबी द्वारा गठित गुणवत्ता समीक्षा समूह-I की तीन बैठकें,
- क्यूआरबी द्वारा गठित गुणवत्ता समीक्षा समूह-II की चौथी बैठक,
- क्यूआरबी द्वारा गठित उप-समिति-I की एक बैठक,
- क्यूआरबी की लेखा परीक्षा समिति की एक बैठक।

13. वित्त **एवं** लेखा

31 मार्च, 2025 को यथाविद्यमान तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय-व्यय का लेखा, जो परिषद द्वारा सम्यकत: अनुमोदित है, इसमें इसके पश्चात् प्रकाशित किए गए हैं ।

14. **आभार**

परिषद इस पेशे से जुड़े उन सभी सदस्यों की आभारी है जिन्होंने इसकी समितियों में सहयोजित सदस्यों के रूप में कार्य किया, साथ ही सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 के तहत गठित बोर्डों/समितियों में नामित व्यक्तियों, क्षेत्रीय परिषदों, इसकी शाखाओं और उनके सदस्यों, तथा विशेष आमंत्रितों और गैर-सदस्यों के प्रति भी हम आभारी है जिन्होंने वर्ष 2024-25 के दौरान परिषद की शैक्षिक, तकनीकी और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के संचालन और इसकी परीक्षाओं में सहायता की।

परिषद वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार और परिषद में उसके नामितों द्वारा दी गई निरंतर सहायता और समर्थन हेतु उनकी सराहना करती है।

परिषद आईसीएआई द्वारा की गई अनेक पहलों तथा इन पहलों के अनुसरण में उनके द्वारा पहले से उठाए जा रहे/उठाए जा रहे कदमों में विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा दिखाई गई रूचि की भी सराहना करती है।

परिषद वर्ष 2024-25 के दौरान और उसके बाद आईसीएआई के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए ईमानदारीपूर्ण और समर्पित प्रयासों की भी सराहना करती है।

आँकड़े एक नज़र में

पंजीकृत सदस्य

(1 अप्रैल, 2007 से)

तालिका I

वर्ष (तक)		पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	कुल
1 अप्रैल, 2007	एसोसिएट	31159	18237	7829	9642	14182	81049
	फेलो	16896	13646	6488	8882	12880	58792
	कुल	48055	31883	14317	18524	27062	139841
1 अप्रैल, 2008	एसोसिएट	32364	19203	7939	10045	14642	84193
	फेलो	17646	14034	6738	9472	13398	61288
	कुल	50010	33237	14677	19517	28040	145481
1 अप्रैल, 2009	एसोसिएट	34294	20666	8193	10578	15951	89682
	फेलो	18442	14516	7002	10007	13951	63918
	कुल	52736	35182	15195	20585	29902	153600
1 अप्रैल, 2010	एसोसिएट	36390	21733	8512	11252	17104	94991
	फेलो	19181	15076	7192	10615	14461	66525
	कुल	55571	36809	15704	21867	31565	161516
1 अप्रैल, 2011	एसोसिएट	38608	22998	9154	12329	18547	101636
	फेलो	19831	15612	7406	11182	14943	68974
	कुल	58439	38610	16560	23511	33490	170610
1 अप्रैल, 2012	एसोसिएट	45273	25505	11069	15963	23332	121142
	फेलो	20510	16132	7578	11720	15431	71371
	कुल	65783	41637	18647	27683	38763	192513
1 अप्रैल, 2013	एसोसिएट	52846	28020	13258	20606	27743	142473
	फेलो	21522	16918	7815	12327	16051	74633
	कुल	74368	44938	21073	32933	43794	217106
1 अप्रैल, 2014	एसोसिएट	56595	29401	14035	22978	29467	152476
	फेलो	22313	17460	8007	12915	16508	77203
	कुल	78908	46861	22042	35893	45975	229679
1 अप्रैल, 2015	एसोसिएट	60229	30126	14514	24702	31137	160708
	फेलो	22838	17864	8137	13441	16986	79266
	कुल	83067	47990	22651	38143	48123	**239974**
1 अप्रैल, 2016	एसोसिएट	64235	31919	15046	27353	32774	**171327**
	फेलो	23700	18495	8223	14071	17521	82010
	कुल	87935	50414	23269	41424	50295	**253337**
1 अप्रैल, 2017	एसोसिएट	67746	33591	15580	30036	34632	**181585**
	फेलो	25742	19711	8718	15618	18933	**88722**
	कुल	93488	53302	24298	45654	53565	**270307**
1 अप्रैल, 2018	एसोसिएट	70683	34733	15606	32094	36988	**190104**
	फेलो	26736	20280	8912	16494	19667	**92089**
	कुल	97419	55013	24518	48588	56655	**282193**
1 अप्रैल, 2019	एसोसिएट	72296	34352	15547	33522	37129	**192857**
	फेलो	28747	21437	9418	18337	20895	**98841**
	कुल	101043	55789	24965	51859	58024	**291698**
1 अप्रैल 2020	एसोसिएट	74285	38405	15735	38453	40877	**207755**
	फेलो	28860	21495	9295	19017	20816	**99483**
	कुल	103145	59900	25030	57470	61693	**307238**
1 अप्रैल	एसोसिएट	79234	42606	16436	41589	43479	**223344**

2021	फेलो	30022	22393	9485	20199	21638	**103737**
	कुल	109256	64999	25921	61788	65117	**327081**
1 अप्रैल	एसोसिएट	83875	47065	17363	46271	46301	**240875**
2022	फेलो	31960	23559	9791	21580	22673	**109563**
	कुल	115835	70624	27154	67851	68974	**350438**
1 अप्रैल	एसोसिएट	91043	54155	18856	52092	50351	**266497**
2023	फेलो	32736	24136	9916	22318	23016	**112122**
	कुल	123779	78291	28772	74410	73267	**378619**
1 अप्रैल	एसोसिएट	98244	62081	19026	54837	53712	287900
2024	फेलो	33826	24985	10040	23233	23633	115717
	कुल	132070	87066	29066	78070	77345	403617
1 अप्रैल	एसोसिएट	101770	67800	19934	58407	55799	303710
2025	फेलो	34648	26013	10192	24301	24240	119394
	कुल	136418	93813	30126	82708	80039	423104

सदस्य

(1 अप्रैल, 1950 से)

तालिका **II**

वर्ष (वर्तमान)	**एसोसिएट**	**फेलो**	कुल
1 अप्रैल, 1950 तक	1,120	569	1,689
1 अप्रैल, 1951 तक	1,285	672	1,957
1 अप्रैल, 1961 तक	4,059	1,590	5,649
1 अप्रैल, 1971 तक	7,901	3,326	11,227
1 अप्रैल, 1981 तक	16,796	8,642	25,438
1 अप्रैल, 1991 तक	36,862	22,136	58,998
1 अप्रैल, 2001 तक	51,603	44,789	96,392
1 अप्रैल, 2002 तक	54,666	47,064	1,01,730
1 अप्रैल, 2003 तक	60,619	49,637	1,10,256
1 अप्रैल, 2004 तक	63,384	52,707	1,16,091
1 अप्रैल, 2005 तक	68,052	55,494	1,23,546
1 अप्रैल, 2006 तक	73,778	57,168	1,30,946
1 अप्रैल, 2007 तक	81,049	58,792	1,39,841
1 अप्रैल, 2008 तक	84,193	61,288	1,45,481
1 अप्रैल, 2009 तक	89,682	63,918	1,53,600
1 अप्रैल, 2010 तक	94,991	66,525	1,61,516
1 अप्रैल, 2011 तक	1,01,636	68,974	1,70,610
1 अप्रैल, 2012 तक	1,21,142	71,371	1,92,513
1 अप्रैल, 2013 तक	1,42,473	74,633	2,17,106
1 अप्रैल, 2014 तक	1,52,476	77,203	2,29,679
1 अप्रैल, 2015 तक	1,60,708	79,266	**2,39,974**
1 अप्रैल, 2016 तक	**1,71,327**	82,010	**2,53,337**
1 अप्रैल, 2017 तक	**1,81,585**	88,722	**2,70,307**
1 अप्रैल, 2018 तक	**1,90,104**	92,089	**2,82,193**
1 अप्रैल, 2019 तक	**1,92,857**	**98,841**	**2,91,698**
1 अप्रैल, 2020 तक	**2,07,755**	**99,483**	**3,07,238**
1 अप्रैल , 2021 तक	**2,23,344**	**1,03,737**	**3,27,081**
1 अप्रैल , 2022 तक	**2,40,875**	**1,09,563**	**3,50,438**
1 अप्रैल, 2023 तक	**2,66,497**	**1,12,122**	**3,78,619**
1 अप्रैल, 2024 तक	**2,87,900**	**1,15,717**	4,03,617
1 अप्रैल, 2025 तक	**3,03,710**	**1,19,394**	4,23,104

पंजीकृत छात्र

(31 मार्च, 2010 से)

वर्ष के दौरान	फाउंडेशन / सीपीटी		पीसीसी/आईपीसीसी और आईआईपीसीसी/ इंटरमीडिएट			फाइनल / नया फाइनल		एटीसी	कुल
	फाउंडेशन	सीपीटी	पीसीसी	आईपीसीसी और आईआईपी सीसी	इंटरमीडिएट	फाइनल	नया फाइनल		
2009-10	-	1,67,073	1,860	80,745	-	24,172	-	3,376	2,77,226
2010-11	-	1,55,217	329	67,984	-	57,175	-	1,906	2,82,611
2011-12	-	1,61,712	-	85,053	-	47,515	-	2,099	2,96,379
2012-13	-	1,61,084	-	1,02,406	-	45,102	-	2,615	3,11,207
2013-14	-	1,54,742	-	96,285	-	39,348	-	3,209	2,93,584
2014-15	-	1,41,241	-	66,570	-	36,950	-	881	2,45,642
2015-16	-	1,25,140		77,962	-	31,669	-	1,249	2,36,020
2016-17	-	1,07,392		81,886	-	27,611	-	1,430	2,18,319
2017-18	9,788	73,804	-	22,657	63,693	26,291	14,056	-	2,10,289
2018-19	45,048	-	-	-	53,654	-	27,966	-	1,26,668
2019-20	63,228	-	-	-	87,949	-	67,090	-	2,18,267
2020-21	1,09,968	-	-	-	46,563	-	26,366	-	1,82,897
2021-22	1,21,365	-	-	-	69,967	-	32,527	-	2,23,859
2022-23	1,25,460	-	-	-	77,652	-	21,944	-	2,25,056
2023-24	1,38,378	-	-	-	98,791	-	34,719	-	2,71,888
2024-25	1,34,420	-	-	-	72,458		75495	-	2,82,373

परिषद की संरचना

परिषद के सदस्य

निर्वाचित सदस्य

अध्यक्ष	पश्चिमी क्षेत्र	
सीए चरणजोत सिंह नंदा	सीए विष्णु कुमार अग्रवाल	*मुंबई*
	सीए जय अजीत छैरा	*सूरत*
	सीए. पीयूष सोहनराजजी छाजेड़	*मुंबई*
	सी.ए. चन्द्रशेखर वसंत चितले	*पुणे*
उपाध्यक्ष	**सीए विशाल दोशी**	*वडोदरा*
सीए प्रसन्ना कुमार डी	***सीए अर्पित जगदीश काबरा***	*मुंबई*
	सीए दुर्गेश कुमार काबरा	*मुंबई*
	सीए पुरुषोत्तमलाल खंडेलवाल	*अहमदाबाद*
	सीए. मंगेश पांडुरंग किनारे	*थाइन*
	सीए. प्रीति सावला	*मुंबई*
	सीए उमेश शर्मा	*औरंगाबाद*
	दक्षिणी क्षेत्र	
	सीए बाबू अब्राहम कल्लिवायलिल	***कोच्चि***
	सीए दयानिवास शर्मा	***हैदराबाद***
	सीए मधुकर नारायण हीरेगंगे	***बेंगलुरु***
	सीए श्रीधर मुप्पला	***हैदराबाद***
	सीए प्रसन्ना कुमार डी	***विशाखापत्तनम***
परिषद के सचिव	***सीए राजेंद्र कुमार पी***	***चेन्नई***
सीए (डॉ.) जय कुमार बत्रा	**सीए श्रीप्रिया कुमार**	***चेन्नई***
सचिव	**पूर्वी क्षेत्र**	
	सीए रवि कुमार पटवा	***सिलचर***
	सीए संजीब सांघी	***कोलकाता***
	केन्द्रीय क्षेत्र	
	सीए रोहित रुवातिया	***जयपुर***
	सीए अभय छाजेड	***भोपाल***
	सीए (डॉ.) अनुज गोयल	***गाजियाबाद***
	सीए सतीश कुमार गुप्ता	***जयपुर***
	सीए ज्ञान चंद्र मिश्रा	***गाजियाबाद***
	सीए पंकज शाह	***इंदौर***
	उत्तरी क्षेत्र	

	सीए संजय कुमार अग्रवाल	*नई दिल्ली*
	सीए हंस राज चुघ	*नई दिल्ली*
	सीए प्रमोद जैन	*नई दिल्ली*
	सीए. चरणजोत सिंह नंदा	*नई दिल्ली*
	सीए राजेश शर्मा	*दिल्ली*
	सीए (डॉ.) संजीव कुमार सिंघल	*नई दिल्ली*
सरकार **द्वारा** नामित	सरकार ***द्वारा*** नामित	
	संयुक्त सचिव (व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित), एमसीए	
	श्री बाला मुरुगन डी	
	संयुक्त सचिव	
	कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय	
	श्री मनोज कुमार साहू	
	डीआईआई, कार्यालय डीजीसीओए, नई दिल्ली	
	श्री नवीन सिंघवी	
	पीडी (***कॉम.***II), ***सीएंडएजी*** (***सीएंडएजी नामित***)	
	श्री संजय शरण	*नई दिल्ली*
	भारतीय डाक सेवा समूह क (1989)	
	न्यायमूर्ति (***पूर्व***) ***शशिकांत गुप्ता***	
	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	
	श्री मुखमीत सिंह भाटिया	*नई दिल्ली*
	आईएएस-1990, (***सेवानिवृत्त***)	
	श्री विनोद कुमार जिंदल	***गाजियाबाद***
	भारतीय लागत लेखा सेवा (1988)	

अरुण के. अग्रवाल एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंटस
105, एफएफ, साउथ एक्स. प्लाजा - 1, 389,
मस्जिद मोठ, साउथ एक्सटेंशन पार्ट- II,
नई दिल्ली - 110049

एस.के. मित्तल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंटस
मित्तल हाउस,
ई-29, साउथ एक्सटेंशन पार्ट- II,
नई दिल्ली - 110049

स्वतंत्र संपरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

परिषद्

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटस संस्थान

वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

राय

हमने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटस संस्थान ("संस्थान") के संलग्न वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2025 को यथा विद्यमान तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए संलग्न आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण और वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पणों की संपरीक्षा की है, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण और अन्य स्पष्टीकारक जानकारी भी है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "वित्तीय विवरण" कहा गया है), जिसमें संस्थान के विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, विदेशी कार्यालयों, उत्कृष्टता केंद्रों प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं के शाखा संपरीक्षकों द्वारा संपरीक्षित विवरणियों/वित्तीय विवरणों को भी सम्मिलित किया गया है ।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम पूर्वोक्त वित्तीय विवरण चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (आज की तारीख तक यथा संशोधित) द्वारा अपेक्षित रीति में अपेक्षित जानकारी प्रदान करता है और वे भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तारीख 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संस्थान की वित्तीय स्थिति और उसके अधिशेष तथा नकद प्रवाह के संबंध में एक सत्य और उचित मत प्रदान करते हैं ।

राय के लिए आधार

हमने अपनी संपरीक्षा को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटस संस्थान द्वारा जारी संपरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार पूरा किया है । उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के (वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा हेतु संपरीक्षक के उत्तरदायित्वों) संबंधी खंड में वर्णित किया गया है । हम ऐसी नैतिक अपेक्षाओं, जो वित्तीय विवरणों की हमारी संपरीक्षा के लिए सुसंगत हैं, के अनुसार संस्थान से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार-संहिता के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है । हम यह विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा अभिप्राप्त किए गए संपरीक्षा संबंधी साक्ष्य हमारी राय का आधार प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधमंडल का उत्तरदायित्व

संस्थान का प्रबंधमंडल ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 ("अधिनियम") के अनुसार संस्थान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यपालन और नकद प्रवाह का सत्य और निष्पक्ष मत प्रदान करते हों। इस उत्तरदायित्व में संस्थान की आस्तियों को सुरक्षित रखने तथा कपटों और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों को बनाए रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना; ऐसे निर्णय लेना और प्राक्कलन करना, जो सुसंगत और विवेकपूर्ण हों तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और संपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे, को तैयार करना, उन्हें कार्यान्वित करना तथा उन्हें बनाए रखना सम्मिलित है, जो ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के लिए सुसंगत हैं, जो संस्थान के कार्य के संबंध में सत्य और निष्पक्ष मत प्रदान करते हैं तथा जो सारवान मिथ्या कथनों, चाहे वे किसी कपट के कारण हों अथवा किसी त्रुटि के कारण, से मुक्त हैं ।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधमंडल, एक गोईंग कर्न्सन के रूप में बने रहने संबंधी संस्थान के सामर्थ्य का निर्धारण करने, यथा लागू प्रकटन करने, गोईंग कर्न्सन से संबंधित विषयों का निर्धारण करने और लेखांकन के गोईंग कर्न्सन के आधार का उपयोग करने के लिए तब तक उत्तरदायी है जब तक कि प्रबंधमंडल का आशय या तो संस्थान का

परिसमापन करना है या उसके प्रचालनों को बंद करना है या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प उपलब्ध नहीं है ।

जो शासन के लिए प्रभारी हैं, वे संस्थान की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यावलोकन करने के लिए भी उत्तरदायी हैं ।

वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के संबंध में संपरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण सकल रूप से सारवान मिथ्या कथनों से मुक्त हैं, चाहे वे कपट के कारण आए हों या त्रुटिवश और साथ ही हमारा उद्देश्य संपरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय सम्मिलित हो । युक्तियुक्त आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई संपरीक्षा सदैव सारवान मिथ्या कथनों का पता लगाएगी, जब वे विद्यमान हों । मिथ्या कथन कपट या त्रुटिवश उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें उस समय सारवान समझा जाता है, यदि वे व्यष्टिक रूप से या सकल रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को युक्तियुक्त रूप से प्रभावित कर सकते हैं ।

एसए के अनुसार की जाने वाली संपरीक्षा के भागरूप में, हम अपने वृत्तिक विवेक का प्रयोग करते हैं और पूर्ण संपरीक्षा के दौरान वृत्तिक संदेहों को भी बनाए रखते हैं । हम :

- कपट या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में सारवान मिथ्या कथनों की पहचान करते हैं और उनसे संबंधी जोखिमों का निर्धारण करते हैं, उन जोखिमों के प्रत्युत्तर में संपरीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं को तैयार और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे संपरीक्षा संबंधी साक्ष्य अभिप्राप्त करते हैं, जो हमारी राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों । किसी कपट के परिणामस्वरूप होने वाले किसी सारवान मिथ्या कथन की पहचान न करने का जोखिम किसी त्रुटि के परिणामस्वरूप आए सारवान मिथ्या कथन से कहीं अधिक है, क्योंकि कपट में दुरभिसंधि, जालसाजी, साशय लोप, मिथ्या प्रस्तुतियां या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना अंतर्वलित हो सकती है।

- संपरीक्षा से सुसंगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ को प्राप्त करते हैं, जिससे ऐसी संपरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार किया जा सके, जो मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, किंतु जो संस्थान के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविकता के संबंध में राय अभिव्यक्त करने के प्रयोजन के लिए अभिप्रेत नहीं है ।

- प्रयुक्त की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करते हैं और प्रबंधमंडल द्वारा दिए गए लेखांकन प्राक्कलनों और संबद्ध प्रकटनों के औचित्य का भी मूल्यांकन करते हैं ।

- प्रबंधमंडल द्वारा लेखांकन के गोईंग कर्न्सन के आधार के उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं तथा प्राप्त किए गए संपरीक्षा संबंधी साक्ष्यों के आधार पर यह तय करते हैं कि क्या किन्हीं घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई सारवान अनिश्चतता विद्यमान है, जो एक गोईंग कर्न्सन के रूप में बने रहने के संस्थान के सामर्थ्य के संबंध में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है । यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सारवान अनिश्चितता विद्यमान है तो हम से यह अपेक्षा की जाती है कि हम हमारी संपरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबद्ध प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करें या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारी राय को उपांतरित करें । हमारे निष्कर्ष, हमारे संपरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक हमारे द्वारा प्राप्त किए गए संपरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं । तथापि, भावी घटनाएं या परिस्थितियां यह प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं कि संस्थान एक गोईंग कर्न्सन के रूप में अपना कार्यकरण जारी रखना बंद कर दे ।

- वित्तीय विवरणों की सकल प्रस्तुति, संरचना और अंतर्वस्तु का मूल्यांकन करना, जिसके अंतर्गत प्रकटन भी है और यह सुनिश्चित करना कि क्या वित्तीय विवरण ऐसी रीति में आधारभूत संव्यवहारों और घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं, जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति के उद्देश्य की पूर्ति हो ।

सारवानता, किन्हीं वित्तीय विवरणों में मिथ्या कथनों की वह मात्रा है, जो व्यष्टिक रूप से या सकल रूप से संभव बनाती है कि युक्तियुक्त रूप से वित्तीय विवरणों के किसी ज्ञानवान उपयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकेंगे । हम (i) हमारे संपरीक्षा कार्य के विस्तार क्षेत्र की योजना तैयार करने और हमारे कार्य के परिणामों के मूल्यांकन में ; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी पहचाने गए मिथ्या कथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक सारवानता और गुणवाचक कारकों पर विचार करते हैं ।

हम उनसे, जिन्हें शासन का प्रभार सौंपा गया है, अन्य विषयों के साथ, संपरीक्षा के योजनाबद्ध समय और विस्तार क्षेत्र तथा महत्वपूर्ण संपरीक्षा निष्कर्षों, जिसके अंतर्गत आंतरिक नियंत्रणों में ऐसी कोई महत्वपूर्ण कमियां भी हैं, जिनकी हमने संपरीक्षा के दौरान पहचान की है, परस्पर संसूचना का आदान-प्रदान करते हैं ।

हम ऐसे व्यक्तियों को, जिन पर शासन संबंधी प्रभार है, ऐसा कथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और हमने उन्हें अपने ऐसे सभी संबंधों तथा अन्य विषयों की संसूचना

प्रदान की है, जिनसे युक्तियुक्त रूप से यह संभावना उत्पन्न हो सकती है कि वे हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं और जहाँ कहीं लागू है हमने संबद्ध सुरक्षोपायों के संबंध में भी संसूचित किया है।

अन्य विषय

क) संस्थान द्वारा भारत और विदेशों में प्रचालन के लिए अनेक अध्ययन सर्कलों और अध्ययन चैप्टरों को प्राधिकृत किया गया है। संस्थान द्वारा यह अभ्यावेदन किया गया है कि ये अध्ययन सर्कल/चैप्टर पृथक् अस्तित्व हैं और तदनुसार उनके वित्तीय विवरणों को समेकित किया जाना अपेक्षित नहीं है। हमने, इस अभ्यावेदन पर विश्वास किया है।

ख) हमने संस्थान के विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, विदेशी कार्यालयों, उत्कृष्टता केंद्रों, छात्र संघों, प्रादेशिक परिषदों और विदेशी शाखाओं सहित उनकी शाखाओं (जो एकीकृत रूप में शाखाओं के नाम से ज्ञात हैं) के वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण कुल 1,33,459 लाख रुपए की कुल आस्तियों, 18,299 लाख रुपए का कुल राजस्व और 31 मार्च, 2025 को कुल 5,221 लाख रुपए के नकद और नकद समतुल्यों को उपदर्शित करते हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/जानकारी की संपरीक्षा शाखा संपरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्टें प्रबंधमंडल द्वारा हमें प्रस्तुत की गई हैं। इन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय, जहां तक उसका संबंध इन शाखाओं के संबंध में सम्मिलित की गई रकमों और प्रकटनों से है, पूर्णतया उन अन्य संपरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

ग) हमने संस्थान की सिंगापुर शाखा और संस्थान की उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद् की यमुना नगर शाखा के वित्तीय विवरणों/जानकारी की संपरीक्षा नहीं की है, जो 31 मार्च, 2025 को 47 लाख रुपए की कुल आस्तियों, 31 मार्च, 2025 को समाप्ति हुए वर्ष के लिए 51 लाख रुपए के कुल राजस्व तथा 31 मार्च, 2025 को 28 लाख रुपए के नकद और नकद समतुल्यों को उपदर्शित करते हैं, जैसा कि वित्तीय विवरणों में विचार में लिया गया है। इन वित्तीय विवरणों/जानकारी की संपरीक्षा नहीं की गई है और इन्हें प्रबंध मंडल द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है और वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारी रिपोर्ट में, जहां तक वह रकम और प्रकटन से संबंधित है, पूर्णतया असंपरीक्षित वित्तीय विवरणों/जानकारी पर आधारित हैं। हमें दी गई जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/जानकारी संस्थान के लिए सारवान नहीं हैं।

हमारी राय को उपरोक्त मामलों के संबंध में उपांतरित नहीं किया गया है।

अन्य विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे ;

ख) हमारी राय में, जहां तक लेखा बहियों की हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है, संस्थान द्वारा समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं और हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए शाखाओं, जहां हमने दौरा नहीं किया है, से समुचित और पर्याप्त विवरणियां प्राप्त हुई हैं ;

ग) संस्थान की शाखाओं के लेखाओं, जिनकी संपरीक्षा शाखा संपरीक्षकों द्वारा की गई है, संबंधी रिपोर्टों को हमें अग्रेषित किया गया है और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करते समय उनके संबंध में उपयुक्त रूप से कार्यवाही की है ;

घ) इस रिपोर्ट से संबंधित संस्थान का तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और नकद प्रवाह विवरण, लेखा बहियों के अनुरूप है और वे ऐसी शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के भी अनुरूप है, जिनका हमने दौरा नहीं किया है।

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स	कृते एस के मित्तल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 003917N	एफआरएन : 001135N
ह./-	ह./-
सीए. लोकेश कुमार गर्ग	सीए. एस. मूर्ति
भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 413012	सदस्यता सं. 072290
यूडीआईएन: 25413012बीएमकेवाईआईडी7229	यूडीआईएन: 25072290बीएमआईटीएई1070

स्थान : नई दिल्ली

तारीख :30.07.2025

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110 002

31 मार्च, 2025 को यथाविद्यमान तुलन पत्र

(रुपए लाख में)

			विशिष्टियां	टिप्पण	31 मार्च, 2025 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2024 को यथाविद्यमान
I	**निधियों के स्रोत :**					
	1. एनपीओ निधियां					
	(क)	अप्रतिबंधित निधियां				
			i) साधारण निधि	03	**1,93,097**	1,87,599
			ii) अभिहित निधियां	04	**1,42,777**	1,40,024
	ख	प्रतिबंधित निधियां		05	**840**	789
					3,36,714	**3,28,412**
	2. गैर चालू दायित्व					
	क	दीर्घकालिक दायित्व		06	**7,591**	3,320
	ख	दीर्घकालिक प्रावधान		07	**6,686**	6,503
					14,277	**9,823**
	3. चालू दायित्व					
	क	देय		08	**9,360**	6,408
	ख	अन्य चालू दायित्व		09	**48,603**	34,547
	ग	अल्पकालिक प्रावधान		07	**2,985**	3,130
					60,948	**44,085**
		योग			**4,11,939**	**3,82,320**
II निधियों का उपयोजन						
	1. गैर चालू आस्तियां					
	(क)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त आस्तियां				
		(i) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर		10	**78,176**	72,863
		(ii) अमूर्त आस्तियां		11	**379**	40
		(iii) चालू पूंजी संकर्म		12(क)	**10,618**	4,896
		(iv) विकास के अधीन अमूर्त आस्ति		12(ख)	**352**	487
	(ख)	गैर-चालू निवेश		13(क)	**1,80,113**	1,83,390

(ग)	दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	15	**1,614**	1,382
(घ)	अन्य गैर चालू आस्तियां	16	**345**	296
			2,71,597	**2,63,354**
2. चालू आस्तियां				
(क)	चालू निवेश	13(ख)	**-**	5,557
(ख)	वस्तु-सूचियां	14	**1,014**	1,270
(ग)	प्राप्य	17	**5,073**	4,106
(घ)	नकद और बैंक अतिशेष	18	**1,20,332**	94,695
(ङ)	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	15	**6,832**	6,584
(च)	अन्य चालू आस्तियां	19	**7,091**	6,754
			1,40,342	1,18,966
	योग		**4,11,939**	**3,82,320**

संलग्न टिप्पण 1 से 33 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
सीए. सुदीप श्रीवास्तव	सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा	सीए. प्रसन्ना कुमार डी.	सीए. चरणजोत सिंह नंदा
अपर सचिव (वित्त एवं लेखा)	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की निर्दिष्ट रिपोर्ट में

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 003917N

ह./-
सीए. लोकेश कुमार गर्ग
सदस्यता सं. 413012
भागीदार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 001135N

ह./-
सीए. एस. मूर्ति
सदस्यता सं. 072290
भागीदार

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : जुलाई 30, 2025

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(रुपए लाख में)

	विशिष्टियां	टिप्पण	31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
I	**आय**			
	(क) सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त फीस	20	**95,974**	84,207
	(ख) प्रकाशन एवं अन्य वस्तुओं की बिक्री	21	**672**	2,393
	(ग) निर्बंधित निधियों से आय	22	**64**	39
	(घ) अन्य आय	23	**21,590**	19,497
	कुल आय (I)		**1,18,300**	**1,06,136**
II	**व्यय**			
	(क) प्रकाशनों की लागत और अन्य मदें	24	**698**	2,249
	(ख) कर्मचारी फायदे	25	**27,153**	14,555
	(ग) अवक्षयण और परिशोधन	26	**3,787**	3,411
	(घ) निर्बंधित निधियों से व्यय	27	**36**	23
	(ङ) अन्य व्यय	28	**78,611**	66,592
	कुल व्यय (II)		**1,10,285**	**86,830**
III	**वर्ष के लिए व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (I-II)**		**8,015**	**19,306**
	विनियोग : निधियों का अंतरण			
	क) शिक्षा निधि [देखें टिप्पण 2.06(ii)]		**1,892**	7,773
	ख) कर्मचारी कल्याण निधि [देखें टिप्पण 2.06(iii)]		**51**	98
	ग) अवसंरचना आरक्षिती [देखें टिप्पण 2.06(iv)]		**254**	409
	घ) अभिहित निधियां (व्ययों का शुद्ध) [देखें टिप्पण 2.06 (vi)]		**4,090**	7,897
	ङ) निर्बंधित निधियां (व्ययों का शुद्ध) [देखें टिप्पण 2.06 (vi)]		**28**	16
	च) सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण आरक्षितियां [देखें टिप्पण 2.06(vii)]		**705**	1,282
	छ) सिंकिंग निधि [देखें टिप्पण 2.06(viii)]		**995**	1,831
	योग		**8,015**	19,306

संलग्न टिप्पण 1 से 33 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
सीए. सुदीप श्रीवास्तव	सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा	सीए. प्रसन्ना कुमार डी.	सीए. चरणजोत सिंह नंदा
अपर सचिव	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष
(वित्त एवं लेखा)			

हमारी सम तारीख की निर्दिष्ट रिपोर्ट में

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स	कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 003917N	एफआरएन : 001135N
ह./-	ह./-
सीए. लोकेश कुमार गर्ग	सीए. एस. मूर्ति
सदस्यता सं. 413012	सदस्यता सं. 072290
भागीदार	भागीदार

स्थान : नई दिल्ली

तारीख :जुलाई 30, 2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(रुपए लाख में)

	विशिष्टियां	31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
I.	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**		
	पूर्वावधि समायोजनों के पश्चात् शुद्ध अधिशेष	**8,015**	19,306
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
	-अवक्षयण और परिशोधन संबंधी व्यय	**3,787**	3,411
	-जमा किए गए पूर्व वर्षों के व्यय के लिए प्रावधान	**(540)**	(397)
	-ऐसे प्रावधान, जो अब अपेक्षित नहीं हैं, अपलिखित	**(188)**	-
	-कर्मचारी सेवानिवृत्ति फायदों के लिए प्रावधान	**116**	828
	-शाखा कर्मचारी स्कीम के लिए प्रावधान	**(7)**	(310)
	-संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	**116**	(269)
	-अप्रचलित प्रकाशन स्टॉक के लिए प्रावधान	**(197)**	145
	-ब्याज संबंधी आय	**(20,127)**	(18,279)
	कार्यकरण पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन अधिशेष	**(9,025)**	**4,435**
	कार्यकरण पूंजी में परिवर्तन :		
	प्रचालन संबंधी आस्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन:		
	-वस्तु सूचियां	**256**	(478)
	-दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	**(232)**	48
	-अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	**(248)**	(267)
	-अन्य चालू आस्तियां	**(886)**	(1,160)
	प्रचालन संबंधी दायित्वों में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन		
	-दीर्घकालिक दायित्व	**4,271**	1,355
	-देय	**2,952**	2,199
	-अन्य चालू दायित्व	**14,206**	6,359
	-अल्पकालिक प्रावधान	**657**	237
	प्रचालन गतिविधियों से/(जनित) शुद्ध नकदी (अ)	**11,951**	**12,728**
II.	**निवेश संबंधी क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**		
	- गैर-चालू निवेशों का विक्रय/मोचन/(क्रय)	**3,277**	16,565
	- चालू निवेशों का विक्रय/मोचन/(क्रय)	**5,557**	(114)
	- संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर संबंधी पूंजी व्यय [सीडब्ल्यूआईपी सहित (शुद्ध)]	**(15,258)**	(7,844)
	- संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के विक्रय से आगम	**82**	484
	- प्राप्त ब्याज आय	**19,741**	21,785

	निवेश संबंधी क्रियाकलापों से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकद (आ)	**13,399**	**30,876**
III.	**वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**		
	-प्राप्त अभिदाय	**287**	406
	वित्त संबंधी क्रियाकलापों से/(में प्रयुक्त) नकद (इ)	**287**	**406**
	नकद और नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (अ+आ+इ)	**25,637**	44,010
	वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य	**94,695**	50,685
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	**1,20,332**	**94,695**

संलग्न टिप्पण 1 से 33 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
सीए. सुदीप श्रीवास्तव	सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा	सीए. प्रसन्ना कुमार डी.	सीए. चरणजोत सिंह नंदा
अपर सचिव (वित्त एवं लेखा)	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की निर्दिष्ट रिपोर्ट में

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स	कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 003917N	एफआरएन : 001135N
ह./-	ह./-
सीए. लोकेश कुमार गर्ग	सीए. एस. मूर्ति
सदस्यता सं. 413012	सदस्यता सं. 072290
भागीदार	भागीदार

स्थान : नई दिल्ली

तारीख :जुलाई 30, 2025

2024-25 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

1. साधारण जानकारी

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("संस्थान या आईसीएआई"), जिसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, को 1 जुलाई, 1949 को संसद् के एक अधिनियम, अर्थात् चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वृत्ति का विनियमन और विकास करने के प्रयोजन के लिए स्थापित किया गया था। उक्त अधिनियम के निबंधनों के अनुसार संस्थान की परिषद् को, संस्थान के कार्यों के प्रबंध का कार्य सौंपा गया है। इस प्रयोजन के लिए, परिषद् ने मुंबई, कोलकाता, कानपुर, चैन्नई और नई दिल्ली में प्रत्येक में एक और कुल 5 प्रादेशिक परिषदों, 5 विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, 2 उत्कृष्टता केंद्रों, 177 शाखाओं और दुबई तथा सिंगापुर में 2 विदेशी कार्यालय का भी गठन किया है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.01 लेखांकन का आधार

वित्तीय विवरणों को, जिनमें तुलन पत्र, आय और व्यय संबंधी कथन तथा नकद प्रवाह संबंधी कथन, उन पर टिप्पणों के साथ सम्मिलित हैं, भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अनुसार तैयार किया जाता है। यहां भारतीय जीएएपी में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक और अन्य उदघोषणाएं सम्मिलित हैं। वित्तीय विवरणों को, जब तक कि अन्यथा कथित न हो, गोईंग कन्सर्न संबंधी ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन तथा प्रोदभवन आधार पर तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां, जब तक कि अन्यथा कथित न हो, पूर्व वर्ष में अपनाई गई नीतियों से संगत हैं।

2.02 प्राक्कलनों का उपयोग

भारतीय जीएएपी के अनुसार वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति प्रबंध मंडल से यह अपेक्षा करती है कि वे ऐसे प्राक्कलन और पूर्वानुमान करें, जो वर्ष के दौरान आस्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की गई रकमों (जिसके अंतर्गत आकस्मिक दायित्व भी हैं) तथा आय और व्यय की रिपोर्ट की गई रकमों हेतु विचार में लिए जाते हैं। प्रबंध मंडल यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हैं। वास्तविक परिणाम उन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों तथा प्राक्कलनों के बीच अंतर को ऐसी अवधियों में मान्यता प्रदान की जाती है, जिनमें परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है/ वे कार्यान्वित किए जाते हैं।

2.03 वस्तु-सूचियां

वस्तु-सूचियों में प्रकाशन, अध्ययन सामग्रियां, लेखन सामग्रियां और अन्य भंडार सम्मिलित होते हैं। इन वस्तु-सूचियों का मूल्यांकन प्रथम आगम, प्रथम जावक ("एफआईएफओ") पद्धति के आधार पर, जिसके दौरान जहां आवश्यक समझा जाए, अप्रचलन और अन्य हानियों के लिए प्रावधान करने के पश्चात् संगणित निम्नतर लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य के आधार पर किया जाता है।

लागत में माल को विक्रय के बिन्दु पर लाने संबंधी सभी प्रभार सम्मिलित होते हैं, जिसके अंतर्गत अन्य उदग्रहण, प्रवहन बीमा और अनुषंगी प्रभार भी हैं।

2.04 नकद और नकद समतुल्य

नकद में, हाथ में नकदी अंतर्विष्ट है। नकद समतुल्य ऐसे अल्पकालिक अतिशेष हैं (जिनकी मूल परिपक्वता, उनके अर्जन की तारीख से तीन मास या उससे कम की अवधि है), जो अत्यधिक रूप से चल निवेश हैं, जिन्हें सुगम रूप से नकद की ज्ञात रकमों में परिवर्तित किया जा सकता है और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। ऐसे सावधि निक्षेपों को नकद और नकद समतुल्यों के रूप् में माना जाता है, जिनकी मूल परिपक्कता की अवधि तीन मास से कम है। 3 मास से अधिक किंतु 12 मास से कम की मूल परिवक्ता वाले निक्षेपों को 'अन्य बैंक अतिशेषों' के अधीन बैंक निक्षेप माना जाता है।

2.05 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाहों को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है, जिसमें गैर-नकद प्रकृति के संव्यवहारों के प्रभावों और पूर्ववर्ती या भावी नकद प्राप्तियों या संदायों में किसी आस्थगन या प्रोदभवनों के लिए शुद्ध अधिशेष को समायोजित किया जाता है। संस्थान के प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलापों से होने वाले नकद प्रवाहों को उपलब्ध जानकारी के आधार पर पृथक् किया जाता है।

2.06 आरक्षितियों/निधियों में विनियोग

i) भवनों के लिए प्राप्त संदानों का विनियोग आय और व्यय लेखा में किया जाता है और उसके पश्चात् उसे अवसंरचना आरक्षिती खाते में जमा किया जाता है।

ii) दूरस्थ शिक्षा फीस के 25 प्रतिशत, जो वर्ष के शुद्ध अधिशेष के 50 प्रतिशत से अधिक न हो, शिक्षा निधि को अंतरित किया जाता है।

iii) सदस्यता फीस (वार्षिक और व्यवसाय प्रमाणपत्र संबंधी फीस) के 0.75 प्रतिशत को प्रोदभवन आधार पर कर्मचारी कल्याण निधि को अंतरित किया जाता है।

iv) प्रवेश और दाखिला फीस :

-- सहबद्ध सदस्यों से प्राप्त प्रवेश फीस और अध्येता सदस्यों से प्राप्त दाखिला फीस के · · · भाग को अवसंरचना आरक्षिती खाते में डाला जाता है ;

v) अभिहित निधियों से शिक्षा निधि खाते को निम्नलिखित अंतरण किए जाते हैं :

(क) लेखांकन अनुसंधान भवन निधि से	लेखांकन अनुसंधान भवन निधि से संबंधित भवन निधि में अभिवृद्धियों की लागत (कटौतियों का शुद्ध, यदि कोई हों) का 100 प्रतिशत
(ख) शिक्षा निधि से	नियत आस्तियों को, अभिवृद्धियों की लागत (कटौतियों का शुद्ध, यदि कोई हों) का 50 प्रतिशत

तथापि, पूर्वोक्त विभिन्न आरक्षितियों/निधियों को विनियोग उपलब्ध अधिशेष की रकम तक निर्बंधित करते हुए, यथानुपात आधार पर किया जाता है।

vi) निवेशों से होने वाली आय को प्रारंभिक अतिशेषों के आधार पर, भारित औसत का आधार बनाते हुए अभिहित और निर्बंधित निधियों को आबंटित किया जाता है।

vii) वर्ष के दौरान प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण (आईटीटी)/समुन्नत सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम फीस के 25 प्रतिशत को कंप्यूटरों तथा अन्य आईटीटी केंद्र अवसंरचना के प्रतिस्थापन हेतु अन्य निधियों में अंतरित किया जाता है।

viii) वर्ष के लिए अवक्षयण के समतुल्य राशि (आईटीटी निधि को अंतरित रकम को छोड़कर) को आस्तियों की मरम्मत और प्रतिस्थापन हेतु सिंकिंग निधि में अंतरित किया जाता है।

ix) निर्बंधित निधियों को किए जाने वाला अभिदाय, उसे कोर्पस के रूप में मानते हुए सीधे निधियों में ले जाया जाता है।

2.07 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब यह संभावना हो कि मद से सहबद्ध भावी आर्थिक फायदे संस्थान को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का कथन संचयी अवक्षयण और संचयी हानिकरण हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत में उसकी क्रय कीमत, किन्हीं व्यापार बट्टों और छूटों के शुद्ध, आयात शुल्कों और अन्य करों (कर प्राधिकारियों से पश्चातवर्ती रूप से वसूलनीय से भिन्न) सहित सम्मिलित होती है, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से आस्ति को उसके आशयित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए होने वाले व्यय से प्रत्यक्षत: जोड़ा जा सकता है। आशयित उपयोग हेतु आस्ति को तैयार किए जाने की तारीख तक अर्हित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अर्जन के संबंध में होने वाले अन्य अनुषंगी व्ययों और उसके संबंध में लिए गए उधारों पर ब्याज का भी पूंजीकरण किया जाता है।

2.08 अमूर्त आस्तियां

अमूर्त आस्तियों का कथन, संचयी परिशोधन और संचयी हानिकरण, यदि कोई हों, को घटाकर लागत पर किया जाता है। किसी अमूर्त आस्ति की लागत में, उसकी क्रय लागत, छूट और बट्टों के शुद्ध के रूप में सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लगने वाले आयात शुल्क और अन्य कर (उनसे भिन्न, जो पश्चातवर्ती रूप से कर अधिकारियों से वसूलनीय होते हैं), किसी आस्ति को उसके आशयित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए होने वाली कोई प्रत्यक्ष लागत भी है तथा किसी आस्ति को उसके आशयित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु होने वाली कोई प्रत्यक्ष लागत, अन्य अनुषंगी व्यय और आशयित उपयोग के लिए आस्ति के तैयार होने की तारीख तक अर्हित आस्तियों के अर्जन के मद्दे लिए गए उधारों पर ब्याज भी है। अमूर्त आस्तियों के क्रय/उनके पूर्ण होने के पश्चात् उनसे संबंधित पश्चातवर्ती व्यय को केवल उस दशा में पूंजीकृत किया जाता है, यदि ऐसे व्ययों के परिणामस्वरूप उसके पूर्व में निर्धारित कार्यपालन संबंधी मानक से परे ऐसी आस्ति से होने वाले किन्हीं भावी फायदों में वृद्धि होती है।

2.09 चालू पूंजी संकर्म

ऐसी आस्तियों के, जो उनके आशयित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, संनिर्माण/विकास पर उपगत व्यय को, चालू पूंजी संकर्म के अधीन हानिकरण, यदि कोई हों, को घटाकर लागत पर संगणित किया जाता है । इस लागत में, सामग्रियों की क्रय लागत सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लागतों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े आयात-शुल्क और गैर-प्रतिदेय कर भी हैं ।

2.10 अवक्षयण और परिशोधन

क) आस्तियों के संबंध में अवक्षयणीय रकम आस्ति की लागत या लागत के रूप में प्रतिस्थापित अन्य रकम है ।

संपत्ति/संयंत्र और उपस्कर पर अवक्षयण को संस्थान की परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित निम्नलिखित दरों पर मासिक रूप से अपलिखित मूल्य पद्धति पर उपलब्ध कराया जाता है ।

	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का वर्ग	अवक्षयण की दर
i)	भवन	5%
ii)	लिफ्ट, इलैक्ट्रिकल प्रतिष्ठापन, सोलर पैनल और फिटिंग्स	10%
iii)	कंप्यूटर	60%
iv)	फर्नीचर और फिक्सचर	10%
v)	वातानुकूलक और कार्यालय उपस्कर	15%
vi)	वाहन	20%
vii)	वर्ष के दौरान क्रय की गई पुस्तकालय की पुस्तकों पर 100% अवक्षयण दिया जाता है ।	

ख) पट्टाधृत भूमि पर भवनों की अग्रनीत रकम का परिशोधन पट्टे की अवधि के आधार पर किया जाता है ।

ग) अमूर्त आस्तियों का परिशोधन उनके प्राक्कलित उपयोगी जीवन के आधार पर तीन वर्ष तक स्ट्रेट लाइन पद्धति पर किया जाता है ।

2.11 राजस्व मान्यता

राजस्व को निम्नानुसार मान्यता प्रदान की जाती है :

i) छात्रों से प्राप्त दूरस्थ शिक्षा फीस को संबद्ध पाठ्यक्रमों की अवधि के आधार पर अनुपातत: मान्यता प्रदान की जाती है ।

ii) कक्षा प्रशिक्षण फीस में प्रबंध और संसूचना कौशल पाठ्यक्रम ("एमसीएस"), सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी एकीकृत पाठ्यक्रम ("आईसीआईटीएसएस"), समुन्नत सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी एकीकृत पाठ्यक्रम ("एआईसीआईटीएसएस") और अनुकूलन कार्यक्रम ("ओपी") के लिए प्राप्त फीस सम्मिलित होती है । कक्षा प्रशिक्षण और कोचिंग कक्षाओं संबंधी आय को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है, जब सेवाओं को प्रदान किया जाता है और संबंद्ध लागतों को उपगत किया जाता है ।

iii) परीक्षा फीस को उस समय राजस्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब संस्थान संबद्ध सेवा प्रदान करता है, अर्थात् जब परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है ।

iv) संगोष्ठी फीस को उस समय राजस्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब संस्थान संबद्ध सेवा प्रदान करता है, अर्थात् जब संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है ।

v) वार्षिक सदस्यता फीस (जिसके अंतर्गत व्यवसाय प्रमाण-पत्र और उसे पुन: स्थापित करने की फीस भी सम्मिलित है) और प्रवेश फीस से मिलकर बनने वाली सदस्यता फीस को निम्नानुसार मान्यता प्रदान की जाती है :

(क) वार्षिक सदस्यता फीस (जिसके अंतर्गत व्यवसाय प्रमाणपत्र के लिए फीस भी है) को उस समय आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब वह वर्ष के दौरान शोध्य हो जाती है। सदस्य के नाम को पुन: प्रविष्ट करने संबंधी फीस को, उसके प्राप्त होने पर मान्यता प्रदान की जाती है ।

(ख) प्रवेश और दाखिला फीस :

सहबद्ध सदस्यों से प्राप्त प्रवेश फीस और अध्येता सदस्यों से प्राप्त दाखिला फीस को प्रवेश के समय आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है ।

vi) अर्हता-पश्च पाठ्यक्रमों और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों से प्राप्त राजस्वों को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें सेवाएं दी जाती हैं।

2.12 अन्य आय

क) प्रकाशनों और अन्य सबद्ध मदों के विक्रय से होने वाली आय को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब जोखिम और पुरस्कारों को क्रेता को अंतरित किया जाता है, जो सामान्यत: माल के परिदान के समय होता है।

ख) छात्र न्यूज लैटर और जर्नल के अभिदाय से होने वाली आय को अभिदाय की अवधि के अनुसार अनुपातत: मान्यता प्रदान की जाती है।

ग) कैम्पस साक्षात्कारों और विशेषज्ञ सलाहकार फीस से होने वाली आय को उस समय मान्यता दी जाती है, जब सेवाएं प्रदान की जाती हैं और संबद्ध लागतों को उपगत किया जाता है।

घ) ब्याज संबंधी आय को अनुपातिक आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

ङ) वर्ष के दौरान भवनों के लिए प्राप्त संदानों को उनकी प्राप्ति के वर्ष में मान्यता प्रदान की जाती है।

च) छात्रों से छात्र पंजीकरण फीस के मद्दे प्राप्त फीस में से, 1 अप्रैल, 2009 के पश्चात् पंजीकृत छात्रों की बाबत 250/- रुपए प्रति छात्र की राशि चार्टर्ड अकाउंटेंट छात्र कल्याण निधि में जमा की जाती है।

छ) सदस्यों से चार्टर्ड अकाउंटेंट कल्याण निधि (सीएबीएफ) के मद्दे प्राप्त संदानों को संदेय के रूप में लेखबद्ध किया जाता है और इसी प्रकार सदस्यों को उनके दावों के मद्दे उसकी ओर से संदत्त वित्तीय सहायता को प्राप्यों के रूप में लेखबद्ध किया जाता है। सीएबीएफ के साथ लेखाओं का नियमित आधार पर सुमेलन किया जाता है।

ज) प्रमाणपत्र /अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रारंभ से पूर्व उसके रद्द हो जाने की दशा में 10% फीस की कटोती की जाती है और पाठ्यक्रम के प्रारंभ हो जाने की दशा में किसी भी प्रकार से फीस का प्रतिदाय नहीं किया जाता है किंतु सदस्य को यह विकल्प दिया जाता है कि वह पश्चातवर्ती बैचों में पाठ्यक्रम के शेष भाग को पूरा कर सकता है।

2.13 निवेश

क) संस्थान के निवेशों में केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जारी घरेलू सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में लिखतें, भारत में अधिवासी अनुसूचित बैंकों में सावधि निक्षेप और लाभ न कमाने वाले अस्तित्वों के शेयर सम्मिलित होते हैं।

ख) निवेशों को एएस 13, निवेश के अनुसार चालू और दीर्घकालिक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चालू निवेश वे हैं, जिन्हें सुगमता से वसूल किया जा सकता है और उन्हें, निवेश किए जाने की तारीख से एक वर्ष से अनधिक अवधि तक धारित करने का आशय रखा जाता है। दीर्घकालिक निवेश कोई ऐसा निवेश है, जो चालू निवेश से भिन्न है।

ग) निवेशों को प्रारंभिक रूप से लागत पर लेखबद्ध किया जाता है और इस लागत में अर्जन की लागतें, जैसे दलाली, फीस और शुल्क सम्मिलित होते हैं। क्रय के समय संदत्त प्रोदभूत ब्याज का मुजरा ब्याज की प्राप्ति के प्रति किया जाता है।

घ) केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जारी घरेलू सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में निवेश का उपयोग मुक्त रूप से परिषद् के विवेक पर उपलब्ध है, सिवाय उद्दिष्ट निधियों के योग की सीमा तक।

ङ) प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को चालू निवेशों को लागत और उचित मूल्य के निम्नतर पर अग्रनीत किया जाता है। उचित मूल्य का अवधारण व्यष्टिक आधार पर किया जाता है। दीर्घकालिक निवेशों को प्राय: लागत पर अग्रनीत किया जाता है। तथापि, जब दीर्घकालिक निवेशों के मूल्य में अस्थायी से भिन्न कोई कमी होती है तो कमी को मान्यता प्रदान करने के लिए अग्रनीत मूल्य को कम किया जाता है। क्रय के समय संदत्त प्रीमियम का परिशोधन निवेशों की शेष परिपक्वता की अवधि हेतु किया जाता है। प्रीमियम के परिशोधन को 'निवेशों से ब्याज' शीर्ष के अधीन आय के प्रति समायोजित किया जाता है।

2.14 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को, संव्यवहार की तारीख को लागू विनिमय दरों पर लेखांकित किया जाता है।

तुलन-पत्र की तारीख को बकाया विदेशी मुद्रा धनीय मदों को वर्ष के अंत में विद्यमान दरों पर पुन: कथित किया जाता है। संस्थान की गैर-धनीय मदों का लेखांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है।

विदेशी मुद्रा धनीय आस्तियों और दायित्वों के समाधान/पुनर्कथन पर उदभूत होने वाले विनिमय संबंधी अंतरों को आय और व्यय के विवरण में आय और व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

2.15 कर्मचारी फायदे

कर्मचारी फायदों में भविष्य निधि, उपदान निधि, प्रतिपूरित अनुपस्थिति, दीर्घ सेवा पुरस्कार, पेंशन स्कीम और सेवा-पश्च चिकित्सीय फायदे सम्मिलित हैं।

i) अल्पकालिक कर्मचारी फायदे

अल्पकालिक कर्मचारी फायदों (जैसे कि वेतन, भत्ते, अनुग्रह आदि) की बट्टा रहित रकम को, कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बदले संदत्त किए जाने की आशा की जाती है, जिसे वर्ष के दौरान उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं। अल्पकालिक कर्मचारी फायदे संभावी रूप से उस अवधि के अंत के बारह मास के भीतर उत्पन्न होते हैं, जिसमें पात्र कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

अल्पकालिक प्रतिपूरित अनुपस्थिति की लागत को निम्नानुसार लेखांकित किया जाता है :

क) संचयित प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की दशा में, जब कर्मचारी ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं, जो उनकी भावी प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की हकदारी में वृद्धि करती हैं ; और

ख) गैर-संचयित एकत्रित प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की दशा में, जब अनुपस्थितियां दर्ज की जाती हैं।

ii) नियोजन पश्च फायदे

नियोजन पश्च फायदे कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऐसे फायदे हैं, जो सेवा समापन फायदों से भिन्न हैं और जो नियोजन के पूरा होने के पश्चात् संदेय होते हैं। नियोजन पश्च फायदों का लेखांकन, सुसंगत योजनाओं के वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसे कि उन्हें या तो परिभाषित फायदा योजना (डीबीपी) या परिभाषित अभिदाय योजना (डीसीपी) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नियोजन पश्च फायदा योजनाएं, जहां संस्थान किसी पृथक् अस्तित्व या निधि को किन्हीं नियत अभिदायों का संदाय करता है और वह उस दशा में किन्हीं अन्य अभिदायों को करने की बाध्यताओं के अधीन नहीं होगा यदि पृथक् अस्तित्व या निधि के पास चालू और पूर्व अवधि में कर्मचारी की सेवा से संबंधित सभी कर्मचारी फायदों का संदाय करने के लिए पर्याप्त आस्तियां विद्यमान नहीं हैं। दूसरी ओर, डीसीपी के रूप में वर्गीकृत योजनाओं से भिन्न नियोजन पश्च फायदा योजनाओं को डीबीपी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिभाषित फायदा योजनाएं

क) उपदान

उपदान और सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन के रूप में परिभाषित फायदा योजनाओं के लिए, फायदे उपलब्ध कराने की लागत का अवधारण प्रक्षेपित यूनिट प्रत्यय पद्धति का उपयोग करते हुए किया जाता है, जिसके दौरान प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। बीमांकिक अभिलाभों और हानियों को उस अवधि के आय और व्यय विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें वे उदभूत होते हैं। पूर्व सेवा संबंधी लागत को, फायदों के पहले से ही निहित किए जाने की सीमा तक तुरंत मान्यता प्रदान की जाती है और उन्हें अन्यथा फायदों के निहित हो जाने तक की औसत अवधि के अनुसार सीधी कटौती पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाता है। मान्य ठहराई गई सेवानिवृत्ति फायदे संबंधी बाध्यता, गैर-मान्यताप्राप्त पूर्व सेवा लागत के लिए यथा समायोजित परिभाषित फायदा बाध्यता के वर्तमान मूल्य को उपदर्शित करती है, जिसमें से स्कीम संबंधी अस्तियों के उचित मूल्य को घटा दिया गया हो। इस परिगणना के पारिणामिक कोई आस्ति, पूर्व सेवा लागत धन उपलब्ध प्रतिदायों और स्कीमों में भावी अभिदायों में कमी के वर्तमान मूल्य तक सीमित है। उपदान संबंधी दायित्व को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

ख) भविष्य निधि

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान भविष्य निधि न्यास ('न्यास') को भविष्य निधि स्कीम के मद्दे किए गए अभिदाय को चालू वर्ष के लिए परिभाषित फायदा योजना के रूप में विचार में लिया जाता है और उसे एक ऐसे व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है, जो किए जाने के लिए अपेक्षित अभिदाय की रकम पर आधारित है, जब पात्र कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस न्यास का प्रबंध संस्थान द्वारा निर्वाचित शासी निकाय द्वारा किया जाता है और वह ऐसे दावों का समाधान करता है, जब कभी वे उदभूत होते हैं। भविष्य निधि न्यास के बीमांकिक दायित्व से उदभूत किसी कमी और मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के दौरान निवेश से फायदों में किसी कमी का न्यास द्वारा दावा किया जाता है तथा उसका संदाय संस्थान द्वारा किया जाता है।

इन परिभाषित फायदा बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को लेखांकन मानक (एएस) – 15, कर्मचारी फायदे के अनुसार एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्याकंनकर्ता द्वारा अभिनिश्चित किया जाता है।

ग) पेंशन स्कीम

संस्थान अपने पात्र कर्मचारियों को पेंशन के रूप में कर्मचारी फायदों की प्रस्थापना करता है । तुलन-पत्र की तारीख को इस बाध्यता के वर्तमान मूल्य को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है । पेंशन संबंधी दायित्व को भारतीय जीवन बीमा निगम से वित्तपोषित किया जाता है ।

घ) सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति-पत्नी को सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा स्कीम फायदा

संस्थान अपने कर्मचारियों को चिकित्सा स्कीम के रूप में कर्मचारी फायदों की प्रस्थापना करता है ।

ङ) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी फायदे – प्रतिपूरित अनुपस्थिति

ऐसी प्रतिपूरित अनुपस्थितियां, जिनकी उस अवधि के अंत के पश्चात् बारह मास के भीतर उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, जिसमें कर्मचारी द्वारा दी गई संबद्ध सेवाओं को तुलन-पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर परिभाषित फायदा बाध्यता के वर्तमान मूल्य पर एक दायित्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है ।

2.16 पट्टे

संस्थान लेखांकन और प्रकटन प्रयोजनों के लिए पट्टों को वित्त और प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत करता है । ऐसे पट्टों को, जहां संस्थान स्वामित्व संबंधी सभी जोखिम और पुरस्कारों को सारवान रूप से स्वीकार करता है, वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । ऐसे पट्टों को, जहां पट्टाकर्ता और न कि संस्थान स्वामित्व संबंधी सभी जोखिम औरपुरस्कारों को सारवान रूप से स्वीकार करता है, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

प्रचालन पट्टों के अधीन पट्टा किरायों को पट्टे की अवधि के अनुसार सीधे कटौती पद्धति के आधार पर आय और व्यय के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है । वित्तीय पट्टे की दशा में, आस्तियों को पट्टाकृत आस्ति के उचित मूल्य और न्यूनतम पट्टा संदाय के वर्तमान मूल्य के निम्नतर पर पूंजीकृत किया जाता है । पट्टा संबंधी संदायों को वित्तीय प्रभार और पट्टा दायित्व के पुन: संदाय के बीच परिशोधित किया जाता है । पट्टाधृत आस्तियों का अवक्षयण पट्टे की अवधि या आस्ति के उपयोगी जीवन के निम्नतर पर किया जाता है ।

2.17 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त आस्तियों का हानिकरण

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों के अग्रेषण मूल्य को हानिकरण हेतु पुनर्विलोकित किया जाता है। यदि हानिकरण का कोई संकेत विद्यमान होता है तो ऐसी आस्तियों की वसूलनीय रकम को प्राक्कलित किया जाता है और हानिकरण को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है, यदि इन आस्तियों की अग्रनीत रकम उनकी वसूलनीय रकम से अधिक हो जाती है । वसूलनीय रकम, शुद्ध विक्रय कीमत और उनके उपयोग मूल्य दोनों में से उच्चतर है । उपयोग मूल्य की गणना, भावी नकद प्रवाहों को एक समुचित बट्टा कारक के आधार पर बट्टा देते हुए उनके वर्तमान मूल्य के आधार पर की जाती है । जब इस बात का कोई संकेत प्राप्त होता है कि किसी आस्ति के लिए पूर्ववर्ती लेखांकन अवधियों के दौरान मान्यता प्रदान किया गया हानिकरण अब विद्यमान नहीं है या उसमें कोई कमी आई है तो ऐसे हानिकरण की वापसी को आय और व्यय के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है ।

2.18 आय पर कर

संस्थान आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग)(iv) के अधीन आय-कर से छूट के लिए रजिस्ट्रीकृत है । इस प्रकार, चालू आय-कर और आस्थगित कर के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

2.19 प्रावधान और आकस्मिकताएं

किसी प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है, जब किन्हीं पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप संस्थान की कोई बाध्यता विद्यमान है और इस बात की संभावना है कि ऐसी बाध्यता को पूरा करने के लिए संसाधनों का बर्हिगमन अपेक्षित होगा, जिसके संबंध में कोई विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है ।

आकस्मिक दायित्व ऐसी संभाव्य बाध्यता है, जो किन्हीं पूर्व घटनाओं से उदभूत होती है और जिसकी विद्यमानता की पुष्टि एक या अधिक अनिश्चित ऐसी भावी घटनाओं के घटित या घटित न होने पर निर्भर हो सकती है, जो पूर्णतया संस्थान के नियंत्रणाधीन नहीं है या जो कोई ऐसी वर्तमान बाध्यता है, जो किसी पूर्व घटना से उदभूत हुई है, किंतु जिसे या तो इस कारण से कि यह संभाव्य नहीं है कि उस बाध्यता को पूरा करने के लिए आर्थिक फायदों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बर्हिगमन अपेक्षित होगा या इस कारण से कि बाध्यता को पूरा करने के लिए किसी रकम का विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, मान्यता प्रदान नहीं की गई है । आकस्मिक दायित्वों का प्रकटन किया जाता है और उन्हें मान्यता प्रदान नहीं की जाती है ।

आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्यता प्रदान की जाती है और न ही उनका प्रकटन किया जाता है ।

टिप्पण # 03 आरक्षितियां और अधिशेष

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां	31 मार्च को यथाविद्यमान	साधारण आरक्षिती	शिक्षा आरक्षिती	अवसंरचना आरक्षिती	आईटीटी आरक्षिती	अन्य आरक्षिती	योग
वर्ष के आरंभ में अतिशेष	2025	1,10,974	56,783	8,546	10,249	1,047	1,87,599
	2024	1,11,024	54,031	8,112	8,967	1,037	1,83,171
जोड़ें: आय और व्यय विवरण से विनियोग	2025	-	-	254	705	-	959
	2024	-	-	409	1,282		1,691
साधारण आरक्षिती, अवसंरचना आरक्षिती और अन्य आरक्षिती से/(को) अंतरण	2025	-	-	-	-	-	-
	2024	(35)	-	25	-	10	-
अभिहित निधियों से/(को) अंतरण	2025	(57)	4,627	(1)	-	(30)	4,539
	2024	(15)	2,752	-	-	-	2,737
वर्ष के अंत में अतिशेष	2025	1,10,917	61,410	8,799	10,954	1,017	1,93,097
	2024	1,10,974	56,783	8,546	10,249	1,047	1,87,599

टिप्पण # 04 अभिहित निधियां

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां	31 मार्च को यथा विद्यमान	अनुसंधान निधि	लेखांकन अनुसंधान भवन निधि	शिक्षा निधि	छात्र छात्रवृत्ति निधि	आस्तियों की मरम्मत और प्रतिस्थापन के लिए सिंकिंग निधि	कर्मचारी कल्याण निधि	प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के अन्य निधियां	योग
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष	2025	3,901	1,392	71,922	11,794	41,305	1,825	7,885	1,40,024
	2024	3,639	1,278	62,446	11,531	36,844	1,613	7,468	1,24,819
जोड़े : आय और व्यय के विवरण से विनियोग	2025			1,892		995	51		2,938
	2024			7,773		1,831	98		9,702
आरक्षितियों और अधिशेष से/(को) अंतरण	2025	-	-	(4,627)	-	-	-	88	(4,539)
	2024	-	-	(2,752)	-	-	-	15	(2,737)
वर्ष के दौरान प्राप्त अभिदाय/परिवृद्धि	2025	-	-	-	-	-	-	264	264
	2024	-	-	-	-	-	-	343	343
वर्ष के दौरान आय और व्यय के विवरण के माध्यम से विनियोग की गई ब्याज आय	2025	154	98	2,735	448	1,571	69	17	5,092
	2024	262	114	4,455	823	2,630	115	59	8,458
वर्ष के दौरान उपयोजित	2025	-	-	-	(969)	-	(33)	-	(1,002)
	2024	-	-	-	(560)	-	(1)	-	(561)
वर्ष के अंत में अतिशेष	2025	4,055	1,490	71,922	11,273	43,871	1,912	8,254	1,42,777
	2024	3,901	1,392	71,922	11,794	41,305	1,825	7,885	1,40,024

टिप्पण # 05 निर्बंधित निधियां

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां	31 मार्च को यथा विद्यमान	छात्रों के लिए पदक और पुरस्कार निधि	छात्र अक्षय निधि	योग
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष	**2025**	**446**	**343**	**789**
	2024	**420**	**290**	**710**
वर्ष के दौरान प्राप्त अभिदाय/ परिवृद्धि	2025	21	2	23
	2024	19	44	63
वर्ष के दौरान आय और व्यय के विवरण के माध्यम से विनियोग की गई ब्याज आय	2025	36	28	64
	2024	22	17	39
वर्ष के दौरान उपयोजित	2025	(17)	(19)	(36)
	2024	(15)	(8)	(23)
वर्ष के अंत में अतिशेष	**2025**	**486**	**354**	**840**
	2024	**446**	**343**	**789**

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 06 : दीर्घकालिक दायित्व		31 मार्च, 2025 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2024 को यथाविद्यमान
(क)	दूरस्थ शिक्षा फीस	**6,330**	2,290
(ख)	सदस्यता फीस	**1,261**	1,030
	योग अन्य दीर्घकालिक दायित्व	**7,591**	**3,320**

टिप्पण # 07 : प्रावधान		दीर्घकालिक		अल्पकालिक	
		31 मार्च, 2025 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2024 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2025 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2024 को यथाविद्यमान
(क)	**कर्मचारी फायदों के लिए प्रावधान**				
	(i) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	**6,686**	6,503	**614**	681
	(ii) उपदान के लिए प्रावधान	**-**	-	**-**	39
	(iii) शाखा कर्मचारियों के लिए प्रावधान	**-**	-	**247**	254
(ख)	अन्य प्रावधान				
	(i) गैर पूंजीगत व्यय	**-**	-	**2,124**	2,156
	कुल प्रावधान	**6,686**	**6,503**	**2,985**	**3,130**

टिप्पण # 08 : देय	31 मार्च, 2025 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2024 को यथाविद्यमान
(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कुल बकाया शोध्य	**1,411**	2,019
(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से भिन्न लेनदारों के कुल बकाया शोध्य	**7,949**	4,389
कुल देय	**9,360**	**6,408**
इकाई के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित प्रकटीकरण		
विवरण	**31 मार्च, 2025 को यथाविद्यमान**	**31 मार्च, 2024 को यथाविद्यमान**
(क) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई शेष राशि		
मूल	1,411	2,019
ब्याज	0.06	0.25
(ख) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के निबंधनों के अनुसार क्रेता द्वारा संदत्त ब्याज की राशि, साथ ही प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए संदाय की राशि।	54	111
(ग) संदाय करने में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन के पश्चात् किया गया है) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
(घ) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपार्जित तथा असंदत्त ब्याज की राशि।	0.60	0.73
(ङ) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अधीन कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए, आगामी वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज की राशि, उस तारीख तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में लघु उद्यम को संदत्त नहीं कर दी जाती।	-	-

टिप्पण # 09 : अन्य चालू दायित्व	31 मार्च, 2025 को यथा विद्यमान	31 मार्च, 2024 को यथा विद्यमान
(क) अग्रिम में प्राप्त फीस		
(i) दूरस्थ शिक्षा फीस	**17,894**	15,931
(ii) सदस्यता फीस	**615**	630
(iii) परीक्षा फीस	**7,192**	8,897
(iv) संगोष्ठी फीस :		
क) सदस्य	**140**	161
ख) छात्र	**8**	5
(v) पुनरीक्षण कक्षाएं	**62**	118
(vi) कक्षा प्रशिक्षण फीस :		
क) सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण	**488**	585
ख) सामान्य प्रबंधन और संचार कौशल	**146**	196
ग) अनुकूलन	**267**	295
(vii) अर्हता पश्च पाठयक्रम	**120**	94
(viii) प्रमाणपत्र पाठयक्रम	**371**	128
(ix) अनुशासनात्मक शुल्क	**3**	11
(x) अन्य	**153**	156
कुल योग (अ)	**27,459**	**27,207**
(ख) अन्य दायित्व		
(i) पूंजी मदों के लिए देय	**2**	152
(ii) देय भविष्य निधि और वृत्तिक कर	**407**	272
(iii) देय माल और सेवा कर	**927**	1,288
(iv) देय टीडीएस	**887**	732
(v) उपदान और पेंशन के लिए देय [टिप्पण 2.15(ii)(क और ग) देखें]	**16,151**	2,971
(vi) प्रतिभूति और जमा किया गया बयाना धन	**1,690**	1,247
(vii) अन्य देय	**1,080**	678
कुल योग (आ)	**21,144**	**7,340**
कुल अन्य चालू दायित्व	**48,603**	**34,547**

टिप्पण # 10 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (रुपए लाख में)

विशिष्टियां /आस्तियां	मूर्त आस्तियां									
	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टाधृत भूमि	भवन	कंप्यूटर	कार्यालय उपस्कर और वातानुकूलक	फर्नीचर और फिक्सचर	लिफ्ट, इलैक्ट्रीकल प्रतिष्ठापन और फीटिंग्स	यान	पुस्तकालय की पुस्तकें	योग
सकल ब्लॉक										
1 अप्रैल, 2024 को यथाविद्यमान	20,982	12,050	51,461	8,453	7,775	6,646	3,045	190	1,142	1,11,744
वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	570	1,669	3,337	1,107	1,694	841	1,063	2	15	10,298
कटौतियां/समायोजन	-	✡ (1,315)	(4)	(94)	(113)	(29)	(16)	(1)	-	(1,572)
1 अप्रैल 2023 को यथाविद्यमान	21,196	13,611	46,117	8,109	6,988	6,107	2,812	189	1,122	1,06,251
वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	538	2,366	5,344	357	807	555	255	1	20	10,243
कटौतियां/समायोजन	(752)	(3,927)	-	(13)	(20)	(16)	(22)	-	-	(4,750)
31 मार्च 2025 को यथाविद्यमान	**21,552**	**12,404**	**54,794**	**9,466**	**9,356**	**7,458**	**4,092**	**191**	**1,157**	**1,20,470**
31 मार्च 2024 को यथाविद्यमान	**20,982**	**12,050**	**51,461**	**8,453**	**7,775**	**6,646**	**3,045**	**190**	**1,142**	**1,11,744**
अवमूल्यन/समायोजन										
1 अप्रैल, 2024 को यथाविद्यमान	-	1,794	17,223	7,940	5,100	3,722	1,836	124	1,142	38,881
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	-	207	1,752	563	539	323	165	13	15	3,577
कटौतियां/समायोजन	-	-	(2)	(99)	(47)	(8)	(7)	(1)	-	(164)
1 अप्रैल 2023 को यथाविद्यमान	-	1,608	15,698	7,432	4,706	3,435	1,715	108	1,122	35,824
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	-	186	1,665	510	397	288	121	16	20	3,203
कटौतियां/समायोजन	-	-	(140)	(2)	(3)	(1)	-	-	-	(146)
31 मार्च 2025 को यथाविद्यमान	**-**	**2,001**	**18,973**	**8,404**	**5,592**	**4,037**	**1,994**	**136**	**1,157**	**42,294**
31 मार्च 2024 को यथाविद्यमान	**-**	**1,794**	**17,223**	**7,940**	**5,100**	**3,722**	**1,836**	**124**	**1,142**	**38,881**
शुद्ध ब्लॉक										
31 मार्च 2025 को यथाविद्यमान	**21,552**	**10,403**	**35,821**	**1,062**	**3,764**	**3,421**	**2,098**	**55**	**-**	**78,176**
31 मार्च 2024 को यथाविद्यमान	**20,982**	**10,256**	**34,238**	**513**	**2,675**	**2,924**	**1,209**	**66**	**-**	**72,863**

✡ कटौतियों में पट्टाधृत भूमि से अन्य आस्तियों को अंतरित की गई रकम सम्मिलित है।

टिप्पण #11. अमूर्त आस्तियां	
विशिष्टियां /आस्तियां	**योग**
सकल ब्लॉक	
1 अप्रैल 2024 को यथाविद्यमान	1,446
वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	548
कटौतियां/समायोजन	(21)
1 अप्रैल 2023 को यथाविद्यमान	1,436
वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	13
कटौतियां/समायोजन	(3)
31 मार्च 2025 को यथाविद्यमान	**1,973**
31 मार्च 2024 को यथाविद्यमान	**1,446**
परिशोधन/समायोजन	
1 अप्रैल 2024 को यथाविद्यमान	1,406
वर्ष के दौरान परिशोधन	210
कटौतियां/समायोजन	(22)
1 अप्रैल 2023 को यथाविद्यमान	1,201
वर्ष के दौरान परिशोधन	208
कटौतियां/समायोजन	(3)
31 मार्च 2025 को यथाविद्यमान	**1,594**
31 मार्च 2024 को यथाविद्यमान	**1,406**
शुद्ध ब्लॉक	
31 मार्च 2025 को यथाविद्यमान	**379**
31 मार्च 2024 को यथाविद्यमान	**40**

टिप्पण #12. चालू संकर्म (रुपए लाख में)

क) चालू पूंजी संकर्म	**31 मार्च, 2025 को यथा विद्यमान**	**31 मार्च, 2024 को यथा विद्यमान**
प्रारंभिक अतिशेष	4,896	3,588
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	6,052	3,156
घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत रकम	(330)	(1,848)
अंतिम अतिशेष	10,618	4,896

ख) विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां	**31 मार्च, 2025 को यथा विद्यमान**	**31 मार्च, 2024 को यथा विद्यमान**
प्रारंभिक अतिशेष	487	10
जोड़े : वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	352	477
घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत रकम	(487)	-
अंतिम अतिशेष	352	487

टिप्पण # 13. निवेश

अ-I) गैर चालू निवेश (ऐतिहासिक लागत पर मूल्यांकित जब तक अन्यथा न कहा जाए)	**अंकित मूल्य**	**31 मार्च, 2025 को यथा विद्यमान**		**31 मार्च, 2024 को यथा विद्यमान**	
		यूनिट/शेयर	**बही मूल्य**	**यूनिट/शेयर**	**बही मूल्य**
I) <u>व्यापार निवेश</u>					
साम्या लिखतों में निवेश					
i) आईसीएआई का दिवाला वृत्तिक संस्थान 100 रुपये प्रति के साधारण शेयर	**100**	10,00,000	**1,000**	10,00,000	1,000
ii) निवेश आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन	**100**	10,000	**10**	10,000	10
iii) निवेश आईसीएआई सोशल ऑडिटर्स ऑफ इंडिया	**100**	1,99,990	**200**	1,99,990	200
कुल योग		**12,09,990**	**1,210**	**12,09,990**	**1,210**
<u>अन्य निवेश</u>					
II) सरकारी या ट्रस्ट प्रतिभूतियों में निवेश					
i) केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियां					
1 6.67% भारत सरकार 2050 (1)	**98.85**	**25,00,000**	**2,471**	25,00,000	2,470
2 6.67% भारत सरकार 2050 (2)	**96.23**	**30,00,000**	**2,887**	30,00,000	2,883
3 6.67% भारत सरकार 2050 (3)	**94.92**	**20,00,000**	**1,898**	20,00,000	1,894
4 6.67% भारत सरकार 2050 (4)	**97.02**	**10,00,000**	**970**	10,00,000	969
5 6.67% भारत सरकार 2050 (5)	**95.68**	**75,00,000**	**7,176**	75,00,000	7,164
6 6.67% भारत सरकार 2050 (6)	**96.55**	**30,00,000**	**2,897**	30,00,000	2,893
7 6.67% भारत सरकार 2050 (7)	**93.48**	**50,00,000**	**4,674**	50,00,000	4,661
8 6.67% भारत सरकार 2050 (8)	**93.47**	**15,00,000**	**1,402**	15,00,000	1,398
9 6.67% भारत सरकार 2050 (9)	**93.47**	**50,00,000**	**4,674**	50,00,000	4,661
10 6.76% भारत सरकार 2061	**97.40**	**10,00,000**	**974**	10,00,000	973
11 6.99% भारत सरकार 2051	**93.68**	**25,00,000**	**2,342**	25,00,000	2,336
12 7.16% भारत सरकार 2050	**107.06**	**10,00,000**	**1,071**	10,00,000	1,073
13 7.26% जीएसईसी जनवरी 29	**102.71**	**75,00,000**	**7,703**	75,00,000	7,757
14 7.40% भारत सरकार 2035 (1)	**104.90**	**5,00,000**	**525**	5,00,000	527
15 7.40% भारत सरकार 2035 (2)	**106.27**	**5,00,000**	**531**	5,00,000	534
16 7.54% भारत सरकार 2036 (1)	**101.78**	**20,00,000**	**2,036**	20,00,000	2,039
17 7.54% भारत सरकार 2036 (2)	**101.78**	**15,00,000**	**1,527**	15,00,000	1,529

18 7.57% जीएस 2033	**106.89**	**50,00,000**	**5,344**	50,00,000	5,386
19 7.69% भारत सरकार 17/06/2043	**109.69**	**30,00,000**	**3,291**	30,00,000	3,307
20 7.69% भारत सरकार 2043	**108.40**	**25,00,000**	**2,710**	25,00,000	2,722
21 7.72% भारत सरकार 2049	**108.29**	**50,00,000**	**5,414**	50,00,000	5,432
22 7.73% भारत सरकार 2034	**109.09**	**5,00,000**	**545**	5,00,000	550
23 8.17% भारत सरकार 2044	**113.63**	**25,00,000**	**2,841**	25,00,000	2,858
24 8.17% सरकारी स्टॉक 2044	**113.15**	**50,00,000**	**5,658**	50,00,000	5,691
25 8.24% भारत सरकार 2033	**111.24**	**5,00,000**	**556**	5,00,000	563
26 8.24% सरकारी स्टॉक नवंबर, 33	**111.15**	**50,00,000**	**5,557**	50,00,000	5,622
27 8.30% भारत सरकार 2042 (1)	**113.88**	**20,00,000**	**2,278**	20,00,000	2,293
28 8.30% भारत सरकार 2042 (2)	**113.65**	**10,00,000**	**1,136**	10,00,000	1,144
29 8.30% भारत सरकार 2042 (3)	**113.78**	**5,00,000**	**569**	5,00,000	573
30 8.30% जीएस 2042 (1)	**114.32**	**35,00,000**	**4,001**	35,00,000	4,030
31 8.30% जीएस 2042 (2)	**114.31**	**15,00,000**	**1,715**	15,00,000	1,727
32 8.30% भारत सरकार 2040	**113.21**	**45,00,000**	**5,094**	45,00,000	5,133
33 8.33% भारत सरकार 2036 (1)	**113.94**	**10,00,000**	**1,139**	10,00,000	1,152
34 8.33% भारत सरकार 2036 (2)	**113.96**	**19,00,000**	**2,165**	19,00,000	2,189
35 8.33% भारत सरकार 2036 (3)	**111.08**	**25,00,000**	**2,777**	25,00,000	2,802
36 8.83% भारत सरकार 2041 (1)	**118.11**	**10,00,000**	**1,181**	10,00,000	1,192
37 8.83% भारत सरकार 2041 (2)	**118.10**	**15,00,000**	**1,771**	15,00,000	1,788
38 8.83% सरकारी स्टॉक 2041	**120.91**	**10,00,000**	**1,209**	10,00,000	1,222
39 9.23% भारत सरकार 23/12/2043 (1)	**122.39**	**10,00,000**	**1,224**	10,00,000	1,236
40 9.23% भारत सरकार 23/12/2043 (2)	**122.41**	**10,00,000**	**1,224**	10,00,000	1,236
41 9.23% भारत सरकार 23/12/2043 (3)	**123.70**	**50,00,000**	**6,185**	50,00,000	6,248
42 9.23% भारत सरकार 23/12/2043 (4)	**123.05**	**20,00,000**	**2,461**	20,00,000	2,485
कुल योग		**10,69,00,000**	**1,13,803**	**10,69,00,000**	**1,14,342**

टिप्पण # 13. निवेश

(रुपए लाख में)

अ-I) गैर चालू निवेश (ऐतिहासिक लागत पर मूल्यांकित जब तक अन्यथा न कहा जाए)	अंकित मूल्य	31 मार्च, 2025 यथाविद्यमान		31 मार्च, 2024 यथाविद्यमान	
		यूनिट/शेयर	बही मूल्य	यूनिट/शेयर	बही मूल्य
ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां					
1 6.61% मध्य प्रदेश एसडीएल 2037	**99.21**	5,00,000	**496**	5,00,000	496
2 6.68% हरियाणा एसडीएल	**98.03**	25,00,000	**2,451**	25,00,000	2,447
3 7.88% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2031	**105.21**	10,00,000	**1,052**	10,00,000	1,060
4 6.80% जम्मू-कश्मीर एसडीएल 2035	**100.35**	5,00,000	**502**	5,00,000	502
5 6.99% पश्चिम बंगाल एसडीएल 2036	**101.23**	5,00,000	**506**	5,00,000	507
6 7.08% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2035	**100.64**	10,00,000	**1,006**	10,00,000	1,007
7 7.43% हरियाणा 09/03/2041	**100.81**	5,00,000	**504**	5,00,000	504
8 6.96% तमिलनाडु एसडीएल 2056	**97.70**	10,00,000	**977**	10,00,000	976
9 7.86% असम एसडीएल 2032 – 2	**99.99**	20,80,000	**2,080**	20,80,000	2,080
10 7.94% हरियाणा एसडीएल 2034 – 2	**100.07**	19,50,000	**1,951**	19,50,000	1,951
11 7.50% हिमाचल प्रदेश एसडीएल 2036 - 1	**100.29**	20,00,000	**2,006**	20,00,000	2,006
12 7.50% हिमाचल प्रदेश एसडीएल 2036 – 2	**100.24**	10,00,000	**1,002**	10,00,000	1,003
13 7.85% मध्य प्रदेश एसडीएल 2032 – 3	**101.89**	25,00,000	**2,547**	25,00,000	2,554
14 7.70% बिहार एसजीएस 2031	**100.05**	50,00,000	**5,002**	50,00,000	5,003
15 7.62% बिहार एसजीएस 2031	**99.68**	10,00,000	**997**	10,00,000	996
16 7.76% मध्य प्रदेश एसडीएल 2037	**100.52**	2,94,300	**296**	2,94,300	296

17 7.74% राजस्थान एसडीएल 2039	**100.40**	26,61,100	**2,672**	26,61,100	2,673
18 7.76% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2037	**100.59**	20,51,600	**2,064**	20,51,600	2,065
19 7.75% तेलंगाना एसडीएल 2037	**100.58**	44,19,100	**4,445**	44,19,100	4,447
20 7.46% महाराष्ट्र 13/09/2033	**98.93**	50,00,000	**4,947**	50,00,000	4,940
21 7.81% गुजरात एसजीएस 2032	**101.00**	50,00,000	**5,050**	50,00,000	5,056
22 7.77% आंध्र प्रदेश एसजीएस 2035	**100.25**	9,00,000	**902**	9,00,000	902
23 7.75% राजस्थान एसजीएस 2036	**100.19**	24,00,000	**2,405**	24,00,000	2,405
24 7.70% उत्तर प्रदेश एसजीएस 2035	**99.75**	17,85,000	**1,781**	17,85,000	1,780
25 7.70% उत्तर प्रदेश एसजीएस 2035	**99.88**	11,60,000	**1,159**	11,60,000	1,159
26 7.75% उत्तर प्रदेश एसजीएस 2034	**100.16**	2,58,100	**259**	2,58,100	259
27 7.75% उत्तर प्रदेश एसजीएस 2034 1	**100.18**	5,00,000	**501**	5,00,000	501
28 7.75% यूपी एसजीएस 2034	**100.19**	10,00,000	**1,002**	10,00,000	1,002
29 7.71% जम्मू-कश्मीर एसजीएस 2048	**99.33**	42,50,000	**4,222**	42,50,000	4,221
30 7.72% जम्मू-कश्मीर एसजीएस 2043	**99.62**	2,00,000	**199**	2,00,000	199
31 6.63% टीएन एसडीएल 2035	**92.51**	30,00,000	**2,775**	30,00,000	2,754
32 7.93% टीएस एसडीएल 2034	**101.23**	5,00,000	**506**	5,00,000	507
33 7.70% यूपी एसडीएल 2034	**100.16**	5,00,000	**501**	5,00,000	501
कुल योग		**5,89,09,200**	**58,765**	**5,89,09,200**	**58,759**
			-		-
कुल (व्यापार और अन्य) निवेश		**16,70,19,190**	**1,73,778**	**16,70,19,190**	**1,74,311**
वर्ष के अंत में कुल बाजार मूल्य: कोटेड निवेशों की कुल रकम और उसका बाजार मूल्य			1,76,721		1,77,512
	-	-	1,76,721	-	1,77,512

टिप्पण # 13. निवेश

(रुपए लाख में)

अ-II) गैर चालू सावधि जमा		31 मार्च, 2025 को यथाविद्यमान		31 मार्च, 2024 को यथाविद्यमान	
			मूल्य		मूल्य
(क) एक वर्ष से अधिक के लिए उद्धिष्ट बैंक जमा			-		109
(ख) एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्कता वाले सावधि जमा			6,335		8,97
अ-II) कुल गैर चालू सावधि जमा					0
			6,335	**-**	**9,079**
कुल गैर-चालू निवेश (आ + आII)		**16,70,19,190**	**1,80,113**	**16,70,19,190**	**1,83,390**

आ) चालू निवेश	**अंकित मूल्य**	**31 मार्च, 2025 को यथाविद्यमान**		**31 मार्च, 2024 को यथाविद्यमान**	
		यूनिट/शेयर	**बही मूल्य**	**यूनिट/शेयर**	**बही मूल्य**
(क) सरकारी या ट्रस्ट प्रतिभूतियों में निवेश					
i) राज्य सरकार प्रतिभूतियां					
1 8.45% कर्नाटक एसडीएल 2024	-	-	-	30,00,000	**3,007**
2 8.45% कर्नाटक एसडीएल 2024 2	-	-	-	20,00,000	**2,004**
3 8.18% हरियाणा एसडीएल उदय 2024	-	-	-	45,000	**45**
4 9.01% कर्नाटक एसडीएल 2024	-	-	-	5,00,000	**501**
शुद्ध चालू निवेश – कोटेड		**-**	**-**	**55,45,000**	**5,557**

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 14 वस्तु सूची	31 मार्च, 2025 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2024 को यथाविद्यमान
(क) प्रकाशन एवं अध्ययन सामग्री	1,284	1,342
घटाएँ : अप्रचलित प्रकाशन स्टॉक के लिए प्रावधान	(301)	(104)
(ख) लेखन सामग्री और भंडार	31	32
योग	1,014	1,270

टिप्पण # 15 ऋण और अग्रिम	दीर्घकालीन		अल्पकालीन	
	31 मार्च, 2025 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2024 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2025 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2024 को यथाविद्यमान
(क) ऋण और अग्रिम				
(i) कर्मचारी	1,440	1,225	365	359
(ii) अन्य	-	-	216	147
कुल योग-(क)	1,440	1,225	581	506
(ख) अन्य ऋण और अग्रिम				
(i) पूर्वसंदत्त व्यय	-	-	1,234	940
(ii) स्रोत पर कर कटौती प्राप्य	-	-	2,383	2,234
(iii) सदस्यों से प्राप्त अग्रिमों पर जीएसटी	174	157	201	156
(iv) जीएसटी इनपुट क्रेडिट प्राप्य	-	-	1,688	2,122
(v) प्रतिभूति निक्षेप	-	-	745	626
कुल योग-(ख)	174	157	6,251	6,078
योग (क+ख)	1,614	1,382	6,832	6,584

टिप्पण # 16 अन्य गैर-चालू आस्तियां	31 मार्च, 2025 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2024 को यथाविद्यमान
(क) निक्षेपों पर प्रोदभूत ब्याज परंतु देय नहीं		
i) प्रोदभूत ब्याज – कर्मचारिवृंद	345	296
योग	345	296

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 17 प्राप्य	31 मार्च, 2025 को यथा विद्यमान	31 मार्च, 2024 को यथा विद्यमान
(क) घटकों से प्राप्य	1,884	1,466
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्रावधान	(834)	(950)
(ख) इलेक्ट्रॉनिक नकद और क्रेडिट (जीएसटी)	3,007	2,695
(ग) अन्य	1,016	895
योग	5,073	4,106

टिप्पण # 18 नकद और बैंक शेष	31 मार्च, 2025 को यथा विद्यमान	31 मार्च, 2024 को यथा विद्यमान
अ नकद और नकद समतुल्य		
(क) हाथ में नकदी	18	23
कुल योग (अ)	18	23
आ अन्य बैंक अतिशेष		
(क) उद्दिष्ट बैंक निक्षेप	7,385	6,645
(ख) 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाले निक्षेप	1,01,557	80,416
(ग) बैंक अतिशेष	11,372	7,611
कुल योग (आ)	1,20,314	94,672
योग (अ + आ)	1,20,332	94,695

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 19 अन्य चालू आस्तियां	31 मार्च, 2025 को यथा विद्यमान	31 मार्च, 2024 को यथा विद्यमान
(क) निवेश पर प्रोदभूत ब्याज किंतु जो देय नहीं		
i) प्रोदभूत ब्याज-निवेश	3,790	3,956
(ख) निक्षेपों पर प्रोदभूत ब्याज किंतु जो देय नहीं		
i) प्रोदभूत ब्याज-बैंकों के साथ सावधि निक्षेप	3,230	2,732
ii) प्रोदभूत ब्याज-कर्मचारिवृंद	71	66
योग	7,091	6,754

टिप्पण # 20 : सेवाओं के प्रतिपादन से शुल्क	31 मार्च, 2025 को यथा विद्यमान	31 मार्च, 2024 को यथा विद्यमान
क) दूरस्थ शिक्षा फीस	34,908	32,579
ख) छात्रों का रजिस्ट्रीकरण शुल्क	887	518
ग) कक्षा प्रशिक्षण :		
i) सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण	5,977	5,372
ii) साधारण प्रबंधन और संसूचना कौशल	2,506	2,464
iii) अनुकूलन	3,789	2,969
घ) पुनरीक्षण कक्षाएं	798	976
ङ) परीक्षा	23,194	17,173
च) सदस्यता	14,893	14,258
घटाएं :- ई जर्नल पर बट्टा	(1,927)	(1,761)
छ) सदस्यों के लिए प्रवेश और दाखिला : टिप्पण संख्या 2.11 (v)(ख) देखें	743	590
ज) फर्मों से आय	85	88
झ) अर्हता पश्च पाठ्यक्रम	474	367
ञ) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	1,495	919
ट) कैंपस साक्षात्कार से आय	1,369	962

ठ) संगोष्ठी आय :		
i) सदस्य	6,139	5,920
ii) छात्र	508	697
ड) विशेषज्ञ सलाहकार शुल्क	62	72
ढ) अनुशासनात्मक मामले फाइल करने के लिए शुल्क	74	44
योग	**95,974**	**84,207**

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 21 : प्रकाशन और अन्य मदों का विक्रय	31 मार्च, 2025 को यथा विद्यमान	31 मार्च, 2024 को यथा विद्यमान
क) प्रकाशन	600	2,302
ख) माल	-	8
ग) जर्नल :-		
i) सदस्य	3	3
ii) छात्र	3	10
घ) रद्दी वस्तुएँ	66	70
योग	**672**	**2,393**

टिप्पण # 22 : निर्बंधित निधियों से आय	31 मार्च, 2025 को यथा विद्यमान	31 मार्च, 2024 को यथा विद्यमान
क) पदक और पुरस्कार निधियों पर ब्याज	36	22
ख) छात्र छात्रवृत्ति निधियों पर ब्याज	28	17
योग	**64**	**39**

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 23 : अन्य आय	31 मार्च, 2025 को यथा विद्यमान	31 मार्च, 2024 को यथा विद्यमान
क) बैंक निक्षेप पर ब्याज	4,965	3,575
ख) निवेश पर ब्याज	5,299	5,732
ग) अभिहित निधियों पर ब्याज :-		
i) अनुसंधान निधि	282	266
ii) लेखांकन अनुसंधान भवन निधि	101	95
iii) शिक्षा निधि	5,208	4,655
iv) छात्र छात्रवृत्ति निधि	854	860
v) आस्तियों की मरम्मत और प्रतिस्थापन के लिए सिंकिंग निधि	2,991	2,747
vi) कर्मचारी कल्याणा निधि	132	120
vii) अन्य अभिहित निधियां	128	93
घ) कर्मचारी ऋण पर ब्याज	103	97
ङ) विज्ञापन आय	225	230
च) निर्वाचन आय	48	-
छ) आयकर प्रतिदाय पर ब्याज	35	72
ज) पूर्व वर्षों के व्यय के लिए प्रावधान जमा किया गया	540	397
झ) प्रावधान जो अब अपेक्षित नहीं हैं, अपलिखित	188	-
ञ) पूर्व अवधि आय (शुद्ध)	117	213
ट) प्रकीर्ण आय	374	345
योग	**21,590**	**19,497**

टिप्पण # 24 : प्रकाशन की लागत और अन्य मदें	31 मार्च, 2025 को यथा विद्यमान	31 मार्च, 2024 को यथा विद्यमान
(अ) स्टॉक-इन-ट्रेड का क्रय		
I) प्रकाशन सामग्री के विक्रय के लिए किया गया क्रय	443	2,741
कुल योग		
	443	2,741
(आ) स्टॉक-इन ट्रेड की वस्तु-सूची में परिवर्तन		
i) वर्ष के आरंभ में वस्तु-सूची	1,238	746
ii) वर्ष के अंत में वस्तु-सूची	983	1,238
स्टॉक-इन-ट्रेड की माल-सूची में (वृद्धि)/कमी	255	(492)
योग (अ + आ)	698	2,249

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 25 : कर्मचारी फायदा संबंधी व्यय	31 मार्च, 2025 को यथा विद्यमान	31 मार्च, 2024 को यथा विद्यमान
क) वेतन और अन्य भत्ते	24,837	13,231
ख) भविष्य निधि और अन्य निधियों को अभिदाय	1,098	912
ग) उपदान संबंधी व्यय	1,081	207
घ) कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय	137	205
योग	27,153	14,555

टिप्पण # 26 : अवमूल्यन और परिशोधन	31 मार्च, 2025 को यथा विद्यमान	31 मार्च, 2024 को यथा विद्यमान
(क) मूर्त आस्तियों पर (टिप्पण 10 देखें)	3,577	3,203
(ख) अमूर्त आस्तियों पर (टिप्पण 11 देखें)	210	208
योग	3,787	3,411

टिप्पण # 27 : निर्बंधित निधियों से व्यय	31 मार्च, 2025 को यथा विद्यमान	31 मार्च, 2024 को यथा विद्यमान
(क) पदक और पुरस्कार निधियों के लिए संदाय	17	15
(ख) छात्र छात्रवृत्ति निधियों के लिए संदाय	19	8
योग	36	23

(रुपए लाख में)

(टिप्पण # 28 : अन्य व्यय		31 मार्च, 2025 को यथा विद्यमान	31 मार्च, 2024 को यथा विद्यमान
1.	संगोष्ठी व्यय		
	i) सदस्य	**10,047**	7,628
	ii) छात्र	**3,416**	3,282
2.	कक्षा प्रशिक्षण व्यय		
	i) सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण	**2,688**	2,371
	ii) साधारण प्रबंधन और संचार कौशल	**1,525**	1,556
	iii) अनुकूलन	**1,825**	1,425
3.	अध्ययन सामग्री के मुद्रण की लागत	**4,603**	4,621
4.	पुनरीक्षण कक्षाओं संबंधी व्यय	**786**	765
5.	बैठक व्यय	**1,440**	1,628
6.	कार्यालय व्यय	**1,021**	1,566
7.	विद्युत और ईंधन	**1,412**	1,307
8.	मरम्मत और रखरखाव	**2,576**	2,392
9.	बीमा	**242**	172
10.	किराया, दर और कर	**7,325**	6,598
11.	यात्रा और वाहन	**2,480**	2,745
12.	विदेशी सदस्यता अभिदाय शुल्क	**903**	857
13.	लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक :		
	i) प्रधान कार्यालय	**25**	18
	ii) अन्य कार्यालय	**102**	90
14.	मुद्रण और लेखन सामग्री	**4,039**	3,318
15.	संचार व्यय	**2,980**	3,794
16.	विधिक व्यय	**808**	811
17.	वृत्तिक व्यय	**13,782**	8,130
18.	जनशक्ति और अन्य सेवाएं	**6,689**	6,085
19.	इंटरनेट और वेब रखरखाव शुल्क	**3,668**	2,802
20.	विज्ञापन	**708**	790
21.	बैंक कमीशन	**128**	289
22.	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के विक्रय कपर हानि (शुद्ध)	**61**	45
23.	विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर हानि शुद्ध	**26**	15
24.	संदिग्ध ऋणों और अग्रिम के लिए प्रावधान (शुद्ध)	**184**	368
25.	उद्दिष्ट निधियों को संदाय		
	i) छात्र छात्रवृत्ति निधि	**969**	560
	ii) कर्मचारी कल्याण निधि	**33**	1
26.	योग्यता छात्रवृत्ति	**14**	9
27.	निर्वाचन व्यय	**1,350**	2
28.	ब्याज व्यय	**4**	17
29.	पत्रिकाएं और पत्र-पत्रिका	**33**	64
30.	प्रकाशन के लिए अप्रचलित स्टॉक के लिए प्रावधान	**197**	10
31.	सीएएसबीएफ में अभिदाय [टिप्पण 2.12 (च) देखें]	**184**	255
32.	अन्य संस्थाओं के व्यय	**338**	206
	योग	**78,611**	**66,592**

लेखांकन मानकों के अधीन प्रकटन

29. वित्तीय विवरणों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पण

29.01 आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धताएं

	(रुपए लाख में)	
क. आकस्मिक दायित्व	**2024-25**	**2023-24**
i) संस्थान के विरूद्ध ऐसे दावे, जिन्हें ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किया गया है	**2,480**	**1,844**

ii) वित्तीय वर्ष 2018-19 में, संस्थान को अपर महानिदेशक, माल और सेवाकर सतर्कता से वार्षिक फीस, व्यवसाय प्रमाणपत्र फीस, प्रवेश फीस, संगोष्ठी फीस और कोचिंग कक्षा फीस आदि के संबंध में सेवाकर के संदाय के लिए 15,797 लाख रुपए की मांग संबंधी दो कारण बताओ सूचनाएं प्राप्त हुई । संस्थान की यह राय है कि वह सेवाकर का दायी नहीं है और उसने अप्रैल, 2019 में दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं. 3957/2019 फाइल की । अपर महानिदेशक, डीजीसीईआई, कोच्चि ने अक्तूबर, 2019 में पूर्वोक्त रिट याचिका में प्रति शपथपत्र फाइल किया था और उसके विरुद्ध संस्थान ने दिसंबर, 2019 में प्रत्युत्तर शपथ पत्र फाइल किया था । यह मामला समय-समय पर आस्थगित हो रहा है ।

ख. पूंजी प्रतिबद्धताएं

	2024-25	**2023-24**
पूंजी प्रतिबद्धताएं (अग्रिमों का शुद्ध)	12,361	11,403

29.02 टिप्पण # 17 अन्य प्राप्यों में, नागपुर में भू-संपत्ति के अर्जन के लिए मूल और अनुपूरक करारों के रद्द हो जाने के कारण, स्टाम्प शुल्क के लिए 197 लाख रुपए के प्रतिदेय प्राप्य सम्मिलित हैं ।

अपील संख्या 38 और 39/2014 में मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, पुणे ने अपने तारीख 3 जुलाई, 2023 के निर्णय द्वारा तारीख 3 अगस्त, 2012 के अनुपूरक विक्रय करार, जिसे तारीख 17 सितंबर, 2012 को रजिस्ट्रीकृत किया गया, पर स्टाम्प शुल्क के प्रतिदाय के मद्दे 152.66 लाख रुपए और 46.75 लाख रुपए के पूर्ण प्रतिदाय का आदेश दिया है । तथापि, 44.34 लाख रुपए के दावे को भूमि में पट्टा-धृति अधिकारों के समनुदेशन के विरुद्ध हकदारी न होने के कारण नामंजूर कर दिया गया था । वर्ष के दौरान, 44.34 लाख रुपए और 152.66 लाख रुपए की 10% रकम के रूप में 15.27 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसकी महाराष्ट्र स्टाम्प नियम, 1939 के नियम 22क के अनुसार 10% कटौती की जाएगी । वर्तमान में शुद्ध 137.39 लाख रुपए वसूलनीय है ।

2024 की रिट याचिका सं. 2987 (जिसके द्वारा 2014 की अपील सं. 39 को चुनौती दी गई थी) और 2024 की रिट याचिका सं. 2988 (जिसके द्वारा 2014 की अपील सं. 38 को चुनौती दी गई थी) को बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है ।

29.03 पिछले वर्ष के दौरान, विभिन्न आरक्षितियों और उद्दिष्ट निधियों के ब्यौरेवार पुनर्विलोकन की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और संस्थान की वर्तमान अपेक्षाओं और कार्यकरण के अनुसार इन निधियों को पुन: संरचित करने के लिए उसका पुनर्विलोकन किया जा रहा है ।

29.04 शासकीय प्रतिभूतियों में कोट किए गए निवेशों को दीर्घकाल हेतु किया गया है । इन बंधपत्रों का बाजार मूल्य दैनिक आधार पर ऊपर-नीचे होता है और चूंकि संस्थान का आशय दीर्घकाल तक इन प्रतिभूतियों को धारण करने का है, इसलिए इन प्रतिभूतियों के मूल्य में इनकी लागत के प्रति अस्थायी कमी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि प्रबंध मंडल को यह विश्वास है कि दीर्घकाल में इन प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य इनकी लागत से अधिक होगा ।

29.05 चालू खाते की आय और व्यय से संबंधित प्रधान कार्यालय के अंत:यूनिट संव्यवहारों को सुमेलित कर लिया गया है । 105 लाख रुपए की रकम, जो प्रधान कार्यालय और यूनिटों के बीच देय और प्राप्य रकम के अंतर का शुद्ध प्रभाव है, को आय और व्यय लेखा में पूर्व अवधि की आय के रूप में दर्शित किया गया है, जिसका अनुमोदन प्रबंध मंडल द्वारा कर दिया गया है । आईसीएआई के यूनिटों (प्रधान कार्यालय से भिन्न) के बीच अतिशेषों की

दशा में 147 लाख रुपए के असुमेलित शुद्ध अंतर को “अन्य प्राप्यों” के अधीन वर्गीकृत किया गया है ।

29.06 अध्ययन सर्कल, अध्ययन चैप्टर और विदेशी चैप्टर पृथक् अस्तित्व हैं और उनके लेखाओं का समेकन नहीं किया जाता है ।

29.07 कुछ यूनिटों की दशा में समाप्त हो गई भूमि की पट्टा अवधि के नवीकरण हेतु उपाय किए जा रहे हैं । सुसंगत प्राधिकारियों से अभिपुष्टि प्राप्त होने के पश्चात् नवीकरण पट्टा प्रीमियम शोध्य हो जाएगा ।

29.08 संस्थान आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग)(iv) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और इसलिए चालू आय-कर और आस्थगित कर के लिए कोई प्रावधान करना अपेक्षित नहीं समझा गया है ।

29.09 सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुपालन संबंधी प्रक्रिया के भागरूप में संस्थान को प्रधान कार्यालय स्थित कतिपय विक्रेताओं से जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें उनकी प्रास्थिति को अधिसूचित प्राधिकारी के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रेता के रूप में दर्शित किया गया है । शाखाओं और अन्य अवस्थानों पर विद्यमान विक्रेताओं के लिए, विक्रेताओं की पहचान आदि को स्थापित करने के लिए पहले ही उपाय आरंभ कर दिए गए हैं और प्रक्रिया पूरा होने के पश्चात् शीघ्र ही उनका अनुपालन किया जाएगा ।

29.10 विदेशी मुद्रा में उपगत व्यय के ब्यौरे नीचे दिए गए अनुसार हैं :

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
1	विदेशी सदस्यता अभिदाय शुल्क	903	857
2	विदेश से संबंधित यात्रा व्यय	165	216
3	संगोष्ठी और अन्य	166	133
	योग	**1234**	**1206**

29.11 प्रबंध मंडल ने सचिव, आईसीएआई को, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 16(1)(क) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी है, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में पदाभिहित किया है । वित्तीय वर्ष 2024-25 में उसे संदत्त सकल पारिश्रमिक, 68.36 लाख रुपए है ।

29.12 वित्तीय वर्ष के दौरान, ओरेकल नेटसुईट ईआरपी ने अपना प्रचालन आरंभ कर दिया है और उसका उपयोग किया जा रहा है ।

29.13 वित्तीय वर्ष के दौरान, संस्थान की कतिपय शाखाओं/प्रादेशिक परिषदों ने प्रचालनात्मक घाटा अभिलिखित किया है । प्रबंध मंडल ने उसका पुनर्विलोकन किया है तथा उसका अनुमोदन कर दिया है ।

30. कर्मचारी फायदे

परिभाषित अभिदाय योजनाएं

संस्थान ने भविष्य निधि में अभिदाय के मद्दे 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 1098 लाख रुपए (पूर्व वर्ष में 912 लाख रुपए) की राशि को मान्यता प्रदान की है ।

संस्थान ने अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित परिभाषित फायदा योजनाएं प्रदान की हैं

उपदान	वित्तपोषित
सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन	वित्तपोषित
क्षतिपूरित अनुपस्थिति	गैर-वित्तपोषित

30.01 उपदान योजना से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं

(रुपए लाख में)

	वर्णन	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22
1.	**बाध्यता के आरंभिक और अंतिम अतिशेषों का समाधान**				
	क. वर्ष के आरंभ में बाध्यता	4,491	4,346	4,250	4,480
	ख. पूर्व सेवा लागत	807	-	-	-
	ग. चालू सेवा लागत	409	507	464	449
	घ. ब्याज लागत	369	306	292	284
	ङ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	(123)	(296)	(271)	(422)
	च. संदत्त फायदे	(396)	(372)	(389)	(541)
	छ. वर्ष के अंत में बाध्यता	5,557	4,491	4,346	4,250
2.	**योजना आस्तियों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**				
	क. वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4,139	3,777	3,705	3,695
	ख. योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	301	276	266	255
	ग. बीमांकिक अभिलाभ/ (हानि)	11	17	3	13
	घ. संस्थान द्वारा किए गए अभिदाय	208	417	224	140
	ङ. संदत्त फायदे	(320)	(348)	(421)	(398)

उपदान योजना से संबंधित ब्यौरे (जारी)

(रुपए लाख में)

	वर्णन	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22
	च. वर्ष के अंत पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4,339	4,139	3,777	3,705
3.	**योजना आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य का समाधान**				
	क. बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	5,557	4,491	4,346	4,250
	ख. योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4,339	4,139	3,777	3,705
	ग. तुलन पत्र आस्ति/(दायित्व) में मान्यता प्रदान की गई रकम	(1,218)	(352)	(569)	(545)
4.	**वर्ष के दौरान माने गए व्यय**				
	क. पूर्व सेवा लागत	807	-	-	-
	ख. चालू सेवा लागत	409	507	464	449
	ग. ब्याज लागत	369	306	292	284
	घ. योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	(301)	(276)	(266)	(255)
	ङ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	(134)	(313)	(274)	(435)

	च. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	1,150	224	216	43
5.	**निवेशों के ब्यौरे**	निवेश का प्रतिशत	निवेश का प्रतिशत	निवेश का प्रतिशत	निवेश का प्रतिशत
	क. अन्य – भारतीय जीवन बीमा निगम के पास निधियां	100	100	100	100
6.	**पूर्वानुमान**				
	क. बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	6.83%	7.23%	7.36%	7.20%
	ख. योजना आस्तियों से आय की प्राक्कलित दर (प्रतिवर्ष)	7.23%	7.36%	7.20%	7.16%
	ग. वेतन में वृद्धि की दर	मूल/डीए : 9%	मूल/डीए : 10%	मूल/डीए 10%	मूल/डीए 10%
	घ. संनिघर्षण दर	2%	2%	2%	2%
	ङ नश्वरता सूची	आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा	आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा	आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा	आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा

30.02 सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन योजना के ब्यौरे

(रुपए लाख में)

	वर्णन	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22
1.	बाध्यता के प्रारंभिक और अंतिम अतिशेषों में समाधान				
	क. वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता	10,794	10,405	17,196	15,529
	ख. पूर्व सेवा लागत	8,547	-	-	-
	ग. ब्याज लागत	745	750	954	1,027
	घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	3,599	202	335	1,304
	ङ संदत्त फायदे	(1,072)	(563)	(8,080)	(664)
	च. वर्ष के अंत में बाध्यताएं	22,613	10,794	10,405	17,196
2.	योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन				
	क. वर्ष के प्रारम्भ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	8,174	8,140	-	-
	ख. योजना आस्तियों पर संभावित लाभ	555	556	72	-
	ग. बीमांकिक लाभ/(हानि)	22	41	-	-
	घ. संस्थान द्वारा किए गए अभिदाय	-	-	15,600	-
	ङ. संदत्त फायदे	(1,072)	(563)	(7,532)	-
	च. वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	7,679	8,174	8,140	-
3.	योजना आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य का समाधान				
	क. बाध्यता का वर्तमान मूल्य	22,613	10,794	10,405	17,196

	ख. योजना आस्तियों का उचित मूल्य	7,679	8,174	8,140	-
	ग. तुलन-पत्र आस्ति/(दायित्व) में मानी गई रकम	(14,934)	(2,620)	(2,265)	(17,196)
4.	वर्ष के दौरान माने गए व्यय				
	क. पूर्व सेवा लागत – मान्यताप्राप्त	8,547	-	-	-
	ख. ब्याज लागत	745	750	954	1,027
	ग. योजना आस्तियों पर संभावित लाभ	(555)	(556)	(72)	-
	घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	3,577	161	335	1,304
	ङ. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	*12,314	355	1,217	2,331
5.	पूर्वानुमान				
	क. बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	6.80%	7.41%	7.26%	7.25%
	ख. नश्वरता सूची	एलआईसी 2012-14 अंततोगत्वा	एलआईसी 2012-14 अंततोगत्वा	एलआईसी 2012-14 अंततोगत्वा	एलआईसी 2012-14 अंततोगत्वा

* वर्ष के दौरान पेंशन के सेवानिवृत्ति लाभ में वृद्धि की गई है। संशोधित पात्रता पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किए गए 12,314 लाख रुपए के प्रावधान को टिप्पण संख्या 25 कर्मचारी लाभ व्यय के अंतर्गत लेखाबद्ध और रिपोर्ट किया गया है।

30.03 कर्मचारी फायदे

छुट्टी नकदीकरण के ब्यौरे

(रुपए लाख में)

वर्णन		2024-25	2023-24	2022-23	2021-22
1.	बाध्यता के प्रारंभिक और अंतिम अतिशेषों में समाधान				
	क. वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता	7,184	6,356	6,071	5,638
	ख. चालू सेवा लागत	373	417	390	403
	ग. ब्याज लागत	511	459	426	369
	घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	(526)	199	(248)	10
	ङ संदत्त फायदे	(241)	(247)	(283)	(349)
	च. वर्ष के अंत में बाध्यताएं	7,301	7,184	6,356	6,071
2.	योजना आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य में समाधान				
	क. बाध्यता का वर्तमान मूल्य	7,301	7,184	6,356	6,071
	ख. तुलन-पत्र आस्ति/(दायित्व) में मानी गई रकमे	(7,301)	(7,184)	(6,356)	(6,071)
3.	वर्ष के दौरान माने गए व्यय				
	क. चालू सेवा लागत	373	417	390	403
	ख. ब्याज लागत	511	459	426	369
	ग. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	(526)	199	(248)	10
	घ. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	358	1,075	568	782

4.	पूर्वानुमान				
	क. बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	6.83%	7.23%	7.23%	7.20%
	ख. वेतन में वृद्धि की दर	मूल/डीए : 9%	मूल/डीए : 10%	मूल/डीए : 10%	मूल/डीए : 10%
	ग. संनिघर्षण दर	2%	2%	2%	2%
	घ. नश्वरता सूची	आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा	आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा	आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा	आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा

31. राष्ट्रीय पेंशन स्कीम

1 जून, 2018 को या उसके पश्चात् नियोजित सभी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं।

32. खंड रिपोर्टिंग

संस्थान के प्रचालन "चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वृत्ति के विनियमन और विकास" तक सीमित हैं और यह मुख्यत: भारत में प्रचालन करता है । अत:, इसके सभी प्रचालन, लेखांकन मानक (एएस) - 17 खंड रिपोर्टिंग के अर्थांतगर्त एकल खंड के अधीन आते हैं।

33. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को, उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के तत्समान बनाने के लिए, जहां कहीं आवश्यक है, पुन:समूहित/पुन:वर्गीकृत किया गया है ।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
सीए. सुदीप श्रीवास्तव	सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा	सीए. प्रसन्ना कुमार डी.	सीए. चरणजोत सिंह नंदा
अपर सचिव (वित्त एवं लेखा)	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की निर्दिष्ट रिपोर्ट में

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स	कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 003917N	एफआरएन : 001135N
ह./-	ह./-
सीए. लोकेश कुमार गर्ग	सीए. एस. मूर्ति
सदस्यता सं. 413012	सदस्यता सं. 072290
भागीदार	भागीदार

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : जुलाई 30, 2025

सीए. चरणजोत सिंह नंदा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./266/2025-26]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2025

No.1-CA(5)/76/2025.—In pursuance of sub-Section (5B) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949, a copy of the audited accounts and the Report of Council of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) for the year ended 31st March 2025 is hereby published for general information.

76th Annual Report

The year 2024–25 will be remembered as a landmark period, one defined by bold ideas, transformative actions and commitment to shaping the future of our profession. As ICAI proudly celebrates 75 years of excellence, we stand at a pivotal moment, looking ahead to 'India@100' with renewed purpose and passion. At the heart of ICAI's initiatives lied the core of Technology, Research, Union Development, Sustainability, and Transparency, setting the profession on a course toward that will shape the next 25 years of the profession. Over the years ICAI has evolved from its role as regulator to emerge as the largest accounting body globally. Today, the accounting profession stands at the crossroads of tradition and transformation, ICAI carries forward its role not just as a regulator, but as a catalyst championing change for value creation. With a renewed sense of purpose, we are not just to modernize practice, but to reimagine the future of finance itself.

As an institution, ICAI is building more than professionals, cultivating problem-solvers, sustainability champions, and digital thinkers who are ready to lead in a world that demands agility and accountability. The Institute is strengthening governance, evolving accounting frameworks, and actively enabling the transition to a green economy, all with a clear conviction - to shape a profession that leads with integrity, creates real value for society, and drives the nation forward with purpose and pride. With India now standing tall as the world's fourth-largest economy and steadily progressing toward the ambitious goal of becoming a $30 trillion powerhouse, the nation is redefining global leadership. In this transformative era, ICAI remains deeply committed to being a trusted partner in nation building, firmly rooted in its role as a guardian of public interest and a catalyst for sustainable progress.

Renowned globally for its ethics, technical excellence, and rigorous education, ICAI continues to shape professionals who are not only financially adept but also socially responsible. Chartered Accountants have long been vital contributors to India's economic story as advisors, enablers, and changemakers across industries and communities. As look ahead, ICAI stands ready to lead with integrity, foster innovation, and nurture talent that can thrive in a dynamic, technology-driven world. With innovative ideas and commitment to excellence, the Institute is shaping the narrative of India's global rise. Over the past 75 years, ICAI has not only upheld the trust of the nation but also helped shape its financial narrative by building a legacy of credibility, excellence, and national service. As India emerges as the fourth-largest economy in the world and sets its sights on becoming a $30 trillion economic force, the role of the accounting profession is more crucial than ever.

Today, the Institute stands at a powerful intersection of legacy and change. With a deep commitment to ethical leadership and world-class technical education, ICAI continues to equip Chartered Accountants with the capabilities needed for a fast-evolving global economy one shaped by technology, sustainability, and shifting governance paradigms. From ensuring transparency in financial systems to supporting businesses in navigating complexity, Chartered Accountants have been at the core of supporting India's growth journey. With the rise of new economic models, digital ecosystems, and green finance reshaping the future, ICAI is ready to lead the way in national development and nurture professionals who will play a vital role in shaping India's future economy.

It is with great pride and purpose the Council of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) presents the 76th Annual Report for the year ended 31st March 2025.

From its inception on 1st July 1949, ICAI has evolved into a global force now representing over 4.5 lakh members and 10 lakh students, with a presence in 85 international cities across 47 countries. This remarkable journey of ours in service to the nation has been powered by the enduring values of trust, accountability, and professional. The report offers a detailed account of the Council's key initiatives and committee-led activities undertaken during the financial year 2024–2025, along with the Institute's audited financial performance for the year. Reflecting on the milestones of the past year, the Council extends heartfelt appreciation to the members and students for their commitment to ethics, independence, integrity, and excellence, as the profession has continued to grow in relevance and impact on the global stage.

This Annual Report highlights the important progress which have been made and outlines the priorities that will guide ICAI's path forward focusing on innovation, greater impact, and strong leadership in a changing world:

75 Years of Trust- Celebrating the Excellence, Independence and Integrity of the CA Profession

ICAI celebrated 1st July 2024 as 75 years of trust, honouring Chartered Accountants hard work and contributions to national development. The event was marked with great enthusiasm and splendor, showcasing the achievements of Chartered Accountants and future plans in the Kartavya Kaal to realize the vision of Viksit Bharat. The grand event, held in the largest hall of Bharat Mandapam, was attended by numerous dignitaries and all CAs. Among them were Minister of Road Transport and Highways of India; Attorney General of India; Secretary of the Ministry of Electronics and Information Technology; Secretary of the Ministry of Corporate Affairs, President of the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh; Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) President; Shri Heshana Kuruppu President of South Asian Federation of Accountants (SAFA).

ICAI unites for a nationwide 'CA Run for Viksit Bharat'

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the world's largest accountancy body, commemorated its 75 years of service to the nation with the grand 'CA Run for Viksit Bharat' on 30th June, 2024. The event underscored ICAI's commitment to Prime Minister Narendra Modi's vision of transforming India into a developed nation by 2047. More than 10000 Participants participated, including members and students from across the globe, began the run at 6:00 AM from 5 Regional Councils, 176 Branches, and various Chapters. In New Delhi, the run commenced from ICAI Headquarters and concluded at Major Dhyan Chand National Stadium. The event was graced by the presence of Shri Harsh Malhotra, Hon'ble Minister of State of Corporate Affairs, who praised ICAI's contributions to the nation's financial standards. ICAI leadership emphasized the profession's role in economic reforms and good governance and highlighted the collective dedication of the CA fraternity towards a prosperous India.

World Forum of Accountants -2025

The World Forum of Accountants (WOFA) 2025, a prestigious global convergence of accounting professionals and thought leaders, was organized by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and inaugurated by Hon'ble Defence Minister of India. Held from January 31 to February 2, 2025, at Yashobhoomi, New Delhi, the event brought together over 6,500 delegates from 46 countries — marking one of the largest and most significant gatherings of the global accounting fraternity. Centered on the theme *"Accountability Meets Innovation (AI): For a Sustainable Planet,"* WOFA 2025 served as a dynamic platform for exchanging insights on emerging global trends, sustainable practices, and the transformative role of technology in the accounting profession. More than just a conference, WOFA became a moment of pride and powerful assertion of India's growing stature in the global financial ecosystem. With this landmark event, ICAI showcased India's capabilities as a rising global hub for accounting and auditing services. The Forum reflected India's vision of becoming a knowledge leader in assurance, transparency, and financial stewardship,aligned with the broader national aspiration of positioning India as a trusted voice and destination in the global economy.

Training of Indian Corporate Law Services (ICLS) Officials

Being a premier educational body the ICAI continuously endeavours to support the capacity and competency development of government officials for building their understanding on various emerging aspects of financial reporting and laws as well as the evolving best practices. In this direction, the institute has conducted training for ICLS officials 2022 batch at ICAI Head Quarters, New Delhi on 20th April, 2024. With these initiatives the institute aspires to strengthen the process of developing effective and efficient policy for better governance.

ICAI adopts Tech for enhancing Financial Literacy – Finfluencer Meet

Surveys reveal that only 27 per cent of India's population is financially literate. Additionally, only 16.7 per cent of Indian students have a basic understanding of finance and money management. As the world's largest accounting body, ICAI as its social responsibility is educating and empowering the citizens of the country and create a sustainable financial ecosystem for the nation to emerge as a self-reliant nation. Taking forward the Government of India's mission of 'VitiyaSaksharta' (Financial Literacy) to the next level and promoting understanding of tax laws, accounting, and diverse facets of the financial system. The institute has organized a Finfluencers meet in New Delhi on 5th April, 2024 wherein 41 prominent social media influencers came forward to collaborate and on educating masses on financial knowledge.

Academia Meet with Universities & Institutions

With a vision to make India Vishwaguru, the ICAI organised the Academia Meet with Universities and Institutions held on May 17, 2024, in New Delhi. The event served as a vital platform for meaningful dialogue between ICAI and academia, bringing together scholars, researchers, and senior faculty from over 35 leading universities and institutions across the country. The discussions focused on fostering a collaborative ecosystem for academic research, aligning curriculum with evolving industry needs, and exploring joint initiatives to promote innovation, ethics, and excellence in commerce and accountancy education. This engagement reflects ICAI's firm commitment to strengthening academic partnerships, encouraging applied research, and shaping future-ready professionals through an enriched and forward-looking education framework.

Resolve 2024- 2nd International Convention on Insolvency & Valuation

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) organized the 2nd edition of RESOLVE-2024, the International Convention on Insolvency Resolution and Valuation at Bharat Mandapam, New Delhi, India in collaboration with the Insolvency and Bankruptcy Board of India, the Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI and the Registered Valuers Organisation of ICAI. The theme of the conference "Enabling Resolution Maximizing Value" aimed to foster the adoption of global best practices in the industry. The two-day event hosted over 40 eminent speakers across 14 technical sessions covering the most relevant and contemporary topics in the space of insolvency resolution. The event brought together over 500 insolvency and valuation professionals, making it the largest insolvency convention in India.4th Global Education Summit in Commerce & Accountancy.

Global Education Summit in Commerce and Accountancy (GESCA) 2024

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) organised the 4th Global Education Summit in Commerce and Accountancy (GESCA) 2024 at New Delhi, on 5th & 6th July, 2024. The two-day summit was inaugurated by Hon'ble Minister of State for Corporate Affairs and Road Transport and Highways, along with the then President of ICAI. Also present were distinguish Guests of Honor, Vice Chairman of AICTE and Vice Chancellor of NIEPA. The summit brought together Vice Chancellors, Chairmen, Directors, Principals, Deans, HoDs, and Professors from renowned Indian universities and colleges specializing in Commerce and Accountancy. The focus was on sharing insights to enhance the employability of Commerce graduates through upskilling initiatives. The GESCA 2024 had participation from 36 Vice-Chancellors of various universities, along with representatives from 115 top universities and 30 autonomous colleges across the country.

ICAI AI Innovation Summit 2024

The Institute hosted AI Innovation Summit – AIS 2024 in Hyderabad on July 16th and 17th, 2024. The summit highlighted ICAI's commitment to promote forward-thinking strategies and leverage technology for innovation in accounting, auditing, taxation, and governance. AIS 2024 aimed to be a catalyst for shaping the future of accounting and financial sectors, contributing significantly to the growth of the Indian economy. The two-day flagship event featured panel discussions and thought-provoking sessions by global AI experts, tech industry leaders, policymakers, and academicians. These discussions delved into crucial aspects of exploring the transformative potential of artificial intelligence (AI) in the fields of accounting, audit, tax, and governance. During the summit, important initiatives' ICAI CA GPT' for students, Certificate Course on AI for Members and Digital Publication of 100 AI Tools were launched.

Local Governance Synergy Conclave 'Sashakt Bharat: An Initiative to Strengthen Local-Self Government Accounting'

With aim to foster collaboration and innovation in the realm of local governance the Institute organized Local Governance Synergy Conclave themed "Sashakt Bharat: An Initiative to Strengthen Local-Self Government Accounting" on 1st to 2nd October, 2024 in association with O/o C&AG. With over 350 officials from local bodies across India participating, the conclave aspired to bolster transparency and efficiency in local self-governance, aligning it with the vision of a Viksit Bharat. The event was graced by the then Hon'ble C&AG as Chief Guest.

Global Ethics Day

ICAI marked 'Global Ethics Day' with a solemn and forward-looking celebration in New Delhi on October 16, 2024. The occasion featured insightful technical sessions and panel discussions centered on the evolving dimensions of ethical conduct in the accounting profession. The event served as a powerful reminder of the Chartered Accountancy profession's deep-rooted commitment to integrity, independence, and public trust. In an era defined by transparency and accountability, ICAI continues to lead by example by championing ethics not just as a principle, but as a foundation for resilient institutions, responsible governance, and a credible financial ecosystem.

ITEC Training Program for Foreign Officials

The ICAI has been actively involved in the development of accounting profession globally and keeps on collaborating with government and institutions to support capacity development program for other countries. The ICAI organised its 1st ITEC program under the auspices Ministry of External Affairs with 17 participants from 11 countries at ICAI Centre of Excellence, Hyderabad on November, 18 2024. The then President, ICAI with OSD, Ministry of External Affairs, the then Central Council Member & other dignitaries graced the event.

Interactive Meet with Trade Officers

The ICAI keeps on engaging with the global stakeholders to understand the evolving global paradigm and promote India as Global Finance & Accounting Hub. In this context an Interactive Meet with Trade Officers of Foreign Embassies was held which was graced by Guest of Honour Shri Mahaveer Singhvi, Jt. Secretary, Ministry of

External Affairs, the then President-ICAI, the then Central Council Member and Secretary, ICAI on 8th November, 2024 in New Delhi. 26 Trade Commissioners/Officers from 23 different embassies attended the event.

ICAI enters into MoU with CBSE

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) through its Committee on Career Counselling signed a MoU with the Department of Skill Education, Central Board of Secondary Education (CBSE) on 21st November 2024, at Bhubaneswar, Odisha, to promote commerce-based skill courses for students across the country. The partnership aims to foster cooperation between ICAI and CBSE to advance commerce-oriented skills, specifically in the BFSI sector. The prime focus will be on enhancing the skills and employability of students through specialized courses designed to align with industry requirements.

Supporting Government Accounting Reforms - Strengthening Financial Management in Indian Railways

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), through its Accounting Research Foundation (ICAI ARF), has been at the forefront of driving financial reforms in Indian Railways, significantly enhancing its financial management framework. Since 2014, ICAI ARF has served as the technical partner in Indian Railways' ambitious Accounting Reforms initiative, marking a major shift towards transparency, accountability, and efficiency. As a part of this collaboration, ICAI ARF has successfully developed and submitted accrual-based financial statements for Indian Railways for six consecutive years (2017–18 to 2022–23). This transition from cash-based to accrual-based accounting has enabled Indian Railways to gain deeper insights into asset and liability management, better evaluate performance, and improve financial decision-making.

ICAI – Moving Towards Sustainable Planet

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) is leading efforts towards a sustainable future by introducing initiatives like SSAE 3000 and SAE 3410 for sustainability and greenhouse gas assurance, and the Sustainability Reporting Maturity Model. ICAI promotes accountability through its Sustainability Reporting Awards and the Institute of Social Auditors of India, which issues thematic Social Audit Standards. The Green Mahotsav campaign pledges to plant 100,000 trees, symbolizing environmental commitment. This initiative also resonated with national leadership's campaign 'Ek Ped Ma Ke Naam', which encourages every citizen to plant a tree in the name of their mother. ICAI also developed a Carbon Emission Calculator covering Scope 1, 2, and 3 emissions to help individuals and organizations measure and reduce their carbon footprint. Additionally, ICAI supports the LiFE (Lifestyle for Environment) initiative, encouraging mindful consumption and responsible living among its vast member and student network. Through these efforts, ICAI aims to inspire sustainable practices and lead impactful environmental change.

ICAI MSME & Startup Yatra in Asia and India Book of Records

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) is dedicated to empowering MSMEs, women, and youth through initiatives like Startup Sphere, Startup Manthan and MSME and Startup Yatra, fostering entrepreneurship and job creation. Recognized in the Asia and India Book of Records for awareness drives in over 100 cities within 100 days, ICAI promotes a self-reliant economy through key events such as the MSME & Startup Conclave on 26th & 27th June, 2025 and the nationwide MSME Mahotsav on 27th June, 2025. The conclave gathered over 3,000 stakeholders to support innovation and capacity building, while the Mahotsav offered free Udyam registration, consultations, and grievance redressal for MSMEs. Additionally, ICAI signed an MoU with the National Small Industries Corporation (NSIC) on June 27, 2025, to enhance MSME capacity building, entrepreneurship development, and integrated support services including marketing, technology, finance, and global outreach. These initiatives highlight ICAI's pivotal role in advancing India's MSME and startup ecosystem.

ICAI Reforms Exam Structure - More Chances, More Success

To align with global best practices and offer students more opportunities, the 26th Council of ICAI has decided to conduct the CA Final exam three times a year instead of twice. Last year, ICAI made a similar change for the Intermediate and Foundation exams, and now all three levels will have equal exam attempts in January, May, and September. Additionally, the Post Qualification Course in Information Systems Audit will also shift from biannual to thrice-yearly assessments in February, June, and October. These changes aim to enhance flexibility, accessibility, and professional growth for students and members. These historic decisions will ensure that both students and professionals have abundant opportunities to succeed and excel in their careers.

ICAI Sets New Benchmarks in Skill Enrichment and Entrepreneurship Development

ICAI has been recognized by the India Book of Records and Asia Book of Records for two major achievements i.e conducting 97 entrepreneurship skill programs in a single day and 79 skill enrichment programs within 15 days. These milestones highlight ICAI's strong commitment to fostering entrepreneurship, continuous learning, and building a future-ready workforce in the accounting and finance sectors.

Integrating Technology: Transforming the Profession

In 2024–25, ICAI launched the Committee on Artificial Intelligence to drive AI adoption in education, operations, and member services. Key initiatives included the AICA Certificate Course (150+ batches, 5,000+ members), 19 CA GPT modules benefiting 1.2 lakh users, and specialized GPTs for regulatory tasks. ICAI also advanced digital transformation through e-Office, centralized document management, real-time dashboards, and the 'ICAI Diaspora' mobile app for overseas members. Collaborating with MeitY on DigiLocker, ICAI continues to modernize and lead the profession in the digital age. It has introduced the AI-powered 'ICAI AI Agent' digital workspace, with plans to extend it to members and students. Additionally, ICAI developed the world's first Forensic Accounting and Investigating Standards to enhance digital financial reporting and is working towards their global adoption, positioning itself at the forefront of AI integration in accounting.

Enhancing Expertise, Elevating the Profession

ICAI reinforced its commitment to audit quality and ethics by launching the Audit Quality Maturity Model (AQMM v2.0) and hosting the first-ever Global Ethics Day and Audit Day. The UDIN portal surpassed 8 crore generated UDINs with over 1.5 lakh members registered, while the Peer Review Board issued 2,971 certificates in 2024-25. Local bodies received awards for best financial statements, promoting better reporting. To prepare members for future challenges, ICAI introduced various certificate courses in fund management, capital market compliance, skill enrichment, mediation, and an online German language course. Collaborations with institutions like ISB brought leadership masterclasses, and new programs focused on family businesses, professional skill development, and youth entrepreneurship were launched.

Inauguration of ICAI 3rd Centre of Excellence, Kolkata

On February 7, 2025, ICAI inaugurated its 3rd Centre of Excellence in Kolkata, following Hyderabad and Jaipur. This state-of-the-art center aims to enhance professional excellence through advanced learning, research, and skill development, reinforcing ICAI's commitment to empowering finance professionals and contributing to nation-building.

Partnering for National Progress

- **Representation on the Consultative Group on Tax Policy**

  This year, ICAI exemplified this spirit by actively collaborating with the government to align its initiatives with the vision of Viksit Bharat @2047 and contribute meaningfully to national priorities. Representation on the Consultative Group on Tax Policy at NITI Aayog exemplifies Institute's commitment to refining tax policies, simplifying processes, and improving compliance. To address the growing demand for improved financial management in local governments, ICAI signed an MoU with the Comptroller and Auditor General's office launching certificate courses for accountants in Panchayats and Municipal Bodies in which around 4000 youths have registered.

- **Establishing India as Global Finance and Accounting Hub**

To position India as a global hub for Finance and Accounting, the ICAI-led IFSCA Expert Committee has recommended establishing GIFT IFSC as a center for Bookkeeping, Accounting, Taxation, and Financial Crime Compliance (BATF) services. ICAI supports this vision by contributing to the Standing Committee on professional services development at GIFT IFSC and promoting global outreach through its international chapters. Additionally, ICAI formed a dedicated group to promote India as an Accounting GCC destination and launched a Nationwide GCC Summit Series across major cities in collaboration with key government and industry stakeholders to build a skilled, GCC-ready workforce.

- **Supporting for Regional Development in J&K and the North-East**

ICAI is actively supporting the Government of India's vision for balanced regional development, especially in Jammu & Kashmir, Ladakh, and the North-Eastern states. It participated in the IICA North-East Conclave 2025 in Shillong to highlight regional entrepreneurial potential. ICAI promotes knowledge-sharing and partnerships aligned with local aspirations. Additionally, it has extended a 75% fee concession for CA courses (Foundation, Intermediate, Final) for students from these regions until March 31, 2028, reflecting its commitment to accessibility, inclusion, and socio-economic empowerment.

- **Building a Financially Empowered India: Vision for Inclusive Growth**

ICAI is spearheading financial literacy efforts to support India's Viksit Bharat vision, emphasizing inclusive and sustainable growth. Through initiatives like *Vittiya Gyan – ICAI Ka Abhiyaan* and *Vittiya Gyan Mela 2024* across 63 branches, the institute promotes budgeting, investment, and tax awareness at the grassroots. Special programs for Self-Help Groups in Meghalaya and tribal communities further extended outreach. ICAI has conducted over 8,837 Investor Awareness Programs, benefiting 4.43 lakh people—44% of whom are women, youth, and armed

forces. It also launched e-learning for government officials via iGOT Karmayogi. With only 27% of Indians financially literate, ICAI aims to empower citizens to move from saving to smart investing, fostering a self-reliant and financially informed nation.

- **Advancing Governance Through Institutional Capacity Building**

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) plays a key role in enhancing governance through capacity building and institutional support. Working with Central and State Governments and public institutions, ICAI has conducted training on modern accounting and GST across various states, often in local languages to ensure inclusivity. Through strategic partnerships and ongoing technical support, ICAI actively contributes to public financial reforms and administrative efficiency, reinforcing its position as a trusted partner in national development.

- **Empowering Bharat: The Role of Impact Finance and the Rural Economy**

The soul of India lies in its villages, and building a Viksit Bharat requires uplifting rural communities. Impact finance is a vital tool to turn rural aspirations into sustainable progress. The ICAI's initiative to form dedicated groups for promoting impact finance and the rural economy is a significant step. By guiding rural enterprises, empowering self-help groups, and sharing financial expertise, professionals are driving real change at the grassroots level.

- **Initiatives for Future**

  Moving towards future ICAI is setting up the ICAI International ADR Centre, following the advice of the Ministry of Law & Justice, this will provide new avenues for professional development. Additionally, ICAI assisted the MCA in streamlining the PM Internship Scheme (PMIS) Implementation announced in the 2024-25 Budget and further proposed to MCA to have CA firms under PMIS, for empower of youth. ICAI is supporting the Parliamentary Committee in evaluating the economic impact of the "One Nation, One Election" proposal, focusing on cost savings, governance efficiency, and fiscal discipline.

Index to the Report

S. No.	Particulars
1.	The Council
2.	Committees of the Council
3.	Auditors
4.	Standing Committees
4.1	Executive Committee
4.2	Finance Committee
4.3	Examination Committee
5.	Disciplinary Directorate
6.	**Technical Committees/Boards**
6.1	Accounting Standards Board
6.2	Auditing and Assurance Standards Board
6.3	Expert Advisory Committee
6.4	Financial Reporting Review Board
6.5	Internal Audit Standards Board
6.6	Peer Review Board
6.7	Taxation Audits Quality Review Board
6.8	Direct Taxes Committee
6.9	Sustainability Reporting Standards Board
6.10	Insolvency & Valuation Standards Board
6.11	Committee on International Taxation
6.12	Corporate Laws and Corporate Governance Committee
6.13	Committee on Commercial Laws and Economic Advisory & NPO Cooperative
6.14	GST and Indirect Taxes Committee
6.15	Ethical Standards Board
6.16	Digital Accounting and Assurance Board
7.	**Profession Development Committees**
7.1	AI in ICAI
7.2	Committee for Members in Industry and Business
7.3	Committee for Aggregation of CA Firms
7.4	Committee for Members in Practice
7.5	Committee on MSME & Start-up

7.6	Committee on Promoting Work Life Balance
7.7	Continuing Professional Education Committee
7.8	Professional Development Committee
7.9	Professional Skill Enrichment Committee
7.10	Women & Young Members Excellence Committee
8	**Other Committees/Boards**
8.1	Audit Committee
8.2	Committee for Members in Entrepreneurship and Public Services
8.3	Committee on Financial Markets and Investors' Protection
8.4	Committee on Public and Government Financial Management
8.5	Editorial Board
8.6	Infrastructure Development Committee
8.7	International Affairs Committee
8.8	Management Committee
8.9	Public Relations Committee
8.10	Research Committee
8.11	Strategy, Perspective Planning and Monitoring Committee
8.12	Central Council Library
8.13	Right to Information Act, 2005
9.	**Directorates**
9.1	Centre for Audit Quality Directorate
9.2	Centre of Excellence Directorate
9.3	Development of International Trade, Services and WTO Directorate (Under International Affairs Committee)
9.4	Digital Re-Engineering and Transformation Directorate
9.5	Estate Development Directorate (under Infrastructure Development Committee)
9.6	Financial & Tax Literacy Directorate (under Committee on Financial Markets and Investors' Protection)
9.7	Grievance Resolution Directorate
9.8	Human Resources Directorate
9.9	Legal Directorate
9.10	Members & Students Services Directorate
9.11	Publication & CDS Directorate
9.12	RBA Directorate
9.13	Specific Fund Management Directorate
9.14	Tender Monitoring Directorate
9.15	UDIN Directorate
10	**Students related Boards/Committee**
10.1	Board of Studies-Academic
10.2	Board of Studies-Operation
10.3	Committee on Career Counselling
11	**Section – 8 Companies**
11.1	XBRL
11.2	ICAI- Accounting Research Foundation
11.3	ICAI Registered Valuers Organisation
11.4	Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI
11.5	The Institute of Social Auditors of India
12	**Quality Review Board**
13.	**Finance and Accounts**
14.	**Appreciation**
	Composition of the Council
	Audited Annual Accounts

THE COUNCIL

The Twenty-Sixth Council was constituted on 12th February 2025. It comprises of 32 elected members and 8 members nominated by the Central Government. Composition of the 26th Council is disclosed separately. 11 Council meetings were held during duing financial year 2024-25.

1. COMMITTEES OF THE COUNCIL

The Council in terms of Section 17 of the Chartered Accountants Act, 1949 constitutes every year on 12th February; various Standing and Non-Standing Committees/Boards and Groups to regulate and develop the

profession of Chartered Accountancy. During the financial year ended 31st March 2025, 396 meetings of the said Standing and Non-Standing Committees / Boards and Groups were held.

2. AUDITORS

M/s Arun K Agarwal & Associates & M/s S.K. Mittal & Co were the joint auditors of the Institute for the financial year 2024-25 appointed from the panel maintained by Comptroller and Auditor General of India. The Council wishes to place on records its appreciation of the services rendered by them.

3. STANDING COMMITTEES

The Council of ICAI has the following Standing Committees:

4.1 Executive Committee

4.2 Finance Committee

4.3 Examination Committitee

3.1 Executive Committee

The functions of this Committee include matters relating to articled and audit assistants and enrolment, removal, restoration of members from the Register, cancellation of certificate of practice, permission to engage in any other business or occupation other than profession of accountancy. Executive Committee is also the custodian of the property, assets and funds of the Institute beside maintenance of the Institute's offices. The Executive Committee met 6 times during the year.

3.2 Finance Committee

This Finance Committee controls, implements and supervises the activities related with and incidental, inter alia, to maintenance of true and correct accounts, formulation of annual budget, investment of the funds, and disbursements from the funds for expenditure – both Revenue and Capital Nature. The Finance Committee met 4 times during the year.

3.3 Examination Committee

In line with the vision of Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi to make India US$ 5 Trillion Economy by 2030 and realizing the need of increasing requirement of Chartered Accountants to support the growing demand of Indian economy, the Examination Committee of the ICAI decided to hold CA Examinations four times in a calendar year i.e. in the month of January, May, September and November at more than 500 centers across the country and 8 overseas centres in one session from 2 pm to 5 pm (IST).

(I) CONDUCT OF FOUNDATION, INTERMEDIATE, FINAL AND PQC EXAMINATION

The Chartered Accountants Examinations for students (Foundation, Intermediate and Final) as well as for Members under Post Qualification Course [International Taxation Assessment Test (INTT-AT) and Insurance and Risk Management Technical Examination (IRM)] were conducted smoothly all over the country and abroad with social distancing norms in the year 2024 -2025 as per below mentioned schedule: -

Exams	Name of the course	Examination Dates	Number of Exam Centres	No of students admitted
MAY 2024	Intermediate, Final and International Taxation Assessment Test (INTT-AT)	May 2nd to 17th 2024	591	Intermediate: 206410 Final:116072 INTT - AT: 483
JUNE 2024	Foundation	June 20th, 22nd, 24th and 26th 2024	494	Foundation:113076
SEPTEMBER 2024	Foundation & intermediate	September 12th to 23rd 2024	462	Foundation: 78209 Intermediate: 139646
NOVEMBER 2024	Final, International Taxation Assessment Test	November 3rd, 5th, 7th, 9th, 11th and 13th	443	Final: 101430

	INTT -AT and Insurance and Risk Management Technical Examination (IRM)	2024		INTT - AT: 339 IRM: 75
JANUARY 2025	Foundation & intermediate	January 11th to 21st 2025	541	Foundation:120609 Intermediate: 178644

(II) CONDUCT OF ADVANCED INTEGRATED COURSE ON INFORMATION TECHNOLOGY AND SOFT SKILLS (ADVANCED ICITSS) - ADV. INFORMATION TECHNOLOGY TEST IN CBT MODE: -

During the year 2024-2025, tests were also conducted in Computer Based Mode (CBT) at computer centres for Advanced ICITSS. The details of Advanced ICITSS conducted during the year are as below:

S. No.	Date / Term	No. of Centres	Students Appeared
1.	22-06-2024	83	5042
2.	20-07-2024	75	3037
3.	24-08-2024	73	2554
4.	28-09-2024	74	3119
5.	21-12-2024	77	3635
6.	18-01-2025	88	4520
7.	22-02-2025	87	5326
8	29-03-2025	89	4912

(III) CONDUCT OF INFORMATION SYSTEM AUDIT – ASSESSMENT TEST [ISA – AT]

The Information Systems Audit- Assessment Test (ISA-AT) which is open to the members of the Institute was held smoothly on 13th July 2024 at 53 exam centres in India and on 25th January 2025 at 53 exam centres in India respectively.

(IV) CONDUCT OF SPECIAL EXAM UNDER MRA / MOU

The Chartered Accountant Special Examination for Members of Institutions with whom ICAI had entered into Mutual Recognition Agreement (MRAs)/Memorandum of Understanding (MOUs) was held smoothly from June 24th to 26th, 2024 at Noida.

(V) CONDUCT OF SELF-PACED ONLINE MODULE [SPOM] TESTS

During the year 2024-2025, ICAI started the Self-Paced Module Tests where students can do online learning through the portal https://lms.icai.org The candidates who have completed prescribed learning hours for respective Self-Paced Online Modules can book the exam seats at https://spmt.icai.org Self-Paced Module Test are being conducted on daily basis, except on government holidays, across the country and abroad. As on 31st March 2025, more than 340000 candidates have already appeared for the exam.

(VI) ASSISTANCE IN CONDUCTING EXAMINATION OF CERTIFICATE COURSES FOR ACCOUNTANTS OF PANCHAYATS AND MUNICIPAL BODIES

ICAI Examination Department has provided all possible assistance to the Board for Local Bodies Accountants Certification (BLoAC) established under ICAI Accounting Research Foundation (ICAI ARF)) to conduct their Examinations of Certificate Courses for Accountants of Panchayats and Municipal Bodies. The same was held on 18th April 2024, 7th & 8th August 2024 and 9th January 2025.

(VII) DIPLOMA ON MANAGEMENT AND BUSINESS FINANCE - COMPUTER BASED TEST

Diploma on Management and Business Finance - Computer Based Test was held from 9th to 11th February 2025 from 10.30 am to 12.30 PM IST.

(VIII) OPENING OF EXAMINATION CENTRES IN NEW CITIES

Recognizing the hardship of the students and in the interest of the well-being of students & members and to mitigate their hardships, as a proactive measure for the benefit and welfare of the students & members, the Institute has decided to open additional examination centre in the following cities:

Exam (w.e.f.)	City (State)
May 2024	Aizawl (Mizoram), Balotra (Rajasthan), Chhatarpur (Madhya Pradesh), Korba (Chhattisgarh), Morbi (Gujarat) and Patan (Gujarat)
November 2024	Imphal (Manipur) and Thanjavur (Tamil Nadu)
January 2025	Puri (Odisha) and Valsad (Gujarat)

(IX) RESULTS OF CHARTERED ACCOUNTANTS FINAL COURSE EXAMINATIONS HELD IN MAY 2024 AND NOVEMBER 2024

Results of Chartered Accountants Final course examination held in May 2024 & November 2024 were declared on 11th July, 2024 and 26th December, 2024 respectively. The gist of results statistics is as under:

	Group(s)	No. of candidates appeared		No. of candidates passed		Passing %	
		May 2024	November 2024	May 2024	November 2024	May 2024	November 2024
I	Group-I	74887	66987	20479	11253	27.35	16.8
II	Group-II	58891	49459	21408	10566	36.35	21.36
III	Both Groups	35819	30763	7122	4134	19.88	13.44

Consequent to declaration of result as mentioned above, 20446 and 11500 candidates qualified as Chartered Accountants in May 2024 and November 2024 respectively.

(X) RESULTS OF CHARTERED ACCOUNTANTS INTERMEDIATE COURSE EXAMINATIONS HELD IN MAY 2024, SEPTEMBER 2024 AND JANUARY 2025

Results of Chartered Accountants Intermediate course examination held in May 2024, September 2024 and January 2025 were declared on 11th July 2024, 30th October 2024 and 4th March 2025 respectively. The gist of results statistics is as under:

	Group(s)	No. of candidates appeared			No. of candidates passed			Passing %		
		May 2024	Sept. 2024	Jan. 2025	May 2024	Sept. 2024	Jan. 2025	May 2024	Sept. 2024	Jan. 2025
I	Group-I	117764	69227	108187	31978	10505	15332	27.15	15.17	14.17
II	Group-II	71145	50760	80368	13008	8117	17813	18.28	15.99	22.16
III	Both Groups	59956	23482	48261	11041	1330	6781	18.42	5.66	14.05

(XI) RESULTS OF CHARTERED ACCOUNTANTS FOUNDATION COURSE EXAMINATION HELD IN JUNE 2024, SEPTEMBER 2024 AND JANUARY 2025

Results of Chartered Accountants Foundation course examination held in June 2024, September 2024 and January 2025 were declared on 29th July 2024, 30th October 2024 and 4th March 2025 respectively.

Term	No. of candidates appeared	No. of candidates passed	Passing %
June 2024	91900	13749	14.96
September 2024	70437	13858	19.67
January 2025	110887	23861	21.52

(XII) INTEGERATION OF ICAI EXAMINATION APPLICATION FORMS WITH SELF SERVICE PORTAL (SSP):-

In order to facilitate the students, the ICAI Examination Application Forms is integrated with Self Service Portal (SSP) from the other standalone portal. The integration was done from CA November 2022 examinations and continued in 2024-2025 as well. The integration enables the students to effortlessly fill the CA exam forms at Self Service Portal (SSP) where student details i.e photograph, signature, exemption etc are auto filled and it helps in establishment of eligibility of student to appear for the exam (as per ICAI eligibility criteria for exams) at form filling stage itself. Apart from applying for the exam, student can change his city/group/medium of examination (via Correction window) and can download his/her admit card for the exams as these activities are also integrated in the Self Service Portal (SSP).

(XIII) WEB-INTERFACE ON STUDENTS EXAM LIFE CYCLE MANAGEMENT

ICAI embarked on an integrated web-interface called Student Exam Life Cycle Management Project, where CA students using a single user ID and password, can access various examination related services, including application for duplicate marksheets/pass certificates/transcripts, change of centre/medium/group, downloading admit cards, checking results, and applying for verification/seeking certified copies of answer books post result etc. from exam to exam.

(XIV) MCQ BOOKLET TO BE RETAINED BY THE CANDIDATES

W.e.f. from CA Examination September 2024 onwards, the candidates have been allowed to take away the MCQ booklet with them.

(XV) DIGITAL MARKING/DIGITAL EVALUATION

Continuing the path of 100% Digitalization, approx. 34.13 lakhs answer books were digitally evaluated in the year 2024-2025 which also includes the number of answer books for January 2025 exams. Complete Digitization has resulted in faster evaluation, error-free result and as well as ease and convenience for examiners.

(XVI) ELIGIBILITY TEST FOR EXISTING AND NEW EXAMINERS

Mandatory Eligibility test were conducted for new applicant examiners and only those new applicant examiners were allotted examinership assignment who passed the mandatory eligibility test. Similarly, eligibility tests were conducted for existing examiners whose 3 years had lapsed since they passed the eligibility test. Accordingly, 31 Part A tests and 32 Part B tests were conducted in the year 2024-25, whereby 1513 new and existing examiners passed the tests and were empaneled as examiners.

(XVII) DIGITAL WORKSHOP/WEBCAST FOR EXAMINERS & EXAMINATION FUNCTIONARIES

Continuing on the path of conducting examiners workshop in Digital Mode, Approx 9800 examiners have attended Digital Workshop in the year 2024-2025. Digital Workshop has resulted in huge cost savings as well as ease and convenience for examiners who otherwise had to travel long distance to attend the physical workshop. Programme(s) for enhancing the quality & consistency of evaluation of answer books through webcast for examiners were successfully conducted for May/June, September, November 2024 and January 2025 Examinations. This initiative is expected to go a long way in improving the quality of evaluation. Webcast on guidelines for observers, examination centres, Bank of Baroda, Examination Co-ordinators were successfully done for May/June, September, November 2024 and January 2025 Examinations for better coordination in the examination conducting machinery.

(XVIII) OBSERVER WEB PORTAL & MOBILE APP (ANDROID/IOS)/ CENTRE WEB PORTAL

A web portal https://observers.icaiexam.icai.org/ is in place for facilitating all activities relating to Observers appointed in examination centres, including registration, hosting of details of assignments allotted, submission of acceptance letters/daily reports/claims for honorarium etc. Observer Portal and Mobile App has become very helpful in ensuring collection of sealed packets of correct code meant for the day. A web portal https://centres.icaiexam.icai.org/ is in place for capturing of absentee data online on the day of the exam on a daily basis which is of great help in collating the absentee records.

(XIX) SCANNING OF QR CODE BY CENTRE FUNCTIONARIES: -

W.e.f. CA Examination May 2024 Centre Superintendent/his authorized representative is also required to scan QR Code of the sealed packets collected from Bank at the Centre Portal i.e., https://centres.icaiexam.icai.org/qrcodev01. This exercise by the Centre Superintendent or his/her authorized representative is done only after the scanning of the QR code by the Observer which brings in double check on the correctness of the question paper code for the respective day of examination.

5. Disciplinary Directorate

The Disciplinary Directorate, the regulatory arm of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), has been established to investigate cases of Professional and/or Other Misconduct alleged against its members. These cases may be received through a Formal Complaint in Form I or via the Information route, as provided under the Chartered Accountants Act, 1949 read with The Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007. Under the disciplinary framework, the Disciplinary Directorate has a statutory obligation to examine all alleged lapses or irregularities committed by members across India. This mechanism not only helps maintain public confidence and trust in the profession but also sets a benchmark for acceptable professional conduct. While the vast majority of Chartered Accountants continue to offer dedicated and ethical services to society through their expertise, the disciplinary process ensures that the few who stray intentionally or inadvertently are duly corrected.

Following the 2006 amendments to the Chartered Accountants Act, 1949, ICAI's disciplinary framework was significantly strengthened to expedite the resolution of disciplinary cases. Consequently, the disciplinary mechanism currently operates through two quasi-judicial bodies established under the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006:

- Board of Discipline (BoD) under Section 21A
- Disciplinary Committee (DC) under Section 21B

This structure ensures transparency, enhances stakeholder confidence, and guarantees fair and equitable justice for members facing allegations. To further enhance accountability and expedite justice, additional amendments were made to the *Chartered Accountants Act, 1949* in the year 2022. However, the date from which these revised disciplinary provisions will come into effect is yet to be notified. During the Council year 2024-25, for efficient case management and swift resolution, five Benches of the Disciplinary Committee—Bench I, II, III, IV, and V (handling MNAF cases)—and one Bench of the Board of Discipline were constituted. These benches worked actively on cases under enquiry, including reviewing Prima Facie Opinions formed by the Director (Discipline). Additionally, the Disciplinary Committee under Section 21D, chaired by the ICAI President, was constituted to address residual legacy cases that are/may be referred back under the old disciplinary mechanism.

(I) Key Initiatives and Achievements

- **E-Hearings**: The Directorate successfully conducted e-hearings with effective participation from members of the BoD and DC as well as parties. These hearings proved highly beneficial by saving time and cost and enabling broader participation by the parties without the burden of travel. The increased disposal rate of cases is a testament to their effectiveness.

- **Revamped Web Portal**: Recognizing the need for modernization, the existing web portal of the Disciplinary Directorate i.e https://disc.icai.org has been comprehensively revamped. The revamped portal now serves as a one-stop destination for all information related to the Disciplinary mechanism. It has been thoughtfully redesigned to highlight key updates such as recent meetings and Orders/Findings passed by the Board of Discipline (BOD) and the Disciplinary Committee (DC) directly on the homepage. The new structure ensures that stakeholders can access relevant information more efficiently. It now aligns with the ICAI’s official colour theme for a consistent visual identity.

- **Capacity Building**: To enhance operational efficiency and keep pace with developments in laws and regulations, regular training sessions are conducted for the Directorate’s officials and staff. These sessions cover crucial topics such as Corporate Laws, CARO, and Ind AS etc., ensuring that the team remains efficient, competent and updated.

- **Training on Artificial Intelligence**: Embracing the potential of emerging technologies, a specialised three-day training programme on Artificial Intelligence was organized in May 2025 with the help of the 'AI in ICAI Committee'. Tailored to the specific needs of the Disciplinary Directorate, this programme aimed at equipping Directorate’s Officers with the knowledge and skills necessary to harness AI tools effectively in disciplinary functions, paving the way for smarter, technology-driven processes.

- **Resolution of Cases under old mechanism**: As of now, all residual cases under the old disciplinary mechanism (Section 21D) have been heard and concluded by the Disciplinary Committee. Furthermore, no cases remain pending before the Council for consideration.

(II) Board of Discipline under Section 21A of the Chartered Accountants Act, 1949

The Board of Discipline has been constituted by the Council of ICAI under Section 21A of the Chartered Accountants Act, 1949 so as to look into matters of Professional and Other Misconduct by members falling under First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 and/or cases wherein the members are held prima facie NOT Guilty of any misconduct by Director (Discipline). During the period (i.e., 1st April 2024 to 31st May 2025), the Board of Discipline held 29 meetings in 30 sittings at various places, including meetings through physical/video conference. In these meetings, the Board concluded its enquiry in 36 cases, including cases which had been referred to it in previous years. The statistical break-up of the cases decided by the Board of Discipline is given below:

Sl. No.	Particulars	Figure
a)	No. of meetings of the Board of Discipline held during the aforesaid period	29 (Sittings 30)
b)	Number of Complaint/Information cases considered by the Board of Discipline (under Section 21A) wherein Prima Facie Opinion* of the Director (Discipline) was formed (including cases considered under Rule 6/Rule 12)	313
c)	Number of cases (Complaint/Information cases) in which enquiry was completed by the Board of Discipline (including those cases, which were referred to the Board of Discipline during earlier years)	36
d)	Number of cases (Complaint/Information) in which punishment has been awarded by the Board of Discipline (including those cases, which were referred to the Board of Discipline during the earlier years.	14
e)	Number of miscellaneous matters considered (under Rule 5(6), jurisdiction issue, etc.)	872

(III) Disciplinary Committee under Section 21B of the Chartered Accountants Act, 1949

The Disciplinary Committee has been constituted by the Council of ICAI under Section 21B of the Chartered Accountants Act, 1949 so as to look into matters of Professional Misconduct by members which fall within the purview of Second Schedule or both First and Second Schedules to the Chartered Accountants Act, 1949. During the period (i.e. 1st April, 2024 to 30th May, 2025), Disciplinary Committee (all benches) held 79 meetings including meetings through physical/video conference mode. During the course of the aforesaid meetings, the Committee concluded its enquiry in 225 cases, which included cases referred to it in previous years. The statistical break-up of the cases decided by the Disciplinary Committee is given below:

Sl. No.	Particulars	No.
a)	No. of meetings of the Disciplinary Committee held during the aforesaid period	79
b)	Number of Complaint/Information cases considered by the Disciplinary Committee (under Section 21B) wherein prima facie opinion of the Director (Discipline) was formed	151
c)	Number of cases (Complaint/Information cases) in which enquiry was completed by the Disciplinary Committee* (including those cases, which were referred to the Disciplinary Committee during the earlier years).	225

d)	Number of cases (Complaint/Information) in which punishment has been awarded by the Disciplinary Committee* (including those cases, which were referred to the Disciplinary Committee during the earlier years).	164

* Also includes cases closed on account of Honorable SC judgement in TAMC cases

(IV) Disciplinary Committee under Section 21D

The Disciplinary Committee functioning under the provisions of Section 21D of the Chartered Accountants Act, 1949 conducts enquiry and submits its report to the Council in respect of residual cases pending prior to the amendments made in the aforesaid Act in 2006.

Cases dealt with under the Old Disciplinary Mechanism [Section 21D]

Since all the residual cases were already heard and concluded by the Disciplinary Committee in 2018, during the period under review, no meeting of this Committee was held. During the aforesaid period, one case referred by the Honorable Supreme Court of India was considered by the Council. After accepting the report of the Disciplinary Committee, in terms of the provisions of Section 21(5) of the Chartered Accountants Act, 1949 (unamended), the Council decided to recommend to the relevant High Court the removal of the concerned member's name from the Register of Members. Following the consideration of this case, no other report of the Disciplinary Committee remained pending before the Council.

6. TECHNICAL COMMITTEES/BOARDS

6.1 Accounting Standards Board (ASB)

The Accounting Standards Board (ASB), established by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) in 1977, is aimed with formulating Accounting Standards to strengthen the quality, consistency and reliability of financial reporting in India. Its primary objectives are to harmonize accounting practices across the country and to align Indian standards with the International Financial Reporting Standards (IFRS) issued by the International Accounting Standards Board (IASB). Over time, the ASB has actively revised existing standards and developed new ones to reflect changes in the business environment, economic conditions and regulatory landscape. To facilitate the effective and uniform application of these standards, the ASB also issues implementation guidance, technical notes, and other interpretative materials on a regular basis. Under Section 133 of the Companies Act, 2013, the ICAI, through the ASB, is entrusted with formulating Accounting Standards applicable to companies. Additionally, the ICAI issues separate Accounting Standards tailored to the needs of non-corporate entities.

The following are the major activities undertaken by the Accounting Standards Board (ASB) during the period under Report:

(I) Financial Reporting Standards:

Amendments to Ind AS notified by MCA

- Amendments to Ind AS were notified by the MCA vide Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2024, comprising issuance of new insurance standard (Ind AS 117) and consequential amendments to fourteen (14) Ind AS (Ind AS 104 superseded).
- Amendments to Ind AS 116, *Leases* regarding sale and leaseback transactions were notified by the MCA vide Companies (Indian Accounting Standards) Second Amendment Rules, 2024.
- Notification for reinstatement of Ind AS 104, *Insurance Contract*s, by the MCA vide Companies (Indian Accounting Standards) Third Amendment Rules, 2024.
- Amendments to Ind AS 21 wrt Lack of Exchangeability were notified by the MCA vide Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2025.

Amendments to AS issued by the ICAI

- Issued Revised criteria for classification of non-company entities for applicability of Accounting Standards issued by the ICAI.
- Amendments to AS 22, Accounting for Taxes on Income arising due to International Tax Reform-Pillar Two Model Rules have been issued by the ICAI for non-company entities and the same are effective for annual reporting periods beginning on or after April 1, 2024.

Amendments to the Ind AS and AS on the following subjects have been recommended to NFRA during the period:

- Accounting Standards for Limited Liability Partnerships.
- Annual Improvements to Ind AS (2024) - Corresponding to Annual Improvements to IFRS Standards Volume 11 issued by the IASB.
- Amendments to the Classification and Measurement of Financial Instruments: Amendments to Ind AS 109 and Ind AS 107.

Ongoing Important Projects related to Ind AS:

- Formulation of Ind AS 118, Presentation and Disclosure in Financial Statements and Ind AS 119 *Subsidiaries without Public Accountability.*
- Amendments to Ind AS 109 and Ind AS 107-Contracts Referencing Nature-dependent Electricity.

(II) International initiatives Forging long lasting partnership

- In order to play an active role in standard setting at global level, comments were submitted on the various Consultative Documents/Exposure Drafts/Discussion Papers/Tentative Agenda Decisions) issued by the International Accounting Standards Board (IASB) and IFRS Interpretations Committee IFRS (IC) and other international bodies. Following are the details of the submissions during the period:

  - Exposure Draft on International Non-Profit Accounting Guidance (INPAG)- Part 2.
  - Exposure Draft of International Non-Profit Accounting Guidance (INPAG) - Part 3.
  - Exposure Draft on Equity Method of Accounting - IAS 28, Investments in Associates and Joint Ventures (revised 202x).
  - Exposure Draft on Business Combination - Disclosures, Goodwill, and Impairment (Proposed amendments to IFRS 3 and IAS 36).
  - Exposure Draft on Contracts for Renewable Electricity (Proposed amendments to IFRS 9 and IFRS 7).
  - Exposure Draft on Climate-related and Other Uncertainties in the Financial Statements - Proposed illustrative examples.
  - Exposure Draft on Translation to a Hyperinflationary Presentation Currency - Proposed amendments to IAS 21.
  - Exposure draft of Provisions- Targeted Improvements - Proposed amendments to IAS 37.
  - Tentative Agenda Decision on Recognition of Revenue from Tuition Fees (IFRS 15).
  - Tentative Agenda Decision on Guarantees Issued on Obligations of Other Entities.

- ICAI representatives actively participated in meetings of various international standard setting forums, such as, the Emerging Economies Group (EEG), International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS), and Asian-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG). Also presented relevant agenda items raising Indian concerns.

International Forum of Accounting Standards Setters (IFASS):

- IFASS Meeting held on April 17-19, 2024 - Hon'ble Vice President, ICAI presented on "Accounting of Financial Instruments" wherein the issue of accounting of corporate guarantee contracts and issue of Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs) and effects of relevant laws or regulations arising out of Financial Instruments with Characteristics of Equity were highlighted.
- Attended IFASS meeting held on September 24-25, 2024 in London.
- Attended IFASS meeting held from March 12-14, 2025, at Naples, Italy.

Asian-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG):

- Attended AOSSG Chairs Advisory Committee (CAC) meeting held on March 19, 2025, through virtual mode.

Emerging Economies Group (EEG):

- Attended meeting of the Emerging Economies Group (EEG) held on May 28-29, 2024 at Taiyuan, Shanxi, China.
- Attended EEG meeting held on December 17-18, 2024 through virtual mode.
- Attended Meeting held on May 7-8, 2025, through virtual mode.

Accounting Standards Advisory Forum (ASAF):

- ASAF meeting held on September 26-27, 2024 – India being the sub-working group leader on leases attended the session through virtual mode. In this regard, Chairman, ASB, presented implementation and ongoing application issues of IFRS 16, *Leases,* in AO regions, as part of PIR of IFRS 16 to help the IASB to identify matters to include in the RFI for public consultation.

(III) Building robust relationship with Regulatory Bodies

- ASB continued working on various accounting issues referred by various Regulators (such as, Ministry of Corporate Affairs, Reserve Bank of India, Ministry of Power etc.) and, wherever felt appropriate, various accounting issues were taken up with the relevant Regulators.

(IV) Knowledge Dissemination and Capacity Building Initiatives

- More than 80 CPE events were organized in collaboration with various Branches and Regional Councils to raise awareness about recent amendments in AS and Ind AS. These initiatives are also aimed at strengthening the capacity-building efforts of different organizations while providing valuable support to the members in the form of Seminars, Webinars Deep dive courses and Certificate Course.

(V) Other Initiatives:

- 3rd Accounting Standards Day was celebrated on May 3, 2025 in New Delhi on the theme 'Navigating the Financial Reporting Landscape'. The event was graced by Honorable Chief Minister of Delhi, Smt. Rekha Gupta as the Chief Guest. The event aimed to engage stakeholders and raise awareness about the crucial role of Accounting Standards in the preparation of financial statements, thereby empowering financial reporting of the country. AS Day was observed simultaneously on pan India basis through all five regional Councils and accordingly the event was celebrated at Delhi, Jaipur, Mumbai, Chennai and Kolkata, reaching a wide audience of industry professionals.
- A Weekly Accounting Quiz was introduced (earlier done on Monthly basis) serving as an educational tool to simplify accounting and finance concepts. Designed with a gamified approach, it enhances stakeholders' clarity and awareness of various accounting topics, enabling them to learn effectively and deepen their understanding in an engaging manner.

(VI) Publications released

- Indian Accounting Standards (Ind AS): Disclosure Checklist (Revised April 2024)
- Accounting Standards: Quick Referencer (As on April 01, 2025)

6.2 Auditing and Assurance Standards Board (AASB)

Audit plays a critical role in protecting public interest by enhancing accountability and fostering trust in financial reporting, thereby supporting economic growth. Increasing business complexity and expanding global operations have heightened stakeholder expectations of the auditing profession. In response, the ICAI's Auditing and Assurance Standards Board (AASB) develops high-quality Standards on Auditing, Review, Assurance, Quality Control, and Related Services, which set best practices and serve as benchmarks for auditor performance.The Board also issues Guidance Notes on general and industry-specific auditing issues to provide practical support to auditors. These are released under the ICAI Council's authority, except for auditing standards related to companies and Limited Liability Partnerships (LLPs), where the Central Government prescribes standards based on ICAI's recommendations, in consultation with the National Financial Reporting Authority (NFRA). ICAI's auditing standards are harmonized with the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) to maintain global consistency. To aid effective implementation, the Board publishes Technical Guides, Practice Manuals, Studies, and Implementation Guides, offering members practical tools to navigate complex audit scenarios confidently.

Important achievements:

(I) Representations/ suggestions to Ministries/Regulators

- **Development of Digital Balance Confirmation Portal**

  The Board has collaborated with the Indian Banks' Association (IBA) to develop a common Portal for balance confirmation in the banking sector ("Digital Balance Confirmation Portal"). ICAI has entered into a tri-party memorandum of understanding with IBA and PSB Alliance Private Limited for this initiative. The beta version of Phase 1 of the Portal was launched at the World Forum of Accountants (WOFA) on 2nd February 2025. The development of the Portal is currently ongoing.

- **ICAI's Recommendations on Standards on Auditing for Audit of Companies**

  In June 2022, the Board submitted ICAI's recommendations on the Standards on Auditing for audit of companies to NFRA for notification under Section 143(10) of the Companies Act, 2013. At its 18th meeting held on 11th & 12th November 2024, NFRA considered ICAI's recommendations. During this meeting, NFRA finalised 40 Standards and decided to recommend them to the Central Government for notification under the Companies Act, 2013. Subsequently, NFRA submitted its recommendations to the Central Government.

- **ICAI's Recommendations on Standards on Auditing for Audit of LLPs**

  In August 2024, the Board submitted ICAI's recommendations on the Standards on Auditing for audit of LLPs ("SAs for LLP") to NFRA for notification under Section 34A of the LLP Act, 2008. ICAI recommended that the Standards on Auditing recommended by ICAI to NFRA for audit of companies should apply *mutatis mutandis* for audit of LLPs. Subsequently, MCA directed ICAI to develop a separate set of SAs for LLPs for notification under Section 34A of the LLP Act, 2008. In response, the Board developed a separate set of SAs for LLPs. The Council of ICAI, at its meting held in May 2025, considered and approved the Board's recommendations on these SAs for LLPs. ICAI's final recommendations on SAs for LLPs will be submitted to NFRA shortly.

- **Capacity Building Programme for Officers of the C&AG of India**

  ICAI, in collaboration with the Office of the C&AG of India, organized a Capacity Building Programme for officers of the C&AG engaged in the audit of Public Sector Undertakings (PSUs). The programme was conducted at the ICAI's Centre of Excellence in Hyderabad from 5th May, 2025 to 4th June, 2025. The programme covered a range of topics including Indian Accounting Standards, Standards on Auditing, sector-specific auditing topics, and information technology-related topics. AASB provided support for the auditing-related topics of the programme. AASB contributed by preparing background material and arranging faculty with subject matter expertise.

(II) Standards issued

The Board issued the following Standards on Quality Management (SQM) under the authority of the Council of ICAI:

- SQM 1, "Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements".
- SQM 2, "Engagement Quality Reviews".

These Standards are effective from April 1, 2025, on a recommendatory basis, and from April 1, 2026, on a mandatory basis. Upon becoming effective, SQM 1 and SQM 2 will replace the existing Standard on Quality Control (SQC 1).

(III) Publications

The Board issued the following publications for the benefit of the members at large:

- Guidance Note on Audit of Banks 2025 Edition.
- Guidance on Non-Compliances Observed by Quality Review Board During Quality Reviews (Volume 2).
- Guidance on Non-Compliances Observed by Quality Review Board During Quality Reviews (Volume 3).

(IV) Initiatives for the Members

- **Seminars/Webinars organized by AASB**

The Board organized various seminars, conferences, workshops, webcasts on Engagement and Quality Control Standards, bank audit and other auditing aspects for awareness and professional enhancement of the members. 206 Programs were organised which were attended by more than 80,000 participants.

- **Train the Trainers Programme**

The Board organized its first "Train the Trainers" programme on seven new/revised Engagement and Quality Management Standards [SQM 1, SQM 2, SA 220(Revised), SA 250(Revised), SA 315(Revised), SA 540(Revised), SRS 4400(Revised)] on 11th & 12th May 2024 at Delhi. The programme is an important initiative of the Board to empower audit faculties, speakers and the members on these standards.

- **Audit Day Programme**

The Board organized the first "Audit Day" Programme on 30th August 2024 at Delhi. This programme was organized to highlight the significance of enhancing audit quality and to showcase the role of the Board in establishing high-quality auditing standards.

- **Bank Audit Expert Panel**

The Board constituted an online panel of experts to address Bank Branch Audit related queries of the members for the financial year 2024-25. The Panel addressed queries from 1st April 2025 to 15th April 2025.

(V) Contribution at International Platform

- Vice-Chairman, AASB for the Council Term 2022-25 attended IAASB meetings held in September 2024 and December 2024 at New York, USA.
- Chairperson, AASB attended IESBA, IAASB and Joint JSS meeting held in May 2025 at New York, USA.

6.3 Expert Advisory Committee (EAC)

In the current prevailing economic environment, marked by complex transactions and a continually evolving financial reporting framework, accounting professionals are increasingly confronted with challenging situation that require careful interpretation and application of such framework including accounting and auditing principles to novel transactions. This gives rise to the need for credible and well-researched solutions in such situations to uphold the integrity and reliability of financial reporting. The extensively researched and deliberated opinions issued by the Expert Advisory Committee play a pivotal role in supporting the accounting professionals and preparers of financial statements by offering the guidance on the complex accounting situations/transactions. Since its inception, the Committee has been continuously providing opinions on the matters referred to it by the members of the Institute across all industries as well as by the government and regulatory bodies.

(I) Expert Opinions

The Committee answers queries received from the members of the ICAI in accordance with Advisory Service Rules. As per Rules, the Committee answers queries relating to accounting and/or auditing principles and does not answer queries which involve only legal interpretation of various enactments. It also does not answer queries which involve professional misconduct or on a matter pending before the Disciplinary Committee of the Institute, any court of law, the Income-tax authorities or any other appropriate department of the Government. These Rules are available on the website of the ICAI, at its link, https://www.icai.org/post/495 or can be obtained from the Institute's Head Office at New Delhi. The opinions issued by the Expert Advisory Committee are based on the specific facts and circumstances provided by the querist, taking into account the relevant laws, statutes, and applicable accounting and auditing principles. Each opinion clearly states the date of its finalisation and should be read considering the developments and/or amendments to laws or standards, that may have occurred after that date.

(II) Opinions finalised during the period

The Committee has finalised opinion on following Fifty five (55) queries on diverse accounting issues received from members and a technical accounting issue received from the National Highways Authority of India (NHAI):

- Accounting for subsidy receivable under Ind AS framework.
- Accounting treatment of cost of land acquired and cost incurred on construction of staff quarters of polytechnic college under Ind AS framework.
- Capitalisation of ATS Charges due on Intangible Asset under development (ERP).
- Accounting treatment under Ind AS framework of Grant in lieu of Equity received from promoters of the Company for construction of the project.
- Accounting treatment under Ind AS framework of Grant for technical assistance.

- Accounting treatment under Ind AS framework of Interest free Subordinate Debts received from the Government.
- Accounting treatment of unamortised portion of grant from government/ government agencies under Ind AS framework.
- Accounting for interest-free subordinate debts under Ind AS framework.
- Accounting Treatment of Shareholder's Loan provided to Joint Venture Company under Ind AS framework.
- Classification of the Project as Inventory or Investment Property under Ind AS framework.
- Consolidation of the financial statements of a Section 8 Company with the Sponsor Company.
- Accounting for transition in the project upon transfer of rights and obligations of the erstwhile consortium to a new company by way of Government Decree.
- Recognition and presentation of non-refundable upfront fee/premium for development of hydro-electric project under Ind AS framework.
- Classification and Presentation of accrued wages and salaries to employees under Trade Payables or Provisions (Current).
- Recognition of revenue from installation services.
- Recognition of revenue from maintenance services.
- Classification of 'Provision for doubtful debts no longer required written back' as 'Other Income' or 'Other Operating Revenue'.
- Accounting for leasehold land and applicability of Ind AS 116.
- Presentation of interest income on Balance Annuity Payment (60% of completion cost) from grantor under Ind AS framework.
- Accounting treatment of disputes as per Ind AS 37, 'Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets'.
- Accounting treatment of expenditure relating to cost of metro connectivity not owned by the Company, which is compulsorily required to be incurred for implementation and development of Exhibition-cum-Convention Centre (ECC) Project, under Ind AS framework.
- Accounting treatment of sale of fertilizers and related subsidy under Ind AS framework.
- Accounting for rectification of interest earned on fixed deposits made out of surplus funds erroneously accounted for as income for certain earlier years, under AS framework.
- Accounting treatment of infrastructural development cost incurred by an entity, under Ind AS framework.
- Accounting treatment and classification of sales bills discounting, under Ind AS framework.
- Consolidation of accounts of a joint venture company.
- Accounting treatment for Customer Acquisition Cost under AS framework.
- Accounting treatment of Encashment of Bank Guarantee under Ind AS framework.
- Accounting treatment of interest expense on the project term loan in the financial statements under Ind AS framework.
- Accounting treatment of salary paid to Company Secretary of the Company having single unit project under construction, under Ind AS framework.
- Accounting for Portfolio Management Services (PMS) fee under Ind AS framework.
- Accounting treatment of investment in erstwhile associate under Ind AS framework.
- Accounting for investment in subsidiary - held for sale under Ind AS framework.
- Applicability of Ind AS 110.
- Accounting for land amortisation under Ind AS framework.

- Accounting treatment of expenditure towards Special Development Plan (SDP) by the Company, under Ind AS framework.
- Recognition of liability towards planned expenditure committed for Stage-II Forest Clearance and Environmental Management Plan under Environmental Clearance of Bauxite Mine received from MoEF&CC, under Ind AS framework.
- Treatment and presentation of Perpetual Loan, under Ind AS framework.
- Change in revenue booking for Infrastructure Division in books of account.
- Change in revenue booking for Procurement & Consultancy Division in books of account.
- Disclosure of abandonment fund of a third-party temporarily collected by the Company for future repatriation.
- Creation of liability in respect of and disclosure of interest income on CUF (Composition User Fee) charges collected from customers under Ind AS framework.
- Accounting for commission paid for bank guarantees, under Ind AS framework.
- Accounting treatment of cost of display (Standees, tent cards, wobblers, hangers, product demonstrations for festivals and promotional aisle) in fixed fee arrangements under Ind AS 115.
- Accounting treatment of cost of display (Standees, tent cards, wobblers, hangers, product demonstrations for festivals and promotional aisle) in case of spends with fixed fair value under Ind AS 115.
- Presentation of subsequent recoveries of Regulatory provisions related to Investments in Alternative Funds (AIFs), under Ind AS framework.
- Accounting treatment of interest cost arising on fair valuation of interest free subordinate debt provided by Government of India (GoI), Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD) and other government agencies for construction of metro projects, and accounting treatment of interest income earned on temporary investment of aforementioned interest free subordinate debt funds in flexi deposits till its utilisation in the project.
- Capitalisation of dry dock expenditure as a separate component of dredgers and depreciation thereon after completion of their estimated useful lives.
- Appropriateness of considering Employees' Family Benefit Scheme as Defined Benefit Scheme as per Ind AS 19
- Accounting treatment of Structured Package of assistance for setting up a Hardwood Pulp Plant under Ind AS 20.
- Accounting for GST component paid on lease payment.
- Accounting treatment of salary paid to staff/employees during testing phase prior to opening of a new restaurant.
- Accounting treatment of cost related to food trails during testing phase prior to opening of a new restaurant, under Ind AS framework.
- Valuation of land in books of account under Ind AS framework.
- Nature of Right of Use (RoU) Assets recognised in accordance with Ind AS 116, 'Leases'.

(III) Compendium of Opinions/Dissemination of knowledge

In order to disseminate the accounting guidance contained in the opinions to the CA professionals and other stakeholders, the opinions issued by the Committee are periodically published as a Compendium of Opinions. So far, forty-three volumes of the Compendium of Opinions have been published, which are extensively used and relied on by the professionals. For easy reference, these opinions have also been compiled and hosted in the form of an advanced and user-friendly search application on the website of the ICAI. Some of the opinions on contemporary issues and having general relevance are published in every issue of the Institute's Journal, 'The Chartered Accountant'. Recent opinions of the Committee are also hosted on the website of the Institute.

(IV) Webinars/Seminars

With an objective to disseminate knowledge and to create awareness amongst the members and other stakeholders about EAC opinions, the Expert Advisory Committee organised 5 Webinars on 'Recent EAC Opinions' under Ind AS Framework. The Expert Advisory Committee organised its first ever physical seminar on 'Recent EAC

Opinions under Ind AS Framework' on May 17, 2024 Mumbai. The seminar was well-received by participants, who appreciated the interactive format, the depth of expertise demonstrated by the speakers, and the practical relevance of the opinions discussed.

6.4 Financial Reporting Review Board (FRRB)

The Financial Reporting Review Board (FRRB) is playing a vital role in enhancing the quality of financial reporting and auditing practices prevailing in India. It was constituted by ICAI as a proactive initiative to improve quality of financial reporting practices by the enterprises. The FRRB undertakes the review of the general-purpose financial statements of various enterprises with a view to determine, to the extent possible, compliance with the generally accepted accounting principles in preparation and presentation of financial statements, compliance with the disclosure requirements prescribed by regulatory bodies, statutes/rules and regulations relevant to the enterprise and compliance with the reporting obligations of the enterprise as well as the auditor. The Board comprises of members of the Central Council of the ICAI including Government of India nominee. The Board also had the privilege of the representations from the office of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG), Central Board of Direct taxes (CBDT), National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) and Niti Aayog during this period.

Accomplishments of the year

(I) Partner in Nation Building – Supporting Regulators

In its endeavour to support regulators as well as to promote transparency and reliability in financial reporting, the FRRB has undertaken following activities during the period:

- Submitted presentation to MCA on significant non-compliances observed in 7 cases.
- Referred 12 cases to Regulators, where significant non-compliances affecting true and fair view of the financial statements were observed (MCA, SEBI, RBI)
- Undertaken review of 11 cases referred by Regulators (SEBI, CAG) and on the basis of other references received, as special cases.

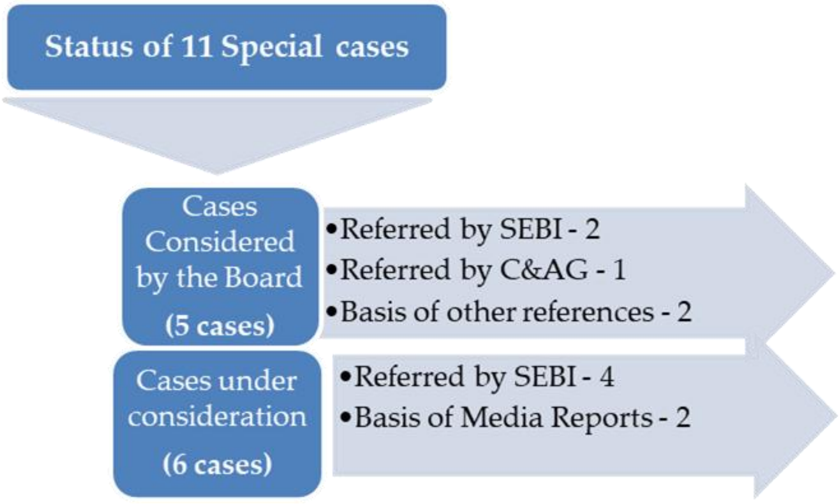

- **Contribution in C&AG-ICAI Training Program for Audit Officers in Public Sector Undertakings (PSUs)**

The ICAI has signed MoU with C&AG to develop focused training programs and knowledge-sharing platforms, aimed at enhancing the professional capabilities of audit officers in Public Sector Undertakings (PSUs). The primary objective is to sharpen the skill sets of auditing professionals thereby enhancing their efficiency, transparency and accountability. As a part of the collaborative effort, FRRB is supporting the training programs by providing relevant study material based on the non-compliances in financial reporting, as identified by it, which comprises 75 case studies covering 30 Ind ASs. This contribution will ensure that the audit officers are equipped with sound knowledge of applicable standards and best practices, thereby elevating the quality of financial oversight in PSUs.

(II) Review of General-Purpose Financial Statements

From April 2024 to May 2025, the Board has completed the review of 92 cases. It includes review of 5 special cases and 87 suo motto cases. The classification of these 92 cases is as follows:

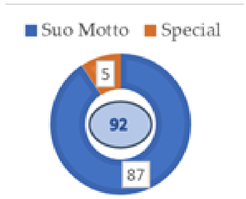

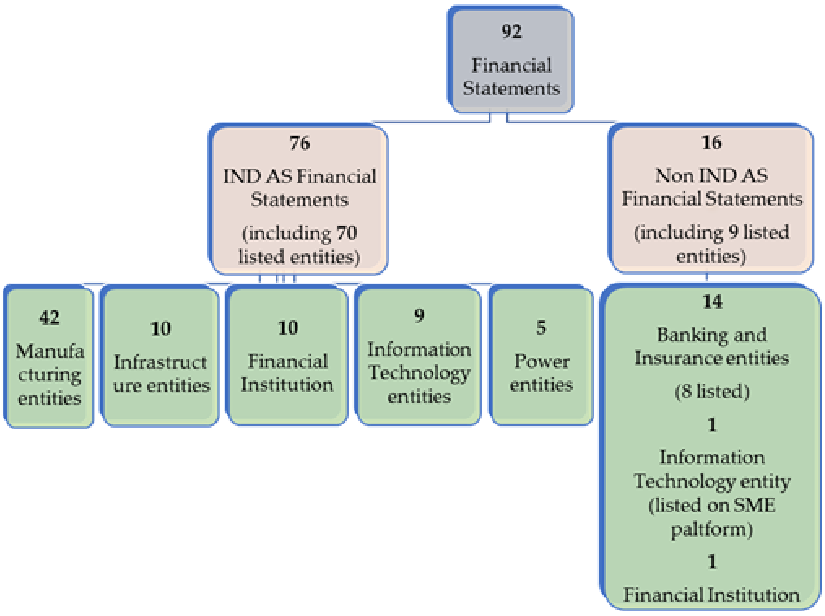

Decision taken by the Board on considered cases

Out of these 92 cases, 12 cases have been referred to concerned regulators as well as Director (Discipline) of ICAI for further action, and in 59 cases, Board decided to issue advisory to the auditor of the enterprise.

Cases considered and finalised by the Board	Cases referred to Director (Discipline) of ICAI for further action where serious non-compliances observed	Cases referred to Regulators (MCA, SEBI, RBI) for serious non-compliances observed on companies (out of the cases in (B))	Issued advisories to the auditors
(A)	(B)	(C)	(D)
92	12	11	59

(III) Publicaion

Study on Compliances of Financial Reporting Requirements (Ind AS Framework) – Volume III

(IV) Tech Initiatives

FRRB has undertaken the following tech-driven initiatives to enhance its internal operational efficiency:

- **Introducing Master Document System**

A Master Document System is being introduced on FRRB Portal to centralize all information pertaining to each case in a single document, which further allows the portal to auto-generate various outputs reports tailored for different stakeholders, eliminating duplication and ensuring consistency across all communications.

- **Repository of Cases**

A repository has been created on the FRRB portal containing all cases reviewed by the Board since its inception, with an advanced search tool for quick and efficient information retrieval.

- **Document Management System**

FRRB has initiated the implementation of the Document Management System (DMS) to facilitate digitized access of its physical records.

(V) X Handle-FRRB

In order to spread awareness among the members regarding the non-compliances observed by FRRB and to give regular updates on the same, 'Did you know?' series is going on at FRRB's X account with 4,524 followers as on date. During the period, 76 tweets have been posted on the errors observed on the compliance related to Accounting Standards (Ind AS and IGAAP), Standards on Auditing (SA) and Schedule III to the Companies Act 2013.

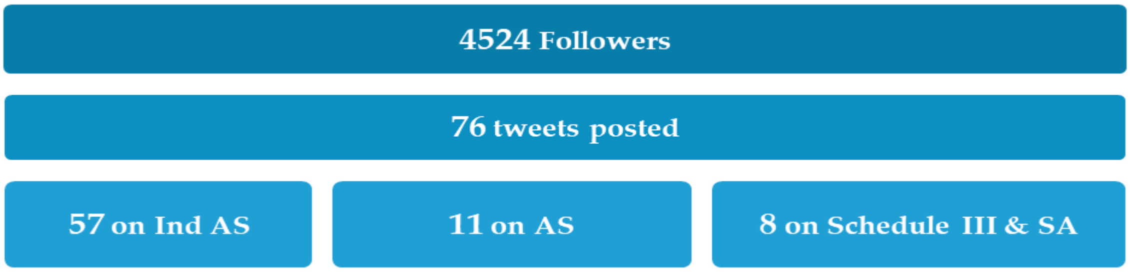

(VI) Initiatives for the Members

Given the closure of financial year and finalization of financial statements in the month of April & May, FRRB undertook the initiative aimed at providing insights to the preparers and auditors of the financial statements with regard to common non-compliances observed by the Board during review of various financial statements, which would help them to improvise/enhance the quality of financial reporting. To achieve this:

- FRRB organised Webinar Series on 'Commonly found Non-Compliances of Ind AS and Companies Act, 2013' in the month of April 2024. With over 1700 participants, the program was a resounding success. FRRB organised Webinars on 'Commonly found Non-Compliances observed in Financial Statements and Auditor's Report', in the month of April and May 2025, facilitating pan-India participation. The webinar received an overwhelming response, with 3,000 participants (approx.) in each webinar.
- In addition to the webinar, 2 Awareness Programs on Financial Reporting Practices have been organized at Bhopal and Udupi in the month of August and November 2024 respectively and 16 Awareness Programs on Financial Reporting Practices- Shaping the future of Adiut Excellence have been organised in April- May 2025 across various regions/cities i.e. Hyderabad, Mumbai, Nagpur, Kolkata, Bhubaneswar, Vadodara, Ahmedabad, Rajkot, Ernakulam, Thrissur, Kozhikode, Nashik, Rourkela, Navsari, Thiruvananthapuram and Thane. These programs witnessed robust participation with 2575 attendance in aggregate.

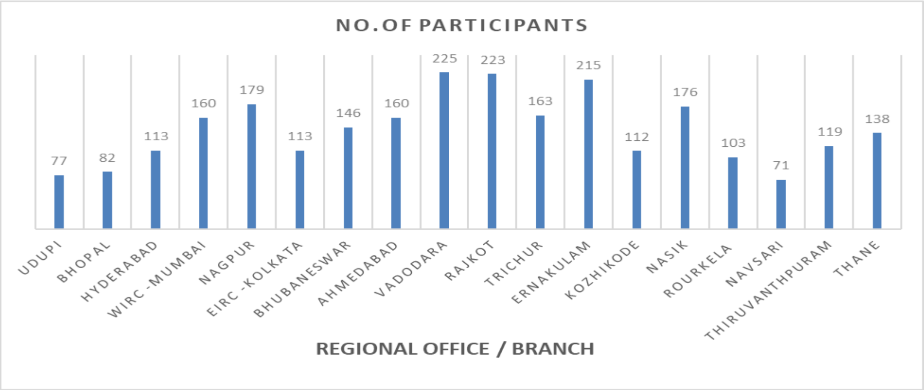

6.5 Internal Audit Standards Board (IASB)

The Board of Internal Audit and Management Accounting (BIAMA) of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) is entrusted with the mandate of fostering excellence and advancing the disciplines of internal audit and management accounting. The Board plays a strategic role in formulating standards, issuing technical guidance, and facilitating capacity building through knowledge dissemination, training initiatives, and research-driven activities. The Board seeks to enhance the professional competencies of members while promoting sound governance, effective risk management, and informed decision-making within organizations. Through its initiatives, the Board contributes significantly to strengthening financial discipline, accountability, and value creation across sectors. Further, the Board of Internal Audit and Management Accounting was renamed as "Internal Audit Standards Board" in March 2025.

(I) Certificate Course on Concurrent Audit of Banks

The Board of Internal Audit and Management Accounting of the ICAI is conducting Certificate Course on Concurrent Audit of Banks‖ to enable members to supplement the effort of the banks in carrying out internal check of the transactions and other verifications and compliance with the procedures laid down, improve the effectiveness of concurrent audit system in banks, improve quality and coverage of concurrent audit reports and understand the intricacies of concurrent audit of banks. The Board had organised 15 batches of Certificate Course on Concurrent Audit of Banks in Physical and 4 batches in Virtual mode during the period and around 1007 participants have successfully completed the course.

(II) Certificate Course on Internal Audit

Certificate Course on Internal Audit has been completely revamped by Board of Internal Audit and Management Accounting, ICAI with new topics and heavy dose of information technology, being launched in a contemporary format to serve the needs of all stakeholders. The Certificate Course on Internal Audit has been designed to help the members to enhance the expertise of the Chartered Accountant in Internal Audit, Build Governance, Risk and Compliance as one of their core competencies and help certified members to distinguish themselves from others conducting internal audits. The Board had organised 1 batches of Certificate Course on Internal Audit in Physical and 2 batches in Virtual mode during the period and around 139 participants have successfully completed the course.

(III) Post Qualification Course - Diploma on Management and Business Finance (DMBF)

The Board is running Post Qualification Course - Diploma on Management and Business Finance (DMBF) to enable the members to gain acumen, expertise and in-depth knowledge in the areas of Management and Business Finance. The Board has conducted 5th batch of the said Course in online mode and as of now, 73 members have successfully completed the Course.

(IV) Programmes, Seminars, Conferences and Webinars on Awareness on Internal Audit

With a view to provide platform of dissemination of knowledge among members, the Board has organized 41 webinars on Internal Audit on various topics in virtual mode during the period. Various Following programs have been conducted by the Board in physical mode during the period:

(V) Publications Issued

Technical Guide on Risk Based Internal Audit of Non- Banking Financial Company

6.6 Peer Review Board (PRB)

(I) ACTIVITIES/ INITIATIVES:

The Peer Review mechanism was introduced by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) with the setting up of the Peer Review Board in March 2002. The Board is progressing satisfactorily since inception and is continuously providing guidance to the members to enhance the efficiency of assurance services rendered by them. The main objective of Peer Review is to ensure that in carrying out the assurance service assignment, the members of the Institute (a) comply with Technical, Professional and Ethical Standards as applicable including other regulatory requirements thereto and (b) have in place proper systems including documentation thereof, to amply demonstrate the quality of the assurance services. The Peer Review is conducted of a Practice Unit by an independent evaluator known as a Peer Reviewer.

- **Recognition of Peer Review by Regulators:**

The Peer Reviewed firms are given recognition even by the regulators as stated below: -

- SEBI, with effect from April 1, 2010, has made it mandatory for the listed entities, that limited review/statutory audit reports submitted to the concerned stock exchanges shall be given only by those auditors who have subjected themselves to peer review process and who hold a valid certificate issued

by the 'Peer Review Board' of the Institute.

- The Comptroller and Auditor General of India (C & AG) has revised the Policy of Empanelment of CA Firms/LLPs and appointment of auditors of Companies under Section 139(5) and 139(7) of the Companies Act 2013 and of Statutory Corporations/Autonomous Bodies as per the provisions of their respective Acts. A maximum of 25 points allotted to firms which hold a Peer Review Certificate on the date of making an application for empanelment.

- **Peer Review of Practice Units:**

The Peer Review Board has considered and issued 4261 Peer Review Certificates to the Practice Units during the period 01.04.2024-31.05.2025. As on 31.05.2025, a total of 6859 Practice Units held valid Peer Review Certificate.

Also, the Peer Review Board has considered 1486 cases of AQMM Review till now having following details:

AQMM Level of Practice Units	No. of Practice Units
Level 1	17
Level 2	138
Level 3	699
Level 4	632
Total	**1486**

(II) Peer Review Mandate-Roll Out Implementation

- **Applicability of Phase II of the Peer Review Mandate**

The second phase of the mandate was earlier applicable w.e.f April 1, 2023 for the Practice Units which propose to undertake Statutory Audit of unlisted public companies having paid-up capital of not less than rupees 500 crores or having annual turnover of not less than rupees 1000 crores or having, in aggregate, outstanding loans, debentures and deposits of not less than rupees 500 crores as on the 31st March of immediately preceding financial year OR Practice units rendering attestation services and having 5 or more partners. The Council initially decided to defer the applicability of the second phase of the mandate by three months to be made effective from July 1, 2023. This was later extended upto 31st March 2024. Then, grace period was allowed for another 3 months. Phase II of the mandate was made applicable from July 1, 2024.

- **Deferment of Phase III of the Peer Review Mandate**

The third phase of the mandate was earlier applicable w.e.f April 1, 2024 for the Practice Units which have raised funds from public or banks or financial institutions of over Fifty Crores rupees during the period under review or of any body corporate including trusts which are covered under public interest entities OR Practice units rendering attestation services and having 4 or more partners. The Council initially decided to defer the applicability of the third phase of the mandate by nine months to be made effective from January 1, 2025. This was further extended by six months to be made applicable from July 1, 2025.

- **Deferment of Phase IV of the Peer Review Mandate**

The third phase of the mandate was earlier applicable w.e.f April 1, 2025 for the Practice Units which propose to undertake audits of branches of Public Sector Banks OR Practice units rendering attestation services and having 3 or more partners.The Council initially decided to defer the applicability of the fourth phase of the mandate by nine months to be made effective from January 1, 2026.

- **Clarifications/FAQs on the issues arising out of the Peer Review Mandate**

Peer Review Board has issued clarifications/FAQs on the various issues arising out of the Peer Review Mandate. These clarifications/FAQs are hosted at http://resource.cdn.icai.org/83571prb67450.pdf.

(III) Training & Empanelment of Peer Reviewers:

- **Training Programme for Peer Reviewers:**

The Board conducts training programmes for members to empanel them as Peer Reviewers with the Board. The training sessions guide them about the methodology of conducting Peer Reviews. During the period from April 1, 2024 till May 31, 2025, the Board has organized 101 Peer Review training programmes through physical mode at various Branches/ Regional Councils across the country and 2 virtual interactive meets with the

existing Peer Reviewers.

- **Online Tests for empanelment of Peer Reviewers:**

Online tests for empanelment of Peer Reviewers are being conducted every alternate week for the members who have attended the training and are eligible to become Peer Reviewers. Final Assessment Tests are organized every alternate Fridays. In addition to this, Mock Tests are organized for every Final Tests on each preceding Fridays. These tests are being organised twice every Friday- one in the morning and the other in the afternoon. Accordingly, 58 Final and 54 mock tests are organised in the duration of 01.04.2024-31.05.2025. A total of 1556 members have become Peer Reviewers from 01.04.2024-31.05.2025 constituting total 4404 members empanelled as Peer Reviewer with Peer Review Board till 31st May 2025.

Region wise break-up of Number of Trained Peer Reviewers with the Peer Review Board

Region	No. of Reviewers
WIRC	845
SIRC	636
EIRC	414
CIRC	1441
NIRC	1068
Total	**4404**

(IV) Peer Review Portal:

The Peer Review Board is developing a dedicated web portal to streamline and enhance its peer review process. This innovative platform will centralize all review activities, from submission of application to decision-making. By leveraging advanced technology, we aim to improve efficiency, transparency and effectiveness of peer review process.

(V) Other Initiatives:

The Board has been making continuous efforts to make the Peer Review mechanism more effective. The level of awareness created during the last 23 years has indeed brought about an overall improvement in the quality of assurance services rendered by the members. A comprehensive all-encompassing approach has been followed to create an enabling eco-system including by:

- Developing sufficient and competent resources for review;
- Improvising the quality of peer reviews; and
- Initiating steps to make increased use of technology in the peer review process so as to effectively overcome capacity constraints.

6.7 Taxation Audits Quality Review Board (TAQRB)

ACTIVITIES/ INITIATIVES:

The Taxation Audits Quality Review Board was constituted by the Institute in the year 2018 in order to improve the reporting of compliances under various taxation laws (both Direct as well as Indirect). It is envisaged that the reviews carried out by the Board, will ensure that the members will exercise greater diligence while certifying the various reports prescribed under direct and indirect taxation and in the long-run would improve the overall reporting and certification done by them.

(I) Status of Review of Tax Audit Reports selected:

Since inception, the Board reviewed various Tax Audit reports and based on the review:

- Advisories are being issued to members to ensure that such mistakes are not committed again.
- Suggestions have been identified to be conveyed to CBDT for changes in the Tax Audit Report e-filing utility.
- Suggestions have been identified which was incorporated in the latest edition of Guidance Note on Tax Audit.
- Commonly found irregularities/ non- compliances committed while furnishing Tax Audit Reports have been identified for the purpose of creating awareness amongst the members.

Status of Review of Tax Audit Reports selected during the Council Years 2024-25 and 2025-26- The Board during the Council Year 2024-25 selected 123 companies (pertaining to AY 2023-24) for review of their Tax Audit reports on suo motto basis. The Board during the Council Year 2025-26 selected 1000 companies for review of their Tax Audit reports Pertaining to AY 2024-25. The process of downloading of the annual reports has been commenced and letters are being issued to Statutory auditors requesting for sharing the details of the tax auditors.

Initiatives for the Members

(II) Seminars/Webinars/Orientation programme

- The Board organised 'Discussion on Union Budget 2024-25' along with Direct Taxes Committee of ICAI and hosted by NIRC on 24th July 2024 at New Delhi. The Programme was graced by Chairman, CBDT as Chief Guest, Joint Secretary (TPL)-I, CBDT, Joint Secretary (TPL)-II, CBDT and Tax Expert.
- The Board conducted three webinars from the series- Tax Audit Practice Session to aware the members on the compliances to be followed while conducting Tax Audits.
- The orientation program for Technical Reviewers was held on 18th July 2024 at New Delhi in a hybrid mode. Technical Reviewers from NIRC and CIRC attended physically or virtually, while others joined online. The program covered the role of Technical Reviewers, reporting on the TAQRB web portal, and the tax audit review checklist, explained by TAQRB leadership and officials. Many queries raised by Technical Reviewers were addressed.

(III) Regular update on Official X (Twitter) Handle of the Board-

The official Twitter account of the Board i.e., @Taqrbicai is being regularly updated with its 'Tax Audit Tips' series to aware the members about the compliances to be taken care of while conducting and filing the Tax Audit Report.

(IV) TAQRB Web Portal: Driving Automation & Efficiency-

To enhance operational efficiency and streamline processes, the Board has developed a web portal (***taqrb.icai.org)***. This portal serves as a centralized repository for TAQRB reports, minutes, and case follow-ups, ensuring seamless documentation and accessibility. Moreover, the system automates key workflows across various levels (TR, TAQRG, and TAQRB), including case allocation, report submissions, and real-time tracking of progress. By integrating automation, the portal enhances transparency, improves coordination, and accelerates decision-making, reinforcing TAQRB's commitment to efficiency and digital transformation. The steps taken above are expected to improvise the quality of tax audit conducted by the members.

6.8 Direct Taxes Committee (DTC)

The Direct Taxes Committee (DTC) of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) is a key committee dedicated to matters related to direct taxation. It actively engages with the Government, the Central Board of Direct Taxes (CBDT), and other relevant forums by making representations on legislative amendments and pressing issues concerning direct taxes. A primary focus of the Committee is to enhance the knowledge and skills of ICAI members in direct taxation through the publication of new materials, updates to existing resources, and the organization of seminars, webinars, and conferences.

(I) Inputs/Memoranda submitted and interactions with the Central Board of Direct Taxes (CBDT)/Government departments etc.

- **ICAI's inputs on the Income-tax Bill, 2025**
    - Presentation of Preliminary Suggestions on Comprehensive Review of the Income-tax Act, 1961 by the ICAI leadership at the stakeholder's consultation under the chairmanship of the Revenue Secretary, Ministry of Finance on 18th September, 2024 before the Committee set up at the level of CBDT
    - Submission of ICAI's inputs on Comprehensive Review of the Income-tax Act, 1961 on 24th December, 2024
    - Presentation of Preliminary Suggestions on the Income-tax Bill, 2025 by the ICAI leadership before the Select Committee for examining the Income-tax Bill, 2025 on 6th March, 2025.
    - Submission of Memorandum of Suggestions on Income-tax Bill, 2025 on 21st April, 2025.

- **Preparation and Submission of Pre and Post Budget Memorandum**
  - **Pre-budget Memorandum 2024** - Presentation of Pre-budget Suggestions by Chairman, Direct Taxes Committee and Central Council Members before the Chairman, CBDT on 24th April, 2024 and 27th June, 2024 and submission of Pre-budget Memorandum -2024 on 24th April, 2024 and addendum thereto on 10th May, 2024
  - **Pre-budget Memorandum 2025** - Presentation of Pre-budget Suggestions by Chairman, Direct Taxes Committee on 11th November, 2024 before Chairman, CBDT and submission on Pre-Budget Memorandum – 2025 on 24th December, 2024
  - **Post-Budget Memorandum 2024** submitted on 6th August, 2024
  - **Post-Budget Memorandum 2025** submitted on 13th March, 2025
- **Submission of inputs for Project Integrated E-filing and CPC (IEC) 3.0 and CPC (TDS) 2.0**
  - Submission of Inputs on Project Integrated E-filing and CPC (IEC) 3.0 to the Income-tax Department on 13th December, 2024.
  - Submission of Inputs on CPC (TDS) 2.0 to Income-tax Department on 23rd December, 2024.
- **ICAI's representative on the Consultative Group on Tax Policy constituted at NITI Aayog**

A Consultative Group on Tax Policy has been constituted at NITI Aayog in order to support the goal of improving tax policies, tax administration and tax compliance while simplifying processes and reducing litigation. Chairman, Direct Taxes Committee was nominated as the ICAI's representative on the Consultative Group. Three meetings were held and suggestions on mitigating litigation and reducing compliance burden were prepared and submitted to the Consultative Group on Tax Policy constituted at NITI Aayog.

- **Submission of responses on taxation topic to Joint Working Group constituted by the Department of Revenue to steer mandate under Taxation topic for World Bank's B-Ready Project**

For outreach, 30-minute slots on B-ready were arranged in events conducted by WIRC and SIRC in the regions.

- **Submission of ICAI's inputs on Cyprus Income-tax Law**

ICAI had received a request from High Commission of India, Nicosia (Cyprus), seeking inputs on the ongoing comprehensive tax reform process in Cyprus through revision of the Income-tax Act, 2002, especially relating to the provisions concerning individual and corporate taxation, and the changes that would be beneficial to our stakeholders, members, and their businesses. The Committee submitted ICAI Inputs on the Cyprus Tax Reform through revision of Income Tax Act 2022 on 29th August, 2024.

(II) Representations to CBDT to address concerns relating to tax matters

The Committee had made following representations to CBDT for-

- Extending the last date for linking of PAN with Aadhar to 31.7.2024
- Allowing rebate u/s 87A in respect of income-tax on short-term capital gains chargeable u/s 111A and Long-term capital gains chargeable u/s 112
- Addressing the concerns of eligible assessees, who have filed the original return of income under the old tax regime, in filing revised return after the due date u/s 139(1) under the old tax regime
- Addressing concerns in relation to –
  - the variance in Form No. 10B/10BB and ITR 7 on account of non-updation of Form No.10B/10BB in line with the amendment by the Finance Act, 2023
  - restriction of applicability of clarification given in Circular No. 17/2023 dated 9th October 2023 to only A.Y.2023-24
- Resolving the genuine hardship faced while furnishing Tax Audit Report for Assessment Year 2024-2025
- Extending the time limit for updation of UDIN by Chartered Accountants after submission of Audit Report under section 44AB in the e-filing portal upto the due date of filing of return of income i.e., 31st October, 2024/30th November, 2024, as the case may be
- Extending the applicability of Safe Harbour Rules to A.Y. 2024-25 and A.Y.2025-26
- Tax exemption/relief on withdrawal from National Savings Scheme (NSS) in light of notifications issued by Ministry of Finance on discontinuation of interest after 1st October 2024
- Addressing the concern on account of receiving intimation under section 139(9) for defective return on account of non-reflection of income appearing in Form 26AS in the return of income filed
- Resolving the genuine hardship faced by taxpayers and professionals on account of the technical glitches in return filing on the Income-tax e-filing Portal

- Addressing the concerns on account of intimation(s) being sent under section 139(9) for defective return in certain cases
- Request to address the concerns of taxpayers while filling Schedule 5A - Information regarding apportionment of income between spouses governed by Portuguese Civil Code in the Income-tax Return
- One-time relaxation for taxpayers who have omitted to disclose the required information related to foreign income or assets in the income-tax return
- Expansion of PAN 2.0 Project to Serve as a Unified All-Inclusive Identity Card
- Extending the due date from 31st March 2025 to 30th June 2025 for submitting correction statements for TDS returns pertaining to periods before 31st March 2019
- Excess tax deducted and deposited by the deductor also to be reflected in Form 26AS of deductee to give credit due
- Resolving issues faced by taxpayers while filing online rectification application and concerns on account of delay in giving effect to rectification orders issued by Jurisdictional Assessing Officers and delay in processing returns filed in pursuance of an order under section 119(2)(b)

(III) Publications released

- Implementation Guide on Revision in Form No.3CD and Form No.3CEB in March, 2024
- Guidance Note on reports of audits under section 12A/10(23C) of the Income-tax Act, 1961
- Foreign Tax Credit Mechanism & Interplay with Domestic Tax Laws.
- Controversies in Taxation of Royalty & Fees for Technical Services- A Study
- Background Material for Diploma in International Taxation (Ninth edition)
- Background Material for Certificate Course on UAE Corporate Tax (Second edition)

(IV) Conferences/Seminars/Workshops/VCM/Webinars/Refresher Course

The Direct Taxes Committee organized 78 Seminars/Conferences and 32 VCMs/Webcasts on topics related to Direct Taxes i.e. Overview of the Income-tax Bill, Recent Judicial Pronouncements of Honourable Supreme Court and High Court 2025, Taxation of Trusts / NGOs including recent amendments, Deep Dive into Union Budget 2025-26, the futures of Transfer pricing: Impact of Global & Domestic tax reforms, Tax Implications of Employee Stock Option Plans, Concept of Residency and POEM, Tax Audit Compliance Requirements - A Panoramic View, Introduction and Intricacies of Foreign Tax Credit, Interesting issues in Capital Gains etc. during the period.

(V) Post Qualification Diploma in International Taxation/Certificate Course on UAE Corporate Tax

The Committee has conducted following batches of Diploma Course in International Taxation:

Diploma in International Taxation through Online Mode

Batch No.	Batch Place	Date of commencement of the batch	No. of Participants	Status
11th	Online	1.4.2025	199	Completed
12th	Online	20.01.2025	227	Completed

Diploma in International Taxation - Physical Mode

Batch No.	Batch Place	Date of commencement of the batch	No. of Participants	Status
32nd	Gurugram	07.09.2024	62	Completed
33rd	Mumbai	21.09.2024	67	Completed

Certificate Course on UAE Corporate Tax – Physical Mode in India

Batch No.	Batch Place	Date of commencement of the batch	No. of Participants	Status
1st	Bengaluru	14.12.2024	44	Completed
2nd	Chennai	07.02.2025	59	Completed

Certificate Course on UAE Corporate Tax – Online Mode

Batch No.	Batch Place	Date of commencement of the batch	No. of Participants	Status
4th	Online	3.7.2024	200	Completed
5th	Online	19.11.2024	194	Completed

(VI) Other Initiatives

- Organising Public Outreach Programs on the Income-tax Bill, 2025 – As partner to the Government in nation building, the DTC has organised 30 Public Outreach Programs on the Income-tax Bill, 2025 till date. More programs are being organised in the forthcoming months.
- Organised programs on Union Budget including mega programs in Delhi and Mumbai, Budget Viewing Workshops and webinars on Union Budget.

6.9 Sustainability Reporting Standards Board (SRSB)

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) has a strong tradition of service to the country towards sustainable as well as economic development. ICAI strives to bring sustainability reporting and thinking within mainstream business practices both in the public and private sectors. ICAI through SRSB is taking proactive steps to not only identify and develop opportunities for Chartered Accountants in Sustainability domain but also to enhance knowledge, upskill and train members by conducting workshops, seminars, and certificate course, publish technical literature on various important topics within the sustainability domain. Further, in its endeavor to promote sustainability ecosystem in the country which would lead to greener low-carbon economy, the Institute is working on two crucial aspects. Firstly, to promote compliance with existing sustainability related disclosure requirements. Secondly, to strengthen assurance framework to build a solid bridge between sustainability related risks and corporate reporting.

(I) Important Events

ICAI Sustainability Reporting Awards 2023-24

The ICAI Sustainability Reporting Awards 2023-24, held on February 1, 2025, at Yashobhoomi, New Delhi, recognized excellence in Business Responsibility and Sustainability Reporting across Large-Cap, Mid-Cap, Small-Cap, and Voluntary Disclosure categories, segmented by Manufacturing and Service sectors. The awards highlighted ICAI's dedication to transparency and sustainability aligned with the UN SDGs. The nomination process began on October 15, 2024, receiving 152 submissions, with 151 eligible entries reviewed by a Shield Panel Committee on January 11, 2025. The top 28 nominations were then evaluated by a distinguished Jury at a meet held on January 17, 2025, in Mumbai.

The Jury finalized the awardees under various categories of awards for ICAI Sustainability Reporting Awards 23-24 as mentioned below:

- Large Cap

    Manufacturing Sector- Marico Limited

    Service Sector- Persistent Systems Limited; GAIL (India) Limited

- Mid Cap

    Manufacturing Sector- Amara Raja Energy & Mobility Limited

Service Sector- Aavas Financiers Limited

- Small Cap

  Manufacturing Sector- Rallis India Limited

  Service Sector- Sasken Technologies Limited

- Voluntary Disclosures

  Manufacturing Sector- Concord Biotech Limited

  Service Sector- Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

(II) Programs organized during the year

- **National Conference of CAs on Sustainability and Ethics in Accounting: Building a Better Tomorrow** was held on August 22-23, 2024, at IMS College, Ghaziabad. The event featured eminent speakers covering topics such as sustainable capital markets, tax evasion, ESG reporting, GST for green growth, automation in financial and sustainability data, breaking growth barriers, and work-life balance. The program was attended by 231 members.

- **Seminars/Webinars**

The Board conducted 10 Seminars on "Sustainability Reporting and Social Stock Exchange, The Most Happening Theme Around the World" -Comprehensive Program Focused on Understanding ESG Principles and BRSR, "Social Audit - Building Trust and Driving Impact: The Role of Social Audits in Sustainable Development", "ESG – The Most Happening Theme Around the World a Comprehensive ESG & BRSR Program" etc. The Board also conducted various webinars.

- **Inputs provided to the Regulators and others on sustainability related matters:**

  - Inputs regarding the Unified Framework for Social Impact Assessment Standards were submitted to the Subgroup of SSEAC (Social Stock Exchange Advisory Committee). 4 meetings were conducted with the Subgroup of SSEAC on 16th March, 3rd April, 10th April, and 16th April, 2024, These meetings aimed to discuss the changes and reviews made on behalf of ICAI.

  - A Study Group was formed to bring out a Guidance Document for Assurers on BRSR Sustainability Information for the year 2023-24. 2 Group meetings were held on 17th and 18th April, 2024. The meeting on 18 April, 2024 was attended by both assurers and prepares of BRSR reports.

  - Provided Inputs on Proposed International Standard on Sustainability Assurance (ISSA)-5000, General Requirements for Sustainability Assurance Engagements for meeting of International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) of IFAC held on 18-21 June, 2024 in Madrid, Spain.

  - Submitted inputs on the SEBI Consultation Paper on the Recommendations of the Expert Committee for Facilitating Ease of Doing Business with respect to Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR).

  - Provided inputs to the Ministry of Corporate Affairs on IFRS S2 related to the Climate Related Financial Disclosure.

  - Provided inputs to the Ministry of Corporate Affairs on IFRS S2 related to the Climate Related Financial Disclosure.

  - Submitted the inputs on the SEBI Consultation Paper on the Recommendations of the Expert Committee for Facilitating Ease of Doing Business with respect to Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR).

  - Submitted the inputs on the SEBI Consultation Paper on Expanding the Scope of Sustainable Finance Framework. The inputs were compiled in response to the above paper issued by SEBI. The comments were finalized in the 33rd Board Meeting and online comments were submitted to SEBI on 6th September, 2024.

  - A Roundtable Meet with stakeholders was done to get their views on the aspects such as Value Chain, Green Credits, and the substitutions of the term Assurance as mentioned in consultation Paper on the Recommendations of the Expert Committee for Facilitating Ease of Doing Business concerning the Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR). The inputs were compiled in response to the above paper issued by SEBI. The comments were finalized in the 31st Board Meeting and online comments were submitted to SEBI on June 12, 2024.

(III)ICAI#75 Green Mahotsav launched on 75th Anniversary of ICAI

Marking its 75th anniversary, ICAI, through SRSB and PRC, launched a major environmental initiative to plant 100,000 trees as part of the India Van Mahotsav and the PM's 'Ek Ped Ma Ke Naam' campaign. This effort underscores the commitment to environmental conservation and individual responsibility. So far, 22 Branches have planted 8,104 trees, and 557 members have planted 2,648 trees across India. 557 Certificates of appreciation have been issued to participating members.

(IV) Physical Certificate Course on Sustainability and BRSR

- The first batch was held in Ernakulam (December 08, 14, 15, 21, and 22, 2024), while the second batch was held in Bengaluru (December 13, 14, 20, 21, and 27, 2024).

(V) Online Certificate Course on Sustainability and BRSR

- The Board has successfully completed the 26 batches and 27th batch is ongoing of online Certificate Course of Sustainability and BRSR and around 2394 participants have enrolled for this course till date. Online Certificate Course conducted from 1st of April,2024 to 31st of May,2025:

S. No.	Batch	Date	No. of Participants Enrolled
1.	23rd Batch	May 18 to June 16, 2024	185
2.	24th Batch	Aug 17 to Sep 15, 2024	161
3.	25th Batch	Nov 09 to Dec 08, 2024	202
4.	26th Batch	April 05 to April 27, 2025	210
5	27th Batch	May 10 to June 01, 2025	71

(VI) Publications

- Compilation of SEBI Regulations and other relevant Information
- Background Material on Sustainability and Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR)- Revised Edition 2024

6.10 Insolvency & Valuation Standards Board

The Insolvency & Valuation Standards Board (I&VSB) of ICAI has been constituted in the year 2024-2025 to act as an instrument for the empowerment of the profession and aims to facilitate a fair corporate regime with the best global practices in the sphere of Insolvency and Valuation. Also, the Board has been formed to focus on advancement of activities for formulation, implementation and recognition of ICAI Valuation Standards 2018. The Insolvency & Valuation Standard Board (I&VSB) plays a crucial role in maintaining financial stability by establishing and promoting transparent and consistent standards in the fields of insolvency and valuation.

Significant Achievements and Initiatives

(I) Submission of suggestions to Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) on various Discussion Papers as brought out by IBBI/MCA-

The Insolvency & Valuation Standards Board has conducted Roundtable Discussions jointly with The Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI (IIIPI) of ICAI to discuss the proposed amendments. The Suggestions on the following Discussion Papers were prepared, compiled and submitted to IBBI:

- Discussion Paper on Monitoring Committee under CIRP
- Discussion paper on Reducing Compliance by Review of CIRP Forms submitted by Insolvency Professionals (IPs) to IBBI
- Discussion Paper on Mediation by the operational creditors (OCs) before approaching Adjudicating Authority (AA) for filing Section 9 application
- Discussion Paper on Review of Grievance Redressal and Enforcement Framework and Rationalisation of Timelines Regarding Authorisation for Assignment
- Discussion Paper on amendments to Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 and Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017

- Discussion Paper on Issues Related to Real Estate
- Discussion Paper on Format for progress report during Liquidation Process
- Discussion paper on amendments to Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Process) Regulations, 2016
- Discussion Paper on MSME Registration and Disclosure Framework under CIRP
- Discussion paper on "Strengthening the process of issuance of record of default by Information Utility

(II) Publications released by Insolvency & Valuation Standards Board, ICAI

- **White Paper on International Convention on Insolvency Resolution and Valuation – RESOLVE-2024-** The Insolvency & Valuation Standards Board (I&VSB) of ICAI, in collaboration with IBBI, hosted the International Convention on Insolvency Resolution and Valuation—RESOLVE 2024—on July 12-13, 2024, in New Delhi. The event gathered global experts to discuss challenges and promote alignment of Indian insolvency practices with international standards. Featuring nine technical sessions and seven panel discussions, the convention focused on enhancing the insolvency framework. A White Paper summarizing key insights, issues, and recommendations was prepared to guide improvements in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.
- **Issues and Recommendations arising out of the discussions at International Convention on Insolvency Resolution and Valuation - RESOLVE 2024-** On the basis of the detailed discussions at the Convention, the Board published a document specifically focusing on the Issues and Recommendations arising from the deliberations during RESOLVE-2024. This document will help the Regulators, Policy Makers, Judiciary and other stakeholders in taking further actions and in plugging the gaps and providing solutions. Further, it will provide valuable insights to all the stakeholders including Insolvency Professionals and Registered Valuers and serve as important resource for Insolvency Professionals and Valuers, guiding them towards improved practices in insolvency resolution and valuation.
- **Judicial Pronouncements under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Series-5-** This publication is a part of an ongoing series aimed at enhancing awareness and understanding of the evolving judicial interpretations of the IBC framework. This highlights summary of landmark rulings by the Supreme Court, High Court, NCLAT, and NCLT, which have clarified provisions, resolved ambiguities, and strengthened the legal framework for insolvency resolution. Through this series, the I & VSB equips stakeholders with practical insights into procedural intricacies, fostering greater expertise and efficiency in insolvency resolution practices.
- **A Study on the Efficacy of IBC, 2016 in meeting deadlines and maximizing value during the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP)-** This research study provides an analysis of delays in the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP), their impact on asset realization values, and the prevalence of defunct companies under CIRP. By examining these factors and offering actionable recommendations, the study aims to provide as a guide towards enhancing the efficiency and efficacy of insolvency proceedings, fostering a more robust resolution framework in India.
- **Educational Material on ICAI Valuation Standard 302- Intangible Assets-** This Educational Material aims to provide clarity and guidance on the complex process of valuing intangible assets, which often form a significant part of a company's value. This publication offers practical insights, case studies, and detailed guidance on valuation practices in accordance with ICAI Valuation Standards 2018. It supports consistent and uniform practices across India and contributes to enhancing the efficiency and expertise of valuers, ultimately fostering transparency and stability in financial markets.
- **Summary of Amendments in Regulations under The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Revised February 2025 Edition)-** This publication aims to provide a concise overview of key regulatory updates to the IBC framework introduced in 2023 and 2024. These amendments, addressing various aspects such as insolvency professionals, information utilities, corporate insolvency, liquidation, and inspection processes, are designed to enhance the Code's efficiency and implementation. Notable changes include allowing the committee of creditors to approve audits during resolution processes, mandating separate bank accounts for real estate projects, revising fees for creditor representatives, and ensuring timely committee meetings.
- **Unicorns, Soonicorns, and the Myth of Valuation - A Critical Examination of Startup Growth and Sustainability - Series 1-** This booklet delves into the dynamic world of startups, exploring their valuation paradigms from ideation to unicorn status. With India emerging as a global hub for innovation, this booklet examines the factors influencing startup valuations, including the challenges posed by untested products, uncertain growth projections, and intangible assets. The booklet features real world examples from prominent

companies like Swiggy, Flipkart, and Ola, illustrating their distinct valuation journeys and strategic decisions that have defined their paths to success.

- **Frequently Asked Questions on The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Revised February 2025 Edition)-** This publication is brought by I & VSB of ICAI in collaboration with Insolvency and Bankruptcy Board of India. The publication has been designed in a question-and-answer format which comprehensively covers questions to assist our members and other stakeholders to have conceptual clarity on the various aspects of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. Further appropriate case laws have been included so as to help in understanding the provisions under the Code clearly and also know about the practical aspects.
- **Handbook on Do's and Don'ts for IPs under The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Revised February 2025 Edition)-** This handbook guides Insolvency Professionals (IPs) on their roles, responsibilities, and regulatory compliance under the IBC and IBBI Code of Conduct. It helps IPs understand and fulfill their duties with due diligence, reflecting recent amendments and judicial rulings on best practices and restrictions to ensure effective and compliant insolvency resolution.
- **Handbook on Claims under The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Revised February 2025 Edition-** This revised publication offers detailed guidance on the submission, admission, verification, and management of claims under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), covering processes like CIRP and liquidation. It includes provisions, timelines, forms, FAQs, and case laws to help insolvency professionals handle claims efficiently and compliantly. The update reflects recent amendments and judicial rulings on claim inclusions and acceptance deadlines.
- **Handbook on Resolution Plan under The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Revised February 2025 Edition)-** This revised Handbook guides professionals on the complex aspects of Resolution Plans under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC). It details the submission and approval processes, mandatory contents, and the invitation of expressions of interest from resolution applicants. The updated edition incorporates recent amendments and judicial rulings, providing Insolvency Professionals with essential insights for efficient insolvency resolution in India.
- **Question Bank on IBBI Limited Insolvency Examination (Revised February 2025 Edition)-**The Question Bank aims to assist professionals in preparing for the Limited Insolvency Examination conducted by the IBBI. This examination is a key requirement for becoming an Insolvency Professional, a vital role in the insolvency and bankruptcy resolution process under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. This revised edition incorporates amendments and updates since its last edition, ensuring alignment with the latest regulatory changes. This publication serves as a practical and handy resource to support aspiring insolvency professionals in understanding the Code and excelling in their professional journey. Due to various amendments and changes, this publication has been revised.
- **Background Material for the Certificate Course on The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016-** The Insolvency & Valuation Standards Board (I&VSB) of ICAI has released Background Material for the Certificate Course on the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016. This resource helps participants understand insolvency laws, resolution processes, and regulations, aiding them in exam preparation. It covers key topics like resolution planning, creditor meetings, and bid evaluation, ensuring Insolvency Professionals maintain transparency and legal compliance. The initiative aims to develop skilled professionals and strengthen trust in the financial system.

(III) Development of ICAI Valuation Standards for other two assets class i.e., "Plant & Machinery" and "Land & Building" in addition to "Securities or Financial Assets"

The Insolvency & Valuation Standards Board is developing Valuation Standards for Land & Building, Plant & Machinery, and Securities & Financial Assets. Drafts have been prepared for Plant, Machinery and Equipment, Real Property Interest, and Development Property, with the formulation process currently underway.

(IV) Second Edition of International Convention on Insolvency Resolution and Valuation "RESOLVE-2024" held on 12th - 13th July 2024 at Bharat Mandapam, New Delhi

The Insolvency & Valuation Standards Board of ICAI organized the second edition of RESOLVE-2024: An International Convention on Insolvency Resolution and Valuation. The event, held on 12th & 13th July at Bharat Mandapam, ITPO, New Delhi, embraced the theme "Enabling Resolution, Maximizing Value." It proved to be a compelling platform for the exchange of global best practices in the fields of insolvency and valuation. The convention was attended by approximately 500 participants, making it a significant milestone in our journey towards promoting excellence and innovation in these fields. The convention featured nine technical sessions and seven panel discussions, covering a wide range of topics focused on maximizing value and enhancing the insolvency framework.

(V) Quarterly e-Newsletter "Valuation Edge"-

The Insolvency & Valuation Standards Board has been bringing quarterly e-Newsletter namely "Valuation Edge" for keeping the members consistently informed and well-versed in the evolving landscape of Valuation and Insolvency laws. The Board has released 5 editions of e-Newsletter for the quarter ending March 2024, June 2024, September 2024, January 2025 and March 2025.

(VI) Monthly Knowledge Corner by Insolvency & Valuation Standards Board

The Insolvency & Valuation Standards Board has been bringing Knowledge Corner on IBC in the form of News Updates and Case Law Updates on a monthly basis covering important case analysis based on the decisions by Supreme Court, High Courts, NCLAT and NCLT on issues under The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. This initiative aims to keep professionals updated with the latest developments and legal interpretations related to the IBC, enhancing their understanding and expertise in this domain. The Board has released 14 editions of Knowledge Corner for the period from 1st April 2024 to 31st May 2025.

(VII) Monthly Quiz on IBC and Valuation

The Insolvency & Valuation Standards Board has introduced a monthly quiz as a part of its strategic initiatives to enhance knowledge of members and to promote active engagement. As an incentive for active involvement, the top three participants are being rewarded with publication of the Board. This initiative does not only promote learning but also encourages members to stay updated and engaged with current developments in the field of insolvency and valuation. The Board has released 14 series of Monthly Quiz for the period from 1st April 2024 to 31st May 2025.

(VIII) Announcements by I&VSB

The Insolvency & Valuation Standards Board issues announcements on I&VSB Page of ICAI website to update stakeholders on the latest amendments, circulars, and notifications released by the IBBI. 40 Announcements have been released during the period.

(IX) Online Certificate Course on The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 in association with IBBI

The Insolvency & Valuation Standards Board conducts Certificate Course on the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 which aims to educate participants on the Code's provisions, associated Rules and Regulations to gain clear understanding of the Insolvency & Bankruptcy Code, 2016, and its practical applications. The Board has organized 11 batches of Online Certificate Course on Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 for the period from 1st April 2024 to 31st May 2025 and has trained more than 950 members during this period.

(X) ICAI-SAFA Webinars organised by Insolvency & Valuation Standards Board, ICAI jointly with Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI (IIIPI)

- 1st ICAI-SAFA webinar on the topic "International Insolvency-Best Practices" held on 20th March 2024 with participation of more than 860 members including 15 members from 15 different countries, reflecting a truly global engagement.
- 2nd ICAI-SAFA Webinar on the topic "Cross Border Insolvency Framework under IBC" held on 24th June 2024 with more than 650 participants.

(XI) Two-day Residential Refresher Courses organised by Insolvency & Valuation Standards Board, ICAI

The Insolvency & Valuation Standards Board organized four two-day Residential Refresher Courses in 2024 at Srinagar, Bhubaneswar, Dehradun, and Andaman & Nicobar Islands. These courses focused on promoting ICAI Valuation Standards 2018, Valuation, and Insolvency & Bankruptcy laws. Participants gained valuable insights and explored opportunities for Chartered Accountants in the fields of valuation and insolvency.

(XII) Training Programmes/ Workshops/ Conferences/ Webinars/ Seminars on Insolvency and Bankruptcy laws, Valuation and ICAI Valuation Standards 2018

The Board had organised the varios National Conference/ International Conference/ Seminar with a view to promote and to create awareness about ICAI Valuation Standards 2018, Valuation and Insolvency and Bankruptcy Laws.

6.11 Committee on International Taxation

The Committee on International Taxation (CITAX) was previously merged with the Direct Taxes Committee in the year 2023-24. However, with the introduction of the Income-tax Bill, 2025, the scope of work in both Direct Taxes and International Taxation would expand significantly. Additionally, with the diploma course on international taxation and certification course on UAE Corporate tax running concurrently in either physical or virtual mode, manifold publications, and a number of seminars, conferences etc. related to direct taxes and international taxation, there is a need for focus on both domains. In view of this, International Taxation Committee has been demerged

from Direct Taxes Committee for the year 2025-26. The Committee on International Taxation plays a vital role in addressing matters related to international tax laws and policies. It examines tax laws, rules, regulations, circulars, and notifications issued by the Government pertaining to international taxation and submits suitable suggestions through detailed memoranda. It represents on OECD/UN papers, promotes research, organizes seminars and study tours, publishes technical material, and coordinates with overseas bodies, aiming to enhance member knowledge in international taxation.

Details of Programmes undertaken by the Committee to promote Courses

As part of its ongoing efforts to enhance the professional knowledge and competencies of ICAI members, the Committee on International Taxation has organized Diploma in International Taxation (DIIT) and the Certificate Course on UAE Corporate Tax.

The details of the courses conducted are as follows:

Course	Batch	Mode	From-To
Certificate Course on UAE Corporate Tax	3rd Batch	Physical (Pune)	12-04-2025 to 17-05-2025
Diploma in International Taxation (DIIT)	34th Batch	Physical (Delhi)	24-05-2025 to 10-08-2025

These programs have received an enthusiastic response from Chartered Accountants across the country, reflecting a strong and growing interest in acquiring specialized knowledge in international taxation and emerging global tax frameworks.

6.12 Corporate Laws and Corporate Governance Committee (CL&CGC)

The Corporate Laws & Corporate Governance Committee (CL&CGC) is to empower the profession and promote a fair corporate regime through global best practices. The Committee actively strengthens the regulatory framework by engaging with the Ministry of Corporate Affairs and providing regular representations and suggestions to enhance stakeholders experience and on matters pertaining to the Companies Act 2013. With a focus on knowledge enhancement, the Committee strives to empower members of the Institute to stay current on corporate laws, enabling them to navigate the evolving landscape of corporate governance effectively.

Significant Achievements and Initiatives

(I) Suggestions on SEBI Consultation Paper
The Securities and Exchange Board of India (SEBI) released a Consultation Paper on 7th February 2025, concerning secretarial compliance reports, appointment of auditors, and related party transactions (RPTs) of listed entities. The Committee reviewed the consultation paper, which proposes amendments to the SEBI (LODR) Regulations, aimed at enhancing transparency based on Advisory Committee on Listing Obligations and Disclosures (ACLOD) recommendations. Accordingly, the Committee submitted its suggestions to SEBI.

(II) Suggestions on the Income-tax Bill, 2025
In response to a request from the MCA, the ICAI submitted its comments on provisions under the Companies Act, 2013 relevant to the Income-tax Bill, 2025. Detailed suggestions finalized after extensive deliberations and reviewed by an expert group were forwarded for onward submission to the Hon'ble Select Committee of the Lok Sabha.

(III) Supporting MCA in Smooth Transition of new E-Forms in MCA21 V3 Portal

In collaboration with the Ministry of Corporate Affairs (MCA), the CL&CGC of ICAI is playing a key role in the rollout of 38 new e-Forms, including important Annual Filing Forms, under the MCA21 Version 3 portal, set to go live on July 14, 2025. To ensure a smooth implementation and raise stakeholder awareness, a nationwide series of Outreach Programs was held from June 4 to 14, 2025. ICAI has also nominated Chartered Accountants and officials for User Acceptance Testing (UAT) and to assist in addressing technical issues on the portal. As a strategic partner in regulatory capacity building, ICAI is jointly conducting seminars and webinars with MCA across various locations to facilitate knowledge sharing and resolve compliance issues.

(IV) Recommendation on Simplification of Companies and LLP Rules

Under the pre-legislative consultation policy, the Ministry of Corporate Affairs sought ICAI's inputs for the comprehensive review of the Companies Rules, 2014 and LLP Rules. After a detailed analysis, ICAI submitted

its recommendations aimed at simplifying compliance and enhancing regulatory efficiency to the Ministry of Corporate Affairs.

(V) Suggestions on Draft IEPF Authority Rules (Refund Process)

The Committee submitted its observations on the Draft Rules concerning the refund process under the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer, and Refund) Rules, 2016, to the Investor Education and Protection Fund Authority. These inputs focused on improving procedural clarity and ease of compliance.

(VI) Streamlining the PM Internship Scheme (PMIS) Implementation

The PM Internship Scheme (PMIS), announced in the 2024-25 Budget, aims to provide internships to 1 crore youth over five years, in partnership with leading companies across sectors. To facilitate implementation, the MCA shortlisted 500 companies based on their CSR spend over the past three years. Responding to the MCA's request, CL&CGC of ICAI facilitated communication by identifying and collecting Single Point of Contact (SPOC) details from these companies. The Committee proactively coordinated with stakeholders and the MCA, to ensure companies could log in and submit internship opportunities on the PMIS portal.

(VII) Certificate Course on CSR Reporting and Impact Assessment

The CL&CGC has organized a total of Twelve batches of the Certificate Course on CSR Reporting and Impact Assessment till May 2025. The course has a duration of 4 hours each day for 7 days and is conducted in online mode. The objective of the Course is to equip participants with the knowledge and skills to navigate the evolving CSR landscape. We are glad that more than 800 members have undergone the certificate course.

(VIII) Publications released by the Committee

- Frequently Asked Questions on Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Revised January 2025 Edition)
- Frequently Asked Questions (FAQs) on Limited Liability Partnership Act, 2008 (Revised January 2025 Edition)

(IX) Independent Directors' Conclave organised by CL&CGC of ICAI

To promote good governance and strengthen the role of Independent Directors, the Committee organized a series of Independent Directors' Conclaves in New Delhi, Ahmedabad, and Mumbai. These events served as significant platforms for dialogue, knowledge-sharing, and professional networking among Independent Directors and governance experts. These conclaves collectively contributed to capacity building, reinforced the importance of independent oversight in companies, and enhanced awareness on contemporary issues in corporate governance.

(X) Programmes/Conferences/Webcast/Courses organised by the Committee

To enable the members of the Institute to update themselves and to keep pace with the changes, the CL&CGC organised one National Conference, 17 Webinars and 15 Seminars on Corporate Laws.

6.13 Committee on Commercial Laws, Economic Advisory & NPO Cooperative (CCLEA&NPO)

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) is committed to shaping the future of the accountancy profession by promoting excellence and acting as a trusted partner within the financial ecosystem. The Committee on Commercial Laws, Economic Advisory & NPO Cooperative (CCLEANC) of ICAI plays a vital role in equipping Chartered Accountants with in-depth knowledge and practical expertise across commercial laws, economic advisory, and the governance of Non-Profit Organizations (NPOs) and cooperatives. The Committee contributes to nation-building by empowering members to serve as reliable advisors in areas such as corporate governance, regulatory compliance, and dispute resolution. To strengthen professional capabilities, the Committee develops high-quality publications, conducts focused research, and utilizes digital platforms to disseminate knowledge. It regularly provides members with monthly updates, handbooks, and FAQs tailored to key laws and regulatory developments. Moreover, the Committee engages proactively with regulators and policymakers, representing the profession's interests and advocating for reforms that promote transparency and good governance. Through these initiatives, CCLEANC enables Chartered Accountants to confidently address emerging challenges, drive economic growth, and leverage new opportunities in a dynamic global landscape.

Initiatives towards Partner in Nation Building undertaken by the Committee with Centre/State Govt./any Dept.

(I) Enabling opportunities in ADR sector while also collaborating with Global ADR Institutions

The Committee on Commercial Laws, Economic Advisory & NPO Cooperative (CCLEANC) of ICAI is actively contributing to nation-building by promoting Alternative Dispute Resolution (ADR). It conducts specialized Certificate Courses on Arbitration and Mediation and has published guidance like "Professional Opportunities in Mediation for Chartered Accountants." To enhance global collaboration, ICAI initiated partnerships with CEDR and engaged with officials from the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) and Singapore International Mediation Centre (SIMC). These efforts aim to strengthen international opportunities for Indian CAs in arbitration and mediation. A Memorandum of Understanding (MoU) with SIAC and SIMC is currently in progress.

(II) Setting up ICAI International ADR Centre

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) has initiated the establishment of the ICAI ADR International Centre to promote efficient commercial dispute resolution through arbitration, mediation, and conciliation. Aimed at fostering amicable settlements, the Centre will offer global-standard facilities and expertise, serving as a hub for professionals and businesses. This initiative supports ease of doing business and strengthens India's position as a global economic leader.

(III) New Certificate Course on Mediation

The Council has approved a new Certificate Course on Mediation, designed in response to the growing need for alternative dispute resolution skills among Chartered Accountants and the enactment of the Mediation Act, 2023, aims to equip participants with essential mediation skills. These include conflict resolution techniques, negotiation strategies, and relevant legal knowledge, ultimately certifying them as mediators. Following approval of the Council, the Committee is now working on finalizing the course contents and other related matters, as suggested by the Council to implement the same.

(IV) Updation of Course Content of existing Certificate Courses:

The Committee is actively updating course content for its certificate programs in areas such as Anti-Money Laundering, FEMA, Real Estate, Cooperatives, NPOs, IPR Laws, and ADR. This ensures Chartered Accountants stay current with evolving laws and global best practices. The initiative reflects ICAI's commitment to enhancing professional competence and supporting nation-building through strong economic and legal frameworks.

(V) Exploring Collaboration with National law Universities

The Committee is actively collaborating with National Law Universities to advance legal education as a significant initiative for nation-building. The Committee emphasizes integrating theoretical knowledge with practical expertise in areas like Commercial laws. The Committee organized the webinar "Decoding the Labour Codes: The Perspective of Organised and Unorganised Sectors" on 22nd August 2024, showcasing its commitment to addressing contemporary issues, addressed by Professor of NLU, Punjab.

(VI) Representation to Authorities

- The Committee submitted key recommendations to enhance the digitalization and efficiency of Charity Commissioner and Joint Charity Commissioners' offices in Maharashtra. Suggestions include enabling online validation of audit reports via OTP/Digital Signatures, introducing online Change Reports with virtual hearings for complex cases, and fully digitizing trust budget submissions under the Maharashtra Public Trusts Act. The Committee also proposed streamlining login processes, enhancing the online portal's functionality, and resolving technical issues in form submissions and account filings, aligning with modern governance practices to improve transparency and ease of operations.

- The Committee has submitted representation to the Central Registrar of Co-operative Societies (CRCS), Ministry of Cooperation, recommending the adoption of Reserve Bank of India (RBI) norms for empanelment of auditors for Multi-State Co-operative Societies. This aligns with ICAI's commitment to ensuring equitable and effective audits while addressing practical challenges faced by Multi-State Societies and Banks. The Committee suggested ICAI be entrusted with preparing the auditor panel, leveraging its expertise in empanelment for RBI and NABARD, thereby promoting consistency, fairness, and nation-building through improved governance in the cooperative sector.

- The Committee has submitted feedback on SEBI's Consultation Paper on the Review of SEBI (Merchant Bankers) Regulations, 1992. The feedback emphasized the inclusion of Chartered Accountants as eligible Compliance Officers, highlighting their robust expertise in corporate and securities laws alongside financial and accounting proficiency. This proactive representation aims to safeguard and enhance career opportunities for Chartered Accountants, reinforcing their role in the regulatory landscape.

- The Committee has submitted a representation to the Reserve Bank of India (RBI) requesting an extension of the deadline for the appointment of statutory auditors by Multi-State Cooperative Banks for FY 2024-25.

The request aims to provide banks adequate time to comply with revised regulatory requirements and appoint qualified auditors from the updated panel being finalized by the Central Registrar of Co-operative Societies. This step underscores ICAI's efforts toward fostering a robust and transparent financial system, contributing to nation-building.

(VII) Webinars under the "Know Your Laws" series

The Committee has significantly contributed to the education of members of ICAI through its "Know Your Laws" series, organizing over 100 webinars to date. These sessions focus on educating Chartered Accountants about evolving commercial laws, enhancing their legal literacy, and equipping them to navigate complex legal frameworks. By empowering professionals with critical legal knowledge, the Committee fosters informed decision-making, strengthens governance, and supports India's economic and regulatory development.

(VIII) Physical Events on latest laws/Amendments

The Committee has organized 8 impactful physical events as part of its nation-building initiatives on Prevention of Money Laundering Act, FEMA Practice, Role of Co-operative in Vision 2047: INDIA etc.

(IX) Publications

- CAs' Handbook on Obligations and Privileges of Non-Residents under FEMA: Comprehensive guidance for non-resident compliance under FEMA.
- CAs' Handbook on Drafting Power of Attorney: Detailed insights into drafting and legal provisions of Powers of Attorney.
- FAQs on The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (Revised 2024): Updated insights into safeguarding public interest from fraudulent schemes.
- CAs' Handbook on Drafting of Wills: Simplified guidance for succession planning and drafting wills.
- CAs' Handbook on Inbound and Outbound Investment under FEMA: Insights into cross-border investment regulations.
- CAs' Handbook on Essential Drafting: Practical guidance for drafting critical legal and business documents.
- Revised Background Material on Anti Money Laundering: Comprehensive material designed to enhance understanding and application of AML regulations.
- Background Material on FEMA: Covers essential aspects of the Foreign Exchange Management Act to strengthen compliance and advisory roles.
- Online Dispute Resolution- An International Perspective: Highlights global trends and practices in online dispute resolution with focus on cross-border implications.
- An Introduction to the POSH Act, 2013: Overview of key provisions and compliance requirements under the POSH Act.
- The POSH Act, 2013 & Opportunities: CAs' Handbook for New Horizons Highlights professional roles for CAs in POSH compliance and advisory.
- CAs' Handbook on Writs: Explains the types and uses of writs relevant to legal and compliance matters.
- CAs' Handbook on Nomination Procedure and Guidelines: Guides CAs on legal procedures and best practices for making nominations.

6.14 GST and Indirect Taxes Committee (GST & IDTC)

The Direct Taxes Committee (DTC) of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) is a key committee dedicated to matters related to direct taxation. It actively engages with the Government, the Central Board of Direct Taxes (CBDT), and other relevant forums by making representations on legislative amendments and pressing issues concerning direct taxes. A primary focus of the Committee is to enhance the knowledge and skills of ICAI members in direct taxation through the publication of new materials, updates to existing resources, and the organization of seminars, webinars, and conferences.

(I) Initiatives towards Partner in Nation Building

- **Reinforcing GST policy making, implementation and research – Technical inputs**
  - ➢ Suggestions on Central Excise Bill, 2024

- Pre-Budget meeting and submission of Pre-Budget Memorandum, 2024
- Suggestions on the newly launched Invoice Management System (IMS) on GST Portal
- Suggestions on Harmonization of GST Rate Schedule on Services and the Classification of Services adopted for GST
- Suggestions on GST Annual Return [Form GSTR 9] and GST Reconciliation Statement [Form GSTR 9C]

- **Memorandum of Understanding with State Governments and NACIN**

The Institute, through GST & Indirect Taxes Committee, entered into Memorandum of Understanding (MoU) with Commercial Taxes Department, Andhra Pradesh on 8th April, 2024, Department of State Taxes, Assam on 4th February, 2025 and the Taxation Department, Meghalaya on 4th February, 2025 for capacity building and extending technical co-operation in research, assistance in policy making, consulting etc. Similar MoUs for capacity building were entered into with National Academy of Customs & Indirect taxes (NACIN) Zonal Campuses at Kolkata, Bhubaneswar, Patna and Shillong on 16th August, 2024 and NACIN ZC, Chennai on 30th August, 2024. The MoUs will facilitate imparting training to GST officers on a regular basis.

- **Supporting the capacity building initiatives of the Government - Capacity Building Programmes for Officials of States, Centre and Other Government Departments**

The Institute has also been assisting the Government in its capacity building initiatives by organizing customised training programmes on GST for the Officers of the Central Tax, State Tax/Union Territory Tax and other Government departments as also by providing expert faculty for the trainings organised by the Government. During the reporting period, the Committee facilitated/organised forty-six (46) Capacity Building Programmes on GST for the GST Department of State Governments, Central Government, NACIN, and Other Government Departments upskilling more than 2100 Officers.

- **Outreach Programme for Trade and Industry**

The Committee organised an Outreach Program on the GST Amnesty Scheme on 27th March, 2025 at ICAI Thiruvananthapuram, based on the request from the Chief Commissioner, CGST, Thiruvananthapuram Zone. The session was attended by 108 participants from trade and industry.

- **Meetings with functionaries of the Central and State Governments**

Various meetings were held during the reporting period with various Commissioners of State Tax/GST and the other senior officers of Central and State Governments to apprise the Officials about the various initiatives taken by the ICAI with regard to GST and discuss ways and means through which the GST & Indirect Taxes Committee can offer proactive support to the Government in the area of GST.

(II) Building Brand ICAI - Important Events

- **National GST Symposium 2024 - Driving GST Success: Insight, Innovation and Integration for a good and simple tax**

The Committee has been organising the National GST Symposium annually from the last two years. The National GST Symposium 2024 was organised at Kolkata on 9th & 10th January, 2025. Shri Shrawan Kumar, IRS, Chief Commissioner, CGST & CX, Kolkata was the Chief Guest and Shri Devi Prasad Karanam, IAS, Commissioner, Directorate of Commercial Taxes, West Bengal was Guest of Honour. Thirty-eight senior CGST & SGST/UTGST Officers like Principal Chief Commissioners/ Chief Commissioners/ Principal Commissioners/ Commissioners/ Additional Commissioners/ from 19 States all over India participated in the Symposium. A Senior Vice President of GSTN also participated in the Symposium.

- **Conclave on Indirect Taxes Litigation Before Tribunal**

The Committee organized a Conclave on Indirect Taxes Litigation before Tribunal in New Delhi on 21st December, 2024 to enhance Chartered Accountants' skills in drafting, representation, and procedural compliance before the Tribunal. Hon'ble Justice Shri C Hari Shankar, Delhi High Court was the Chief Guest and Hon'ble Justice Shri Dilip Gupta, President, CESTAT was the Guest of Honour. The Conclave was a pioneering event with over 20 esteemed Members of CESTAT from different benches across the country present on one platform and sharing their insights on judicial perspectives, best practices and practical approaches to effective advocacy in indirect taxes litigation.

- **National Conferences on GST**

During the reporting period, the Committee organised ten (10) National Conferences on GST/Indirect Taxes at Indore, Ernakulam, Pune, Delhi (2), Chennai, Mumbai, Rajkot, Kolkata and Navi Mumbai which were attended by over 5,300 members.

(III) GST Knowledge Sharing - Initiatives

- **Enhancement in the Committee's website**

In line with the Committee's objective to enhance GST knowledge sharing, a new feature was added on the website of the Committee namely, "GST Statutes" 27th August, 2024. This feature provides free access to all GST Acts, Rules, Notifications including the amended notifications, Circulars, Orders, Instructions/Guidelines etc. Further, the minutes of the GST Council meetings, GST Press Releases, GSTN Advisories are also available under GST Statutes for ready references of the stakeholders. This step further reinforces the Committee's commitment to facilitating accessible and comprehensive resources on GST.

- **Certificate Course on GST**

With an objective of building the capacities of the members in GST in a systematic manner and enhancing their skills, the Committee launched a Certificate Course on GST on 28th April, 2017. Since then, the Committee has been regularly organising the Course across India. During the reporting period, thirteen (13) batches of the Course were organised physically which were attended by 569 members. Further, four batches of the Course were organized virtually which were attended by 493 members. The Assessment Tests for the Certificate Course on GST was conducted online on 13th October, 2024 and 9th February, 2025. A total of 515 members successfully passed the aforesaid Assessment Tests.

- **Live Webcasts/Webinars**

During the reporting period, the Committee organised 18 live webcasts/webinars on various contemporary topics in GST which were attended by more than 21,000 participants.

- **CPE events on GST**

With a view to update the members with the latest developments in GST & other indirect taxes, the Committee organised 76 CPE events (workshops, seminars etc.) in the reporting period upskilling more than 7500 members.

- **ICAI Newsletter on GST**

With an objective of providing updated information of GST to all stakeholder(s), ICAI launched its dedicated Newsletter on GST in April 2017. During the reporting period, thirteen Editions of the ICAI –Newsletter on GST were published.

- **GST Updates**

GST law is an extremely dynamic law with multitude of notifications/ circulars/ orders/ instructions being issued frequently. In order to keep the members abreast with such frequent changes, GST Updates - containing the summary of such changes - are prepared by the Committee as and when any notification/circular/order/instruction etc. is being issued by the CBIC and mailed to over 50,000 users registered on the website of the Committee as also uploaded on the website of the Committee. During the reporting period, 42 GST Updates were prepared and circulated.

- **E-learning on GST**

The Committee re-launched its E-learning on GST on 23rd May, 2025 at Digital Learning Hub covering various important aspects of GST. This facility is available to all members free of cost facilitating them in learning the basics of GST anytime & from anywhere. During the short period of less than a month, it has been subscribed by 23,322 members.

(IV) Publications

The Committee developed a new publication during the year namely, "Departmental GST Audit of Entities with Multiple GSTINs". Further, following publications were revised during the reporting period:

- Background Material on GST
- GST Act (s) and Rule(s)- Bare Law (Three Revisions)
- Guide to CA Certificates
- Technical Guide on GST Annual Return (Form GSTR 9)
- Handbook on Reverse Charge under GST

- Handbook on Exempted Supplies under GST

6.15 Ethical Standards Board (ESB)

The Institute of Chartered Accountants of India has constituted the Ethical Standards Board as the designated standard-setting authority for ethical governance within the profession. The Board is vested with the mandate to develop and implement ethical standards and other authoritative pronouncements applicable to Chartered Accountants. In fulfilling its mandate, the Board endeavours to evolve a dynamic and contemporary Code of Ethics and ethical framework for members, while upholding the time-honoured principles of *excellence, independence,* and *integrity*, thereby safeguarding the dignity and interests of the members. The objective of the Ethical Standards Board is to formulate and promulgate ethical standards for Chartered Accountants that align with internationally recognized best practices, subject to compliance with applicable domestic laws. Through this alignment, the Board aims to enhance the quality, consistency, and reliability of services rendered by Chartered Accountants, thereby reinforcing public confidence and trust in the profession.

Since its inception, the Board has diligently engaged in establishing and maintaining standards that regulate the professional conduct and qualification of ICAI members. In addition to its core responsibilities, the Board actively undertakes initiatives aimed at augmenting members' professional competitiveness and dynamism. Moreover, the Board administers a grievance redressal mechanism concerning instances of unjustified removal of members as auditors. This function serves as a protective measure to uphold the independence of members, ensuring that those adversely affected by unwarranted auditor removals have access to equitable recourse and justice.

(I) Significant Achievements

- Global Ethics Day was celebrated on 16th October, 2024 at New Delhi, while programmes were conducted for awareness at all Branches/Regional Councils in the month of October on this occasion. Special edition of CA Journal for October Month dedicated to theme of Ethics was issued. Ethics quiz and string of other measures for dissemination of ethics among members were organized.
- CA Connect portal, the listing platform of members and CA Firms at the platform of the Institute, has been redesigned and new features have been incorporated to the portal. As part of popularization of CA Connect Portal, a programme was organized on 1st September 2024 at Ranchi. A new Logo and tagline of CA Connect Portal was released on this event.
- The Ethical Standards Board has developed a booklet on "CA Ethics Plus- Knowledge sharing on ethics for Chartered Accountants". The booklet contains compilation of provisions and pronouncements on contemporary ethical issues and serves as a ready reckoner.
- The Ethical Standards Board has issued a brochure on CA Connect Portal "Listing of Chartered Accountants. By ICAI. For all CA Services". This brochure contains the features of CA Connect Portal, its benefits and advantages for members/firms and for stakeholders.
- Revised Edition of "FAQs on Ethical Issues" was brought out in February 2025
- The Ethical Standards Board has issued clarifications/announcements and FAQs on the queries raised frequently by the members and questions posed on various issues.
- The Ethical Standards Board contributed monthly awareness column *"Know Your Ethics"* in the CA Journal, covering key topics such as fee issues, directorship, KYC norms, documentation, and ethical aspects of professional conduct to enhance awareness and compliance among members.
- More than 650 queries of members on various professional ethical issues were addressed and resolved in the given period. Besides, replies to enquires made by the Regulators and Government departments were given.

(II) Seminars/Programmes organized by the Board on Code of Ethics

- The Ethical Standards Board organized 18 Webcasts for bringing awareness of provisions on Code of Ethics and ethical issues among the members.
- Various seminars and programmes on ethics were also conducted during the year.

(III) Meetings of Committee on Professional Ethics and Independence of South Asian Federation of Accountants (SAFA)

Three Meeting of SAFA (South Asian Federation of Accountants) Committee on Professional Ethics and Independence was held on March 1, 2024 at Pokhara, January 10, 2025 at Karachi, and January 30, 2025 at Delhi reinforcing ICAI's regional engagement on ethical standards.

(IV) IESBA Meetings attended by ICAI delegates

IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) – NSS (National Standard Setters) Meeting held on May 2 & 3, 2024 at New York, IFAC Offices which was attended by Chairman, Ethical Standards Board in person.

6.16 Digital Accounting and Assurance Board (DAAB)

The Digital Accounting and Assurance Board (DAAB) traces its roots to the year 2000, when ICAI established the Committee on Information Technology (CIT) to spearhead the profession's IT initiatives. In its first decade, CIT focused on raising IT awareness, introducing the Information Systems Audit (ISA) course, and building basic technology infrastructure for members. In 2009, the committee broadened the scope by including forensic accounting, XBRL implementation, e-learning, and greater technology integration into audit practices. Recognizing the accelerating digital transformation in finance, ICAI reconstituted this committee as the Digital Accounting and Assurance Board (DAAB) in 2019, with an expanded mandate covering digital competencies, forensic standards, blockchain, AI, and global partnerships. This evolution over two decades laid the groundwork for a proactive body attuned to the emerging challenges and opportunities of the digital era.

(I) Key Milestones and Initiatives

- **DISA Launches and Upgrades:** The journey began with the launch of the Post-Qualification course on Information Systems Audit (ISA) in 2000, which provided Chartered Accountants specialized training in IT auditing. This program later, undergone multiple syllabus revisions (DISA 1.0, 2.0, 3.0) to keep pace with technological advances. Over the years, DISA gained formal recognition from regulators notably the Reserve Bank of India (RBI) and market authorities enabling DISA-qualified members to conduct bank system audits as experts. Today, DAAB is in the process of rolling out DISA 4.0, a comprehensive upgrade that will incorporate cybersecurity frameworks, data privacy (DPDP Act) compliance, regulatory technology (RegTech), and other emerging areas into the curriculum.

- **Forensic Accounting and Fraud Detection (FAFD) Course**: Recognizing the growing need for forensic expertise, ICAI launched the Certificate Course on Forensic Accounting and Fraud Detection (FAFD) in 2009, equipping members with investigative skills supported by hands-on training through forensic labs, including one established in Noida in 2017. As the field evolved, DAAB continually upgraded the course—most notably aligning it in 2023 with ICAI's world-first Forensic Accounting and Investigation Standards (FAIS), now mandatory for forensic assignments. In 2024, DAAB initiated the course's transition into a full-fledged Diploma in Forensic Investigation (DFI), which received initial approval from the Ministry of Corporate Affairs and is set for public exposure before final clearance—marking a major step in advancing formal forensic education.

- **Forensic Accounting and Investigation Standards (FAIS):** A landmark achievement of the DAAB era has been the development of Forensic Accounting and Investigation Standards (FAIS) – a comprehensive framework to guide practitioners in forensic accounting engagements. Released in series (totalling 20 individual standards and 3 overarching documents) and refined through expert input, the FAIS were officially issued with mandatory implementation from 2023 onwards. These standards cover the entire gamut of forensic accounting, from evidence collection and analysis to reporting, and serve as a definitive benchmark for quality and consistency in forensic services undertaken by chartered accountants.

- **Digital Competency Maturity Model (DCMM):** To help the profession assess and improve its adoption of technology, the Board developed the Digital Competency Maturity Model (DCMM) Version 1 and in 2019, DCMM 2.0, its implementation guide and a tool was released which provides a structured model with defined levels and an implementation guide for firms to evaluate their digital capabilities. Further, it was made part of Peer review also. By benchmarking areas such as IT infrastructure, software tools, process automation, and digital skills, DCMM has enabled audit firms (especially small and medium practices) to identify gaps and roadmaps for digital transformation. The model's relevance has extended beyond India – it has been showcased in international forums and adapted by global accounting groups as a tool for enhancing digital practices in the accounting profession.

- **International Outreach** : From its early years, DAAB has extended its impact internationally. In the mid-2000s, ICAI's IT Committee began delivering ISA courses in Sri Lanka and Nepal, supported by MoUs with ICASL and ICAN. These collaborations later expanded to include forensic accounting training. By 2025, ICASL expressed interest in adopting ICAI's forensic standards, reflecting their global relevance. DAAB has also conducted virtual DISA classes for professionals in both countries and hosted international participants in its programs. A key example was the customized FAFD training for Bank of Bhutan auditors in October 2024. These efforts have strengthened ICAI's global standing in digital accounting and assurance.

- **Government and Regulatory Collaborations** : Over its 25-year journey, DAAB has played a pivotal role in integrating digital audit and forensic practices into governance through close collaboration with government bodies and regulators. Key milestones include early engagement with the CAG to introduce IS audit in public audits and RBI's recognition of the DISA qualification for statutory bank IS audits. More recently, DAAB has supported law enforcement by training agencies like the Gujarat Police Economic Offences Wing and recommending ICAI's forensic standards. In 2024, the Board signed MoUs with Rashtriya Raksha University and NFSU to collaborate on cybersecurity, AI, and forensic research. DAAB has also conducted specialized training for agencies such as SFIO, CBI, CAG, ICLS Academy, DGGI, and major PSUs like SBI, BOB, HPCL, and IOCL—reinforcing its role as a trusted advisor in advancing financial transparency and digital governance.

- **Publications**
  - Technical Guide on Digital Assurance
  - Concept paper on Embracing Robotic Process Automation Opportunities and Challenges for Accountancy Profession
  - Concept Paper on Blockchain Technology Adoption Trends and Implications for Accountancy Profession
  - Concept Paper on "ABCD of Technology" 2025
  - Digital Competency Maturity Model for Professional Accounting Firms - Version 2.0 and Implementation Guide
  - Report on Automation in Finance Functions- lessons from India and the UK
  - Early Signals of Fraud in Banking Sector (Revised 2018 Edition)
  - A Guide to Internet of Things - Basics & Applications
  - Guide to Cloud Computing for Accountants 2025
  - Compendium of Forensic Accounting and Investigation Standards (As on 1st July, 2023)
  - Implementation Guide on Forensic Accounting and Investigation Standards (As on 1st July 2023)

(II) Strategic Initiatives

In its 25th year, DAAB continued to drive innovation and capacity-building through several high-impact initiatives, aligning with its long-term strategic goals:

- **Upgrading Qualifications**

In 2024–25, DAAB prioritized upgrading ICAI's post-qualification courses to equip members with cutting-edge skills. The DISA program is being upgraded to Version 4.0 with enhanced content on cybersecurity, DPDP Act compliance, RegTech, and IT governance. Exam frequency has been increased to allow faster course completion. The FAFD course is being elevated to a Diploma in Forensic Investigation (DFI), with a proposal submitted to the Ministry of Corporate Affairs. Additionally, a new "DISA+" refresher course is being developed to keep DISA alumni updated on emerging trends in IT audit and technology.

- **Conferences and Thought Leadership:**

In 2024–25, DAAB organized several flagship conferences to promote thought leadership in digital accounting and assurance. Key events included *Future Proof Forensics* in Mumbai, a two-day summit on financial fraud investigation with 135+ participants from banks, regulators, and enforcement agencies; *Pragyotsav-2024* in Jaipur, a national conference on internal audit and technology attended by 2,000 professionals and inaugurated by the Hon'ble Vice President of India; and *Gyan se Vigyan* in Belagavi, focused on digital transformation in accountancy with 476 participants. Looking ahead, DAAB has announced the *Digital Transformation (Dx) Finance Summit 2025* in Hyderabad, themed "Fortifying Finance: Forensics, Cybersecurity & Digital Trust," targeting top finance and tech leaders to explore cutting-edge developments in AI, blockchain, cyber governance, and ICAI's forensic standards.

- **Capacity Building and Training**

In 2024, DAAB expanded its training outreach through impactful national and international programs. It conducted a specialized Financial Crime Investigation training for 64 officers of the Gujarat Police's Economic

Offences Wing, recommending adoption of ICAI's FAIS standards. In June, a first-of-its-kind Residential Digital Forensics Refresher Course at NFSU provided 44 members with hands-on lab training. Internationally, DAAB organized a 5-day customized FAFD program for senior auditors from the Bank of Bhutan. Additionally, four specialized training sessions were delivered for Indian Corporate Law Service (ICLS) officers, covering cybersecurity, forensic accounting, and digital forensics—strengthening ICAI's role in advancing governance and capacity-building across sectors.

- **Digital Learning and Faculty Development**

In 2024, DAAB enhanced its technological offerings through e-learning and updated resources. It launched a free Advanced Blockchain Technology module on the ICAI Digital Learning Hub, providing members with practical insights into blockchain and crypto-assets. To ensure course relevance, a joint Faculty Meet for ISA and FAFD was held in April 2024, reviewing curricula and preparing to upgrade FAFD into a diploma. A Faculty Identification Programme also added 13 new trainee faculty to strengthen the training ecosystem. Additionally, DAAB updated key publications, including the *Guide to Cloud Computing* and the *ABCD of Technology* paper, reinforcing its commitment to keeping members current with emerging tech trends.

- **Strengthened Partnerships**

Collaboration with institutions continued to be a hallmark of DAAB's strategy this year. ICAI signed Memorandums of Understanding with Rashtriya Raksha University (RRU) and National Forensic Sciences University (NFSU) – both prestigious national institutions under the Ministry of Home Affairs – to jointly promote education and research in emerging areas such as artificial intelligence, cyber security, forensic accounting, and digital governance. These partnerships envisage collaborative teaching, development of new courses, and knowledge exchange that will contribute to a technology-driven ecosystem and support India's goals for a digitally empowered economy. The Board's international engagement also remained strong: its courses and events drew participants from abroad, and virtual batches of DISA continued for overseas members in regions like South Asia. Such initiatives underscore the global reach and appeal of DAAB's programs, reinforcing ICAI's reputation as a leader in digital accounting and assurance training.

(III) Membership Growth

Over 25 years, DAAB's programs have created a wide base of digitally skilled professionals within ICAI. By March 31, 2025, a total of 35,982 members have qualified the Information Systems Audit course (ISA/DISA). Likewise, 14,206 members have been certified in Forensic Accounting and Fraud Detection (FAFD) as of March 2025. This substantial growth in specialized qualifications reflects the success of DAAB's initiatives and the appetite among chartered accountants for upskilling in high-demand areas. The ever-increasing number of DISA and FAFD alumni demonstrates how the Board's efforts have strengthened the profession's collective capability to perform IT audits, cybersecurity assessments, forensic investigations, and other technology-driven services.

(IV) Collaborations and Outreach

The Digital Accounting and Assurance Board (DAAB) of ICAI, celebrating its 25-year journey from an IT Committee in 2000 to a leading board in 2025, has played a key role in advancing digital excellence in the profession. Through collaborations with global bodies like ISACA, ICASL, and Hyperledger, DAAB has enriched education in information systems audit, forensics, and blockchain. Its standards are being adopted internationally, and its partnership in launching EFAA's global competency model highlights its leadership. DAAB's initiatives have empowered thousands of CAs and strengthened public trust in the profession's digital readiness. Looking ahead, ICAI aims to build on this legacy through continued innovation and global collaboration.

7. PROFESSION DEVELOPMENT COMMITTEES

7.1 AI in ICAI

The "AI in ICAI" Committee is a New Committee which has been formed for the First Time in Council Year 2024-25, and it aims to integrate AI into ICAI operations, enhancing services for members, students, and employees. It continues for the Year 2025-26. It promotes AI awareness through digital materials, webinars, and workshops, and engages with AI experts and stakeholders. The committee will identify AI tools, collaborate with startups, and develop an AI research lab. Additionally, it seeks international AI partnerships, explores professional opportunities for members in AI, and incorporates AI tools into educational content for enhanced financial reporting and compliance solutions. The Committee has launched an ICAI CA GPT for Members and Students which provides significant benefits to both members and students by offering quick, AI-driven solutions to complex queries related to accounting, auditing, tax, and compliance. It enhances learning by acting as a study aid for students, offering instant access to key concepts, standards, and regulations. For members, it simplifies research, assists with technical queries, and streamlines decision-making processes. Additionally, it supports real-time problem-solving and helps in staying updated with the latest industry trends, improving both educational and professional outcomes. The Committee has launched a Certificate Course on AI AICA Level 1 which offers several key benefits.

- Foundational AI Knowledge: Provides a strong understanding of AI concepts relevant to accounting and finance.
- Practical AI Applications: Teaches real-world AI use cases.
- Career Advancement: Equips members with in-demand AI skills, enhancing professional opportunities.
- Hands-on Learning: Offers exposure to AI tools and platforms through interactive sessions and case studies.
- Certification: Recognizes participants as AI-proficient, boosting credibility in the profession.

Achievements

- Digital Publication on ChatGPT, Copilot have been published. More such publications are in the pipeline.
- Committee on AI in ICAI is organizing Webinars, Seminar and Workshops on AI. A total of 80-90 events have been conducted thus far.
- Live Interaction of AI Leaders with RC and Branch Management Committee Members, Overseas Chapters has been conducted by the Committee.
- **ICAI CA GPT**
  - Phase 1 – 1st July 2024 - launched on with a repository of 16 GPTs created for the first phase, covering 16 Committees/Departments of ICAI. The relevant documents for these committees have been uploaded onto the CA GPT, allowing members to access the specific GPTs for these committees/departments.
    - Accounting Standards
    - Auditing and Accounting Standards
    - Corporate Laws and Corporate Governance
    - Direct Taxes
    - Expert Advisory
    - GST and Indirect Taxes
    - Members and Student Services
    - Sustainability Reporting Standards
    - Acts and Regulations
    - Board of Internal Audit and Management Accounting
    - Digital Accounting and Assurance Board
    - Ethical Standards
    - Financial Reporting and Review Board
    - Insolvency and Valuation Standards Board
    - Peer Review Board
    - ICAI ejournal
  - Phase 2 - 10th September 2024 - The Constitution of India GPT was launched.
  - Phase 3 = 28th September 2024 - Launch of two more GPTs by the name of UAE VAT and UAE Corporate Tax Assistant
  - Phase 4, AI in ICAI launched Industry Forum GPT wherein Annual Reports of more than 5000 listed companies are uploaded for the benefit of members. This is a first of its kind initiative anywhere globally.
  - Phase 5 – 2nd February 2025 - AI in ICAI Launched GPT on The Digital Personal Data Protection Act (DPDP Act)
  - Phase 6 – 1st April – GPT on Bank Audits was launched

- Phase 7 – GPT on Guide for Non-Corporate, LLP, NLP Reports launched on 28th May 2025

- **Launch of ICAI CA Student GPT**
  - ICAI CA GPT for Students was launched on July 16, 2024, in Hyderabad, coinciding with ICAI AI Innovation Summit.
  - three tailored versions specifically designed for students at the Foundation, Intermediate, and Final levels. These GPTs include previous question papers, study materials, and the syllabus as published on the ICAI website.

- 4 Hours Workshop for ICAI Employees-700+ Employees participated in Workshop conducted on 21st March 2024.
- Expression of Interest for Registration of AI Faculty has been floated, and vendors will be onboarded as per process
- Committee has organized ICAI AI Innovation Summit 2024 on 16th and 17th July 2024 in Hyderabad. More than 2000 delegates attended the same and 35 Speakers were enlisted for various sessions for the Conference.
- The Next edition will be held on 18th and 19th July 2025 in Pune.
- Two Day National Conference on AI held at Bhilai on 17th and 18th August 2024. 250 Participants attended the same
- AI Forum for Accounting and Finance held in Chennai on 23rd August 2024. 700 Participants attended the same
- AI Forum for Finance and Accounting held in Bengaluru on 22nd August 2024. 400 Participants attended the same.
- Committee Website ai.icai.org is launched and up and running
- Twitter Account and WhatsApp channel is Active for Committee
- Trademark Registration for AI in ICAI is Accepted and advertised.
- AI Faculty Meet was held on 29th April,2024
- The first Faculty Identification Programme (FIP) was conducted on 21st, 22nd, 23rd, and 24th August 2024.
- The second FIP was held on 9th and 10th October 2024. A total of 80+ participants registered, with 60+ attending the session physically. Approximately 25 participants were shortlisted and invited for an online demonstration via Zoom.
- The third FIP was held on 4th and 5th January 2025. Over 180 participants applied, out of which 120+ were shortlisted for attending the FDP.
- Fourth FIP was held on 16th and 17th May 2025. Over 70 participants attended the same.
- A total of 40 faculty members have joined the AI CA Certificate Course.
- The May 2024 edition of the ICAI e-journal, which focuses on AI, features 3-4 articles contributed by AI faculty and hackathon participants has been released

Certificate Course on AI – AICA Level 1

- The Council approved Certificate Course on AI.
- The AICA Certificate Course was launched on 16th July,2024 in AIS Innovation Summit at Hyderabad.
- First Certificate Course (Batch 1, Batch 2, Batch 3 & Batch 4) was held on 21st, 22nd and 23 Aug,2024) at ICAI COE Hyderabad.
- Total 420+ AICA Certificate Course Schedule till Date.
- Total 15000+ Participants Received AICA_Level1 Certificate
- Total 20000+ Participants Registered AICA -Level1 Registered
- AICA Course Scheduled in 26 States and 100 Cities.

- Level 2 of the Course has been approved and will be launched shortly
- Conduction of ICAI AI Innovate Challenge for ICAI Employees om 24th May 2024

AI Hackathons

Season 1

- AI in ICAI Committee commenced the AI Hackathon Season 1 on April 5, 2024.
- A total of 60 participants competed across six hackathons.
- From these, 18 participants advanced to Semi-Final 1 and Semi-Final 2.
- seven finalists competed in the Grand Finale on July 16, 2024, in Hyderabad.
- The results of the Grand Finale were declared on August 2, 2024, during the launch of Hackathon Season 2.

Season 2

- The Season 2.0 of AI Hackathon has commenced in the months of November 2024.
- 12 Panellists competed in the Grand Finale held on 7th March 2025 in which 3 winners have been declared

Season 3

- The Season 3.0 of AI Hackathon has commenced on 21st March 2025.
- The eight preliminary rounds have been held.
- The two semi finals are lined up for 6th June 2025 and 13th June 2025
- The Grand Finale will be held during the ICAI AI Innovation Summit 2025.

AI in ICAI has commenced Series of Book Writing on AI

- The following three books will be launched shortly:
  - Ethics in AI
  - Privacy in AI
  - Impact of AI on Indian Economy

7.2 Committee for Members in Industry and Business (CMI&B)

(I) Campus placement Programmes for newly qualified Chartered Accountants

Campus Placement Programme (held twice a year) provides a platform to both the Newly Qualified Chartered Accountants (NQCAs) and the organizations looking to hire the best available talent to fulfil their Human Resource requirement. This programme, being a one stop solution, offers a unique opportunity to the employers to interact with the NQCAs, peruse the particulars of a huge pool of promising professionals and recruit the suitable one(s) who is found to be better than the best.

- **59th edition of Campus Placement Programme – February-March 2024**

  59th edition of Campus Placement Programme – February March 2024 The 59th edition of Campus placement Programme covered the candidates who have passed final examination held in Nov 2023 examinations and Candidates who passed final examination at the immediate previous examination, but did not register for the then campus programme, were allowed to register. The interviews were successfully completed at 9 major (Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Mumbai, Delhi, and Pune) and 17 smaller centres (Bhubaneswar, Bhopal, Chandīgarh, Coimbatore, Durgapur, Ernakulam, Indore, Kanpur, Lucknow, Nagpur, Noida, Patna, Ranchi, Raipur, Thane, Vadodara, and Visakhapatnam). The statistical information of (59th edition) is as under:

Campus Placement Programme	**Campus February-March 2024**
Number of candidates registered	6888
Total number of companies participated	198
Number of interview teams formed by the participating organisations	412

Number of Jobs Offered by the participating companies	3002
Number of Jobs accepted by participating candidates	2218
Highest salary (cost to company) offered	29 LPA
Average salary	13.12 LA

- **60th edition of Campus Placement Programme - August-September 2024**

  60th edition of Campus Placement Programme - August-September 2024 The 60th edition of Campus placement Programme covered the candidates who have passed final examination held in May 2024 examinations and Candidates who passed final examination at the immediate previous examination, but did not register for the then campus programme, were allowed to register. The interviews were successfully completed at 9 major (Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Mumbai, Delhi, and Pune) and 17 smaller centres (Bhubaneswar, Bhopal, Chandīgarh, Coimbatore, Durgapur, Ernakulam, Indore, Kanpur, Lucknow, Nagpur, Noida, Patna, Ranchi, Raipur, Thane, Vadodara, and Visakhapatnam). The statistical information of (60th edition) is as under:

Campus Placement Programme	**Campus August-September 2022**
Total Registered Candidates	15266
Total No. of Organizations participated	241
Total declared vacancies	9199
Total shortlisted candidates	14538
Number of Jobs Offered by the participating companies	4782
Number of Jobs accepted by participating candidates	3705
Highest salary paid for Domestic Posting	36 LPA
Average salary	12.49 LPA

- **Placement Programme for Women CAs**

  ICAI has been taking several measures to develop capacities of women members to effectively utilize their professional knowledge and expertise. In the spirit of empowering women members, ICAI organized Second Placement programme for Woman CAs jointly with Woman Member Empowerment Committee (WMEC).

(II) Career Ascent Programme for placement of experienced Chartered Accountants

CMI&B offers a customised Campus Placement Programme for the experienced Chartered Accountants which provides a platform to the Chartered Accountants to secure career advancement in leading organizations and an excellent opportunity for organizations to recruit best of finance and accounts professionals. This drive is an extended dimension to the existing campus placement programme, being regularly undertaken by CMI&B for the Newly Qualified Chartered Accountants, twice a year. The Indian companies participating have to offer a minimum CTC as per the following experience criteria:

S. No.	Work Experience	Minimum CTC
1.	1-5 Years	12 LPA
2.	5-10 Years	17 LPA
3.	10-20 Years	26 LPA
4.	20 Years & above	38 LPA

Career Ascent programme, 2024 was organized in June 2024.

(III) Annual ICAI Awards to recognise CA achievers in industry and business

The ICAI established the ICAI Awards in 2007 to acknowledge members who have demonstrated excellence and displayed an enduring commitment to achieving heights in their roles as CA professionals. These awards aim to honor individuals by exhibiting excellent skills, dedication, enthusiasm, leadership, and the ability to deliver the best practices that others strive to emulate.The Award process for this year commenced on September 14, 2024,

with the registration of nominations under various categories, including CA Business Leader, CA CFO & CA CXO, CA Entrepreneur, CA Global Achiever, and CA Special Recognition (for specially abled). A total of 118 nominations were received.The Nomination Committee, convened on January 10, 2024, in Mumbai.

(IV) 40 UNDER 40 – CA BUSINESS LEADERS

The Committee for Members in Industry & Business (CMI&B), in association with CNBC-TV18 and Business Standard, successfully organized the prestigious *CA Business Leader–40 Under 40 Season 3* awards to recognize outstanding young Chartered Accountants under 40. Held on January 17, 2024, at the Jio World Convention Center, Mumbai, the event honored exemplary CA business leaders for their excellence and contributions to the profession. Judged by an eminent panel of industry experts, the ceremony also featured insightful discussions on key economic issues, making it a memorable celebration of talent and leadership within the CA community.

(V) Facilitating CPE Study Circles for Members in Industry

The CMI&B facilitates the organizations having more than 25 Chartered Accountants working therein to form a forum/ study Circle to take forward the continuing professional learning for them. These Study Circles help them to organise in house training sessions and training programmes on topics of contemporary relevance for them.

(VI) Programmes and Events organized by CMI&B during the Year

Notable Initiatives

- Management Development Programs for CA rank holders
- HR Meets
- Industry-specific webinar
- Other programs and seminars
- Report on Research Study: Performance of Industries in Various States

(VII) Management Development Programme for CA final rank holders

CMI&B organised 9th Batch of Management Development Programme for the CA Final rank holders of Nov 2024 examinations to improve their managerial & leadership skills to enable them to attain good pay packages. This batch of MDP was organized from 18th to 27th January 2024 in association with Indian School of Business.

(VIII) Industry Specific Webinars Organized by CMI&B during the Year 2024-25

The Committee for Members in Industry and Business organized industry-specific webinars to disseminate the knowledge about the evolving regulations, technological advancements, industry best practices & knowledge, problem solving skills, continuing education and career advancement amongst the members of ICAI.

(IX) ICAI launches new platform to empower members in the industry

ICAI a premier statutory body with over 400,000 members and 985,000 students globally, plays a key role in advancing the CA profession. The Committee for Members in Industry & Business (CMI&B) strengthens ties between ICAI and CAs in industry. Under its leadership, the CMIB Portal was launched, featuring a Placement Portal for campus placements and the upcoming CA Job Portal—a comprehensive recruitment platform offering resume building, job recommendations, interview tools, and more. These initiatives aim to empower members with future-ready resources for career growth in a rapidly evolving professional landscape.

(X) Masterclass on Leadership in association with Indian School of Business (ISB)

The Committee, in collaboration with the Indian School of Business (ISB), conducted a Masterclass on Leadership for ICAI members, offering pre-recorded lectures and online self-assessments via the ISB portal. Upon completing the required learning hours, participants received a joint certification from ICAI and ISB. The program, covering critical thinking, storytelling, and self-leadership, was offered at a nominal fee of ₹1,000 + GST and free for campus placement registrants (Aug–Sep 2024 and Feb–Mar 2025). Corporate group registrations were also encouraged. Concluding with Batch 8 in January 2025, the program saw over 27,000 registrations across free and paid categories.

(XI) Management Development Program in association with ISB, Hyderabad

The Committee has conducted the MDP for the 11th batch & 12th batch in association with ISB (01st batch) for the first time in this year for rank holders in the month of July 2024 & November 2024 with Centre of Excellence Hyderabad. Earlier, the Committee had conducted the similar program with various IIMs in the past year's rankholders. This program is specifically designed for all the rankholders of ICAI to enhance their managerial and

leadership abilities, which in turn will improve their overall understanding of business in addition to their strong technical proficiency.

(XII) CFO NEXT Forum 2024

The Committee for members in industry and business organized CFO Next Forum programs at myriad locations of India. This program aims to empower CFOs to be more effective leaders and strategic partners within their organizations by providing them with the knowledge, connections, and insights they need to thrive in today's complex business environment. The event brings together the CFOs and Business Leaders to share their experiences and transformational change.

(XIII) Business Leaders Forum 2024

Business Leaders Forum 2024 was organized by Committee for members in industry and business on 26th November which was hosted by ICAI, Singapore Chapter at Pan Pacific, Raffles Boulevard, Singapore. The evening comprised of two panel discussions particularly relevant to the current economic climate. The first panel, focused on Economic Trends and Investment Opportunities in India, will delve into the promising avenues for businesses looking to tap into India's growth potential. The second panel, on Building Strategic Alliances and Maximizing Returns, will explore the critical role of partnerships in driving sustainable growth. The event provided an ideal platform for fostering meaningful connections and exploring synergies between Indian and Singaporean businesses.

7.3 COMMITTEE FOR AGGREGATION OF CA FIRMS

The Committee for Aggregation of CA Firms (CACAF), constituted in 2024-2025 by the ICAI, stands at the forefront of reshaping the landscape for CA firms in India. Tasked with a pivotal role, CACAF's vision is driven by a commitment to conduct an exhaustive review and revision of various existing guidelines pertaining to CA firms, ensuring they are not only relevant but also adaptive to the continuously evolving professional and regulatory landscape thereby enhancing their operational efficacy and global competitiveness. CACAF seeks to empower CA firms to expand their expertise, scale operations and navigate the dynamic professional landscape effectively. The Committee's strategic initiatives are designed to streamline processes, reduce policy and procedural impediments and cultivate an ecosystem of resilience and excellence. Through stakeholder engagement, capacity building and continuous feedback, CACAF ensures that CA firms are well-equipped to thrive in an increasingly competitive and evolving global market.

(I) Significant Achievements

- **Revision of the ICAI (Merger & Demerger of CA Firms) Guidelines 2024:**

  The Committee has made concerted efforts in reviewing and revising the Merger and Demerger Guidelines. Comprehensive efforts have been made, ranging from conducting surveys to the exposure draft of the revised guidelines, interactive brainstorming sessions with CA Firms to threadbare discussions in various meetings of the Committee. The ICAI (Merger & Demerger of CA Firms) Guidelines, 2024 were approved in July 2024 and have been notified in the Gazette of India. It has been endeavoured to streamline the guidelines both at policy and procedural levels.

- **Introduction of the ICAI (Aggregation of LLPs) Guidelines 2024:**

  The Committee has also brought a set of new guidelines for Aggregation of the Indian CA Firms. It basically provides an opportunity for an LLP, Indian CA Firm to be a partner with another LLP, a CA Firm. This particular concept among LLPs will serve as a vital tool for strategic growth. By these guidelines, firms can significantly expand their capabilities, broaden their market presence, and achieve substantial operational efficiencies. This strategic move allows them to leverage combined resources, diversify service offerings and enhance competitive advantages, ultimately driving long-term success and sustainability in an increasingly competitive landscape. The ICAI (Aggregation of LLPs) Guidelines, 2024 were approved in July 2024 and have been notified in the Gazette of India.

- **Draft Guidelines for Overseas Network:**

  In alignment with ICAI's vision of expanding India's footprint on the global stage, the Draft Guidelines for Overseas Network is under finalization. These guidelines aim to establish a structured and regulated pathway for networking and collaboration. This initiative is designed to foster global connectivity, enhance professional opportunities for Indian CA firms, uphold the integrity and quality of services delivered as well as to support the evolving needs of the profession in an interconnected world.

(II) Committee Events

- **Seminar on Growth Strategies for CAs in practice was held on 25th May, 2025** which included a session on the "Need for Networking/Merger of CA Firms" and a detailed discussion on "Merger/Demerger & Networking Guidelines," and "Success Story of Indian CA Firms.

- **Series of Brainstorming Sessions 'मंथन: नीतियों की समीक्षा'-**On June 3 and June 6, 2024, the Committee for Aggregation of CA Firms (CACAF) held Virtual Brainstorming Sessions titled मथन: नीतय क समी ा, to engage stakeholders, particularly CA firms, in reviewing the exposure drafts on proposed amendments to the Merger & Demerger Guidelines and the new LLP Firm Network Model. Released on May 22, 2024, these drafts were the central focus of discussions aimed at exploring practical implications and implementation strategies. The sessions included interactive online polls with MCQs on mergers, networking and proposed amendments, which provided immediate feedback and enriched the dialogue with real-world experiences, ensuring that the guidelines are refined to meet the evolving needs of the CA profession effectively.

- **Interactive Session on 'Aggregation of CA Firms' with Secretary MCA-** On June 21, 2024, the Committee for Aggregation of CA Firms (CACAF) organized two interactive sessions on the theme *'Aggregation of CA Firms'*, featuring the Secretary and Joint Secretary of the Ministry of Corporate Affairs. These sessions witnessed enthusiastic participation from CA firms of varying sizes and served as a significant platform for dialogue between the profession and policymakers. The government officials addressed participants' concerns and reaffirmed their commitment to fostering a supportive ecosystem for the growth, consolidation, and global competitiveness of Indian CA firms.

- **Consultative Outreach Meetings:** Four Consultative Outreach Meetings were conducted through virtual mode on 31st July, 2024 with CA firms to have consultation on the draft proposed guidelines on Overseas Networking, wherein 136 practicing CAs participated and gave their comments during the meetings as well as subsequently through emails.

- **Outreach Programs on 'Network to Net Worth: Unleashing Growth Potential for CA Firms-** The Committee for Aggregation of CA Firms (CACAF), in collaboration with NIRC and its branches, organized a series of Outreach Programs titled "Network to Net Worth: Unleashing Growth Potential for CA Firms" in Faridabad, Patiala and Shahdara, Delhi. The events featured key sessions by Chairman, CACAF, and Past President, ICAI, focusing on growth strategies through mergers, LLP aggregation, and strategic collaboration. These programs emphasized scaling CA firms via networking and concluded with interactive discussions and strong professional engagement.

7.4 Committee for Members in Practice (CMP)

The Committee for Members in Practice (CMP) a non-standing Committee of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) established with a primary objective to revitalize the practice portfolios of practitioners and firms through a suite of targeted initiatives. Aligned with the overarching mission of the ICAI to cultivate globally competent professionals, the Committee for Members in Practice (CMP) undertakes multifaceted initiatives aimed at capacity building of Chartered Accountants in practice. In pursuit of its mandate to strengthen the practice portfolio of members and enhance their visibility, the CMP regularly organizes refresher courses, workshops, conferences, seminars, certificate courses, brainstorming sessions, and interactive forums.

(I) Capacity Building Measures:

Tthe Committee identified five key emerging areas to open new professional avenues for practicing Chartered Accountants. The five key identified areas are as follows:

- GST Litigation
- Real Estate Super Consultants
- MSME Consultants
- Global Consultancy Services,
- Virtual CFO

As a foundational step, efforts have been focused on developing a robust resource pool comprising Master Trainers, Content Writers, and Trainers, who will be instrumental in designing and delivering structured capacity building programmes in emerging and critical areas of practice. Further the Committee in collaboration with GST & Indirect Taxes Committee has developed a specialized six days training program on GST Litigation, aimed at empowering professionals to competently represent clients and effectively manage complex GST-related legal matters. To take this initiative forward a 3 days training programme has been conceptualized with the objective of building this trainers' pool to have nationwide outreach.

(II) Activities/Initiatives:

- **"Practice ki पाठशाला"**

Practice ki **पाठशाला"**, launched by the Committee for Members in Practice (CMP) of ICAI, is a flagship professional development initiative aimed at enhancing the core competencies of Chartered Accountants in practice. Held at the Centres of Excellence in Jaipur and Hyderabad, the program focuses on key areas such as practice management, client communication, financial planning, and the use of advanced technologies like AI, cybersecurity, and data analytics. With 17 successful batches and strong participant response, the program has now been upgraded from a 3-day residential format to a more flexible 4-day residential/non-residential structure, ensuring greater accessibility and wider reach across the CA community.

- **Series of Webinars on Grow Your Practice**

The Committee for Members in Practice (CMP) of ICAI is organizing a series of webinars under the theme "Grow Your Practice." These webinars are designed to equip Chartered Accountants with the latest tools, strategies, and insights to expand and enhance their professional practices. Covering a range of topics such as business development, digital transformation, client management, and emerging opportunities, the series aims to empower members to navigate the evolving business landscape effectively. Each session brings together industry experts and seasoned practitioners who share practical knowledge and innovative approaches to help CAs build a sustainable and thriving practice. Through this initiative, CMP underscores its commitment to fostering growth and excellence within the CA community. Till date the Committee for Members in Practice has successfully organised 36 such webinars.

- **Online Weekly Trainings on Audit and Accounting Tools for the Practicing members**

The Committee for Members in Practice (CMP) of ICAI has organized a weekly training focused on audit and accounting tools, for Chartered Accountants in practice. These sessions are aimed at enhancing the technical proficiency of CAs by providing hands-on training in the latest audit and accounting software's and methodologies. Each week, participants delve into various aspects of audit automation, data analytics, and documentation, accounting guided by experts who offer practical demonstrations and insights. The training is structured to help practitioners streamline their audit processes, improve accuracy, and maintain compliance with evolving regulatory standards. This initiative is equips the members with the necessary skills and resources to stay at the forefront of the profession in an increasingly digitalized audit and accounting environment. The Committee had successfully organized 29 such trainings on the tools such as Practice Management Software, Tally, Zoho, Any Audit- Audit Analytics Software, Assure AI- Audit Analytics Software.

- **Pathway to Practice - 7 days Residential Training Programme for COP Applicants**

The 7-Day Residential Training Programme is meticulously designed to provide a aspiring practitioner with the necessary tools, knowledge, and strategies to build a successful career in the ever-evolving domain of Chartered Accountancy. This program offers an immersive learning experience, combining expert-led sessions, Interactive workshops, and networking opportunities. The primary objectives of the training program is to explore innovative career pathways, stay updated with regulatory frameworks, or build a professional network, this training program serves as a transformative platform for future-ready practitioners. The inaugural batch of the programme was successfully conducted from 10th to 16th February 2025 at the Centre of Excellence (COE), Jaipur, ICAI. Currently, the Committee for Members in Practice (CMP) is in the process of revamping the structure of the programme to further enhance its effectiveness and relevance.

- **Promoting Networking & Other Consolidation Measures of CA Firms**

The Committee for Members and Practice is promoting Merger, Networking, Practice in Corporate Form for Practitioners/CA Firm spreading knowledge by conducting a flagship, Two Days National Networking Summit on Accelerating & Maximizing Practice.

- **National Conference, Seminars, Workshops organised by the Committee on Various Topics for the Capacity Building of the Members of ICAI**

The Committee organized approximately 68 capacity building programmes for practicing members, covering a wide range of topics including Income Tax, Indirect Taxation, Union Budget, GST, Bank Audit, Multi-Disciplinary Partnership Guidelines, Harnessing Technology for Enhanced Auditing, Charitable Trusts, and Emerging Avenues for CAs in Practice. These programmes collectively benefited around 9159 members.

(III) Arrangements under "Member Benefit" of ICAI:

The Committee for Members in Practice extends various welfare measures to its members through arrangements with leading service providers for offering services at concessional rates, which the members may choose to avail from the committees website https://cmpbenefits.icai.org/. The Committee for Members in Practice has taken various initiatives to arrange for Beneficial Products and/or Services especially crafted for the members of ICAI.

(IV) List of arrangements under "Member Benefit" are as follows:

- **Insurance Products**
  - Health Insurance NIA
  - Personal Accident Policy NIA
  - House holder Insurance NIA
  - Motor Vehicle Insurance NIA
  - Professional Indemnity Insurance NIA
  - Office Protection Shield Policy NIA
  - Group Term Insurance scheme LIC
  - Term Insurance Scheme HDFC Life
- **Software Products**
  - Practice Management Software for CA. Practitioners and CA. Firms
  - AnyAudit – Audit Analytics Software
  - Assure AI - Audit Analytics Software
  - Zoho Software
  - Tally Software
  - Accounting & Audit Automation Tool – Suvit
  - Access to Probe42 Platform
  - Cloud Based Ecosystem
  - Billing and Accounting App- Fynone
  - Billing Software- My Bill Book
  - Click2Confirm- App for Balance Communication
  - EASYOFFICE
  - GST Audit Software -Bill Mantra
  - GST Software by SPEQTA
  - GST, TDS Software by KDK
  - Microsoft Office 365 Licenses Services
  - Quick Heal Antivirus
  - Razorpay X Payroll and Banking Plus Platform
  - SAG Infotech- GST Software
  - Simplify Practice Management Software
  - TDS Software -TDSMAN
  - White-Label Appointment Management and Online Consultancy Platform - MyMeet.io
  - Wrap Tax- Digital Confirmation/ Reconciliation Software
  - XBRL Product & PowerGST Software by Microvista
  - Access to NeSL Information Utility for Audit by NeSL (National E-Governance Services Ltd)
- **Publications**
  - Special offer on Budget Publications & Other Publications

- **Loan Facilities**
  - ➢ SME Finance for Chartered Accountants under CLP by SBI
  - ➢ BOB Credit Cards
  - ➢ Online PSB Loans
- **Healthcare Services**
  - ➢ Discounted Healthcare Services by Apollo Pro Health
  - ➢ Discounted Healthcare Services by Dr. Lal Pathlabs
  - ➢ Discounted Healthcare Services by Medanta
  - ➢ Discounted Healthcare Benefits by Max Health care
  - ➢ Discounted Health Care Services by Fortis Healthcare
  - ➢ Discounted Health Care Services by Apollo Diagnostic services (AHLL)
  - ➢ Health Benefit Plan by Trueworth Wellness
- **Other Benefits**
  - Exclusive offer on Products from Samsung Electronics

7.5 Committee on MSME & Start-up

The Committee on MSME and Startup is a non-standing committee of the ICAI, established to address the critical needs of the MSME and Startup sectors in India. Its primary objective is to enhance capacity through the development of sustainable frameworks tailored specifically for these sectors. By focusing on training, advocacy, and policy recommendations, the committee aims to bolster the growth and resilience of Indian MSMEs and startups, thereby fostering a conducive environment for entrepreneurship and economic development.

(I) Initiatives of the Committee on MSME & Startup, ICAI

To enhance the capacity building measures of MSME & Startups, the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) through the Committee on MSME & Start-up launched various initiatives on MSME & Start-up.

- **ICAI Startup Manthan-** The Committee on MSME & Start-up organized ICAI Startup Manthan on 17th January 2025 at Jio World Centre, BKC, Mumbai. This program brings together thought leaders, investors, entrepreneurs, and key stakeholders in the startup ecosystem to discuss pertinent issues and share valuable insights. The event covered Government ecosystem, new avenues, funding challenges, exit strategies along with felicitation from Asia & India book of records for ICAI MSME & Startup yatra 2024.
- **Startup Sphere 2024-** The Committee on MSME & Startup, along with related ICAI directorates, organized the three-day Startup Sphere 2024 event in Bengaluru from June 27-29, 2024, themed “Startup Synergy: Collaborate, Create, Conquer.” The event showcased government support, funding sources, startup valuation, digital marketing, and celebrated International MSME Day. It brought together founders, investors, and leaders from 15 unicorn startups, including Swiggy and CRED, and featured prominent guests. Sessions covered fundraising, angel investing, venture capital, and Web 3.0 opportunities. The event also launched the ICAI MSME and Startup Yatra, a 100-city campaign promoting financial and tax literacy for startups and MSMEs. Supported by Startup India and other bodies, Startup Sphere 2024 reinforced ICAI’s role in fostering innovation, entrepreneurship, and collaboration, contributing to India’s economic and technological growth.
- **ICAI MSME & Startup Yatra 2024-** The Committee, in collaboration with the Financial and Tax Literacy Directorate, launched the “ICAI MSME & Startup Yatra” on 27th June 2024, flagged off from Bengaluru on 29th June. This 100-day road journey covered around 19,000 km across multiple states until 19th October 2024, aiming to raise awareness about Central and State Government schemes and opportunities for MSMEs and Startups. The campaign, under the theme “Financial & Tax Literacy” and part of ICAI’s “Hamara Sankalp Viksit Bharat” initiative, focused on building a sustainable Indian enterprise ecosystem by educating stakeholders on financial and tax matters, continuing the momentum from the MSME Yatra 2022.
- **Coffee Table Book on ICAI MSME & Startup Yatra 2024-**Coffee Table Book on ICAI MSME & Startup Yatra 2024 was released during the celebration of the 75th Annual Day of ICAI, organized on the sidelines of the World Forum of Accountants (WOFA) on 2nd February 2025 at Yashobhumi,

Dwarka. The Coffee Table Book provides comprehensive visual and narrative documentation of the ICAI MSME & Startup Yatra 2024, capturing key insights, initiatives, and milestones.

- **ICAI Pavilion at the Global Investors Summit (GIS) 2025, Bhopal-** The Committee on MSME & Startup, ICAI, participated in the ICAI Pavilion at the Global Investors Summit (GIS) 2025 held on 24–25 February in Bhopal, Madhya Pradesh. With over 10,000 delegates in attendance, the summit offered a key platform to highlight ICAI's contributions to international trade, accounting, and capacity building for MSMEs and Startups. Positioned near the MP MSME Pavilion, the ICAI exhibit focused on its role in promoting entrepreneurship and featured key publications such as the background material for the Certificate Course on Startup and "A Bird's Eye View of MSMEs and SMPs in the Indian Economy," underscoring its commitment to the sector's development.

- **Certificate course on Startup-** The Committee is conducting the Certificate Course on Startup is intended to equip Chartered Accountants to provide professional services as well as entering into Startup space themselves; to help achieve the national objectives. The Certificate course makes the Members of ICAI to be a business solution provider for Startup Sector. More than 1200 members participated in certification course on Startup.

- **Certificate course on MSME-** The Committee conducted the Certificate Course on MSME intended to equip Chartered Accountants to provide professional services as well as entering into MSME space themselves; to achieve the national objectives. The Certificate course makes the Members of ICAI to be business solution providers for MSME Sector. Approx 1700 members appeared for Certificate Course on MSME.

- **Residential Refresher Course-** The Committee has successfully conducted three batches of the Residential Refresher Course (RRC) at I-Hub, Ahmedabad on the theme "Startups & the Role of CAs as Investment Catalysts", receiving an encouraging response from approximately 200 ICAI members. This RRC provides a platform for networking, discussions, and exchange of insights with industry experts, investors, and regulatory bodies.

- **Zee Studio: Startup Special – 5-Episode Series**- As part of its efforts to spotlight innovation and entrepreneurship, Zee Studio launched a five-episode series highlighting India's dynamic startup ecosystem. The series featured expert insights and inspiring conversations, beginning with an overview of Startup Sphere 2024 and exploring emerging trends, challenges, and opportunities. It included exclusive interviews with Former Union Minister, discussing policy and innovation; Deputy MD of SIDBI, on financing and government support; CEO of MindMap Digital, on digital leadership; and entrepreneurs Co-founder & CEO of ProScaler.ai and Founder of SaffronStays, who shared their startup journeys. The series served as a valuable knowledge-sharing platform for aspiring entrepreneurs and stakeholders in the startup ecosystem.

- **National Startup Day** - **ICAI Startup Samvad Program-** In alignment with the Committee's initiative to celebrate January 2025 as Startup Month, ICAI branches were organized Startup Samvad Programs to create awareness and build capacity for entrepreneurs, Chartered Accountants, and other stakeholders. Four branches Aurangabad, Ballari, Tirupur, and Ranchi successfully conduct the Startup Samvad Program during January 2025.

- **Start-up portal-** The ICAI's dedicated portal https://startup.icai.org/ serves as a comprehensive platform connecting startups, Chartered Accountants (as business consultants), mentors, venture capitalists, and incubation centres. Key features include empanelment of mentors and investors to support startups, ICAI members offering consultancy in areas like corporate laws, valuation, and indirect tax, and showcasing CA-led startup success stories to inspire others. The portal currently has over 200 startups, 78 investors, and 269 mentors registered, fostering collaboration and growth within the startup ecosystem.

- **ICAI MSME Portal-** The Committee has a dedicated portal i.e https://msme.icai.org/ to providing an enabled ecosystem for networking, knowledge sharing, query resolution mechanism and exchange of services where any MSME can benefit from the expertise of the Chartered Accountants. There are 381 MSMEs registered on the portal.

- **Start-up Incubation Centres-** Taking the journey forward to develop the startup ecosystem within ICAI, we have initiated the Startup Incubation Centres to facilitate start up ideas towards fostering the enterprising spirit and abilities of the Chartered Accountants. There are 10 Startup Incubation Centres at various cities established by ICAI.

(II) MOUs

- MoU with IIM Lucknow Enterprise Incubation Centre, Noida, Gujarat Student Startup, and Innovation Hub (I-Hub) & BIL-RYERSON Technology Startup Incubator Foundation, AIC-Nalanda Institute of Technology Foundation, Bhubaneswar, Odisha, AIC Mahamana Foundation for Innovation and

Entrepreneurship IM BHU, Varanasi for Capacity Building of Startups through ICAI Startup Gateway

- MOU with the autonomous agency Facilitating MSMEs Government of Tamil Nadu for Capacity Building of MSMEs through ICAI MSME Ecosystem
- MOU with the Government of Odisha through the intervention of the Micro, Small & Medium Enterprises Department for Capacity Building of MSMEs through ICAI MSME Ecosystem in the State of Odisha
- MOUs with the State Governments for Capacity Building of MSMEs in the direction of Atmanirbhar Bharat
- MOUs with the Universities, IIMs, IITs, State Governments, various departments of Central Government, State Government, organizations of repute, and other entities.

(III) Other Initiatives

- MSME Booklet " A Bird's Eye View of Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) and Small & Medium Practitioners in Indian Economy
- Background Material for Certificate Course on Startup
- Two Quarterly newsletters i.e ICAI Startup Manthan and MSME Updates

(IV) ICAI MSME Pathshala Series

The MSME Pathshala Series is an ongoing initiative designed to equip professionals with comprehensive knowledge of the MSME and Startup sectors. It focuses on key areas such as policies, financial frameworks, and growth opportunities, while keeping participants informed on government initiatives and industry trends. Starting this Council Year, each weekly session highlights a specific State MSME Policy to help members understand region-specific schemes. Topics covered include CA opportunities as MSME Growth Partners and state policies of Karnataka, Haryana, Maharashtra, and Andhra Pradesh, fostering continuous learning and deeper engagement with the MSME ecosystem.

7.6 Committee on Promoting Work Life Balance

The Committee on Promoting Work-Life Balance is a newly constituted in the Council Year 2025–26, body with the vision to empower ICAI stakeholders to harmonize their professional commitments along with personal well-being. The Committee is committed to nurturing a healthy work-life balance, encouraging sustainable career growth, and strengthening ICAI's standing as a globally recognized leader in the accountancy profession. Through this endeavor, the Committee aspires to cultivate not only enhanced professional excellence but also a more fulfilling quality of life.

(I) Details of Programmes undertaken by the Committee as part to promote Wellness

To commemorate World Laughter Day on 4th May, 2025, the Committee hosted a lively and engaging celebration across ICAI's Regional Offices and Branches nationwide. Chartered Accountants from all corners of the country—from Jammu & Kashmir in the North to Trivandrum in the South, and from Dibrugarh in the East to Bhuj in the West—participated with enthusiasm and unity. Many Chartered Accountants showcased their talents through engaging performances such as mimicry and stand-up comedy in various branches. The event highlighted the uplifting power of laughter as a natural remedy for stress, fostering a sense of community and well-being among members.

(II) Webcast organized by the Committee to highlight the significance of physical and mental health as a key component of Promoting Work Life Balance

In May 2025, the Committee organized a series of wellness-focused webinars for Chartered Accountants, covering diverse aspects of personal and professional well-being. Topics included redefining fitness "From Calculators to Kettlebells", life planning and balance, Work and Wellbeing:", mental resilience "Stronger Minds, Sharper Numbers" and relationship building beyond the workplace "Nurturing Connections" etc.

7.7 Continuing Professional Education Committee (CPEC)

The Profession of Chartered Accountancy plays a critical role in enhancing transparency, ensuring compliance, and supporting effective decision-making across both public and private sectors. This profession represents foundation of financial integrity and strategic advisory within the global business environment. Chartered Accountants (CAs) are distinguished by their rigorous education, comprehensive professional training, and unwavering adherence to ethical and regulatory standards. Their expertise spans financial reporting, auditing, taxation, and business advisory services, making them integral to sound financial governance. ICAI through its Continuing Professional Education Committee, consistently strives to provide meaningful learning opportunities for its members. Continuing Professional Education (CPE) is not merely a mandatory requirement but a strategic investment in the professional growth of Chartered Accountants. It yields substantial returns in the form of enhanced technical proficiency,

broader professional networks, and the confidence to address emerging complexities in the financial landscape. In a rapidly evolving business and regulatory environment—marked by the introduction of new accounting standards, dynamic compliance frameworks, and technological advancements—staying informed and up to date is essential. The CPE Committee of ICAI equips members with the necessary knowledge and tools to adapt to these changes effectively. By doing so, it empowers Chartered Accountants to consistently deliver value to their clients and organizations, upholding the highest standards of professional competence and integrity. Furthermore, a strong emphasis on continuous professional development ensures that Chartered Accountants remain current with evolving regulations, technologies, and business practices.

(I) Significant Achievements and Initiatives

- **Organisation of National Level Programmes**

CPE Committee organised a 2-day National CA Conference 2024 on the theme "**समृद्धि**: Fostering Growth, Fuelling Success" hosted by Bhubaneswar Branch of EIRC of ICAI. The Conference was inaugurated by the Chief Guest, then Governor of RBI & Guest of Honour, CMD GAIL (India) in presence of the then President, ICAI in presence of other dignitaries. More than 1250 delegates from across the Nation has attended this historic Conference. The sessions were taken by the galaxy of star speakers who enriched the participants with an illuminating and educative experience. In the Valedictory Ceremony, Deputy Chief Minister of Odisha was Chief Guest along with CMD of NALCO, were present.

- **Focus on quality and availability of CPE Programmes across globe and to enhance quality of CPE Programmes in terms of CPE Learning & Delivery Mechanism**

To enhance the quality and relevance of CPE programmes, the CPE Committee of ICAI (CPEC) has strengthened its regulatory framework with improved topic selection, faculty engagement, and programme structuring. A stricter monitoring system ensures compliance by CPE Organising Units (POUs), promoting accountability and continual improvement. CPEC has also introduced a faculty review and feedback mechanism to assess teaching effectiveness and build a strong pool of competent faculty. The CPE Portal now features an advanced faculty search tool for better faculty selection. Additionally, CPEC provides financial support to Regional Councils, Branches, and Study Chapters to promote accessible, high-quality learning across India.

- **सर्व-सुलभ CPE Programme - To reach out to the Member of ICAI at remotest place of country for dissemination of knowledge**

With the objective of promoting the ICAI brand, the CPE Committee has undertaken a new initiative this year aimed at reaching even the remotest members of ICAI across the country for effective dissemination of knowledge. This initiative has been themed as 'सर्व-सुलभ – CPE Programme' and it ensures for the effective transmission of knowledge to every ICAI member, regardless of their location.

- **New format of CPE Calendar of topics for 2025-26**

The CPE Committee revises the CPE Calendar of topics every year for organizing CPE Programmes through its CPE POUs. This year, the Chairman of the CPE Committee has proposed a revamp of the CPE Calendar, suggesting a new format and a more visually appealing design to enhance its presentation. In line with above, this year, the CPE Calendar has been featured in three comprehensive parts i.e Part A outlines standard programme structures focused on current thrust areas within the professional landscape. Part B offers a module-wise learning framework, complete with defined CPE hours and Part C presents an extensive list of suggested topics relevant to Chartered Accountancy professionals.

- **Organizing of "Train the Trainers" and "Faculty Development Programmes" for development of faculty database by CPE Committee and to have their regular monitoring and review system**

With the objective of building a nationwide pool of skilled and effective faculty members, the CPE Committee has initiated and proposed "Train the Trainer" programmes across the country. These programmes are designed to equip potential and existing faculty members with the necessary tools and techniques to deliver high-quality learning experiences during CPE sessions. The "Train the Trainer" initiative serves as a strategic approach to enhance the pedagogical capabilities of subject matter experts. It focuses on key areas such as effective teaching methodologies, fostering inclusive and engaging learning environments, improving communication and presentation skills, and mastering the art of public speaking. Through this initiative, the CPE Committee aims to ensure that faculties are not only experts in their subject areas but are also proficient in delivering knowledge in a professional, impactful, and learner-centric manner.

- **Identification of new CPE POUs to be opened in all Districts/Tehsils in India to connect and facilitate the members in mofussil/remote areas to undergo CPE activities**

The CPE Committee as per its Action Plan 2025-26 proposed to reach to 1000+ POUs in all States/Districts/Tehsils (Mofussil Areas) in India to facilitate CPE learning to all members of the ICAI residing in far flung areas of the country. The Committee is keen in expanding its strong Network base of 696 POUs vide opening of CPE POUs in all Districts/Tehsils in India to Connect and facilitate the members in mofussil/remote areas to undergo CPE activities. With this aim, the CPE Committee proposed to open CPE POUs in all States/Districts/Tehsils in India to facilitate all members of the ICAI residing in far flung areas of the country for organisation of CPE programmes and for helping/aiding the members in mofussil/remote areas to undergo CPE activities in their jurisdiction areas. In this regard, the Committee researched on the data of ICAI Members and identified the possibility of opening new CPE Study Chapters & Study Groups as CPE POUs in all Districts/Tehsils in India and accordingly informed and invited all the ICAI Members District-wise with a request to identify and inform the other areas where CPE POUs (CPE Study Chapters and Study Groups) may be opened.

- **Members feedback on CPE Mechanism and implementation**

Recognizing the importance of Continuous Professional Education (CPE) in a rapidly changing environment, the CPE Committee is committed to supporting members' professional growth. To improve CPE guidelines and delivery, an online feedback form has been introduced to gather members' experiences, preferences, and suggestions. This input will help tailor the CPE framework to better meet members' needs and enhance the overall effectiveness of the program.

- **Providing Opportunities for CA Professionals -**

  - **To participate as a Speaker / Faculty/ Moderator in the CPEC Webinars**

  CPE Committee is committed to provide sufficient opportunities to Members by providing suitable platform to act as a Speaker / Faculty/ Moderator. Taking it forward, during 2024–25, the Webinars were held every Wednesday and Friday, offering opportunities to approximately 400 members to participate as Speakers, Faculty, or Moderators in the CPEC Webinars.

  - **Introduction of Webinar series on 'Opportunities for CAs in emerging areas' in the year 2025 :**

  This year, the Committee has taken an initiative by introducing three Webinar series for the benefit of CA Professionals, on following emerging areas i.e :- Opportunities for CA Professionals in Foreign Country, in specific Industries (Sector wise) and in Government Schemes (Sector wise)

- **Re-constitution of CPE Regional Monitoring Committee (RMC) in all five Regions for the Council year 2025-26**

For 2025-26, the CPE Committee has reconstituted Regional Monitoring Committees (RMCs) in all five regions to oversee CPE activities. Their responsibilities include reviewing monthly reports and attendance on the CPE Portal, addressing issues faced by CPE units, monitoring the functioning of study chapters and circles, nominating monitors, collecting and compiling participant feedback, and submitting quarterly reports. RMCs are also required to meet at least once every quarter and report their proceedings to the CPE Committee.

(II) IT Initiatives undertaken by the CPE Committee for Members & CPE Programme Organising Units (CPE POUs)

- **Automation of CPE Portal and development of Mobile Application for CPE Activities and attendance solution through digital mode/face recognition**

The CPE Portal is a comprehensive platform managing ICAI's CPE activities, awarding Structured and Unstructured CPE Hours. The CPE Committee is enhancing the portal with advanced IT features like a redesigned interface, single sign-in, real-time attendance tracking, and improved faculty management. Upgrades also include member and POU dashboards, WhatsApp notifications for CPE status, and integration with the ICAI digital learning hub, aiming to improve user experience, transparency, and accessibility while serving as a knowledge hub for members.

Initiative towards Partner in Nation Building

- **Connecting with Members:-**

To enhance outreach and accessibility, the CPE Committee has established 17 new CPE Programme Organising Units (POUs), bringing the total to 696 across India and abroad. This network, including ICAI branches, foreign chapters, committees, study circles, and chapters, plays a key role in delivering structured CPE programmes, especially in remote areas. The CPE Committee is also encouraging members to identify and

establish new POUs in underserved regions, promoting equitable and inclusive access to professional development for all ICAI members.

- **Knowledge dissemination:-**

  - **Seminars/ Webinars/Workshops/RRCs:**

  To accelerate the process of continuous learning and professional development, the Continuing Professional Education Committee (CPEC) has been proactively organizing an increasing number of programmes on topics of current and emerging professional interest. These programmes are being conducted across various parts of the country and abroad, ensuring wide geographic coverage and accessibility. The formats include National Conferences, Seminars, Workshops, Webinars and Residential Refresher Courses. These initiatives reflect the Committee's commitment to equipping members with updated knowledge, practical insights, and technical skills required to stay updated in a rapidly evolving professional landscape.

  - **Strengthening the Branding & enhancement of Capacity building of Members through continuous learning process:**

  For skill upgradation and to update the knowledge of members, CPE Committee is organising programmes on traditional and non-traditional areas on regular basis. In addition to imparting training on technical topics, the Committee is also focusing on updating public speaking skills of members and mentoring them to become thought leader. The programmes being organised revolves around: Disseminating knowledge on the theory and practice on various Technical and current professional topics. Enhancing role of members in diversified areas of profession. Providing networking opportunity to members. Members were given opportunity to come forward and they were given chance to become faculty/Moderator in the CPE Committee programmes.

- **Details of Interactive meet organised by CPEC:**

  ➢ **Exclusively with the Convenors & Deputy Convenors of CPE Study Circles, CPE Study Chapters & CPE Study Groups and with the Chairmen and Managing Committee members of Regional Councils and Branches**

  The CPE Committee has organised various interactive meetings with the Chairmen & Vice-Chairmen of Regional Councils & Branches and also with the Convenors & Dy. Convenors of all CPE Study Circles, CPE Study Chapters and CPE Study Groups, Region-wise in Online mode, seeking suggestions for further improvement in the Continuing Professional Development policies and programmes, to educate them about various policies, guidelines and initiatives of CPE Committee as well as to understand expectation/to get feedback of CPE POUs for improvisation of CPE Programmes etc. The CPE Committee has organized 4 Interactive meetings in online mode.

  ➢ **All India Managing Committee Members Meet (AIMCMM) 2025 organised jointly by RBA Directorate & CPE Committee from 21st to 23rd March, 2025**

  The All India Management Committee Members Meet (AIMCMM)–2025 was held from 21st to 23rd March in New Delhi, jointly organized by the CPE Committee and RBA Directorate. Over 250 Convenors and Dy. Convenors of CPE Study Circles and Chapters attended the event, which focused on the 2025–26 Action Plan, CPE policies, guidelines, and recent initiatives. The meet aimed to gather feedback for improving CPE programmes, enhancing member compliance, and promoting best practices. Themed *"VISHWASNIYA"*, the event served as a platform for orientation, strategic planning, and knowledge sharing.

(III) Major Events undertaken directly by CPE Committee:-

- **Online CPE Learning events-**

The CPE Committee of ICAI regularly organizes online CPE events to promote knowledge sharing and continuous professional development. These virtual sessions keep members updated on emerging trends, regulatory changes, and best practices, while also contributing to Unstructured CPE hours. The initiative supports lifelong learning and helps members stay aligned with the evolving professional landscape.

- **National Conferences/ Residential Refresher Course (RRC)/ Webinars and Seminars/Workshops:-**

The CPE Committee organised 12 National Conference on Indirect Taxes & Direct Taxes, Capital Market, AI and Income Tax, GST & Its Litigation, Company Audit & Its Financial Statements and Artificial Intelligence etc. The CPE Committee organised 9 Residential Refresher Course (RRC) on Recent Issues in Trust, Overview of Valuation and Notices u/s 148 & 148A, Income Tax and GST, Aggregation & Merger of Audit Firms, Code of Ethics and SME IPO etc. The Committee organised various Webinars, Seminars and Workshops.

(IV) Members Education and Capacity Building:-

- **CPE Programmes directly by the CPE Committee**

The CPE Committee organised 154 Physical and Virtual Programmes for the Members to empower and enhance learnings in diversified fields by adding to their skillsets they can offer:-

Sl. No.	Details of CPE Programmes	Number
1.	National Conference	12
2.	Seminar & Workshop	77
3.	Residential Refresher Course	9
4.	Webinars	60

- **Details of CPE Programmes organised by its POUs**

The CPE Committee of ICAI has a strong network base of 696 CPE POUs (177 Branches, 50 Foreign Chapters, 50 Central Committees of ICAI, 145 CPE Study Circles etc.) spread in all over India and Abroad for organisation of CPE programmes and also for helping the members in mofussil/remote areas to undergo CPE activities. The data of CPE Programmes organised by the CPE POUs of ICAI is as under :-

Sl. No.	Particulars	(from 1.4.2024 to 30.5.2025)
1.	Total CPE Events (Physical and Virtual)	9,736
2.	Total Number of Members Participated	8,79,333
3.	Total CPE Hours granted	49,222
4.	Total CPE Hours generated	47,50,148

- **Total CPE Programmes for the benefit of Members**

9,763 CPE Programmes were organised for the Members across the country (includes 8,459 CPE Programmes in Physical mode from 1st April, 2024 to 30th May, 2025), by the CPE Programme Organising Units of ICAI on various topics of professional interest.

- **National Level Programmes and other Important Events**

Sl. No.	Type of CPE Programme organized	(from 1.4.2024 to 30.5.2025)
1.	Live Webcasts/Webinars by various POUs of ICAI	1,304
2.	Certificate Courses for the Members by Central Committees of ICAI	160
3.	Post-Qualification Courses by the Central Committees of ICAI	75
4.	Foreign Languages in online mode –Japanese, Spanish and French	12
5.	Batches of Pre-registration Education Course by ICAI RVO	12
6.	Batches of Pre-registration Education Course by IIIPI	4

(V) Supporting Society – Commitment to Nation :-

ICAI organises various other programmes supporting the initiatives of the Government for effective implementation of the same in various parts of the Country through its strong network base of 696 CPE Program Organising Units. Following are the topic wise details of these CPE Programmes being organised in Physical mode and in Virtual Mode

Sl.No.	Topic of CPE Programme	(from 1.4.2024 to 30.5.2025)
1	GST and GST Audit	1,726
2	Ethical Standards, Code of Ethics, Professional Ethics	461

3	Professional Skill Enrichment	377
4	Standards on Auditing	336
5	MSME, Ease of doing Business in India, Start-ups	333
6	Artificial Intelligence	325
7	RERA	230
8	Business, Banking and Insurance, Financial Services	182
9	Companies Act	98
10	Insolvency and Bankruptcy Code	92
11	AQMM	83
12	Soft Skills, Stress Management, Lifestyle Management where Yoga is way of life, Work Life Balance	77
13	Business Responsibility and Sustainability Reporting	62
14	Investor Awareness	51

7.8 Professional Development Committee (PDC)

The Professional Development Committee was established in 1962 with a mission to enhance skill sets of the members of the Institute in the existing and new areas.

(I) MEETINGS WITH VARIOUS REGULATORS AND OTHER OUTSIDER BODIES:

The PDC in its efforts to explore the unchartered areas for professional opportunities interact with the Government, regulatory authorities etc. requesting them to avail the expertise of the Chartered Accountants and utilize their services in various areas.

- **Meetings held with Audit Relation Group, Department of Supervision, RBI :**
  - Meeting with Audit Relation Group, RBI, Mumbai on 3rd June, 2024 at Mumbai to discuss various issues concerning the audit profession in the banking industry including introduction of additional criteria for categorization of firms, Reintroduction of cooling period in Public Sector Banks, Increase in the audit fee for Statutory Central and Branch Audit assignments, Increase in Coverage of Advances vis-à-vis Concurrent Audit System etc.
  - Meeting with the Audit relation group of the RBI on 8th October, 2024 wherein concerns raised by members with respect to a situation where the partnership firm looses the opportunity to get empaneled with RBI owing to the fact that it has only one partner being exclusively associated with the firm were taken up by ICAI. Apart from the same, various other issues concerning the audit profession in the banking industry were discussed.
  - Meeting with RBI on 14th February, 2025 on 'Coordination of Regional Chapters of ICAI with the Regional Office of RBI on NBFC-Related Matters.
  - Meeting with Executive Director, RBI on 1st April, 2025 at Mumbai to discuss matters relating audit of regulated entities of RBI including appointment of SCAs and SBAs, Coverage of advance and Branches under audit, Policy of rotation as well as cooling period in Public Sector Banks, Discretion proposed to be provided to the Public Sector Banks in the matter of remuneration of auditors and among others.
  - Meeting with Executive Director, RBI on 8th April, 2025 at Delhi to discuss various matters pertaining to Governance Framework of Audit in Public Sector Banks.
  - Meeting with CGM, Department of Supervision, RBI on 29.05.2025 at Mumbai to discuss various matters concerning the audit profession in the banking industry including structured training programme for Audit Committee Chairman of Board of Banking Industry, proposal of regular meetings between RBI and ICAI, awareness about NBFC compliances etc.

- **Various meetings were held with the O/o Central Registrar of Cooperative Societies, Ministry of Cooperation**

- Meeting with Joint Secretary and Central Registrar of Cooperative Societies, Ministry of Cooperation on 16th July, 2024 wherein various concerns relating to the panel of auditors for Multi State Cooperative Societies prepared by the Office of Central Registrar of Cooperative Societies were discussed.
- Meeting with Joint Central Registrar of Cooperative Societies, Ministry of Cooperation: A meeting was held with Joint Central Registrar of Cooperative Societies, Ministry of Cooperation on 29th July, 2024 wherein issues related to the empanelment of auditors for UCBs and Multi State Cooperative Banks were discussed.
- Meeting with Central Registrar of Cooperative Societies, Ministry of Cooperation on 7th October 2024 with Central Registrar of Cooperative Societies, Ministry of Cooperation to discuss various concerns raised by the members with regard to order 3rd October, 2024, issued by Office of Central Registrar; notifying the panels of auditors for the FY 2024-25.
- Meeting with Central Registrar of Cooperative Societies, Ministry of Co-operation on 16.12.2024 for discussing strengthening of audit mechanism, Standards/Norms of Auditing and Accounting and panel of Auditors in the Multi-State Cooperative Societies.
- Meeting with the Central Registrar of Cooperative Societies, Ministry of Cooperation on 19th February, 2025 to discuss ICAI's suggestions on the guidelines on the empanelment for the appointment/reappointment of Statutory and Concurrent Auditors of Multi-State Cooperative Societies, including Multi-State Cooperative Banks.
- Meeting with CRCS, Ministry of Cooperation on 30.04.2025 to discuss the challenges faced by audit firms, particularly with respect to Concurrent Audit assignments.
- Meeting of the Committee constituted by the Ministry of Cooperation on 13th May, 2025 for formulation of Auditing and Accounting norms, standards and Auditors panel for Multistate Co-operative Societies.

- **Meetings in National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)**
  - Meeting with CGM, NABARD on 16.04.2024 to discuss various issues pertaining to audit to RRBs and Co-operative Audits and preparation panel in line with Guidelines regarding the appointment/re-appointment of Statutory Auditors for State Co-operative Banks and Central Co-operative Banks (StCCB's and CCB).
  - Meeting with CGM, NABARD on 25.07.2024 to discuss issues related to Statutory Audit of RCBs and RRBs and certain matters of Cooperative audits.
- **Meeting was held with Deputy Chief Executive, Indian Bank's Association** on 15.10.2024 at Mumbai to discuss various aspects of Banking sector vis-a vis the role of Chartered Accountants including recommendations of ICAI on Advisory dated 27th May 2024 issued by IBA in respect of remuneration payable to SCAs and SBAs for various items of audit works; involvement of ICAI in certain aspects of empanelment for Forensic Audit and ASM audit; dissemination of information about the panel of ICAI in respect of "OA" category introduced by ICAI for "Other assignments" in Banks; issues arising due to lack of uniformity in formats of certificates etc.
- **Meeting was held with Chief Executive, Indian Bank's Association** on 29.05.2025 in Mumbai to discuss various matters of Banking sector with respect to the role of Chartered Accountants.
- **Meeting with the Office of C&AG**
  - Meeting held with Deputy C&AG, DG Commercial-I and DG Commercial-II, O/o C&AG on 26th February, 2024 to consider the issues reported by members due to suspension of internet services owing to the ongoing farmer protests in various regions of Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh and outskirts of Delhi & NCR, a representation was submitted to consider opening the online application for Empanelment for Chartered Accountant Firms/LLPs for the year 2024-25 for two days.
  - Meeting held with DG Commercial-I, O/o C&AG on 12.06.2024 to address various representations with regard to data furnished with O/o C&AG under the head "Branch details, a One-Time online window was opened from 05.07.2024 to 08.07.2024, to update/add/delete the data relating to their branch offices alongwith their members stationed at a particular branch office submitted by the applicants in their Online application filed with O/o C&AG.

- **Meeting with Department of Posts (DoP)** on April 24, 2024 to explore professional opportunities for Chartered accountants in auditing post offices and discuss various matters concerning the accounting and auditing systems including transition from a cash accounting system to an accrual-based accounting system.

- **Meeting with Department of Financial Services, Ministry of Finance** on 7th May, 2024 at New Delhi to discuss the matter related to the revision of audit fees for statutory auditors of Regional Rural Banks (RRBs) and the proposal for an upward revision of the fees for RRBs was submitted under the signatures of President, ICAI.
- **Meeting with Senior Advisor, Niti Aayog** on 7th May, 2024 at New Delhi to discuss on the collaboration between ICAI and NITI Aayog WEP for empowering women entrepreneurs. In this regard, deliberations were made on materializing the MOU between WEP and ICAI. Every month, NITI Aayog conducts the AskWEP series on various topics to provide knowledge to women entrepreneurs. For the sessions to be held, the ICAI as a knowledge partner, is supporting the event by sharing the program structure and providing speakers/ moderator for the relevant topics.
- **State Level Coordination Committee (SLCC) meetings held during the year :** During the year more than 50 SLCC meetings were held by RBI all across India which were attended by the representatives of ICAI.

(II) ACHIEVEMENTS:

- **Representation to the Hon'ble Finance Minister, Govt of India on the issue of Modification in the Banking Law (Amendment) Bill, 2024** providing discretion to public sector banks in the matter of remuneration of auditors. In this regard, concerns were raised by members of the ICAI opposing the amendment as these changes may inadvertently weaken governance frameworks in public sector banks.
- **Feedback to the office of C&AG on the policy of empanelment and allotment of chartered accountants:** A meeting in this regard was also held with Director General (Commercial-II), Office of Comptroller & Auditor General of India on 03.01.2025.
- **Submissions made to Audit Relation Group, Department of Supervision, RBI** on various matters concerning the audit profession in the banking industry including introduction of additional criteria for categorization of firms, Reintroduction of cooling period in Public Sector Banks, Increase in the audit fee for Statutory Central and Branch Audit assignments, Increase in Coverage of Advances vis-à-vis Concurrent Audit System, Draft Training Programme structure for Audit Committee Chairman of the Board of PSB etc.
- **Recommendation regarding Guidelines for empanelment O/o Central Registrar of Cooperative Societies, Ministry of Cooperation** on 30th January, 2025 with regard to suggestions of ICAI on Appointment / Re-appointment of Statutory/Concurrent Auditors of Multi-State Cooperative societies including Multistate co-operative banks. Apart from the same, at various occasions submissions were made to the Office of CRCS highlighting the concerns raised regarding panel of auditors adopted for Statutory/Concurrent Auditors of Multi-State Cooperative societies including Multistate co-operative banks.
- **Recommendations to Indian Banks' Association** 27th May 2024 issued by IBA in respect of remuneration payable to SCAs and SBAs for various items of audit works was submitted to IBA;
- **Introduction of additional category apart from Categories of RBII-** PDC has introduced a new MEF category, "OA" (Other Assignments), to help small or new CA firms that don't qualify for RBI's statutory audit norms. This category enables them to get non-statutory assignments like concurrent and stock audits. It includes firms or individuals exclusively associated with the applicant as of 1st July. Banks and relevant authorities are being informed to consider these firms for such assignments.
- **Representation for Reconsideration of Pre-Qualification Criteria to bid in "Invitation for Proposal for Empanelment to take up Assignments Relating to Forensic Audits" issued by Home Department, Government of Maharashtra-** The PDC, based on DAAB's recommendation and with the Chairman's approval, submitted a representation to the Home Department, Government of Maharashtra regarding their forensic audit empanelment criteria. It highlighted that Chartered Accountants, through ICAI's FAFD course and FAIS 420 standard, are trained in digital forensics and can take expert assistance when needed. Therefore, CAs should be allowed to participate in bids for digital forensic assignments.

(III) Submission of Panel to Various Authorities:

The Panel of Chartered Accountants/Firms was provided to various authorities/agencies. Details of submissions made is given below:

- Assistant General Manager (Finance), National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation, Delhi

- Legal Section of ICAI for onward submission to National Company Law Tribunal, Kolkata.
- Chief General Manager, NABARD, Mumbai of All India (state-wise) audit firms for conduct of Statutory Audit of State Cooperative Banks (StCBs) and Central Co-operative Banks (CCBs) for FY 2023-24
- Assistant General Manager, Indian Overseas Bank
- The Deputy Director, (NT/IT and Administration), The Institution of Engineers (India)
- The Deputy General Manager, Inspection & Audit Department, Indian Bank, Head Office, Chennai- 600001
- The Deputy Official Liquidator, High Court, Madras
- Senior Manager, Inspection & Audit Department, Tamil Nadu Grama Bank, Head Office – Salem
- General Manager, Bank of India, Credit Monitoring Department, Head Office, Mumbai
- Manager - Internal Audit Department, Saraswat Co-operative Bank Ltd. (Scheduled Bank), Mumbai
- Superintendent of Police, North Range, Directorate of Vigilance and Anti-Corruption, No. 293, Chennai
- Assistant Manager, National Pension System Trust
- Assistant Manager, Securities and Exchange Board of India (SEBI)

(IV) OTHER ACTIVITIES:

Various Programmes/Meets organised by the Committee:

- **An Interactive meet themed as "*Celebrating ICAI's 75 years Legacy with Indian Banking Sector- Pioneering the path for Amrit Kaal in India*" held on 19th June, 2024 at Mumbai** on the topics of "Regulatory Compliance and Governance in Banking" and "Automation in the Banking Sector: The Era of Digital Transformation." The meet was attended by more than 40 delegates in person.
- **Interactive Meet on Statutory Audit of Urban Cooperative Banks** with Statutory Auditors and CA Directors, CFO's, Chairman, Vice Chairman and Audit Committee Chairman of Urban Cooperative Banks at Kolhapur (26.08.2024), Nagpur (28.08.2024), and Faridabad (02.09.2024). Discussions were held on important topics like Challenges and critical aspects w.r.t. Compliances with Accounting Standards and Disclosures norms; CRAR / Treasury Audit / Regulatory compliances under BR Act and Co-operative Societies' Act; Statutory Audit Report, LFAR and Certifications and Challenges in system based NPA / IRACP.
- **Central Statutory Auditors' Meet 2025-26** on 24th March 2025 in Mumbai in Hybrid mode and more than 150 Central Statutory Auditors from Public Sector Banks, Private Sector Banks, and Small Finance Banks, participated in the meeting. A special session was on the "*RBI's perspective and Expectations from the Statutory Central Auditors.*" Discussions during the meeting encompassed several important topics such as Intricacies of Treasury Audit of SCBs in the light of revised Master Directions, Pondering over system based asset classification & Syncing with accounting, Certifications, LFAR, IFCoFR, Independent Auditor's Report by SCA and Usage of CAAT Tools/ Data Analytics.
- **Diploma and Certificate Courses organised/to be organised by the Committee :**
  - **Certificate Course on Project Financing:** 2 batches of certificate course have been conducted

Sl.No.	**Batches of Certificate Course on Project Financing**	**Duration of course**	**No of members registered**
1	1st Physical Batch	17th August to 1st September 2024	34
2	1st Online Batch	9th May 2025 and will end by 1st June 2025	88

  - **DIRM Course:** The Committee administers a Post Qualification Course on Diploma in Insurance and Risk Management (DIRM). The DIRM Course has three phases which a candidate has to undergo to become eligible for the award of Diploma in Insurance & Risk Management:

No. of members registered to the DIRM Course					Total	Qualified Eligibility Test	Qualified Technical Examination
Central Region	Eastern Region	Northern Region	Southern Region	Western Region			
1198	672	842	1569	1300	5581	1043	81 (but yet to undergo Orientation Programme)

- After seeking approval of the Council to conduct the Orientation Programme in online mode, the Committee conducted Two days DIRM Orientation Programme for members who have passed the DIRM Technical Examination during 27th May – 30th May 2025 through Digital Learning Hub, ICAI. To align the 2 - day DIRM Orientation Programme with current industry trends and professional requirements, the programme structure has been revised with the approval of the Committee.
- **Webinars, Seminars and Conferences**:

PDC commenced a series of Webinars under the name PDC's DNA-Discover New Avenues.

7.9 Professional Skill Enrichment Committee

In a first of its kind initiative, the Institute of Chartered Accountants of India has set up the Professionals Skills Enrichment Committee with an aim to enable all Chartered Accountants to realise their complete potential, to Understand requirements, Assess the present skills gap amongst all Chartered accountants and enable actions to enhance their competence and improve their visibility amongst the stakeholders.The Professional Skills Enrichment Committee proposes to organize Skills Enrichment Programmes during the year 2024-25. The key skills proposed to be covered are Branding skills, Communication skills, Critical thinking skills, Design Thinking, Emotional Intelligence, Entrepreneurial Skills, Inter-personal skills, Leadership skills, Listening Skills, Negotiation skills, Networking skills, Problem Solving skills, Public speaking skills, Team Building skills, Time Management, Work Ethics any other skill and new age, contemporary & other professional, technical and technological skills. The aforesaid programmes emphasis is on enriching skill sets of the Chartered Accountants.

Initiatives of the Professional Skills Enrichment Committee (PSEC), ICAI

- **Professional Skills Enrichment Committee, ICAI Awarded with the India Book of Records(IBR) & Asia Book of Records(ABR) for achieving various milestones**
  - Professional Skills Enrichment Committee, ICAI has been honoured by the India Book of Records (IBR) and Asia Book of Records (ABR) for conducting 97 programs on the record title of "Maximum Programs Conducted on Entrepreneurship Skills in a Day" across branches of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
  - Professional Skills Enrichment Committee, ICAI has been recognized by India Book of Records (IBR) and Asia Book of Records (ABR) for conducting 79 programs on the record title "Maximum Skill Enrichment Programs Conducted in a Fortnight" across branches of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- **An Interactive Virtual Workshop Series focused on Skills Enrichment for the Members of ICAI**: The ICAI Workshop Series is a structured platform encouraging members to actively participate and share insights. Conducted three times a week for 1.5 hours each, it focuses on enhancing professional and soft skills such as public speaking and communication. Led by expert faculties, these interactive sessions aim to equip Chartered Accountants with essential tools and techniques, promote continuous learning, and foster peer networking in a supportive environment.
- **Webcast Series on various aspects of Skills Enrichment of Chartered Accountants**: The webcast series focuses on Skills Enrichment for Chartered Accountants, offering in-depth sessions every Saturday, with five sessions monthly, including special programs during World Youth Skills Day and Skills Enrichment month in July and August 2024. Each session provides 2 CPE hours and covers a wide range of technical and soft skills like financial planning and leadership development. Delivered by expert speakers, the series offers a flexible platform for continuous learning, helping participants stay updated on industry trends, build new competencies, and engage in interactive discussions to support career advancement.

- **Enriching Entrepreneur Skills Program for Chartered Accountants**: Around 100 physical programs on entrepreneurial skills were conducted on June 26-27, 2024, aimed at equipping Chartered Accountants with practical insights and strategies for business innovation and leadership. Designed for CAs aspiring to enhance their entrepreneurial capabilities, the programs covered strategic planning, financial management, innovation, and leadership. Through interactive workshops, case studies, and mentorship, participants gained valuable tools to navigate business challenges confidently. This initiative reflects a strong commitment to fostering innovation and entrepreneurship among CAs, empowering them to become successful business leaders beyond their financial expertise.

- **World Youth Skills Day (Celebrated on 15th July 2024):** World Youth Skills Month is an initiative dedicated to celebrating and promoting youth skill development, preparing the next generation of professionals for success in a rapidly changing world. It emphasizes the vital role of skill-building in empowering young people, driving economic growth, and strengthening communities. The day unites governments, educational institutions, businesses, and youth to share best practices and create opportunities for skill enhancement, ensuring young individuals gain the competencies needed for sustainable livelihoods. Investing in youth skills today secures a future of innovation, leadership, and positive societal impact.

- **Skills Enrichment Month:** August 2024 is designated as Skills Enrichment Month, focused on enhancing the professional and personal capabilities of individuals across various fields. Throughout the month, targeted workshops, training sessions, and seminars will help participants develop new skills, sharpen existing ones, and stay updated on industry trends. The initiative promotes a culture of continuous learning, empowering professionals to excel and adapt to the evolving global workforce by providing tools and resources for lifelong growth in technical skills, communication, leadership, and more.

- **Daily Virtual Yoga Session for Chartered Accountants**: A new initiative offering Virtual Yoga Sessions for Chartered Accountants aims to enhance well-being and productivity by reducing stress, improving flexibility and strength, boosting immunity, and promoting work-life balance. Suitable for all levels, these sessions run Monday to Friday from 7 to 7:45 a.m., and weekends from 9 to 9:45 a.m., in partnership with Bharatiya Yog Sansthan. Approximately 199 sessions will be conducted until February 11, 2025.

- **Daily Virtual Programme on Work life Balance for Chartered Accountants**: The committee launched a Work-Life Balance initiative to help professionals maintain harmony between their work and personal lives, promoting mental and physical health, reducing stress, and enhancing overall happiness. The program offers daily virtual sessions Monday to Friday (8:30–9:30 p.m.) and weekend sessions (10:30–11:30 a.m.) in partnership with Heartfulness, with around 100 sessions planned until February 11, 2025.

- **Social media presence** : The Committee actively maintain a strong social media presence to connect with audience, build brand awareness, and drive growth. By sharing insightful updates, engaging in industry discussions, and using visual storytelling, we enhance visibility and foster relationships. Leveraging analytics helps us tailor content to audience preferences, ensuring our efforts remain effective and aligned with our goals. A vibrant social media strategy is essential for meaningful connections and sustained success in today's digital landscape.

- **Exclusive Website**: Exclusive Website of the Professional Skills Enrichment Committee, ICAI https://psec.icai.org/ focusing on enhancing user experience, accessibility, and functionality. As digital presence becomes increasingly crucial, the goal is to create a platform that is not only visually appealing but also user-friendly and responsive across all devices, to integrate advanced features such as interactive content, streamlined navigation, and robust security measures to ensure that our website meets the needs of our audience

- **Publications of the Committee:** The Committee publishes a series of books covering key professional skills for Chartered Accountants, including work-life balance, active listening, critical thinking, emotional intelligence, public speaking, negotiation, and entrepreneurship. These publications reflect extensive research and collaboration, offering valuable insights and practical guidance to support continuous learning and development. Meticulously crafted, the books serve as trusted resources that advance knowledge and foster growth within the CA community.

- **Launching of the Certificate Course on Skill Enrichment**: The Certificate course on skill enrichment demonstrates a proactive approach to personal and professional development. This course comprises Communication Skills, Interpersonal Skills, Leadership and Teamwork, Stress Management and Work – life Balance, Professional Ethics and Integrity, Thinking Skills and Technology, Branding and Networking , Practical Application and case studies and New age & Contemporary Skills .

- **Seminars/Workshops/Conferences (Physical Mode)** : The Committee has conducted 208 Skill Enrichment seminars across ICAI branches up to February 2025, offering valuable learning opportunities for members to enhance professional competencies. These expert-led sessions cover leadership,

communication, technical skills, and personal development, providing interactive and practical experiences. The seminars support continuous growth, boost career prospects, confidence, and networking among professionals and students.

- **Webcast Series on various aspects of Skills Enrichment of Chartered Accountants**: This webcast series takes a deep dive into the Skills Enrichment of Chartered Accountants. Throughout the webcast series, we have taken a deep dive into the various aspects of by discussing a broad range of Skills, aiming to enhance the portfolio of Chartered Accountants. As on 07.02.2025, 87 Webcasts on various aspects of Skills Enrichment organized for the Members of ICAI.

7.10 Women & Members Excellence Committee (WMEC)

As a true partner in nation building, ICAI has setup the Women & Young Members Excellence Committee (erstwhile Women Members Excellence Committee) which is a non-standing Committee of ICAI formed under regulatory provisions of Chartered Accountants Act, 1949. With the inclusion of Young members within the ambit of the Committee, the Committee has widened its scope to effectively work towards excellence and upskilling of both women & young member in the dynamic and challenging work environment. WYMEC especially work towards promoting the fulfilment of Women and young Members' potential through capacity building initiatives, skill development activities, providing platform for professional and employment opportunities.

Activities

(I) Placement Programme for Flexi time/ Part time/ Work from Home Job Opportunities for Women Chartered Accountants- The Committee, jointly with the Committee for Members in Industry & Business (CMIB), conducted placement programme specifically designed for its women members, to explore more placement opportunities for those women members who want to work on a flexi-time/ part-time/ work from home basis. This placement programme aimed to provide valuable opportunities for women CAs and have received positive response from both recruiters and members.

(II) 2nd CA Women Excellence Awards- The Committee organized the 2nd CA Women Excellence Awards on 1st February 2025 at Yashobhoomi, New Delhi, to honor women members excelling in leadership roles across corporates, organizations, practice, and social contributions. Awards were presented in five categories: CA Woman Lifetime Achievement, CA Woman of the Year, CA Woman Startup, CA Woman Social Services, and CA Woman Independent Director. The ceremony, held alongside the World Forum of Accountants, was graced by Minister of Law and Justice Chief Guest, presenting the trophies to the winners.

(III) CA Women Leadership Conclave "Falcon"- The Committee, aligned with the Government's Women-Led Development agenda, successfully organized the CA Women Leadership Conclave "Falcon" on 29th June 2024 at Mumbai, bringing together over 500 women Chartered Accountants. The event featured sessions on investing, professional opportunities, well-being, and leadership, delivered by eminent women professionals and industry leaders. Building on this success, the Committee hosted a series of follow-up Falcon events across various branches between August and December 2024, covering topics such as novel professional opportunities, leadership, AI and office automation, women independent directors, financial management, mental wellness, and presentation skills. These events provided valuable platforms for knowledge exchange, inspiration, and networking among women CAs, fostering professional growth and empowerment.

(IV) Relaunch of the Women Portal for Flexi & Part-time Work options- The Committee relaunched Women Portal https://wmec.icai.org/ for Flexi & Part-time work options. This portal enables both employers and job seekers to register, facilitating better job matching and networking. A key feature of the portal is its API integration with the SSP portal, allowing job seekers to complete forms quickly by capturing necessary data from the SSP portal, thus reducing the time required for registration. More than 600 employers and more than 9000 women members registered on the portal.

(V) Independent Directors' Conclave- The Committee successfully organised the first Independent Directors' Conclave on 6th June 2024 in Mumbai and the second series of Independent Directors' Conclave on 20th June 2024 in Ahmedabad on the theme- "Shaping the future of effective Corporate Governance", a subject paramount to the integrity and sustainability of our corporate landscape. These Conclaves aimed to empower and encourage members to pursue careers as Independent Director, foster their professional growth and enrich their skill set through targeted technical training. More than 150 Chartered Accountants participated in each of the Conclave.

(VI) Publication on "The Future is Female and it's now"- The Committee released a new publication titled "The Future is Female and It's Now," highlighting various facets of women leadership. It covers topics such as the role of women in Indian philosophy and civilization, women leaders in India, leadership across social, political, and corporate sectors, strategies to increase women leadership, barriers faced globally and in India, and the rise of young women leaders in the country.

(VII) Residential Refresher Courses (RRCs)- The Committee organized three Residential Refresher Courses for women members focusing on skill-building, networking, and professional growth. These courses, held at Jaipur, Jhansi, and Mahabalipuram, covered topics such as new opportunities for CAs, tax laws, ethics, leadership, audit in the digital age, financial crimes, and work-life balance.

(VIII) International Women's Day Activity- To commemorate International Women's Day on 8th March 2025, the Women & Young Members Excellence Committee undertook several initiatives to inspire and engage women members and students of ICAI. Video bytes from ICAI's President, Vice President, Chairperson, and Vice-Chairman of WYMEC were recorded and shared across social media and the Committee's platforms. The Committee also sent mass SMS greetings to women members and circulated informative social media creatives highlighting ICAI's efforts towards women's excellence. Additionally, over 95 ICAI branches nationwide organized Women Empowerment programs under WYMEC's guidance, engaging around 5,000 members in various celebratory events.

(IX) Physical programs/events hosted by Branches- The Committee conducted six physical programs across ICAI branches in 2024, focusing on women's professional growth, leadership, work-life balance, legal awareness, and emerging opportunities for women Chartered Accountants.

(X) यशस्विनी - An IDOL- Inclusivity | Diversity | Outstanding | Leadership Webinar Series- The Committee organized 59 webinars under the "यशस्विनी – An IDOL" series, featuring expert speakers on technical and non-technical topics. This initiative aimed to update members, enhance their skills, and empower women to showcase leadership and communication by coordinating the sessions.

(XI) SAFA Women Leadership Awards 2025- To recognize the accomplishments of enterprising women who are affiliated with the Accountancy Profession in SAARC region, the SAFA Women Leadership Committee had invited nominations for the 2nd SAFA Women Leadership Awards. To promote this initiative, the Committee proactively circulated the information regarding the SAFA Women Leadership Awards amongst the Women members of ICAI through mass email and SMS communications.

8. OTHER COMMITTEES/BOARDS

8.1 Audit Committee

The Audit Committee of the Institute was established in April 2001 by the Council as a non-standing committee with a clearly defined mandate. Since 2009, it has been chaired exclusively by a Government Nominee to ensure greater independence. To further enhance its autonomy, members of the Executive Committee and Finance Committee are not permitted to serve on the Central Audit Committee. Additionally, five Regional Audit Committees—Southern, Western, Central, Northern, and Eastern—support the Committee's work, ensuring regional representation and effective oversight.

Functions

The Committee is responsible for overseeing the financial reporting process and ensuring the accuracy, integrity, and transparency of the Institute's financial disclosures. It reviews audit reports, discusses observations with auditors, recommends corrective actions, and strives to strengthen the internal control environment. The Committee remains committed to good governance and continuous improvement in audit practices.

Statutory Audit

- **Appointment of Statutory Auditors**- In accordance with Section 18(5) of the Chartered Accountants Act, 1949, the statutory auditors for ICAI's Branches, Regional Councils, Decentralised Offices, Centre of Excellence, and Head Office are appointed from a panel of two firms recommended by the Comptroller and Auditor General (C&AG) of India, effective from FY 2022–23. This system ensures continuity and avoids audit delays. A status report on these appointments is regularly shared with the C&AG.
- **Audit Reporting Framework**- The statutory auditors' reporting framework is governed by Regulations 196 and 197 of the Chartered Accountants Regulations, 1988.
- **Joint Statutory Auditors**- The accounts of the ICAI Head Office are audited by two joint statutory auditors, bringing diverse expertise and ensuring comprehensive review and accountability.

Internal Audit

- **Internal Audit Coverage**- A robust internal audit mechanism is in place for all major units including branches with over a thousand members, Regional Councils, Decentralised Offices, the Centre of

Excellence and the Head Office. The internal audit is conducted under the supervision of the Audit Committee, which ensures transparency and auditor independence.

- **Appointment through EoI**- Internal auditors are appointed through a transparent process involving an open invitation for Expressions of Interest (EoI) from CA firms. Selection is based on an objective evaluation and ranking system. Audits are conducted biannually and cover both financial and compliance aspects, as per the prescribed scope and reporting format. Audit reports are reviewed by the respective Regional or Central Audit Committees for follow-up action.

Annual Accounts

- **Unmodified Audit Opinions**- The Institute has consistently received unmodified (unqualified) audit opinions, reflecting sound financial management, robust internal controls, and adherence to high governance standards.
- **Financial Statement Format**- ICAI prepares its financial statements in accordance with the illustrative format for Not-for-Profit Organizations, as per the Technical Guide issued by the Institute. The format is customized to enhance relevance and clarity for stakeholders.
- **Approval Process**- The approval of audited financial statements follows a structured and statutory process under Section 18(5A) of the Chartered Accountants Act, 1949, and Regulation 200 of the Chartered Accountants Regulations, 1988:
  - ➢ Draft accounts are reviewed by the Finance Committee and submitted to the Management Committee.
  - ➢ The Management Committee evaluates and forwards them to the Audit Committee.
  - ➢ The Audit Committee reviews and submits the accounts to the Council.
  - ➢ The Council sends the accounts to the statutory auditors.
  - ➢ Post-audit, the report is circulated among Council members.
  - ➢ The Council finally approves the accounts and ensures their publication in the *Gazette of India*.

8.2 Committee for Members in Entrepreneurship and Public Services (CME&PS)

The Committee for Members in Entrepreneurship and Public Service (CMEPS) acts as an important link between ICAI leadership and members engaged in public service or entrepreneurship. With a focus on promoting the Public Service and Entrepreneurship as career option for CAs, the Committee undertakes various initiatives to inspire and empower members. Many Chartered Accountants currently serve in senior roles across government departments, ministries, legislatures, judiciary, regulatory bodies, and entrepreneurial ventures and actively contributing to governance, economic growth, and the nation’s development. The Committee organizes Residential Meets/ Interactive Meets of ICAI members in Public Service with the objective of soliciting suggestions of ICAI Members in Public Service to identify matters of National importance and Committee is continuously exploring the various opportunities that lies in Entrepreneurship for its CA members. To encourage aspiring CAs in both fields, the Committee regularly conducts mentorship sessions, orientation and training programmes, webinars, seminars, and regional meets. These initiatives aim to offer guidance, build capacity, and develop an entrepreneurial culture while supporting members in contributing to nation building.

Important initiatives

- Organised Interactive Meets/ Webinars for Empowering CA Civil Service Aspirants and CA Members who wish to be in Entrepreneurship.
- “ICAI’s 1st InnoFest 2024” for CA Budding Entrepreneurs for “Bridging the Gap: Transforming Innovations into Business Triumphs” – oragnised by CMEPS Committee on the occasion of “World Entrepreneurs Day”.

(I) Interactive Meets

- **Interactive Meets for Empowering CA Civil Service Aspirants and CA Members who wish to be in Entrepreneurship**
  - ➢ Interactive Meet on 18th May 2024, at India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi, attended by 127 Members and addressed by the Eminent Faculties and Members in Public Service like CA. Mahesh Shah, IRS, Principal CIT, CA. Aayush Bansal, ICoAS, Mr. Bibhash Sharma, Director, Elite IAS Academy, CA. Rahul Kumar, Director, DIADEMY IAS, CA. Vishnu Sultania, Founder, AKMV Consultants Pvt. Ltd, Mr. Rajnish Goenka, Chairman, TOBU Cycles & MKM Group, and CA. Mukesh Garg, Promoter, Raymotos Pvt. Ltd.

- Interactive Meet on 1st June 2024, at India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi, attended by 147 Members and addressed by the Eminent Faculties and Members in Public Service like CA. R. Lakshmanan, IAS, Joint Secretary, Ministry of Ports, Waterways & Shipping, CA. Manvendra Goyal, IRS, Principal CIT, CA. K Jegadesan, IPS, Special Commissioner of Police (Traffic), & CA. Vishnu Sultania, Founder, AKMV Consultants Pvt. Ltd.
- Interactive Meet on 22nd June 2024, at Radisson Blu, Faridabad, Haryana, attended by 145 Members and addressed by the Eminent Faculties and Members in Public Service CA. Kamal Kant Jain, Spiritual Economist and Entrepreneur (Former Judge at UP Real Estate Appellate Tribunal), CA. Shreshth Tayal, IRS, Deputy Commissioner of Income Tax in the Foreign Tax & Tax Research Division, CBDT, Department of Revenue, Ministry of Finance, CA. Shivani Maheshwari, ICoAS, Deputy Director FIU, Department of Revenue, Ministry of Finance, Mr. Vibhas Jha Sir, Senior Faculty (Economics), Next IAS, CA. Ashish Agrawal, Director, Resurgent India Ltd., and CA. Robin Jha, Founder & COO of "NirogStreet" and Founder & Ex-Chief Anchor "Tpot".
- Interactive Meet on 14th July 2024 at India Habitat Centre New Delhi, attended by 62 Members and addressed by the Eminent Faculties like CA. Dilip Chauhan, Founder- Diviam Aahar Pvt. Ltd., CA. Kapel Malhotra, Founder and Director of Total Solution Groups, CA. Harsh Mangla, IAS, Director, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, & Mr. Prashant Sharma, Veteran Educator, Drishti IAS, New Delhi.
- Interactive Meet on 11th August 2024 at Hotel Shivalik View, Chandigarh, attended by 61 members and the Eminent Faculties like CA. Gaurav Kumar Dhawan, IRS, Commissioner, Central GST, Jalandhar, CA. Suresh Sayal, ICoAS and CA. Amit Bhalla, Founder of Prashada (Atta Industry).
- Interactive Meet on 24th August 2024 at Hotel Jewels, Karnal, Haryana, attended by 78 Members and the Eminent Faculties like Mr. Shankar Jha, Founder & Director, Sage IAS Academy, Mr. Gautam Janesh, Senior IAS Educator and Expert and CA. Amit Bhalla, Founder of Prashada (Atta Industry).
- Interactive Meet on 1st September 2024 at Royal Pepper Hotels and Resorts, Rewari, attended by 158 members and the Eminent Faculties like Adv. Ranjeet Singh, Director, and Mr. Shashank Jha, Vivechna IAS & Judiciary Academy & CA. Sambhav Mehrotra, Startup Consultant & Angel Investor.

- **Interactive Meets for Empowering CA Members who wish to be in Entrepreneurship**
  - Interactive Meet on 18th July 2024 at India Habitat Centre New Delhi, attended by 80 Members and addressed by the Eminent Faculties like Founder - Rural Roots & CA. Ashish Aggarwal, Director, Resurgent India Ltd.
  - Interactive Meet on 20th July 2024 at The Leela Ambience, Gurgaon, Haryana, attended by 128 Members and addressed by the Eminent Faculties like Founder- Diviam Aahar Pvt. Ltd, Growth Mindset & Author Coach, & Founder, AKMV Consultants Pvt. Ltd.
  - Interactive Meet on 4th August 2024 at India Habitat Centre New Delhi, attended by 97 Members and the Eminent Faculties like CA. Deepak Maheshwari, Founder, Jindagi Live Group, CA. Sunita Maheshwari, Co-Founder, Dealplexus, CA. Nitin Soni, CEO and Founder, Adhyyan Books.
  - Interactive Meet on 30th August 2024 at Hotel Sapphire, Bathinda, Punjab, attended by 88 Members and the Eminent Faculties like CA. Amit Bhalla, Parshada Foods Pvt Ltd, CA. Gaurav Aggarwal, CA. Santosh Ramanuj Tiwari, CA. Rishabh Agarwal.
- **Interactive Meets for Empowering CA members who are interested in Judicial Services**
  - Interactive Meet on 28th June 2024 an Interactive meet held at India Habitat Centre New Delhi, attended by 54 Members and addressed by the Eminent Faculties like Mr Prashant Sharma, Dristhi IAS and Ms Arushi Chaudhary, Ambition law Institute, New Delhi.
- **Interactive Meets for Empowering CA members who are interested in Public Services- Special Session on Sectoral Bodies/ Appellate Authorities**
  - Interactive Meet on 6th July 2024 at India Habitat Centre New Delhi, attended by 87 Members and addressed by the Eminent Faculties like CA Naresh Kumar Saini, Former Vice- President, ITAT, CA Raghav Maheshwari, Manager, IBBI, CA. Rahul Kumar, Director, DIADEMY IAS, New Delhi.
- **Interactive Meets on Opportunities in Educational Sector**
  - Interactive Meet (Physical & Virtual) on Opportunities in Educational Sector held on 25th July 2024 and 3rd August 2024 at ICAI BKC Mumbai.

(II) ICAI's 1st InnoFest 2024

"ICAI's 1st InnoFest 2024" for CA Budding Entrepreneurs for "Bridging the Gap: Transforming Innovations into Business Triumphs" – oragnised by CMEPS Committee on the occasion of "World Entrepreneurs Day" at 05:00 PM on Wednesday 21st August 2024 at Radisson Gurugram, Sohna Road City Centre, Gurugram. Presentation of Entrepreneurial Innovative Ideas by CA Budding Entrepreneurs, Leveraging Opportunities through Innovations, Creative Ideas & Business Strategies & Journey from CA to Entrepreneur and Discussion & Evaluation of Innovative Ideas for further guidance, mentorship & support to the Innovative Ideas of CA Budding Entrepreneurs. The ICAI's 1st InnoFest 2024 attended by 203 members. Eminent Faculties like CA. Amit Singal, Partner, Fluid Ventures, CA. Puneet Kumar, CFO of InsuranceDekho, CA. Arvind Kumar Talan, CFO of Energy Efficiency Service Limited, & CA. Dilip Chauhan, Founder, Diviam Aahar (P) Ltd came to grace this occasion as jury members. Participants CA. Neha Agarwal, CA. Mamta Singh & CA. Sachin Aggarwal presents their Innovative Ideas. Representatives of Banks also participants from Union Bank of India and Bank of India.

(III) Webinars and Mock Test

- Webinar on Empowering Entrepreneurship – Webinar on Rural Entrepreneurship: An Initiative of ASPIRE Scheme organised on 12th April 2024; Friday addressed by Dr Bhaskar Kumar Kakati (Consultant, IIE, Guwahati) addressed the Participants. More than 135 Participants were registered in the Webinar.
- Series of Webinars for Empowering CA Members in ICoAS organised by CMEPS Committee and held on 19th October 2024, 25th September, addressed by CA. Ajay Yerva (ICoAS), CA. Kapil Goyal (ICoAS), CA. Shubham Aggarwal (ICoAS), on 28th September (Saturday) addressed by CA. Piyush Choraria, (ICoAS), CA. Gourav Mittal, (ICoAS), on 10th October addressed by Dr. Shilpa Parkhi, on 11th October CA. Deepak Jain, on 15th October addressed by CA. Alok Garg, on 16th October addressed by Dr. Shilpa Parkhi, More than 400 Participants were registered in the Webinar Series.
- Webinar cum Guidance Session for CA Members who wish to join State Civil Services & appearing for UPSC CSE 2025 organised on 24th October 2024 addressed by Eminent faculties Mr. Prashant Sharma, Mr. Dipanshu Saini & Mr. Shashi Bhushan Tiwari. The Webinar was attended by More than 300 members.
- Mock Test for CA Members appearing in ICoAS, on 17th October Mock Test was conducted followed by webinar in the evening addressed by CA. Rahul Kumar. More than 250 Participants were registered in the Webinar.
- Webinar on "Empowering CA Civil Service Aspirants: Opportunities in UPPSC for CA Members; Decoding UPPSC Advertisement No. A-1/E-1/2025", was held on Friday, 21st March 2025, from 03:00 PM to 05:00 PM, addressed by Eminent faculties Mr. Ranjeet Singh and Mr. Shashank Jha. More than 270 members registered in the Webinar.
- Webinar on "Social Entrepreneurship: Building Impact-Driven Ventures", was held on Tuesday, 08th April 2025, from 03:00 PM to 04:00 PM, addressed by Eminent faculties CA. Vishnu Sultania and CA. Arjit Soni. More than 190 members registered in the webinar.
- Webinar on "Empowering CA Civil Service Aspirants: Opportunities in UKPSC for CA Members; Decoding UKPSC Advert. No. A-1/E-1/2025/2025-26" was held on Saturday, 17th May 2025, from 03:00 PM to 04:00 PM, addressed by the Eminent faculties Shri Ajay Singh Ahlawat. More than 200 members registered in the Webinar.

(IV) RESIDENTIAL MEET

The CMEPS organises Residential meet of ICAI Members in public service held from 17th to 19th January 2025 at Westin Goa, wherein 100+ members in public service comprising of IAS, IPS, IRS, IAAS, ICoAS, IRAS, IRPS, from Appellate Tribunals like ITAT, from Regulatory Bodies like IBBI, IRDAI, SEBI, from Investigation Agencies like SFIO, CBI etc. members in public service representing various ministries and government departments like Ministry of Home Affairs, High Commission of India, Colombo, Department of Revenue, Ministry of Finance, CBIC, Ministry of Finance, Ministry of Railways, Serious Fraud Investigation Office, Ministry of Housing and Urban Affairs, Directorate General of Trade Remedies, Department of Commerce, National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Pharmaceuticals, Department of Public Enterprises, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), IBBI, Ministry of Corporate Affairs, Insurance Regulatory and Development Authority of India, Ministry of Defence, Government of India, Telangana Electricity Regulatory Commission, Hyderabad, Department of Post.

8.3 Committee on Financial Markets and Investors' Protection (CFM&IP)

The Committee on Financial Markets and Investors' Protection provide suggestions on various Bills, Notifications, Circulars, Consultation papers and other documents related to Financial Markets to the Government and Regulators. Additionally, the Committee regularly interacts with Ministry of Corporate Affairs, Reserve Bank of

India, Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority, Non- Finance companies (Department of Non-Banking Finance companies of RBI), Forward Markets Commission and Stock Exchanges on the issues relating to Financial Markets, the role of Chartered Accountants and Investors' Protection.

(I) Partner in Nation Building

To create awareness amongst the public at large and to ensure Investors' Protection, the Committee conducted 177 Investor Awareness Programmes through various Programme Organizing Units of ICAI i.e. Branches/Regional Councils/Study Circles, to enhance the ability of investors to understand broad developments of the Financial Markets under the aegis of Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA) of the Ministry of Corporate Affairs (MCA).

(II) Comments/Suggestions on Securities and Exchange Board of India (SEBI)

- Consultation Paper on measures towards Ease of Doing Business for REITs and InvITs dated 09th May 2025
- Consultation paper on facilitating investments by Indian Mutual Funds in such overseas funds that invest certain portion of their assets in Indian securities dated 17th May 2025
- Consultation Paper on the recommendations of the Expert Committee for facilitating Ease of Doing Business under MB Regulations, BTI Regulations and Buyback Regulations dated 21st May 2024.
- Consultation Paper on the Recommendations of the Expert Committee for Facilitating Ease of Doing Business with respect to Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) dated 22nd May 2024
- Consultation Paper on Flexibility in Participation by Mutual Funds In Credit Default Swaps (CDS) dated 7th June 2024.
- Consultation Paper for introduction of Mutual Funds Lite Regulations (MF LITE) for passively managed Mutual Funds Schemes dated 01st July 2024.
- Consultation Paper on Treatment of interest income by Clearing Corporations (CCs) on cash collaterals received from Clearing Members (CMs) and upstreamed client funds dated 05th July 2024
- Consultation paper on Introduction of New Asset Class/ Product Category dated 16th July 2024.
- Consultation Paper on Recommendations of the Expert Committee for facilitating ease of doing business and harmonization of the provisions of ICDR and LODR Regulations dated 22nd July 2024.
- Consultation Paper on proposed amendments to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 to rationalize the scope of the expression 'connected person', while not increasing compliance requirements dated 29th July 2024
- Introduction of Liquidity Window facility for investors in debt securities through Stock Exchange mechanism dated 16th August 2024
- Consultation Paper on Faster Rights Issue with flexibility of allotment to Selective Investor(s) dated 20th August 2024.
- Consultation paper on "Provisions pertaining to appointment of Public Interest Directors" dated 29th August 2024.
- Consultation Paper on review of the Securities and Exchange Board of India (Informal Guidance) Scheme, 2003 dated 30th August 2024
- Consultation Paper on recognition as specified digital platform dated 22nd October 2024
- Consultation paper on introduction of regulatory framework for Restricted return InvITs dated 30th October 2024
- Consultation paper on review of provisions of LODR Regulations pertaining to corporate governance norms for High Value Debt Listed entities (HVDLEs) dated 31st October 2024
- Consultation paper on review of SEBI (Issue and Listing of Securitised Debt Instruments and Security Receipts) Regulations, 2008 dated 01st November 2024
- Consultation paper on review of requirements of alignment of interest of the Designated Employees of the AMC with the interest of the unitholders dated 06th November 2024
- Consultation Paper on aspects relating to Secretarial Compliance Report, Appointment of Auditors and Related Party Transactions of a Listed Entity dated 10th March, 2025

- DRAFT CIRCULAR FOR PUBLIC COMMENTS - Modification to Chapter VII of the Master Circular for listing obligations and disclosure requirements for Non-Convertible Securities, Securitized Debt Instruments and Commercial Paper dated 30th May, 2025
- Consultation Paper on use of liquid mutual funds for compliance with deposit requirement by Investment Advisers and Research Analysts dated 29th May, 2025
- Consultation Paper on providing flexibility to AIFs to offer Co-Investment opportunities to investors within the AIF structure under AIF Regulations dated 30th May, 2025

(III) Initiatives for the Members

- **Certificate Courses**

To enhance the skills of our members and to empower them suitably, the Committee conducts a 6 Certificate Courses which are as follows:

- Certificate Course on Forex and Treasury Management (FXTM)
- Certificate Course on Derivatives
- Certificate Course on Fundamental & Technical Analysis of Stocks including Equity Research
- Certificate Course on Financial Markets and Securities Laws (FMSL)
- Certificate Course on Compliance of Capital Markets Intermediaries
- Certificate course on Fund Management at IFSC

The Committee has successfully conducted 10 Online batches through Digital Learning Hub of the Certificate Course on Forex & Treasury Management, Certificate course on Derivatives, Certificate Course on Financial Markets & Securities laws, Certificate course on Fundamental & Technical Analysis of Stocks including Equity Research, Certificate Course on Compliance of Capital Markets Intermediaries and Certificate course on Fund Management at IFSC wherein a total of 819 Members of ICAI have enrolled.

- **National Conferences/Seminars/Workshop/Webcast/ Residential Refresher Course (RRC) for professional enhancement of members**

The Committee has disseminated knowledge among members by way of 30 Virtual CPE Meetings and webinars. The Committee on Financial Markets and Investor's Protection conducted 10 National Conferences and 24 Seminars including "Investment ki Pathshala – CA: The Investment Guru". with support of Branches of ICAI.

8.4 Committee on Public and Government Financial Management (CP&GFM)

The ICAI in line with its mission and vision, constituted the Committee on Public & Government Financial Management (CPGFM) to improve accounting, financial reporting and management in all tiers of Government in India including local bodies. Apart from formulating Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs), the Committee focuses on capacity building of the accounts/ finance staff of various tiers of Government by several means such as Training Programmes, Webinars, e-learning modules, etc. The Committee also runs Certificate Course on Public Finance & Government Accounting that can be attended by officials of Government & Autonomous bodies. In addition, CPGFM provides technical and administrative support for the Certificate Course for Accountants of Panchayats and Municipal Bodies (i.e., a joint initiative of ICAI and O/o C&AG of India) being run through Board for Local Bodies Accountants Certification (BLoAC) established under ICAI Accounting Research Foundation (ICAI-ARF). This initiative reflects ICAI's commitment to nation building by extending the professional expertise of Chartered Accountants beyond the corporate sector to the public at large.

Important activities

(I) Technical Comments Submitted on the drafts of International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)

- Exposure Draft 86, *Proposed International Public Sector Accounting Standard on Exploration for and Evaluation of Mineral Resources*;
- Exposure Draft 87, *Proposed International Sector Accounting Standard on Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine (Amendments to IPSAS 12)*;
- Exposure Draft 88, *Proposed International Public Sector Accounting Standard on Arrangements Conveying Rights over Assets (Amendments to IPSAS 47 & IPSAS 48)*;

- Exposure Draft 89, '*Amendments to Consider IFRIC Interpretations*';
- Exposure Draft 90, Amendments to IPSAS as a Result of the Application of IPSAS 46, Measurement;
- Exposure Draft 91, Limited-scope Updates to First-time Adoption of Accrual Basis International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) (Amendments to IPSAS 33);
- Exposure Draft 92, Proposed International Public Sector Accounting Standard, Tangible Natural Resources; and
- IPSASB SRS Exposure Draft 1, Climate-Related Disclosures.

(II) Support to the Government:

- **MoU entered with Office of the Comptroller & Auditor General (C&AG) of India**

A MoU was signed between ICAI and the O/o C&AG of India on 21st April 2025 to enhance capacity building in public sector audits. Under this, the first Residential Capacity Building Programme for 50 CAG officers was held from 5th May 2025 to 5th June, 2025 at ICAI's Centre of Excellence, Hyderabad, The programme was supported by ICAI's ASB, AASB, and DAAB, administered by ICAI ARF, and coordinated by CPGFM. The inaugural session was attended by senior CAG officials and ICAI Central Council Members.

- **Technical Comments Submitted on the drafts of GASAB documents/ draft Standards:**
  - Comments submitted on Guidance Note on Accounting of Fixed Assets; and
  - Drafted a Concept paper on Accounting of Public-Private Partnership Arrangements as desired by O/o GASAB.
- **Certificate Course for Accountants of Panchayats & Municipal Bodies**

In pursuance of a MoU signed with the O/o C&AG of India, the Certificate Courses for Accountants of Panchayats and Municipal Bodies were formally launched on 16th November 2023 (Audit Diwas) and the registrations of these courses were initiated on 1st December 2023 through a dedicated website https://lba.icaiarf.org.in/. The CPGFM of ICAI provides required technical & administrative support for these courses and also coordinating with O/o CAG of India. The registrations received till date are as follows:

Particulars	1st Batch	2nd Batch	3rd Batch	4th Batch (till date)	Grand Total
Certificate Course for Accountants of Panchayats	392	525	1211	503	**2631**
Certificate Course for Accountants of Municipal Bodies	217	614	216	67	**1114**
Total	**609**	**1139**	**1427**	**570**	**3745**

The certificate course includes two offline exams: a screening exam covering basic accounting and a main exam focused on panchayat/municipal body-specific accounting. ICAI's robust exam system has been adapted for this course, with the Exam Department handling paper setting, evaluation, and results, while BLoAC manages other tasks under its guidance. The details of exams held are as under:

Exam	Date of exam	Status	Pass %
Screening Exam			
1st Screening Exam	18th April 2024	232 candidates passed (out of 364 (appeared))	CAP: 64.17% CAMB: 62.9%
2nd Screening Exam	7th August 2024	361 candidates passed (out of 570 appeared)	CAP: 64.02% CAMB: 62.75%
3rd Screening Exam	25th March 2025	590 candidates passed (out of 847 appeared)	CAP: 69.40% CAMB: 71.30%
Main Exam			
1st Main Exam	8th August 2024	84 candidates passed (out of 161 appeared),	CAP Level 1: 58.67% CAP Level 2: 54.55% CAMB Level 1: 38.46%

			CAMB Level 2: 44.44%
2nd Main Exam	9th January 2025	107 candidates passed (out of 218 appeared)	CAP Level 1: 68.69% CAP Level 2: 69.57% CAMB Level 1: 26.83% CAMB Level 2: 21.82%
Till date, 191 candidates have cleared this course.			

- **Draft recommendations submitted to 6th State Finance Commission, Uttarakhand** on strengthening financial management in Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies

(III) Mega Event - Local Governance Synergy Conclave organised on 1st & 2nd October 2024

ICAI, through CPGFM and hosted by NIRC, organized a 1.5-day Conclave on 1st –2nd October 2024 in New Delhi to promote its Certificate Courses for Accountants of Panchayats and Municipal Bodies. The event was inaugurated by the then Hon'ble CAG of India, and included felicitation of course toppers. Esteemed guests from MoPR, IIPA, SEBI, and other key institutions attended the event. Around 400 participants were present physically, and 2,000 joined via live webcast, representing various national and international bodies and government departments.

(IV) ICAI Awards for Promotion of Accounting Reforms in Local Bodies 2024-25:

For the first time, ICAI, through CPGFM introduced awards specifically for local bodies to recognise progress in the presentation of financial statements of Local Bodies. Total 148 entries participated in the competition (last date to submit entry was 9th December 2024). The status of entries received category wise is as follows:

Main Category	Sub-Category	Total Entries Received
Urban Local Bodies	Municipal Corporations	28
	Municipal Council/ Board	84
	Nagar Panchayat	14
Panchayats	District Panchayat	3
	Block Panchayat	7
	Gram Panchayat	5
Smart Cities		7
Total		**148**

The awardees are as follows:

Main Categories	Sub-Categories	Winners
Urban Local Bodies	Municipal Corporations	Deoghar Municipal Corporation
	Municipal Councils/ Boards	Sahibganj Municipal Council
	Nagar Panchayats	**No Award in this category**
Panchayats	District Panchayats	Zilla Praja Parishad: Krishna, Machilipatnam
	Block Panchayats	Neomom Block Panchayat
	Gram Panchayats	Davorlim Village Panchayat
Smart Cities		Nashik Municipal Smart City Development Corporation Limited (NMSCDCL)

These Awards were presented to the awardees during the World Forum of Accountants (WOFA) on 1st February 2025 at Yashobhoomi, New Delhi.

(V) Training Programmes/Webinars:

The Committee organised various training programmes and Webinars during the said period.

(VI) Certificate Course on Public Finance & Government Accounting

The Committee conducts a Certificate Course on Public Finance and Government Accounting for both CA members and government/autonomous body officials. Recently, several organizations—including Jammu Development Authority, Indore and Satna Municipal Corporations, and others—have issued tenders giving preference or additional marks to candidates who have completed this course. Six online batches of the Certificate Course on Public Finance & Government Accounting were organised during the period and five online examinations of the Certificate Course were conducted:-

Sr. No.	**Online Examination**	**Dates**	**Member cleared out of member appeared**
1.	21st	27th July 2024	90 members cleared out of 91
2.	22nd	28th September 2024	63 members cleared out of 66
3.	23rd	30th November 2024	51 members cleared out of 51
4.	24th	25th January 2025	15 members cleared out of 15
5.	25th	29th March 2025	60 Members cleared out of 61

(VII) Invest MP – Global Investors Summit 2025

ICAI had the opportunity to actively participate in the Global Investors Summit held on 24th and 25th February 2025 at Bhopal, Madhya Pradesh. At the summit, ICAI showcased its key initiatives using cutting-edge technology. The interactive stall featured robots, quizzes, virtual games, and an array of informative flyers and publications, making it both educational and immersive for visitors. The CPGFM played a vital role in bringing this to life, contributing to tasks such as compiling the publication *"Unlock MP: Invest, Grow, Lead"*, designing standees, and finalising digital content for display screens.

(VIII) Meetings held with various Stakeholders:

- Secretary, Ministry of Panchayati Raj (MoPR)
- Additional Deputy C&AG (GASAB)
- Additional Deputy C&AG (LGA) and Director General (LGA)
- Joint Secretary, Ministry of Panchayati Raj
- Indian Institute of Public Administration (IIPA)
- Joint Secretary, MoHUA
- Director General (Local Governance Audit, O/o CAG
- The then Hon'ble CAG of India
- IAAS,Deputy CAG (Defence & Local Governance Audit)
- IRAS, DG/GASAB-V
- Director, Financial Management (South and Central Asia regions), ADB and Lead Governance Specialist in Global Governance Practice and Country Focal Point for India, World Bank along with their team
- Joint Secretary, Ministry of Panchayati Raj
- Ex Revenue Committee Chairman & Municipal Councillor, Rajkot
- Director General, International Centre for Audit of Local Governance (iCAL)
- Deputy C&AG (Defence & Local Governance Audit)
- Director, National Institute of Urban Affairs

(IX) Representations submitted to Government

- Chairman of 16 Central Finance Commission Suggested recommendations for Financial self-sustainability of Urban Local Bodies through Accrual Accounting Reforms
- Principal Secretary/Secretary of Urban Development Department, Panchayati Raj & Rural Department and Finance Department for seeking their support to popularise the Certificate course for Accountants of Panchayats and Municipal Bodies.
- Director of State Finance Departments to enter into MoU for skill development of staff of Finance Departments of respective States.
- Accounting Training Institutes of Government that provides trainings to staff of Urban Local Bodies (ULBs) to jointly organise trainings for ULBs (including proposal to enter into MoU).
- Proposal letters were submitted to Hon'ble Ministers of the Ministry of Panchayati Raj (MoPR), the Ministry of Rural Development (MoRD), and the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) to collaborate with these Ministries in order to empower Indian Local Bodies.

(X) Other Initiatives

- **Collaboration with ADB and World Bank** to improve quality of audit of Externally Aided Projects in India.
- **April 2024 Issue of ICAI Journal focused on Public Finance-** The April 2024 issue of the ICAI Journal, themed "Transforming Public Finance for a Sustainable Tomorrow," featured expert articles on public finance and government accounting reforms. It highlighted ICAI's role in driving reforms, innovative approaches, climate budgeting, panchayat finances, and local body audits—aimed at strengthening transparency and effectiveness in public financial management.
- **Submitted two articles for inclusion in the Souvenir-cum-BGM of WOFA on topics namely:**
  - Role of ICAI in Promoting Transparency and Accountability in Government
  - Role of ICAI in Harmonising Accounting Practices for Local Bodies in India

(XI) Publications released

The following 11 publications were launched:

- Green Public Financial Management,
- Emerging Architecture of Public Financial Management System,
- Main Exam Study Material of Certificate Courses for Accountants of Panchayats and Municipal Bodies in English (2 Books: One for Panchayat Course and Another one for Municipal Bodies Course),
- Case Study Digest for main Exams in English (4 Books: Two books for Panchayat Course and Another two for Municipal Bodies Course (separately for level 1 and level 2 of Each Course)),
- Accounting, Auditing & Compliance of Panchayati Raj Institutions – PRIs,
- Municipalities of India – Understanding its Financial Management, Accounting, Fiscal Management, Auditing, and Compliances, and
- Background Material for Financial Literacy Programme for Panchayat Elected Member.

8.5 Editorial Board

The Editorial Board is a specialized non-standing committee of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) dedicated to the mission of consistently providing members with professional knowledge and relevant matters through the journal, *The Chartered Accountant*. This journal empowers members by enhancing their professional knowledge and enjoys immense value among its readers, with a circulation exceeding 400,000, including both e-journal and printed copies. *"The Chartered Accountant"* journal is a flagship publication of ICAI, showcasing the Institute's thought leadership and strengthening its brand presence among members, students, and stakeholders. Curated by the Editorial Board, the journal serves as a source of insights—delivering cutting-edge developments, expert perspectives, and emerging trends in the accounting profession. With a focus on continuous learning and professional excellence, it plays a vital role in connecting the ICAI community with the evolving landscape of finance, governance, and global best practices.

Initiatives towards Developing Nation

Through the monthly journal *The Chartered Accountant*, the Editorial Board has played a pivotal role in nation-building by empowering ICAI members with cutting-edge knowledge, global perspectives, and evolving

professional practices. By consistently introducing evolving and contemporary trends and advancing thought leadership, the Board is deeply committed to shaping a future-ready accounting profession that contributes meaningfully to India's economic growth and global standing.

Several significant initiatives in this direction include the following:

(I) Knowledge Enrichment through Articles:

During the period, The Chartered Accountant journal featured a wide array of articles covering diverse and contemporary topics relevant to the accounting profession. In addition to its regular sections of professional interest, the journal published special issues aimed at enriching members' knowledge on critical and emerging subjects. These included focused editions on India – Global Hub for Accountancy Profession, Leadership, Public Finance, Artificial Intelligence, MSMEs, Sustainability, and other key technical domains, to keep its members well-informed and future-ready.

Members/Students Initiatives

The Editorial Board continues to play a proactive role in advancing knowledge and fostering professional excellence among ICAI Members and Students through its esteemed monthly publication, The Chartered Accountant. Some important initiatives in this regard are as under:

(II) Qualitative coverage in The Chartered Accountant Journal:

Blend of themes covered

During the period, 220 articles on various themes and professional topics were included in the ICAI Journal. In addition, the journal also included other regular features that covered updates about the ICAI and its activities in coordination with various ICAI Committees.

July 2024 Issue brought Out as Special Edition

The July 2023 issue of the ICAI Journal was released as a Collector's Edition to commemorate 75 Years of ICAI's Excellence, aligned with the Inspiring India@100 vision. Celebrating ICAI's legacy, the special edition featured the Institute's history, contributions to nation-building, and included notable articles by the President of IFAC and Chair of IESBA. The issue also carried inspirational CA Day messages from 32 eminent dignitaries, including the President of India, several Governors, Union Ministers, Chief Ministers, and other key officials. A special segment titled "Journey of Trust" highlighted ICAI's international presence, historical milestones such as the struggle for the 'Chartered' designation, ICAI stamps and logos, and iconic quotes, including a speech by India's first President. The cover page symbolized ICAI's pivotal role over 75 years in shaping the profession and contributing to the vision of Building New India.

(III) Many Aspects of Digital Versions of *The Chartered Accountant*- Journal Upgraded for the convenience of Members and Students:

- **Journal in PDF format:** As a valued added alternative to readers, particularly for separate content-wise downloads, the journal continues to be hosted in the PDF format. The archives of digital journal are available on ICAI website from July, 2002 onwards.
- **Journal on Digital Learning Hub:** The electronic version of Journal, is available online on ICAI website www.icai.org as user-friendly e-magazine, is included in the Digital Learning Hub. This helped in providing knowledge through ICAI Learning Management System, besides supporting the Sustainability Drive of the ICAI.
- **Journal Highlight Emailers:** The highlights of every issue of journal in capsule form and the President Message in the journal are mass-emailed to all the members.
- **Journal on Mobile:** The e-journal is also available on mobile, compatible on iOS (IPad/IPhone etc.) and Android devices. The same can be accessed at http://www.icai.org/ under 'e-journal' tab. The e-journal is also available on ICAI Mobile App.

8.6 Infrastructure Development Committee (IDC)

In the year 2014, Infrastructure Development Committee was formed as a non-standing Committee of the Institute. Since 2014, the ICAI has a robust infrastructure policy in place, which ensures financial prudence and discipline. This year, Committee has modified the Infrastructure Policy for Branches and Regional Councils/Offices. The policy defines what all facilities can be provided, composition of local Infrastructure Committees, policy and procedure for acquisition of land/ building, indicative area, permissible grant from Head Office, powers and delegation vested with various authorities within the Institute. Since the policy itself defines the financial powers, all infrastructure projects from the year 2014 onwards are being approved by IDC, instead of the Finance Committee. Since formulation of Infrastructure policy, the ICAI has initiated following projects:

Purchase of new Infrastructure	Construction proposals approved
Kannur, Jalandhar, Jabalpur, Goa, Gurugram, Moradabad, Pali, Agra, Gorakhpur, Karnal, Kishangarh, Latur, Patiala, Ujjan, Ratlam, Chengalpattu, Ahmedabad, Kota, Ernakulam, Himachal Pradesh, Jamnagar, Tirupati, Raipur, Bengaluru Gifted Property, ICOE Chennai (1.19 Acre), COE Guwahati, Kalyan Dombivli	Ajmer, Surat, Bhopal, Rajamahendravaram, Centre of Excellence Jaipur, Bathinda, Bareilly, Jodhpur, Raipur, Kannur, Ghaziabad, Goa, Moradabad, Guntur, Agra, Gurugram, Rohini, Ratlam, Patiala, Kishangarh, Ujjain, Pali, COE Kolkata, Bengaluru Gifted Property, Ahmedabad, Chengalpattu, Ernakulam, Rohtak, Siliguri, Patna, Jabalpur, Jalandhar, ICOE Chennai Camp Office, Nagpur, Tirupati, Himachal Pradesh, Hubli (Audi), COE Kolkata, Ujjain, Latur, Patiala, Ratlam, Kota, Renovation of HO Building at C-1 Sector-1 Noida.

Out of total 179 Branches set up by the ICAI so far, 104 branches are having their own premises. 12 Branches (presently functioning from Rented Premises) who have procured land on which construction is either yet to be commenced or construction is under-way. 11 Branches (functioning from own premises) have procured land where either construction yet to be started or construction is under-way. 61 Branches do not own either land or building. The Region-wise break-up is as under:

S. No.	Particulars	Remarks					
		WIRC	SIRC	EIRC	CIRC	NIRC	Total
1	Total Nos. of Branches	36	48	13	57	25	179
2	Nos. of Branches having own Premises	21	34	6	32	11	104
3	Nos. of Branches having land on which construction is started or yet to be started (functioning from rented premises)	2	2	0	4	4	12
4	Nos. of Branches having land on which construction is started or yet to be started besides the own premises (functioning from own premises)	3	2	1	5	0	11
5	Total nos. of Branches having neither land or building	13	12	7	21	10	61

Recently, NBCC has also been engaged for Building Projects of ICAI all over India.

8.7 International Affairs Committee (IAC)

(I) Initiatives of IAC for recognition of professional opportunities abroad

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) has established Mutual Recognition Agreements (MRAs) with 8 international professional bodies to facilitate mutual recognition of accountancy qualifications. These include CPA Australia, CAANZ (under renewal), SAICA(under renewal), CPA Canada(under renewal), MICPA, CPA Ireland, ICAEW, and ICAN. Agreements with CAANZ, SAICA, and CPA Canada are currently under renewal

- **Renewal of MRA with CPA Ireland**

  In view of the amalgamation of CPA Ireland with the Chartered Accountants Ireland on September 01, 2024, after which the identity of CPA Ireland shall cease to exist but the new institute assures respect for existing reciprocity agreements, ICAI and CPA Ireland have progressed with their arrangements for the benefit of the members at either end.

- **Signing of Addendum with CA ANZ**

  ICAI and CA ANZ previously had a reciprocity membership agreement. During the year, both the organizations actively engaged for review of course curriculum of each other and pending final review extended arrangement through an addendum for the benefit of the members.

- **Benchmarking of ICAI qualification by Ecctis**

  To enhance global opportunities for its members, ICAI engaged Ecctis in 2019 to benchmark its qualifications against UK and UAE education standards. The study found ICAI's Intermediate level equivalent to a Bachelor's degree and the Final level equivalent to a Master's degree. Due to recent curriculum updates, ICAI has initiated a fresh evaluation with Ecctis to reaffirm its international standing, benefiting members seeking professional opportunities abroad.

- **Awareness sessions with MRA Partner**

  ICAI has been actively promoting Mutual Recognition Agreements (MRAs) with global partners to create overseas opportunities for its members. During the reported period, ICAI organized 15 awareness sessions with CPA Australia across major cities and regions in India through both physical and virtual formats. Additionally, 6 awareness sessions were conducted with ICAEW in key cities nationwide, also via hybrid modes. ICAI also held a virtual awareness session with CPA Ontario, reaching a broad network of members and stakeholders to enhance understanding and engagement with international MRA opportunities.

(II) Globalizing ICAI's Brand Equity

World Forum of Accountants- A resounding success

ICAI organized the inaugural World Forum of Accountants (WOFA) from January 31 to February 2, 2025, at Yashobhoomi, New Delhi, aiming to position India as a global hub for finance and accounting. The landmark event gathered over 6,500 delegates from 32 countries and prominent global accounting bodies such as ICAEW, CPA Australia, CPA Canada, and SAFA, with an additional 800 participants attending virtually. Centered around the theme "Accountability Meets Innovation (AI): For a Sustainable Planet," the forum explored the integration of financial integrity, technology, and sustainability. WOFA featured 10 special sessions, 22 concurrent sessions, and 14 panel discussions addressed by over 200 international and national thought leaders. The event included 67 sponsors & exhibitors, 27 Indian firms, and an ICAI pavilion showcasing various committee initiatives. Additionally, SAFA Committee and Board Strategy Meetings, and bilateral meetings with CPA Australia, CPA Canada, and CA Maldives were held on the sidelines, reinforcing ICAI's global engagement and leadership in the profession.

Partner in Nation Building – New Initiatives

- ICAI established a dedicated Section 8 company, the ICAI International ADR Centre, to efficiently and effectively resolve commercial disputes. The International Alternative Dispute Resolution (ADR) Centre will offer arbitration, mediation, and conciliation services.
- ICAI launched the beta version of Phase 1 of the External Confirmation Portal at the World Forum of Accountants.
- ICAI rolled out a Certificate Course on Fund Management at IFSC, developed to address the growing professional opportunities within the IFSC in addition to introducing a Certificate Course on Compliance for Capital Market Intermediaries, designed to enhance members' understanding of regulatory frameworks and compliance practices in the capital markets.

ICAI Awards Ceremony

Total 62 Awards under 5 categories were presented at the occasion. The awards were conferred by Shri Arjun Ram Meghwal, Union Minister of State (Independent Charge) for Law and Justice and Minister of State for Parliamentary Affairs.

75th Annual Function of ICAI

Coinciding with the World Forum of Accountants, ICAI organized its 75th Annual Function on February 2, 2025. Hon'ble Vice-President of India, Shri Jagdeep Dhankhar presided as Chief Guest at 75th Annual function of ICAI at World Forum of Accountants. The Annual Function featured awards presented to CA Rank Holders, Regional Councils, Branches, and Overseas Chapters.

ICAI- IFSCA Engagements

The ICAI actively promotes India's GIFT City IFSC and enhances its global presence through high-level international delegations. These visits foster collaboration, raise the profile of Indian Chartered Accountants, and advance the accounting profession worldwide.

- **Australia (August 2024):** The then President and Vice President joined an IFSCA delegation to Australia. They met with ASIC to discuss collaboration, launched the revamped International Affairs Committee website, and promoted GIFT City's advantages and ICAI's role in the FinTech ecosystem. The delegation engaged with FinTech companies at a "Start-up Hub and FinTech ecosystem" meeting on 6th August, 2024,

supported the industry, and attended a roundtable with Australian Self-Managed Super Funds and Asset Managers. The President addressed seminars on IFSC opportunities for UHNIs/HNIs and participated in a roundtable with accounting professionals, while the Vice President took part in a panel discussion.

- **USA (October 2024):** The then President led an IFSCA delegation to New York and San Francisco to discuss GIFT IFSC opportunities with US financial services and universities. ICAI Chapters helped raise awareness, and the Florida Chapter was inaugurated, becoming ICAI's 51st overseas chapter.
- **UK (March 2025):** The President ICAI, visited the UK with an IFSCA delegation to promote GIFT IFSC and gather insights into the UK's accounting profession. He addressed conferences on GIFT City business opportunities and addressed a "Roundtable Interaction on Book-keeping, Accounting, Taxation and Financial Crime Compliance Services in GIFT IFSC, India organized by ICAEW and the ICAI-UK (London) Chapter, highlighting outsourcing opportunities for UK firms. He also met with Deputy High Commissioner of India to the UK, and Minister (Economic) at the High Commission of India, to discuss opportunities for Indian Chartered Accountants to provide value-added services within the UK.

(III) Enhancing ICAI's Global Footprints

- **Enhancing Brand CA Globally through ICAI Overseas Chapters & Representative Offices**

ICAI has always been working untiringly in the direction of effectively and efficiently serving its members based in overseas. ICAI has now 54 Chapters and 31 Representative offices in 85 global cities in 47 Countries aiding to positioning the 'CA India' as a 'Brand' worldwide for generating more professional avenues for Indian Chartered Accountants. During the period under report, ICAI has inaugurated 4 Chapters in Florida, Zurich, Los Angeles and Atlanta. These Chapters are our brand Ambassadors and they uphold the mission of Indian Chartered Accountancy high in foreign soil. Representative office in Rotterdam in Netherlands and Kansas, Louisiana, Minnesota, Tennessee, and San Diego in USA were also launched. Representative offices abroad are opened where currently ICAI Chapters cannot be formed thus bringing together ICAI members abroad and enabling effective reach and service to its members, thus aiding to positioning the Brand "Indian CA" worldwide for generating more professional avenues for Indian Chartered Accountants.

- **Mobile App "Diaspora" for ICAI Overseas Members**

On October 25, 2024, ICAI launched the Android and iOS versions of its "Diaspora" mobile app to better connect with its international community of around 14,000 overseas members. The launch occurred during an event of the Toronto Chapter, coinciding with then-President CA Ranjeet Kumar Agarwal's visit to New York, San Francisco, and Toronto. The app provides members with easy access to information, enhances engagement, and fosters networking. It also synchronizes with ICAI's central database to identify members who have not updated their overseas professional addresses, improving the accuracy of membership records.

- **New Website of International Affairs Committee**

ICAI launched a separate website of the International Affairs Committee to enhance communication, foster collaboration, and provide a central hub for information and resources on August 5, 2024 coinciding with the visit of the then President CA. Ranjeet Kumar Agarwal to Australia. Recognizing the increasing importance of digital platforms in international affairs, the website aims to bridge geographical gaps, facilitate knowledge sharing among members and stakeholders, and promote transparency and accessibility to committee activities and initiatives.

- **Directions of the Council for Accreditation and Functioning of Chapters Outside India**

ICAI developed a comprehensive guidelines "Directions of the Council for Accreditation and Functioning of Chapters Outside India" for strengthening ICAI overseas Chapters in order to serve the members abroad in an effective and efficient way.

- **ICAI Best Oversesa Chapter Awards 2024**

Since 2013, the International Affairs Committee (IAC) has annually presented the ICAI Best Chapter Awards to recognize overseas Chapters for their outstanding efforts in promoting the 'Indian CA' brand and fostering member networking abroad. The awards honor Chapters' exemplary achievements in advancing the Chartered Accountancy profession based on defined criteria. In 2025, the awards were presented to 12 overseas Chapters during ICAI's 75th Annual Day function held on February 2, coinciding with the World Forum of Accountants. The event was presided over by Hon'ble Vice-President of India, as the Chief Guest.

- **ICAI's Representatives on International Bodies**

From time to time, ICAI representatives have been at the leadership positions of various International Accounting bodies. This ensures the ICAI remains at the forefront of emerging trends and knowledge development. Currently, ICAI is being represented in the following Board/Committee of :-

- **International Federation of Accountants (IFAC)** – Board Member; Advisory Group Members; Independent Standard Setting Board Member and Technical Advisors
- **Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA)** –Board Member & President
- **South Asian Federation of Accountants (SAFA)** – Advisor, Board & Assembly Member, Technical Advisors, Committee Chair & Committee Members
- **Chartered Accountants Worldwide (CAW)** – Board Member, Technical Advisor.
- **Edinburgh Group** –Chairman.
- **Asean Federation of Accountants (AFA)** – Associate Member & Working Committee Members
- **IFRS Foundation-** Member, IFRS SME Implementation Group
- **Pan African Federation of Accountants (PAFA)** – Affiliate Member
- **XBRL International-** Board Member

(IV) Delegations visiting ICAI

- **Visit of delegation from CAIR**

CEO & Director, Centre for Australia India Relations (CAIR) visited ICAI, New Delhi and met with the then President, ICAI on September 19, 2024 wherein deliberations were held regarding various opportunities for ICAI members in Australia.

- **Training sessions organized by ICAI for the delegation from ICPA Kenya**

A 12-member delegation from the Institute of Certified Public Accountants of Kenya (ICPAK), led by Vice-Chairman CPA Prof. Elizabeth Nthambi Muvui, visited ICAI during the World Forum of Accountants in February 2025. ICAI organized a two-day training for them, where the then President and other senior ICAI officials welcomed the delegates and briefed them on key initiatives like UDIN. The visit also focused on renewing the 2019 MoU between ICAI and ICPAK to strengthen mutual cooperation in professional development. Training sessions covered UDIN, AI, digital learning, audit quality, research, MSME initiatives, and support for members in practice. The Kenyan delegation appreciated the valuable insights gained from the comprehensive training.

8.8 Management Committee

Management Committee, constituted in 2015 as non-standing Committee of the Council, is mandated to consider matters pertaining to formation of Branches, setting up of Chapters abroad, MoUs/ MRAs with national/ international bodies, appointment of central auditors of ICAI, annual accounts of the Institute, matters referred by the Central Government and other regulatory bodies, proposals for amendments in the Chartered Accountants Act, 1949, Rules and Regulations framed thereunder, Regional Councils and Branches matters, Members/CA firms/LLPs/mergers/demergers/networking related matters and proposals received from other committees/departments of the Institute having administrative and policy implications and making its recommendations to the Council wherever required.

8.9 Public Relations Committee (PRC)

The Public Relations Committee has been working towards strengthen and enhance the brand image of the ICAI as a premier accountancy body and the sole regulatory authority for the profession of Chartered Accountancy in India through various ways and means, as considered appropriate within the framework of the CA Act. The PR Committee further endeavors to foster good relationship with Media and other Stakeholders in coordination with various committees of ICAI to provide smooth communication, information and to enhance the visibility of ICAI. Media serves as one of the most strategic tools for effectively conveying opinions and perspectives to the public, policymakers, and key stakeholders. In recent times, ICAI has proactively leveraged the media to communicate its views and decisions with clarity and impact. The Public Relations Committee has not only expanded ICAI's media footprint in terms of reach and volume but has also built meaningful long-term relationships with key national media.

(I) Enhancing presence of ICAI in Media

- **Periodical Media Interactions** with prominent Publications to share ICAI's views on important matters, initiatives, achievements and key developments.

- **Exclusive Articles i.e** One-in-three CAs in India is a woman**,** 7 essential tips every aspiring CA must know for exam preparation**,** New non-financial accounting norms in the works, as ESG grabs centre stage etcwere published
- **Other Important News Coverage-** ICAI's major updates, including the Supreme Court tax audit limit ruling, disciplinary actions against EY and PwC, Pre-Budget Memorandum proposals, Delhi High Court exam decision, and views on SA 600 and SA 299 revisions, received wide media coverage.
- **Press Releases on Important Announcements / Events-** ICAI issued 49 press releases and held 8 press conferences during the year, along with over 35 one-on-one media interactions to enhance communication. As a result, more than 1,100 news clippings appeared in top newspapers and news agencies, and over 1,800 reports were published online, significantly boosting ICAI's media presence and outreach.

(II) Promotional activities

- **10th International Day of Yoga-** Since 2015, ICAI has celebrated International Day of Yoga through its Regional Councils and Branches. On June 21, 2024, the 10th IDY was marked with programs across 5 Regional Councils and 176 Branches nationwide. Uniform branding materials, grants, and guidelines were provided, encouraging enthusiastic participation from members, students, and their families.
- **CA Run for Viksit Bharat-** To celebrate ICAI's 75th Chartered Accountants Day and support PM Modi's vision of Viksit Bharat, a nationwide "CA Run for Viksit Bharat" was held on June 30, 2024. Members and students globally participated, with events across all 5 Regional Councils, 176 Branches, and foreign chapters starting simultaneously at 6 AM. The New Delhi run began at ICAI HQ and ended at Major Dhyan Chand National Stadium, with Hon'ble Minister of State of Corporate Affairs & Road Transport and Highways as Chief Guest. Uniform branding materials and grants were provided, and the event was widely promoted through print, TV, radio, and social media.
- **Chartered Accountant's Day-2024-** As ICAI celebrated its 75 years of trust, on July 1, 2024, on this occasion a grand celebration was organised at Bharat Mandapam in New Delhi. The event was graced by Hon'ble Minister of Road Transport and Highways as the Chief Guest along with Secretary, Ministry of Corporate Affairs. Also present were the then President, ICAI; the then Vice-President ICAI, galaxy of Past Presidents, Central and Regional Council Members of ICAI and Secretary, ICAI.

  The event was widely publicized through following activities:

  - **Print Media Campaign:** Towards publicizing CA Day, Print Advt. were developed and published in prominent mainline and financial publications. Post event publicity was also done by publishing an event synopsis report in the media.
  - **TV Campaign:** The 75-year CA Day celebrations of ICAI were publicized on various Business/News Channels through various elements and news reports. The event was also captured and aired on Zee Business.
  - **Radio Campaign** – Radio spots publicizing the event were played on prominent FM stations pan India.
  - **Social Media Campaign –** A Social Media campaign was run across ICAI social media platforms through Creatives, short videos, video messages. Post event videos capturing the Grand Celebrations were also developed and posted on ICAI social media platforms with garnered lakhs of impressions.
  - **OOH Campaign –** Hoardings were designed and put up for outdoor branding covering important locations around ITO to venue - Bharat Mandapam publicizing CA Day.
  - **Standee-** Major achievements and initiatives of last 75 years were compiled and standees were developed and displayed during the CA Day Function held at New Delhi
  - **Audio Visual-** - An Audio Visual for CA Day was developed showcasing ICAI pivotal role as partner in nation building which captured the bytes of various dignitaries who have graced ICAI events in the past. The messages of President & Vice-President were also recorded and shared with RCs & Branches and uploaded on social media.
  - **Goodwill Messages: On occasion of CA Day a** special issue of ICAI Journal i.e. July, 2024 was brought by the editorial board, this issue captured wishes of Policical leaders and eminent dignitaries. PRC arranged and followed up with the offices of the dignitaries for these messages. Over 35 messages from dignitaries were received.

(III) Budget -2024 Activities

- **Budget Reactions, Economic Survey and Pre and Post Budget Memorandum** was shared with the media and was covered prominently in more than 45 publications (print & online) and in various TV Channels like CNBC TV 18, CNBC Awaaz, Zee Business, Zee TV and Aajtak.
- **A live session of the President, ICAI** was aired on Zee News immediately after the Budget Speech.

(IV) Nationwide Plantation Drive on Independence Day

On 15th August, marking the 75th year celebrations of the Institute, a nationwide plantation drive was organised through RCs & Branches. Around 4000 saplings were planted on this special day. This initiative has been undertaken jointly by SRSB, PRC and Group for Celebration of the 75th year of ICAI.

(V) Felicitation of Sr. Members-aged 75 years or above

To mark ICAI's 75th anniversary, senior members aged 75 or above (as of July 1, 2024) were felicitated to honor their contributions to the CA profession. A special Felicitation Kit with a plaque, certificate, lapel pin, and car stickers was prepared. Regional Councils and Branches were asked to honor these members during events or visits. By May 2025, over 2,000 senior members had been felicitated nationwide.

(VI) Each One Teach One

ICAI, committed to nurturing the next generation, launched the 'Each One Teach One' mentorship initiative on July 1, 2024, following call of Union Minister, Commerce and Industry to encourage members to mentor students, promoting peer learning and knowledge sharing. A dedicated website (https://eoto.icai.org/) was also launched for registration and participation.

(VII) Publicity & Promotion of World Forum of Accountants (WOFA)

ICAI hosted the World Forum of Accountants 2025, its largest accounting event, at Yashobhoomi, New Delhi, themed "Accountability Meets Innovation (AI): For a Sustainable Planet." The three-day convention saw over 6,000 delegates from 40+ countries, 40+ sessions, and 200+ speakers. A special WOFA Anthem was launched to capture the forum's spirit, widely publicized and well-received. A media briefing was also held to highlight the event's global scale, speakers, and key themes.Towards branding & publicity of this Mega event, the PRC has undertaken various activities i.e Print Advertisement in Economic Times, Electronic Media- TVC Promos, Post-event Episode, Radio Jingles aired, Digital/OOH Campaigns, Audio Visuals, Branding at the venue and a Visual Memoir in form of Coffee Table Book (CTB) of WOFA 2025.

(IX) Other activities:

- Press Release on each day capturing the full day of the event were issued
- Quote of Dignitaries gracing the event were also immediately shared with the Media
- Live tweets and photographs of each session were posted on WOFA Social Media
- Standees & Banners for RCs & Branches were developed and shared
- Advt. in CA Journal promoting WOFA was published in Nov. issue
- WOFA teaser videos was developed & circulated to all Members through Whatsapp
- Various Social Media Creatives developed and uploaded on ICAI & WOFA Social Media handles on daily basis
- WOFA Photo Template was shared with delegates for branding

(X) ICAI Awards 2024

ICAI hosted the first-ever ICAI Awards 2024 on February 1, 2025 at WOFA, New Delhi, consolidating awards from five committees into a single platform. 62 awards were presented across categories including financial reporting, sustainability, local bodies, industry, and women excellence. Hon'ble MoS, Ministry of Law and Justice presented the awards. A special Garuda-inspired memento was given to winners, and the event was widely publicized.

(XI) Publicity of 75th ICAI Annual Function

A half-page color advt. publicizing the event was published in major publications- TOI & The Hindu Business Line. The Annual Function was graced by Hon'ble Vice-President of India as Chief Guest, Member of Parliament along with Secretary General, Rajya Sabha. Press Releases was issued post the event.

(XII) Election of New Torchbearers – 2025-26

The election of the new torchbearers (2025-26) was publicized widely amongst members, stakeholders and public at large through Press Release and First Press Conference of the year, Publicity on Social Media, Mass SMS and Collaterals designs.

(XIII) Press Meet & Interview

On March 6, 2025, ICAI held a press meet with key media houses to launch the annual theme 'VISHWASNIYA' and share the year's action plan and priorities. The event received wide coverage across print, online, and TV platforms. ICAI also provided inputs to major publications, resulting in articles on topics like the new Income-Tax Bill, campus placement trends, and forex accounting norms.

(XIV) Publicity & Promotion of various events

ICAI Startup Sphere 2024 held in Bangaluru, Special discussion on the Union Budget 2024-2025, 2nd Edition of RESOLVE-2024, ICAI MSME & StartUp Yatra, AI Innovation Summit – AIS 2024 at Hyderabad on July 16, 2024, ICAI Convocation Ceremony, First Audit Day, Local Governance Synergy Conclave, Global Ethics Day, Opening of COE Kolkata, Accounting Standards Day through Print media, electronice media, Radio campaign, finance media, business media etc.

(XV) Press Conferences

- **Year Ender Press Conference in New Delhi-** On December 23, 2024, ICAI held a press conference in New Delhi, attended by major media outlets. The President and Vice-President highlighted ICAI's key achievements and initiatives, resulting in coverage by over 90 print, online, and TV publications.
- **Press Conferences organized across the country-** PRC organized press conferences at various events and locations—including Jaipur, New Delhi, Hyderabad, Bengaluru, Kolkata, and multiple branches—where the President shared updates on key initiatives. These were widely covered in media and online.
- **ICAI Stands with Nation -**During Operation 'SINDOOR', ICAI urged its 14.5 lakh members and students to support the nation through a webcast on May 9, 2025, which received over 1.5 million social media impressions. Promotional materials were designed, mass communications sent, live tweets shared and a press release issued, resulting in coverage across 100+ media outlets.
- **ICAI Participation in the Powering Bharat Summit 2025**- ICAI participated in the Powering Bharat Summit 2025 on May 16 at Taj Palace, New Delhi, alongside key ministers and leaders. The ICAI President spoke on India's vision for economic leadership and Viksit Bharat@2047. His address was broadcast on CNBC TV18.
- **Publicity & Promotion of All India Managing Committee Members Meet (AIMCMM 2025) March 21st - 23rd at New Delhi** through Print Media and distribution of Lapel Pins to Management Committee Members of RCs & Branches.
- **Audio Visuals Developed during the year** i.e Teaser of the event 'World Forum of Accountants (WOFA), 5 Committee specific Avs, Election AVs-2, ICAI Awards
- **Audio Visual showcasing ICAI Vision of the Year – VISHWASNIYA-** To promote the year's vision 'VISHWASNIYA,' the PR Committee produced an audio-visual highlighting key focus areas like integrity, sustainability, digital transformation, and youth development etc. The video, launched at AIMCMM 2025, will guide ICAI's initiatives across all levels.
- **Monthly Videos highlighting significant achievements of ICAI-** Every month, video bytes of President, ICAI highlighting the monthly significant achievements of ICAI are recorded and accordingly a short video was developed by PRC. The same was then uploaded on social media accounts of ICAI and sent to all members of the Institute via Whatsapp.
- **Association with Doordarshan-** To expand its reach beyond print, ICAI partnered with Prasar Bharati for one year to air promos and L Bands on Doordarshan's 19 national and regional channels. This collaboration promoted ICAI initiatives during Budget Day and Independence Day, the Financial & Tax Literacy Campaign, and the World Forum of Accountants (WOFA). Promotion of the Certificate Course for Accountants of Panchayats and Municipal Bodies is in the pipeline.
- **Letter to Editor in response to misreporting by media-** ICAI took strong action against negative media reports that tarnished the image of the Chartered Accountancy profession. Letters were sent to editors of prominent newspapers requesting corrections to restore the profession's reputation and ensure accurate public representation.

Publications

- Year Book: 2024-25
- Treasure Trove of Wisdom from Visionaries-Speeches of Past Presidents, ICAI-6th Edition
- Coffee Table Book of WOFA

8.10 Research Committee

The Research Committee of the Institute of Chartered Accountants of India, established in 1955, is one of the oldest technical committees dedicated to fostering a strong research culture to enhance professional services. Its primary objective is to conduct research and strengthen institutional capacity in accounting and allied fields for the benefit of the profession and the nation.The Committee actively promotes research and innovation through various projects, programs, workshops, and seminars. It also focuses on developing strategies for global collaboration in key areas of international importance. The Committee conducts research on diverse areas such as the profession, economy, education, business, industry, health, and infrastructure. It provides research-based insights to support government policy, offers recommendations, and prepares representations on accounting and professional matters. Focused on promoting high-quality research, it leads strategic initiatives to improve financial reporting and offers thought leadership on emerging trends and best practices affecting the profession.

(I) Research Project in Progress

- Corporate Reporting Practices of Listed and Unlisted Companies in India
- Accounting for Digital Assets
- An Exploratory Analysis of MUDRA and PMMY in Fostering Growth of Micro Enterprises
- The Rise of Green Investment: Investors' Intention and Mediating Role of Theory of Planned Behavior on Sustainable Investment Propensity
- Tax-to-GDP Ratio and Sustainable Growth: An Empirical Analysis of India's Economic Development
- "Revitalizing India's Legal Landscape: Analysing Obsolete Economic and Commercial Laws for Viksit Bharat@2047"
- REIT's and Its Emerging Scope in India
- The AI Audit Revolution: Exploring Opportunities and Challenges in Audit & Accounting Practice
- Decoding the Development Dilemma of Dhubri District and Roadmap for its Inclusive Growth
- Study Of Current Socio Economic Affairs In Sehore District Of Madhya Pradesh And The Way Forward
- Unveiling Varanasi- Exploring the dynamics of India's Spiritual Capital
- Mahua Flowers: Regulatory, Economic, and Social Opportunities

(II) Promoting Excellence in Financial Reporting Practices

ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting 2023-24- Since 1958, ICAI has organized the 'Awards for Excellence in Financial Reporting' to recognize entities adhering to reporting standards. The 2023-24 awardees were selected through a rigorous four-tier process, with the jury meeting held on January 14, 2025, chaired by Tourism Finance Corporation of India Ltd. The awards ceremony took place on February 1, 2025, at Yashobhoomi, New Delhi, where 19 awards—6 Gold Shields and 13 Silver Shields—were presented.

(III) Recognition of Research Scholars

ICAI International Research Award 2024- Since 2020, the ICAI Research Committee has been organizing the "ICAI International Research Awards" to promote innovation in Accounting, Auditing, Economics, Finance, and Taxation. The 2024 virtual jury meeting was held on August 8, chaired by President of CPA Australia, with esteemed international members. The awards ceremony took place on August 30, 2024, in Chandigarh, where 11 awards were presented: 4 Gold, 4 Silver, and 3 Bronze Shields.

(IV) Schemes for promoting Research Culture

ICAI Doctoral Scholarship Scheme- ICAI Doctoral Scholarship Scheme seeks to provide requisite support by way of monthly scholarship to the eligible candidates with outstanding academic credentials, intellectual curiosity and needed discipline to make scholarly contribution. This scheme is open for ICAI members who are not more than 40 years of age, who should be Full Time Student at the University/College/Institution while pursuing Ph.D.

and not availing any such scholarship from any other Institution. The scholarship of Rs. 75,000 per month for 3 years will be given for maximum 5 scholars annually.

(V) ICAI Research Projects Scheme- The launch of the ICAI Research Project Scheme in 2020 demonstrates the Research Committee's commitment to empowering and supporting researchers interested in conducting insightful investigations on contemporary topics, ultimately enhancing advancements in the field of accounting and its related domains. ICAI Research Project Scheme is a scheme which aims to fund research projects to be undertaken by members having experience of more than 10 years either in practice or in employment or experienced research scholars of a recognised University having published research papers in any referred Journal. The maximum amount of Rs. 10 lacs will be reimbursed as research expenditure. The Researchers are required to complete the research project within 6 months after the research proposal is approved by the Research Committee. The Scheme is open round the year.summarize.

Since its introduction, various projects have been awarded and completed under the Scheme as follows –

- Internal Control System in State Owned Universities A Study to Formulate Internal Control Manual
- Impact of Digital Transformation Strategies on Financial Performance in the Indian Manufacturing Sector
- How Indian Companies can play a pivotal role in the supply chain to Australia?
- Inching towards Tax Certainty: Neoteric Domestic Dispute Mechanism for Cross-Border Taxation
- Analysis and evaluation of Indian Startups in non-metropolitan areas and selected metropolitan areas-An Untold Story
- Money laundering and scams "THROUGH" Multi-State Urban Cooperative Credit Societies in India
- Taxation aspects of circulars issued by Regulatory Authorities- A study of IRDA Circulars
- Evaluating the effect of scientific meditation on employee burnout: A multinational study
- The emerging role of auditors and CFOs in addressing Risk Management: A New perspective
- Finance & Tax Literacy for Start-Ups
- Taxation on Non-Resident Artistes or Sportspersons – Domestically and Internationally

Also, a few projects are in pipeline.

(VI) ICAI Short Term Research Studies Scheme 2024

Research Committee has introduced the Short Term Research Studies Scheme in 2023 to spearheading the innovative and short-term research projects that may lead to breakthroughs in the critical issues. This scheme provides a platform for sharing new ideas, innovative research findings and thought-provoking insights on various contemporary topics. The weightage would be given to applicant having experience of at least 5 years in the Research domain and a PhD Holder. The Permissible Honorarium of Rs. 1,00,000 would be provided. The applicants will be given the time duration of three months for completing the research projects. The scheme is open round the year.

Six projects have been approved under the scheme on the following topics which are in progress –

- REIT'S and its Emerging Scope in India
- The AI Audit Revolution: Exploring Opportunities and Challenges in Audit & Accounting Practice
- Study Of Current Socio-Economic Affairs in Sehore District Of Madhya Pradesh and the Way Forward
- Decoding the Development Dilemma of Dhubri District and Roadmap for its Inclusive Growth
- Unveiling Varanasi- Exploring the dynamics of India's Spiritual Capital
- Mahua Flowers: Regulatory, Economic, and Social Opportunities

(VII) Capacity Building Initiatives

- The Committee organized the "Academia Meet with Universities/Institutions" on May 17, 2024, at New Delhi, to promote research and innovation through interaction and knowledge exchange among leading academicians. The event, attended by distinguished university and business school researchers, aimed to advance research for the benefit of the profession and economy

- An interactive discussion on research advancements was held on May 29, 2024 at New Delhi, bringing together Ph.D. holders and research-oriented Chartered Accountants nationwide. The event focused on fostering collaboration and exploring new research areas to benefit the profession and the economy.
- The Committee organized an "Interactive Discussion on Excellence in Financial Reporting" on June 25, 2024, at New Delhi. The event focused on preparing for accurate reporting, avoiding common errors, and updating on emerging trends in financial and non-financial reporting. Emphasis was placed on the importance of high-quality reporting in building organizational value, trust, and market confidence. The session highlighted that rigorous disclosure is both a regulatory requirement and an ethical business practice.
- The Committee organizes live panel discussions on contemporary research topics to foster continuous learning, innovation, and collaboration among researchers, institutions, and industries. Key themes include emerging trends in financial reporting, best practices in annual reports, risk-based controls, tax implications, challenges in MSME financial reporting, integrated reporting, and the role of technology in reporting processes.

8.11 Strategy, Perspective Planning and Monitoring Committee (SPP&MC)

The Strategy Perspective Planning and Monitoring Committee is a non-standing committee of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) serves a critical role in shaping long-term ICAI Vision and objectives. The primary purpose of this committee is to engage in strategic planning, ensuring that the ICAI develops and implements effective strategies to meet its goal. The committee is committed to effective risk management, identifying potential challenges, and adapting strategies to navigate a dynamic business environment. By analysing various perspective, trends and factors, the committee aim to provide a comprehensive outlook for the organization's future. Additionally, it plays a critical role in monitoring the execution of strategic initiatives, assessing their impact, and making adjustments as necessary.

Activities/Initiatives:

(I) Preparation of ICAI Vision 2049-Collaboration with IIMA

In pursuit of a forward-looking strategy for the Institute, the ICAI initiated the development of *ICAI Vision 2049* through a collaborative engagement with the Indian Institute of Management Ahmedabad (IIMA). This collaboration aims to outline a comprehensive roadmap that aligns the Institute's long-term goals with emerging global, technological, and regulatory trends.

(II) Formation of Group for Preparation of the Vision Document

Pursuant to the decision of the competent authority, a dedicated Group was constituted under the aegis of the Strategy, Perspective Planning and Monitoring Committee (SPPMC) for the preparation of the Vision document.

(III) Submission of Revised Draft

Inputs were sought by the IIMA via conducting series of interaction with President, Vice President, Central Council Members, Secretary, Faculty, Boards of Studies, senior officers and members of ICAI for preparation of ICAI Vision 2049. Draft questionnaires were circulated to seek views of members, students, present and past Council Members, and employees. A meeting of past Presidents was held on 21st March, 2024 at Jaipur to seek their views on ICAI Vision 2049. The views expressed therein were collated and placed before the SPPMC at its 10th meeting held on 16th April 2024 at New Delhi. Further, a meeting with past Council members was held on 27th April, 2024 at New Delhi. The views expressed therein were also collated. With the approval of President, the summary of responses received on questionnaire, summarisation of views expressed by past Presidents, present Council members and past council members had been shared with IIMA on 3rd May 2024. IIMA thereafter submitted their first draft to SPPMC on for its consideration on 5th June 2024. The same was considered by the Group wherein all members of the Council were invited. The members therein made certain suggestions for improvement in the draft Vision Document which were communicated to IIMA on 12th June, 2024.

Subsequently, IIMA submitted the second draft report via email dated 25th June 2024. The revised draft was acknowledged by the office, and further discussions were held regarding the structure and content of the Vision 2049 Document. In addition, some further observations have been communicated to IIMA for inclusion in the final version. IIMA has agreed to incorporate these inputs and will submit the final report shortly, along with a concise 5–6 page Vision Document aligned with the structure and format of the ICAI Vision 2030. The final Vision 2049 document will serve as a strategic blueprint to guide ICAI's evolution over the next 25 years, reinforcing its role as a global leader in the accounting profession. Vision 2049 will mark a significant milestone in shaping ICAI's future trajectory with clarity, purpose, and strategic foresight.

8.12 Central Council Library

The Central Council Library of the Institute caters to the information requirements of its stakeholders. Its aim is to provide comprehensive and up to date collection of primary and secondary print and non-print material to the present and anticipated members/students, research scholars and officials of ICAI. Library has assumed greater responsibilities of serving committees, departments in imparting knowledge and valuable information through books, e-books, journals, magazines, on-line databases, print newspapers as well as e-newspapers. Central council library is responsible for updating and providing journals and books required for the various committees work. The Central Council Library is fully computerized and working through Liberty- library management software. Library material including database of Books, Journals & Articles can be searched through Subject, Author, Title, Topic, Keyword, & Publisher wise. These records are available on Internet Online Services www.icai.org under "Central Council Library"-online search OPAC-Liberty for the books, Journals, articles etc. in the library.

Under the Column "Accountants Browser", an index of articles relevant to accounting profession are published every month in the journal "The Chartered Accountant". One may note that The "Accountants Browser" is an index of important/Professional Articles with archives of past articles. Reference service from library is also provided to the Researchers & Scholars, faculties, students and members. A number of online databases have been acquired by the Library, details of which are available on www.icai.org – Central Council Library. These On-line knowledge databases have been installed in the Central Council Library and can be accessed in house only, to facilitate the search for required material by the Members, Faculties and Research Scholars. Several e-journals have also been subscribed in the Library. Details of the new resources added in the Central Council library at Head office and Noida library respectively for the year are mentioned as under:

- **CENTRAL COUNCIL LIBRARY (H.Q).**

S.NO.	Title	Figures
1.	Journals (Print)- national & International	28
2.	Online Resources	18
3.	No. of new arrival Books added during the period	219

- **CENTRAL COUNCIL LIBRARY SEC.62, NOIDA**

S.NO.	Title	Figures
1.	Journals (Print) - national & International	15
2.	Online Resources	12
3.	No. of new arrival Books added during the period	131

Central Council Library is regularly updating its resources to provide the professional Members, students, faculties & other stakeholders with the latest & upto date knowledge and information.

8.13 Right to Information Act, 2005

The basic objective of the Right to Information Act is to empower the citizens, to acclaim transparency and accountability in the working of every public authority. The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) a statutory body set up by an Act of Parliament i.e. The Chartered Accountants Act, 1949 is a public authority as envisaged under Section 2(h) of the RTI Act,2005. In compliance of the provisions of the RTI Act, 2005 and direction of the Central Information Commission, officers of the Institute have been designated as Central Public Information Officer, Central Assistant Public Information Officer, First Appellate Authority (FAA). A large number of RTIs is being received by RTI Cell, ICAI from the students, members, other stakeholders & citizens and the same have been responded.

Disclosure under Section 4(1) (b) of the Right to Information Act, 2005

Further, in terms of the Section 4(1)(b) of the Right to Information Act, 2005, necessary disclosures have been made by the Institute by hosting them on the website of the Institute www.icai.org and the same are updated from time to time. During the period 2024-25, it is to note that total 2,29,381 (two lakh twenty nine thousand and three hundred eighty-one) applications have been received which include the applications requesting for certified copies (CA Foundation, Intermediate & Final) of various examinations conducted by the ICAI besides Disciplinary functions and HRD & Administration. The Bifurcation of the aforesaid RTI applications is given below;

June to Dec 2024

	Certified Copies of answer sheet			Others	Total
	Foundation	Intermediate	Final		
Total number of RTI Application received	21,164	79,150	49,287	576	1,50,177

Jan to May 2025

	Certified Copies of answer sheet			**Others**	**Total**
	Foundation	**Intermediate**	**Final**		
Total number of RTI Application received	14175	43719	20966	344	79,204

Further, 26 number of hearings of the Central Information Commission have been attended and a good number of orders of First Appellate Authority have been responded.

9. DIRECTORATES

9.1 Centre for Audit Quality Directorate (CAQD)

The ICAI established the Centre for Audit Quality Directorate ("CAQD") in 2020, primarily focusing on the qualitative aspects of the audit function and audit quality. It is a Special Purpose Directorate, ensuring consistent improvement in audit quality and boost in Indian firm's global standing. It also seeks to provide a conducive environment for research and to take up more research-oriented projects to set the criteria for enhancing and maintaining the Audit Quality. It supports research programs on Audit Quality by enhancing interactions among various stakeholders and regulators involved in law enforcement. The Centre for Audit Quality Directorate is aiming at continuous investment in the contemporary education and training for professional accountants and auditors through Special short term duration courses for participants to induct the requisite skill set on the contemporary areas. It strives to develop guidance and training programmes to assist audit teams to undertake effective root cause analysis for audit quality improvement.

ACTIVITIES UNDERTAKEN BY CENTRE FOR AUDIT QUALITY DIRECTORATE

(I) UTILITIES DEVELOPED BY CAQ

The CAQD develops and provides technological resources to members to facilitate smooth conduct of quality audit and assurance. In line with this objective, the CAQD continued its efforts to support audit firms by developing and updating various tools and utilities aimed at enhancing audit quality, operational efficiency, and regulatory compliance.

During the year, the following **utilities** were developed/ updated:

- **Utility for self-evaluation under AQMM v 2.0- Release of a new Utility-** This Utility will assist the firms to self -evaluate their firm's maturity level on the basis of Audit Quality Indicators defined under AQMM v 2.0. This will enable the firms to identify areas where competencies are strong or lacking and then develop a road map for achieving a higher level of audit maturity.
- **Utility for Bank Branch Audit- 2025 Edition- Updation of existing Utility**- To help the members in smooth conduct of the bank branch audits, the Centre for Audit Quality Directorate (CAQD) has developed an excel utility based on the Guidance Note on Audit of Banks and the Technical Guide on Long Form Audit Report issued by AASB. The Utility for Bank Branch Audit- 2025 Edition has been updated, incorporating the changes in the Guidance Note on Audit of Banks (2025 Edition).

In the previous years, the Directorate had successfully introduced several key utilities, including:

- **Utility for Determining Materiality:** The Utility assists auditors in assessing audit materiality thresholds by categorizing risk parameters and evaluating the impact of material misstatements.
- **Reviewing and Monitoring Tool on Standards on Auditing Compliance:** The Tool facilitates compliance with Standards on Auditing by providing comprehensive checklists, enabling easy review, monitoring, and documentation. Progress is tracked through a 'Work Status' feature summarized in the Dashboard.

- **Utility on Engagement Letters:** The Utility streamlines the generation of engagement letters for assurance clients, enabling auditors to efficiently create multiple letters using a customizable template, saving time and reducing complexity.

Status of download of the utilities is as under:

S. No.	Name of Utility / Tool	No. of Downloads
1.	Utility for Determining Materiality	9,699
2.	Utility for Review and Monitoring Tool on Standards on Auditing Compliance	3,336
3.	Utility on Engagement Letters	13,692
4.	Utility for Bank Branch Audit – 2025 Edition	3,202
5.	Utility for self-evaluation under AQMM v 2.0	627

(II) PUBLICATIONS RELEASED BY CAQ

- Audit Quality Maturity Model version 2.0 (AQMM v 2.0):
- Implementation Guide for AQMM v 2.0
- Significant Audit Matters
- Firm Manual Model Referencer
- Analysis of Modified Opinions

(III) PROGRAMMES/ WEBINARS ORGANISED BY CAQ

- **Interactive Meeting for Audit Quality Maturity Model version 2.0 (AQMM v 2.0) at BKC Mumbai-** The Centre for Audit Quality organized an interactive meeting on 23rd August 2024 at BKC, Mumbai to gather feedback on the Audit Quality Maturity Model version 2.0 (AQMM v 2.0) based on which the Centre for Audit Quality has developed the Implementation Guide for AQMM v 2.0. The meeting was chaired by Convenor, CAQ.
- **Training Programme organised for the officials of Supreme Audit Institution (SAI) of Syria- A** training session was held on 12th September 2024, at ICAI Bhawan, New Delhi for 13 officers from the Supreme Audit Institution (SAI) of Syria, as part of a program under the Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) initiative by the Ministry of External Affairs. Organized at the request of iCISA (C&AG's training institute), the session focused on ICAI's Quality Control and Assurance practices, and was conducted by senior ICAI officials from various Boards and Directorates. The Syrian delegates expressed gratitude for the valuable insights and ICAI's warm hospitality.
- **Quality Café sessions - A monthly virtual series on audit quality-** The CAQ organises Quality Café series in virtual mode with a 2-hour interactive panel discussion by Audit Experts wherein the elements that contribute to audit quality are discussed. The objective of the series is to enhance awareness and understanding of the important elements of audit quality. During the period, 2 Quality Café sessions were organized, which were attended by approximately 1046 participants.
- **Other Programmes**

The Centre for Audit Quality Directorate organized 15 Programs on Audit Quality Aspects.

(IV) OTHER INITIATIVES:

'X' (Twitter) handle of CAQ

A dedicated 'X' (formerly Twitter) handle has been created by the CAQ to engage with members and support the enhancement of their awareness and understanding of various aspects of audit quality. As part of this initiative, a regular 'Did You Know?' series—featuring informative Q&A-style posts—is being shared to disseminate key insights on various elements of audit quality.

9.2 Centre of Excellence Directorate (CoED)

The Centre of Excellence Directorate, established by ICAI, is dedicated to advancing research, thought leadership and learning with global standards. Currently, ICAI operates three Centres of Excellence located in Hyderabad, Jaipur and Kolkata. Over the next three years, ICAI envisions expanding this network by establishing eight additional CoEs across the country, focused on promoting research, knowledge development and capacity building. During the year 2024–25, seven meetings of the CoE Directorate were conducted.

(I) Major Achievements/Milestones

- Placed a human structure in the form of a Director cum Dean to head the Centre of Excellence (CoE) Hyderabad along with Research Personnel with a focus on strengthening ICAI's leadership position through enhanced collaboration, research, teaching, training, strategic planning, and advancing the Institute's vision.
- Advanced research facilities, including software, databases and journals - SAS Software, STATA Software, Database: Prowess Dx & Prowess on web, Prime Databases: Insiders Database, Indian Boards Database & Key Managerial Personnel Database, have been introduced initially at CoE Hyderabad to support high-quality academic and professional research in line with global standards.

(II) Research Projects at CoE Hyderabad

- MSMEs in Jammu & Kashmir: Catalysts for Regional Development
- Ten Years of the Women Director Mandate: Insights for Strengthening Gender-Inclusive Governance in India
- How are MSMEs contributing to Nation Building in terms of GDP, Tax, Employment, Performance?
- One Nation One Election (ONOE): Financial and Policy Implications

(III) Advanced Flagship Programs / Residential Training Programs

A one of its kind five-day residential training program was conducted in January 2025 titled **"**Advanced Flagship Program: Empowering Chartered Accountants as Trusted Advisors – Unlocking the Potential of Family Enterprises," which saw participation from 27 members. The program was designed to equip members with deep domain expertise, strategic insights and practical skills to navigate complex professional challenges and serve as trusted advisors in evolving business environments.

(IV) Knowledge Series Live Webcasts with Thought Leaders

Organized 2 live webcasts on topics "Jamsetji Tata's Blueprint for Corporate Success" and Economic and Fiscal Implications of the Proposed 'One Nation, One Election' Initiative. These Knowledge Series Webcasts are a flagship initiative designed to engage ICAI members with eminent thought leaders across diverse domains.

(V) Programs organised at various Centres of Excellence

The Centre of Excellence Hyderabad and Jaipur combined, successfully organised 97 residential programs during the period engaging a total of 7,583 stakeholders, including 76 programs at CoE Hyderabad with 5,772 participants and 21 programs at CoE Jaipur with 1,811 participants.

9.3 DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TRADE, SERVICES AND WTO DIRECTORATE (DITS & WTO) (under International Affairs Committee)

Development of International Trade, Services & WTO Directorate of ICAI aims at promoting bilateral investments in order to align with PM Modi's vision and spotlighting accounting and finance as crucial export services to be vital amidst global services trade and India's expanding FTAs. This emphasis offered Chartered Accountants diverse opportunities, evident in ICAI's global footprint, showcasing their international reach. Beyond branding, the Directorate aided trade navigation, fosters expertise, connects professionals, and influences policy. Its role extends to provide a robust global networking platform, vital for India's aim to elevate Accountancy within WTO guidelines. Through collaboration and expertise, the Directorate advanced CAs' interests, contributing significantly to India's global trade aspiration.

(I) Initiatives towards Partner in Nation Building

Under the aegis of the Directorate of ICAI to pave a long way in promoting accounting and finance services globally; we aim to significantly advance the promotion of accounting and finance services on a global scale. This endeavor will not only open up new avenues for our members to provide a broader spectrum of services in these regions but also enable us to capitalize on various governmental incentives.

- **ITEC - Professional training program on Sharing the Indian accounting profession story from 18th November to 29th November 2024 under Indian technical and economic cooperation (ITEC) of**

ministry of external affairs, Government of India at Centre of Excellence of ICAI, Hyderabad- The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), through the Directorate, under the aegis of the Ministry of External Affairs, Government of India, successfully organized its first-ever Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) program titled Sharing the Indian Accounting Profession Story. This 12-day initiative brought together 17 foreign participants from 11 countries, highlighting ICAI's global outreach and its role in advancing the accounting profession over its 75-year legacy. The program aimed to showcase India's journey in accounting, foster international knowledge exchange, and build capacity among professionals globally.

- **Interactive Meet with Trade Officers of Foreign Embassies on International Trade & Services held on 8th November,2024-** An interactive session was held with 26 trade officers from 20 countries and 6 ICAI members representing various industries. Discussions focused on promoting inbound and outbound investment, ICAI's involvement in trade delegations, capacity-building for sustainable growth, participation in the World Forum of Accountants 2025, bilateral trade enhancement, and exploring outsourcing opportunities for Indian professionals in services like payroll, taxation, and virtual CFO roles.

(II) Showcasing ICAI at International Platforms- The Directorate showcased the activities and initiatives of the ICAI in the field of accounting and finance at Accountex, held from 14th to 15th May 2025 in London. The ICAI participated through a dedicated 18 sqm stall located at Hall No. 1255. The event provided an excellent platform for global outreach and engagement. The stall was visited by President of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) and CEO of the Institute of Certified Bookkeepers (ICB). Their presence reflected strong international interest in ICAI's initiatives and further strengthened global professional ties.

- **Delegation of International Level**
  - During the IFSCA delegation to Sydney and Melbourne, the then Convenor of Directrate met with the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) on 5th August 2024. They discussed waiving 3,000 hours of practical training and recognizing Indian CAs under the MRA for supervisory roles under the India-Australia ECTA plan. ASIC assured follow-up updates on these issues.
  - On 12th September 2024, the then Convenor of the Development of International Trade, Services & WTO Directorate, along with Chairman of the Luxembourg Chapter, met Lead for Digital Trade and Venture, TradeTech at the World Economic Forum (WEF). The discussions centered on ICAI's potential participation in the World Economic Forum 2025 in Davos.
  - The then Convenor of the Development of International Trade, Services & WTO Directorate, attended the WTO Public Forum held in Geneva from 10th to 13th September, 2024.
  - Meeting with the members in the Zurich to discuss the legal framework of the approved chapter, operational guidance and other modalities on 14th September,2024.
  - The ICAI delegation's visit to the United States, from October 2nd to October 9th 2024, marked a significant step in fostering international collaboration and exploring business opportunities in key sectors such as financial services, startups, MSMEs, and accounting outsourcing. The delegation, comprising key industry leaders, visited San Francisco and New York to engage with stakeholders and strengthen the economic and professional ties between the US and India.

Supporting and assisting Government

- Meeting with Director (Trade and Investment), South Asia, Australian trade and Investment Commission (Austrade) for their upcoming delegation from India to Australia on Agtritech on 5th December, 2024
- Meeting with Deputy Director, Service Division, Department of Commerce on 6th January, 2025 on Details of Professional Services Session : Retreat of Commercial Wings of Indian Missions at 20 countries of Significance.
- Meeting with Addl. Secretary and Joint Secretary, Ministry of External Affairs on 28th May, 2025 regding giving approval on proposed ITEC program for the year 2025-26.

Representations/Technical Inputs to Government (other than taxation area)

- 14th meeting of India-Philippines Joint Working Group on Trade and Investment (JWGTI) - IMC
- Inputs on 14th meeting of India-Philippines Joint Working Group on Trade and Investment (JWGTI) - IMC
- India - New Zealand FTA negotations - reg.
- Updated status- Request for collaboration with the Institute of Chartered Accountants of India under India – Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (IJCEPA)

- India-Singapore Joint Working Group on Trade and Investment- regarding
- HCIM with Indonesian counterpart - input for agenda regarding.
- India-US TPF- Updates regarding
- 21st Foreign Office Consultations between India and Myanmar - reg.
- India-Thailand Joint Trade Committee-Request for (i) Inputs for preparation of the agenda of the meeting and (ii) ATN on the decisions of the 13th JTC meeting-reg.
- India Australia ECTA implementation - Proposal from ICAI reg audit access rights etc
- Second Session of India-Mauritius High Powered Joint Trade Committee (HPJTC) Meeting
- India- South Africa Joint Working Group on Trade and Investment - comments regarding
- India- Egypt Joint Trade Committee (JTC) Meeting- 16- 17 September 2024
- Inputs on challenges faced by members in GCC Countries with regard to qualification recognition
- India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (IM-CECA)- Status of MRAs- reg.
- Mutual Recognition Agreement (MRA) negotiations with Australian, Korean and Japanese counterparts - status update regarding
- India's offer related to Accounting and Bookkeeping under India-UK FTA
- Contact points for India-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (IJCEPA)

(III) Initiatives Undertaken by the Group to Promote India as Accounting GCC (under DITS & WTO Directorate)-

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) is organizing its first-ever GCC Summit under the theme "From Ledgers to Global Leadership." The inaugural summit is scheduled to be held on June 27–28, 2025, at Hotel The Grand, New Delhi, and will be followed by regional summits in Ahmedabad (GIFT City), Mumbai, and Hyderabad.

(IV) IFSCA Export Committee: Initiatives and Achievements

Submission of Report of Committee of Developing GIFT IFSC as "Global Finance and Accounting Hub" to Chairperson, International Financial Services Centres Authority (IFSCA), Gandhinagar, Gujarat under the Chairmanship of CA. Ranjeet K Agarwal, IFSCA's Expert Committee & Past President, ICAI in March, 2024.

(V) Initiatives for the Members/Students

Accounting Process Outsourcing PORTAL- ICAI, through its Development of International Trade, Services & WTO Directorate, launched the Accounting Process Outsourcing (APO) Portal during the World Forum of Accountants (WOFA) 2025 on February 2, 2025. Accessible at https://apo.icai.org/, the portal facilitates collaboration between foreign firms and Indian CA firms, particularly benefiting UAE businesses seeking professional partnerships. It promotes Indian CA firms in areas such as accounting outsourcing, IFRS, GST, labour and company law, international and direct taxation, M&A, internal audit, EXIM compliance, IPR, and outsourced CFO services.

(VI) Online Certificate Couse for Overseas Outsourcing Services (US Market) for members and conduct of Residential Refresher Couse-

In the series of organizing Certificate Course for Overseas Outsourcing Services (US market) for members, the Directorate has organized 8 batches so far, in which 1055 candidates have registered. In addition to the certificate course, the Directorate organized a Three-Day Residential Workshop on Overseas Outsourcing Services (U.S. Market) from 30th May to 1st June 2025 at the Centre of Excellence (COE), Jaipur. This workshop was specifically designed for members who had successfully passed the certificate course. A total of 35 members participated in the workshop.

(VII) Promoting Foreign Language amongst members

ICAI has made tie ups with official cultural language center for foreign Embassies in India for delivery of Online foreign language courses for our members and students in order to make them more acceptable to foreign opportunities. The status of courses undertaken till date since inception is as under :

- Online Spanish Language Course for which 43 batches have been organized in which 764 candidates have enrolled in total for A1.1 level and 13 batches of A1.2 Level in which 130 candidates enrolled and 2 batch of A2.1 and 1 batch of A2.2 Level in which 12 and 2 candidates have enrolled respectively.
- Online French Course for which 17 batches have been organized in which 415 candidates have enrolled
- Online Japanese Course for which 22 batches have been organized in which 451 candidate enrolled for A1 Katsudoo Level, 7 batches have been organized in which 128 candidates have been enrolled for A1 Rikai Level, 2 batches have been organized in which 38 candidates enrolled for A2-1.1 Katsudoo & Rikai level, 1 batch have been organized in which 13 candidates have been enrolled for A2-1.2 Katsudoo & Rikai level, 1 batch of A2-2.1 Katsudoo & Rikai level have been organized in which 10 candidates have been enrolled and 1 batch of A2-2.2 Katsudoo & Rikai level have been organized in which 10 candidates have been enrolled.
- Online Business English Language Course for which 19 batches have been organized in which 652 candidates have enrolled as of now.
- Online German Language Course for which 2 batches have been organized in which 26 candidates have enrolled as of now

Global Udaan Webinar Series

As part of its Capacity Building Programs, the Directorate launched the Global Udaan Webinar Series in April 2025. Seven webinars have been conducted so far, focusing on global opportunities and trends for Indian Chartered Accountants. Topics covered include GCCs in India, India’s trade policies, opportunities in IFSC Gift City, U.S. accounting outsourcing, the UK market, leveraging FTAs for global market access, and tapping export potential through fintech. The series aims to enhance global readiness and awareness among CA professionals.

(VIII) E-newsletters

Four Quarterly E-newsletter on Global Gateway were launched during the said period.

9.4 Digital Re-Engineering and Transformation Directorate (DR&TD)

Proposal for Making ICAI Head Office Premises Wi-Fi Enabled- ICAI's Digital Re-Engineering and Transformation Directorate has enabled centralized Wi-Fi across its Head Office and Annexe buildings, ensuring seamless connectivity for officials and visitors. The initiative will soon extend to other ICAI offices in Vishwas Nagar and Noida Sector 62, with controlled user access to maintain optimal speed and stability.

Hosting of ISA AT and DMBF Exam Certificates in Digi Locker- As part of its digital transformation, ICAI’s Digital Re-Engineering and Transformation Directorate (DRTD) is enabling the hosting of marksheets and certificates for the ISA-AT (Jan 2025) and DMBF (Feb 2025) exams on the DigiLocker platform. Qualified members can securely access their documents online. This initiative enhances accessibility, transparency, and efficiency in ICAI's services

Development of Integrated portal for UDIN, CDS and Event Management including CPE, DAAB, and Websites of Board of Studies – Operations under ICAI-TCS DigiGov project- The Digital Re-Engineering and Transformation (DRT) Directorate is currently spearheading a major integration initiative in collaboration with TCS, aimed at unifying multiple portals operated by various ICAI Committees. This includes the UDIN, CDS, and Event Management Portals (covering CPE, DAAB, and BoS–Operations), with a focus on providing a seamless and unified user experience through Single Sign-On (SSO) functionality for both students and members.

Major updates on different portals:

- **Centralized Distribution Services (CDS)-** ICAI’s new integrated Centralized Distribution Services (CDS) portal, expected to go live by July 2025, will maintain a Master Inventory of publications, course materials, and souvenirs. It will offer a seamless buying experience for members and students, with real-time tracking of courier and inventory transfers via APIs. A chatbot will assist students by answering CDS-related queries, enhancing user support and operational efficiency.
- **Unique Documentation Identification Number (UDIN)-** With UDIN, the integrated portal is going to provide a seamless friendly user interface to ICAI members in Practice. The members need not have a separate UDER ID and password and can use their SSP credentials to login to the new UDIN system, which will provide enhanced experience in terms features like dynamic Dashboard etc. The Unique Documentation Identification Number (UDIN) portal on DigiGov platform is expected to Go-Live by July 2025. ICAI teams are working towards achieving this target.
- **Event Management Portal**
  - **Continuing Professional Education (CPE)-** The new integrated portal will allow seamless registration while applying for CPE portal by about 650+ Programme Organising Units (PoUs) of ICAI and allow

them to register for the online and offline Course/Events including any Webinar/Seminar etc. The CPE Portal is expected to Go-Live by August 2025.

- **Digital Auditing and Assurance Board (DAAB)-** Initially, the courses offered by DAAB have been included to the new integrated portal and depending on its success, all the Post Qualification Courses (PQC), Certificate and Diploma courses offered by different Committees/Departments of ICAI can be migrated to the portal. The DAAB/PQC portal is expected to Go-Live by September 2025.
- **Student Activities Portal of Board of Studies and Online Registration Portal for ICITSS (IT/OC) and AICITSS (AIT/MCS) courses of Board of Studies-** The Board of Studies is developing an integrated, dynamic Students Activity Portal to streamline course management and enhance user experience. The portal will allow different PoUs to initiate courses/batches for ICAI students, with unified login credentials via SSP. Both portals under Board of Studies Operations are expected to go live by September 2025.

(I) DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM

The Digital Re-Engineering & Transformation Committee of ICAI is implementing a Centralized Document Management System to digitize records across all Regional Offices, Central Committees, and Departments. As of May 31, 2025, over seven crore physical papers have been scanned, with around 1.5 crore digitized for some Committees and Departments. This initiative aims to modernize infrastructure, improve document accessibility, streamline operations, and optimize resource use across the organization.

(II) ICAI DIGITAL LEARNING HUB

The ICAI Digital Learning Hub is a technology-driven platform that centralizes educational resources like e-books, webinars, and courses for members, students, and stakeholders. It supports continuous professional development by providing easy, anytime access to high-quality learning content. The Hub facilitates both virtual and physical courses and is actively used by Central Committees, Branches, and Regional Councils for Certificate courses, Post Qualification courses, Refresher courses, CPE events, and web lectures.The Digital Learning Hub broadly provides the following facilities to its stakeholders:

- Knowledge Repository for Professional & academic learning
- Content Delivery by providing access to courses, lectures, and other learning materials.
- Learning content in multiple formats (documents, PPTs, video, audio, SCORM tailored to suit every learner.
- Leader board feature showcasing credits achieved.
- Structured and Unstructured CPE hours credits for ICAI Members.
- Badges to Members based on CPE Hours Earned.
- Communities to share Ideas.
- Course Access to Government Officials, Bank Officials, MRA/MOU/SAFA Members.
- Skill India Courses for Non-Members.
- Certificates generated for learners on successful completion of exams.

The latest statistics of Digital Learning Hub is given below:

DLH Statistics - 1st April 2024 to 31st May 2025	
Active Learners on DLH	62502
Number of Certificate Courses conducted through DLH	280
Learners Enrolled - Certificate Courses	24562
Total Number of Assessments Conducted	432
Total Online Certificates generated (QR Enabled)	26224
Count of Members who earned CPE Credits through Self-paced courses (Structured)	4349
Count of Members who earned CPE Credits through Self-paced courses (Unstructured)	5714

(III) FACILITATED ONLINE MODE OF SERVICE DELIVERY FOR MEMBERS, STUDENTS AND INTERNAL ICAI STAKEHOLDERS

- **Maintaining the Centralized Online Portal:** Maintenance of Centralized Online Portal of ICAI i.e. https://icai.org/ to serve as a one-stop solution for various services and resources or members, students, and internal stakeholders.
- **Virtual Meetings and Conferences**: Implemented platforms for virtual meetings, conferences, and events, ensuring seamless communication and engagement across different ICAI Committees/Departments and Regional Offices.
- **Helpdesk and Support**: Established online helpdesk and support services to provide real-time assistance and resolution of queries for members and students.
- **Mobile Applications**: Developed mobile applications to provide on-the-go access to ICAI services, resources, and updates, enhancing user convenience.
- **Cloud-Based Solutions**: Adopted cloud-based solutions to ensure scalability, data security, and remote access to ICAI's digital infrastructure and services.
- **Remote Work Facilitation**: Implemented technologies and platforms to support remote work for ICAI officials and Committees/Departments, ensuring uninterrupted administrative and operational activities.
- **Data Analytics and Reporting**: Leveraged data analytics tools to monitor service usage, gather feedback, and generate reports to continuously improve service delivery and user experience.
- **Compliance and Security**: Ensured all online services comply with regulatory standards and incorporated robust cybersecurity measures to protect user data and maintain the integrity of ICAI's digital platforms.

(IV) TECHNOLOGICAL SUPPORT PROVIDED TO OTHER DEPARTMENT/COMMITTEES OF ICAI

- **GeM Portal**: Office has successfully created and maintaining the administrative setup of GeM Buyer account for ICAI on Government eProcurement (GeM) Portal.
- **Members and Students related Statistical information:** DRTD has developed and maintaining the Dashboard for Members and Students related Statistical information.
- **Tracker.icai.org** – Payment tracking portal is developed and maintained by the DRTD.

(V) IT INFRASTRUCTURE SUPPORT & INITIATIVES

- Centralized Wi-Fi Services has been facilitated at ICAI HO at ITO Office. The centralised Wi-fi services will be implemented across other Delhi NCR Offices of ICAI.
- Procured 7 Firewalls for ICAI Offices at Delhi NCR and other Regional Offices
- Procured Workstation and iMac for Public Relations Committee as a special requirement.
- Procured MacBook and facilitated other high end softwares for CoE Hyderabad/CoED
- Procure two Data Centre Servers for Examination Department
- iPad and other accessories procurement
- Complete network restructuring of ICAI Offices
- New Desktops / Laptops / Printers, Data Cards and other accessories to Users
- Upgradation infrastructure of existing hardware and infra
- IT support provided to all major Conferences, Seminars, Summit, workshops conducted by various ICAI Committees/Departments/Regions etc.

9.5 Estate Development Directorate (EDD)(Under Infrastructure Development Committee)

The Policy on processing and disbursement of Capital Grant was approved by Council w.e.f. 30th June 2022. The Estate Development Directorate deals with the matters related to release of Capital Grant to Units of ICAI (Regional Councils/Branches/DCOs/COEs) including major Repair and Renovation works (of both owned as well as Rented Premises), small Constructions/additions, internal modifications in the existing Building etc. costing up to Rs.200 Lakhs.

Brief Initiatives taken by Estate Development Directorate (EDD)

- Automation of Directorate Processes for Capital Budget, Assets Recording and Award Process through dedicated EDD Software.
- Brand Building - Installation of uniform Glow Signage and Standardized Painting of ICAI Buildings PAN India
- Providing State of Art design of Reading Room facilities for students on PAN India at various Branches.
- Installation of Solar power plants for sustainable supply of energy at 14 Units of ICAI

9.6 Financial & Tax Literacy Directorate (FTLD)(under Committee on Financial Markets and Investors' Protection)

With the motto "*Har Jan, Har Man, Vitiya Gyan se Sampann*" the Financial and Tax Literacy Directorate of the ICAI has been steadfast in promoting financial literacy across the country through its inclusive approach of educating individuals from diverse backgrounds, cultures, and demographics. The following key statistics highlight the scale and outreach of the activities undertaken by the Financial and Tax Literacy Directorate during the year:

Program Name	No. of Programs Held	Reach/Participation
Vitiyagyan Mela 2024	150+	10,000+
Regular FTL Events	240+	25,000+
Radio Campaign in Vernacular Language	3-Phased	3.95 Cr
Programs at Government Institutions	Four	Senior Dignitaries & Staff
Finfluencer Meet	One	42 influencers
MyGov Competitions (Quizzes, Slogan Writing/Poster Making)	Four	Pan India Public Engagement
E-learning Modules on iGot Platform	Two Modules	Government Employees
Knowledge Dissemination through X Handle/Website	Continuous	National

The Vitiyagyan Mela 2024

The Vitiyagyan Mela 2024 has been a landmark event organized by the ICAI's FTL Directorate through branches and regional councils. Under this initiative, the Directorate facilitated over 150 financial and tax literacy events, reaching more than 10,000 participants. Apart from this, through the wide network of branches and RCs, the Directorate facilitated 240+ regular financial literacy programs throughout the year, reaching over 25,000 people, which included the organization of engaging activities in local dialect and educational sessions. Additionally, through a three-month-long radio campaign focusing on crucial financial concepts executed across the country in vernacular languages, the Directorate reached over 3.95 crore listeners.

Financial and Tax literacy programs

The Directorate has even conducted financial and tax literacy programs at various government institutions such as the Governor's houses of Uttarakhand and Meghalaya, Bharat Scouts and Guides, Indian National Science Academy, etc, drawing immense appreciation from the Hon'ble Governors and other dignitaries. The Directorate has brought financial influencers on a platform by conducting Finfluencer Meet. In the event, 42 social media influencers participated, and all of them had exceptionally good followership on different social media platforms. The event was a testament to the power of collaboration, innovation, and the profound impact of digital platforms on the financial landscape. To contribute to the government of India's mission "*Viksit Bharat*", the Directorate has always been on its toes by undertaking diverse initiatives, one of a kind is hosting engaging competitions on MyGov, from quizzes to slogan and poster making competitions.

e-learning financial literacy course modules/FTL programs

To empower the state and central government employees, the directorate has launched two e-learning financial literacy course modules on the iGot platform in association with the Capacity Building Commission. To engage students, young minds, or future generations, the Directorate has even conducted FTL programs at schools and has been a knowledge partner in college events. With the website and X handle offering insight into different financial topics, that too in vernacular languages on the website, the Directorate has ensured that knowledge and information should reach the last mile. Through diverse and inclusive stakeholder engagement, the FTL Directorate is amplifying the impact of its mission, empowering citizens to contribute meaningfully to the country's economic development.

9.7 Grievance Resolution Dirctorate (GRD)

The Grievance Resolution Directorate (GRD) works for efficient grievance resolution for our members, students, and other stakeholders with the objective to centralize communication and reduce resolution time and enhance effectiveness through central monitoring. The Directorate utilizes multiple channels for grievance resolution:

Call Sahayata 9997599975- During the period, we responded to over 8.60 lakh calls, majority of which were from students. Apart from Hindi and English, support is offered in 9 regional languages also.We offer help during ongoing critical activities and last dates for membership fee or examinations. This is apart from outbound calls made by us for un-attended calls, including for specific activities like KYM support to members and awareness for the WOFA event 2025. During September 2024 active guidance was given to over 65K and in December 2024, over 9K calls were successfully connected and answered to help members pay fee within extended due date.

E-Sahayata (e-tickets) (https://help.icai.org/)- The students and members can raise tickets by themselves or through call sahayata agents if they are not satisfied with the support or is delayed. Over 50K tickets were raised and resolved through this platform, which is monitored centrally to see that queries are put to the right person and the right resolution is made available within a reasonable time.

Mail Sahaayata (member@icai.in; student@icai.in)- Mails are monitored and assessed to provide a solution through a callback by call sahayata team or raise tickets or to simply re-direct the query to the right person, depending on the requirement.

X @icaigrd- Our stakeholders can even reach us simply through the social media platform “X”.

Stakeholder Engagement

Following initiatives are being undertaken to make our engagement with students, members, and others more convenient:

- **SMS Integration:** Recently, to strengthen transparency and communication, SMS alerts have been started for grievance tickets through call sahayata. SMS notifications help in confirmation post-call and tracking of tickets easily.
- **E-Sahayata (e-tickets) upgrade:** Working to make the ticketing portal more user friendly.
- **Focused training for improved grievance handling:** To provide better grievance support to stakeholders, students, and members, the GRD conducts departmental training for our Call Sahaayata team based on active monitoring of trending queries. Important updates and frequently asked questions (FAQs) are regularly published and updated on ICAI Call Sahayata – The Institute of Chartered Accountants of India to assist stakeholders in resolving common queries.

9.8 Human Resources Directorate (HRD)

The Human Resources Directorate of ICAI has been formed to empower the human resource function of the Institute to be dynamic and act proactively in HR related matters across all offices of ICAI. In that light, the Directorate is expected to plan and execute all HR functions, not limiting to the areas such as Manpower Planning and Recruitment, Transfer & rotation policy, Performance Management, HR Policy & Service Norms Development, Identification of HoDs, Employee Relations & Code of conduct, Training and Development, Compensation and Benefits, HR Information Systems & Analytics, Organizational Development & Succession Planning, Compliance and Legal Matters, Engagement of Consultants, Employee Engagement, Rewards and Recognition, except those matters which are required to be decided by the Executive Committee, in accordance with provisions contained in Regulation 175 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, amended from time to time.

Training and Development

Training programs for the Institute's employees have been organized across a range of topics, including MS Office proficiency, the application of AI technologies, the operational structure of Regional Councils and Branches, CPE Guidelines and Regulations, Accounts and Audit practices, and the effective use of the GeM portal. Additionally, workshops have been conducted on health and stress management awareness, the Right to Information, personality development, cybersecurity, and the prevention of sexual harassment in the workplace. These initiatives collectively encompass approximately 1,500 man-days of training for regular employees. Further, permission for attaining higher qualification has been granted to eight employees this year.

9.9 Legal Directorate

(I) The Supreme Court in *Shaji Paulose vs. ICAI* upholds ICAI Guidelines on number of Tax audits under Section 44AB of the Income Tax Act, 1961.

The Supreme Court vide its judgment dated 17.05.2024 upheld the Guidelines dated 08.08.2008 issued by ICAI that had set a ceiling on the number of tax audit assignments which can be undertaken by a Chartered Accountant. The Court has ruled that the ICAI Guidelines are not violative of the fundamental right to practice profession guaranteed under Article 1(g) of the Constitution of India and the same are in public interest and therefore saved by Article 19(2) of the Constitution of India. Since the 1989 Notification was struck down by the Madras High Court and in view of the conflicting judgments of different High Courts, the ICAI has approached the Supreme Court and filed a Transfer Petition seeking transfer of writ petitions pending in various High Courts to the Hon'ble Supreme Court itself for final determination of the issue. Applying the doctrine of legal uncertainty, the Hon'ble Supreme Court was pleased to quash the disciplinary proceedings initiated against the petitioners as well as similarly situated members.

Liberty is given to the Institute to revise the maximum number of tax audits under Section 44AB. Liberty was also granted to the petitioners to make a representation to the Institute to this effect and the Institute may consider the same. In addition to the aforesaid directions, the Hon'ble Supreme Court in the course of the judgment has paid rich compliments and appreciated the ICAI for playing a significant role in ensuring the dynamism of the CA Course and the role and responsibility of Chartered Accountants in the economic development. The Supreme Court has further observed as under: -

"ICAI has, over time, received recognition as a premier accounting body domestically and globally for maintaining the highest standards…the ICAI has also played a significant role in ensuring the dynamism of the CA course and the credibility of the examination. We commend that the ICAI must be committed towards the convergence of accounting and ethical standards with international standards."

The Supreme Court further observed that quality, reliability and objectivity of the information certified by Chartered Accountants are relied upon by stakeholders to make commercial decisions and allocate resources. Transparent accounting is necessary to strengthen credibility of the financial markets, market participants, investors and other stakeholders. It is, therefore, not surprising to find that the accounting profession is being constantly challenged to meet the ever-increasing demands for quality information or for verification of the financial statements. The higher the quality and integrity maintained by the profession, the stronger and more resilient will our financial markets be. The accounting profession facilities market discipline and renders confidence amongst various stakeholders and reduce the possibility of irregularities in the financial markets. More importantly, Chartered Accountants themselves have to comply with the relevant laws and regulations. The Chartered Accountants must refuse to represent clients who insist on resorting to unfair means. Chartered Accountants are relevant not only to securing corporate governance but governance in broader context too. Chartered Accountants assume different responsibilities towards tax administration, to the client and to the economy at large. In that context, we stress on the importance of preserving their independence of views and integrity to separate their client advisory role from their role as public citizens seeking to improve the functioning of the tax administration of the nation. Integrity, objectivity, professional competence and due care and confidentiality must be the doctrines guiding the work ethic.

(II) Batch of Writ petitions filed in MAF matters challenging the disciplinary proceedings conducted by ICAI

Batch of writ petitions were filed by the partners of MAF seeking to be released from disciplinary proceedings being conducted by ICAI as they are not nominated `members concerned' in the proceedings for misconduct as per Rule 8 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigation of Professional & Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007.

The Hon'ble Court vide its judgment dated 22nd March 2024 (pronounced on 03rd July, 2024) held as under at para 99 of the judgement: -

"Thus, in a case, where there is any complaint or allegation in respect of a single incident or an act of a member, the firm can designate that particular person, who was associated with the said act, which is alleged to be misconduct. The position would however not be the same, in a case where the allegations are in respect of arrangements entered into by firms with other international counterparts, spanning over decades and multiple agreements. A single individual cannot be pinned down in such situations to be responsible for answering the complaint as `member answerable'. The firm as a whole has to be held responsible if found culpable, in such circumstances, failing which the Act would be rendered toothless."

The Court further held that that the writ petitions are not maintainable. It is open for the petitioners to participate in the disciplinary proceedings, if they so choose and file their reply on merits to the notice issued by the Disciplinary Committee of ICAI.

Division Bench of High Court vide order dated 11.08.2024 has granted stay of the disciplinary proceedings initiated against the Appellants.

(III) W.P.(C) No.12096/2019, Federation of Chartered Accountants Association (FCAA) Vs. Union of India & Ors. decided by Delhi High Court

Federation of Chartered Accountants Association of India (petitioner) filed the captioned writ petition against Union of India through MCA, NFRA and ICAI, challenging the constitutional validity of Sections 132(2) & 132(4) of the Companies Act 2013, which, inter alia, empower the National Financial Reporting Authority (NFRA) to investigate into matters of professional or other misconduct by Chartered Accountants and impose penalties thereon.

Subsequently, batch of writ petitions were filed by individual chartered accountants who were aggrieved by the punishment orders of NFRA. These petitions were also challenging the constitutional validity of Section 132 as well as the procedure adopted by NFRA in imposing the penalties. All the writ petitions were tagged and heard together by the Division Bench of the High Court of Delhi as they dealt with common question of law. Judgement was pronounced on 07th February, 2025 upholding the constitutional validity of Section 132(2) & (4) of the Companies Act, 2013. However, the punishment imposed on individual Chartered Accountant were set aside on the ground of non-separation of investigative and quasi- judicial functions of National Financial Regulatory Authority (NFRA).

NFRA has challenged the aforesaid judgment of the Division Bench of the High Court in so far as it relates to quashing of the Show Cause notices and punishment awarded to the individual Chartered Accountants in the Supreme Court. The Hon'ble Supreme Court has refused to stay the judgment of the Division Bench of High Court. It was also clarified by the Supreme Court that in the pending cases before the NFRA have to be dealt with in lines of the judgment of the High Court.

(IV) The Hon'ble Supreme Court of India on 29th April 2025 in the case of Himanshu Singh Vs. UOI (popularly known as Supertech Case) had issued various directions to Government of India, Ministry of Housing and Urban Affairs, RERA, RBI, CBI and ICAI.

Background:

More than 170 petitions were filed by over 1200 home buyers in the Supreme Court alleging systematic failure of statutory and government authorities to discharge their statutory functions, circumvention of regulatory framework by Banks and Housing Financial Corporations and the resultant illicit benefits said to have been drawn by builders/developers and the cost of the home by us who are now bearing the brunt of such failures.

Directions to ICAI:

In so far as ICAI is concerned, the following directions were issued:

"19. The President, Institute of Chartered Accountants of India is directed to deploy three Chartered Accountants, who are well conversant with the process of forensic audit and place them at the disposal of CBI to assist the Bureau/SIT in the matter of subject enquiry/investigations. The details of the remuneration to the paid to these Chartered Accounts be forwarded to this Court so that an appropriate order in that regard can be passed on the next date of hearing."

9.10 Members & Students Services Directorate (M&SS)

Membership

During the year ended 31st March, 2025, 19,488 new members were enrolled by the ICAI bringing the total membership to 4,23,105 as on 1st April, 2025. During the year ended 31st March, 2025, 3,677 Associate members were admitted as fellows, in comparison to the figure of 3,595 in the previous year.

Total Members as on 01.04.2025

Category of Members	Fellow (1)	Associate (2)	Total of Columns (1) and (2)
In Full Time Practice	98241	56311	154552
In Part-time Practice	1955	5058	7013
Not in Practice	19198	242341	261539
Total	**119394**	**303710**	**423104**

Convocation

Since November 2008, the Institute has been organizing Convocations to award membership certificates to newly enrolled members. In the 2024-25 year, the M&SS Directorate conducted two rounds of Convocation: one on July 7, 2024, and the second on February 6, 2025. These events were held at 13 locations across India, including Ahmedabad, Bangalore, Chandigarh, Chennai, Ghaziabad, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kolkata, Ludhiana, Mumbai, Delhi, and Pune, where a total of 29,000 newly enrolled Chartered Accountants received their certificates. During the second round, the inaugural session in Kolkata featured the Hon'ble Governor of West Bengal. In a historic moment, the Governor conferred the "Governor's Award of Excellence" to the Institute of Chartered Accountants of India in recognition of its exceptional contributions to the profession, ethical standards, and nation-building.

STATISTICS MEMBERS AS ON 01/04/2025

FELLOWS:	In Full Time Practice	98241
	In Part-time Practice	1955
	Not in Practice	19198
		119394
ASSOCIATES:	In Full Time Practice	56311
	In Part-time Practice	5058
	Not in Practice	242341
		303710
	TOTAL MEMBERSHIP:	**423104**

	FELLOWS				**ASSOCIATES**				
	In Practice				**In Practice**				
Region	**Full Time**	**Part Time**	**Not In Practice**	**Total**	**Full Time**	**Part Time**	**Not In Practice**	**Total**	**Grand Total**
Western	28723	487	5438	34648	18555	1748	81467	101770	**136418**
Southern	20965	528	4520	26013	11021	1271	55508	67800	**93813**
Eastern	8461	137	1594	10192	3560	321	16053	19934	**30126**
Central	20929	357	3015	24301	12796	695	44916	58407	**82708**
Northern	19163	446	4631	24240	10379	1023	44397	55799	**80039**

TOTAL	98241	1955	19198	119394	56311	5058	242341	303711	423104

9.11 Publication & CDS Directorate

The Publication & CDS Directorate undertakes the task of printing of ICAI various priced publications and dispatching the same to its students, members and other stakeholders. ICAI has developed an online store portal named CDS Portal. The option is provided to various stakeholders to purchase all relevant publications and artefacts online. Anyone interested can generate his/her own accounts and place his/her orders on online store. The Directorate is catering to the demands of its students and members with the help of its CDS Portal by providing the doorstep service.

The Publication Directorate of Institute primarily caters to following three areas:

- Printing of study materials for students and member-related publications.
- Sale and distribution of publications through Centralized Distribution System (CDS).
- Maintaining Stock account, sales account, and reconciliation of stock.

(I) NEW PUBLICATIONS BROUGHT OUT

During the period i.e. from 1st April, 2024 till 31st March, 2025, the Publication Directorate printed various new publications on behalf of Board of Studies (Academics) and other Committees, which are also hosted on the CDS Portal.

(II) CENTRALIZED DISTRIBUTION SYSTEM

Since July 2017, all publications of ICAI including study materials, Revision Test Papers and member-related publications and various kinds of mementoes such as ties, Tie Pin, cuff links and lapel pins are dispatched centrally through Central Distribution System Portal (www.icai.cds.org) to the Students, Members and other Stakeholders based on the orders received on the CDS Portal.

(III) STUDENT RELATED PUBLICATIONS

Period	**Books Dispatched against registration**	**Books sold**
01-04-2024 to 31-03-2025	Type of Books – 70 **nos**. Total Books dispatched against Registration - **11,13,770 nos.**	Type of Books – **108 nos**. Total Books dispatched against Sale - **36,758 nos**.

(IV) Members related Publications and Mementos

Period	**Member Publication**	**Mementos**
01-04-2024 to 31-03-2025	Type of Books – **277** nos. Total Books dispatched against Sale - **4,687** nos.	Type of Mementos – **20 nos**. Total Mementos dispatched against Sale – **405 nos.**

(V) FUTURE ENDEAVORS

The future endeavors of the Directorate include to revamp and upgrade the CDS Portal and reduce the Turnaround time for delivery of orders.

9.12 RBA DIRECTORATE

(I) REGIONAL COUNCILS AND THEIR BRANCHES

The Institute has five Regional Councils, namely Western India Regional Council, Southern India Regional Council, Eastern India Regional Council, Central India Regional Council and Northern India Regional Council with their Headquarters at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi respectively. The total number of branches of Regional Councils is 177.

(II) Branches of Chartered Accountants Students' Association

With a view to actively involving students of the Chartered Accountancy Course in the development of spirit of fellow-feeling and promotion of social, cultural, academic and intellectual development etc., the Council of the

Institute has always been encouraging for setting up branches of Chartered Accountants Students' Association. In this process, so far 144 Branches of Students' Association have been set up.

(III) Award for Best Regional Council, Best Branch of Regional Council, Best Students' Association and Best Branch of Students' Association

These awards are given by the Institute every year. The awards are given on the basis of overall performance and established norms. For the year 2024, these awards were given at the Annual Function held on 2nd February 2025 to the following winners: -

Category	**Prize**	**Name of Winner**
Best Regional Council	1st Prize	SIRC and WIRC (Jointly)
	2nd Prize	EIRC and NIRC (Jointly)
Best Students' Association	1st Prize	WICASA
	2nd Prize	NICASA
Best Branch of Regional Councils (Mega Category)	1st Prize	INDORE
	2nd Prize	AHMEDABAD
Best Branch of Regional Councils (Large Category)	1st Prize	ERNAKULAM
	2nd Prize	LUDHIANA
Best Branch of Regional Councils (Medium Category)	1st Prize	BHOPAL and AMRITSAR (Jointly)
	2nd Prize	CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR
Best Branch of Regional Councils (Small Category)	1st Prize	TIRUPUR
	2nd Prize	SALEM
Best Branch of Regional Councils (Micro Category)	1st Prize	RATLAM
	2nd Prize	SIVAKASI and ROURKELA (Jointly)
Best Branch of Students' Association (Mega Category)	1st Prize	BENGALURU
	2nd Prize	AHMEDABAD
Best Branch of Students' Association (Large Category)	1st Prize	VADODARA
	2nd Prize	THANE and INDORE (Jointly)
Best Branch of Students' Association (Medium Category)	1st Prize	RAIPUR and BHOPAL (Jointly)
	2nd Prize	SALEM
Best Branch of Students' Association (Small Category)	1st Prize	AHMEDNAGAR
	2nd Prize	JALGAON and PIMPRI CHINCHWAD (Jointly)
Best Branch of Students' Association (Micro Category)	1st Prize	RATLAM
	2nd Prize	SAMBALPUR

(IV) All India Managing Committee Members Meet (AIMCMM)- 2025

All India Managing Committee Members Meet (AIMCMM 2025) was held from March 21–23, 2025, in New Delhi, bringing together over 1400 participants from 5 Regional Councils, 177 Branches, and 153 Study Circles & Chapters. The event aimed to align the efforts of ICAI's decentralized units with the Council's vision for 2025–26, themed "VISHWASNIYA" – representing trust, integrity, and progressive leadership in pursuit of Viksit Bharat. The program facilitated knowledge exchange, orientation, and strategic planning, with Central Council Members outlining the roles and plans of various Committees/Directorates. Interactive sessions with officers helped clarify operational queries, enhancing stakeholder services. The event was honored by Hon'ble MP and Chairperson of the Joint Parliamentary Committee – One Nation One Election, as Chief Guest, and Managing Editor, Zee Business, who shared insights on India's economic and capital markets.

9.13 Specific Fund Management Directorate (SFMD)

Chartered Accountants' Benevolent Fund

The Chartered Accountants' Benevolent Fund (CABF) was established in December, 1962 with the objective to provide financial assistance, maintenance, and other similar purposes to needy members of our Institute, their spouse, children and dependent parent(s). During Covid-19 Pandemic time, the Institute has also helped to eligible members or their dependents who were in distress and released financial assistance for treatment of Corona Disease and also one-time Ex-gratia/ Monthly financial assistance to the dependents of the deceased members. The financial and other particulars of the Fund are as follows:

Details of Membership

1.	Total Life Members as on 31st March, 2024	1,40,473
2.	Total Life Members as on 31st March, 2025	1,40,805
3.	Total Additions of New Life Members (During 2024-25)	332

Details of Financial Particulars

Particulars	**During the year ended 31st March, 2025 (Rs.)**	**During the year ended 31st March, 2024 (Rs.)**
1. Total Assistance provided	2,54,10,000	1,50,90,000
2. Surplus/Deficits of the Fund during the year	52,95,723	69,00,000
3. Balance of the Fund	1,21,95,239	69,00,000
4. Balance of Corpus	22,00,59,285	19,64,62,000

S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund

The number of life membership of the Fund as on 31st March 2025 is 11,029. The balance in the Corpus Fund was Rs. 81,25,150/- as on 31st March 2025 as against Rs. 80,35,000/- as on 31st March, 2024.

Chartered Accountants Student's Benevolent Fund (CASBF)

The Fund was established in August, 2008 with the aim and objective to provide financial assistance to the students registered with ICAI. The balance in the credit of the general fund was Rs.17,13,64,481 as on 31st March, 2025 as against Rs. 19,04,71,000/- as on 31st March, 2024.

9.14 Tender Monitoring Directorate (TMD)

In order to monitor, analyze and streamline tendering for professional services of Chartered Accountants, a Directorate namely "Tender Monitoring Directorate" was constituted by the Council during the year 2023-24. The Directorate has been endeavouring to streamline the process of tendering and to monitor the bids quoted by CAs in all the permissible tenders and analyse them. The Directorate further refers the deviations at appropriate level.

Major activities of the Directorate

The Directorate has its own Portal for tenders on professional services – www.tmdicai.org. which offers the following features:

- Tender opportunities
- Latest information for members
- Council Guidelines on tenders
- Details of minimum recommended scale of fees
- Format of cost sheet to be submitted by members

- Extract from relevant provisions of Code of Ethics
- Representations made by Directorate to the tenderers
- Answers to Frequently Asked Questions
- Grievance posting mechanism, with or without disclosing identity.
- Fee calculator for the ease of calculating fee for audit and other assignments.

Representations are being made to tenderers where minimum fees is not prescribed in respect of audit & attestation services, or where eligibility conditions appear to be unreasonably restrictive or where the services tendered create "independence" issues. During the functional year 2024-25, 174 such representations were sent to the tendering organisations. During the functional year 2025-26 upto 30th May 2025, so far 51 representations have been sent. TMD also collects tenders for professional services from all over India and hosts the same in its TMD Portal. During the functional year 2024-25, 1,313 tenders were studied, out of which 1,156 tenders were hosted in the TMD portal as these were found appropriate in all respects. During the current functional year upto 30TH May 2025, so far 617 tenders have been studied, out of which 564 tenders have been hosted in the TMD portal.

Bids submitted by members are studied and cost sheets are called for wherever it is felt that the bid is for low amount. During the functional year 2024-25, notices were sent to 311 CA firms in respect of 56 tenders. During the current functional year 2025-26, so far notices have been sent to 73 CA firms in respect of 13 tenders. During the year 2024-25, cases of 37 CA firms have been referred to Director (Discipline) for investigation. Peer review has been ordered in respect of 56 CA firms. Cases relating to 129 CA firms have been closed as the cost sheet was found to be satisfactory. Examination of rest of the cases is on. During the last functional year and the current one, representations were sent to Chief Secretaries and Finance Secretaries of all States and Union Territories requesting them, inter-alia, to ensure fairness in tendering process by the organisations under their control. Pursuant to the same, following meetings were held with:

- Director, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi on 17th May 2024.
- Secretary, Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India, New Delhi on 22nd May 2024.
- Additional Chief Secretary, Government of Karnataka, Bengaluru on 12th June 2024.
- Finance Secretary, Government of Jharkhand, Ranchi on 13th June 2024.
- Finance Secretary, Government of Chhatisgarh, Raipur on 18th June 2024.
- Principal Secretary (Finance), Government of Goa on 11th July 2024.
- Deputy Secretary to the Government of Assam on 23rd July 2024 at Finance Department, Janata Bhawan, Dispur, Guwahati - 06, Assam – in the presence of Chairman Guwahati Branch of EIRC of ICAI, Vice Chairperson Guwahati Branch of EIRC of ICAI, Secretary, Guwahati Branch of EIRC of ICAI and Secretary, TMD.
- Chief Executive Officer, Government e Marketplace (GeM), on 06th August 2024 at Office of the CEO GeM, 2nd Floor, Jeevan Tara Building, Sansad Marg, Near Patel Chowk, New Delhi-110001.
- Additional Secretary, Finance Department to the Government of Madhya Pradesh on 23rd August 2024 at Finance Department, Vallabh Bhawan, Bhopal with present of Chairperson of Bhopal Branch, CICASA Chairperson, Bhopal and Branch Staff.

The TMD along with Committee for Member in Practice (CMP), ICAI has come out with fee calculator for reference by both tendering organisations and CA bidders. The said application was launched by the Council at its meeting held in July 2024. This fee calculator is based on the minimum recommended scale of fees issued by the Council in February 2020. The same can be accessed at https://tmdicai.org/fees-calculator.php.

9.15 UDIN Directorate

In today's evolving business and regulatory environment, the Unique Document Identification Number (UDIN), introduced by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), holds critical importance. It acts as a safeguard against the circulation of fraudulent financial documents by assigning a unique identifier to every certificate, audit report, and attestation issued by practicing chartered accountants. This mandatory requirement enables online verification of documents, thereby ensuring their authenticity and legitimacy. UDIN significantly enhances trust and transparency in financial reporting. It enables stakeholders—such as investors, regulators, and government bodies—to swiftly validate certified documents, thereby mitigating risks associated with misinformation or forgery. By enforcing accountability, UDIN promotes adherence to ethical practices and auditing standards, reinforcing a culture of professionalism and responsibility among chartered accountants.

The system has witnessed widespread adoption and has become an integral part of professional practices. It also streamlines regulatory processes by offering a standardized, technology-driven mechanism for document verification. This digital approach not only improves efficiency in audits and compliance checks but also aligns with the broader movement toward digital governance and transparency. As businesses navigate increasingly complex compliance landscapes, UDIN stands out as a vital tool for upholding the integrity of financial reporting. It fosters stakeholder confidence, supports good governance, and contributes to a more robust and transparent economic ecosystem. In essence, UDIN is a transformative initiative that underscores ICAI's commitment to strengthening the credibility of financial reporting in India. By leveraging technology to deter fraud and ensure document authenticity, UDIN plays a pivotal role in promoting sustainable business growth and regulatory confidence.

(I) UDIN - A decision making parameter for the Regulators, Banks and Other Stakeholders

- On 30th May 2025, ICAI showcased the UDIN system before a visiting delegation from Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC), UK, at the Centre for Taxation and Finance, New Delhi. This knowledge-sharing engagement, held under the collaborative "Risking of Agents" project with the Central Board of Direct Taxes (CBDT), reflected growing global interest in UDIN as a best practice tool.
- In recognition of its effectiveness, the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) acknowledged UDIN as a best practice and proposed its integration with the upcoming "Entity-Locker" platform a secure digital repository for storing and sharing documents of large entities, MSMEs, trusts, and societies. This initiative aims to streamline document management and interactions with banks, regulators, and other authorities. MeitY appreciated the role of UDIN in promoting trust and efficiency in digital governance. To enable real-time verification of CA-certified documents, MeitY approached the UDIN Directorate for API integration. Two meetings were held on 30th October 2024 and 17th March 2025 to discuss specific requirements and explore seamless API-based integration within the Entity-Locker framework, strengthening the credibility and traceability of documents in digital ecosystems.
- The Director General of Supply and Transport, Indian Army, Ministry of Defence (MoD) approached the UDIN Directorate to provide API integration for the verification of UDIN on a real-time basis. A meeting was held on 23rd December 2024, to understand their specific requirements and to discuss the possibility of incorporating an API for real-time verification of UDINs.
- The Chhattisgarh Real Estate Regulatory Authority (CG-RERA) approached the UDIN Directorate to provide an API for enabling real-time verification of UDINs through their system. Following several meetings with CG-RERA and subsequent approval from the competent authority, a Memorandum of Understanding (MoU) was signed between ICAI and CG-RERA on 15th October, 2024. This collaboration aims to strengthen transparency and streamline document authentication processes.
- Orisha Real Estate Regulatory Authority (ORERA) operates on a digital platform aimed at minimizing physical interactions and is currently upgrading to a new system, ORERA 2.0. Certificates and approvals issued by Chartered Accountants often require independent verification. To facilitate this, Odisha-RERA sought collaboration with the UDIN Directorate to integrate their updated system (ORERA 2.0) with the UDIN portal for real-time UDIN verification through API. A meeting with the Odisha Real Estate Regulatory Authority (ORERA) was held on 18th September 2024 to understand their specific requirements and explore the integration of an API for seamless and real-time verification of UDINs.
- The Comptroller and Auditor General of India (C&AG) used the UDINs as one of the elements for the purpose of empanelment of CA firms/LLPs by them for the first time in year 2023-24. C&AG provided the following scoring mechanism for empanelment of CA Firms/LLPs based on UDIN data. "For the year 2025-2026, points will be awarded on the basis of UDINs generated on ICAI portal during the years 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 and 2023-2024. This will eventually be scaled to 5 years by 2026-2027 by gradually adding one year on annual basis".

(I) UDIN Logo - official visual identity for the Unique Document Identification Number (UDIN)

UDIN Logo Overview:

The UDIN initiative has been widely accepted in India for enhancing transparency and professionalism in accounting. To reinforce its identity, ICAI launched a distinctive UDIN logo on February 10, 2025, symbolizing authenticity, integrity, and trust. The design features "CA" within "ICAI," representing Chartered Accountants as pillars of financial prudence, and a tricolor thumbprint reflecting Indian roots and the unique trust behind each UDIN-certified document. The logo provides a clear identity to certified documents, serves as a seal of authentication, and symbolizes the permanent, trustworthy nature of UDIN, strengthening credibility in financial reporting.

(II) Expression of Interest for Adoption of UDIN: The Unique Document Identification Number (UDIN) continues to gain international recognition, with professional bodies from other countries expressing interest in its adoption.

- A meeting with the delegation from the Institute of Certified Public Accountants of Kenya (ICPAK) was held on 3rd February 2025 to discuss the process, framework, and protocols for implementing UDIN in Kenya.
- Similarly, the National Board of Accountants and Auditors (NBAA), Tanzania expressed keen interest in adopting the UDIN framework. Delegations from NBAA held meetings with the UDIN Directorate in February and April 2023 to explore the implementation strategy. It is a matter of pride that NBAA acknowledged the ICAI's initiative and conveyed their appreciation through an official letter.

(III) Initiatives for the Members

- On 11th October 2024, the "Gujarat Public Trust Act, 2011" was added to the dropdown menu of statutes under the "Under Act / Law / Statute / Regulation" section in the "Audit and Assurance Functions" category on the UDIN Portal. This enabled practicing Chartered Accountants to select the statute while generating UDINs for relevant certifications and audit functions. Subsequently, the statute was renamed as the "Gujarat Public Trusts Act, 1950" with effect from 8th May 2025, and the dropdown on the portal was duly updated to reflect the revised title.
- A webinar on "Preliminary Insights on UDIN for Bank Audits" was organized on April 7th, 2025, to benefit our esteemed members. The session provided valuable insights into the application and significance of the UDIN (Unique Document Identification Number) in bank audits.
- Based on requests received from members, Financial Years 2007–12 have been added in the dropdown for UDIN generation for Form 26A/27BA under the GST Tax Category on the UDIN Portal with effect from 21st March 2025.
- It has been decided to change the data type for capturing figures and values from alphanumeric to numeric across all UDIN categories—Certificate, GST & Tax Audit, and Audit & Assurance Functions—in a phased manner. The implementation began with the Audit & Assurance Functions category, which went live on December 6, 2024, followed by GST & Tax Audit on December 21, 2024, and Certificates on December 28, 2024. This change aims to ensure uniformity and consistency in the numerical data entered by members during UDIN generation.

(IV) Impact of UDIN

The Unique Document Identification Number (UDIN) system, introduced by ICAI, has significantly enhanced transparency, authenticity, and reliability in professional documentation by preventing forgery and misuse of Chartered Accountants' certifications. Each certified document receives a unique ID, enabling easy verification and drastically reducing counterfeit instances. UDIN has streamlined regulatory compliance, allowing authorities to efficiently verify documents and reduce fraud, thus fostering a more accountable and ethical professional environment. As of June 10, 2025, over 1.53 lakh CAs are registered on the UDIN portal, with more than 8.62 crore UDINs generated across audits, certificates, and tax audits, and over 3.69 crore UDINs verified by regulators, banks, and others.

(V) Publications

- Booklet for Members on Bank Audit
- UDIN Report (2024–25) and revised FAQs on Unique Document Identification Number (UDIN) (Revised 2025).

10. Students Related Boards/Committee

10.1 BOARD OF STUDIES - ACADEMIC

The Board of Studies (Academic) plays an instrumental role in shaping the careers of aspiring CA students by providing them a comprehensive package of educational resources, guiding them at every stage of their academic journey and mentoring them in their goal of becoming a qualified Chartered Accountant. In its endeavour to provide a strong foundation of professional knowledge and professional values, the BoS(A) provides its students quality Study Materials, Revisionary Test Papers, Mock Test Papers, Suggested Answers for each subject of the CA course and also provides Saransh- Last Mile Referencer and Case Scenario Booklets. Live Virtual Classes, ICAI Digital Learning Campus and MCQ Paper Practice Assessment Dashboard are some of the digital initiatives of BoS(A) to facilitate student learning and preparation for their examinations.

(I) Initiatives for Students

Study Materials of CA Course Curriculum

Study materials help students to develop a strong conceptual base. ·They give students the parameters within which they have to study. They provide detailed explanations of topics, accompanied by ample illustrations. In the year 2024-2025, study materials of all the subjects across all the levels of CA course curriculum have been revised and released as follows:

LEVEL	EDITION
Foundation	August, 2024
Intermediate	July, 2024
Final	November, 2024

Multiple-Choice Questions (MCQ) Paper Practice Assessment Dashboard

To provide hands-on practice for MCQ-based assessments, the Board of Studies (Academic) has launched the MCQ Paper Practice Assessment Dashboard on the BOS Knowledge Portal and ICAI-BOS Mobile App. This user-friendly tool helps CA students at all levels—Foundation, Intermediate, and Final—self-assess their progress and deepen their understanding of each chapter. It offers a combination of MCQs and case scenario-based questions, with options to select difficulty levels (Simple, Medium, Difficult), and allows students to attempt 20 MCQs in 20 minutes, with extra time reflected in performance reports. The dashboard also tracks paper-wise and chapter-wise performance, with regularly updated content to support continuous preparation.

Statistics of student accessing the MCQ Paper Practice Dashboard as on 31st May 2025 are as under:

Sl.No.	Level	Total MCQs (Independent and Case Scenarios)
1	Foundation (Paper 1 to 4)	1865
2	Intermediate (Paper 1 to 8)	2621
3	Final (Paper 1 to 5)	1539
4	Self Paced online Module (Set A & Set B)	1017

Statistics of student accessing the MCQ Paper Practice Assessment Dashboard as on 31st May 2025 are as under:

Course	No. of Students
Foundation	60470
Intermediate	117533
Final	94654
Total	**2,72,657**

Statistics of Level-wise Number of Assessment completed by student as on 31st May 2025 are as under:

Course	No. of Assessment completed
Foundation	7,44,655
Intermediate	19,10,691
Final	9,7,7974
Total	**36,33,320**

Release of Revision Test Papers (RTPs)

The RTPs contain the latest updates/amendments relevant for the particular examination. The RTPs incorporate a variety of questions in each subject to assist the students in revision, including questions on

amendments. In subjects where the assessment is partially MCQ based, RTPs also include case scenarios and MCQs. The RTPs are also made available in Hindi language.

Release of Suggested Answers

Suggested answers of past examinations assist the students in education and preparing for the forthcoming examination by giving an idea of what type of questions are asked in the examination and how to solve and present the solution for such questions in the examination. The Suggested Answers are also made available in Hindi language.

Live Virtual Classes

To support distance learning and exam preparation, the Board of Studies (Academic) offers free Live Virtual Classes (LVC) for Foundation, Intermediate, and Final CA students. These classes feature 125+ expert faculties and 4,455+ recorded lectures, accessible anytime, anywhere any place at (https://boslive.icai.org/)and ICAI-BOS Mobile app (Android/iOS). These lectures are also available at ICAI CA Tube https://www.youtube.com/@theicai/playlists The Board of Studies (Academic) offers free Live Virtual Classes for CA students at all levels, accessible live or as recorded lectures on any device. The sessions, led by expert faculty, come with unlimited access, exam-focused content, notes, assignments, MCQs, and real-time doubt resolution, ensuring comprehensive and flexible learning support.

Statistics of Live Virtual Classes as on 31st May 2025 are as under:

Particulars		Foundation	Intermediate	Final
September/ November, 2024 Examination	Launched	2nd Batch on 27th April, 2024 (for September 2024 Examination)	2nd Batch on 27th April, 2024 (for September 2024 Examination)	2nd Batch on 27th April, 2024 (for November 2024 Examination)
	Viewership	**321713**	**467389**	**198557**
January 2025 Examination	Launched	3rd Batch on 23rd September 2024	1st Batch of LVRC on 25th September 2024	-
	Viewership	**411251**	**3,01,656**	-
May 2025 Examination	Launched	4th Batch on 13th February 2025	3rd Batch on 9th September, 2024	3rd Batch on 17th September, 2024
	Viewership	**373584**	**1516968**	**601205**
September 2025 Examination	Launched	-	4th Batch on 24th February, 2025	LVRC Batch 1 on 14th May 2025
	Viewership	-	**432420**	**44159**

Mock Test Papers (MTPs)

MTPs simulate actual exam question papers and help students evaluate their preparation, improve time management, and build confidence. Two series of MTPs are conducted before each exam at all levels. For the 2024-2025 year, BOS (A) released a total of 60 MTPs for three Foundation and Intermediate exams, and 24 MTPs for two Final level exams. The Board has also upgraded its Online Mock Test Module**,** providing students and branches easy access to question papers and answers via personalized dashboards on the (https://boslive.icai.org/) and the ICAI BOS Mobile App. Students can view the mock test schedule and download question papers and solutions within the specified time. The statistics of Mock Test Papers conducted by Regional Councils and Branches for September 2024, December 2024, January 2025 and May 2025 Examinations are as under:

For September 2024 Examination:

Mock Test Series-I	Branch/Reginal	No. of Students who attempted MTP in Self-	No. of Students who appeared at Branch/Regional Offices in

	Offices	Assessment Mode	Physical Mode
Intermediate	78	8725	3540
Foundation	69	6283	2129

Mock Test Series-II	Branch/Reginal Offices	No. of Students who attempted MTP in Self-Assessment Mode	No. of Students who appeared at Branch/Regional Offices in Physical Mode
Intermediate	84	9300	3852
Foundation	84	6942	2293

For November 2024 Examination:

Mock Test	Branch/ Reginal Offices	No. of Students who attempted MTP in Self-Assessment Mode	No. of Students who appeared at Branch/Regional Offices in Physical Mode
Final Series-I	78	21,377	1,722
Final Series-II	80	20,256	3,835

For January 2025 Examination:

Mock Test Series-I	Branch/Reginal Offices	No. of Students who attempted MTP in Self-Assessment Mode	No. of Students who appeared at Branch/Regional Offices in Physical Mode
Intermediate	91	23499	3617
Foundation	91	15967	2728

Mock Test Series-II	Branch/Reginal Offices	No. of Students who attempted MTP in Self-Assessment Mode	No. of Students who appeared at Branch/Regional Offices in Physical Mode
Intermediate	93	29571	5216
Foundation	77	28030	3806

For May/ June 2025 Examination:

Mock Test Series-I	Branch/ Reginal Offices	No. of Students who attempted MTP in Self-Assessment Mode	No. of Students who appeared at Branch/Regional Offices in Physical Mode
Final	87	21338	3054
Intermediate	85	38216	2938
Foundation	95	17184	3692
Mock Test Series-II	**Branch/ Reginal Offices**	**No. of Students who attempted MTP in Self-Assessment Mode**	**No. of Students who appeared at Branch/Regional Offices in Physical Mode**
Final	96	16572	5351

Intermediate	97	27506	5806
Foundation	95	27724	3326

Success at CA exam

The Board of Studies (Academic) regularly conducts the "Success at CA Exam" webinar series to guide students on strategic exam preparation. Featuring experienced faculty and subject experts, these webinars cover study techniques, time management, exam patterns, and tips for tackling challenging topics. They also address common student concerns and aim to motivate and prepare students for success. Two webinar series are held before each examination across all levels. For the 2024-2025 year, BOS (A) conducted 60 webinars for three Foundation and Intermediate exams, and 24 webinars for two Final exams.

Saransh - Last Mile Referencer

"Saransh" is a comprehensive booklet featuring diagrams, flow charts, and tables summarizing subject topics presented in a visually appealing and easy-to-understand format. It serves as a one-stop repository, consolidating significant concepts for quick reference and last-minute revision before exams. In the year 2024-2025, BOS (A) has released twelve subject-wise Saransh booklets for all the subjects of Foundation and Intermediate level of CA course curriculum.

Model Test Paper Booklet

Model Test Paper is a booklet which act as a valuable question bank, containing multiple Test Papers. The papers include a variety of question types, helping students familiarize themselves with different ways questions may be framed in the actual exam. The papers provide insight into the structure and format of the ICAI exams. In the year 2024-2025, BOS (A) has released in total 18 booklets for various subjects of ICAI course curriculum.

Case Scenario Booklet

The Case Scenario Booklet is designed to enhance students' analytical thinking and application-based learning. The booklet also helps students better prepare for case-based and integrated questions in the examinations. Overall, it fosters a deeper appreciation of the subject matter, promotes interlinking of concepts, and helps bridge the gap between academic learning and real-world expectations. In the year 2024-2025, BOS (A) has released in total 14 booklets for all subjects of Intermediate and Final level where 30% of the assessment is in the form of case scenario based MCQs.

Launch of ICAI Digital Learning Campus Portal: Self-Paced Online Modules (SPOM)

The Board of Studies of ICAI launched the ICAI Digital Learning Campus Portal on 7th May 2024, aligning with the New Scheme of Education and Training. The portal supports Self-Paced Online Modules (SPOM), requiring 40 learning hours each for SET A (Corporate & Economic Laws) and SET B (Strategic Cost & Performance Management), and 20 hours each for SET C and SET D, can choose one paper from 10 Papers of SET C and one paper from 4 papers of SET D, available on the ICAI Digital Learning Campus Portal at https://lms.icai.org/login The Self-Paced Online Modules (SPOM) are exclusively accessible to Final Course students, offering them the flexibility to learn at their own pace, anytime and anywhere. These modules are available at no additional cost. Students can monitor their learning progress through a ICAI Digital Learning Campus dashboard and a proctored learning environment ensures the integrity and credibility of the courses.The current Learning statistics of Self-Paced Online Module Learning completed by the students as on 31st May 2025, are as under:

Set Name	Paper Name	Completed	In-Progress
Set A: Self-Paced Online Module	Corporate and Economic Laws	1,84,093	25,342
Set B: Self-Paced Online Module	Strategic Cost & Performance Management	1,57,154	21,848
Set C: Self-Paced Online Module	Paper 1 to 10	23,993	23215
Set D: Self-Paced Online Module	Paper 1 to 4	20424	11340

Study Materials for Select Subjects under MRA/MOUs with various Foreign Accounting Bodies

ICAI is endeavoring to provide mobility to its members by having the ICAI qualification recognized in different parts of the world. Accounting bodies worldwide mutually recognize the qualification of ICAI for the benefit of members at either ends. Through these agreements, members of one institute can gain membership in the other by passing a limited number of bridging examination papers and fulfilling specific criteria (e.g., good standing, no disciplinary issues, original qualification through examination). For those

bridging examination papers, BOS(A) provides study materials as per the MRA/MOUs entered by ICAI with various Foreign Accounting Bodies i.e CPA (AUSTRALIA), CAP MALAYSIAN, CPA (CANADA), CPA (IRELAND), ICAEW, ICAN, SAICA, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND.

Study Materials for Select Subjects under Overseas Citizen of India (OCI) Scheme

Regulation 53C. Enrolment of Overseas Citizen of India Professional Accountants was inserted in the Chartered Accountants Regulations, 1988 vide Notification No.1-CA(7)/154/2014 dated 22nd July 2014. As per Regulation 53C(1), an Overseas Citizen of India holding professional accountancy qualification shall be recognised as a member of the Institute on completion of such examination, training and other modules as listed out in Schedule 'B' to the regulations. Schedule B contains the Scheme for enrolment of Overseas Citizen of India (OCI) Professional Accountants. As per this Scheme, to be eligible for membership of the Institute, an OCI having chartered accountant or certified public accountant qualification is required to pass the First Level Test and the Second Level Test and comply with the other provisions of the Scheme. Accordingly, BOS (A) has webhosted the study materials of following subjects:

FIRST LEVEL TEST

Section A : Fundamentals of Income-tax (50 Marks)

Section B: Mercantile Laws (50 Marks)

Section D: General Economics (50 marks)

Section E: Quantitative Aptitude (50 marks)

SECOND LEVEL TEST

Paper 1 : Taxation (Direct & Indirect Taxes)

Paper 3 : Corporate and Allied Laws

Board of Studies Twitter Handle

The Board took an important step in enhancing communication by establishing its official Twitter handle, accessible at https://twitter.com/bosaicai, starting from 25th July, 2023. This platform serves as an avenue to keep our students, members, and other stakeholders informed about the latest initiatives of the BoS(A). As on date BOS Twitter handle is having 31,000+ engaged followers and academic and administrative queries are being addressed by support team.

ICAI-BOS Mobile App and BoS Knowledge Portal Users

ICAI-BOS Mobile App and BoS Knowledge Portal serve as a holistic platform, offering a comprehensive package of educational resources to our students. 7,71, 688 students are utilizing the Mobile App & BOS Knowledge Portal.Till now, the BoS(A) Faculty have answered 31,006 subject-specific queries of students. Moreover, students can track and view their past queries in ICAI BOS Mobile App. Students can download Android and iOS versions of this mobile app from Google and Apple Play Stores.

(II) Programmes organized for Students

Charcha Ka Vishay: CA Pariksha – Let's Talk: The CA Exam

The Board of Studies (Academic) organized an interactive session titled *"Charcha Ka Vishay: CA Pariksha – Let's Talk: The CA Exam"* on 25th April 2025 at ICAI Bhawan, New Delhi. The event saw active participation from around 200 students on-site and over 4,200 students joining online. The session aimed to address student queries ahead of the May 2025 Exams, focusing on preparation strategies, stress management, and effective use of ICAI resources.

Launch of the Induction Programme for CA Foundation Students

The Board of Studies (Academic) launched its first-ever Structured Induction Programme for newly registered Foundation students on 23rd May 2025, conducted in virtual mode. The programme aimed to familiarize students with ICAI's legacy, structure, and available resources across various departments, including BoS (Academic & Operations), Examination, Publications, Members & Students Services, and international committees. It also introduced students to academic and administrative support systems, mentoring, career

guidance, and global opportunities in the CA profession. Over 10,000 students from across India participated enthusiastically.

(III) Initiative for Members and Students

Revised Practical Training Guide – A Pillar of Professional Learning in the CA Course

The Revised Practical Training Guide, developed by the Board of Studies (Academic), ICAI, is a comprehensive resource aligned with the New Scheme of Education and Training effective from 1st July 2023. It reflects updated provisions of the Chartered Accountants Regulations, 1988 and provides structured guidance for principals and students. The Guide is organized into five chapters covering regulatory aspects, training structure, monitoring mechanisms and industrial training, complemented by six annexures with essential formats and serves as both a regulatory handbook and a practical roadmap for a well-rounded and relevant training experience.

(IV) Interactions with Members and Students

Various sessions for members and students across India have been conducted in physical or virtual mode on the areas like passing the CA examination and career growth in CA profession, etc. The members who expressed their interest to be faculty in various courses conducted by BoS were guided of the process. Board of Studies has organized 54 sessions in physical / virtual mode to have interaction with students and members. The sessions for students were emphasized on How to crack and pass CA exam.

(V) Towards Partner in Nation Building

Global Education Summit on Commerce and Accountancy 2024 (GES-CA 2024)

The Board of Studies organised Global Education Summit on Commerce & Accountancy (GES-CA 2024) in New Delhi on 5th and 6th July 2024, themed "Manthan — A Catalyst for Academic Growth." The summit focused on digital innovations transforming education in accounting, auditing, costing, finance, and commerce. The summit was inaugurated by Hon'ble Minister of State for Corporate Affairs and Road Transport & Highways. The event brought together ICAI leaders, Vice Chancellors, Chairmen, Directors, and faculty from premier Indian universities and colleges. Key discussions covered topics such as digital transformation and tax challenges, inclusive education, sustainability, the evolving role of Chartered Accountants, education reform, skill development, AI and security, mindfulness in education, and global commerce complexities including BEPS and OECD guidelines.

Memorandum of Understanding (MoU) with Universities/Institutions

ICAI has signed Memorandums of Understanding (MoUs) with 80 State and Central universities as of 31st May 2025, aiming to promote academic cooperation in undergraduate, postgraduate, and diploma commerce courses. These partnerships focus on developing collaborative programs to unify and modernize the curriculum of Commerce and Accountancy education across India, enhancing synergy between ICAI and educational institutions.

Recognitions for CA Course- Pursuing Ph. D Programme

142 Indian Universities, 7 IIMs and 2 IITs (Madras & Bombay), i.e., in total 151 institutions (WRO-31, SRO-39, ERO-19, CRO-41 and NRO-21) in the country have recognized Chartered Accountancy qualification for the specific purpose of registration to Ph.D. programme of respective universities.

Virtual Faculty Development Program (FDP) Series for the Faculty of Universities/Colleges/Accredited Institutions

The Board of Studies had organized a series of Virtual Faculty Development Programmes (FDP) for the faculties of universities, colleges, and accredited institutions on Technology 4.0 and Accounting: Use of Blockchain and Artificial Intelligence, Budget: Its Interpretation and Implications, Fintech innovation: Implication for Financial Management etc for the Faculty of Universities/Colleges/Accredited Institutions.

Joint Seminars/FDPs organized by BoS with University/College

BOS organised six Joint Seminars/Faculty Development programmes with University/College on New Age Technology and Its Impact on Financial Domain, Innovation and Critical thinking, Career Opportunities in Finance and Accountancy etc.

Initiatives for stakeholders of SAFA Member Organizations

The Board of Studies, in collaboration with the SAFA Committee on Education, Training, and CPD, hosted

seven insightful webinars focused on professional growth and adaptability. Topics included International Education Standards (IES), emotional intelligence in leadership, emerging skills such as data analytics and sustainability reporting, and the importance of ethics in a tech-driven world. To encourage student engagement and talent, the SAFA Quiz and Public Speaking Contest 2024 was held on 30th April 2025 in Colombo, Sri Lanka, offering a platform for students from SAFA member bodies to showcase their skills and knowledge. Representing ICAI, winners of the CA Students Talent Search 2024 (Elocution and Quiz Contest) participated in the event. Notably, two ICAI participants secured the 1st Runner-up position in the Public Speaking Contest, bringing pride to the Institute.

10.2 BOARD OF STUDIES-OPERATION

Board of Studies - Operations is a key non-standing committee of the Institute, focused on providing world-class training to Chartered Accountancy (CA) students. It conducts mandatory training programs such as Orientation, Information Technology (IT), Advanced IT, and Management & Communication Skills through IT and Soft Skills Centres across India. The Board also organizes Four-Week Residential Programs at Centres of Excellence in Hyderabad and Jaipur, along with various student-focused events including International, National, State, and Branch-level Conferences, seminars, workshops, sports competitions, festivals, industrial visits, counselling sessions, and national talent contests. Scholarships are provided to eligible CA students under various categories. The Board aims to equip students with essential professional and interpersonal skills—such as management, communication, presentation, and oratory skills—to meet evolving industry demands and enhance the overall image of the CA profession.

Initatives:

(I) Implementation of Revised Syllabus of Adv. Information Technology Training w.e.f. 1st March, 2025

The Revised Syllabus of Adv. Information Technology as approved by the CRET under the New Scheme of Education & Training had been implemented w.e.f. 1st March, 2025 and now batches of Revised Syllabus of Adv. Information Technology Training are being conducted by the IT labs across the country.

(II) Conduction of Live Webinar Series - RUN @100, focused on Reskilling, Upskilling, and Acquiring New Skills of CA Students

In order to equip CA students with the essential skills for success in their careers, the Board of Studies-Operations has launched the Students' Skill Development Live Webinar Series - RUN @100, focusing on Reskilling, Upskilling, and Acquiring New Skills. From 1st March to 30th May, 2025, a total 20 live webinars were conducted by the Board of Studies-Operations on every Tuesday and Friday between 4.00 PM to 5.00 PM wherein eminent experts addressed the students.

(III) Interactive Session with CA Students undergoing IT and Soft Skills Training through Smart Classroom Boards installed at IT and Soft Skills Centres across the country

From 1st March, 2025 to 30th May, 2025, three Interactive Sessions were conducted with the students undergoing IT & Soft Skills Centres through Zoom Links and Smart Classrooms Boards installed at the IT & Soft Skills Centres across the country on 28th March, 2025, 16th April, 2025 and 5th May, 2025. These sessions were addressed by the ICAI Leadership and Chairman, Board of Studies-Operations. Around 18,000 students participated in these Interactive Sessions while undergoing the IT and Soft Skills training conducted by the Board.

(IV) Interactive Meetings with the Faculties of IT and Soft Skills and Managing Committee Members being conducted by the Board.

In order to improve the quality of IT & Soft Skill training imparted to CA Students, Interactive Meeting with the faculties of IT & Soft Skills Training and Management Committee Members of Regional Councils and Branches of ICAI. Interactive Meetings with the faculties of IT & Soft Skills Training were conducted on 21st April, 2025 and 15th May, 2025 through Smart Classrooms Boards installed at the IT & Soft Skills Centres across the country. Similarly, the Interactive Meetings with the Managing Committee Members of the Regional Councils and Branches of ICAI were conducted on 21st April, 2025 and 14th May, 2025 wherein issues relating to students' activities were discussed.

(V) Soft Skills Development based topics included in the programme structure of National Conferences of CA Students

Topics related on Soft Skills Development were included in the programme structure of National Conference of CA Students conducted by the Board of Studies-Operations during the year 2025-26. "Technical Sessions" was renamed as "Knowledge Sessions" and the "Motivational Sessions" was renamed as "Skill-Up Sessions".

(VI) CA. Students National Talent Search, 2025

With a view to develop the presentation skills and sharpening the hidden talent of students undergoing chartered accountancy course, activities Pitch Deck, Debate, Quiz, Elocution and Essay Competitions were conducted under the banner of CA Students National Talent Search, 2025. Around 90 Branches conducted these activities in their respective locations and the Branch Level winners participated in the Regional Level of CA. Students National Talent Search conducted by the five Regional Councils.

(VII) Conduction of CA Students Conferences in May, 2025

National Conference of CA Students organized at Vijayawada 2025, Mega Conference of CA Students organized Udaipur and State Leve Conference of CA Students organized at Ratlam on 30th – 31st May, 2025 in these three locations.

(VIII) Procurement of Microsoft Office 365 and MS Dynamics licenses for IT Training labs across PAN India for imparting regulatory IT and Adv. IT Training to CA Students

In order to facilitate the smooth conduction of IT & Adv. IT Training Course, 1500 Office 365 Licenses was procured by the Board of Studies-Operations for IT labs.

(IX) Participation of CA Students in SAFA Quiz and Public Speaking (Elocution) Competitions conducted by SAFA and 39th International CA Students Conference organized by ICA of Sri Lanks on 30th April, 2025 at Sri Lanka

The winners of National Level of CA Students Talent Search - Quiz and Elocution Competitions conducted by the ICAI participated in the SAFA Quiz Public Speaking Contests conducted SAFA on 29th April, 2025 at Sri Lanka. Ms. Unnati Kotecha and Ms. Rishika Billore who participated in SAFA Public Speaking contest were declared the 1st Runner-Up position. Further, based on the invitation received form the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanks, 12 students of ICAI participated in the 39th International CA Students Conference organized by ICA of Sri Lanks on 30th April, 2025 and represented ICAI in Panel Discussion during the said International CA Students Conference.

(X) No. of Batches of ICITSS (IT/OC) & AICITSS (Adv. IT/MCS) conducted from 01.03.2025 31.05.2025.

Course Name	No of batches conducted	Total No. of Students trained
ICITSS (IT)	392	12555
ICITSS (OC)	266	10951
AICITSS (Adv. IT)	181	6189
AICITSS (MCS)	167	6566

10.3 COMMITTEE ON CAREER COUNSELLING

The Committee on Career Counselling of ICAI is constituted to promote the Commerce Education with special focus on CA Course amongst the students of class VIII, Secondary, Higher/Senior Secondary, Graduate- Post Graduate. The Prime objective of the Committee is to provide career guidance to the students studying from class VIII till Graduate/Post-Graduate.

Significant Achievements

(I) MOU Signed between ICAI and CBSE-

Following the MoU signed on 21st November 2024 between ICAI and the Department of Skill Education, CBSE, to promote commerce-based skill courses among CBSE students, an Exposure Visit was conducted on 23rd–24th May 2025 at ICAI's Centre of Excellence (COE) and Jaipur Branch. This two-day program offered 27 CBSE school principals from 11 states an in-depth overview of the New Scheme of Education and Training for the Chartered Accountancy (CA) Course. The sessions equipped principals with the knowledge and tools to effectively guide and inspire students to pursue CA as a prestigious and promising career. Participants also experienced ICAI's practical training facilities and gained insight into its expansive network of 177 branches nationwide. Highlighting the visit's impact, one principal was so impressed by the course's value and recognition that he immediately enrolled in the CA Intermediate Course.

(II) Career / Mega Career Counselling Programmes

The Committee has organized 2,854 Career Counselling Programmes PAN India and counselled 4,98,382 students with the support of Regional Councils and Branches of ICAI on regular basis. The objective of this initiative is to provide career guidance with special focus on CA Course amongst the students from class VIII till Graduate/Post-Graduate. This initiative aims to ensure that students from various educational backgrounds are well-informed about the Chartered Accountancy Course and its career prospects, starting from an early stage in their education.**(III) Career Counsellors Empowerment Meet**

The Committee on Career Counselling envisaged to organize Train the Trainers Programmes titled Career Counsellors Empowerment Meet for empaneled Career Counsellors /are willing to become Career Counsellors of ICAI. The objective of the Faculty Development Programme is to standardize uniform delivery of the counselling sessions all across POUs. Total 12 such Meets were conducted across India and 829 counsellors were motivated.

(IV) Organizing Principal's Conclaves

The objective to organize the Principal Conclave is to make School / College principals aware about our New Scheme of education & training and to promote commerce education with special focus on CA Course. The Committee successfully organized 3 Principals Conclave and Approx. 442 School/College Principals, Teachers and Academicians were attended the same.

(V) Participation in Career Fairs/ Exhibitions

During this period, ICAI participated in 97 Education and Career Fairs/Exhibitions held across various cities nationwide, reaching and benefiting a total of 53,367 students. These events served as valuable platforms to provide career guidance and disseminate comprehensive information about the Chartered Accountancy course to educators, teachers, students, and other key stakeholders.

(VI) Organizing CAFY & Super Mega Career Counselling Programme - भविष्य की राह

The Career in Accounting & Finance for Youth (CAFY) & Super Mega Career Counselling Programme - भविष्य की राह was organised PAN India on 29th August, 2024. The objective of this event was to organize maximum programmes at a time PAN India to spread the knowledge about accounting as a profession along with propagation of CA Course and ICAI through the support of Regional Councils and Branches. This mega event was organized with significant involvement of 85 POUs i.e. Regional Councils and Branches of the ICAI and total 1, 16,760 students of class VIII to Graduation benefited in 437 programmes across India along with the Principals, Teachers, and Career Counsellors.

(VIII) Organizing ICAI Commerce Olympiad

The Committee successfully organized an online ICAI Commerce Olympiad aimed at students from Class VIII to Graduation. This initiative is designed to increase student engagement with ICAI and raise awareness about the Chartered Accountancy (CA) course. As a unique effort by the Institute, the Olympiad provides students with an opportunity to experience a competitive environment while enhancing their knowledge and skills. The Olympiad was conducted on 19th January 2025, with 8,515 students participating out of the 38,569 registered candidates across the Country. The top three Rankers were awarded Rs. 10,000 along with Merit Certificates in recognition of their achievements. Furthermore, the first three rank holders in the ICAI Commerce Olympiad is granted reimbursement in their registration fees for the Foundation / Direct Entry CA Course.

11. Section – 8 Companies

11.1 XBRL

For the effective participation of the regulators, technologists, corporates and academicians in the endeavor of the Institute for the promotion of XBRL in India, the Institute has facilitated the incorporation of XBRL India as a section 25 company (currently under Section 8 of Companies Act, 2013) with the main objective of promoting and encouraging the adoption of XBRL in India as the standard for electronic business reporting in India through development of taxonomies, facilitation of education and training on XBRL. Also, XBRL India has taken membership of XBRL International to facilitate and get updates of XBRL filing globally. XBRL India is an established Indian jurisdiction of XBRL International.

Currently, XBRL India is developing and maintaining XBRL taxonomies for Ministry of Corporate Affairs (MCA).

XBRL filing requirements by the Ministry of Corporate Affairs (MCA)

- Currently, there are two Taxonomies i.e Ind AS Taxonomy and Commercial and Industrial (C&I) Taxonomy which are applicable to the companies:

XBRL India always focused on its key area of operations i.e. development/ maintenance of Taxonomies for filing of financial statements under Companies Act. Accordingly, XBRL India has submitted samples of Instance Documents for testing purpose of taxonomies submitted to MCA in 2022. It was indicated that the beta version of updated taxonomy shortly so that there would be enough time available to the different XBRL vendors to develop their tool and to test the same for filling of financial statements by stakeholders. In addition to development of taxonomies, queries / issues faced by the filers with regard to taxonomies, while converting the Financial Statements to XBRL formats have been resolved.

Development of new Taxonomies

Apart from Ind AS & C&I taxonomies applicable to specified class of companies, XBRL India has proposed MCA for development of taxonomies for various sectors. The matter is under review of MCA:

- Non-Banking Finance Companies (NBFCs)
- Insurance Entities (both for life and non-life insurance companies separately)
- Municipal Corporation Sectors

Participation in International activities

As a part of becoming a member of XBRL International, the contribution of XBRL India has not been limited to India. The Board members of XBRL India regularly represented India at various meetings/events of XBRL International. During the year, Board members participated in the meeting of XBRL International Member Assembly; 13th XBRL Asia Round Table at Japan; and Data Amplified 2024 and XBRL International Conference at Spain. At the Data Amplified 2024 and XBRL International Conference, the Board member presented on the BRSR initiatives in India and the same was appreciated at the conference.

Board of Directors of XBRL International: Chairman, XBRL India and the President, ICAI has been appointed on the Board of Directors of XBRL International. He attended the meeting of Board of Directors of XBRL International held on 28-29 April, 2025.

11.2 ICAI- Accounting Research Foundation (ARF)

ICAI Accounting Research Foundation (ICAI ARF) was established in January, 1999 to be developed as an academy for imparting, spreading and promoting knowledge, learning, education and understanding in the various fields related to the profession of accountancy. The following is the detail of projects undertaken by ICAI ARF:

- **Indian Railways:**

Indian Railways, the fourth largest railway network in the world after the United States, Russia and China, is undertaking several initiatives towards Accounting Reforms in line with generally accepted accounting principles. In its journey of accounting reforms, the Indian Railways had initiated exercise of preparation of its Accrual Based Financial Statements in 2014, marking a major shift towards enhanced financial transparency and accountability. Since the inception of this initiative, the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and its Accounting Research Foundation (ICAI ARF) have played a pivotal role in supporting these reforms. ICAI ARF has been instrumental in guiding Indian Railways through the migration to an accrual-based accounting system. ICAI ARF have successfully prepared the Accrual Based Financial Statements for all Zonal Railways and Production Units from the financial year 2015-16 to 2022-23.

Work Completed in last one year

- Accrual Based Financial Statements (ABFS) of Indian Railways for the year 2021-22 and 2022-23 submitted. Several initiatives towards environment Sustainability undertaken by the Indian Railways have been reflected in the financial statements for 2022-23. It will be a milestone in the history of Government of India that accrual based to financial statements has been prepared.
- Pilot Study to develop framework for Clearance of CWIP and transfer to FAR to be undertaken over NR based on the CWIP data.

Work in progress:

ABFS of Indian Railways for the year 2023-24.

- **Treasuries and Accounts Department, Government of Tamil Nadu**: ICAI ARF has undertaken the task of rewriting of regulatory framework governing Treasury and Accounts in the State, primarily (i) Treasury Code, (ii) Accounts Code (iii) Pay and Accounts Office Manual and review of all forms used by the State and

recommendations on redundancies, improvements, simplification and new forms to be documented as part of the official code documents of the State. The ICAI has completed the project during the year and submitted the same to Commissioner of Treasuries and Accounts on June 19, 2024.

- **Indian Ports Association (IPA)**: ICAI ARF has been assigned the task to prepare common accounting framework for 11 major ports for compliance with Major Ports Authorities Act, 2021 and MPA (Accounts & Audit) Rules, 2021. The Common Framework for the preparation of annual accounts for Major Ports and Significant Accounting Policies document for all ports submitted to IPA. Both the documents have been forwarded by the IPA to Ministry of Shipping Port and Waterways (MoPSW) for notifying in consultation with CAG for implementation in all Major Ports and also to notify the timelines for the placement of audited annual accounts of Major Ports. The matter is under consideration of Ministry of Shipping Port and Waterways.

- **Certificate Course for Accountants of Panchayats & Municipal Bodies**: ICAI ARF executed the project of Certificate Courses for Accountants of Panchayats and Municipal Bodies through Board for Local Bodies Accountants Certification (i.e., BLoAC established under ICAI ARF). The Committee on Public and Government Financial Management (CPGFM) of ICAI is actively involved in development of course material and coordination for the conduct of the courses. The courses were formally launched on 16th November 2023 (Audit Diwas) and the registrations of these courses were initiated on 1st December 2023 through a dedicated website https://lba.icaiarf.org.in/ Approx. 3699 candidates have registered for this course during the year. As per structure of course, two offline exams (screening and main exam) are being held. Under screening exam, basic of accounting is covered and under main exam, panchayat/ municipal bodies specific accounting is covered. ICAI exam system has been replicated for the certificate courses exam after little modification (considering less registrations received) but robustness of ICAI exam system is maintained.

- Pursuant to the association between ICAI and the Office of the Comptroller & Auditor General (O/o C&AG) of India for the Certificate Courses for Accountants of Panchayats and Municipal Bodies, the ICAI ARF and ICAI undertook imparting training to officials of C&AG involved in audit of Public Sector Undertakings (PSUs) to enhance the skills of O/o C&AG officials and support their professional development. In this regard, first batch of Residential Capacity Building Programme was conducted starting from 5th May 2025 for the officers of C&AG of India.

- **Re-writing of Tamil Nadu Financial Code, Volume I & II –** The Treasuries and Accounts Department, Government of Tamil Nadu awarded the New Project of Re-writing of Tamil Nadu Financial Code, Volume I & II to the ICAI-ARF in October 2024. The Inception Report along with the revised TNFC (draft) has been submitted in March 2025 to Additional Director - Treasuries and Accounts.

- **New Logo of ICAI ARF -** As a Company, ICAI ARF has adopted a Logo at its first meeting held in January 1999 for use on mastheads of stationery and documents to be used by the company. The Logo of ICAI ARF represents as a symbol to promote public identification and recognition as a research institution. Over the years, the ICAI has undertaken and successfully completed several projects. The ICAI ARF has amended its Logo to enable brand building at national and international level.

11.3 ICAI Registered Valuers Organisation

ICAI Registered Valuers Organisation (ICAI RVO) is a section 8 Private Company formed by the Institute of Chartered Accountants of India to enroll and regulate Registered Valuers or valuer member as its members in accordance with the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, and functions incidental thereto.

(I) Educational Course (50 hours) by ICAI Registered Valuers Organisation which is a precondition to become Registered Valuer:

- ICAI Registered Valuers Organisation has been focusing on building its membership base and conducting 50-hour Educational Course for its valuer members, which is a precondition for becoming Registered Valuer and preparing educational material for the Educational Course.

- In this direction, from 1st July 2024 to 31st May 2025, ICAI RVO has conducted 10 online batches of the 50-hour Educational Course for the asset class 'Securities or Financial Assets', 02 online batches for the asset class 'Land and Building' and 01 online batch for the asset class 'Plant and Machinery', attended by members across the country.

- Till end of May 2025, a total of 91 batches of Educational Course have been conducted (86 batches for the asset class Securities or Financial Assets, 4 batches for the asset class Land and Building and 1 batch for the asset class Plant and Machinery).

- As on 31st May 2025, 5031 members have been trained by ICAI RVO for its 50-hour Educational Course (5005 members under the asset class Securities or Financial Assets, 24 members under the asset class Land and Building and 02 members under the asset class Plant and Machinery).

(II) Online Classes of Educational Course (50 hours) by ICAI Registered Valuers Organisation which is a precondition to become Registered Valuer:

- Due to the outbreak of COVID-19, the Insolvency and Bankruptcy Board of India vide its issuance of guidelines dated 29th March 2022, has permitted to conduct the classes of Educational Course through Online mode. IBBI has further extended the validity of these guidelines, till further orders, vide Amendment dated 30th September 2022.
- For the time period 1st July 2024 till 31st May 2025, ICAI RVO has conducted online batches of the 50-hour Educational Course as per the following details:

Asset Class	No. of Batches Conducted	Total Participants Trained
Securities or Financial Assets	10	473
Land and Building	02	15
Plant and Machinery	01	02

(III) Registration of Registered Valuers (RVs) with Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI):

As on 31st May 2025, the number of RVs registered with the Authority i.e. the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) and ICAI RVO are as follows:

Asset Class	No. of RVs registered with IBBI	No. of RVs registered with ICAI RVO
Securities or Financial Assets	2293	1151
Plant and Machinery	2988	01
Land and Building	582	01

(IV) Online Learning Management System of ICAI RVO

ICAI RVO has its Learning Management System (LMS), which is an online portal that has been developed for the purpose of providing a holistic and easily accessible learning platform, catering to the diverse needs of its members. On one hand detailed learning material (including videos) is available on various topics as prescribed by IBBI for the Valuation Examination, duly supplemented by mock tests in Multiple Choice Questions format for practice, and on the other hand, it has content which fosters continuing education for its RV members on latest valuation related topics.

The LMS is updated on a regular basis with the latest presentations and video recordings of the Training Programmes, and, with our recent foray into the other 2 asset classes i.e. Land and Building & Plant and Machinery, educational material for these asset classes is also being added on LMS for the benefit of its members.

(V) Publications

ICAI Registered Valuers Organisation has issued the following Publications from July 2024-May 2025:

- Quarterly Journal of ICAI RVO (Volume 1, Issue 2), July 2024
- Quarterly Journal of ICAI RVO (Volume 1, Issue 3), October 2024
- Quarterly Journal of ICAI RVO (Volume 1, Issue 4), January 2025
- Quarterly Journal of ICAI RVO (Volume 1, Issue 5), April 2025

(VI) Continuous Educational Program

As a part of its Continuous Educational Programme, ICAI RVO has organised Training Programmes on various topics related to valuation for its Registered Valuer members for the Period July 2024-May 2025, as per the following details:

Asset Class	No. of Trainings Conducted	Hours of Trainings Imparted	Total Participants Trained
Securities or Financial Assets (SFA)	24	52	2110
Land and Building (L&B)	01	02	16
L&B and SFA	09	18	617
L&B, P&M and SFA	01	02	105

(VII) Master Classes on Valuation

ICAI RVO also organizes Master Classes on Valuation for its Registered Valuer Members. Expert Faculty take these sessions focusing on various aspects of Valuation such as approaches, application, case studies, challenges and way forward. During this period, 3 Master Classes (13 hours of training imparted to 230 members) were conducted on the on Decoding recent M&A deals, Intangible Asset Valuation, Overview of Digital Assets and their Valuation and Revisiting Fixed Income Securities with Excel.

(VIII) Training Program on Soft Skills for granting COP to Registered Valuers.

ICAI RVO organised 05 online Certificate of Practice Training Programmes on Soft Skills for granting Certificate of Practice (COP) to Registered Valuers for the Period July 2024-May 2025.

(IX) Refresher Training Programmes

In addition to the mandatory 50-hour educational course prescribed by the Rules, ICAI RVO also conducts Refresher Training Programs tailored for Primary Members who have yet to successfully clear the Valuation examination—a prerequisite for attaining Registered Valuer status. These Refresher Programs aim to supplement the knowledge acquired through the educational course, catering to Primary Members seeking to enhance their proficiency or remain updated with the latest Valuation syllabus. The ultimate objective of these Refresher Training initiatives is to equip Primary Members with the necessary skills and expertise to successfully navigate and pass the IBBI Valuation Examination. ICAI RVO organised Refresher Training Programmes on 8 Valuation related topics from July 2024-May 2025.

(X) Residential Programme

Insolvency & Valuation Standards Board (I & VSB), ICAI in association with ICAI RVO & Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI (IIIPI) and hosted by EIRC, ICAI, organised Residential Programme, IBC 3.0 at BBSR, Odisha (Mayfair Lagoon, Bhubaneswar, Odisha) from 3rd-4th August 2024.

(XI) Webcasts/Webinars conducted by ICAI RVO

ICAI RVO has conducted live webcast on Learnings from the findings of Peer Review of Valuation Reports.

(XII) Conferences organised by ICAI RVO

Valuation Day Conference on 18th October 2024 ICAI RVO and IOV RVF, in association with IBBI, organised the 'Valuation Day' program on 18th October 2024, in New Delhi. The event witnessed participation from over 100 attendees and was honoured by the presence of Shri Satish Sethi, Executive Director of IBBI, and Shri B. Sankaranarayanan, General Manager of IBBI. The program included meaningful discussions revolving around valuation under various Sections of the Companies Act, 2013 and IBC, 2016.

(XIII) RESOLVE 2024

ICAI in association with ICAI RVO and IIIPI organised the 2nd International Convention on Insolvency and Valuation themed "Enabling Resolution, Maximizing Value" on 12th - 13th July 2024 at New Delhi which was attended by more than 100 participants. The conference was graced by Hon'ble Justice Ashok Bhushan, Chairperson, NCLT as the Chief Guest and Shri Ravi Mittal, Chairperson, Insolvency and Bankruptcy Board of India as the Guest of Honour. The event received overwhelming participation from insolvency professionals, registered valuers, regulators, and policymakers including international speakers.

(XIV)Monitoring of Members through Half-Yearly Monitoring Reports, Peer-Review and Inspection

Half-Yearly Monitoring Reports

- The ICAI RVO Monitoring Policy provides that a member shall submit information about ongoing and concluded engagements as a registered valuer, in the manner and format specified by the Organisation, at

least twice a year i.e. as on 31st March and 30th September, stating *inter alia*, the date of assignment, date of completion and reference number of valuation assignment and valuation report. Accordingly, the members are required to submit the Half Yearly Monitoring Reports within 15 days from the date of closing of the Half-Year. These reports are then compiled by ICAI RVO for onward submission to IBBI.

- During the period, the Registered Valuer Members of ICAI RVO submitted their Half-Yearly Monitoring Reports of the Valuation Assignments undertaken by them during the period 1st October 2024 to 31st March 2025.

Peer-Review

- Under the directives of IBBI, ICAI RVO has been conducting a Peer Review Exercise of its members.
- During the period, ICAI RVO conducted a Peer Review of the 168 valuation reports submitted by registered valuers from October 1, 2022, to September 30, 2023, which also included a Peer Review of Registered Valuer Entities registered with ICAI RVO for the first time.
- The Peer Reviewer panel of ICAI RVO meticulously examined 168 valuation reports, carefully assessing them against six crucial criteria, each of which was further dissected into multiple observation points. The successful execution of the peer review exercise by the ICAI RVO, guided by the IBBI, signifies a significant milestone in the relentless pursuit of professional excellence and the overall growth of the valuation profession.
- While certain areas for improvement and enhanced compliance still exist, it is noteworthy that a substantial majority of the reviewed reports demonstrated compliance with statutory requirements, and the observations from previous peer reviews were duly incorporated.
- The findings of the Peer-Review Exercise which concluded in August 2024 have been shared with the IBBI and are also made available on the website of ICAI RVO at https://icairvo.in/documents-on-peer-review.aspx

Inspection of RVs

- In compliance with IBBI directives, all Registered Valuers Organisations (RVOs) must conduct inspections of their Registered Valuers (RVs) enrolled up to March 31, 2024, as per their respective Inspection Policies.

- Following this requirement, ICAI RVO has issued Notices of Inspection to 61 RVs, requesting the submission of valuation reports and other documents for the Inspection Exercise. The inspection exercise has been concluded, and the final findings of the Inspection are to be placed before the Monitoring Committee of ICAI RVO in its upcoming meeting for the consideration and approval.

11.4 Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI (IIIPI)

Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI (IIIPI) has completed a successful year of 2024-25. It was awarded with the registration certificate as the First Insolvency Professional Agency of India by Hon'ble Union Finance Minister Shri Arun Jaitley on 28th November 2016 at Delhi. IIIPI has attracted members from a diverse stream including Chartered Accountants, Company Secretaries, Cost Accountants, Advocates and Management Professionals. IIIPI has also networked with other national and international bodies in furtherance of capacity/knowledge building of stakeholders on one hand and providing value-added policy inputs for evolving law and practice of IBC, on the other. Out of total 4507 Insolvency Professionals registered with IBBI as on 30th April 2025, 2834, i.e., 62.88% are from IIIPI. IIIPI's members have so far handled ~75% of the overall assignments of CIRP/Liquidation/Voluntary Liquidation, including many of the largest cases.

Distribution of membership between IPAs

IPA wise Reg. IP's Member's status as on date 30-04-2025

IPA	**Mar-18**	**%**	**Mar-19**	**%**	**Mar-20**	**%**	**Mar-21**	**%**	**Mar-22**	**%**	**Mar-23**	**%**	**Mar-24**	**%**	**30th April 2025**	**%**
IIIPI	**1100**	60.71	**1518**	61.71	**1860**	61.71	**2184**	62.05	**2551**	62.69	**2696**	63.02	**2762**	62.86	2834	62.87

ICSI	**562**	31.02	**738**	30.00	**903**	29.96	**1025**	29.12	**1142**	28.07	**1183**	27.65	**1217**	27.70	1247	27.66
ICMAI	**150**	8.28	**204**	8.29	**251**	8.33	**311**	8.84	**376**	9.24	**399**	9.33	**415**	9.44	427	9.47
Total	**1812**	100	**2460**	100	**3014**	100	**3520**	100	**4069**	100.00	**4278**	100.00	**4394**	100.00	**4508**	**100.00**

IPA wise IPE registered as an IP details status as on 30th April 2025

Name of IPA	**31st March, 2023**	**%**	**31st March, 2024**	**%**	**30th April, 2025**	**%**
IIIPI	24	58.54	41	54.67	52	55.91
IPA ICSI	8	19.51	12	16.00	16	17.20
IPA ICMAI	9	21.95	22	29.33	25	26.88
Total	**41**	**100.00**	**75**	**100.00**	**93**	**100.00**

(I) Capacity Building Initiatives:

The dialogues and deliberations are crucial to the capacity building of professional members in any profession. It is even more pertinent in the context of the insolvency profession, which impacts multiple stakeholders and is considered one of the most complex professions. On the shoulders of an insolvency professional as an important pillar, lie critical responsibilities, which are onerous at times, during and around the process of rescuing the corporate lives. In this backdrop it can be said that the performance of the IBC ecosystem, to a great extent, is directly linked to the capacity building of IPs. As the key focus, IIIPI's endeavour has been to not only sustain the momentum but also keep launching several capacity building initiatives to meet the expectations of our stakeholders. Following are some of the key initiatives:

- 18 Nos. of Executive Development Programs (EDPs-virtual) in 2 to 5 days format, across five domains viz. Managing CD as Going Concern, Legal Skills, Forensic Skills for Avoidance Transactions, Cross Border Insolvency and Group Insolvency. The last 2 categories have been added since August 2024 onwards.
- 43 Nos. of Webinars covering multiple contemporary topics conducted, as 3-hours format.
- 10 Nos. of one-day weekend workshops covering multiple topics.
- 7 Nos. of Roundtables (virtual) on discussion papers by IBBI and emerging issues.
- 8 Nos. of LIE Exam preparation classes (virtual) across 5-days format.
- 15 Half-day workshops (virtual) in association with IBBI and other IPAs on Common issues
- 4 physical half-day workshops in association with IBBI and other IPAs on Common issues
- The International Conference (physical) on Cross Border & Group Insolvency was conducted in association with UK-FCDO on April 13th, 2024.
- International Convention 'Resolve' (physical) was conducted by IVSB-ICAI in association with IIIPI at Bharat Mandapam on 12th/13th July 2024.
- Joined EIRC-ICAI for organizing 2 day-Conclave on IBC at Bhubaneswar in Aug.' 2024
- Physical Conference to present reports on (i) Proposals for Amendments in IBC, & (ii) Regulatory Framework for IPs/IPEs, in Delhi during Sept. 2024.
- IIIPI Foundation Day Conference (physical) on Nov. 26, 2024.
- Joined Insol International UK, in organizing the physical-International Conference on IBC Mumbai on Feb. 8, 2025.
- Joined NALSAR Hyderabad for organizing 2-days physical research conference in Hyderabad during April 2025.

- One day workshop (virtual) on Industry sector training (Real Estate and EPC industries) in association of CARE Ratings, conducted on July 30, 2024.
- Peer Review exercise of IIIPI members is picking up in nos. So far 34 successful peer reviews have been completed, 49 more are in pipeline. Further, 43 peer-reviewers have been registered.
- Making available membership of INSOL International UK to IIIPI's members at a subsidized cost. 162 members have opted for this.
- Regular release of quarterly journal "The Resolution Professional" is a credible mouthpiece and brand ambassador for IIIPI.
- Weekly Newsletters and Case-Law Capsule dissemination electronically.
- IIIPI set up a stall (through bronze sponsorship) at World Forum of Accountants (WOFA) Conference organized by ICAI on Jan. 31-Feb.2, 2025 in New Delhi.
- National level Quiz on IBC conducted with result announced during April 2024 at a conference.

(II) Research and Studies Conducted

- Since April'24, eleven studies/reports through Study groups have been finalized and disseminated in respect of:
  - Template for forming/submitting opinion on Avoidance Transactions
  - Best Practices for Conducting COC/SCC Meetings by IPs
  - Developing Market for Stressed Assets in India
  - Improving real-estate resolutions and coordination with RERA. Basis this interactions have been held with All India Forum of RERA Chairmen and MOHUA. Further, a physical conference on the subject was also conducted on 17th September,2024
  - Survey report on IPs' interface with statutory authorities and enforcement agencies.
  - Timely Turnaround: Bottleneck in CIRP and Liquidations – Case Study
  - Removing duplicity/redundancies in compliances by IPs. Basis this IBBI has released discussion paper on the matter.
  - Key Recommendations on Amendments in IBC
  - Recommendation on Regulatory Framework for IPs/IPEs
  - Legal Digest of Disciplinary Cases
  - Common Issues Observed During Inspection

- 5 research projects have been approved so far by IIIPI under its research project scheme. These are in the areas of Real Estate Resolutions, PPIRP framework, Insolvency Framework in India Vs. Internationally, and resolving insolvency in FPCs in East India.

(III) Monitoring of Insolvency Professionals:

As per Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Byelaws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016, IIIPI is required to monitor the professional activities and conduct of professional members for their adherence to the provisions of the Code, Rules, Regulations and Guidelines issued there-under, the byelaws, the Code of Conduct and directions given by the Governing Board. Insolvency Professionals are monitored on an ongoing basis with respect to Corporate Insolvency Resolution Process and Liquidation Process. Actions are being taken against the members who have not complied with the applicable provisions.

(IV) GRC /Disciplinary Mechanism:

IIIPI has received 11 Grievances during the period from 01st April 2024 to 31st March 2025 and a total of 26 Grievances (including Grievances from previous year) were redressed during the period by the Grievance Redressal Committee and as on end of 31st May 2025 there are pendency of 3 GRC matters. Further, 100 (hundred) disciplinary

proceedings were initiated by the IIIPI during the period from 01st April 2024 to 31st March 2025 and as on 31st May 2025, 95 (ninety-five) matters were disposed of.

11.5 The Institute of Social Auditors of India (ISAI)

The Institute of Social Auditors of India (ISAI) is incorporated under Section 8 of the Companies Act, 2013 on October 07, 2022 under the aegis of The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) as Self-Regulatory Organization with prime objective to be a leading institution for developing an independent, ethical and world-class Social Impact Assessors (earlier Social Auditors) responding to needs and expectations of the stakeholders. ISAI enrol, regulate, and develop Social Impact Assessors (earlier Social Auditors) in an independent and transparent manner and also work on capacity building of the Social Impact Assessors through continuous professional education and training.

(I) Concept of Social Impact Assessors (earlier Social Auditors)

The Finance Minister in the Budget speech of 2019-2020 for the first time proposed the concept of a Social Stock Exchange which will be "under the regulatory ambit of Securities and Exchange Board of India (SEBI) for listing social enterprises and voluntary organizations working for the realization of a social welfare objective so that they can raise capital as equity, debt or as units like a mutual fund." Subsequently, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its notification dated 25th July 2022 has amended the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("ICDR Regulations"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("LODR Regulations") and SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 ("AIF Regulations") to provide a broad framework for Social Stock Exchange. SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2022 defines Social Auditors as an individual registered with a Self Regulatory Organization under the Institute of Chartered Accountants of India or such other agency, as may be specified by the Board, who has qualified a certification program conducted by National Institute of Securities Market and holds a valid certificate. SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirement) (Third Amendment) Regulation, 2023 dated December 21, 2023 substituted the word "Auditor" appearing in the words and expression "Social Auditor" with the words "Impact Assessor".

(II) Governing Board of ISAI

ISAI functions through its Governing Board which comprises of minimum of Twelve Directors i.e.

- Chairperson, having rich experience in social sector/ impact assessment or he may be from a renowned academic institution.
- Five Central Council members of ICAI/ Sustainability Reporting Standards Board with relevant experience.
- One person to be nominated by Securities and Exchange Board of India (SEBI).
- One person to be nominated by Ministry of Corporate Affairs (MCA)/ Ministry of Home Affairs (MHA)/ Ministry of Social Justice & Empowerment.
- One person nominated by Capacity Building Fund.
- One person nominated by Social Stock Exchange.
- One member from thematic areas of the social sector.
- One member having cross sectoral experience in social sectors.

(III) Governing Board meetings:

For the period April 01, 2024 to March 31, 2025, 3 (Three) Governing Board meetings were convened at the Registered office of the Company. The 2nd Annual General Meeting(AGM) of the Company was held on September 30, 2024. The Annual Return and financials have been filed with MCA.

(IV) Sub-Committees of ISAI

There are 7 Sub-Committees constituted in terms of the bye-laws of the Company to regulate the working of the Company in the most transparent and efficient manner. These sub committee comprises of members of the Governing Board and also market experts in the advisory role. Following are the sub committees of ISAI i.e Advisory Committee, Membership Committee, Monitoring Committee, Grievance Redressal Committee, Appellate Committee, Disciplinary Committee and Editorial Board. During the Financial year 2024-2025, four Membership

Committee meetings were convened on May 08, 2024, July 16, 2024, October 16, 2024 and January 20, 2025 through virtual/physical mode wherein important decisions related to allotment of membership of ISAI were taken.

(V) Registration of Social Impact Assessors (earlier Social Auditors) and Social Impact Assessment Entities

ISAI has registered 700 Social Impact Assessors (earlier Social Auditor), the details of which is available on the website of the Company. The registration link for Social Impact Assessment Entities was made live on the website of ISAI on September 03, 2024.

(VI) Online Training Course on "NISM Series XXIII: Social Impact Assessor (earlier Social Auditors) Certification Examination"

ISAI conducts online training course to facilitate preparation for "NISM Series XXIII: Social Impact Assessor (earlier Social Auditors) Certification Examination". The online classes cover all 11 chapters of the NISM Study material covered in 21 study hours with expert faculties, MCQs for each chapters, case studies and illustrative examples. ISAI has completed two (2) batches of online training course during the financial year 2024-2025 and trained 89 participants for the "NISM Series XXIII: Social Impact Assessor (earlier Social Auditors) Certification Examination".

(VII) Webinars

ISAI has organized seven webinars for capacity building and creating awareness about the Social Stock Exchange, Social Audit and Social impact Assessment with the stakeholders and to the public at large during the year.

12. Quality Review Board (QRB)

The Quality Review Board (QRB) has been constituted by the Central Government of India u/s 28A of the Chartered Accountants Act, 1949 as an independent oversight body engaged in monitoring the quality of services provided by the Chartered Accountants in India. The constitution of the QRB includes a chairperson, 5 members appointed by the Central Government and 5 members nominated from the Council of ICAI. Although, the provisions of Sec. 28B of the Act authorizes the QRB to review all kinds of services provided by the members of the ICAI, however, the Board currently is involved in review of audit services, only. As per Section 28B of the Chartered Accountants Act, 1949, the Quality Review Board shall perform the following functions: -

- To make recommendations to the Council with regard to the quality of services provided by the members of the Institute.
- To review the quality of services provided by the members of the Institute including audit services.
- To guide the members of the Institute to improve the quality of services and adherence to the various statutory and other regulatory requirements.
- To forward cases of non-compliance with various statutory and regulatory requirements by the members of the Institute or firms, noticed by it during the course of its reviews, to the Disciplinary Directorate for its examination.

After the formation of National Financial Reporting Authority (NFRA) by the Central Government in the year 2018, the QRB has been involved in review of the quality of the audit services w.r.t entities not falling under Rule 3 of NFRA Rules, 2018. In order to make the process of quality reviews more comprehensive the Board has taken following key steps during the year 2024-25:

- Modification in the criteria of selection of companies / audit firms in order to make the selection process more robust and inclusive. Modified selection criteria can be referred at *"Procedure for Quality Review of Audit Services of Audit Firms (Revised)"* hosted at website of the Board www.qrbca.in
- Modification in the "Standard Operating Procedure (SOP) for conducting Quality Reviews", thus reducing the overall time taken in completion of audit quality reviews. The revised SOP is hosted at the website of the Board.

During the period covered by the Report, 52 reviews of audit quality have been conducted by the Quality Review Board and Quality Review Group I & II and out of these 52 reviews:

S. No.	Particulars	Review of audit quality
1.	Number of cases for which advisories to concerned Audit firms for improvement of the quality of audit services and adherence to the various statutory and other regulatory requirements in terms of the	41

	requirements of clause (c) of Section 28B of the Chartered Accountants Act, 1949, were recommended/ decided.	
2.	Number of cases recommended/ decided to be forwarded to the Disciplinary Directorate of ICAI for its examination in terms of the requirements of clause (d) of Section 28B of the Chartered Accountants Act, 1949.	10
3.	Number of cases filed i.e., cases where no action was taken	1
Total cases		52

During the year covered by the Report following meetings were held:

- Four Meetings of Quality Review Board,
- Three Meeting of Quality Review Group – I constituted by QRB,
- Four Meeting of Quality Review Group – II constituted by QRB,
- One Meeting of Sub-Committee – I constituted by QRB,
- One Meeting of Audit Committee of QRB.

13. FINANCE AND ACCOUNTS

The Balance Sheet as on 31st March, 2025 and the Income & Expenditure Account for the year ended on that date as approved by the Council duly audited along with auditors' report are enclosed.

14. APPRECIATION

The Council is grateful to members of the profession who functioned as co-opted members on its Committees, persons nominated on the Boards/Committees constituted under the Chartered Accountants Act, 1949, the Regional Councils, its branches, and their members, and to the special invitees and non-members who assisted the Council during the year 2024-25 in the conduct of its educational, technical and other developmental activities and in its examinations.

The Council wishes to place on record its appreciation of the continued assistance and support given by the Central Government and its nominees on the Council during the year 2024-25.

The Council also acknowledges its appreciation of the sincere interest evinced by various Central and State Governments in the numerous initiatives taken by the ICAI and the steps already/being initiated by them, pursuant to such initiatives.

The Council also acknowledges its appreciation of the sincere and devoted efforts put in during the year 2024-25 and thereafter by all officers and employees of the ICAI.

STATISTICS AT A GLANCE

MEMBERS REGISTERED

(From 1st April, 2007)

TABLE I

Year (As on)		Western Region	Southern Region	Eastern Region	Central Region	Northern Region	TOTAL
1st April, 2007	Associate	31159	18237	7829	9642	14182	81049
	Fellow	16896	13646	6488	8882	12880	58792
	Total	48055	31883	14317	18524	27062	139841
1st April, 2008	Associate	32364	19203	7939	10045	14642	84193
	Fellow	17646	14034	6738	9472	13398	61288
	Total	50010	33237	14677	19517	28040	145481

1st April, 2009	Associate	34294	20666	8193	10578	15951	89682
	Fellow	18442	14516	7002	10007	13951	63918
	Total	52736	35182	15195	20585	29902	153600
1st April, 2010	Associate	36390	21733	8512	11252	17104	94991
	Fellow	19181	15076	7192	10615	14461	66525
	Total	55571	36809	15704	21867	31565	161516
1st April, 2011	Associate	38608	22998	9154	12329	18547	101636
	Fellow	19831	15612	7406	11182	14943	68974
	Total	58439	38610	16560	23511	33490	170610
1st April, 2012	Associate	45273	25505	11069	15963	23332	121142
	Fellow	20510	16132	7578	11720	15431	71371
	Total	65783	41637	18647	27683	38763	192513
1st April, 2013	Associate	52846	28020	13258	20606	27743	142473
	Fellow	21522	16918	7815	12327	16051	74633
	Total	74368	44938	21073	32933	43794	217106
1st April, 2014	Associate	56595	29401	14035	22978	29467	152476
	Fellow	22313	17460	8007	12915	16508	77203
	Total	78908	46861	22042	35893	45975	229679
1st April, 2015	Associate	60229	30126	14514	24702	31137	160708
	Fellow	22838	17864	8137	13441	16986	79266
	Total	83067	47990	22651	38143	48123	239974
1st April, 2016	Associate	64235	31919	15046	27353	32774	171327
	Fellow	23700	18495	8223	14071	17521	82010
	Total	87935	50414	23269	41424	50295	253337
1st April, 2017	Associate	67746	33591	15580	30036	34632	181585
	Fellow	25742	19711	8718	15618	18933	88722
	Total	93488	53302	24298	45654	53565	270307
1st April, 2018	Associate	70683	34733	15606	32094	36988	190104
	Fellow	26736	20280	8912	16494	19667	92089
	Total	97419	55013	24518	48588	56655	282193
1st April 2019	Associate	72296	34352	15547	33522	37129	192857
	Fellow	28747	21437	9418	18337	20895	98841
	Total	101043	55789	24965	51859	58024	291698
1st April 2020	Associate	74285	38405	15735	38453	40877	207755
	Fellow	28860	21495	9295	19017	20816	99483
	Total	103145	59900	25030	57470	61693	307238
1st April 2021	Associate	79234	42606	16436	41589	43479	223344
	Fellow	30022	22393	9485	20199	21638	103737
	Total	109256	64999	25921	61788	65117	327081
1st April	Associate	83875	47065	17363	46271	46301	240875

2022	Fellow	31960	23559	9791	21580	22673	109563
	Total	115835	70624	27154	67851	68974	350438
1st April 2023	Associate	91043	54155	18856	52092	50351	266497
	Fellow	32736	24136	9916	22318	23016	112122
	Total	123779	78291	28772	74410	73267	378619
1st April 2024	Associate	98244	62081	19026	54837	53712	287900
	Fellow	33826	24985	10040	23233	23633	115717
	Total	132070	87066	29066	78070	77345	403617
1st April 2025	Associate	101770	67800	19934	58407	55799	303710
	Fellow	34648	26013	10192	24301	24240	119394
	Total	136418	93813	30126	82708	80039	423104

MEMBERS

(From 1st April, 1950)

TABLE II

Year (As on)	Associate	Fellow	Total
As on 1st April, 1950	1,120	569	1,689
As on 1st April, 1951	1,285	672	1,957
As on 1st April, 1961	4,059	1,590	5,649
As on 1st April, 1971	7,901	3,326	11,227
As on 1st April, 1981	16,796	8,642	25,438
As on 1st April, 1991	36,862	22,136	58,998
As on 1st April, 2001	51,603	44,789	96,392
As on 1st April, 2002	54,666	47,064	1,01,730
As on 1st April, 2003	60,619	49,637	1,10,256
As on 1st April, 2004	63,384	52,707	1,16,091
As on 1st April, 2005	68,052	55,494	1,23,546
As on 1st April, 2006	73,778	57,168	1,30,946
As on 1st April, 2007	81,049	58,792	1,39,841
As on 1st April, 2008	84,193	61,288	1,45,481
As on 1st April, 2009	89,682	63,918	1,53,600
As on 1st April, 2010	94,991	66,525	1,61,516
As on 1st April, 2011	1,01,636	68,974	1,70,610
As on 1st April, 2012	1,21,142	71,371	1,92,513
As on 1st April, 2013	1,42,473	74,633	2,17,106
As on 1st April, 2014	1,52,476	77,203	2,29,679
As on 1st April, 2015	1,60,708	79,266	2,39,974
As on 1st April, 2016	1,71,327	82,010	2,53,337
As on 1st April, 2017	1,81,585	88,722	2,70,307
As on 1st April, 2018	1,90,104	92,089	2,82,193

As on 1st April, 2019	1,92,857	98,841	2,91,698
As on 1st April, 2020	2,07,755	99,483	3,07,238
As on 1st April, 2021	2,23,344	1,03,737	3,27,081
As on 1st April, 2022	2,40,875	1,09,563	3,50,438
As on 1st April, 2023	2,66,497	1,12,122	3,78,619
As on 1st April, 2024	2,87,900	1,15,717	4,03,617
As on 1st April, 2025	3,03,710	1,19,394	4,23,104

STUDENTS REGISTERED

(From 31st March, 2010)

During the year	Foundation / CPT		PCC/IPCC & IIPCC/ Intermediate			Final / New Final		ATC	Total
	Foundation	CPT	PCC	IPCC & IIPCC	Intermediate	Final	New Final		
2009-10	-	1,67,073	1,860	80,745	-	24,172	-	3,376	2,77,226
2010-11	-	1,55,217	329	67,984	-	57,175	-	1,906	2,82,611
2011-12	-	1,61,712	-	85,053	-	47,515	-	2,099	2,96,379
2012-13	-	1,61,084	-	1,02,406	-	45,102	-	2,615	3,11,207
2013-14	-	1,54,742	-	96,285	-	39,348	-	3,209	2,93,584
2014-15	-	1,41,241	-	66,570	-	36,950	-	881	2,45,642
2015-16	-	1,25,140		77,962	-	31,669	-	1,249	2,36,020
2016-17	-	1,07,392		81,886	-	27,611	-	1,430	2,18,319
2017-18	9,788	73,804	-	22,657	63,693	26,291	14,056	-	2,10,289
2018-19	45,048	-	-	-	53,654	-	27,966	-	1,26,668
2019-20	63,228	-	-	-	87,949	-	67,090	-	2,18,267
2020-21	1,09,968	-	-	-	46,563	-	26,366	-	1,82,897
2021-22	1,21,365	-	-	-	69,967	-	32,527	-	2,23,859
2022-23	1,25,460	-	-	-	77,652	-	21,944	-	2,25,056
2023-24	1,38,378	-	-	-	98,791	-	34,719	-	2,71,888
2024-25	1,34,420	-	-	-	72,458		75495	-	2,82,373

COMPOSITION OF THE COUNCIL

President
CA. Charanjot Singh Nanda

Vice-President
CA. Prasanna Kumar D

Members of the Council
Elected Members
Western Region

CA. Vishnu Kumar Agarwal	Mumbai
CA. Jay Ajit Chhaira	Surat
CA. Piyush Sohanrajji Chhajed	Mumbai
CA. Chandrashekhar Vasant Chitale	Pune
CA. Vishal Doshi	Vadodara
CA. Arpit Jagdish Kabra	Mumbai
CA. Durgesh Kumar Kabra	Mumbai

	CA. Purushottamlal Khandelwal	Ahmedabad
	CA. Mangesh Pandurang Kinare	Thane
	CA. Priti Savla	Mumbai
	CA. Umesh Sharma	Aurangabad
	Southern Region	
	CA. Babu Abraham Kallivayalil	Kochi
	CA. Dayaniwas Sharma	Hyderabad
	CA. Madhukar Narayan Hiregange	Bengaluru
	CA. Sridhar Muppala	Hyderabad
	CA. Prasanna Kumar D	Visakhapatnam
Secretary to the Council	CA. Rajendra Kumar P	Chennai
CA. (Dr.) Jai Kumar Batra	CA. Sripriya Kumar	Chennai
Secretary	**Eastern Region**	
	CA. Ravi Kumar Patwa	Silchar
	CA. Sanjib Sanghi	Kolkata
	Central Region	
	CA. Rohit Ruwatia	Jaipur
	CA. Abhay Chhajed	Bhopal
	CA. (Dr.) Anuj Goyal	Ghaziabad
	CA. Satish Kumar Gupta	Jaipur
	CA. Gyan Chandra Misra	Ghaziabad
	CA. Pankaj Shah	Indore
	Northern Region	
	CA. Sanjay Kumar Agarwal	New Delhi
	CA. Hans Raj Chugh	New Delhi
	CA. Pramod Jain	New Delhi
	CA. Charanjot Singh Nanda	New Delhi
	CA. Rajesh Sharma	Delhi
	CA. (Dr.) Sanjeev Kumar Singhal	New Delhi
Government Nominee	**Government Nominee**	
	Joint Secretary(dealing with Professional Institutes), MCA	
	Shri Bala Murugan D., Joint Secretary Ministry of Corporate Affairs	
	Shri Manoj Kumar Sahu DII in O/o DGCoA, New Delhi	
	Shri Naveen Singhvi PD (Com.II), C&AG (C&AG Nominee)	
	Shri Sanjay Sharan Indian Postal Service Group A (1989)	New Delhi
	Justice (Former) Shashi Kant Gupta Allahabad High Court	
	Shri Mukhmeet Singh Bhatia, IAS-1990, (Retd)	New Delhi
	Shri Vinod Kumar Jindal Indian Cost Accounts Service (1988)	Ghaziabad

ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
105, FF, South Ex. Plaza – 1, 389,

S.K. MITTAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Mittal House,

Masjid Moth, South Extension Part-II,
New Delhi – 110049

E-29, South Extension Part-II,
New Delhi – 110049

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To The Council,

The Institute of Chartered Accountants of India

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of the Institute of Chartered Accountants of India ("the Institute"), which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2025, the Income and Expenditure Account, the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (herein after referred to as "financial statements") in which are incorporated the returns/financial statements audited by the branch auditors of the Institute's Decentralized offices, Overseas offices, Centres of Excellence, Regional Councils and their Branches.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Chartered Accountants Act, 1949 (as amended upto date) in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the Institute as at 31 March 2025, its surplus and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Our responsibilities under those standards are further described in the 'Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements' section of our report. We are independent of the Institute in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and those Charged with Governance for the Financial Statements

The Institute's Management and those Charged with Governance is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Institute in accordance with the Chartered Accountants Act, 1949 ("the Act"). This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Institute and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the management is responsible for assessing the Institute's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Institute or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are also responsible for overseeing the Institute's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion.

Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal controls.
- Obtain an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Institute's internal controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of the management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Institute's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Institute to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieve fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal controls that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Other Matters

a) There are number of study circles, study chapters authorized by the Institute to facilitate continuous professional education activities for members in India and abroad. The Institute has represented that these study circles/chapters are separate entities and accordingly their financials statements are not required to be consolidated. We have relied on this representation.

b) We did not audit the financial statements/information of the Institute's Decentralized Offices, Overseas Offices, Centers of Excellence, Regional Councils and their branches (collectively known as Branches) whose financial statements reflect total assets of Rs 1,33,459 Lakhs as at 31 March 2025, total revenue of Rs 18,299 Lakhs for the year ended 31 March 2025 and cash & cash equivalent of Rs 5,221 Lakhs as at 31

March 2025 as considered in the financial statements. The financial statements/information of these Branches have been audited by the Branch Auditors whose reports have been furnished to us by the management and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of such Branches, is based solely on the reports of Branch Auditors.

c) We did not audit the financial statements/information of the Institute's Singapore Branch and Yamuna Nagar Branch of Northern India Regional Council of the Institute which reflects total assets of Rs 47 Lakhs as at 31 March 2025, total revenue of Rs 51 Lakhs for the year ended 31 March 2025 and cash & cash equivalent of Rs 28 Lakhs as at 31 March 2025 as considered in the financial statements. Such financial statements/information are unaudited and have been furnished to us by the management and our report on the financial statement, in so far as it relates to the amount and disclosure is based solely on the unaudited financial statement/ information. According to the information and explanation given to us, this financial statements/ information is not material to the Institute.

Our opinion is not modified in respect of above matters.

Report on Other Regulatory Requirements

Further, we report that:

a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

b) In our opinion, proper books of account have been kept by the Institute so far as appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from the branches not visited by us.

c) The reports on the accounts of the branches of the Institute audited by branch auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report.

d) The Balance Sheet, the Statement of Income and Expenditure, and the Statement of Cash Flow dealt with by this Report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from the branches not visited by us.

For Arun K. Agarwal & Associates
Chartered Accountants
FRN : 003917N

Sd/-
CA. Lokesh Kumar Garg
Partner
M. No.: 413012
UDIN : 25413012BMKYID7229

For S. K. Mittal & Co.
Chartered Accountants
FRN : 001135N

Sd/-
CA. S. Murthy
Partner
M. No. : 072290
UDIN : 25072290BMITAE1070

Place: New Delhi
Date 30.07.2025

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi - 110 002

Balance Sheet as at 31st March 2025

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Note	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
I	**SOURCES OF FUNDS**			
	1 NPO Funds			
	(a) Unrestricted Funds			
	i) Reserves and Surplus	03	**1,93,097**	1,87,599
	ii) Designated Funds	04	**1,42,777**	1,40,024
	(b) Restricted Funds	05	**840**	789
			3,36,714	**3,28,412**
	2 Non-current liabilities			
	(a) Long-term liabilities	06	**7,591**	3,320
	(b) Long-term provisions	07	**6,686**	6,503
			14,277	**9,823**
	3 Current liabilities			
	(a) Payables	08	**9,360**	6,408
	(b) Other current liabilities	09	**48,603**	34,547
	(c) Short-term provisions	07	**2,985**	3,130
			60,948	**44,085**
	Total		**4,11,939**	**3,82,320**
II	**APPLICATION OF FUNDS**			
	1 Non-current assets			
	(a) Property, plant and equipment and intangible assets			
	(i) Property, plant and equipment	10	**78,176**	72,863
	(ii) Intangible assets	11	**379**	40
	(iii) Capital work in progress	12(a)	**10,618**	4,896
	(iv) Intangible assets under development	12(b)	**352**	487
	(b) Non-current investments	13(a)	**1,80,113**	1,83,390
	(c) Long term loans and advances	15	**1,614**	1,382
	(d) Other non-current assets	16	**345**	296
			2,71,597	**2,63,354**
	2 Current assets			
	(a) Current investments	13(b)	**-**	5,557
	(b) Inventories	14	**1,014**	1,270
	(c) Receivables	17	**5,073**	4,106
	(d) Cash and bank balances	18	**1,20,332**	94,695
	(e) Short term loans and advances	15	**6,832**	6,584
	(f) Other current assets	19	**7,091**	6,754
			1,40,342	**1,18,966**
	Total		**4,11,939**	**3,82,320**

The accompanying notes 1 to 33 are an integral part of the financial statements

For and on behalf of the Council

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA. Sudeep Shrivastava	CA. (Dr.) Jai Kumar Batra	CA. Prasanna Kumar D.	CA. Charanjot Singh Nanda
Additional Secretary (Finance & Accounts)	Secretary	Vice-President	President

As per our report of even date

For Arun K. Agarwal & Associates	For S. K. Mittal & Co.
Chartered Accountants	Chartered Accountants
FRN : 003917N	FRN : 001135N
Sd/-	Sd/-
CA. Lokesh Kumar Garg	CA. S. Murthy

Membership No. 413012
Partner

Membership No. 072290
Partner

Place: New Delhi
Dated: July 30, 2025

Income and Expenditure Account for the year ended 31st March 2025

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Note	For the year ended 31st March 2025	For the year ended 31st March 2024
I	**Income**			
	(a) Fees from rendering of services	20	**95,974**	84,207
	(b) Sale of publications and other items	21	**672**	2,393
	(c) Income from restricted funds	22	**64**	39
	(d) Other income	23	**21,590**	19,497
	Total Income (I)		**1,18,300**	**1,06,136**
II	**Expenditure**			
	(a) Cost of publications and other items	24	**698**	2,249
	(b) Employee benefits	25	**27,153**	14,555
	(c) Depreciation and amortization	26	**3,787**	3,411
	(d) Expense from restricted funds	27	**36**	23
	(e) Other expenses	28	**78,611**	66,592
	Total Expenditure (II)		**1,10,285**	**86,830**
III	**Excess of Income over Expenditure for the year [I - II]**		**8,015**	**19,306**
	Appropriations :Transfer to Funds			
	a) Education Fund [Refer Note 2.06 (ii)]		**1,892**	7,773
	b) Employees Benevolent Fund [Refer Note 2.06 (iii)]		**51**	98
	c) Infrastructure Reserve [Refer Note 2.06 (iv)]		**254**	409
	d) Designated Funds (net of expenses) [Refer Note 2.06 (vi)]		**4,090**	7,897
	e) Restricted Funds (net of expenses) [Refer Note 2.06 (vi)]		**28**	16
	f) Information Technology Training Reserves [Refer Note 2.06 (vii)]		**705**	1,282
	g) Sinking Fund [Refer Note 2.06 (viii)]		**995**	1,831
	Total		**8,015**	**19,306**

The accompanying notes 1 to 33 are an integral part of the financial statements

For and on behalf of the Council

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA. Sudeep Shrivastava	CA. (Dr.) Jai Kumar Batra	CA. Prasanna Kumar D.	CA. Charanjot Singh Nanda
Additional Secretary (Finance & Accounts)	Secretary	Vice-President	President

As per our report of even date

For Arun K. Agarwal & Associates
Chartered Accountants
FRN : 003917N

Sd/-

For S. K. Mittal & Co.
Chartered Accountants
FRN : 001135N

Sd/-

CA. Lokesh Kumar Garg
Membership No. 413012
Partner

CA. S. Murthy
Membership No. 072290
Partner

Place: New Delhi
Dated: July 30, 2025

Statement of Cash Flow for the year ended 31st March 2025

(₹ in Lakhs)

	Particulars	For the year ended 31st March 2025	For the year ended 31st March 2024
I	**Cash Flow from Operating Activities**		
	Net surplus after prior period adjustments	**8,015**	19,306
	Adjustments for:		
	-Depreciation and amortisation expense	**3,787**	3,411
	-Provision for expenses of earlier years credited	**(540)**	(397)
	-Provision no longer required written back	**(188)**	-
	-Provision for employee retirement benefits	**116**	828
	-Provision for branch employee scheme	**(7)**	(310)
	-Provision for doubtful advances	**116**	(269)
	-Provision for obsolete publication stock	**(197)**	145
	-Interest income	**(20,127)**	(18,279)
	Operating surplus before working capital changes	**(9,025)**	**4,435**
	Changes in Working Capital:		
	Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:		
	-Inventories	**256**	(478)
	-Long-term loans and advances	**(232)**	48
	-Short-term loans and advances	**(248)**	(267)
	-Other current assets	**(886)**	(1,160)
	Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:		
	-Long-term liabilities	**4,271**	1,355
	-Payables	**2,952**	2,199
	-Other current liabilities	**14,206**	6,359
	-Short-term provisions	**657**	237
	Net Cash generated from operating activities (A)	**11,951**	**12,728**
II	**Cash Flow from Investing Activities**		
	-Sale / redemption / (purchase) of non-current investments	**3,277**	16,565
	-Sale / redemption / (purchase) of current investments	**5,557**	(114)
	-Capital expenditure on property, plant and equipment [including CWIP (net)]	**(15,258)**	(7,844)
	-Proceeds from sale of property, plant and equipment	**82**	484
	-Interest income received	**19,741**	21,785
	Net Cash from/(used in) investing activities (B)	**13,399**	**30,876**
III	**Cash Flow from Financing Activities**		
	-Contribution received	**287**	406
	Net Cash from/(used) financing activities (C)	**287**	**406**
	Net Increase / (Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)	**25,637**	44,010
	Cash and Cash Equivalents at beginning of the year	**94,695**	50,685
	Cash and Cash Equivalents at closing of the year	**1,20,332**	**94,695**

The accompanying notes 1 to 33 are an integral part of the financial statements

For and on behalf of the Council

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA. Sudeep Shrivastava	CA. (Dr.) Jai Kumar Batra	CA. Prasanna Kumar D.	CA. Charanjot Singh Nanda
Additional Secretary (Finance & Accounts)	Secretary	Vice-President	President

As per our report of even date

For Arun K. Agarwal & Associates Chartered Accountants FRN : 003917N	For S. K. Mittal & Co. Chartered Accountants FRN : 001135N
Sd/- CA. Lokesh Kumar Garg Membership No. 413012 Partner	Sd/- CA. S. Murthy Membership No. 072290 Partner

Place: New Delhi
Dated: July 30, 2025

Notes forming part of the Financial Statements for the year 2024-25

1. General Information

The Institute of Chartered Accountants of India ("the Institute or ICAI"), having its Head Office at New Delhi, was established on 1st July 1949 by an Act of Parliament viz. The Chartered Accountants Act, 1949 for the purpose of regulation and development of the profession of Chartered Accountants in India. In terms of the said Act, the Council of the Institute is entrusted with the task of managing the affairs of the Institute. For this purpose, the Council has constituted 5 Regional Councils, one each at Mumbai, Kolkata, Kanpur, Chennai and New Delhi, 5 Decentralised Offices, 2 Centres of Excellence, 177 branches and 2 overseas offices in Dubai & Singapore.

2. Significant Accounting Policies

2.01 Basis of Preparation

The financial statements comprising Balance Sheet, Statement of Income and Expenditure Account, Statement of Cash Flow and Notes thereon are prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) and The Chartered Accountants Act,1949. Indian GAAP here comprises of the accounting standards and other pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The financial statements are prepared on historical cost convention, going concern and on accrual basis unless other wise stated. The accounting polices adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those followed in the previous year, unless stated otherwise.

2.02 Use of Estimates

The preparation of the financial statements in conformity with Indian GAAP requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses of the year. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from the estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognised in the periods in which the results are known / materialised.

2.03 Inventories

Inventories comprise publications, study materials, stationery and other stores. Inventories are valued at the lower of cost based on first in first out method ("FIFO") and the net realisable value after providing for obsolescence and other losses, where considered necessary.

Cost includes all charges in bringing the goods to the point of sale, including other levies, transit insurance and incidental charges.

2.04 Cash and cash equivalents

Cash comprises cash on hand. Cash equivalents are short-term balances (with an original maturity of three months or less from the date of acquisition), highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value. Fixed Deposits with original maturity of less than three months are considered as cash and cash equivalents. Deposits with original maturity for more than 3 months but less than 12 months are considered as bank deposits under "Other bank balances".

2.05 Statement of Cash Flow

Cash flows are reported using the indirect method, whereby net surplus is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Institute are segregated based on the available information.

2.06 Appropriation to Reserves/Funds

i) Donations received for buildings are appropriated to income and expenditure account and then credited to the Infrastructure Reserve account.

ii) 25% of the Distance Education Fee, not exceeding 50% of the net surplus of the year is transferred to Education Fund.

iii) 0.75% of Membership Fee (Annual and Certificate of Practice Fee) due on accrual basis is transferred to the Employees' Benevolent Fund.

iv) Entrance & Admission Fee:

- 2/3rd portion of the entrance fee from Associate members and Admission Fee from Fellow Members is taken to Infrastructure Reserve Account ;

v) From the designated funds the following transfers are made to Education Reserve Account:

a)	From Accounting ResearchBuilding Fund	100% of cost of additions (net of deductions if any) to Building Fund relating to Accounting Research Building Fund.
b)	From Education Fund	50% of cost of additions (net of deductions if any) to Fixed Assets.

However, the appropriations to the aforesaid various reserves/funds is done on pro-rata basis by restricting the same to the amount of available surplus.

vi) Income from investments is allocated based on opening balances of the respective Designated and Restricted Funds on weighted average basis.

vii) 25% of the Information Technology Training (ITT)/Advance Information Technology Training course Fee received during the year is transferred to ITT Reserve for replacement of computers and other ITT centre infrastructure.

(viii) A sum equal to depreciation for the year (excluding amount transferred to the ITT Reserve) is transferred to Sinking Fund for repair and replacement of assets.

(ix) The contribution to the restricted funds is directly taken to the Funds treating it as Corpus.

2.07 Property, Plant and Equipment

Property, Plant and Equipment is recognised when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Institute and the cost of the item can be measured reliably. Property, Plant and Equipment are carried at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. The cost of Property, Plant and Equipment comprises its purchase price net of any trade discounts and rebates, import duties and other taxes (other than those subsequently recoverable from the tax authorities), directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use. Other incidental expenses and interest on borrowings attributable to acquisition of

qualifying Property, Plant and Equipment up to the date the asset is ready for its intended use are also capitalised.

2.08 Intangible Assets

Intangible assets are carried at cost less accumulated amortisation and accumulated impairment losses, if any. The cost of intangible assets comprises its purchase price net of any trade discounts and rebates, import duties and other taxes (other than those subsequently recoverable from the tax authorities), directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use, other incidental expenses and interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying assets up to the date the asset is ready for its intended use. Subsequent expenditure on intangible assets after its purchase / completion is capitalised only if such expenditure results in an increase in the future benefits from such asset beyond its previously assessed standard of performance.

2.09 Capital Work in Progress

Expenditure incurred on construction/ development of assets which is not ready for their intended use is carried at cost less impairment, if any, under Capital Work-in-Progress. The cost includes the purchase cost including import duties, non-refundable taxes, if any, and directly attributable costs.

2.10 Depreciation and amortization

A) Depreciable amount for assets is the cost of an asset, or other amount substituted as cost.

Depreciation on Property, Plant and Equipment is provided monthly prorata on the written down value method at the following rates as approved by the Council.

Class of Property, Plant and Equipment		**Rate of Depreciation**
i)	Buildings	5%
ii)	Lifts, electrical installations, solar panels and fittings	10%
iii)	Computers	60%
iv)	Furniture and fixtures	10%
v)	Air conditioners and office equipments	15%
vi)	Vehicles	20%
vii)	Library books purchased during the year are depreciated at 100%	

B) Carrying amount of building on Leasehold land is amortised over the lease term .

C) Intangible assets are amortised on straight line method over three years.

2.11 Revenue recognition

The Revenue is recognised as follows:

i) Distance education fee received from the students is recognised by proportionate completion method over the duration of the respective courses.

ii) Class room training fee comprises fee received for Management Communication Skills Course ("MCS"), Integrated Course on Information Technology & Soft Skills ("ICITSS"), Advanced Integrated Course on Information Technology & Soft Skills ("AICITSS") and Orientation Programme ("OP").The income for classroom training and revisionary classes is recognised when services are rendered and related costs are incurred.

iii) Examination fee is recognised as revenue when the Institute renders the related service i.e. when the examinations are conducted.

iv) Seminar fee is recognised as revenue when the Institute renders the related service i.e. when the seminars are conducted.

v) Membership fee comprising of annual membership fee (including fee for certificate of practice and restoration fee) and entrance fee is recognised as under:

a) Annual membership fee (including fee for certificate of practice) is recognised as income when it becomes due for the year. Restoration of membership fee is recognised when it is received.

b) Entrance & Admission Fee:

- Entrance fee from associate members and admission fee from fellow members is recognised as income at the time of admission.

vi) Revenue from post qualification and certificate course is recognised in the period in which services are rendered.

2.12 Other income

A.1

a) Income from sale of publications and other related items are recognised when the risk and rewards are transferred to the buyer which normally coincide with delivery of goods.

b) Income from students news letter and journal subscription is recognised on pro-rata basis over the period of subscription.

c) Income from campus interviews and expert advisory fee are recognised when services are rendered and related costs are incurred.

d) Interest Income is recognised on a time apportionment basis.

e) Donations received during the year for buildings are recognised in the year of receipt.

f) Out of the fee received from the students towards Students Registration Fee, a sum of ₹ 250 per student in respect of students registered after 1st April, 2009, is remitted to Chartered Accountants Students Benevolent Fund

g) Contributions received from Members towards Chartered Accountants Benevolent Fund (CABF) is recorded as payable and likewise disbursements made to members towards claims of financial assistance paid on its behalf is recorded as receivable. Accounts with CABF are settled on a regular basis.

h) In case of cancellation before commencement of the Certificate/ Post Qualification Course/Diploma Course, 10% of the fee is deducted and in case the course has commenced, no fee is refunded but the member is given an option to attend remaining part of the course in subsequent batches.

2.13 Investment

a) The Institute's investments comprise of instruments in the form of domestic government securities issued by Central and State Governments, fixed deposits with scheduled banks domiciled in India and shares in Not-for-Profit entities.

b) Investments are classified as current and long term investments in accordance with AS 13 Investments. Current investments are those that are readily realisable and intended to be held for not more than one year from the date on which such investments are made. A long term investment is an investment other than a current investment.

c) Investments are initially recorded at cost and the cost includes acquisition costs such as brokerage, fees and duties. Accrued interest paid at the time of purchase is setoff against receipt of interest.

d) Investments in the form of domestic government securities issued by Central and State Governments are available for use freely at the discretion of the Council except to the extent of total of the earmarked funds.

e) At each balance sheet date, current investments are carried at lower of cost and fair value. The fair value is determined on an individual basis. The long term investments are usually carried at cost. However,when there is a decline, other than temporary, in the value of a long term investment, the carrying amount is reduced to recognise the decline. The premium paid at the time of purchase is amortised over the remaining maturity of the investments. Amortisation of premium is adjusted against the income under head 'Interest from Investments.

2.14 Foreign Currency Transaction

Transactions in foreign currencies are accounted at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

Foreign currency monetary items outstanding at the balance sheet date are restated at the year- end rates. Non-monetary items are carried at historical cost.

Exchange differences arising on settlement / restatement of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised as income or expense in the Statement of Income and Expenditure.

2.15 Employee benefits

Employee benefits include provident fund, gratuity fund, compensated absence, long service awards, pension scheme and post-employment medical benefits.

i) **Short term employee benefits**

The undiscounted amount of short-term employee benefits (i.e. salary, allowances, exgratia etc) expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the year when the employees render the service. The short-term employee benefits are expected to occur within twelve months after the end of the period in which the eligible employee renders the related service.

The cost of short-term compensated absences is accounted as under :

a) In case of accumulated compensated absences, when employees render the service that increase their entitlement of future compensated absences; and

b) In case of non-accumulating compensated absences, when the absences occur.

ii) **Post-employment benefits**

Post-employment benefits are the benefits to eligible employees, other than termination benefits, which are payable after the completion of employment. Accounting of post- employment benefits depends upon the classification of relevant plans as either defined benefit plan (DBP) or defined contribution plan (DCP). The post-employment benefit plans where the Institute pays fixed contributions into a separate entity or fund and it will have no obligation to pay further contributions if the separate entity or fund does not hold sufficient assets to all employee benefits relating to employee service in the current and prior period. On the other hand, post-employment benefit plans other than those classified as DCP are classified as DBP.

A.2 Defined Benefits Plans

a) Gratuity

For defined benefit plans in the form of gratuity, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains and losses are recognised in the Statement of Income and Expenditure in the period in which they occur. Past service cost is recognised immediately to the extent that the benefits are already vested and otherwise is amortised on a straight-line basis over the average period until the benefits become vested. The retirement benefit obligation recognised represent the present value of the defined benefit obligation as adjusted for unrecognised past service cost, as reduced by the fair value of scheme assets. Any asset resulting from this calculation is limited to past service cost, plus the present value of available refunds and reductions in future contributions to the schemes. Gratuity liability is funded with Life Insurance Corporation of India.

b) Provident Fund

The contribution towards provident fund scheme to The Institute of Chartered Accountants of India Provident Fund Trust ('the Trust') is considered as defined benefit plan and charged as an expense based on the amount of contribution required to be made and when services are rendered by the eligible employees. The Trust is managed by the governing body elected by the Institute and settles claim of the employees as and when they arise. Any shortfall arising out of actuarial liability of the PF Trust and any shortfall in return on investment during the year as per the valuation report is claimed by the trust and is paid by the Institute.

The present value of the defined benefit obligations are ascertained by an independent actuary as per the requirements of Accounting Standard (AS) - 15 Employee Benefits.

c) Pension scheme

The Institute offers its eligible employees benefits in the form of pension. The present value of the obligation as at the balance sheet date is recognised based on the actuarial valuation. Pension liability is funded with Life Insurance Corporation of India.

d) Post retirement medical scheme benefit to retired employees and spouse

The Institute offers employee benefits to its retired employees in the form of medical scheme.

e) Other Long-term employee benefits- Compensated Absences

Compensated absences which are not expected to occur within twelve months after the end of the period in which the employee renders the related service are recognised as a liability at the present value of the defined benefit obligation as at the balance sheet date based on the actuarial valuation.

2.16 Leases

The Institute classifies the leases as Finance and Operating Lease for accounting and disclosure purposes. The leases where the Institute assumes substantially all the risks and rewards of the ownership are classified as finance leases. The leases where the lessor and not the Institute assumes substantially all the risks and rewards of the ownership are classified as operating leases.

Lease rental under operating leases are recognised in the statement of income and expenditure on straight-line basis over the lease term. In case of Finance Lease, assets are capitalised at lower of fair value of the leased asset and present value of minimum lease payments. The lease payments are apportioned between the finance charge and repayment of lease liability. Leased assets are depreciated over the shorter of lease term or useful life of the asset.

2.17 Impairment of Property, Plant and Equipment and intangible assets

The carrying value of assets at each balance sheet date are reviewed for impairment. If any indication of impairment exists, the recoverable amount of such assets is estimated and impairment recognised, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the net selling price and their value in use. Value in use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor. When there is indication that an impairment loss recognised for an asset in earlier accounting periods no longer exists or may have decreased, such reversal of impairment loss is recognised in the statement of income and expenditure.

2.18 Taxes on income

The Institute is registered under section 10(23C)(iv) of the Income Tax Act, 1961. As such, no provision for current income tax and deferred tax is considered necessary.

2.19 Provisions and Contingencies

A provision is recognised when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made.

Contingent liability is a possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Institute, or is a present obligation that arises from past event but is not recognised because either it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made. Contingent liabilities are disclosed and not recognised.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed.

NOTE # 03 Reserves and Surplus

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31st	General Reserve	Education Reserve	Infrastructure Reserve	ITT Reserve	Other Reserve	Total
Balance at the beginning of the year	**2025**	**1,10,974**	**56,783**	**8,546**	**10,249**	**1,047**	**1,87,599**
	2024	**1,11,024**	**54,031**	**8,112**	**8,967**	**1,037**	**1,83,171**
Add: Appropriation from Income and Expenditure Account	**2025**	-	-	254	705	-	**959**
	2024	-	-	409	1,282		**1,691**

Transfer from / (to) General Reserve, Infrastructure Reserve and Other Reserve	**2025**	-	-	-	-	-	-
	2024	(35)	-	25	-	10	-
Transfer from / (to) Designated Funds	**2025**	(57)	4,627	(1)	-	(30)	**4,539**
	2024	(15)	2,752	-	-	-	**2,737**
Balance at the end of the year	**2025**	**1,10,917**	**61,410**	**8,799**	**10,954**	**1,017**	**1,93,097**
	2024	**1,10,974**	**56,783**	**8,546**	**10,249**	**1,047**	**1,87,599**

NOTE # 04 Designated Funds

(₹ inLakhs)

Particulars	**As at March 31st**	**Research Fund**	**Accounting Research Building Fund**	**Education Fund**	**Students Scholarship Fund**	**Sinking Fund for repair and replacement of assets**	**Employees Benevolent Fund**	**Other Funds of Regional Councils & Branches**	**Total**
Balance at the beginning of the year	**2025**	**3,901**	**1,392**	**71,922**	**11,794**	**41,305**	**1,825**	**7,885**	**1,40,024**
	2024	**3,639**	**1,278**	**62,446**	**11,531**	**36,844**	**1,613**	**7,468**	**1,24,819**
Add: Appropriation from Income and Expenditure Account	2025			1,892		995	51		**2,938**
	2024			7,773		1,831	98		**9,702**
Transfer from / (to) General Reserve and Surplus	2025	-	-	(4,627)	-	-	-	88	**(4,539)**
	2024	-	-	(2,752)	-	-	-	15	**(2,737)**
Contribution received / Addition during the year	2025	-	-	-	-	-	-	264	**264**
	2024	-	-	-	-	-	-	343	**343**
Interest income during the year appropriated through Income and Expenditure	2025	154	98	2,735	448	1,571	69	17	**5,092**
	2024	262	114	4,455	823	2,630	115	59	**8,458**

Account									
Utilised during the year	2025	-	-	-	(969)	-	(33)	-	**(1,002)**
	2024	-	-	-	(560)	-	(1)	-	**(561)**
Balances at the end of the year	**2025**	**4,055**	**1,490**	**71,922**	**11,273**	**43,871**	**1,912**	**8,254**	**1,42,777**
	2024	**3,901**	**1,392**	**71,922**	**11,794**	**41,305**	**1,825**	**7,885**	**1,40,024**

A.3 **NOTE # 05 Restricted Funds** (₹ inLakhs)

Particulars	**As at March 31st**	**Medals and Prizes Fund for Students**	**Students Endowment Fund**	**Total**
Balance at the beginning of the year	**2025**	**446**	**343**	**789**
	2024	**420**	**290**	**710**
Contribution received / Addition during the year	2025	21	2	**23**
	2024	19	44	**63**
Interest income during the year appropriated through Income and Expenditure Account	2025	36	28	**64**
	2024	22	17	**39**
Utilised during the year	2025	(17)	(19)	**(36)**
	2024	(15)	(8)	**(23)**
Balances at the end of the year	**2025**	**486**	**354**	**840**
	2024	**446**	**343**	**789**

Note # 06 Long-term liabilities	**As at 31st March 2025**	**As at 31st March 2024**
(a) Distance education fee	**6,330**	2,290
(b) Membership fee	**1,261**	1,030
Total Other long-term liabilities	**7,591**	**3,320**

(₹ inLakhs)

Note # 07 Provisions	**Long term**		**Short term**	
	As at 31st March 2025	**As at 31st March 2024**	**As at 31st March 2025**	**As at 31st March 2024**
(a) Provision for employee benefits				
(i) Provision for leave encashment	**6,686**	6,503	**614**	681
(ii) Provision for gratuity	**-**	-	**-**	39
(iii) Provision for branch employees	**-**	-	**247**	254

(b) Other provisions (i) Non Capital Expenditure	**-**	-	**2,124**	2,156
Total Provisions	**6,686**	**6,503**	**2,985**	**3,130**

(₹ inLakhs)

Note # 08 Payables	**As at 31st March 2025**	**As at 31st March 2024**
(a) Total outstanding dues of micro, small & medium enterprises	**1,411**	2,019
(b) Total outstanding dues of creditors other than micro, small and medium enterprises	**7,949**	4,389
Total payables	**9,360**	**6,408**

Disclosure relating to suppliers registered under MSMED Act, 2006 based on the information available with the entity :

Particulars	**As at 31st March 2025**	**As at 31st March 2024**
(a) Amount remaining unpaid to any supplier at the end of each accounting year:		
Principal	1,411	2,019
Interest	0.06	0.25
(b) The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the MSMED Act, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year.	54	111
(c) The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the MSMED Act.	-	-
(d) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year.	0.60	0.73
(e) The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the MSMED Act.	**-**	**-**

(₹ inLakhs)

Note # 09 Other current liabilities	**As at 31st March 2025**	**As at 31st March 2024**
(A) Fees received in advance		
(i) Distance Education Fee	**17,894**	15,931
(ii) Membership Fee	**615**	630
(iii) Examination Fees	**7,192**	8,897
(iv) Seminar fees:		
a) Members	**140**	161
b) Students	**8**	5
(v) Revisionary Classes	**62**	118
(vi) Class room training fees :		

a) Information Technology Training	**488**	585
b) General Management and Communication Skills	**146**	196
c) Orientation	**267**	295
(vii) Post Qualification Courses	**120**	94
(viii) Certificate Courses	**371**	128
(ix)Disciplinary Fees	**3**	11
(x) Others	**153**	156
Sub-Total (A)	**27,459**	**27,207**
(B) Other liabilities		
(i) Payable for Capital Items	**2**	152
(ii) Provident fund and professional tax payable	**407**	272
(iii)Goods and Service tax payable	**927**	1,288
(iv) TDS payable	**887**	732
(v) Payable for gratuity and pension [Refer Note 2.15 (ii) (a & c)	**16,151**	2,971
(vi) Security and earnest money deposit	**1,690**	1,247
(vii) Other payables	**1,080**	678
Sub-Total (B)	**21,144**	**7,340**
Total Other current liabilities	**48,603**	**34,547**

Note # 10 Property, Plant and Equipment

(₹ inLakhs)

Particulars /Assets	**TANGIBLE ASSETS**									
	Freehold land	**Leasehold land**	**Buildings**	**Computers**	**Office equipment & Air Conditioners**	**Furniture & Fixtures**	**Lift, Electrical Installations & Fittings**	**Vehicles**	**Library Books**	**Total**
Gross Block										
As at 1st April 2024	20,982	12,050	51,461	8,453	7,775	6,646	3,045	190	1,142	1,11,744
Additions during the year	570	1,669	3,337	1,107	1,694	841	1,063	2	15	10,298
Deductions/Adjustments		(1,315)	(4)	(94)	(113)	(29)	(16)	(1)	-	(1,572)
As at 1st April 2023	21,196	13,611	46,117	8,109	6,988	6,107	2,812	189	1,122	1,06,251
Additions during the year	538	2,366	5,344	357	807	555	255	1	20	10,243
Deductions/Adjustments	(752)	(3,927)	-	(13)	(20)	(16)	(22)	-		(4,750)
As at 31st March 2025	**21,552**	**12,404**	**54,794**	**9,466**	**9,356**	**7,458**	**4,092**	**191**	**1,157**	**1,20,470**
As at 31st March 2024	**20,982**	**12,050**	**51,461**	**8,453**	**7,775**	**6,646**	**3,045**	**190**	**1,142**	**1,11,744**
Depreciation/Adjustments										
As at 1st April 2024		1,794	17,223	7,940	5,100	3,722	1,836	124	1,142	38,881
Depreciation during the year		207	1,752	563	539	323	165	13	15	3,577
Deductions/Adjustments		-	(2)	(99)	(47)	(8)	(7)	(1)	-	(164)
As at 1st April 2023		1,608	15,698	7,432	4,706	3,435	1,715	108	1,122	35,824
Depreciation during the year		186	1,665	510	397	288	121	16	20	3,203
Deductions/Adjustments		-	(140)	(2)	(3)	(1)	-	-		(146)
As at 31st March		**2,001**	**18,973**	**8,404**	**5,592**	**4,037**	**1,994**	**136**	**1,157**	**42,294**

2025										
As at 31st March 2024		**1,794**	**17,223**	**7,940**	**5,100**	**3,722**	**1,836**	**124**	**1,142**	**38,881**
Net Block										
As at 31st March 2025	**21,552**	**10,403**	**35,821**	**1,062**	**3,764**	**3,421**	**2,098**	**55**	-	**78,176**
As at 31st March 2024	**20,982**	**10,256**	**34,238**	**513**	**2,675**	**2,924**	**1,209**	**66**	-	**72,863**

* The deductions include assets transferred from lease hold land to other assets

(₹ in Lakhs)

Note # 11 Intangible Assets

Particulars /Assets	**Total**
Gross Block	
As at 1st April 2024	1,446
Additions during the year	548
Deductions/Adjustments	(21)
As at 1st April 2023	1,436
Additions during the year	13
Deductions/Adjustments	(3)
As at 31st March 2025	**1,973**
As at 31st March 2024	**1,446**
Amortization/Adjustment	
As at 1st April 2024	1,406
Amortization during the year	210
Deductions/Adjustments	(22)
As at 1st April 2023	1,201
Amortization during the year	208
Deductions/Adjustments	(3)
As at 31st March 2025	**1,594**
As at 31st March 2024	**1,406**
Net Block	
As at 31st March 2025	**379**
As at 31st March 2024	**40**

Note # 12 Work in Progress

(₹ in Lakhs)

a)	**Capital Work in Progress**	**As at 31st March 2025**	**As at 31st March 2024**
	Opening Balance	4,896	3,588
	Add: Additions during the year	6,052	3,156
	Less: Capitalized during the year	(330)	(1,848)
	Closing Balance	10,618	4,896

b)	**Intangible assets under development**	**As at 31st March 2025**	**As at 31st March 2024**
	Opening Balance	487	10
	Add: Additions during the year	352	477
	Less: Capitalized during the year	(487)	-
	Closing Balance	352	487

Note# 13 Investments (₹ in Lakhs)

A-I) Non Current Investments (valued at historical cost unless stated otherwise)	Book Value	As at 31st March 2025		As at 31st March 2024	
		Units/ Shares	Book Value	Units/ Shares	Book Value
I) Trade Investments					
Investments in equity instruments					
i) Institute of Insolvency Professionals of ICAI	**100**	10,00,000	**1,000**	10,00,000	1,000
Ordinary shares of Rs. 100 each					-
ii) Investment ICAI Registered Valuers Organisation	**100**	10,000	**10**	10,000	10
iii) Investment ICAI Social Auditors of India	**100**	1,99,990	**200**	1,99,990	200
Sub-Total		**12,09,990**	**1,210**	**12,09,990**	**1,210**
Other Investments					
(ii) Investments in government or trust securities					
i) Central Government Securities					
1 6.67% GOI 2050 (1)	**98.85**	**25,00,000**	**2,471**	25,00,000	2,470
2 6.67% GOI 2050 (2)	**96.23**	**30,00,000**	**2,887**	30,00,000	2,883
3 6.67% GOI 2050 (3)	**94.92**	**20,00,000**	**1,898**	20,00,000	1,894
4 6.67% GOI 2050 (4)	**97.02**	**10,00,000**	**970**	10,00,000	969
5 6.67% GOI 2050 (5)	**95.68**	**75,00,000**	**7,176**	75,00,000	7,164
6 6.67% GOI 2050 (6)	**96.55**	**30,00,000**	**2,897**	30,00,000	2,893
7 6.67% GOI 2050 (7)	**93.48**	**50,00,000**	**4,674**	50,00,000	4,661
8 6.67% GOI 2050 (8)	**93.47**	**15,00,000**	**1,402**	15,00,000	1,398
9 6.67% GOI 2050 (9)	**93.47**	**50,00,000**	**4,674**	50,00,000	4,661
10 6.76% GOI 2061	**97.40**	**10,00,000**	**974**	10,00,000	973
11 6.99% GOI 2051	**93.68**	**25,00,000**	**2,342**	25,00,000	2,336
12 7.16% GOI 2050	**107.06**	**10,00,000**	**1,071**	10,00,000	1,073
13 7.26% GSEC JAN' 29	**102.71**	**75,00,000**	**7,703**	75,00,000	7,757
14 7.40% GOI 2035 (1)	**104.90**	**5,00,000**	**525**	5,00,000	527
15 7.40% GOI 2035 (2)	**106.27**	**5,00,000**	**531**	5,00,000	534
16 7.54% GOI 2036 (1)	**101.78**	**20,00,000**	**2,036**	20,00,000	2,039
17 7.54% GOI 2036 (2)	**101.78**	**15,00,000**	**1,527**	15,00,000	1,529
18 7.57% GS 2033	**106.89**	**50,00,000**	**5,344**	50,00,000	5,386
19 7.69% GOI 17/06/2043	**109.69**	**30,00,000**	**3,291**	30,00,000	3,307
20 7.69% GOI 2043	**108.40**	**25,00,000**	**2,710**	25,00,000	2,722
21 7.72% GOI 2049	**108.29**	**50,00,000**	**5,414**	50,00,000	5,432
22 7.73% GOI 2034	**109.09**	**5,00,000**	**545**	5,00,000	550
23 8.17% GOI 2044	**113.63**	**25,00,000**	**2,841**	25,00,000	2,858
24 8.17% GOVT STOCK 2044	**113.15**	**50,00,000**	**5,658**	50,00,000	5,691
25 8.24% GOI 2033	**111.24**	**5,00,000**	**556**	5,00,000	563
26 8.24% GOVT STOCK NOV'33	**111.15**	**50,00,000**	**5,557**	50,00,000	5,622
27 8.30% GOI 2042 (1)	**113.88**	**20,00,000**	**2,278**	20,00,000	2,293
28 8.30% GOI 2042 (2)	**113.65**	**10,00,000**	**1,136**	10,00,000	1,144
29 8.30% GOI 2042 (3)	**113.78**	**5,00,000**	**569**	5,00,000	573
30 8.30% GS 2042 (1)	**114.32**	**35,00,000**	**4,001**	35,00,000	4,030
31 8.30% GS 2042 (2)	**114.31**	**15,00,000**	**1,715**	15,00,000	1,727
32 8.30%GOI-2040	**113.21**	**45,00,000**	**5,094**	45,00,000	5,133
33 8.33% GOI 2036 (1)	**113.94**	**10,00,000**	**1,139**	10,00,000	1,152
34 8.33% GOI 2036 (2)	**113.96**	**19,00,000**	**2,165**	19,00,000	2,189
35 8.33% GOI 2036 (3)	**111.08**	**25,00,000**	**2,777**	25,00,000	2,802
36 8.83% GOI 2041 (1)	**118.11**	**10,00,000**	**1,181**	10,00,000	1,192
37 8.83% GOI 2041 (2)	**118.10**	**15,00,000**	**1,771**	15,00,000	1,788
38 8.83% GOVT.STOCK 2041	**120.91**	**10,00,000**	**1,209**	10,00,000	1,222
39 9.23% GOI 23/12/2043 (1)	**122.39**	**10,00,000**	**1,224**	10,00,000	1,236
40 9.23% GOI 23/12/2043 (2)	**122.41**	**10,00,000**	**1,224**	10,00,000	1,236
41 9.23% GOI 23/12/2043 (3)	**123.70**	**50,00,000**	**6,185**	50,00,000	6,248
42 9.23% GOI 23/12/2043 (4)	**123.05**	**20,00,000**	**2,461**	20,00,000	2,485
Sub-Total		**10,69,00,000**	**1,13,803**	**10,69,00,000**	**1,14,342**

Note# 13 Investments (₹ in Lakhs)

A-I) Non Current Investments (valued at historical cost unless stated otherwise)	Book Value	As at 31st March 2025		As at 31st March 2024	
		Units/ Shares	Book Value	Units/ Shares	Book Value
ii) State Government Securities					
1 6.61% MP SDL 2037	**99.21**	5,00,000	**496**	5,00,000	496
2 6.68% Haryana SDLs	**98.03**	25,00,000	**2,451**	25,00,000	2,447

3 7.88% AP SDL 2031	**105.21**	10,00,000	**1,052**	10,00,000	1,060
4 6.80% JK SDL 2035	**100.35**	5,00,000	**502**	5,00,000	502
5 6.99% WB SDL 2036	**101.23**	5,00,000	**506**	5,00,000	507
6 7.08% AP SDL 2035	**100.64**	10,00,000	**1,006**	10,00,000	1,007
7 7.43% HR 09/03/2041	**100.81**	5,00,000	**504**	5,00,000	504
8 6.96% TN SDL 2056	**97.70**	10,00,000	**977**	10,00,000	976
9 7.86% Assam SDL 2032 2	**99.99**	20,80,000	**2,080**	20,80,000	2,080
10 7.94% Haryana SDL 2034 2	**100.07**	19,50,000	**1,951**	19,50,000	1,951
11 7.50% HP SDL 2036 1	**100.29**	20,00,000	**2,006**	20,00,000	2,006
12 7.50% HP SDL 2036 2	**100.24**	10,00,000	**1,002**	10,00,000	1,003
13 7.85% MP SDL 2032 3	**101.89**	25,00,000	**2,547**	25,00,000	2,554
14 7.70% BR SGS 2031	**100.05**	50,00,000	**5,002**	50,00,000	5,003
15 7.62%Bihar SGS 2031	**99.68**	10,00,000	**997**	10,00,000	996
16 7.76% MP SDL 2037	**100.52**	2,94,300	**296**	2,94,300	296
17 7.74% RJ SDL 2039	**100.40**	26,61,100	**2,672**	26,61,100	2,673
18 7.76% AP SDL 2037	**100.59**	20,51,600	**2,064**	20,51,600	2,065
19 7.75% TS SDL 2037	**100.58**	44,19,100	**4,445**	44,19,100	4,447
20 7.46% MH 13/09/2033	**98.93**	50,00,000	**4,947**	50,00,000	4,940
21 7.81% Gujarat SGS 2032	**101.00**	50,00,000	**5,050**	50,00,000	5,056
22 7.77% AP SGS 2035	**100.25**	9,00,000	**902**	9,00,000	902
23 7.75% Rajasthan SGS 2036	**100.19**	24,00,000	**2,405**	24,00,000	2,405
24 7.70% UP SGS 2035	**99.75**	17,85,000	**1,781**	17,85,000	1,780
25 7.70% UP SGS 2035	**99.88**	11,60,000	**1,159**	11,60,000	1,159
26 7.75% UP SGS 2034	**100.16**	2,58,100	**259**	2,58,100	259
27 7.75% UP SGS 2034 1	**100.18**	5,00,000	**501**	5,00,000	501
28 7.75% UP SGS 2034	**100.19**	10,00,000	**1,002**	10,00,000	1,002
29 7.71% J&K SGS 2048	**99.33**	42,50,000	**4,222**	42,50,000	4,221
30 7.72% J&K SGS 2043	**99.62**	2,00,000	**199**	2,00,000	199
31 6.63% TN SDL 2035	**92.51**	30,00,000	**2,775**	30,00,000	2,754
32 7.93% TS SDL 2034	**101.23**	5,00,000	**506**	5,00,000	507
33 7.70% UP SDL 2034	**100.16**	5,00,000	**501**	5,00,000	501
Sub-Total		**5,89,09,200**	**58,765**	**5,89,09,200**	**58,759**
			-		-
Total (Trade & Other) Investments		**16,70,19,190**	**1,73,778**	**16,70,19,190**	**1,74,311**
Aggregate market value as at the end of the year:					
Aggregate amount of quoted investments and market value thereof.			1,76,721		1,77,512
		-	1,76,721	-	1,77,512

(₹ in Lakhs)

A-II) Non Current Fixed Deposits		**As at 31st March 2025**		**As at 31st March 2024**	
			Value		**Value**
(a) Earmarked Bank Deposits more than one year			**-**		**109**
(b) Fixed Deposits with original maturity of more than one year			**6,335**		**8,970**
A-II) Total Non Current Fixed Deposits			**6,335**		**9,079**
Total Non-Current Investments (AI + AII)		**16,70,19,190**	**1,80,113**	**16,70,19,190**	**1,83,390**

B) Current Investments	**Book Value**	**As at 31st March 2025**		**As at 31st March 2024**	
		Units/ Shares	**Book Value**	**Units/ Shares**	**Book Value**
(a) **Investments in government or trust securities**					
i) **State Government Securities**					
1 8.45% Karnataka SDL 2024	-	**-**	**-**	30,00,000	3,007

2 8.45% Karnataka SDL 2024 2	-	-	-	20,00,000	2,004
3 8.18% Haryana SDL UDAY 2024	-	-	-	45,000	45
4 9.01% Karnataka SDL 2024	-	-	-	5,00,000	501
Net current investments – Quoted		**-**	**-**	**55,45,000**	**5,557**

Note # 14 Inventories	**As at 31st March 2025**	**As at 31st March 2024**
(a) Publication & Study Materials	**1,284**	1,342
Less : Provision for obsolete publication stock	**(301)**	(104)
(b) Stationery & stores	**31**	32
Total	**1,014**	1,270

Note # 15 Loans and advances	**Long Term**		**Short Term**	
	As at 31st March 2025	**As at 31st March 2024**	**As at 31st March 2025**	**As at 31st March 2024**
(a) Loans and advances				
(i) Employees	**1,440**	1,225	**365**	359
(ii) Other	-	-	**216**	147
Sub-Total-(a)	**1,440**	1,225	**581**	506
(b) Other loans and advances				
(i) Prepaid expenses	**-**	-	**1,234**	940
(ii) Tax deducted at source receivable	**-**	-	**2,383**	2,234
(iii) GST on advance received from members	**174**	157	**201**	156
(iv) GST input credit receivable	**-**	-	**1,688**	2,122
(v) Security Deposits	**-**	-	**745**	626
Sub-Total-(b)	**174**	**157**	**6,251**	**6,078**
Total (a+b)	**1,614**	**1,382**	**6,832**	**6,584**

Note # 16 Other non-current assets	**As at 31st March 2025**	**As at 31st March 2024**
(a) Interest accrued but not due on deposits		
i) Interest Accrued-Staff	**345**	296
Total	**345**	**296**

Note # 17 Receivables	**As at 31st March 2025**	**As at 31st March 2024**
(a) Receivable from Constituents	**1,884**	1,466
Less: Provision for doubtful receivables	**(834)**	(950)
(b) Electronic Cash and Credit (GST)	**3,007**	2,695
(c) Others	**1,016**	895
Total	**5,073**	**4,106**

Note # 18 Cash and Bank Balances	**As at 31st March 2025**	**As at 31st March 2024**
A **Cash and cash equivalents**		
(a) Cash in hand	**18**	23

	Sub-Total (A)	**18**	**23**
B	**Other bank balances**		
(a)	Earmarked Bank Deposits	**7,385**	6,645
(b)	Deposits with original maturity for more than 3 months but less than 12 months	**1,01,557**	80,416
(c)	Bank balances	**11,372**	7,611
	Sub-Total (B)	**1,20,314**	**94,672**
	Total (A + B)	**1,20,332**	**94,695**

Note # 19 Other current assets	**As at 31st March 2025**	**As at 31st March 2024**
(a) Interest accrued but not due on Investment		
i) Interest Accrued-Investment	**3,790**	3,956
(b) Interest accrued but not due on deposits		
i) Interest Accrued-Fixed Deposits with Banks	**3,230**	2,732
ii) Interest Accrued-Staff	**71**	66
Total	**7,091**	**6,754**

(₹ in Lakhs)

Note # 20 : Fees from Rendering of Services	**For the year ended 31st March 2025**	**For the year ended 31st March 2024**
a) Distance Education Fee	**34,908**	32,579
b) Students Registration fees	**887**	518
c) Class Room Training :		
i) Information Technology Training	**5,977**	5,372
ii) General Management and Communication Skills	**2,506**	2,464
iii) Orientation	**3,789**	2,969
d) Revisionary Classes	**798**	976
e) Examination	**23,194**	17,173
f) Membership	**14,893**	14,258
Less:-Discount on E Journal	**(1,927)**	(1,761)
g) Entrance & Admission for members : Refer Note No. 2.11 (v) (b)	**743**	590
h) Income from Firms	**85**	88
i) Post qualification courses	**474**	367
j) Certificate courses	**1,495**	919
k) Campus Interview Income	**1,369**	962
l) Seminar income :		
i) Members	**6,139**	5,920
ii) Students	**508**	697
m) Expert Advisory Fee	**62**	72
n) Fee for Filing Disciplinary Cases	**74**	44
Total	**95,974**	84,207

Note # 21 : Sale of publications and other items	**For the year ended 31st March 2025**	**For the year ended 31st March 2024**
a) Publications	**600**	2,302
b) Goods	**-**	8

c) Journal :-		
i) Members	**3**	3
ii) Students	**3**	10
d) Scrap items	**66**	70
Total	**672**	**2,393**

Note # 22 : Income from restricted funds	**For the year ended 31st March 2025**	**For the year ended 31st March 2024**
a) Interest on Medal & prizes funds	**36**	22
b) Interest on Student Scholarship funds	**28**	17
Total	**64**	**39**

(₹ in Lakhs)

Note # 23 : Other income	**For the year ended 31st March 2025**	**For the year ended 31st March 2024**
a) Interest on Bank Deposit	**4,965**	3,575
b) Interest on Investment	**5,299**	5,732
c) Interest on Designated Funds :-		
i) Research Fund	**282**	266
ii) Accounting Research Building Fund	**101**	95
iii) Education Fund	**5,208**	4,655
iv) Students Scholarship Fund	**854**	860
v) Sinking Fund for repair and replacement of assets	**2,991**	2,747
vi) Employees Benevolent Fund	**132**	120
vii) Other Designated Funds	**128**	93
d) Interest on staff loan	**103**	97
e) Advertisement income	**225**	230
f) Election income	**48**	-
g) Interest on income tax refund	**35**	72
h) Provision for expenses of earlier years credited	**540**	397
i) Provision no longer required written back	**188**	-
j) Prior period income (net)	**117**	213
k) Miscellaneous income	**374**	345
Total	**21,590**	**19,497**

Note # 24 : Cost of publications and other items	**For the year ended 31st March 2025**	**For the year ended 31st March 2024**
A) Purchases of stock-in-trade		
I) Purchases for sale of publication material	**443**	**2,741**
Sub Total	**443**	**2,741**
B) Changes in inventories of stock-in trade		
I) Inventories at the beginning of the year	**1,238**	746
II) Inventories at the end of the year	**983**	1,238
(Increase)/decrease in inventories of stock-in-trade	**255**	**(492)**
Total (A + B)	**698**	**2,249**

(₹ in Lakhs)

Note # 25 : Employee benefits expense		For the year ended 31st March 2025	For the year ended 31st March 2024
a)	Salaries and other allowances	**24,837**	13,231
b)	Contribution to provident and other funds	**1,098**	912
c)	Gratuity expenses	**1,081**	207
d)	Staff welfare expenses	**137**	205
Total		**27,153**	**14,555**

Note # 26 : Depreciation and amortization		For the year ended 31st March 2025	For the year ended 31st March 2024
a)	On tangible assets (Refer note 10)	**3,577**	**3,203**
b)	On intangible assets (Refer note 11)	**210**	**208**
Total		**3,787**	**3,411**

Note # 27 : Expense from restricted funds		For the year ended 31st March 2025	For the year ended 31st March 2024
a)	Payments to Medal & Prizes Funds	**17**	15
b)	Payments to Student Scholarship Funds	**19**	8
Total		**36**	**23**

Note # 28 : Other Expenses			For the year ended 31st March 2025	For the year ended 31st March 2024
1	Seminar Expenses			
	i)	Members	**10,047**	7,628
	ii)	Students	**3,416**	3,282
2	Class Room Training expenses			
	i)	Information Technology Training	**2,688**	2,371
	ii)	General Management and Communication Skills	**1,525**	1,556
	iii)	Orientation	**1,825**	1,425
3	Cost of Printing for Study material		**4,603**	4,621
4	Revisionary Classes expenses		**786**	765
5	Meeting expenses		**1,440**	1,628
6	Office expenses		**1,021**	1,566
7	Power and Fuel		**1,412**	1,307
8	Repairs & Maintenance		**2,576**	2,392
9	Insurance		**242**	172
10	Rent, Rate & Taxes		**7,325**	6,598
11	Travelling & Conveyance		**2,480**	2,745
12	Overseas membership subscription fees		**903**	857
13	Auditor's remuneration :			
	i)	Head office	**25**	18
	ii)	Other offices	**102**	90
14	Printing and Stationery		**4,039**	3,318
15	Communication expenses		**2,980**	3,794
16	Legal charges		**808**	811
17	Professional Expenses		**13,782**	8,130
18	Manpower & others services		**6,689**	6,085
19	Internet & web maintenance charges		**3,668**	2,802
20	Advertisement		**708**	790
21	Bank Commission		**128**	289
22	Loss (net) on sale of Property, Plant and Equipment		**61**	45
23	Loss on foreign exchange transactions (net)		**26**	15

24	Provision for Doubtful Debts and Advance	**184**	368
25	Payments to Earmarked Funds:		
	a) Students Scholarship Fund	**969**	560
	b) Employees Benevolent Fund	**33**	1
26	Merit Scholarship	**14**	9
27	Election Expenses	**1,350**	2
28	Interest Expenses	**4**	17
29	Magazines & periodicals	**33**	64
30	Provision for Publication Obsolete Stock	**197**	10
31	Contribution to CASBF [Refer Note 2.12 (f)]	**184**	255
32	Expenses of other entities	**338**	206
	Total	**78,611**	66,592

Disclosure under Accounting Standards

29 Additional Notes to the Financial Statements

29.01 Contingent liabilities and commitments

a. Contingent liabilities

		2024-25	**2023-24**
i)	Claims against the Institute not acknowledged as debts	2,480	1,844

ii) In financial year 2018-19,the Institute received two show cause notices of ₹ 15,797 lakhs from the Additional Director General, Goods and Service Tax Intelligence for payment of service tax on annual fee, certificate of practice fee, entrance fee, Seminar Fees and Coaching Class Fees etc. The Institute is of the opinion that it is not liable to service tax and filed writ petition No. 3957/2019 in High Court of Delhi in April 2019. Additional Director General, DGCEI, Kochi filed a Counter affidavit against the aforesaid writ petition in October 2019 against which the Institute filed a rejoinder affidavit in December 2019. The matter is being adjourned from time to time.

b. Capital Commitments

	2024-25	**2023-24**
Capital Commitments (Net of advances)	12,361	11,403

29.02 Other Receivables in Note 17 # include ₹ 197 Lakhs for stamp duty refund receivable on cancellation of principal and supplementary agreements of acquiring property at Nagpur.

Vide judgement dated 03.07.2023, the Chief Controlling Revenue Authority, Pune in Appeal No. 38 & 39/2014 had ordered refund of stamp duty of ₹ 152.66 lakhs and ₹ 46.75 lakhs respectively paid by ICAI on the supplementary sale agreement dated 03.08.2012 registered on 17.09.2012. However, the claim of ₹ 44.34 lakhs was declined due to non-entitlement against assignment of lease hold rights in land. Provision has been made for ₹ 44.34 lakhs this year and ₹ 15.27 lakhs also for the 10% amount of ₹ 152.66 lakhs as the same will be deducted as per Section 22A of the Maharashtra Stamp Rules 1939. The net amount of ₹ 137.39 lakhs is realizable.

Writ petitions bearing Nos. 2987 of 2024 (challenging Appeal No. 39 of 2014) and Writ Petition No. 2988 of 2024 (challenging Appeal No. 38 of 2014) filed before the Bombay High Court are pending.

29.03 The report of the detailed review of various reserves and earmarked funds received last year is under review to restructure these funds as per the present requirements and functioning of the Institute.

29.04 The quoted investments in Government securities have been made for the long term. The market price of

these bonds fluctuate on a day to day basis, since the intention of the Institute is to hold these securities for long term, any temporary decline in the value of these securities against the cost is not provided for as the management is confident that in the long run the market price of these securities will be more than its cost.

29.05 The inter unit transactions of units with Head Office pertaining to Income and Expenditure of current accounts stand reconciled. The net impact of difference of amount payable and receivable between Head Office and units of ₹ 105 lakhs has been shown under Income & Expenditure Account as prior period income which has been approved by the Management. In case of balances between the units of ICAI (other than Head Office) related to receivables and payables, the unreconciled net difference of ₹ 147 lakhs has been classified under " Other Receivables".

29.06 The study circles, study chapters and overseas chapters are separate entities and their accounts are not consolidated.

29.07 Steps are being taken to renew the lease period of land expired in some of units. Renewal Lease Premium shall become due once confirmation is received from the relevant authorities.

29.08 The Institute is registered under section 10(23C)(iv) of the Income Tax Act, 1961. As such, no provision for current income tax and deferred tax is considered necessary.

29.09 As part of the process regarding compliance with Micro, Small & Medium Enterprises Development Act 2006, the Institute has received information from certain vendors at Head Office stating their status as vendors registered with notified authority.

With regard to the vendors at branches and other locations, steps have already been initiated for the identification of vendors and the same will be complied with once the process is complete.

29.10 Expenditure incurred in foreign currency are detailed below :

(₹ in Lakhs)

S.No	Particulars	For the year ended 31st March 2025	For the year ended 31st March 2024
1	Overseas membership subscription fees	903	857
2	Overseas related travel expenses	165	216
3	Seminar & others	166	133
	Total	**1234**	**1206**

29.11 Secretary ICAI, being the Chief Executive Officer under Section 16(1) (a) of the Chartered Accountants Act, 1949, is designated as the Key Management Personnel. The gross remuneration paid to him in the financial year 2024-25 is ₹ 68.36 lakhs.

29.12 During the financial year, Oracle Netsuite ERP commenced its operations and is being utilized.

29.13 During the financial year, certain branches/ Regional Council of the Institute recorded operational deficit. The Management has reviewed and approved the same.

30. Employee Benefits

Defined Benefit plans

The Institute has recognised an amount of ₹ 1098 lakhs for the year ended March 31, 2025 (Previous year ₹ 912 lakhs) towards contribution to Provident Fund.

The Institute has provided the following defined benefit plans to its employees

Gratuity :	Funded
Post retirement Pension :	Funded
Compensated Absence:	Non-Funded

30.01 Details of the Gratuity Plan are as follows

(₹ in Lakhs)

Description	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22
1. Reconciliation of opening and closing balances of obligation				
a. Obligation as at beginning of the year	4,491	4,346	4,250	4,480
b. Past service cost	807	-	-	-
c. Current service cost	409	507	464	449
d. Interest cost	369	306	292	284
e. Actuarial (gain)/loss	(123)	(296)	(271)	(422)
f. Benefits paid	(396)	(372)	(389)	(541)
g. Obligation as at end of the year	5,557	4,491	4,346	4,250
2. Change in present value of plan assets				
a. Fair value of plan assets as at beginning of the year	4,139	3,777	3,705	3,695
b. Expected return on plan assets	301	276	266	255
c. Actuarial gain/(loss)	11	17	3	13
d. Contributions made by the Institute	208	417	224	140
e. Benefits paid	(320)	(348)	(421)	(398)
f. Fair value of plan assets as at end of the year	4,339	4,139	3,777	3,705
3. Reconciliation of fair value of plan assets and obligations				
a. Present value of obligation	5,557	4,491	4,346	4,250
b. Fair value of plan assets	4,339	4,139	3,777	3,705
c. Amount recognised in the balance sheet Asset/(Liability)	(1,218)	(352)	(569)	(545)
4. Expenses recognised during the year				
a. Past service cost	807	-	-	-
b. Current service cost	409	507	464	449
c. Interest cost	369	306	292	284
d. Expected return on plan assets	(301)	(276)	(266)	(255)
e. Actuarial (gain)/loss	(134)	(313)	(274)	(435)
f. Expenses recognised during the year	1,150	224	216	43
5. Investment details	% invested	% invested	% invested	% invested
a. Others - Funds with Life Insurance Corporation of India	100	100	100	100
6. Assumptions				
a. Discount rate (per annum)	6.83%	7.23%	7.36%	7.20%
b. Estimated rate of return on plan assets (per annum)	7.23%	7.36%	7.20%	7.16%
c. Rate of escalation in salary	Basic / DA : 9%	Basic / DA : 10%	Basic / DA : 10%	Basic / DA : 10%
d. Attrition rate	2%	2%	2%	2%
e. Mortality table	IAL 2012-14	IAL 2012-14	IAL 2012-14	IAL 2012-14

	Ultimate	Ultimate	Ultimate	Ultimate

30.02 Details of the Post Retirement Pension Plans

Description	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22
1. Reconciliation of opening and closing balances of obligation				
a. Obligation as at beginning of the year	10,794	10,405	17,196	15,529
b. Past service cost	8,547	-	-	-
c. Interest cost	745	750	954	1,027
d. Actuarial (gain)/loss	3,599	202	335	1,304
e. Benefits paid	(1,072)	(563)	(8,080)	(664)
f. Obligation as at end of the year	22,613	10,794	10,405	17,196
2. Change in fair value of plan assets				
a. Fair value of plan assets as at beginning of the year	8,174	8,140	-	-
b. Expected return on plan assets	555	556	72	-
c. Actuarial gain/(loss)	22	41	-	-
d. Contributions made by the Institute	-	-	15,600	-
e. Benefits paid	(1,072)	(563)	(7,532)	-
f. Fair value of plan assets as at end of the year	7,679	8,174	8,140	-
3. Reconciliation of fair value of plan assets and obligations				
a. Present value of obligation	22,613	10,794	10,405	17,196
b. Fair value of plan assets	7,679	8,174	8,140	-
c. Amount recognised in the Balance Sheet Asset/(Liability)	(14,934)	(2,620)	(2,265)	(17,196)
4. Expenses recognised during the year				
a. Past service cost-Recognized	8,547	-	-	-
b. Interest cost	745	750	954	1,027
c. Expected return on plan assets	(555)	(556)	(72)	-
d. Actuarial (gain)/loss	3,577	161	335	1,304
e. Expenses recognised during the year	12,314	355	1,217	2,331
5. Assumptions	*			
a. Discount rate (per annum)	6.80%	7.41%	7.26%	7.25%
b. Mortality table	LIC 2012-14 Ultimate	LIC 2012-14 Ultimate	LIC 2012-14 Ultimate	LIC 2012-14 Ultimate

* The retirement benefit of pension has been enhanced during the year. The provision of ₹ 12,314 lakhs made based on the actuarial valuation on revised entitlement is accounted for and reported under Note # 25 Employee benefits expense.

30.03 Employee Benefits
Details of Leave Encashment

Description	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22
1. Reconciliation of opening and closing balances of obligation				
a. Obligation as at beginning of the year	7,184	6,356	6,071	5,638
b. Current service cost	373	417	390	403
c. Interest cost	511	459	426	369
d. Actuarial (gain)/loss	(526)	199	(248)	10
e. Benefits paid	(241)	(247)	(283)	(349)
f. Obligation as at end of the year	7,301	7,184	6,356	6,071

2. Reconciliation of fair value of plan assets and obligations				
a. Present value of obligation	7,301	7,184	6,356	6,071
b. Amount recognised in the Balance Sheet Asset/(Liability)	(7,301)	(7,184)	(6,356)	(6,071)
3. Expenses recognised during the year				
a. Current service cost	373	417	390	403
b. Interest cost	511	459	426	369
c. Actuarial (gain)/loss	(526)	199	(248)	10
d. Expenses recognised during the year	358	1,075	568	782
4. Assumptions				
a. Discount rate (per annum)	6.83%	7.23%	7.23%	7.20%
b. Rate of escalation in salary	Basic / DA : 9%	Basic / DA : 10%	Basic / DA : 10%	Basic / DA : 10%
c. Attrition rate	2%	2%	2%	2%
d. Mortality table	IAL 2012-14 Ultimate	IAL 2012-14 Ultimate	IAL 2012-14 Ultimate	IAL 2012-14 Ultimate

31. National Pension Scheme

All employees who have joined on or after 1st June 2018 are covered under National Pension Scheme.

32. Segment Reporting

The Institute's operations are confined to "regulation and development of the profession of Chartered Accountancy" and predominantly spread in India. Hence all its operations fall under single segment within the meaning of Accounting Standard (AS) - 17 Segment Reporting.

33. Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.

For and on behalf of the Council

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA. Sudeep Shrivastava	CA. (Dr.) Jai Kumar Batra	CA. Prasanna Kumar D.	CA. Charanjot Singh Nanda
Additional Secretary (Finance & Accounts)	Secretary	Vice-President	President

As per our report of even date

For Arun K. Agarwal & Associates
Chartered Accountants
FRN : 003917N

Sd/-
CA. Lokesh Kumar Garg
Membership No. 413012
Partner

For S. K. Mittal & Co.
Chartered Accountants
FRN : 001135N

Sd/-
CA. S. Murthy
Membership No. 072290
Partner

CA. CHARANJOT SINGH NANDA, President

[ADVT.-III/4/Exty./266/2025-26]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.08.06 15:09:03 +05'30'